लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. PB-025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 3/7/06

(खण्ड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेज़ी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 10, शुक्रवार, 5 अगस्त, 2005/14 श्रावण, 1927 (शक)

विषय		कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	181 से 184	3-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	185 से 200	41-82
अतारांकित प्रश्न संख्या	1894 से 2096	83-395
सभा पटल पर रखे गए पत्र		395-402
सभा का कार्य		402-406
बिहार बजट, 2005-2006		414-446
लेखानुदानों की मांगें (बिहार), 2005-2006		
श्री पी. चिदम्बरम		414-418, 443-446
श्री निखिल कुमार चौधरी		418-429
श्री महबूब जाहेदी		429-430
श्री गणेश प्रसाद सिंह		430-433
श्री शैलेन्द्र कुमार		434
डा. रामेश्वर उरांव		434-437
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"		437-440
श्री प्रबोध पाण्डा		440-441
श्री विजय कृष्ण		441-443
बिहार विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 2005		446-447
विधार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री पी. चिदम्बरम		447
खंड 2, 3 और 1		447

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	447-458
देश में प्राकृतिक आपदाएं	
श्री शिवराज वि. पाटील	448-458
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प	458-507
सभी राज्य विधानमंडलों तथा संसद में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों का आरक्षण	
श्रीमती कृष्णा तीरथ	458-463
श्रीमती करुणा शुक्ला	463-472
श्री वरकला राधाकृष्णन	472-476
श्री रामजीलाल सुमन	476-479
श्री राजाराम पाल	479-481
श्रीमती के. रानी	481-483
श्रीमती सुमित्रा महाजन	484-488
श्री ए. कृष्णास्वामी	489-490
श्री भर्तृहरि महताब	490-494
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	494-495
श्रीमती मिनाती सेन	496-497
श्री आलोक कुमार मेहता	497-500
श्री शैलेन्द्र कुमार	500-502
प्रो. एम. रामदास	502-505
प्रो. रासा सिंह रावत	505-507
अनुबंध-I	516-424
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	516-517
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	517-524
अनुबंध-II	525-528
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	525-526
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	525-528

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 5 अगस्त, 2005/14 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : मैं कुछ बताना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं है। मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे प्रश्न काल के समय को कम करना होगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

सभा की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के संबंध में

अध्यक्ष महोदय : "माननीय सदस्यो, मेरा ध्यान प्रिंट मीडिया में कुछ रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है और कल माननीय सभा में जो हुआ है उसके बारे मे इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी मैंने कुछ समाचारों में देखा है। दुर्भाग्यवश, एक माननीय सदस्य ने जिस मुद्दे को उठाना चाहा उसे निपटाने के संबंध में अध्यक्षपीठ की निष्पक्षता के बारे में प्रश्न उठाते हुए कुछ हलकों में लगभग एकतरफा रिपोर्ट दी गई है। इसलिए, मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं।

यह स्मरण करना आवश्यक है कि अभी 26 जुलाई, 2005 को मेरे द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव गृहीत किया गया था और बंगलादेश से घुसपैठ सहित हमारे देश में विदेशियों की घुसपैठ के प्रश्न पर पूर्ण और व्यापक चर्चा हुई थी। संबंधित माननीय सदस्य ने न तो उस चर्चा में भाग लिया और जहां तक मुझे बताया गया है, न ही वह सभा में उपस्थित हुए। एक ही मामला सभा के एक सत्र में दो बार नहीं उठाया जा सकता जैसा कि नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंधित है। मात्र इसलिए कि एक माननीय सदस्य सभा में चर्चा के दौरान उपस्थित नहीं थे, यह बात एक सप्ताह के भीतर अथवा, उस पूरे सत्र के दौरान उसी मुद्दे को उठाने का प्रयास करने को उचित नहीं ठहरा सकती। नियम हमेशा और सभी के लिए ही लागू होंगे। यदि कोई संदेह था तो अध्यक्षपीठ से कारण पता लगाए जा सकते थे।

जब यह प्रश्न उठाया गया था उस समय अध्यक्षपीठ पर माननीय उपाध्यक्ष आसीन थे और उन्होंने, यदि मैं कहूं तो, सभा को अध्यक्ष के रूप में मेरे विनिश्चय से सही-सही अवगत करा दिया था। लेकिन किसी ने भी न तो मुझसे मिलने का और न ही उसी प्रस्ताव को गृहीत करने के लिए मेरी मनाही के कारणों को जानने का प्रयास किया। भावना चाहे जो कुछ रही हो, किन्तु उससे जैसा कल किया गया वैसा व्यवहार न तो उचित ठहराया जा सकता था और न ही उचित ठहराया जा सकता है। मैं इस निन्दनीय परोक्ष संकेत, कि मेरा विनिश्चय राजनीतिक सोच से प्रवर्तित था, का स्पष्ट रूप से और अध्यक्षपीठ के समस्त प्राधिकार से तथा पूरी ईमानदारी से खण्डन करना चाहता हूं। ऐसे आरोप लगाना अध्यक्षपीठ का निरादर तथा ऐसा करके पूरी सभा का निरादर करने का सोचा-समझा प्रयास था।

चूंकि मुझे इस माननीय अध्यक्षपीठ पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं लगातार प्रयास करता रहा हूं और सभा के सभी वर्गों से पूरे सद्भाव से अपील करता रहा हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सभा की प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रहे और उसमें वृद्धि हो और यह कार्यवाही का हमारे द्वारा ऐसे ढंग से संचालन करके ही किया जा सकता है जो इस महान देश की जनता द्वारा हमें सौंपे गए उत्तरदायित्व को युक्तियुक्त ठहराता हो। मानसून सत्र के दौरान, हमने अनेक चर्चाएं की हैं, जो, यदि मैं कहूं तो, विपक्षी दलों ने स्थगन प्रस्ताव ठीक ही उठाया था और मैंने उसे गृहीत किया तथा उस पर नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दी तथा मैं सभी माननीय सदस्यों का सभा की गरिमा और शालीनता बनाए रखने में, कुल मिलाकर, सहयोग करने के लिए आभारी हूं।

तथापि, यदि मैं, राजनीतिक आधारों पर विनिश्चय करने के बारे में मुझ पर लगाए गए घोर अपमानजनक परोक्ष संकेत के प्रति अपनी पूर्ण अस्वीकृति दर्ज नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफल हूंगा।

मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों और सभा के सभी पक्षों से अपील करना चाहता हूं कि जैसा कि यह सभा सभी से और अंततः इस देश की जनता से संबद्ध है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी न करे

या कहें जो किसी भी प्रकार से सभा की गरिमा के साथ समझौता हो और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 181 को लेते हैं—श्रीमती सी. एस. सुजाता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी भी अन्य मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, कृपया हमारे साथ सहयोग करें। कृपया बैठ जाइए। यह प्रश्न उठाने का समय नहीं है।

प्रश्न सं. 181—श्रीमती सी. एस. सुजाता।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में निजीकरण

***181. श्रीमती सी. एस. सुजाता** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनेक राज्यों में विद्युत वितरण का काम कर रही निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के कार्यकरण का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके काम में जिन क्षेत्रों में कमियां पाई गई हैं उनका कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन कंपनियों के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिससे विद्युत क्षेत्र में निजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) निजी वितरण कंपनियों के कार्यकरण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशिष्ट आकलन नहीं किया गया है। यद्यपि केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र की स्वतन्त्र रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग करा रही है। पूरे राज्य के लिए यह कार्यक्रम वार्षिक आधार पर चलाया जाता है। वर्ष 2005 के रेटिंग कार्यक्रम के परिणाम अनुबंध–1 के रूप में संलग्न हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली और केरल राज्य में निजी वितरण कंपनी कार्यरत हैं।

(ख) विद्युत वितरण राज्यों के अधिकार–क्षेत्र में आता है। पिछले वर्षों में गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दिशेरगढ़ में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, महाराष्ट्र के मुंबई में तथा केरल के मुन्नार में निजी वितरण कंपनियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

उड़ीसा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने क्रमशः 1999 में और जुलाई, 2002 में वितरण का निजीकरण कर लिया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोग विद्युत वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत वितरण लाइसेंसी को अपने आपूर्ति क्षेत्र में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुशल, समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित एवं अनुरक्षित करना तथा विद्युत आपूर्ति करना उसकी जिम्मेवारी है। अधिनियम की धारा 86(i) के अन्तर्गत एसईआरसी को लाइसेंसियों द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानक निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।

उड़ीसा में निजी वितरण कंपनियों के कार्य निष्पादन के बारे में उड़ीसा एसईआरसी द्वारा किया गया मूल्यांकन अनुबंध–2 के रूप में दर्शाया गया है।

दिल्ली में निजी वितरण कंपनियों के निष्पादन के बारे में दिल्ली एसईआरसी द्वारा किया गया मूल्यांकन अनुबंध–3 के रूप में दर्शाया गया है।

कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां प्रति फीडर आउटेज की अवधि तथा विश्वसनीयता सूचकांक की वर्तमान स्थिति अनुबंध–4 के रूप में संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मासिक आधार पर प्रति फीडर आउटेज अवधि, प्रति फीडर आउटेज की संख्या तथा राज्य

की राजधानियों एवं बड़े शहरों में आउटेज की औसत अवधि की मानीटरिंग कर रही है। इन शहरों के लिए एटीसी हानियों की वार्षिक आधार पर मानीटरिंग की जा रही है। वार्षिक रेटिंग कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मामलों तथा इनके उपचार के लिए सहवर्ती मानीटरिंग की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। राज्य सरकारों के साथ नियमित बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य आपूर्ति की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करना है। देश में सार्वजनिक एवं निजी—दोनों क्षेत्रों में वितरण में दक्षता के सुधार की आवश्यकता है।

विद्युत अधिनियम की धारा 42(5) में प्रावधान है कि लाइसेंस प्रदान करने की नियत तारीख से प्रदान करने की तारीख या छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, प्रत्येक वितरण लाइसेंसी राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए एक मंच बनाएगा।

विद्युत अधिनियम की धारा 42(6) के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता अपनी समस्या का समाधान नहीं होने से क्षुब्ध है, तो उक्त धारा की उप धारा (5) के अन्तर्गत राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या नामोद्दिष्ट प्राधिकारी, जिसे लोकपाल कहा जाता है, को इस संबंध में अभ्यावेदन दे सकता है।

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान की नियमित मानीटरिंग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत नियम, 2005 यह व्यवस्था करता है कि लोकपाल संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायत की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए और पिछले छह महीनों के दौरान धारा 57 के अन्तर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों की लाइसेंसी द्वारा अनुपालना पर छमाही आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उपर्युक्त उप खण्ड (क) के अन्तर्गत रिपोर्ट राज्य आयोग और राज्य सरकार को इस छह महीने की अवधि के समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर भेजी जाएगी।

अनुबंध-I

विद्युत क्षेत्र रेटिंग

क्र.सं.	राज्य	कुल (100) मार्च, 2005
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	57.03
2.	गुजरात	53.61
3.	दिल्ली	51.91
4.	कर्नाटक	51.46
5.	तमिलनाडु	50.94
6.	गोवा	50.45
7.	हिमाचल प्रदेश	49.91
8.	पश्चिम बंगाल	44.60
9.	उत्तर प्रदेश	42.14
10.	छत्तीसगढ़	39.91
11.	राजस्थान	37.50
12.	महाराष्ट्र	37.25
13.	पंजाब	36.82
14.	हरियाणा	35.16
15.	त्रिपुरा	31.65
16.	केरल	31.48
17.	असम	27.32
18.	मेघालय	26.72
19.	मध्य प्रदेश	22.79
20.	सिक्किम	19.07
21.	उत्तरांचल	18.60
22.	नागालैंड	15.80
23.	उड़ीसा	13.63
24.	जम्मू और कश्मीर	9.43
25.	अरुणाचल प्रदेश	9.20
26.	मिजोरम	7.88
27.	मणिपुर	6.55
28.	बिहार	5.78
29.	झारखंड	3.00

अनुबंध-II

निजी वितरण कंपनियों की कार्य प्रणाली पर उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) द्वारा किया गया मूल्यांकन

■ **विद्युत खरीद बिल का भुगतान**—सेस्को को छोड़कर सभी वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत की खरीद संबंधी बिलों का भुगतान

नियमित रूप से किया जा रहा है। सेस्को द्वारा पूरा भुगतान न किए जाने की अपनी कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

■ **उपभोक्ता मीटरिंग**–काफी दबाव बनाने के उपरान्त आयोग प्रत्येक वितरण कंपनी हेतु 92.5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत उपभोक्ता मीटर स्थापित करवाने में सफल हुआ है।

■ **फीडर मीटरिंग**

वितरण कंपनी का नाम	33 केवी फीडर (%)	11 केवी फीडर (%)	11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर (%)
सेस्को	97.6	66.5	16.0
नेस्को	100	100	98.2
वेस्को	100	100	96.4
साउथको	77.4	100	100

■ **परिसंपत्ति रजिस्टर**–आयोग ने वितरण कंपनियों को परिसंपत्ति रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

■ पारेषण एवं वितरण हानियां कम करना।

ओईआरसी ने समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के मूल्यांकन के लिए फॉर्मूला तैयार किया है जो कि निश्चित तौर पर डीईआरसी के फॉर्मूले के समान है। उड़ीसा के चार वितरण लाइसेंसी हैं, यथा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि. (सेस्को), नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि. (नेस्को), वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि. (वेस्को), सदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि. (साउथको)–इनकी समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां निम्न प्रकार हैं :

एटी एंड सी हानियां	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
नेस्को	52.25	50.36	42.96	39.55
वेस्को	47.30	46.18	40.60	36.52
साउथको	49.76	51.56	45.71	41.76
सेस्को	55.04	51.10	49.37	44.96

■ **टैरिफ**–

वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए उड़ीसा में 1 फरवरी, 2001 से शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान शुल्क में घरेलू उपभोक्ताओं के उच्चतम स्लैब में कमी की गई।

#विनियामक आयोग द्वारा एईएस के रूप में विद्युत प्रशासक के माध्यम से सेस्को को चलाया जा रहा है। अमरीकी कंपनी जिसने निजीकरण के उपरान्त प्रबंधन को संभाला था, संतोषजनक कार्य निष्पादन में असफल रही।

अनुबंध-III

निजी वितरण कंपनियों के कार्यकरण पर डीईआरसी द्वारा किया गया मूल्यांकन

I. कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी

तीन वितरण कंपनी, यथा नॉर्थ दिल्ली पावर लि. (एनडीपीएल), बीएसईएस पावर लि. (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लि. (बीवाईपीएल) ने अपनी हानियों में उनके निजीकरण के बाद में कमी की है और उनका कार्य निष्पादन नीतिगत निदेशों में निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर हो रहा है। इस संबंध में एनडीपीएल का निष्पादन बीएसईएस से बेहतर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एनडीपीएल ने अपने एटी एंड सी हानियों में लगभग 11 प्रतिशत की कमी की है। बीवाईपीएल और बीआरपीएल के लिए ये आंकड़े क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत थे। नीचे दी गई सारणी में निर्धारित एटी एंड सी हानि स्तर तथा इसमें हासिल वास्तविक कमी (मार्च, 2003, मार्च, 2004, और मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार) दर्शाई गई है।

(सभी आंकड़े प्रतिशत में)

	आरंभिक हानि स्तर		2002–2003	2003–2004	2004–2005
बीवाईपीएल	57.2	लक्ष्य	56.45	54.7	50.7
		उपलब्धि	56.45	54.29	50.12
बीआरपीएल	48.1	लक्ष्य	47.55	46	42.7
		उपलब्धि	47.4	45.06	40.64
एनडीपीएल	48.1	लक्ष्य	47.6	45.35	40.85
		उपलब्धि	47.79	44.86	33.79

II. निष्पादन मानदंडों में सुधार

➢ लोड शेडिंग निजीकरण के समय इनपुट मस के 2.32 प्रतिशत की तुलना में 2004–05 में इनपुट मस के 0.85 प्रतिशत तक घट गया है।

- वितरण ट्रांसफार्मर खराबी दर को निजीकरण के समय 15 प्रतिशत से घटाकर अभी 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
- खराबी की मरम्मत करने के औसत समय में काफी सुधार आया है।
- बिल भुगतान हेतु विकल्पों की संख्या काफी बढ़ गई है।

III. उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(5) के अनुसार तीनों वितरण यूटिलिटियों ने अपने मंच स्थापित कर लिए हैं। डीईआरसी ने भी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) के प्रावधानों के अनुपालन में अगस्त, 2004 में विद्युत लोकपाल नियुक्त किया है।

- 31 जुलाई, 2005 तक मंचों में 1558 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1319 शिकायतों का निपटान हो चुका है।
- 1037 मामलों का निर्णय उपभोक्ताओं के पक्ष में किया गया है। 6 मामलों में मंचों ने डीईआरसी को लाइसेंसी दर पर दंड लगाने की सिफारिश की है।
- 1303 शिकायतें (83.6 प्रतिशत) मीटरीकरण और बिलिंग से संबंधित थीं।

अनुबंध-IV

निजी डिस्कॉम की एटी व सी हानियां (प्रतिशत)

क्र.सं.	डिस्कॉम	2002–2003	2003–2004	2004–2005
1.	नोएडा पावर कंपनी (यूपी)	एनए	एनए	10.49
2.	बीएसईएस (महाराष्ट्र)	एनए	एनए	11.32
3.	सीईएससी (पश्चिम बंगाल)	19.60	18.00	17.16
4.	एईसी (गुजरात)	18.74	16.68	12.63
5.	एसईसी (गुजरात)	14.23	12.98	11.11
6.	टाटा पावर कंपनी लि. (महाराष्ट्र)	एनए	#2.4%	एनए
7.	दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लि. (पश्चिम बंगाल)	6.266	5.68	5.0

#ये टी एंड डी हानियां हैं।

दिल्ली और उड़ीसा में कंपनियों की हानियां अनुबंध–II और III में हैं।

8 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों/राज्य की राजधानियों को प्रति फीडर (11 केवी स्तर) निकासी की अवधि (मिनटों में)

क्र.सं.	निजी. डिस्कॉम	जनवरी, 05 से मार्च, 05
1.	एईसी (गुजरात)	115.44
2.	एसईसी (गुजरात)	68.53
3.	बीएसईएस (महाराष्ट्र)	17.13
4.	सीईएससी (पश्चिम बंगाल)	53.04
5.	दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लि. (पश्चिम बंगाल)	595.18##
6.	नई दिल्ली पावर लि. (दिल्ली)	681.60
7.	बीएसईएस यमुना पावर लि. (दिल्ली)	1281.78
8.	बीएसईएस राजधानी पावर लि. (दिल्ली)	1378.38

##अप्रैल, 2004 से जून, 2004

8 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों/राज्य की राजधानियों का 11 केवी स्तर हेतु विश्वसनीयता सूचकांक (प्रतिशत)

क्र.सं.	निजी डिस्कॉम	जनवरी, 05 से मार्च, 05
1.	एईसी (गुजरात)	99.91
2.	एसईसी (गुजरात)	99.95
3.	बीएसईएस (महाराष्ट्र)	99.99
4.	सीईएससी (पश्चिम बंगाल)	99.96
5.	दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लि. (पश्चिम बंगाल)	@99.55
6.	नई दिल्ली पावर लि. (दिल्ली)	99.47
7.	बीएसईएस यमुना पावर लि. (दिल्ली)	99.01
8.	बीएसईएस राजधानी पावर लि. (दिल्ली)	98.94

@अप्रैल, 2004 से जून, 2004

संकेताक्षर :

बीएसईएस–बॉम्बे सबअर्ब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (अब रिलायंस एनर्जी)

सीईएससी–कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी

एईसी–अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी

एसईसी–सूरत इलेक्ट्रिसिटी कंपनी

श्रीमती सी. एस. सुजाता : महोदय, बिजली उत्पादन और वितरण के संबंध में हमारे नागरिकों की मुख्य चिन्ता कीमतों की दृष्टि से वहनीयता तथा बिजली की अबाध आपूर्ति के संबंध में विश्वसनीयता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या प्राइवेट आपरेटर्स मुनासिब कीमतों पर बिजली उपलब्ध करा पा रहे हैं? इस संबंध में प्रतिकूल अनुभव रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर, जो कि हमारे जीवन स्तर तथा लोगों और राष्ट्र के विकास को सीधा प्रभावित कर रहा है, सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

यह सत्य है कि हमारे देश में प्रचालित हाई टेंशन तथा एक्सट्रा हाई टेंशन की टेरिफ दरें जापान के पश्चात सर्वाधिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्रीमती सी. एस. सुजाता : महोदय, मैं वही कहने जा रही हूं। ऐसा लगता है कि योजना आयोग ने जो मध्यावधि मूल्यांकन किया है उससे बिजली के क्षेत्र में जो बिना सोचे-समझे निजीकरण किया जा रहा है उस पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। यदि हां, तो ऊर्जा मंत्रालय इस बारे में क्या विचार कर रहा है, विशेषकर जब हाल ही में प्राइवेट आपरेटरों ने मुम्बई के आस-पास बिजली का वितरण करने से मना कर दिया था?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब प्रश्न का उत्तर देने दिया जाए। आपको स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहिए न कि उस संबंध में भाषण। हम सभी को प्रक्रिया संबंधी जानकारी होनी चाहिए।

श्री पी. एम. सईद : महोदय, ऐसा लगता है कि आपने शुक्रवार के दिन का पहला प्रश्न केवल मेरे लिए ही निर्धारित कर दिया है। पिछले सप्ताह भी पहला प्रश्न मेरे मंत्रालय से संबंधित था।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी लोकप्रियता दर्शाता है।

श्री पी. एम. सईद : श्रीमती सुजाता के प्रश्न का भाग क यह है कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्राइवेट वितरण कंपनियों के कार्यकरण के संबंध में कोई विशेष मूल्यांकन करवाया गया है? उनका पहला प्रश्न भी पुनः उन्हीं द्वारा पूछा जा रहा है।

मैं इस तथ्य को सभा को बताना चाहता हूं। इस प्रश्न की मूल बात यही है कि देश में बिजली वितरण का संपूर्ण कार्य सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। महोदय, आज की स्थिति में भी वितरण का 95 प्रतिशत कार्य सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा तथा 5 प्रतिशत कार्य निजी तथा संयुक्त क्षेत्र अर्थात निजी क्षेत्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है वह भी केवल दो मामलों अर्थात दिल्ली एवं उड़ीसा में। वहां पर भी अब यह कार्य नए अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात नहीं होता है। यह उन दो राज्यों के केवल दो क्षेत्रों में भी किया गया था। वह उन राज्यों के विद्यमान नियमों के तहत किया गया।

प्रश्न बेहतर सेवा प्रदान करने का है। सेवाओं को बेहतर बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य के विनियामक आयोग द्वारा देखा जाता है। राज्य सरकार भी उनके कार्यों पर निगरानी रखती है। अतः राज्य विनियामक आयोगों एवं केन्द्रीय विनियामक आयोग के हाथों में अत्यधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन है।

श्रीमती सी. एस. सुजाता : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार ने, विशेषकर उड़ीसा, दिल्ली तथा महाराष्ट्र राज्यों से प्राप्त अनुभव के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र का गैर-सरकारीकरण करने तथा निजीकरण करने से पड़े प्रभाव के संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन किया है। क्या माननीय महोदय, हाल के वर्षों में निजी आपरेटरों को हुई हानि का विस्तृत लेखा-जोखा देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्नकर्ता घाटे के संबंध में विस्तृत लेखा-जोखा चाहती हैं।

श्री पी. एम. सईद : महोदय, गैर-सरकारीकरण (अनबंडलिंग) शब्द अधिनियम में कभी भी कहीं पर नहीं पाया गया। यह मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। अधिनियम में 'पुनर्गठन' या 'पुनःसंरचना' शब्द है। अधिकांशतः सभी राज्यों ने तथाकथित गैर-सरकारीकरण या पुनर्गठन सहित इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने से इंकार नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में श्री बसुदेव आचार्य ने इस कार्य को अंशतः किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने आपको मुसीबत में नहीं डालिए।

श्री पी. एम. सईद : ये मुझे उकसा रहे हैं, इसलिए मैंने बताया है।

अध्यक्ष महोदय : उनके जाल में न फंसें।

श्री पी. एम. सईद : बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के घाटे के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हानि की प्रतिशतता अब 40 से 45 प्रतिशत की श्रेणी में है। इस संबंध में मेरे पास एक विस्तृत सूची है। यदि आप चाहते हैं तो मैं उसे पढ़ सकता हूं अथवा उन्हें पूरी जानकारी अग्रेषित कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया संक्षेप में कहें।

श्री पी. एम. सईद : मैं उन्हें सारा ब्यौरा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अनुपस्थित।

श्री भैंवर सिंह डांगावास।

[हिन्दी]

श्री भैंवर सिंह डांगावास : मेरे नाम का हिन्दी में सही उच्चारण 'भैंवर सिंह डांगावास' है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि उच्चारण में मुझसे गलती हुई है, तो उसके लिए क्षमा करें।

[हिन्दी]

श्री भैंवर सिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं। निजी क्षेत्र में भूमिगत कोयले को जला कर गैस बाहर निकाल कर उससे विद्युत उत्पादन करने की एक योजना है, उसके अन्तर्गत गुजरात में कोल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी ने मिल कर एक प्रयोग शुरू किया है। ऐसी ही योजना मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में मेड़ता में मीरा नगर नामक स्थान पर है। क्या इस योजना को आप कार्यान्वित कराएंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. एम. सईद : महोदय, यह प्रश्न वितरण के बारे में है। वह कोयले की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कोयले के बारे में प्रश्न किया है।

श्री भैंवर सिंह डांगावास : यह कोयले से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : यह विद्युत के बारे में है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह ताप विद्युत उत्पादन से संबंधित है? कृपया अपना प्रश्न धीरे-धीरे दोहराएं।

[हिन्दी]

श्री भैंवर सिंह डांगावास : भूमिगत कोयले से गैस निकाल कर बिना खनन के विद्युत उत्पादन करने की सरकार की योजना है। उस योजना के तहत गुजरात में काम शुरू हो गया है। इस योजना के अन्तर्गत कोल इंडिया लिमिटेड ने नागौर में मेड़ता में मीरा नामक स्थान पर अपने खोदे हुए कुओं से गैस निकाल कर उससे विद्युत उत्पादन करने का प्रस्ताव किया है और उसके लिए रूस से विशेषज्ञ बुलाकर रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। क्या आप उस पर कार्य शुरू कराएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप राजस्थान में गैस से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देंगे?

श्री पी. एम. सईद : जी, हां। सभी जगह।

अध्यक्ष महोदय : सभी जगह! धन्यवाद। आपको उत्तर मिल गया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : कुछ साल पहले तक सभी राज्यों के विद्युत बोर्ड पब्लिक सेक्टर में थे। जब से इकॉनोमिक रिफार्म्स की धारा चली है, तब से बिजली बोर्डों के अनबंडलिंग का काम और तीन अलग-अलग कम्पनीज द्वारा प्रारम्भ करने का आदेश नए एक्ट के तहत केन्द्रीय शासन ने दिया है। जिन सात राज्यों में इसे लागू किया गया है, वहां इसका अच्छा अनुभव नहीं रहा है। हाल ही में मुम्बई में जो वितरण का काम निजी क्षेत्र में दिया गया है, उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ऐसा कोई संशोधन किया जाएगा, जिससे वितरण के काम को सम्भाल रही निजी कम्पनी अगर कोई दिक्कत पेश करती है, तो दंड दिया जा सके और लोगों को बिजली नहीं मिलने की असुविधा से बचाया जा सके?

श्री पी. एम. सईद : अध्यक्ष जी, मेरे दोस्त जोगी जी ने दंड देने की बात कही है। दंड कम होने की वजह से या नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे ख्याल से यह सही नहीं है। रेग्युलेटरी कमीशन को पावर्स दी गई हैं कि अगर कोई निजी कम्पनी ऐसा कार्य करती है, जिससे लोगों को असुविधा हो, तो उसे दंड दिया जा सकता है। यहां तक कि उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उड़ीसा में यू.एस.ए. की एक कम्पनी ने अपना कर्त्तव्य ठीक से नहीं निभाया। जब इस बात की जांच की गई तो यह साफ हो गया कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी : महोदय, अधिनियम प्रभावशाली नहीं है। आपको इसे सख्त बनाना होगा।

श्री पी. एम. सईद : अपने मित्र का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अधिनियम पूरी तरह से प्रभावशाली है।

अध्यक्ष महोदय : इस अधिनियम का प्रयोग भी होना चाहिए।

श्री पी. एम. सईद : जी, हां। इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया है। वर्ष 2001 में कार्य निष्पादन न करने वाली वितरण

कम्पनी नामतः अमरीका की एईएस के विरुद्ध विनियामक आयोग ने सख्त कार्रवाई की थी और प्रबंधन को हटाकर एक प्रशासक को नियुक्त किया गया था। कार्य निष्पादन न करने वाली वितरण कम्पनी के विरुद्ध ऐसी ही कार्रवाई की जानी उचित थी और संबंधित विनियामक आयोग इसी प्रकार सख्त कार्रवाई करेगा... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : यहां ये सभी आंकड़े प्रस्तुत करने के बावजूद मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस तथ्य पर विचार कर रहे हैं कि विद्युत उत्पादन तथा उसके वितरण का निजीकरण करने के पश्चात उपभोक्ताओं पर पिछले दो अथवा तीन वर्षों में 200 प्रतिशत से 250 प्रतिशत तक बोझ बढ़ गया है। इन सभी ब्यौरों को यहां प्रस्तुत करने का क्या फायदा है? उपभोक्ताओं के बोझ तथा विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

श्री पी. एम. सईद : महोदय, मेरे विचार से माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि निजीकरण विद्युत उत्पादन की लागत में बढ़ोत्तरी का कारण है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि देश में विद्युत के वितरण का 95 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किया जाता है और केवल 5 प्रनिशत निजी तथा संयुक्त उपक्रमों द्वारा किया जाता है। जब कभी लागत को संशोधित कर बढ़ाया जाता है, तो ऐसा विनियामक आयोग की सहमति तथा आदेश के द्वारा ही किया जाता है। यह एक स्वायत्त तथा न्यायिककल्प निकाय है। हम सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में आपस में और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। इस प्रतिस्पर्धा से विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आएगी और इससे अन्ततः उपभोक्ताओं को ही फायदा होगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बिजली जेनरेशन के क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी रेशो 5 प्रतिशत और 95 प्रतिशत का है। मैं जानना चाहता हूं कि आज के हालात में सभी प्रदेशों के विद्युत बोर्डों की आर्थिक स्थिति क्या है? राज्यों के ऐसे कितने विद्युत बोर्ड्स हैं जो घाटे में चल रहे हैं और सरकार की क्या कोई योजना है जिससे उनमें सुधार आ सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न निजीकरण के बारे में है।

श्री पी. एम. सईद : महोदय, वर्ष 1990 में भारतीय विद्युत क्षेत्र को 3000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। यह वर्ष 1990 के दौरान हुआ था। वर्ष 2000–01 में यह घाटा बढ़कर 30000 करोड़ रुपये हो गया था। प्रतिवर्ष इसमें 50000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन हमारे सुधारों तथा अत्यधिक अनुरोध के कारण यह घाटा 21000 करोड़ रुपये तक कम हो गया है। यह अभूतपूर्व कमी है।

श्री बसुदेव आचार्य : इससे हमारे माननीय मंत्री की क्षमता का पता चलता है, और वह भी केवल एक वर्ष के अन्दर।

श्री पी. एम. सईद : आप शायद जानते होंगे कि इस वर्ष जून में विद्युत उत्पादन की दर 9.3 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

[हिन्दी]

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

+

***182. श्री गणेश सिंह :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को वास्तव में सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान आज की तारीख तक केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को सफाई सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद ग्रामीण सफाई सुविधाओं में कोई उल्लेखनीय सुधार दिखाई नहीं पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण सफाई कार्यक्रम को लागू करने में खामियों की पहचान कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जनगणना 2001 के अनुसार देश में लगभग 22 प्रतिशत

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ग्रामीण आबादी के पास स्वच्छता सुविधाएं हैं। राज्यवार सूची अनुबंध–I में दी गई है। इस समय, अनुमान है कि लगभग प्रतिशत ग्रामीण आबादी के पास स्वच्छता सुविधाएं हैं।

(ख) भारत सरकार सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के माध्यम से स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। टीएससी मांग आधारित कार्यक्रम है तथा वास्तविक उपयोग के आधार पर निधियां रिलीज की जाती हैं। इसलिए निधियों का वर्षवार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि 2004–05 के दौरान तथा 2005–06 के दौरान अब तक केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे अनुबंध–II में दिए गए हैं।

(ग) भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज काफी धीमी है। तथापि, टीएससी के आरम्भ होने से लगभग 1.44 करोड़ परिवारों को शौचालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, इसके फलस्वरूप कवरेज 2001 में 22 प्रतिशत से बढ़कर इस समय लगभग 33 प्रतिशत हो गई है।

(घ) केन्द्र सरकार ने देश में टीएससी के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए मूल्यांकन अध्ययन कराया था तथा कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ नीतिगत परिवर्तनों का सुझाव दिया था। इन प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के लिए इकाई लागत में वृद्धि करना।

(ii) पारिवारिक शौचालयों की इकाई लागत के भाग के रूप में प्रमुख ढांचे की लागत शामिल करना।

(iii) ठोस तथा तरल अपशिष्ट निपटान व्यवस्था शुरू करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना।

(ङ) (i) विभाग ने उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ii) स्वच्छता प्रोत्साहन में पंचायती राज संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों तथा मुख्य विचारकों की और अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने "निर्मल ग्राम पुरस्कार" शुरू किए हैं। भारत के राष्ट्रपति महामहिम डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 24 फरवरी, 2005 को खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के लिए 38 ग्राम पंचायतों तथा 2 ब्लाक पंचायतों को "निर्मल ग्राम पुरस्कार" के अन्तर्गत पहली बार पुरस्कार प्रदान किए।

(iii) स्वच्छता तथा स्वास्थ्यवर्धक मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जन संपर्क अभियान शुरू किया गया है। जिला स्तर पर लोगों के पारस्परिक संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(iv) अलग–अलग क्षेत्रों के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी दौरे आयोजित किए जा रहे हैं।

(v) स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए देश के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को मंजूर किए जाने का प्रस्ताव है।

(vi) सरकार ने विगत दो वर्षों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के बजटीय आवंटन को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया है।

अनुबंध-I

2001 की जनगणना के अनुसार राज्यवार ग्रामीण स्वच्छता कवरेज

क्र.सं.	राज्य का नाम	ऐसे परिवारों की कवरेज जिनके यहां शौचालय हैं
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	42.33
2.	आंध्र प्रदेश	18.15
3.	अरुणाचल प्रदेश	47.34
4.	असम	59.57
5.	बिहार	13.91
6.	छत्तीसगढ़	5.18
7.	चंडीगढ़	68.53
8.	दिल्ली	62.89
9.	गोवा	48.21
10.	गुजरात	21.65
11.	हरियाणा	28.66
12.	हिमाचल प्रदेश	27.72
13.	जम्मू व कश्मीर	41.80
14.	झारखंड	6.57

1	2	3
15.	कर्नाटक	17.40
16.	केरल	81.33
17.	मध्य प्रदेश	8.94
18.	महाराष्ट्र	18.21
19.	मणिपुर	77.50
20.	मेघालय	40.10
21.	मिजोरम	79.74
22.	नागालैंड	64.64
23.	उड़ीसा	7.71
24.	पंजाब	40.91
25.	राजस्थान	14.61
26.	सिक्किम	59.35
27.	तमिलनाडु	14.36
28.	त्रिपुरा	77.93
29.	उत्तर प्रदेश	19.23
30.	उत्तरांचल	31.60
31.	पश्चिम बंगाल	26.93
32.	दादरा व नगर हवेली	17.32
33.	लक्षद्वीप	93.14
34.	दमन व दीव	32.02
35.	पाण्डिचेरी	21.42
	कुल	21.92

अनुबंध-II

वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान टीएससी के अन्तर्गत राज्यवार रिलीज की स्थिति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004–05	2005–06 (2.8.05 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3362.27	400.81
2.	बिहार	120.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	1100.17	416.34
4.	गोवा	134.67	0.00
5.	गुजरात	3690.44	188.79
6.	हरियाणा	811.13	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	50.00	85.58
8.	जम्मू व कश्मीर	1044.88	0.00
9.	झारखंड	1946.71	2077.87
10.	कर्नाटक	461.99	3059.57
11.	केरल	805.53	106.59
12.	मध्य प्रदेश	2242.97	533.58
13.	महाराष्ट्र	3493.05	364.96
14.	उड़ीसा	4582.48	734.28
15.	पंजाब	699.94	0.00
16.	राजस्थान	700.86	2227.19
17.	तमिलनाडु	2972.06	3651.78
18.	उत्तर प्रदेश	3475.35	1505.22
19.	उत्तरांचल	503.23	57.10
20.	पश्चिम बंगाल	1586.85	2407.06
21.	पाण्डिचेरी	47.42	0.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	0.00
23.	असम	254.95	0.00
24.	मणिपुर	0.00	0.00
25.	मिजोरम	60.00	0.00
26.	नागालैंड	62.69	0.00
27.	सिक्किम	74.07	0.00
28.	त्रिपुरा	368.73	0.00
	कुल योग	34732.44	17816.72

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि ग्रामीण भारत में शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का असर न के बराबर है और जो आंकड़े दिए गए हैं उनके मुताबिक 22 प्रतिशत परिवारों को ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो पाई है और वह भी जल–अभाव व शैड न बनने के कारण बन्द पड़े हैं।

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए 500 रुपये के अनुदान की व्यवस्था कर रही है, जिसमें साठ प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का, बीस प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का तथा शेष .बीस प्रतिशत हिस्सा हितग्राहियों से लेकर शौचालय बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि पूर्णतया अव्यावहारिक है। आज की मंहगाई में ढाई हजार से कम में उक्त शौचालय को बना पाना कठिन है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि हमें सिफारिशें मिली हैं और हम वैयक्तिक और सार्वजनिक शौचालयों के लिए राशि में वृद्धि करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आजादी के 57 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम ग्रामीण क्षेत्रों को जन सुविधाएं ठीक तरह से नहीं दे सके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह के कागजी आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य एवं सफाई सुविधाएं देने का काम किया जाएगा? क्या वे इसके लिए कोई ठोस नीति बनाने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह पेपर में ही रहेगा या करेंगे, यही पूछना चाहते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य ने स्वच्छता अभियान और ग्रामीण स्वच्छता अभियान के संबंध में सवाल उठाया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि 22 प्रतिशत परिवारों में ही शौचालय हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वर्ष 2001 की जनगणना का आंकड़ा है। अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक 33 फीसदी गांवों के परिवारों में शौचालय हैं, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत काम करना शेष है। इस संबंध में एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन ने इवैल्यूएशन किया था और सुझाव दिया था कि जो राशि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को शौचालय बनाने के लिए सहायता के रूप में दी जा रही है, वह बहुत कम है, वह पुराने हिसाब से है। आज जो अद्यतन आर्थिक स्थिति और मूल्यवृद्धि है, उस हिसाब से उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। इसके लिए हमने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मैं समझता हूं कि उसमें बहुत जल्दी ही बढ़ोत्तरी होगी और यदि माननीय सदस्यों का सहयोग होगा तो हर एक परिवार में खासकर महिलाओं के लिए शौचालय और पानी–पखाना की व्यवस्था होगी, क्योंकि यह समाज के लिए और देश के लिए कलंक की बात है। महोदय, इसलिए हमने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2015 तक देश के सभी परिवारों के लिए पानी और पखाने की व्यवस्था हो जाए, तभी हमारा देश वर्ष 2020 तक दुनिया के विकसित देशों की बराबरी करने में व उससे आगे जाने में सक्षम हो सकता है, जब हमारा संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता अभियान सफल होगा और घर–घर में पानी और पखाने की व्यवस्था हो जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ग्रामीण लोगों के लिए यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। कृपया इस पर पूरी चर्चा होने दी जाए।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : महोदय, यह सही है कि 80 के दशक के आरम्भ से अब तक 33 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों का एरिया कवर किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की है। इस निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना में 38 गांवों को शामिल किया है, दो ब्लाक शामिल किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या वे इस निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना को पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं?

दूसरा प्रश्न–आपको जो सिफारिशें की गई हैं जैसा कि आपने उत्तर में भी कहा है, आप कब तक उक्त धनराशि को बढ़ाने का निर्णय लेंगे?

तीसरा प्रश्न–आपके द्वारा राज्यों के लिए किए गए आवंटन से संबंधित है। उन आवंटनों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड की जो स्थिति है, वह बहुत ठीक नहीं है। क्या वहां धनराशि कम आवंटित होने के कारण ऐसा हुआ है? क्या वहां धनराशि को बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के अन्तर्गत जिस पंचायत के सभी घरों में शौचालयों का प्रबंध हो गया हो और गांव के सभी लोगों ने शौचालय जाना शुरू कर दें, उस हालत में उस पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत योजना दो से चार लाख तक, ब्लाक के लिए दस बीस लाख तक और जिले के लिए बीस से पचास लाख तक निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसी साल 12 फरवरी को देश की 49 पंचायतों, दो प्रखंडों को महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथ से निर्मल ग्राम पुरस्कार दिलवाया गया है। हम अगले साल 12 फरवरी को ही महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथ से पुरस्कार दिलवाएंगे। देश भर में निर्मल ग्राम पुरस्कार की योजना शामिल है। जो पंचायत, ब्लाक या जिले इसमें आगे आएंगे, उनको पुरस्कार

मिलेगा। यह खुशी की बात है कि इस साल अभी तक ढाई सौ आवेदन मिल चुके हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों के लोग बहुत आगे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी आगे बढ़ कर इस मामले में काम कर रही है। इसीलिए तमाम विद्यालयों में अनिवार्य रूप से 31 मार्च, 2006 तक पानी–पाखाने की व्यवस्था हो जाए, यह योजना बन गई है। हम राज्य सरकारों के सहयोग से इसमें सफलता हासिल करने जा रहे हैं। इसमें माननीय सदस्यों और राज्य सरकारों का भारी सहयोग चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि पंचायती राज आदि कानून में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाए कि जिनके घर में शौचालय नहीं है, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग सक्षम नहीं हैं, उन्हें जानकारी देकर सहायता दी जाए। गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के घरों में अवेयरनैस कम होने के कारण उनके घर शौचालय नहीं हैं। इसलिए हमें अवेयरनैस के लिए माननीय सदस्यों और देश का सहयोग चाहिए। देश में संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता अभियान सफल हो और देश दुनिया में नम्बर एक के मुल्कों में आ सके इसलिए हर हिसाब से जब तक हर घर में पानी–पाखाने की व्यवस्था नहीं होगी, असली ग्रामीण विकास नहीं हो सकता है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुख्तलिफ प्रान्तों का ताल्लुक है, समझा जा सकता है कि वहां भारत सरकार सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत उतनी निधि का आवंटन करेगी जिसका वास्तविक उपयोग हुआ हो लेकिन जहां तक यूनियन टैरिटरीज का ताल्लुक है, जो सीधे केन्द्र सरकार के तहत आते हैं, अगर हम उनकी तरफ नजर दौड़ाएंगे तो अफसोस होता है कि विभिन्न यूनियन टैरिटरीज में–चंडीगढ़ में 68.53, दादरा नगर हवेली में 17.32, लक्षद्वीप अच्छा है 93.14 परसैंट, दमन द्वीप 32, पांडिचेरी में 21 परसैंट है। इन यूनियन टैरिटरीज में, जो गांव के इलाके हैं, इतने कम घरों में शौचालय हैं। ताज्जुब और होता है जब मैं चंडीगढ़ का जिक्र करता हूं। वह एक आधुनिक शहर है और उसके साथ केवल 22 गांव हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के तहत है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार, खास तौर पर यूनियन टैरिटरीज के लिए, क्या करना चाहती है? जब आप एक मिसाल पैदा करना चाहते हैं और आपके सामने लक्ष्य है कि आप उस समय तक सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में कामयाबी हासिल करेंगे, आप शुरूआत में यूनियन टैरिटरीज में क्या करना चाहते हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, देश भर में, चाहे यूनियन टैरिटरी हो या कोई राज्य हो, किसी भी जगह जो देहात के क्षेत्र हैं, वहां गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए जो राशि लगेगी, हम उसमें सहायता करेंगे और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए अवेयरनैस का अभियान चलाया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब जो भी व्यवधान डालेगा उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हमें इस पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, वर्ष 1999 में इस कार्यक्रम के अनुसार 18 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के पास यह सुविधा होनी चाहिए थी। जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया है कि वर्ष 2001 में देश में ग्रामीण जनसंख्या जिन्हें सैनिटेशन सुविधा प्राप्त है का प्रतिशत 22 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2005 में, यह बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2004 में यह 18 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान यह 18 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया अर्थात इसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले 50 वर्षों में यह केवल 18 प्रतिशत था। वास्तविक कार्यक्रम वह था, लेकिन राजग सरकार ने 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' आदि के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसीलिए, जहां तक महिलाओं और सार्वजनिक स्थानों का संबंध है, यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं जानता हूं कि ग्रामीण विकास विभिन्न वर्गों में विभाजित है। ग्रामीण विकास के अनेक क्रियाकलाप अनेक विभागों में बांटे गए हैं। उदाहरण के लिए पंचायती राज, जिसे इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहिए, वह पेट्रोलियम विभाग के साथ संबद्ध है। यहां तक कि पेयजल भी किसी विभाग आदि के पास है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। माननीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2005 तक समस्त ग्रामीण जनसंख्या के पास सैनिटेशन सुविधा होगी। यदि कार्यक्रम इसी प्रकार धीमी गति से कार्यान्वित किया जाएगा, तो लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकेगा? बिहार के मामले में, हमारे माननीय मंत्री भी वहां के हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में भी, यदि आप विवरण देखें...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह पूछना चाहते हैं कि 'लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा?'

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : जी, हां। उसके अलावा उन्होंने जल–मल प्रबंधन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उन्होंने इस संबंध में कितने प्रस्तावों को अनुमोदित किया है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्हें इस विभाग का अनुभव है, पहले इस विभाग के मंत्री थे, इनके राज में 165 करोड़ की सालना राशि थी। हमारे राज में 700 करोड़ रुपया है, चार गुना की बढ़ोत्तरी की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आप सुनिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय मंत्री गुमराह करने वाला अथवा गलत उत्तर देते हैं, तो आपको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का पूरा अधिकार है। आप मुझे लिखिए। अभी उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, लगभग 600 जिले हैं, उनमें से 500 जिलों में टोटल सैनिटेशन कम्पेन की योजना स्वीकृत कर दी गई है जिसकी 5500 करोड़ रुपये लागत होगी। 3300 करोड़ रुपया भारत सरकार को देना है और बाकी राज्य सरकार और स्वयं लाभार्थी को देना है। इस साल हमारा लक्ष्य है कि देश के सभी जिलों में टोटल सैनिटेशन कम्पेन की योजना मंजूर की जाए और जो राशि लगेगी, दी जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ग्रामीण विकास के बारे में ये लोग बताते हैं दो हजार करोड़ रुपये सालाना थे फिर चौदह से सोलह करोड़ रुपये हुए। एक बार में इस राज में सोलह हजार करोड़ रुपये से चालीस हजार करोड़ रुपये हुए, 53 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। केवल जुबानी आंकड़े नहीं हैं, राशि बजट में प्रावधान करके गांव के विकास को सर्वोच्चता और प्राथमिकता दी जाएगी। इंडिया शाइनिंग नहीं रूरल इंडिया शाइनिंग होगा और बेरोजगारी, बेकारी और गरीबी दूर की जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माइक्रोफोन बंद कर दिए जाएं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : माननीय मंत्री जी, आपने अपने उत्तर में बिहार प्रदेश और उसके संदर्भ में वर्ष 2004–05 और वर्ष 2005–06 के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। बिहार एक पिछड़ा और गरीब प्रदेश है। माननीय मंत्री जी वहीं से आते हैं और सब लोग जानते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए। यह हम लोगों को दिखता है।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंटेड प्रश्न पूछ रहा हूं। भूमिका में नहीं जा रहा हूं। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार गरीब और पिछड़ा प्रदेश है, वहां इस योजना की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि योजना की पूर्ति के लिए आपने धन आवंटित किया है, पहले से ज्यादा धन आवंटित किया है, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार में आपने धन मुहैया कराया है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति अभी तक हो पाई है? क्या गांव और गरीब तक इस सफाई अभियान की राशि जा पाई है? जहां तक मुझे जानकारी है मैं जिस गांव से आता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी देना चाहते थे लेकिन आप जानकारी मांग रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय मैं पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

क्या यह योजना सफल हो पाई है? जो आपने परसेंटेज फिक्स की है, जो आपने राशि आवंटित की है, आपने रिपोर्ट मंगाई होगी, क्या उस रिपोर्ट के अनुसार गांव तथा गरीब तक आपकी सोच, आपकी परेशानी और पीड़ा, इसके तहत जमीन पर उतर पाई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार के... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : छोटा उत्तर दीजिए।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार के 38 जिलों में से 19 जिलों में टोटल सैनिटेशन कम्पेन की योजना के लिए दो सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 41 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं और बाकी की राशि, जैसे–जैसे खर्च होगी, वैसे–वैसे दी जाएगी। बिहार में दो–तीन जिलों में अच्छा काम हो रहा है। हम प्रयत्नशील हैं कि हर एक जिले में जागरूकता आए और पंचायती राज तथा एनजीओ के सहयोग से वहां भी टोटल सैनिटेशन कम्पेन तेजी से चले। छत्तीसगढ़ में भी कमी है, यह पांच परसेंट घरों में ही है, इसके बारे में माननीय सदस्य सवाल उठा रहे थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा किसी भी राज्य की राशि में कमी नहीं की जाएगी, पर्याप्त सहायता देने के लिए हम तैयार हैं।

[अनुवाद]

डा. आर. सेन्थिल : महोदय, शौचालय के लिए वर्तमान में दी जा रही राशि से केवल गड्ढा खोदा जा सकता है और उस पर सीट रखी जा सकती है। शौचालय के चारों ओर दीवारें खड़ी करने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। जिन गांवों में सौ प्रतिशत सैनिटेशन है, वहां प्रत्येक घर में एक शौचालय है, लेकिन वहां केवल गड्ढा और उस पर सीट ही है। वहां शौचालय के चारों ओर दीवारें नहीं हैं और कोई इसका उपयोग नहीं करता। क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि शौचालय केवल आंकड़े पूरे करने के लिए नहीं अपितु वास्तव में उपयोग हेतु बनाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : जहां सैनिटेशन सुविधा उपलब्ध है, क्या वहां इसका इस्तेमाल होता है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

क्या वह इस्तेमाल होता है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने कहा कि शौचालय बना दिए गए हैं, लेकिन घेरावा नहीं है। एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन ने यह सुझाव दिया है और अनुशंसा की है कि शौचालय बनाने, पैन बनाने और उसका घेरावा बनाने के लिए सहायता दी जाए। इस पर हम विचार कर रहे हैं, जल्दी ही इस पर काम किया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि अधिकतर क्षेत्रों में वह स्वयं ऐसा कर रहे हैं।

अब श्री आनंदराव विठोबा अडसूल बोलेंगे। वह अपना नाम देने के बाद चले गए हैं।

अब श्रीमती सुस्मिता बाउरी बोलें।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी : महोदय, अपने निजी अनुभव से मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में इस कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है। लेकिन क्या माननीय मंत्री योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जल्दी–जल्दी काम होना चाहिए।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं जल्दी में हूं। इस संबंध में सभी माननीय सदस्यों से लिखा–पढ़ी कर रहे हैं कि इसमें जागरूकता आए। एक माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार, आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री से हैं उन्होंने दो करोड़ रुपये एमपीलेड से सैनिटेशन कम्पेन में दिए हैं। सभी माननीय सदस्यगण शौचालय, स्कूल में पानी और पखाना की व्यवस्था में सहयोग करें तो इसमें भारी सहयोग होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : बिहार में तो आप कह रहे थे श्री चिदंबरम जी पैसा नहीं दे रहे हैं। चौबीस हजार करोड़ रुपये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप टाइम ले लेते हैं, नहीं तो

[अनुवाद]

मैं कुछ और सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकता था।

मंत्री महोदय, कृपया ऐसे प्रश्नों का उत्तर मत दीजिए।

अब, श्री अनंत गुढ़े।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत महाराष्ट्र में पिछले पांच साल से ग्राम स्वच्छता अभियान एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ताल्लुक बेस, जिला बेस, विभागवार और पूरे महाराष्ट्र स्तर पर उसमें अच्छी ग्रांट रखकर सारे गांव में ग्रामीण स्वच्छता सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। संत गाडगे महाराज और राष्ट्र संत तुकड़ोजी जी महाराज के नाम से यह प्रोग्राम चल रहा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम महाराष्ट्र में मिल रहे हैं।

इस प्रकार का प्रोग्राम देश के कुछ अच्छे राज्यों, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार की योजना देश के अन्य राज्यों में लागू करने पर विचार कर रही है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य की यह पुरानी परिपाटी है कि संत तुकाराम और गाडगे बाबा के समय से जितने साधु–महात्मा हुए हैं, उन्होंने शौचालय बनाने और स्वच्छता की तरफ बड़ा भारी काम किया है और जोर लगाया है। इसलिए, जो राज्य इस कार्य के लिए जागरूक हैं, उन्हें धन्यवाद और जहां जागरूकता की कमी है, उन्हें हम जागरूक कर रहे हैं। देश में टोटल सैनिटेशन कम्पेन चलाने की योजना हेतु केन्द्र सरकार पूरी सहायता राज्य सरकारों की कर रही है।...*(व्यवधान)* हम सैनिटेशन कम्पेन चला रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आगे अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर मत दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी को बोलने का अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। आपकी उपेक्षा कौन कर सकता है। कोई भी अध्यक्ष आपकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

यदि आपका प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट है, तो आपको उसका स्पष्ट उत्तर मिलेगा। आप देख रहे हैं कि हम दूसरे प्रश्न पर ही अटक गए हैं। प्रश्न के महत्वपूर्ण होने के कारण ऐसा है। मैंने अनेक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं 500 अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल : अध्यक्ष महोदय, टोटल सैनिटेशन कम्पेन बहुत अच्छी योजना है लेकिन टॉयलेट को बनाने के लिए 500–600 रुपया दिया जाता है, उससे कोई टॉयलेट नहीं बन सकती है। यहां तक कि 1000 रुपये में भी कोई टॉयलेट नहीं बन सकती है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता है। सरकार इस योजना में जो पैसा लगा रही है, वह व्यर्थ जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस योजना का कब तक ठीक करेगी या जब तक यह योजना इफैक्टिव ढंग से या सही मायने में टॉयलेट नहीं बन जाती, क्या तब तक इस योजना को रोक दिया जाएगा?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि हम महसूस कर रहे थे कि यह राशि कम है जिसे हम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसे सरकुलेशन में भेजा गया है, कैबिनेट में ले जाएंगे और यह पारित होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी। लेकिन कोई भूमिका नहीं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिना भूमिका के प्रश्न कैसे होगा? मैं क्वैश्चन पूछने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल आपने गृह मंत्री जी को...

*[अनुवाद]**

[हिन्दी]

कराया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे हटा दें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, यह अनपार्लियामेंटरी शब्द नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं वह असंसदीय है। मेरा निर्णय कायम रहेगा आप क्या कर सकते हैं?

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

नहीं, मुझे खेद है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, यह संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए। मंत्री जी हंस रहे हैं।

[अनुवाद]

वह प्रभावित नहीं हैं। आप क्यों चिन्तित हो?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में 28 राज्यों के नामों की सूची दी है जिन्हें राशि का आवंटन किया गया है और इसमें 12 राज्य ऐसे हैं जहां सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया है। उसमें इनका अपना राज्य बिहार भी है जिसे वर्ष 2004–05 में एक पैसा भी नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार जहां पैसा नहीं देती है, वहां कहती है कि विकास का काम चल रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मंत्री जी ने कहा है कि 33 प्रतिशत लोगों को सुविधा प्राप्त हो गई है, मैं जानना चाहता हूं कि इन 33 प्रतिशत में कितने प्रतिशत लोगों ने निजी सुविधा प्राप्त की है और कितने लोगों को सरकारी पैसा ग्रामीण विकास में से दिया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने निजी व्यवस्था को सरकार की उपलब्धि गिनाकर सदन को गुमराह करने का काम किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे विवादास्पद मुद्दा न बनाएं। प्रश्न काल का उद्देश्य कुछ और है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बोलने का लहजा बता रहा है और सारे सदस्य खुद कहते हैं कि गांव का विकास गरीब का विषय है। जब गांव का विकास जानदार और शानदार ढंग से किया जाएगा, तब लोगों को मालूम होगा। सब सदस्यगण खुद कहते हैं लेकिन एकाध सदस्य ऐसे हैं जिन्हें कितना ही कहा जाएगा, उन्हें गांव का विकास मालूम नहीं होने वाला है।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल बिहार अथवा अन्य राज्यों के संबंध में उठाया है, प्रारम्भिक स्थिति में योजना बनाते समय बिहार के 38 जिलों में से 19 जिलों के लिए राशि की स्वीकृति मिल गई है।

बाकी जिलों के लिए हम तैयार हैं। सभी जिलों को हमने कहा है कि अपनी योजना बनाएं और भेज दें। उसमें कितना सर्वे करना होता है, कितने शौचालय बनेंगे, कितना खर्च होगा, उस सभी की हम स्वीकृति करेंगे। इसमें किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं है। लेकिन इसमें माननीय सदस्यों, राज्य और जिला पंचायत इन सबका उसमें सहयोग आवश्यक है। चूंकि हम केवल यहां से राशि दे देंगे, उसी से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है।

श्री ए. कृष्णास्वामी : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। तमिलनाडु के गांवों में निर्मित अधिकांश जन ग्रामीण स्वच्छता भवन एमएलए कोष से बनाए गए हैं और अधिकांश भवन खुले हुए नहीं हैं। कुछ भवन जो खुले हुए हैं, सुविधाओं के अभाव में प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। उनमें बोर वेल वाटर, आदि जैसी सुविधाएं हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अपना विशिष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी : ग्रामीण विकास निधि की सम्पूर्ण राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। अधिकांश भवनों का प्रयोग भैंस रखने, लोगों के द्वारा ताश खेलने आदि उद्देश्यों से किया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार करने की पहल करेंगे तथा निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाएंगे ताकि उनका समुचित उपयोग किया जा सके?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न पूछा जा रहा है। यही समस्या है। हर व्यक्ति वही प्रश्न पूछ रहा है। वह पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की शिकायतें सही हैं कि कहीं–कहीं सोलह आने सरकार की तरफ से शौचालय बना दिया गया और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसीलिए जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी हैं, उनका भी सहयोग उसमें होना चाहिए, उनकी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए, जिससे कि वे यह समझ सकें कि यह हमारी चीज है, इसकी सफाई, रख–रखाव और उसका सही इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए प्रबंध किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 183, श्री रावसाहेब दानवे। अपना प्रथम पूरक प्रश्न पूछें। वित्त मंत्रालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन

+

***183. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री गिरिधारी यादव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के

युवाओं के लिए और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देकर उनके लिए और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो इस विशिष्ट कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्व–रोजगार और मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) नामक दो मुख्य रोजगार सृजन योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। सरकार ने देश के 27 राज्यों के 150 अत्यन्त पिछड़े जिलों में 'काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एनएफएफडब्ल्यूपी) नामक एक नई मजदूरी रोजगार योजना भी शुरू की है ताकि इन जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार सृजित हो और आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन कर खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की जा सके। एनएफएफडब्ल्यूपी उन ग्रामीण गरीबों के लिए है जिनको मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा रखते हैं। इस कार्यक्रम के बदले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को रखा जाएगा जिसके लिए संसद में विधेयक पेश किया गया है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के ग्रामीण युवाओं सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सभी सदस्यों को लाभ प्रदान करने की दृष्टि से बनाए जाते हैं। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम दिशा–निर्देशों में ऐसे विशिष्ट प्रावधान हैं ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन बाल–श्रमिकों के अभिभावकों, जिन्हें खतरनाक कार्यों से निकाला गया है, को पर्याप्त संसाधन मिलते रहें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत स्वरोजगारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से होंगे, 40 प्रतिशत और 3 प्रतिशत विकलांग होंगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अन्तर्गत जिला और ब्लाक/तालुका स्तर पर 22.5 प्रतिशत वार्षिक आवंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए निर्धारित है और रोजगार अवसरों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत भली–भांति तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल–विकास पर बल दिया जाता है। प्रशिक्षण की रूपरेखा, उसकी अवधि और पाठचर्या इस तरह बनाए जाते हैं ताकि अभिज्ञात गतिविधियों, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियां शामिल हैं, की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मंत्रालय एसजीएसवाई के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित कौशल के साथ–साथ विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कई विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। अंतरमंत्रालयी समूह की सिफारिशों पर कार्य करते हुए, मंत्रालय ने, ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए एसजीएसवाई के अन्तर्गत एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रायोगिक चरण (2005–07) में, प्रति वर्ष 100 चुने गए जिलों में कम से कम 1000–2000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा है कि ग्रामीण युवकों को सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आवंटित की गई है–इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है। केन्द्र सरकार की जो दो योजनाएं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हैं, ये दोनों योजनाएं ग्रामीणों के लिए केन्द्र सरकार ने शुरू की हैं। 27 राज्यों में 150 पिछड़े जिलों में ये योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत जरूरतमंद लोगों को काम के बदले अनाज आधार पर ये योजनाएं चालू हैं। लेकिन इन योजनाओं में केवल अकुशल मजदूर ही काम कर सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षित युवा हैं, उन युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नया एसजीआरवाई प्रायोजित कार्यक्रम शुरू हो रहा है, क्या उस योजना में युवाओं के लिए कोई प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, एसजीआरवाई योजना और फूड फॉर वर्क योजना अनस्किल्ड लेबर के लिए वेज इम्प्लॉयमैंट है। जो युवा हैं, गांवों में रहने वाले बेरोजगार हैं, उनके लिए एसजीएसवाई के अधीन स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार की

योजना के अधीन उसमें ट्रेनिंग देने का प्रावधान है कि उस एरिया में मांग के मुताबिक गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली ट्रेनिंग दे दी जाए। जब बेरोजगार नौजवान ट्रेनिंग हासिल कर लेंगे तो उससे उन्हें रोजगार भी मिल सकेगा और वे स्वरोजगार भी कर सकेंगे। बैंक से भी लिंकेज होगा और उनके द्वारा उत्पादित सामानों की मार्केटिंग का प्रावधान किया गया है। दस प्रतिशत राशि केवल ट्रेनिंग पर खर्च करने के लिए हमने कहा है। हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स बैठाई थी, जिसकी रिपोर्ट आ गई है कि विभिन्न विभागों की जो ट्रेनिंग की योजनाएं हैं जैसे इंफार्मेशन टैक्नोलोजी के संबंध में यह पूछ रहे थे, वह आईटी डिपार्टमैंट अलग से अपनी ट्रेनिंग करा रहा है। लेकिन हमारी रूरल डवलपमैंट मिनिस्ट्री से किसी भी विभाग की ट्रेनिंग के लिए जो राशि खर्च होगी, जो सहायता होगी, वह हम करते हैं। हमारे यहां भी इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी, कम्प्यूटर्स की ट्रेनिंग के लिए प्रावधान है, उसमें हम भी सहायता करते हैं।

श्री दानवे रावसाहेब पाटील : अध्यक्ष महोदय, सरकार की दो नई योजनाएं हैं—स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इनके अलावा अभी रोजगार गारंटी बिल आ रहा है। मैंने मंत्री जी से पूछा है कि देहात और ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षित युवा हैं, उनके लिए जो दो नई स्कीमें आप ला रहे हैं, क्या उनमें कम्प्यूटर शिक्षण या ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए कोई प्रावधान है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, एसजीएसवाई में ऐसा प्रावधान है कि आईटी की ट्रेनिंग करना चाहें तो उसका प्रोजैक्ट बनाकर दिया जा सकता है लेकिन एसजीआरवाई में नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रत्येक अच्छे अनुपूरक प्रश्न पर आपको बधाई देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव : माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुस्थिति यही है कि बेरोजगारी घटने के बजाय बढ़ रही है और ग्रामों में जो शिक्षा मिल रही है, उससे उनको शहरों में कोई अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण बेरोजगारी दूर करन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी में मंत्री जी किस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहते हैं? विगत दो सालों में सरकार के पास कहां–कहां कम्प्यूटर या ड्राइविंग की ट्रेनिंग से संबंधित कुछ आंकड़े हैं? क्या मंत्री जी आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं कि किन किन राज्यों में कहां–कहां इनका प्रशिक्षण देने का काम किया गया है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, किसी विषय की ट्रेनिंग का यदि प्रोजैक्ट बनाया जाए तो उसमें प्रावधान है कि रूरल डैवलपमैंट मिनिस्ट्री से उसको मंजूरी और कार्यान्वयन कराने के बाद सहायता दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम आईटी के लिए खोज–खोजकर योजना बना रहे हैं और चला रहे हैं। वह तो आईटी डिपार्टमैंट का काम है। हमारा काम है कि जो बेरोजगार युवक हैं, उनकी रुचि के मुताबिक जिस काम की ट्रेनिंग वे चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्रोजैक्ट बनाकर उसकी स्वीकृति करके उनको ट्रेन कराने का प्रावधान करें जिससे वे सैल्फ इंप्लॉयमैंट और प्रोडक्टिव सैल्फ इंप्लॉयमैंट से भी बेरोजगारी से बरी हो सकें।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : महोदय, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं परन्तु उसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। अतएव मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह अनिवार्य करेंगे कि इस धन को प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी सरकारी अथवा निजी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना ही होगा? मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे यह अनिवार्य करेंगे कि केवल वे छात्र ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे जिन्होंने इन संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ताकि वे इन निधियों का समुचित उपयोग कर सकें तथा प्रत्याशित परिणाम प्राप्त कर सकें। क्या आप इन संस्थानों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को ऋणों से जोड़ना अनिवार्य करेंगे?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि एसजीएसवाई में 1000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और उसका रिजल्ट क्या है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 22 लाख स्वयं सहायता समूह देश में तैयार हो गए हैं और उसका रिवाल्विंग फंड, बैंक से लिंकेज और इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने के लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अच्छा काम हो रहा है। जो ट्रेनिंग वाला सवाल उन्होंने उठाया है, ट्रेनिंग के लिए हम योजना बना रहे हैं। पहले भी ट्राइसैम योजना चलती थी लेकिन केवल स्टाइपैन्ड की वजह से वह फेल हो गई। इस बार जिन बातों के कारण ट्राइसैम योजना फेल हुई थी, उन पर सावधानी बरती जा रही है। इसलिए अगर हम सबको रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उनको ऑन डिमांड और क्वालिटी वाली ट्रेनिंग तो दे दें जिससे वे बेरोजगारी से मुकाबला कर सकें। यह प्रावधान हमने किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगले श्री दुष्यंत सिंह। आइए हम युवा मंत्री को प्रोत्साहित करें।

श्री दुष्यंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने

उत्तर में एसजीएसवाई, एसजेआरवाई और इसी प्रकार की अन्य विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्धरण दिया है। क्या सरकार ग्रामीण विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआई) के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है? यदि वे ऐसा करने जा रहे हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण देकर वे आम व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अतएव क्या सरकार आम आदमी और बेरोजगार युवाओं के लिए एक नया वातावरण तैयार करने के लिए आरयूडीएसईटीआई के साथ ऋण को जोड़ने के विचार पर विचार कर रही है? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि किन–किन राज्यों में यह किया जा चुका है, कितने राज्यों को यह दिया जा चुका है और आपकी भावी योजनाएं क्या हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इस योजना में जिलेवार सभी राज्यों के सभी जिलों में हम पैसे भेज रहे हैं और साथ ही साथ मोनिटरिंग भी करते हैं। जनता की भागीदारी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस और अवेयरनेस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और अच्छी प्रगति भी हो रही है। एक वर्ष या दो वर्ष में जनता के सामने सारी बातें आ जाएंगी कि किस तरह से बेरोजगारी को दूर करने के लिए ट्रेनिंग करवा कर सेल्फ इम्प्लॉयमेंट की योजना सफल हो सकती है। हम उत्साहवर्द्धक योजना चला रहे हैं।

श्री सुनील खां : महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया कि एसजीआरवाई ग्रामीण सम्पूर्ण योजना में युवा ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में है कि जो लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं, उन्हीं लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में लिया जाता है, उन्हीं लोगों को वर्किंग कैपिटल भी मिलता है और उन्हीं को सब्सीडी मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बिलो पावर्टी लाइन शिक्षित युवा हैं क्या उनको सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में ट्रेनिंग मिलेगी या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य जो एसजीएसवाई के लिए कह रहे हैं, यह बिलकुल ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए है, लेकिन 30 परसेंट गरीबी की रेखा से ऊपर वाले लोगों को भी स्वीकार किया गया है। उनको स्टाइपेंड और दूसरी सहायता नहीं देते, लेकिन गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों के लिए ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। उनको ट्रेनिंग से वंचित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह पहले भी बता चुके हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को जो आपने रोजगार के अवसर सृजित करने की बात कही है, उसके लिए बैंकों से लोन लेने की बात कही है। बैंक में जब ये लोग लोन के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें बहुत फार्मेलटीज पूरी करनी पड़ती हैं और बिना दस प्रतिशत की घूस दिए उनको कोई ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। रोजगार के अवसरों के सरलीकरण के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं जिससे उन्हें आसानी से ऋण मिल सके और ये अपना रोजगार कर सकें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा प्रश्न किया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जहां तक बैंकों के द्वारा असहयोग की शिकायत मिली है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1200 बैंकों की शाखाएं जीरो लेंडिंग पर थीं। हमने माननीय वित्त मंत्री जी से इस बारे में लिखा–पढ़ी की। वित्त मंत्री जी ने भारतीय रिजर्व बैंक से और बैंकों के तमाम अधिकारियों से बातचीत की कि बैंक वाले असहयोग नहीं करेंगे। गरीबी की रेखा से नीचे के लोग और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों से 98 प्रतिशत की रिकवरी होती है। गरीब आदमी नान परफार्मिंग एसेस्ट्स नहीं होता है। नान परफार्मिंग एसेस्ट्स बड़े लोग करते हैं। गरीब आदमी और सेल्फ ग्रुप के लोगों से बैंकों को पूरा सहयोग मिलना चाहिए और उनकी जीरो लेंडिंग पर कार्यवाही हो, इस पर लिखा–पढ़ी की गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 184–सभी मंत्रियों को कार्य करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य

*184. **श्री काशीराम राणा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों के फलस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क), (ग) और (घ) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। एफडीआई प्रवाह, अन्य बातों के अलावा, वैश्विक आर्थिक स्थिति, बाजार दशाओं और वैश्विक एफडीआई प्रवाहों द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकार का प्रयास एक पारदर्शी नीतिगत ढांचे, जिसके अन्तर्गत अधिकतर क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति हो, की व्यवस्था करके एफडीआई अंतर्वाहों को अधिकतम करना है। बचत–निवेश अंतर को पाटने के अतिरिक्त इसके परिणामस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी, अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों का प्रवेश हुआ है और भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को यथासूचित राज्यवार एफडीआई अन्तर्वाह दर्शाने वाला विवरण नीचे सारणी में दिया गया है।

एफडीआई अन्तर्वाहों का राज्य–वार और वित्तीय वर्ष–वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	अप्रैल–मार्च 2002–03	अप्रैल–मार्च 2003–04	अप्रैल–मार्च 2004–05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	242.65	353.49	747.85
2.	असम	2.59	19.48	13.39
3.	बिहार	0.00	1.13	0.00
4.	गुजरात	550.71	917.12	610.53
5.	कर्नाटक	975.24	926.53	1131.34
6.	केरल	67.45	44.53	33.77
7.	मध्य प्रदेश	5.83	34.85	69.25
8.	महाराष्ट्र	2366.40	1355.30	3183.13
9.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
10.	राजस्थान	1.22	1.89	4.58
11.	तमिलनाडु	990.17	603.80	358.47
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.03
13.	पश्चिम बंगाल	177.96	84.50	467.37
14.	चंडीगढ़	843.89	76.71	13.49
15.	दिल्ली	3062.22	2123.46	3717.53
16.	गोवा	139.09	160.59	100.66
17.	दर्शाए न गए अन्य राज्य	3445.25	3360.72	4201.34
	कुल जोड़	12870.67	10064.10	14652.73

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं आगे यह भी कहना चाहूंगा कि भाग–ख के अन्तर्गत दी गई तालिका संबंधित राज्यों में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

श्री काशीराम राणा : महोदय, जहां तक एफडीआई अन्तर्प्रवाह का प्रश्न है; प्रत्युत्तर में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। वर्ष 2002–03 में एफडीआई 12870.67 करोड़ रुपये, वर्ष 2003–04 में 10064.10 करोड़ रुपये और वर्ष 2004–05 में एफडीआई 14652.73 करोड़ रुपये थी।

अध्यक्ष महोदय : आंकड़े उसमें दिए गए हैं।

श्री काशीराम राणा : ये आंकड़े विशेषकर वस्त्र, ऊर्जा, दूरसंचार और निर्माण इकाइयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए आकर्षित करने में सरकार की असफलता को दर्शाते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश में इन क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं और भ्रांति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उसमें कुछ भ्रांतियां हैं, क्योंकि सरकार का समर्थन करने वाले वाम दलों ने भी

एफडीआई के विरुद्ध अपना विरोध जताया है। इस प्रकार की भ्रांति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, उसमें कोई भ्रांति नहीं है। किसी ने भी एफडीआई का विरोध नहीं किया है। सरकार यही कहती है कि इस देश में एफडीआई उत्पादन बढ़ाने, क्षमता का विस्तार करने, रोजगार बढ़ाने और दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से किया जाना चाहिए। यदि ये बातें पूरी हो जाती हैं तो कोई भी एफडीआई के विरोध में नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मूल्यवर्धित कर लागू करना

*185. **श्री एन. एन. कृष्णदास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू करने के बाद राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के राजस्व में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ राज्यों में मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू करने में किन्हीं खामियों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खामी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) यद्यपि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व पर वैट के प्रभाव का सही-सही आकलन अभी सम्भव नहीं है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान हुए कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से यह पता चलता है कि राजस्व संग्रहणों का समग्र रुझान सकारात्मक और उत्साहवर्धक है। वैट एक राज्य स्तरीय कर है और इससे केन्द्र सरकार के राजस्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

वैट राज्य स्तर पर एक मुख्य कर सुधार है। वैट प्रणाली पूर्ववर्ती बिक्री कर प्रणाली से कई प्रकार से भिन्न है। किसी भी नई प्रणाली को स्थिर होने में कुछ समय लगता है। इस दृष्टि से, वैट को लागू करते समय राज्यों को कई प्रारम्भिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तथापि, राज्यों से प्राप्त सामान्य सूचना यह है कि स्टेकहोल्डरों के साथ सतत परस्पर सम्पर्क के माध्यम से कुल मिलाकर इन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और नई वैट प्रणाली का व्यापारिक समुदाय तथा जनता द्वारा सामन्यतः स्वागत किया गया है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा भी स्थिति की लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है तथा वैट के सुचारु कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले समुचित उपायों के संबंध में राज्यों को परामर्श दे रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

*186. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, से सुदूर क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत, देश के सभी अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है कि 1,25,000 अविद्युतीकृत गांवों में से लगभग 25,000 दूरस्थ गांव ऐसे है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है या किफायती नहीं है। ऐसे गांवों का विद्युतीकरण अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की सहायता से किया जाएगा। यह मंत्रालय ऐसे गांवों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में विद्युतीकरण की लागत का 90 प्रतिशत भाग उपलब्ध कराता है।

(ग) से (ङ) अब तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 1944 दूरस्थ गांवों को विद्युतीकृत किया गया है और 1120 गांवों में कार्यान्वयन कार्य चल रहा है। पश्चिम बंगाल में अनुमानित 1435 दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों में से 987 गांवों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पहले ही विद्युतीकृत कर दिया गया है और 186 गांवों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 236 गांवों सहित 18 राज्यों में लगभग 3000 गांवों के विद्युतीकरण के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस मंत्रालय के कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

वित्तीय घाटा

*187. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वित्तीय घाटे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार वित्तीय घाटे को कम करने हेतु कोई परियोजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वित्तीय घाटे को समाप्त करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी किए गए वर्ष 2004–05 के केन्द्र सरकार के अनन्तिम लेखा–विवरणों में राजकोषीय घाटा 1,27,975 करोड़ रुपये के स्तर पर बताया गया है जो सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत के समतुल्य है। केन्द्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा जो 2003–04 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 9.4 प्रतिशत के स्तर पर था, को वर्ष 2004–05 में कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 7.9 प्रतिशत पर ले आने का बजटीय लक्ष्य रखा गया है।

(ख) और (ग) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएमए), 2003 में केन्द्र सरकार को अधिदेश दिया गया है कि वह मार्च, 2009 के अन्त तक राजस्व घाटे को समाप्त कर दे और राजकोषीय घाटे को कम करके अधिक से अधिक सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक ले जाए। इस अधिदेश के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ ये भी शामिल हैं–छूटों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके कराधार को विस्तृत करना, सेवा–कर के दायरे को बढ़ाना, बकाया कर को वसूल करने के लिए विशेष अभियान चलाना और उदार ब्याज दरें बनाए रखकर ब्याज–भुगतानों में होने वाली वृद्धि पर नियंत्रण रखना, पेंशन सुधारों को जारी रखना तथा सब्सिडी को समाज के निर्धन और वास्तव में जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाना। राज्य स्तर पर मूल्यवर्धन कर शुरू करने तथा बारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के कार्यान्वयन, जिसमें राज्यों को उनके द्वारा अधिनियमित राजकोषीय दायित्व संबंधी कानूनों से जुड़े ऋण राहत और ऋण को बट्टे खाते डालने के पैकेज भी शामिल हैं, से उनके राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। केन्द्र और राज्यों द्वारा राजकोषीय दायित्व संबंधी कानूनों का पालन करने से संयुक्त राजकोषीय घाटे में कमी आएगी।

(घ) से (च) राजकोषीय घाटे को समाप्त करना एफआरबीएमए, 2003 का लक्ष्य नहीं है।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का वाणिज्यिकरण

188. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में आविष्कारों का शीघ्र वाणिज्यिकरण कराए जाने की आवश्यकता की जानकारी है ताकि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के पेटेंट अधिकारों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। यह अनिवार्य है कि वैज्ञानिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में आविष्कारों का वाणिज्यिकरण वर्तमान की तुलना में काफी तीव्र गति से हो। इस आवश्यकता को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर तथा खास तौर पर विकसित देशों में महसूस किया गया है। विकसित देशों की कार्य प्रणाली अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के संचालन के लिए वैज्ञानिकों को शैक्षणिक स्वतन्त्रता के साथ–साथ प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। विकसित राष्ट्रों ने यह महसूस किया है कि आविष्कारों के वाणिज्यिकरण और आर्थिक विकास की गति में एक आवश्यक सह–संबंध है। भारत ने भी आगे बढ़ने के लिए इस बात को समझ लिया है। विभिन्न योजनाओं एवं प्रोत्साहनों के माध्यम से अवसंरचनात्मक तथा कार्यात्मक सहयोग उपलब्ध कराने हेतु उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। प्रौद्योगिकी विकास में सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर अधिक बल देते हुए सरकार प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी), नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) और औषधि एवं विकास संवर्धन बोर्ड (डीडीपीबी) जैसी योजनाओं के माध्यम से आविष्कारों के वाणिज्यिकरण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है क्योंकि यह योजनाएं यह सुनिश्चित करने के प्रति पर्याप्त ध्यान देती हैं कि वैज्ञानिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के आविष्कार इन योजनाओं के महत्वपूर्ण घटक बन सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग उनके द्वारा दी गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे संस्थानों और विश्वविद्यालयों को ऐसी परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के स्वामित्व और पेटेंटों से उपार्जित फायदों तथा उपलब्धियों को अपने पास रखने की अनुमति देते हैं। संस्थान वास्तविक अर्जन में से अन्वेषकों तथा अन्य व्यक्तियों के हिस्सों का निर्धारण कर सकते हैं। परन्तु यह हिस्सा

वास्तविक अर्जन के एक–तिहाई तक सीमित होगा। इसी प्रकार की योजनाएं सीएसआईआर तथा आईसीएआर के वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध हैं।

आविष्कारों के वाणिज्यिकरण की गति में तेजी लाने के लिए यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि आईआईटी तथा अन्य संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं तथा उत्कृष्टता के केन्द्र शैक्षणिक स्वतन्त्रता प्रदान करें जिससे अकेले ही पेटेंट आवेदनों की संख्या में वृद्धि होगी जो देश के अन्दर तथा विदेशों दोनों में दर्ज किए जाएंगे। पेटेंट आवेदनों की संख्या में मात्रात्मक वृद्धि से पेटेंटों की संख्या में वृद्धि होगी जो बदले में उत्पादों के वाणिज्यिकरण की गति को प्रभावित करेगी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि स्वीकृत किए गए पेटेंटों की कुल संख्या का केवल एक बहुत छोटा प्रतिशत उत्पादों के वाणिज्यिकरण में परिणत होता है। पेटेंटों की अधिक संख्या के फलस्वरूप उत्पादों का वाणिज्यिकरण भी अधिक होगा जो बदले में आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करेगा। बौद्धिक सम्पदा के सृजन के उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक समुदाय को दिए जाने वाले आवश्यक प्रोत्साहनों की प्रकृति गंभीर बहस और विचार–विमर्श का विषय है। प्रोत्साहनों की एक विवेकपूर्ण और समान प्रणाली की आवश्यकता है जो विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उत्कृष्टता के केन्द्रों के लिए लागू हों। सरकार वर्तमान में इस मुद्दे पर विचार कर रही है और प्रोत्साहनों की मौजूदा प्रणाली में सुधार लाने के उपायों पर विचार कर रही है जो विवेकाधीन, अनुनेय और अस्थाई है। यह उल्लेखनीय है कि आविष्कारों के वाणिज्यिकरण के दो महत्वपूर्ण घटक हैं नामतः पेटेंट और उत्पाद। बाजार स्थलों में सफलता के लिए उत्पादों और पेटेंटों के मध्य एक मजबूत अन्तःसंबंध अनिवार्य है। सार्वभौम रूप से पेटेंटों का सफल विक्रय योग्य उत्पादों में रूपान्तरण बहुत अधिक नहीं है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि उत्पादों को अधिक संख्या में प्रस्तुत करने के अवसरों को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों में अधिकाधिक पेटेंटों का सृजन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जा रहे पेटेंटों की संख्या अभी भी कम है और हमारे देश के आकार तथा देश में विद्यमान बौद्धिक सामर्थ्य के अनुपात में नहीं है। इसलिए इन उद्देश्यों के लिए कार्यरत मानव पूंजी में निवेश करने तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना और संबंधित सुविधाओं में पर्याप्त रूप से निवेश करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए न केवल सरकार द्वारा बजट परिव्यय बढ़ाने की आवश्यकता है अपितु अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र द्वारा अधिक निवेश लाने के लिए सशक्त कार्यप्रणाली की भी आवश्यकता है।

स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) पर आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए उद्योगों को कई कर प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं जो बदले में व्यापार योग्य प्रौद्योगिकियां विकसित करने हेतु वैज्ञानिक एवं शैक्षिक संस्थानों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (2 क क) में, आईसीएआर, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीआरडीओ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, आईआईटी तथा विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कार्य कर रही राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रायोजित करने पर होने वाले व्ययों के लिए 125 प्रतिशत की अधिक कर कटौती का प्रावधान है। स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास पर आधारित बल्क औषधि उत्पादों को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण से छूट प्रदान की गई है। यदि किसी नई औषधि की खोज की जाती है तो औषधि मूल्य नियंत्रण से छूट की सीमा 10 वर्षों तक हो सकती है। मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान तथा विकास इकाइयों, सरकारी अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक संगठनों (एसआईआरओ) में विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित माल का उत्पादन करने के लिए स्थापित संयंत्र और मशीनरी के संबंध में मूल्यह्रास छूट उच्चतर दर पर उपलब्ध है।

(ख) सरकार ने अपने विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों में विशेषीकृत प्रकोष्ठ/केन्द्र/इकाइयां स्थापित की हैं जो वैज्ञानिकों को भारत तथा अन्य देशों में उनके खोजी कार्यों के संरक्षण हेतु तकनीकी, वित्तीय तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का अनुरक्षण भी इन प्रकोष्ठों/केन्द्रों/इकाइयों द्वारा किया जाता है। ऐसे पेटेंटों का स्वामित्व संबंधित संस्थानों के पास होता है और पेटेंट दस्तावेज पर आविष्कारकर्ता के रूप में वैज्ञानिकों का नाम अंकित होता है। सरकारी विभागों/एजेंसियों में प्रमुख हैं–विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), इसरो, भारतीय वन अनुसंधान परिषद।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने शैक्षिक एवं अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के भारतीय वैज्ञानिकों को भारत तथा अन्यत्र उनके आविष्कारों के संरक्षण हेतु सहायता करने के लिए 1995 में पेटेंट सरलीकरण केन्द्र (पीएफसी) की स्थापना की। पीएफसी में सभी विषय, संगठन तथा एजेंसियां आती हैं। इसने 20 राज्यों नामतः

असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में 20 पेटेंट सूचना केन्द्रों (पीआईसी) की स्थापना की है। यह केन्द्र वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकिविदों तथा नीति निर्माताओं को उनके संबंधित राज्यों में जागरूकता का सृजन कर तथा उनके आविष्कारों के संरक्षण हेतु सहयोग द्वारा सहायता कर रहे हैं। यह केन्द्र (पीआईसी) राज्य स्तर पर एक परिवर्तन के माध्यम बन गए हैं।

सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों से भारतीय शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा पेटेंट दर्ज करने में निश्चित रूप में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन

*189. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे अनावश्यक विलंब पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले पर संबंधित मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है; और

(च) इनके क्रियान्वयन में हुए विलंब के कारण इनकी लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में देरी हुई है। कार्यान्वयन अवस्था में विलंब मुख्यतः निम्न कारणों से हुए हैं :

- भू–वैज्ञानिक घटनाएं
- सुदूरवर्ती और विषम क्षेत्र में जल विद्युत स्थलों की स्थिति
- पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की समस्या
- संविदात्मक समस्या

परियोजनावार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में देरी से संबंधित मुद्दों पर तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से चर्चा की जाती है। जहां आवश्यक हो; परियोजना विशिष्ट बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ नियमित पारस्परिक कार्रवाई करके परियोजनाओं को तीव्र गति से स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। स्वीकृतियों की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है।

500 मे.वा. क्षमता की कोयला आधारित यूनिट आरम्भ करने के लिए औसत समय 49 महीने से घटाकर 38 महीने, 210/250 मे.वा. क्षमता की यूनिटों के लिए 32 महीनों से घटाकर 32 महीने तथा गैस आधारित परियोजनाओं के लिए 24 महीनों से घटाकर 20 महीने कर दिया गया है। नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण अवधि समय भी कम हो रहा है।

(ङ) परियोजनाओं के निष्पादन में देरी से बचने के लिए मानीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। उठाए गए कदम हैं :

(i) प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की मंत्रालय द्वारा तिमाही समीक्षा।

(ii) मंत्रालय द्वारा बीएचईएल उच्च स्तरीय टीम के साथ तिमाही समीक्षा।

(iii) मंत्रालय द्वारा देश की सभी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ तिमाही समीक्षा। प्रत्येक परियोजना की गहन मानीटरिंग के लिए के.वि.प्रा. ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

(iv) चुनिंदा परियोजनाओं के मुख्य कार्यपालकों से शीघ्र अंतराल पर वीडियो कांफ्रेंसिंग।

(v) परियोजना के दौरे।

(च) परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण संभावित लागत वृद्धि के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विद्युत परियोजनाओं में समय/लागत वृद्धि

परियोजना का नाम	राज्य/सीपीयू	क्षमता (मे.वा.)	मूल/अद्यतन अनुसूची	मूल/अद्यतन अनुमानित लागत (मूल्य स्तर) (करोड़ रु. में)	बढ़ी हुई अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)	देरी के कारण
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र						
थर्मल						
नैवेली विस्तार–I	तमिलनाडु/ एनएलसी	420	फरवरी, 2001/ अगस्त, 2005	1590.58/ 15.66.23 (विस्तार मई, 03 तक)	शून्य	मुख्य संयंत्र हैड आर्डर देने में विलंब, आर्डर 10 अगस्त, 1998 को दिए गए। बॉटम एश प्लांट रिफ्रेक्टरी मैटेरियल की आपूर्ति में विस्तार।
हाइड्रो						
दुलहस्ती एचईपी	जम्मू एवं कश्मीर/ एनएचपीसी	390	जुलाई, 1994 दिसम्बर, 2005	1262.97 (10/88) 3559.77 (11/96)	2296.80	कानून एवं व्यवस्था समस्या फ्रेंच कंसोर्टियम का छोड़ना हैडरेस टनल में खराब भू–वैज्ञानिक स्तर, चट्टान गिरने से टनल बोरिंग मशीन का दब जाना।
धौलीगंगा एचईपी	उत्तरांचल/ एनएचपीसी	280	1998–1999/ 2005–2006	601.98 (12/89) 1578.31 अगस्त, 99	976.33	यू–4 और यू–3 क्रमशः 26 और 28 जुलाई, 2005 को समकालित किए गए हैं। वित्तपोषण सुनिश्चित करने में विलंब होने, भूमि अधिग्रहण करने तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की समस्याओं के कारण परियोजना में विलंब हो गया था।
टिहरी एचईपी चरण–1	उत्तरांचल/ टीएचडीसी	1000	मार्च, 1999/ मार्च, 2006	3391.40 (03/93)/ 6621.32 (मार्च, 2002)	3229.92	पुनः स्थापन समस्या भूकंपीय स्थिरता की आशंका को पूरा करने हेतु बार–बार बांध सुरक्षा अध्ययन। 02 अगस्त, 2004 को टी–2 सुरंग में दुर्घटना हुई थी।
राज्य क्षेत्र						
थर्मल						
अकरीमोटा	गुजरात/ जीएमडीसीएल	250	जून, 2003/ सितंबर, 2005	1338.43/ 1338.43	शून्य	मार्च, 2005 में एक यूनिट चालू हो गई। सामग्री प्रबंधन की व्यवस्था में विलंब क्योंकि मामला निर्णयाधीन था।
परीछा	उत्तर प्रदेश/ यूपीआरवीयूएनएल	420	अप्रैल, 2005/ मार्च, 2006	1703.00/अभी निर्धारित की जानी है	शून्य	परियोजना प्राधिकारी द्वारा मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. को भुगतान नहीं होना।

1	2	3	4	5	6	7
हाइड्रो						
बगलिहार–I	जम्मू व कश्मीर/ जेकेपीडीसी	450	2004–05/ 2006–07	3810.00 (1998)/ 3810.00 (1998)	शून्य	कानून व्यवस्था समस्या, बांध कंक्रीटिंग में विलंब, फंड की कमी के कारण पूर्व में कार्य धीमा चला।
लारजी	हिमाचल प्रदेश/ एचपीएसईबी	126	2002–03/ 2005–06	796.98 (3/99)/ 875.70 (8/01)	78.72	विभिन्न ठेका पैकेज सौंपने में विलंब, विद्युत गृह क्षेत्र में चट्टानों का गिरना।
मनेरी भाली–II	उत्तरांचल/ यूजेवीएनएल	304	2003–04 2006–07	1111.39 (2/99)/ 1714.41 (2005–06)	603.02	एचआरटी और सर्ज शाफ्ट में धीमी प्रगति, एनटीपीसी के साथ ठेका संबंधी मामलों में विलंब।
सरदार सरोवर	गुजरात/म.प्र./ महाराष्ट्र एसएसएनएनएल	1450	1994–96 2002–07	1551.86 (1986–87)/ 5502.00 (2002)	3950.14	कैनाल और विद्युत गृह में 250 मे.वा. चालू। रिवर बेड विद्युत गृह में 400 मेगावाट चालू। पुनर्वास एवं पुनःस्थापना समस्या, कोर्ट के मामले, विश्व बैंक फंडिंग रुकना।
घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र/ सिंचाई विभाग महाराष्ट्र सरकार	250	1995–96/ 2005–06	620.78 (1992)/ 1184.60 (3/02)	563.82	भूमि अधिग्रहण में विलंब, बड़े कार्यों, लोअर डैम के पूरा होने में विलंब तथा हाल के बाढ़ के कारण विद्युत गृह में पानी भरना।
पाइकारा अल्टीमेट	तमिलनाडु/ टीएनईबी	150	1994–95 2005–06	70.16 (1987–88)/ 382.81 (1999–00)	312.65	वन स्वीकृति के कारण पारेषण लाइन को पूरा करने में विलंब। सिविल व यांत्रिक कार्यों को सौंपने में विलंब।
पुरुलिया पीएसएस	पश्चिम बंगाल/ डब्ल्यूबीएसईबी	900	2002–03 2006–08	1456.56 (9/91)/ 2988.28 (4/02)	1531.72	बोलीदाताओं द्वारा रिट याचिका फाइल करने तथा बाद की कानूनी अड़चनों के कारण, वन भूमि के विपथन में विलंब।
कारबी लांग्पी	असम/ एएसईबी	100	1985–86/ 2006–07	539.06 (दिसंबर, 2003)/ 1382.56 (5/2002)	843.50	कार्यान्वयन एजेंसियों में तेजी से परिवर्तन होना परियोजना को राज्य से निजी क्षेत्र में स्थानांतरण करना और पुनः उसे राज्य क्षेत्र में वापस लाना। पहले धनराशि की कमी थी।

[अनुवाद]

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन

*190. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं को सम्पत्ति में समान अधिकार देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में उचित संशोधन करने पर भी विचार कर ही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय इसकी क्या स्थिति है;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने का अधिनियमन कर दिया है और किन राज्यों को अभी ऐसा करना शेष है; और

(ङ) सरकार द्वारा भेदभाव को रोकने के लिए और क्या उपाय किए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (ग) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन कतिपय लिंग संबंधी असमानताओं को दूर करने की दृष्टि से और भारतीय विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट के आधार पर राज्य सभा में 20 दिसम्बर, 2004 को हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया गया था। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने, जिसे यह विधेयक समीक्षा और रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया था, 13 मई, 2005 को राज्य सभा में इस विधेयक पर अपनी सातवीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार सक्रिय रूप से इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है और जैसे ही संशोधनों के संबंध में विनिश्चय किया जाता है, सरकार आवश्यक शासकीय संशोधनों के साथ विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने के लिए कार्रवाई करेगी।

(घ) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों की सरकारों ने हिन्दू सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्रियों को भी समान अधिकार प्रदान करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में स्थानीय संशोधन किए हैं। केरल राज्य ने केरल अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1975 अधिनियमित करके पुरुषों के जन्म के कारण मिलने वाले अधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया है और अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब प्रणाली का अन्त कर दिया है। चूंकि संसदीय विधान के संबंध में कार्यवाही की जा रही है, इसलिए किसी भी राज्य के लिए कोई संशोधनकारी विधान पुरःस्थापित करना आवश्यक नहीं है।

(ङ) किन्हीं पृथक् उपायों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुआ घाटा

***191. मोहम्मद शाहिद :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003–04 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को लगभग 183 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जैसा कि दिनांक 16 मई, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त बैंकों को बंद करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु उपचारात्मक कदम उठाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। 33 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को वर्ष 2003–04 के दौरान 183.64 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। गत तीन वर्षों के दौरान घाटा उठा रहे आरआरबी (राज्य–वार) के ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं।

(ग) आरआरबी की खराब वित्तीय स्थिति के मुख्य कारण– परिचालन का सीमित क्षेत्र, परिमित ग्राहक आधार, सेवाओं की उच्च लागत, उच्च स्थापना लागत एवं निम्न मार्जिन तथा अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का उच्च अनुपात हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन एवं वित्तीय क्षमता में सुधार करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रायोजक बैंक पर उनके नियंत्रणाधीन आरआरबी के कार्य–निष्पादन के लिए पूर्ण जिम्मेदारी होगी। जो आरआरबी नए अभिशासन मानदण्ड को अपनाएगा तथा विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करेगा, वह पुनर्गठन हेतु, सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(2) आरआरबी को मजबूत करने तथा अर्थक्षमता में सुधार लाने के मद्देनजर, राज्य के भीतर एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित भौगोलिक रूप से निकटस्थ आरआरबी को समामेलित कर आरआरबी के संरचनात्मक समेकन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

(3) एनपीए को कम करने तथा वसूली में सुधार लाने के लिए लोक अदालतों के माध्यम से बकायों के समझौता निपटान को लागू किया गया है।

(4) आरआरबी के कर्मचारी में दक्षता एवं विशेषज्ञता लाने के लिए नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंकर्स संस्था (बीआईआरडी), लखनऊ, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मंगलोर एवं बोलपुर जैसी प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से आरआरबी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उन पर विशेष ध्यान देता रहा है। आरआरबी के अधिकारी आंतरिक नियंत्रण, एमआईएस, वैयक्तिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध के क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाने के अतिरिक्त कृषि एवं कृषितर क्षेत्र, आस्ति–देयता प्रबंधन, निधि प्रबंधन के तहत परियोजना प्रबंधन जैसे विशेषीकृत क्षेत्रों में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

(5) आरआरबी द्वारा एसएलआर को बनाए रखने के लिए संशोधित अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें उन्हें अपने एसएलआर को केवल सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बनाए रखना आवश्यक है।

(6) घाटा उठा रहे आरआरबी के संदर्भ में, प्रायोजक बैंकों से कहा गया है कि वे नियत समय–सीमा में अर्थक्षमता को प्राप्त करने के लिए बैंक–विशिष्ट नीतिगत योजना तैयार करें।

(7) भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड, प्रायोजक बैंकों, एसएलबीसी के संयोजकों एवं राज्य सरकारों के सदस्यों को शामिल करते हुए अपने क्षेत्रीय कार्यालय में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है जो यह सुनिश्चित करेगी कि आरआरबी सुशासन का अनुसरण करता है तथा विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करता है। समिति परिचालन संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी तथा विनियामक मुद्दों से संबंधित स्पष्टीकरण भी प्रदान करेगी।

विवरण

घाटा उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

क्र.सं.	राज्य	घाटा उठा रहे आरआरबी का नाम	लाख रुपये में 2001–02 के दौरान हानि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	काकाथिया ग्रामीण बैंक	319.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	835.94
3.	असम	लैंगपी देहांगी रूरल बैंक	99.89
4.	बिहार	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	226.88
5.		मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	56.12
6.		नालन्दा ग्रामीण बैंक	78.44
7.		समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	138.77
8.		वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	160.85
9.	छत्तीसगढ़	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	414.11
10.		बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	213.75
11.	गुजरात	सूरत भरुच ग्रामीण बैंक	156.73
12.	जम्मू एवं कश्मीर	इलाकी देहाती बैंक	618.62
13.	झारखंड	रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	336.86
14.		संथाल परगना ग्रामीण बैंक	69.70
15.	मध्य प्रदेश	इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	23.53
16.		महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	284.41
17.		निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.86
18.	महाराष्ट्र	भंडारा ग्रामीण बैंक	215.48
19.		रत्नगिरी–सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	135.48
20.	मणिपुर	मणिपुर रूरल बैंक	116.07
21.	उड़ीसा	बालासोर ग्रामीण बैंक	1056.76
22.		बोलनगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक	628.95
23.		कटक ग्राम्य बैंक	998.89
24.		कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	805.61
25.		कोरापुट पंचबटी ग्रामीण बैंक	399.90
26.	राजस्थान	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	65.47
27.		मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	370.06
28.	उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	101.73
29.		रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	273.87

घाटा उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

क्र.सं.	राज्य	घाटा उठा रहे आरआरबी का नाम	लाख रुपये में 2002–03 के दौरान हानि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	काकाथिया ग्रामीण बैंक	230.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1118.66
3.	असम	लैंगपी देहांगी रूरल बैंक	325.50
4.	बिहार	भागलपुर बंका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	608.99
5.		चम्पारण ग्रामीण बैंक	967.82
6.		मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	607.76
7.		मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	576.87
8.		मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	752.08
9.		समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	208.14
10.		सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	757.44
11.		वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1586.99
12.	छत्तीसगढ़	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	396.46
13.		बिलासपुर–रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	164.06
14.	जम्मू एवं कश्मीर	इलाकी देहाती बैंक	1210.48
15.		कामराज रूरल बैंक	371.17
16.	झारखंड	पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	423.52
17.		रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	413.31
18.		संथाल परगना ग्रामीण बैंक	918.36
19.		सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	604.57
20.	कर्नाटक	चिकमंगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक	96.04
21.	मध्य प्रदेश	झाबुआ–धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	208.47
22.		महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	241.45
23.		निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	99.47
24.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद–जालना ग्रामीण बैंक	323.85
25.		भंडारा ग्रामीण बैंक	123.39
26.		चन्द्रपुर–गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक	295.51
27.		मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	1109.38
28.	मणिपुर	मणिपुर रूरल बैंक	214.90
29.	नागालैंड	नागालैंड रूरल बैंक	16.15
30.	उड़ीसा	बालासोर ग्रामीण बैंक	1285.99
31.		बोलनगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक	1596.85
32.		कटक ग्राम्य बैंक	988.45
33.		कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	188.44
34.		कोरापुट पंचबटी ग्रामीण बैंक	337.17
35.	राजस्थान	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	99.58
36.		मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	629.70
37.	उत्तर प्रदेश	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	91.15
38.		क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	430.06
39.	पश्चिम बंगाल	मयूराक्षी ग्रामीण बैंक	495.01
40.		उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	353.00

घाटा उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

क्र.सं.	राज्य	घाटा उठा रहे आरआरबी का नाम	लाख रुपये में 2003–04 के दौरान हानि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	काकाथिया ग्रामीण बैंक	336
2.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	217
3.	बिहार	भागलपुर बंका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	318

1	2	3	4
4.	बिहार	चम्पारण ग्रामीण बैंक	1437
5.		कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	693
6.		मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	858
7.		मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	774
8.		मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	625
9.		समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	549
10.		सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1157
11.		वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2149
12.	जम्मू एवं कश्मीर	इलाकी देहाती ग्रामीण बैंक	984
13.		कामराज रूरल बैंक	99
14.	झारखंड	पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	533
15.		रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	178
16.		संथाल परगना ग्रामीण बैंक	449
17.	मध्य प्रदेश	बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	111
18.		छिंदवाड़ा–सियोनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	194
19.		झाबुआ–धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	714
20.		महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	373
21.		शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	425
22.	महाराष्ट्र	अकोला ग्रामीण बैंक	170
23.	मणिपुर	मणिपुर रूरल बैंक	144
24.	नागालैंड	नागालैंड रूरल बैंक	41
25.	उड़ीसा	बालासोर ग्रामीण बैंक	1165
26.		बोलनगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक	1018
27.		कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	90
28.		कोरापुट पंचबटी ग्रामीण बैंक	537
29.	राजस्थान	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	60
30.		मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	643
31.	उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	148
32.	उत्तरांचल	गंगा–यमुना ग्रामीण बैंक	98
33.	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1062

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विद्युत नीति

*192. **श्री प्रबोध पाण्डा :**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की 50 प्रतिशत आबादी को बिजली उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक नीति संबंधी संकल्पना की घोषणा की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पूरे देश में विद्युत परियोजनाओं में अपनी वित्तीय हिस्सेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) इस धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है और इससे विद्युत परियोजनाओं को कितनी मदद मिलेगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 44 प्रतिशत घरों के लिए विद्युत की पहुंच उपलब्ध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2005 को अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है

- विद्युत की पहुंच–अगले पांच वर्षों में सभी घरों के लिए उपलब्ध कराना।
- विद्युत की उपलब्धता–जनवरी, 2012 तक मांग पूरी की जानी है। ऊर्जा की कमी और व्यस्ततम कमियों को पूरा किया जाना है तथा पर्याप्त स्पिनिंग रिजर्व उपलब्ध कराया जाना है।

(ग) जी, हां। विद्युत उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश को बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार विद्युत अति महत्वपूर्ण अवसंरचना होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र निवेशों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों स्तरों पर बढ़ाना पड़ेगा। क्षेत्र के विस्तार की मात्रा पर विचार करते हुए निवेशों का अपेक्षित पर्याप्त भाग भी निजी क्षेत्र से लाए जाने की आवश्यकता होगी।

(घ) और (ङ) विद्युत मंत्रालय हेतु 10वीं योजना परिव्यय को बढ़ाकर 143399 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह 9वीं योजना आवंटन में 214 प्रतिशत वृद्धि का संकेत है।

केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की वार्षिक योजनाओं और आंतरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) तथा सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) में इनके विभाजन को अंतिम रूप परियोजनाओं की स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के पश्चात योजना आयोग के साथ परामर्श करके दिया जाता है और योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तदनुसार निधियां जारी की जाती हैं। निधियों की कमी के कारण किसी भी परियोजना में विलंब नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

वस्त्र श्रमिकों का पुनर्वास

***193. श्री ब्रजेश पाठक :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वस्त्र मिलों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों के पुनर्वास हेतु क्या नीति बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने वस्त्र श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का उचित प्रबंध करने हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) बंद मिलों के कर्मचारियों के पुनर्वासन के लिए सरकार ने 15 सितम्बर, 1986 से 'वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना' कार्यान्वित की है। इस योजना में पात्र वस्त्र कामगारों को निम्नलिखितानुसार 3 वर्ष के लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था है ताकि वे किसी दूसरे रोजगार में लग सकें :

- एकक के बंद होने के प्रथम वर्ष में मजदूरी के बराबर मजदूरी के 75 प्रतिशत तक;
- दूसरे वर्ष में मजदूरी के बराबर मजदूरी के 50 प्रतिशत तक; और
- तीसरे वर्ष में मजदूरी के बराबर मजदूरी के 24 प्रतिशत तक।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित मौजूदा योजना वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त मानी जाती है। अतः इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य कोई कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण अवसंरचना पर निवेश

***194. श्री एस. के. खारवेलथम :**
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गांवों के विकास हेतु बुनियादी ढांचे का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रामीण अवसंरचना पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में ग्रामीण अवसंरचना पर भारी निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और किन क्षेत्रों की पहचान की गई;

(च) क्या प्रस्तावित योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगारों का सृजन होने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण सड़क संपर्कता के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ग्रामीण आधारभूत सुविधा कार्यक्रम, ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना तथा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। उपर्युक्त

कार्यक्रमों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय निधियों की रिलीज के ब्यौरे विवरण I, II तथा III में दिए गए हैं।

(घ) से (ज) वित्त मंत्री ने अपने 2005–06 के बजट भाषण में 1,74,000 करोड़ रु. के कुल अनुमानित निवेश से ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के चुने गए घटक इस प्रकार हैं–सिंचाई, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण टेलीफोन संपर्कता। भारत निर्माण चार वर्षों का कार्यक्रम है, जिसे 2008–09 तक पूरा किए जाने का विचार है। तथापि, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम में एक वर्ष और लगेगा जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम ग्यारहवीं योजना के अन्त तक चलेगा। ग्रामीण टेलीफोन संपर्कता को तीन वर्षों में पूरा किए जाने का इरादा है। हालांकि भारत निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना है किन्तु यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से और रोजगार भी सृजित करेगा। तथापि, रोजगार सृजन का आकलन नहीं लगाया गया है।

विवरण-I

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–जारी केन्द्रीय निधि

(करोड़ रु.)

राज्य	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	417.09	117.70	जारी नहीं
अरुणाचल प्रदेश	83.23	0.00	0.00
असम	144.25	105.77	13.43
बिहार	162.06	29.58	8.19
छत्तीसगढ़	185.45	194.19	131.30
गोवा	0.17	0.00	0.00
गुजरात	107.31	42.64	0.68
हरियाणा	61.09	31.82	4.71
हिमाचल प्रदेश	115.35	57.80	जारी नहीं
जम्मू और कश्मीर	24.56	0.00	जारी नहीं
झारखंड	177.73	44.67	0.00
कर्नाटक	211.98	33.46	0.00
केरल	44.56	0.50	जारी नहीं
मध्य प्रदेश	593.45	370.59	273.77
महाराष्ट्र	180.55	जारी नहीं	0.00
मणिपुर	40.00	0.00	जारी नहीं
मेघालय	52.19	0.00	0.00
मिजोरम	48.20	45.32	10.08
नागालैंड	46.07	14.69	5.84
उड़ीसा	314.87	225.55	जारी नहीं
पंजाब	65.05	17.74	0.00
राजस्थान	253.05	583.43	216.13
सिक्किम	34.99	3.77	0.00
तमिलनाडु	98.94	79.05	0.46
त्रिपुरा	23.94	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	476.87	411.23	जारी नहीं
उत्तरांचल	61.55	जारी नहीं	0.00
पश्चिम बंगाल	260.07	197.07	जारी नहीं
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	4.65	0.00	0.00
कुल	4289.27	2606.57	664.59

विवरण-II

इंदिरा आवास योजना–जारी केन्द्रीय निधि

(करोड़ रु.)

राज्य	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	201.23	194.54	248.14
अरुणाचल प्रदेश	6.65	12.16	9.51
असम	104.34	143.18	279.42
बिहार	293.39	374.22	582.75
चंडीगढ़	29.23	30.68	39.83
गोवा	0.50	0.83	1.65
गुजरात	53.31	58.17	70.65
हरियाणा	19.28	18.34	22.16
हिमाचल प्रदेश	6.27	6.96	10.22
जम्मू और कश्मीर	9.11	12.54	14.05
झारखंड	80.65	110.34	160.31
कर्नाटक	75.02	85.16	103.60
केरल	45.17	57.67	78.39
मध्य प्रदेश	102.07	107.34	139.05
महाराष्ट्र	226.37	227.68	226.74
मणिपुर	5.51	2.86	8.85
मेघालय	7.42	11.48	8.04
मिजोरम	2.31	3.91	4.36
नागालैंड	6.67	8.26	7.08
उड़ीसा	806.78	357.28	181.94
पंजाब	10.28	10.60	8.81
राजस्थान	47.16	52.75	65.62
सिक्किम	1.55	3.09	3.46
तमिलनाडु	144.47	119.89	176.92
त्रिपुरा	20.51	27.50	27.98
उत्तर प्रदेश	312.25	346.29	405.36
उत्तरांचल	22.97	39.78	55.79
पश्चिम बंगाल	149.52	154.78	272.96
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.89	1.09	0.19
दादरा और नगर हवेली	0.04	0.24	जारी नहीं
दमन और द्वीव	0.09	0.01	0.02
लक्षद्वीप	0.03	0.03	0.04
पांडिचेरी	0.58	0.46	0.08
कुल	2792.62	2580.11	3213.97

विवरण-III

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम–जारी केन्द्रीय निधि

(करोड़ रु.)

राज्य	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	178.24	314.84	371.97
अरुणाचल प्रदेश	36.5	36.76	69.47
असम	52.53	105.62	140.31
बिहार	37.03	36.05	96.67
चंडीगढ़	29.43	31.78	26.9
गोवा	0	0.13	0
गुजरात	99.98	145.68	113.27
हरियाणा	33.46	34.83	29.64
हिमाचल प्रदेश	82.29	64.86	66.03
जम्मू और कश्मीर	111.96	150.59	150.22
झारखंड	19.5	25.01	31.66
कर्नाटक	143.56	183.5	198.94

1	2	3	4
केरल	18.99	70.14	62.8
मध्य प्रदेश	95.85	112.17	120.27
महाराष्ट्र	193.36	230.02	292.62
मणिपुर	9.47	17.02	21.03
मेघालय	29.36	22.14	30.35
मिजोरम	20.97	14.75	20.02
नागालैंड	21.81	18.08	20.48
उड़ीसा	58.3	84.53	103.22
पंजाब	30.81	26.73	35.33
राजस्थान	235.86	297.46	370.66
सिक्किम	8.96	6.31	8.32
तमिलनाडु	75.58	134.92	161.59
त्रिपुरा	24.28	27.04	23.96
उत्तर प्रदेश	113.49	135.1	169.92
उत्तरांचल	36.83	27.63	38.94
पश्चिम बंगाल	101.15	109.46	101.66
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.11	20.37
दादरा और नगर हवेली	0	0.36	0.52
लक्षद्वीप	0	0.01	0
पांडिचेरी	0	0.12	1
कुल	1899.65	2463.75	2898.14

स्वरोजगार कार्यक्रमों का पुनर्गठन

*195. **श्री मदन लाल शर्मा :**
श्री अनंत गुढ़े :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्वाह योग्य आय सृजन के उद्देश्य से स्व–रोजगार कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विशेष क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो योजना–वार तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में उनकी मदद करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) नामक स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम को फिर से बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) मंत्रालय के निगरानी तंत्रों अर्थात् निष्पादन समीक्षा समिति, मंत्रियों द्वारा समीक्षा, क्षेत्र अधिकारी योजना आदि के माध्यम से एसजीएसवाई के कार्यान्वयन की की जाने वाली समीक्षा एक सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है। योजना के प्रारंभ होने से अब तक इसके निष्पादन में क्रमिक सुधार हुआ है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की कवरेज में भी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2004–05 के दौरान, 1501.02 करोड़ रुपये की उपलब्ध राशि में से, 1273.22 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था, 1640.11 करोड़ रुपये के ऋण जुटाए गए थे और 262173 स्व–सहायता समूह बनाए गए थे जिसमें से 66484 समूहों ने आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। वर्ष 2005–06 (जून, 2005 तक) के दौरान, 746.07 करोड़ रुपये की उपलब्ध धनराशि में से 113.77 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और 180.91 करोड़ रुपये के ऋण जुटाए गए थे और 37580 स्व–सहायता समूह बनाए गए थे जिसमें से 6471 समूहों ने आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। वर्ष 2002–03 के लिए स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा कराए गए एसजीएसवाई के समवर्ती मूल्यांकन से पता चला था कि यह कार्यक्रम सुलक्षित है क्योंकि अधिकांश स्वरोजगारी बीपीएल परिवारों से हैं।

सेन्टूर होटल की बिक्री

*196. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के जुहू सेन्टूर तथा एयरपोर्ट सेन्टूर होटलों की बिक्री प्रतिस्पर्द्धा तथा मूल्य निर्धारण के लाभ बिना ही कर दी गई थी, जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और क्या निजीकरण की प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितताएं थीं जैसा

कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे में सरकार को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईटीडीसी के कुछ अन्य होटलों का भी वास्तविक मूल्य से काफी कम कीमत पर विनिवेश किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भ्रष्टाचार से जुड़े सौदों का पता लगाने के लिए सीबीआई द्वारा सरकार के होटलों में ऐसे सभी विनिवेशों की जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) होटल एयरपोर्ट सेन्टूर, मुम्बई और होटल जुहू सेन्टूर, मुम्बई के संबंध में "आरक्षित मूल्य" और "बिक्री मूल्य" का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने उक्त होटलों की बिक्री के सौदों में अपनी रिपोर्ट (मई, 2005 में संसद में प्रस्तुत) में अन्य बातों के साथ–साथ यह निष्कर्ष निकाला है कि ".....दोनों सौदे प्रतिस्पर्द्धा के लाभ के बिना एकल बोली के मामले बन गए। बाजार प्रभावी रूप से प्रचालन में न होने से यह मुद्दा प्रमुख बन जाता है। यह पाया गया था कि सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण और आरक्षित मूल्य का निर्धारण अन्य मामलों में मंत्रालय द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं था। बोलीदाता को दी गई विभिन्न छूटों और बिक्री में सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए हस्तक्षेपों से सीमित प्रतिस्पर्द्धा के परिवेश में सौदे के जोखिम को कम करने के अपर्याप्त प्रयासों का संकेत मिलता था। सम्पत्तियों की बिक्री की आवश्यकता एवं तात्कालिकता के बीच संतुलन बनाने तथा बिक्री से सर्वाधिक सम्भव कीमत प्राप्त करने के प्रयास भी प्रमाणिक नहीं थे.....।"

होटल जुहू सेन्टूर, मुम्बई और होटल एयरपोर्ट सेन्टूर, मुम्बई के बिक्री के सौदों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के प्रकाश में सरकार ने इस मामले को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को संदर्भित करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) नवम्बर, 2001 और सितम्बर, 2002 के बीच भारतीय पर्यटन विकास निगम की 19 होटल सम्पत्तियों का विनिवेश किया गया था। ये सभी सम्पत्तियां उनके अपने–अपने आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची गई थीं/पट्टे पर दी गई थीं। "आरक्षित मूल्य" और "बिक्री मूल्य" का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2002 में विनिवेशित मुम्बई स्थित सेन्टूर होटलों का आरक्षित मूल्य और बिक्री मूल्य

क्र.सं.	होटल का नाम	आरक्षित मूल्य (करोड़ रु. में)	बिक्री मूल्य (करोड रु. में)
1.	होटल एयरपोर्ट सेन्टूर, मुम्बई	78.30	83.00
2.	होटल जुहू सेन्टूर, मुम्बई	101.60	153.00

विवरण-II

नवम्बर, 2001 और सितम्बर, 2002 के बीच विनिवेशित भारतीय पर्यटन विकास निगम की 19 होटल सम्पत्तियों का बिक्री मूल्य और आरक्षित मूल्य

क्र.सं.	होटल का नाम	आरक्षित मूल्य (करोड़ रु. में)	बिक्री मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
	आईटीडीसी होटल्स		
1.	होटल आगरा अशोक	3.26	3.93
2.	होटल बोधगया अशोक	1.67	2.01
3.	टीबीएबीआर, मामल्लापुरम	5.18	6.81
4.	एलवीपीएच उदयपुर	6.12	7.52
5.	होटल अशोक बेंगलूर	3.40*	4.11*
6.	होटल मदुरै अशोक	3.64	5.49
7.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	31.00	35.68
8.	लोधी होटल, नई दिल्ली	40.36	76.22
9.	होटल हसन अशोक	2.19	2.51
10.	होठल मनाली अशोक	1.91	4.00
11.	कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट	41.75	43.69
12.	होटल औरंगाबाद अशोक	15.05	17.40
13.	एयरपोर्ट अशोक कोलकाता	14.83	20.02

1	2	3	4
14.	होटल खजुराहो अशोक	2.01	2.21
15.	होटल वाराणसी अशोक	5.55	9.11
16.	होटल परियोजना चण्डीगढ़	14.01	17.27
17.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	70.90	95.95
18.	होटल इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली	18.34	45.03
19.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	23.78	30.30

*होटल अशोक बेंगलूर का आरक्षित मूल्य और बोली मूल्य प्रतिवर्ष "न्यूनतम प्रत्यानुत वार्षिक भुगतान" के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसमें तीस वर्ष की पट्टे की अवधि के दौरान 1 अप्रैल, 2007 से और उसके प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

[हिन्दी]

'फेमा' मामले

***197. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) से संबंधित मामलों, जिन्हें अब तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निपटाया जाता था, को अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निपटाया जाएगा जैसा कि दिनांक 2 फरवरी, 2005 के "इकानोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किस आधार पर इस नीति को बदला गया है;

(ग) दिनांक 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 'फेमा' के कितने मामले निपटान के लिए लंबित थे; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'फेमा' से संबंधित कितने मामले निपटाए गए?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) में जांच-पड़ताल, न्याय-निर्णयन और उल्लंघनों के प्रशमन का प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय उक्त अधिनियम के तहत मामलों की जांच-पड़ताल और न्याय-निर्णयन का कार्य कर रहा है। विदेशी मुद्रा (प्रशमन कार्यवाही) नियम, 2000 की शर्तों के अनुसार उल्लंघनों के प्रशमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और प्रवर्तन निदेशालय को शक्तियां दी गई थीं। तथापि, विदेशी मुद्रा (प्रशमन कार्यवाही) नियम, 2000 में सितम्बर, 2004 में किए गए एक संशोधन के तहत उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (क), जो किसी व्यक्ति को किसी विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी प्रतिभूति को किसी व्यक्ति, जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है, से सौदा करने अथवा अंतरण के लिए निषिद्ध करता है को छोड़कर, फेमा की सभी धाराओं के उल्लंघनों के प्रशमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियों में विस्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय फेमा की धारा 3 के उक्त खंड (क) के उल्लंघन के लिए प्रशमन की शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा।

(ख) विदेशी मुद्रा (प्रशमन कार्यवाही) नियम, 2004 में संशोधन इस उद्देश्य से किया गया था कि जानबूझकर, कपटपूर्ण और धोखाधड़ी वाले लेन-देनों को गंभीरता से लेते हुए फेमा के तहत प्रक्रियाओं को और अधिक सरल एवं युक्तियुक्त बनाया जाए तथा लेन-देन संबंधी लागतों को न्यूनतम करके नागरिकों और निगम समुदाय को राहत प्रदान की जाए।

(ग) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार यद्यपि प्रवर्तन निदेशालय में फेमा के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए 662 कारण बताओ नोटिस न्याय-निर्णयन के लिए लंबित थे, फिर भी एक मामला जिसे कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा गया था, बैंक के पास लंबित था।

(घ) 1 अगस्त, 2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक मामला निपटा दिया गया है।

[अनुवाद]

जूट उत्पादन

***198. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जूट उत्पादन का केवल पांच प्रतिशत ही जूट के विविध उत्पाद बनाने के काम में आता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जूट के विविध उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय जूट प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) पटसन विविधीकृत उत्पाद (जेडीपी) का वर्तमान शेयर देश में कुल पटसन

के सामानों के उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत है। सरकार ने देश में जेडीपी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र (एनसीजेडी) द्वारा संचालित कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम (1) पटसन सेवा केन्द्र योजना, (2) पटसन कच्ची सामग्री बैंक योजना, (3) बाजार सहायता योजना, (4) पटसन उद्यमी सहायता योजना, (5) सूक्ष्म वित्त योजना, (6) मशीनरी विकास योजना, (7) डिजाइन एवं विकास योजना हैं। पटसन विनिर्माण विकास परिषद की पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक पूंजीगत सब्सिडी योजना भी है।

(घ) और (ङ) सरकार देश में एक पटसन प्रौद्योगिकी मिशन को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तथापि, यह परियोजना अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जानी है।

[हिन्दी]

'ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान' कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित गांव

***199. श्री सुशील कुमार मोदी :**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान" (पीयूआरए) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु किन्हीं गांवों/सर्किलों की पहचान और उनका चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक गांव/सर्किल के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य–वार क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इन गांवों/सर्किलों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और उनका परिचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए) योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारम्भ में एक प्रायोगिक चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रायोगिक चरण के अन्तर्गत चयनित समूहों में ऊर्जा, दूरसंचार, सड़क तथा परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति तथा विपणन नामक 7 सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। प्रायोगिक चरण को सात राज्यों में, प्रत्येक राज्य से 10–15 गांवों का एक समूह लेते हुए, शुरू किया जा रहा है। प्रायोगिक चरण 4 से 5 करोड़ रुपये प्रति समूह की अनुमानित लागत से दो से तीन वर्षों में पूरा होने की संभावना है। प्रारंभिक चरण में योजना के तहत चुन हुए समूहों को वास्तविक संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रायोगिक चरण में योजना के कार्यान्वयन के लिए चुने गए राज्यों, जिलों और समूहों का विवरण, रिलीज की गई निधियों की स्थिति सहित, नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	राज्य	जिला	चुने हुए समूह	रिलीज की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	राय दुर्ग	1.5
2.	असम	सोनितपुर	गोहपुर	1.5
3.	बिहार	मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	1.5
4.	महाराष्ट्र	हिंगोली	बसमठ	1.0
5.	उड़ीसा	जगतसिंहपुर	कुजंगा	1.5
6.	राजस्थान	भीलवाड़ा	शाहपुरा	1.5
7.	उत्तर प्रदेश	इटावा	भरथना	1.5

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

***200. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
डा. के. धनराजू :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक इकाई के निर्माण में कितनी लागत आएगी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक योजना के अन्तर्गत राज्य–वार कुल कितना आवंटन किया गया और उसका कितना उपयोग किया गया और इनके अन्तर्गत कितने आवासों का निर्माण किया गया;

(घ) इसके अन्तर्गत चालू परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उन गैर–सरकारी संगठनों का

राज्य–वार ब्यौरा क्या है जिन्हें इसके अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई;

(च) इसके अन्तर्गत सहायता देने के लिए क्या मानदंड रखे गए हैं;

(छ) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग, यदि कोई हो, को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु की गई समीक्षाओं के क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर देशभर के ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए मकानों के निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्तमान में नए मकानों के निर्माण के लिए सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति मकान 25,000 रुपये तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रति मकान 27,000 रुपये है जो 1.4.2004 से लागू है। कच्चे मकानों को आधे पक्के/पक्के मकानों में बदलने (मरम्मत) की अधिकतम सीमा प्रति मकान 12,500 रुपये है, यह भी 1.4.2004 से लागू है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल आवंटन, उपयोग की गई निधियों और बनाए गए मकानों की संख्या के राज्य–वार ब्यौरे विवरण–I में हैं।

(घ) से (च) ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण नामक परियोजना आधारित योजना 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2004 तक जारी थी। इस योजना को 1.4.2004 से बंद कर दिया गया है और इसे इंदिरा आवास योजना की मुख्य योजना के साथ मिला दिया गया है। इस बात की व्यवस्था की गई है कि एक जिले में कम से कम एक अभिनव परियोजना स्वीकृत की जाएगी ताकि इसे बाद में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाया जा सके। डीआरडीए के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 50 लाख रुपये और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 20 लाख रुपये की मंजूरी दी जाती रही थी। चल रही परियोजनाओं के राज्य–वार ब्यौरे और उक्त अवधि के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को दी गई सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(छ) और (ज) निधियों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से, परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए समय–समय पर मंत्रालय और हडको के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता और जिला स्तरीय निगरानी एजेंसियां भी चुने गए जिलों में योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करती हैं। एजेंसियों द्वारा दर्शाई गई कमियों/अनियमितताओं की फिर से जांच की जाती है और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2005–06 के दौरान इंदिरा आवास योजना के तहत राज्य/वर्ष–वार निधियों का आवंटन (केन्द्र+राज्य), उपयोग और बनाए गए मकानों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2002–03			2003–04			2004–05			2005–06		
		आवंटन केन्द्र+ राज्य	निधियों का उपयोग	बनाए गए मकानों की सं.	आवंटन केन्द्र+ राज्य	निधियों का उपयोग	बनाए गए मकानों की सं.	आवंटन केन्द्र+ राज्य	निधियों का उपयोग	बनाए गए मकानों की सं.	आवंटन केन्द्र+ राज्य	निधियों का उपयोग	बनाए गए मकानों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	16093.63	20122.58	126837	18225.83	19453.50	105295	23975.77	24813.84	126039	32532.56	3715.44	20846
2.	अरुणाचल प्रदेश	759.89	665.38	3423	837.00	1215.89	6646	1101.31	950.76	4162	1265.91	0.00	0
3.	असम	17098.20	10433.62	65587	18832.79	14318.35	78752	24779.99	27941.87	129495	27992.31	2825.89	17354
4.	बिहार	43717.12	29339.43	172524	49509.11	37422.41	183792	65128.45	58275.18	252026	96027.83	12583.28	56304
5.	छत्तीसगढ़	2752.07	2923.19	16255	3116.68	3068.27	18302	4099.95	3982.75	20134	5030.89	100.40	1795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गोवा	103.97	49.80	269	117.76	83.26	233	154.91	164.82	428	200.37	345.62	169
7.	गुजरात	4625.13	5330.60	27053	5237.95	5817.24	31189	6890.43	7064.63	33654	15954.71	791.07	3718
8.	हरियाणा	1563.93	1927.66	9840	1771.12	1733.58	9175	2329.87	2215.56	8845	2240.05	7.80	0
9.	हिमाचल प्रदेश	691.88	626.66	3413	783.55	696.12	3841	1030.75	1021.72	4749	790.08	23.25	129
10.	जम्मू और कश्मीर	827.63	911.35	5749	937..28	1253.69	8412	1232.99	1404.54	7252	2454.03	0.00	0
11.	झारखंड	12844.51	8064.81	40482	14546.23	11033.91	60290	19135.33	16031.16	66081	8565.24	0.00	0
12.	कर्नाटक	8324.69	7502.49	42452	9427.61	8516.22	49833	12401.88	10360.19	50707	12533.91	943.93	5471
13.	केरल	5158.63	4517.33	32107	5842.08	5767.37	39825	7685.16	7839.16	39831	6970.01	1335.58	6910
14.	मध्य प्रदेश	9603.89	10206.99	63691	10876.32	10734.48	65768	14307.61	13905.33	75365	10005.52	362.92	5372
15.	महाराष्ट्र	14770.44	22637.13	85970	16727.41	22767.55	103135	22004.63	22673.85	105449	19619.41	454.86	7635
16.	मणिपुर	901.06	551.34	2571	997.96	286.30	1666	1313.11	885.17	5820	1098.87	0.00	0
17.	मेघालय	1203.80	741.83	3305	1325.92	1147.50	6465	1744.63	1080.97	4665	1913.84	0.00	0
18.	मिजोरम	288.97	231.06	1305	318.31	390.72	2202	418.83	435.76	2052	407.85	0.00	0
19.	नागालैंड	777.12	666.73	6698	855.93	826.19	5966	1126.23	716.11	5099	1266.45	0.00	0
20.	उड़ीसा	12955.96	80678.23	444669	14672.47	35728.08	154205	19301.39	22620.13	89891	18866.33	706.32	2415
21.	पंजाब	1036.00	1028.10	5651	1173.27	1059.94	6050	1543.41	880.79	4460	2770.28	106.87	475
22.	राजस्थान	4364.08	4715.54	37592	4942.27	5274.69	41888	6501.47	6561.81	31070	8017.48	770.22	2115
23.	सिक्किम	208.33	155.17	1149	229.47	308.97	2041	301.93	346.08	1584	242.21	19.11	143
24.	तमिलनाडु	8081.77	14446.87	62988	9152.52	11988.64	57069	12040.00	17692.31	58687	13025.29	551.23	824
25.	त्रिपुरा	1757.67	2050.88	10321	1935.96	2749.89	15003	2547.32	2797.54	12132	2465.89	42.43	0
26.	उत्तर प्रदेश	29466.67	31225.28	177190	33370.67	34628.98	190950	43898.51	40536.06	199096	43131.67	2049.90	5923
27.	उत्तरांचल	3060.57	2297.13	11799	3466.07	3977.92	21666	4559.57	5579.45	26376	2162.36	296.77	2460
28.	पश्चिम बंगाल	17369.21	15188.92	86709	19670.45	15478.41	90601	25876.16	27296.38	150515	26024.53	1524.97	10220
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	146.82	188.68	532	166.27	108.52	671	218.73	18.73	60	309.46	0.00	0
30.	दादरा और नगर हवेली	77.05	3.48	54	87.26	23.98	14	114.78	0.00	0	51.56	0.00	0
31.	दमन और दीव	31.89	8.24	48	36.12	0.72	7	47.51	2.09	9	23.07	0.55	3
32.	लक्षद्वीप	2.50	2.75	5	2.83	2.76	14	3.72	3.75	16	20.00	0.00	0
33.	पांडिचेरी	72.90	57.31	402	82.55	45.64	264	108.59	7.84	88	154.14	0.00	0
	कुल	220742.93	279496.46	1548641	249275.02	258009.69	1361230	327924.92	326106.33	1515837	384133.91	29247.41	150281

विवरण-II

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुमोदित परियोजनाएं (पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य-वार/वर्ष-वार)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम	अनुमोदित राशि	2002-03 के दौरान रिलीज	2003-04 के दौरान रिलीज	2004-05 के दौरान रिलीज
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला-वनस्थलीपुरम	13.52	3.38	–	3.38
2.	प्रजा प्रगति सेवा संगम, मचिलीपट्टनम, जिला-कृष्णा-521001	17.50	4.38	–	4.375
3.	ब्रेदर्न इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिला-प्रकाशम	20.00	8.00	–	8.00
4.	हरित एसोसिएशन फॉर लर्निंग एन्वायर्नमेंट, जिला-खम्माम-507115	10.96	2.74	2.74	–
5.	ग्रामोदय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिला-कृष्णा-521181	18.20	4.55	–	4.55
6.	साई सेवा समिति, जिला-कुड्डप्पा-516218	20.00	5.00	–	–
7.	अरुंधती युवाजन सेवा संगम, कोरितापडु, गुंटूर-522007	18.80	4.70	–	–
8.	ग्रामाभ्युदय सेवा युवाजन समाजम, जिला-श्रीकाकुलम	20.00	5.00	–	5.00
9.	मदर टैरेसा ऑरफन सोसाइटी, जिला-रंगारेड्डी-500060	14.80	3.70	–	–
10.	नित्य कृषि रूरल डेवलपमेंट एडुकेशनल एंड हेल्थ सोसाइटी, जिला-अनंतपुर-515001	16.72	4.18	–	3.52
	बिहार				
11.	शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, मधुबनी	20.00	4.00	–	–
	गुजरात				
12.	जर्पन नसरपुर विभाग केलवानी मंडल, जिला-सूरत	19.98	4.99	4.99	–
13.	अहमदाबाद एक्शन स्टडी ग्रुप, अहमदाबाद-380001	12.00	–	–	4.00
	केरल				
14.	वेलफेयर सर्विसेज, एर्नाकुलम	20.00	8.00	–	4.00
15.	सी.एन. मेमोरियल वनिता समाजम, जिला-तिरुवनंतपुरम	16.20	3.24	–	–
16.	सनातन महिला समाजम एंड नर्सरी स्कूल, जिला-तिरुवनंतपुरम-695126	13.50	–	3.90	–

1	2	3	4	5	6
	मध्य प्रदेश				
17.	आर.आर. लेबोरेटरी, भोपाल	35.49	17.75	–	–
18.	स्टार स्कूल समिति, जिला–इंदौर–452009	18.64	4.66	–	4.66
19.	सिविल इंजिनियरिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, जिला–विदिशा–464001	14.50	3.63	–	–
	मणिपुर				
20.	वंगू सबल यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, विष्णुपुर–795133	20.00	5.00	–	5.00
	नागालैंड				
21.	सनरे मल्टीपरपस कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दीमापुर	20.00	–	8.00	–
	उड़ीसा				
22.	मानव सेवा सदन (मास), जिला–ढेंकानल–759146	20.00	–	–	8.00
	राजस्थान				
23.	श्री हरिदेव शिक्षा समिति, भरतपुर	15.72	3.93	–	3.93
24.	नेताजी सुभाष चंद्र बोस शिक्षा समिति, जयपुर–302025	15.72	3.93	–	3.93
	तमिलनाडु				
25.	कॉपरेटिव लीग इन डेवलपमेंट एंड इमप्लॉयमेंट, कन्याकुमारी	20.00	–	–	4.00
26.	नेहरू रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला–तिरुवन्नामलाई	20.00	5.00	–	–
27.	इंटीग्रेटेड रूरल कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, तिरुवल्लूर–602001	20.00	5.00	–	5.00
	उत्तर प्रदेश				
28.	जन मानस विकास संस्थान, लखनऊ–226016	20.00	8.00	–	4.00
29.	पिंकी ग्रामोद्योग संस्थान, जिला–अम्बेडकर नगर	19.98	4.87	–	–
30.	अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं समाज कल्याण परिषद, चकलेश्वर, गोवर्धन, मथुरा (उ.प्र.)	20.00	8.00	4.00	–
31.	सर्वभूम स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, गोवर्धन, जिला–मथुरा, उ.प्र.	19.92	–	3.98	–
	पश्चिम बंगाल				
32.	कम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट सर्विस, उ. 24 परगना–743165	20.00	5.00	–	–
33.	अग्रदूत पौली उन्नयन समिति, जिला–हावड़ा–711226	20.00	5.00	–	5.00
34.	कलिचायक नेताजी सुभाष संघ, जिला–मिदनापुर	19.68	4.92	4.92	9.84

उद्योगों को उत्पाद शुल्क से छूट

1894. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति और उत्पाद शुल्क संबंधी छूट की शुरूआत से असम में उत्पाद शुल्क से छूट के लिए कितनी इकाइयों ने आवेदन किया है;

(ख) उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली इकाइयों का ब्यौरा क्या है और असम में चल रही ऐसी सभी इकाइयों के उत्पाद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा असम में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) इसका विवरण मंत्रालय में नहीं रखा जाता है। यह विवरण इकट्ठा किया जा रहा है और नियत समय पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) असम में एनईआईपी के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार संबंधित राज्यों के विभिन्न विभागों जैसे कि उद्योग निदेशालय तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों, राज्य औद्योगिक आधारभूत ढांचा विकास निगमों इत्यादि जैसी संस्थाओं को आधारभूत ढांचे के विकास तथा इससे जुड़ी सुविधाओं जैसे विद्युत, जल, सड़कों तथा संचार सुविधाओं इत्यादि के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। एनईआईपी के अन्तर्गत भारत सरकार निम्नलिखित के विकास हेतु वित्त का प्रावधान करती है :

(क) वृद्धि केन्द्र (जीसी); तथा

(ख) समन्वित आधारभूत ढांचा विकास केन्द्र (आईआईडीसी)।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार एनईआईपी 1997 के अन्तर्गत इस क्षेत्र की पात्र इकाइयों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सब्सिडियों में परिवहन सब्सिडी, केन्द्रीय निवेश सब्सिडी, केन्द्रीय ब्याज़ सब्सिडी, बीमा सब्सिडी इत्यादि शामिल हैं। इस नीति के तहत प्रदान किए गए मुख्य वित्तीय प्रोत्साहन हैं आयकर छूट तथा उत्पाद शुल्क छूट। इस नीति के तहत उत्पाद शुल्क छूट वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए है।

[हिन्दी]

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में संशोधन

1895. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीआईएफआर द्वारा पुनरुद्धार किए गए रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की राज्य–वार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने पिछले तीन वर्ष के दौरान किसी भी रुग्ण लघु उद्योग को पुनरुज्जीवित नहीं किया है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त

1896. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विद्युत योजनाओं के लिए बैंकों और एलआईसी द्वारा दिए गए ऋणों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन.सी.ई.एस. में निजी भागीदारी

1897. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत (एनसीईएस) की परियोजनाओं की स्थापना में या मौजूदा स्रोतों के आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण में सार्वजनिक/निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार, विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार अक्षय स्रोत देश में कुल विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता के लगभग 6 प्रतिशत (6160 मेवा.) का योगदान करते हैं। अतिरिक्त विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता का 18 प्रतिशत (2643 मेवा.), जिसे दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002–2005) के दौरान चालू किया गया है, अक्षय स्रोतों से प्राप्त हुआ है। इसमें से 13 प्रतिशत (1967 मेवा.) पवन विद्युत से, 2 प्रतिशत (267 मेवा.) लघु पनबिजली से तथा लगभग 3 प्रतिशत (407 मेवा.) बायो–ऊर्जा से प्राप्त हुआ है। कुल ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता में लगभग दो–तिहाई हिस्सा निजी क्षेत्र का है तथा केवल एक–तिहाई हिस्सा सरकार का है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन, जिसमें त्वरित मूल्यह्रास, करों और शुल्कों से राहत शामिल है, प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत को अधिमान्य शुल्क–दर प्रदान की जाती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों के समान अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित राज्यवार ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की संस्थापित क्षमता का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली (मेवा.)	पवन विद्युत (मेवा.)	बायोमास विद्युत (मेवा.)	बायोमास गैसीफायर (मेवा.)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेवा.)	सौर विद्युत (केडब्ल्यूपी)	कुल क्षमता (मेवा.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	178.81	120.60	267.30	15.38	21.65	275.00	604.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.70	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	33.88
3.	असम	2.11	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	2.23
4.	बिहार	45.90	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	45.92
5.	छत्तीसगढ़	11.00	0.00	11.00	0.51	0.00	0.00	22.51
6.	गोवा	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07
7.	गुजरात	7.00	253.53	0.50	14.26	2.95	0.00	278.24
8.	हरियाणा	62.70	0.00	6.00	1.06	0.00	0.00	69.76
9.	हिमाचल प्रदेश	108.08	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	108.09
10.	जम्मू और कश्मीर	109.74	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	110.26
11.	झारखंड	4.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	4.13
12.	कर्नाटक	274.88	410.68	152.00	4.61	1.00	30.00	843.20
13.	केरल	84.62	2.00	0.00	0.73	0.00	25.00	87.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मध्य प्रदेश	41.16	28.85	1.00	4.73	2.73	339.00	78.81
15.	महाराष्ट्र	207.08	456.30	36.00	3.82	1.90	185.00	705.29
16.	मणिपुर	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
17.	मेघालय	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
18.	मिजोरम	14.76	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	14.96
19.	नागालैंड	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
20.	उड़ीसा	7.30	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	7.40
21.	पंजाब	111.40	0.00	22.00	0.70	1.75	325.00	136.18
22.	राजस्थान	23.85	284.74	7.80	0.22	0.00	150.00	316.76
23.	सिक्किम	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
24.	तमिलनाडु	77.70	2036.95	173.00	5.03	1.98	211.00	2294.87
25.	त्रिपुरा	16.01	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	17.11
26.	उत्तर प्रदेश	21.50	0.00	73.00	4.87	8.00	325.00	107.69
27.	उत्तरांचल	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	72.50
28.	पश्चिम बंगाल	92.30	1.10	0.00	6.95	0.00	50.00	100.40
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.25	0.00	0.00	0.17	0.00	100.00	5.52
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.65
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	25.00	0.63
	कुल	1705.63	3594.75	749.50	66.03	41.98	2740.00	6160.74

ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए हडको द्वारा वित्तीय सहायता

1998. श्री जशुभाई धनाभाई बारड़ : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए हडको द्वारा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या हडको ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हेतु ब्याज दर को घटाने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितना ब्याज दर कम किया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) हडको ने, 1977 से ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करना आरंभ किया और अब तक (30.6.2005 की स्थिति अनुसार) विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 93.19 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु 7141.67 करोड़ रुपये का ऋण अनुमोदित किया है। हडको के ग्रामीण आवास कार्यक्रम, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए बनाए जाते हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए अनुमोदित ऋण और अनुमोदित आवासीय इकाइयों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :

वर्ष	अनुमानित ऋण (रुपये करोड़ में)	अनुमोदित आवास इकाइयां
1	2	3
2002–03	431.48	413078
2003–04	590.91	542428
2004–05	2002.50	864857

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित ग्रामीण आवास योजनाओं की वर्ष–वार तथा राज्य–वार सूची विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) परियोजना लागत के 90 प्रतिशत सहित, 7.5 प्रतिशत (परिवर्तनीय) ब्याज दर पर, मकानों के निर्माण हेतु, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को हडको सहायता प्रदान कर रहा है। 7.0 प्रतिशत (परिवर्तनीय) के रियायती ब्याज दर पर हडको, ईडब्ल्यूएस आवास योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जैसे विधवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, 35 वर्ष की आयु से ऊपर अकेली महिलाओं तथा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को वित्तपोषण प्रदान करता है। तथापि, 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एकमुश्त ऋण पर 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट लागू है और इससे वह 6.5 प्रतिशत बन जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित ग्रामीण आवास योजनाओं की सूची

(रुपये लाख में)

योजना सं.	राज्य	योजना का नाम	एजेंसी	परियोजना लागत	ऋण राशि	इकाई (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2002-03						
17780	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम विजयनगरम आदि जिलों में ईडब्ल्यूआर (आर) आवास	एपीएसएचसी	17500.00	10000.00	100000
17902	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईडब्ल्यूआर (आर) आवास	एपीएसएचपी	5228.83	2987.90	29879
17801	गुजरात	जूनागढ़ जिले के कोदिनार में 78 एलआईजी आवास	जीआरएचबी	91.26	66.30	78
17802	गुजरात	साबरकांठा जिले के ईदर, वरवदा, मिलौदा में 58 एलआईजी आवास	जीआरएचबी	58.00	49.30	58
17803	गुजरात	कच्छ जिले के मधापुर में 25 एलआईजी सीएल आवास	जीआरएचबी	37.50	31.25	25
17713	कर्नाटक	कर्नाटक में नवग्राम योजना के तहत आश्रय ग्रामीण आवास	आरजीआरएचसीएल	4200.80	2100.40	21004
17714	कर्नाटक	कर्नाटक में आश्रय ग्रामीण आवास	आरजीआरएचसीएल	11400.00	5700.00	57000
17794	कर्नाटक	300 अतिरिक्त गांवों के ग्रामीण (एलआईजी–आर) में सुधार	केएलएसी	6000.00	4800.00	60000

1	2	3	4	5	6	7
17808	कर्नाटक	कर्नाटक में आश्रय ग्रामीण आवास	आरजीआरएचसीएल	2600.00	1300.00	13000
17815	कर्नाटक	विभिन्न जिलों में ईडब्ल्यूएस (आर) आश्रय आवास	आरजीआरएचसीएल	14000.00	7000.00	70000
17673	मिजोरम	मारा जिले के फेज–III में सीओएमपी सीएलएचएस	एमएआरए	194.44	130.00	106
17899	उड़ीसा	ग्रामीण लाभार्थियों के लिए नकद ऋण योजना	ओसीएचएस	124.95	100.00	250
17939	उड़ीसा	प्राथमिक एचबीसीएस सदस्यों के ईडब्ल्यूएस (आर)	ओसीएचएस	2374.00	1900.00	4750
17704	तमिलनाडु	तमिलनाडु के 28 जिलों में ईडब्ल्यूएस (आर) आवासों का निर्माण	टीएनआरएसआईडीसी	12872.81	6458.98	37686
17705	तमिलनाडु	तमिलनाडु के 28 जिलों में ईडब्ल्यूएस (आर) आवासों का उन्नयन	टीएनआरएचआईडीसी	1979.04	478.55	19142
17915	त्रिपुरा	अगरतल्ला में ईडब्ल्यूएस (आर) के लिए आवासों का निर्माण	डीओडब्ल्यूएससी	59.85	45.00	100
		कुल		78721.48	43147.68	413078
वर्ष 2003-04						
18039	आंध्र प्रदेश	नालगौंडा जिले में एचए के लिए ईडब्ल्यूएस ग्रामीण आवास	एपीएसएचसी	32.39	15.41	79
18153	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईडब्ल्यूएस (आर) के लिए आवास	एपीएसएचसी	45000.00	30000.00	200000
18054	कर्नाटक	गुलबर्गा में एसीएस के तहत आश्रय ईडब्ल्यूएस ग्रामीण आवास	आरजीआरएचसीएल	1666.80	833.40	8334
18275	कर्नाटक	स्वच्छ ग्राम योजना के तहत 1000 गांवों का सुधार	केएलएसी	10000.00	8000.00	200000
18304	कर्नाटक	आश्रय आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण हेतु टेकआउट फाइनेंस स्कीम	आरजीआरएचसीएल	12380.00	5522.74	56900
18232	केरल	जनकीय परपीदा पद्धति, फेज–II एर्नाकुलम	केडीपी	7768.00	5512.50	15750
18244	उड़ीसा	ईडब्ल्यूएस (आर) आवास प्राइमरी हाउसेज बिल्डिंग को. सोसाइटी	ओआरएचडीसी	3123.70	2500.00	6250
18139	तमिलनाडु	तमिलनाडु में आवासों में ईडब्ल्यूएस (आर) उन्नयन	आरडीडीजीओटीएन	16184.59	5707.29	55115
		कुल		96155.48	59091.34	542428
वर्ष 2004-05						
18566	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश में सूनामी पीड़ितों के ईडब्ल्यूएस ग्रामीण आवास	एपीएसएचसी	16714.25	11700.00	66857
18479	बिहार	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस आवास के लिए योजना ऋण	बीएसएचबी	140062.5	125000.00	500000

1	2	3	4	5	6	7
18478	झारखंड	झारखंड में दीनदयाल आवास योजना ईडब्ल्यूएस आवास योजना	जेएसएचबी	55600	50000.00	200000
18939	कर्नाटक	कर्नाटक के विभिन्न जिलों में आश्रय ईडब्ल्यूएस ग्रामीण आवास योजना	आरजीआरएचसीएल	2600	1300.00	13000
18401	कर्नाटक	कर्नाटक के विभिन्न जिलों में आश्रय ईडब्ल्यूएस ग्रामीण आवास योजना	आरजीआरएचसीएल	14000	7000.00	70000
18573	उड़ीसा	महाचक्रवात प्रभावित जिलों में ईडब्ल्यूएस ग्रामीण आवास योजना	ओआरएचडीसी	5865.48	5250.00	15000
		कुल		23484.23	200250.00	864857
		कुल योग		409719.19	302489.02	1820363

एजेंसी विवरण :

एपीएसएचसी	– आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन
बीएसएचबी	– बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड
डीओडब्ल्यूएससी	– डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर फॉर एससी/एसटी, अगरतल्ला
जेएसएचबी	– झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड
केडीपी	– कोल्लम डिस्ट्रीक्ट पंचायत
केएलएसी	– कर्नाटक लैंड एमी कार्पोरेशन
ओसीएचसी	– उड़ीसा कोऑपरेटिव हाउसिंग कार्पोरेशन
ओआरएचडीसी	– उड़ीसा रूरल हाउसिंग डेव. कार्पोरेशन
आरडीडीजीओटीएन	– रूरल डेव. डिपा. गवमेंट ऑफ तमिलनाडु
आरजीआरएचसीएल	– राजीव गांधी रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन
टीएनआरएचआईडीसी	– तमिलनाडु रूरल हाउसिंग एंड इंडि. डेव. कार्पोरेशन
एमएआरए	– एमएआरए ऑटोनॉमस कौंसिल
जीआरएचबी	– गुजरात रूरल आउसिंग बोर्ड

रत्नों की तस्करी

1899. श्री जुएल ओराम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में खनिज बहुलता वाले केबीके जिलों से रत्नों की तस्करी में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कितने मूल्य के रत्न जब्त किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों और राजस्व आसूचना निदेशालय के द्वारा उड़ीसा में धातु बहुलता केबीके जिलों से रत्नों की तस्करी के किसी मामले का पता नहीं चला है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर शून्य।

वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन

1900. श्री ए. के. मूर्ति : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु विधान लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु किसी विधान की आवश्यकता है अथवा नहीं।

हडको के माध्यम से ग्रामीण निर्माण केन्द्र

1901. श्री अधीर चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हडको के माध्यम से देश के सभी जिला मुख्यालयों में कम लागत वाले आवासों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु ग्रामीण निर्माण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य–वार कितने केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

1902. श्री सुरेश वाघमारे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनिशीयल पब्लिक आफर (आईपीओ) जारी करने के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पंजाब नैशनल बैंक का शेयर मूल्य कितना है जिन्हें आईपीओ जारी करने के कुछ दिनों पूर्व धोखाधड़ी से 517 रुपये तक पहुंचा दिया गया था;

(ग) वर्ष 2005 के दौरान पंजाब नैशनल बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स और इलाहाबाद बैंक का अधिकतम, न्यूनतम तथा निर्गम मूल्य कितना था;

(घ) क्या सरकार/सेबी को इस संबंध में विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सेबी ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक को प्राथमिक शिक्षा के लिए ई.एफ.सी अनुदान

1903. श्री जी. एम. सिद्धीश्वर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1000 कक्षाओं के निर्माण हेतु कर्नाटक राज्य को प्राथमिक शिक्षा के हेतु ईएफसी अनुदान के अन्तर्गत .1900 लाख रुपये प्रदान किया है और इसके लिए 764.18 लाख रुपये की राशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस राशि में से 708.41 लाख रुपये का उपयोग किया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी भेजा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को 1135.82 लाख रुपये की शेष राशि जारी करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा शेष राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2000– 05 के लिए कर्नाटक सरकार को प्राथमिक शिक्षा हेतु 1900 लाख रुपये के अनुदान की संस्तुति की है। राज्य सरकार ने 776.56 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया था। निधियों के उपयोग की प्रगति के आधार पर वर्ष 2000–05 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को 1425 लाख रुपये की राशि जारी की है।

(घ) और (ङ) निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त दावों पर विचार किया गया और अनुदान जारी कर दिए गए हैं।

(च) चूंकि ग्यारहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 31.3.2005 को समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए आगे और निधियां जारी कर पाना संभव नहीं है।

एन.सी.ई.एस. ग्राम

1904. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की कमी को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत (एनसीईएस) ग्राम विकसित करने हेतु योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। ये कार्यक्रम हैं :

(i) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण करना है, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो अव्यवहार्य होने या किफायती न होने की संभावना है। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1944 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है।

(ii) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, जिसमें सर्वाधिक किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऊर्जा योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में गांवों के 2–3 समूहों को लेने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2003–04 से 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे 333 ग्राम समूहों को लिया गया है।

(iii) मुख्यतया स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास सामग्रियों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों में ग्राम ऊर्जा सुरक्षा की संकल्पना का प्रदर्शन करने के लिए परीक्षण परियोजनाओं के एक सैट का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। आधारभूत उद्देश्य कुकिंग, रोशनी और मोटिव पावर सहित कुल ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। अब तक 3 राज्यों में 24 परीक्षण परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

करेंसी हैंडलिंग मशीन

1905. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जारी किए न जाने वाले करेंसी नोटों के पुनर्प्रचलन को रोकने के क्रम में अधिकांश बैंक उचित और पर्याप्त संख्या में करेंसी नोट हैंडलिंग मशीनों से सुसज्जित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं कि अंतिम रूप से निपटान हेतु जारी न किए जाने वाले नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जाए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि तिजोरियां (करेंसी चेस्ट) रखने वाले सभी बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे तिजोरी वाली सभी शाखाओं पर एक समयबद्ध तरीके से उपयुक्त क्षमतायुक्त नोट छंटाई मशीनें उपलब्ध कराएं। 100 तिजोरियों वाले बैंकों को मई, 2005 के अन्त तक अपनी सभी तिजोरियों पर नोट छंटाई मशीनें लगाना अपेक्षित था तथा 100 से अधिक तिजोरियों वाले बैंकों को नवम्बर, 2005 की समाप्ति तक ऐसी मशीनें उपलब्ध कराना अपेक्षित था।

(ग) हालांकि अब भी तिजोरी वाले बैंकों से आशा की जाती है कि वे बैंक नोटों को जारी करने योग्य नोटों तथा जारी न करने लायक नोटों में छांटें तथा सिर्फ जारी न करने लायक नोटों को आरबीआई के पास अंतिम निपटान एवं नष्ट करने के लिए भेजें। मुद्रा छंटाई मशीनें लगाने से नोटों का संसाधन एवं छंटाई अधिक तेजी से और आसानी से होने में मदद मिलेगी।

असम का चन्द्रपुर विद्युत संयंत्र

1906. श्री मणीकुमार सुब्बा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के उस चन्द्रपुर विद्युत संयंत्र को पुनः चालू करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच की है जो "लो सल्फर हाई एलएसएचएस ऑयल" और "फर्नेन्स ऑयल" से चल रहा था और 1999 में बंद हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के क्या परिणाम निकले;

(ग) इस संयंत्र के बंद किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इस संयंत्र को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को असम में चन्द्रपुर विद्युत संयंत्र को पुनः चालू करने के लिए कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) लो–सल्फर हाई स्पीड (एलएसएचएस) तथा लो–सल्फर फर्नेन्स ऑयल (एलएसएफओ) की लागत अधिक होने के कारण किफायती प्रचालन के अभाव में दोनों यूनिटें जून, 1999 से प्रचालन नहीं कर रही हैं। विगत में गैस, कोयला जैसे विभिन्न

वैकल्पिक ईंधनों से संयंत्र को पुनः चालू करने के प्रयास सफल नहीं हो सके।

मितव्ययिता उपाय

1907. श्री जी. वी. हर्षकुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दीर्घकालीन लाभप्रदता को सतत बनाए रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके खर्च नियंत्रित करने के लिए कोई निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय बैंक ने गैर-बैंककारी गतिविधियों पर अधिक खर्च करते हुए पाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

1908. श्री सुनील खां :
श्री एस. अजय कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 में कर/सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कितना है;

(ख) कर/सकल उत्पाद अनुपात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कर आधार को बढ़ाने और कर दर को कम करने से राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के इस निष्कर्ष पर पहुंचने संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 2004-05 की अवधि के लिए प्रत्यक्ष करों का कर/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात अनंतिम रूप से 4.24 प्रतिशत बैठता है जबकि अप्रत्यक्ष करों के मामले में यह 5.51 प्रतिशत है।

(ख) कर अनुपालन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें टैरिफ ढांचे का यौक्तिकीकरण, कर छूटों की समीक्षा तथा संभावित सीमा तक उन्हें वापस लेना, तस्करीरोधी और अपवंचनरोधी उपायों को मजबूती प्रदान करके राजस्व के रिसाव को रोकना, कर अनुपालन में सुधार लाने के लिए कर संग्रहण की प्रक्रियाओं का सरलीकरण, शिक्षा उपकर की उगाही, प्रतिभूति लेन-देन कर, सीमान्त लाभ कर आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रत्यक्ष कर/अप्रत्यक्ष कर संग्रहणों में लगातार वृद्धि विभिन्न आर्थिक कारकों तथा सरकार द्वारा दिए गए विधायी और प्रशासनिक उपायों का संयुक्त परिणाम है जिसमें कराधार को व्यापक बनाना और कर दरों का यौक्तिकीकरण शामिल है। तथापि, व्यक्तिगत कारकों के कारण राजस्व संग्रहण में हुई वृद्धि को सुनिश्चित करना संभव नहीं है।

विद्युत क्षेत्र हेतु वित्त

1909. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए "ऑमनीबस एन्ट्री" के स्थान पर "सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल परपज व्हीकल्स" की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत परियोजनाओं का दीर्घकालीन वित्तपोषण करने के लिए "स्पेशल परपज व्हीकल्स" गठित करने का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) विद्युत मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।

खनिज उत्पादन

1910. श्री अनन्त नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तांबा और सीसा का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों द्वारा राज्य-वार प्रतिवर्ष इन खनिजों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया; और

(ग) इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव) : (क) झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम राज्य तांबे का उत्पादन करते हैं जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम राज्य सीसे का उत्पादन करते हैं।

(ख) तांबा अयस्क का राज्य–वार वार्षिक उत्पादन निम्नवत है :

(मात्रा टनों में)

क्र.सं.	राज्य	2002–03	2003–04 (अनंतिम)	2004–05 (अनंतिम)
1.	झारखंड	89486	–	–
2.	मध्य प्रदेश	2273531	2321026	2053711
3.	राजस्थान	701773	574283	871632
4.	सिक्किम	6503	7663	5815
	कुल (अखिल भारत)	3071293	2902972	2931158

सीसा सांद्रण का राज्य–वार वार्षिक उत्पादन निम्नवत है :

क्र.सं.	राज्य	2002–03	2003–04 (अनंतिम)	2004–05 (अनंतिम)
1.	आंध्र प्रदेश	3153	–	–
2.	राजस्थान	55806	72958	81601
3.	सिक्किम	148	111	34
	कुल (अखिल भारत)	59107	73069	81635

(ग) तांबा, सीसा आदि के गवेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने गैर–ईंधन और गैर–परमाणु क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के लिए खोल दिया है जिसमें टोही, पूर्वेक्षण और खनन प्रचालन शामिल हैं। इसके अलावा, पूर्वेक्षण कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्यों के भूविज्ञान और खनन निदेशालयों द्वारा किए गए हैं। खान मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अपने पट्टाधारी क्षेत्रों में अयस्क का उत्पादन बनाए रखने/बढ़ाने के लिए अपने विकास कार्यों को भी बढ़ाया है। हिन्दुस्तान जिंक लि. जो सीसे का उत्पादन करता है, ने भी अपनी खनन क्षमता का विस्तार किया है।

एन.टी.सी. की मिलों की बिक्री

1911. श्रीमती परनजीत कौर गुलशन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में एनटीसी की नियंत्रणाधीन कुछ मिलों को बेचा है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इन मिलों की बिक्री के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप मिल–वार कितनी राशि वसूली गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजना के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) ने कामगारों को वीआरएस, बांड संबंधी सेवाओं, मिलों के आधुनिकीकरण और लेनदारों का भुगतान के लिए निधियां सृजित करने के वास्ते कुछ एनटीसी मिलों (सूची विवरण में है) की देशी भूमि बेच दी है।

विवरण

से संबंधित देशी भूमि	जितने में बेची गई (करोड़ रुपये में)
1	2
एनटीसी (एपीकेके एंड एम) लि., बैंगलूर	
अलगप्पा मिल्स, अलगप्पानगर	0.78
मैसूर मिल्स, बेंगलूर	79.16
नटराज मिल्स, निर्मल	2.31
एमएसके मिल्स, गुलबर्गा	17.08
नेथा मिल्स, सिकन्दराबाद	24.02
मिनर्वा मिल्स, बेंगलूर	71.51
केरला लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर	2.15
आजमजाही मिल्स, वारंगल	18.22
कुल	215.23
एनटीसी (डीपी एंड आर) लि., नई दिल्ली	
खरर टेक्सटाइल मिल्स, खरर	1.05
सूरज टेक्सटाइल मिल्स, मलौट	0.56
अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	67.01
बिजयनगर कॉटन मिल्स, बिजयनगर	1.95
पानीपत वूलन मिल्स, खरर	9.84
कुल	80.41

1	2
एनटीसी (यूपी) लि., कानपुर	
स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	3.20
बिजली कॉटन मिल्स, हाथरस	4.69
स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	11.73
स्वदेशी कॉटन मिल्स, मौनाथभंजन	3.15
कुल	22.77
एनटीसी (एमएन) लि. मुम्बई	
आरबीबीए मिल्स, हिंघनघाट	0.58
सावत्रम राम प्रसाद मिल्स, अकोला	0.09
विदर्भा मिल्स, अचलपुर	0.86
मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 3), नागपुर	11.10
आरएसआरजी मिल्स, अकोला (प्लान नं. 3)	1.00
टाटा मिल्स, मुंबई	13.75
कोहिनूर मिल्स नं. 3, मुंबई	421.00
कुल	448.38
एनटीसी (एसएम) लि., मुंबई	
बारसी मिल्स, बारसी	0.12
धुले टेक्सटाइल मिल्स, धुले	2.52
चालीसगांव मिल्स, चालीसगांव	3.04
अपोलो मिल्स, मुंबई	180.00
मुंबई टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	702.22
जूपीटर टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	276.60
एल्फिनस्टोन मिल्स, मुंबई	441.75
कुल	1606.25
एनटीसी (टीएन एंड पी) लि., कोयंबटूर	
स्वदेशी कॉटन मिल्स, पाण्डिचेरी	32.54
पंकज मिल्स, कोयंबटूर	0.69
ओमपाराशक्ति मिल्स, कोयंबटूर	4.50
कालेश्वरर "ए" मिल्स (साइट नं. 2)	0.54
श्री रंगविलास मिल्स, कोयंबटूर	15.82
कोयंबटूर मुरूगन मिल्स, सीएमबी	1.89
कृष्णावेनी मिल्स, कोयंबटूर	5.20
श्री भारती मिल्स (पीटीसी को विक्रयाधीन)	13.08
कुल	74.26
एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि., कोलकाता	
ज्योति वीविंग फैक्ट्री, कोलकाता	11.52
कुल	11.52
कुल योग	2458.82

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण की लागत

1912. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न प्रकार के इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण की लागत का कोई आकलन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो पर्वतीय, पहाड़ी, मरुस्थलीय और समतल इलाकों में प्रति किलोमीटर निर्माण लागत अलग-अलग कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्र की ओर से परामर्शदाता या पर्यवेक्षक रखकर निर्माण के पर्यवेक्षण के लिए भी कोई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परामर्शदाताओं/पर्यवेक्षकों की संख्या कितनी है और इसमें कितना व्यय अन्तर्ग्रस्त है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) सरकार ने देश में विभिन्न प्रकार के भूभागों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत सड़क निर्माण की लागत का कोई सामान्य आकलन नहीं किया है। योजना के अन्तर्गत स्थल की विशेष परिस्थितियों की जांच के आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में प्रत्येक सड़क कार्य के लिए सड़क निर्माण की लागत का अनुमान लगाया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने 13 जून, 2005 को 10 कोर राज्यों, दो पहाड़ी राज्यों तथा 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को सलाह दी है कि वे परियोजना प्रस्तावों, कार्य प्रबंध, निर्माण पर्यवेक्षण, परियोजना निष्पादन मानीटरिंग, पीआईयू तथा ठेकेदार के कर्मियों के प्रशिक्षण, सामाजिक तथा पर्यावरणीय सुरक्षोपायों को लागू करने की तैयारी में कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) की सहायता करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन परामर्शदाता रख सकते हैं।

22 जुलाई, 2005 को उत्तर-पूर्वी राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे पीएमजीएसवाई से 100 प्रतिशत वित्तपोषण के साथ राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) की सहायता करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) रख सकते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी अधिवक्ता

1913. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विदेशी अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

ईंधन पर उत्पाद शुल्क में छूट

1914. श्री पी. सी. थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपलब्ध कराए जाने तक नाफ्था और 'एलएसएचएस' पर उत्पाद शुल्क भुगतान में छूट जारी रखने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य को तरलीकृत प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार का अनुरोध जांचाधीन है।

(ग) वहनीय मूल्यों पर एलएनजी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने एलएनजी पर 5 प्रतिशत नाममात्र की सीमा शुल्क दर तथा शून्य सीवीडी रखी है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कोची में एक एलएनजी टर्मिनल स्थापित कर रही है।

कृषि ऋण

1915. श्री सुरेश कुरुप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कृषि ऋण आवक को बढ़ाने और ऋण संबंधी राहत देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाबार्ड तथा ऋण संबंधी अन्य एजेंसियों द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न राहत उपायों की परिकल्पना करते हुए तीन वर्ष में कृषि ऋण प्रवाह दोगुना करने के संबंध में 18 जून, 2004 को घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/भारतीय बैंक संघ ने सभी बैंकों के लिए विपत्ति में पड़े/बकाया ऋण वाले किसानों को ऋण राहत देने हेतु मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार किसानों की देयराशि का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण करके उसे दो वर्ष की ऋण स्थगन अवधि सहित पांच वर्ष तक की अवधि के मियादी ऋणों में बदल दिया जाना है। ऐसे किसानों जिन पर गैर-संस्थागत एजेंसियों जैसे-साहूकारों से लिए गए ऋण का भारती बोझ है को वित्तपोषित करने के लिए तथा छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान हेतु भी मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर रहे किसान भी नए ऋणों के लिए पात्र हैं।

(ग) नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) बैंकों से कहा गया है कि ऋण मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाएं।

(ii) बैंकों द्वारा अपनाए जाने के लिए उनके बीच एक पृष्ठ का प्रलेखीकरण परिचालित किया गया है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि 50000/– रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक या मार्जिन के संबंध में आग्रह न करें।

(iv) बैंकों से कहा गया है कि सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें।

(v) स्व–सहायता समूहों को वित्तपोषित करने पर जोर दिया जा रहा है।

(vi) काश्तकारों और मौखिक पट्टेदारों के संयुक्त दायित्व वाले समूहों को बैंकों द्वारा ऋण देने हेतु एक परियोजना शुरू कर दी गई है।

भेषज उद्योग में अनुसंधान और विकास सुविधाएं

1916. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे उद्यमियों के लिए विभिन्न राज्यों में विशेषतः गुजरात में भेषज उद्योग हेतु अनुसंधान और विकास सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश की विभिन्न भेषज कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर खर्च की जा रही राशि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भेषज अनुसंधान और विकास सहायता निधि (पीआरडीएसएफ) नामक एक कार्यक्रम का संचालन कर रहा है जिसने 1994–95 से 2004–05 तक देश के विभिन्न भागों में औषधि अनुसंधान और विकास के लिए निम्नलिखित 10 अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं को सहायता प्रदान की है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्थान	राष्ट्रीय सुविधा
1.	उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई), लखनऊ	विनियामक औषध विज्ञान और विष–विज्ञान
2.	–वही–	–वही–	फार्माकोकिनेटिक एंड मेटावोलिक स्टडीज
3.	–वही–	–वही–	औषध वैज्ञानिक परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
4.	–वही–	–वही–	कॉम्बिनेटोरियल कैमेस्ट्री–कम मीडियम थ्रोपुट स्क्रीनिंग
5.	पंजाब	नेशनल इंस्टीट्यूट फार फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर), मोहाली	जैव उपलब्धता
6.	–वही–	–वही–	फार्माकोइन्फार्मेटिक्स
7.	पश्चिम बंगाल	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल बायोलॉजी (आईआईसीबी), कोलकाता	उत्पादों के संभावित प्रतिरक्षण अनुकूलन और प्राकृतिक मूल के तत्व की पहचान
8.	कर्नाटक	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस (आईआईएसीसी), बंगलौर	औषधीय और औद्योगिक महत्व के जैव वैज्ञानिक वृहत अणुओं के क्रिस्टलों का लक्षण निर्धारण
9.	आंध्र प्रदेश	सेंटर फार सैलूलर एंड मोलेक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी), हैदराबाद	ट्रांसजेनिक एंड जीन नॉकआउट माइस
10.	दिल्ली	इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इन्टेग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी), दिल्ली	औषध खोज के लिए जीनोमिक्स अनुसंधान

इन सुविधाओं का उपयोग छोटे उद्यमियों सहित संस्थानों और औषधीय उद्योगों द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2002–03, 2003–04, 2004–05 में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न संस्थानों को पीआरडीएसएफ कार्यक्रम द्वारा मुहैया कराई गई धनराशि क्रमशः 498 लाख रुपये, 600 लाख रुपये और 387 लाख

रुपये है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसी अनुसंधान सुविधाओं के लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(ग) विभिन्न फार्मा कम्पनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च की जा रही धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

2001–02 से 2003–04 के दौरान देश में मुख्य फार्मा कम्पनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च की जा रही धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	नाम	2001–02		2002–03		2003–04	
		अनु. एवं विकास व्यय	वार्षिक कारोबार का प्रतिशत	अनु. एवं विकास व्यय	वार्षिक कारोबार का प्रतिशत	अनु. एवं विकास व्यय	वार्षिक कारोबार का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रैनबेक्सी लैबोरेटरीज लि.	77	3.6	192	6.3	276	6.1
2.	डा. रेड्डीज लैब लि.	111	7.1	163	10.2	226	13.0
3.	सन फार्मास्यूटिकल्स	34	4.4	66	6.7	108	10.2
4.	केडिला हैल्थकेयर लि.	42	7.1	38	4.0	88	7.6
5.	वाकर्ल्ड लि.	30	4.4	34	4.7	60	6.2
6.	सिपला लि.	22	3.5	52	3.3	57	2.9
7.	निकोलस पिरामल	10	1.2	12	1.2	56	4.4
8.	लूपिन लि.	54	5.6	36	3.2	46	3.7
9.	अरविंदो फार्मा लि.	13	1.3	22	1.9	46	3.5
10.	टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लि.	22	5.1	31	7.0	40	8.9
11.	ग्लीनमार्क फार्मास्यूटिकल्स	12	4.7	31	9.2	37	9.8
12.	बायोकॉन इण्डिया लि.	7	4.4	11	4.3	23	4.4
13.	यूएसवी लि.	12	3.3	15	3.7	21	0.4
14.	एलेम्बिक लि.	14	2.3	20	3.5	20	3.2
15.	आईपीसीए लैब्स लि.	8	1.8	13	2.7	17	2.6
16.	सुप्रान	9	2.3	9	2.2	11	4.0
17.	कैडिला फार्मा	9	2.3	9	2.2	10	2.4
18.	यूनिकैम लि.	10	3.3	9	2.7	8	2.2
	योग	496	4.0	761	4.8	1150	4.7

अभ्रक का उत्पादन

1917. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कितनी मात्रा में अभ्रक का उत्पादन किया गया है;

(ख) अन्य देशों को देशवार कितनी मात्रा में अभ्रक का निर्यात किया गया है;

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया है; और

(घ) देश में अभ्रक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव) : (क) खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक का राज्यवार उत्पादन निम्नानुसार है :

(मात्रा टन में)

राज्य	2002–03	2003–04(पी)	2004–05(पी)
अभ्रक (ब्लॉक)			
भारत	1232	1076	1366
आंध्र प्रदेश	907	978	1330
बिहार	11	3	1
झारखंड	133	29	8
राजस्थान	181	66	27
अभ्रक (वेस्ट एवं स्क्रैप)			
भारत	2342	2928	2802
आंध्र प्रदेश	1104	2262	2285
बिहार	11	2	*
झारखंड	30	84	35
राजस्थान	1197	580	482

पी–अनंतिम *नगण्य

(ख) और (ग) वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2003–04 के दौरान निर्यात किए गए अभ्रक से अर्जित मुद्रा 136.76 करोड़ रुपये की समतुल्य थी। निर्यात के प्रमुख देश और निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है :

देश	मूल्य करोड़ों में
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना	24.25
जापान	22.97
संयुक्त राज्य अमेरिका	17.28
नीदरलैंड	10.16
बेल्जियम	9.78
यूनाइटेड किंग्डम	7.39
फिनलैंड	7.26
फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी	6.42

प्रसंगवश, यहा यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा रिपोर्टिंग माइंस से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभ्रक के उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि, अभ्रक को गौण स्रोतों और पछोड़नों से भी प्राप्त किया जाता है जिसका ब्यौरा नहीं रखा जाता है। अभ्रक के निर्यात के आंकड़ों में अभ्रक का इसके सभी रूपों में निर्यात और उनका पुनः निर्यात भी शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार अभ्रक सहित गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिजों का गवेषण/विदोहन निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया है। तथापि, अभ्रक का गवेषण और अभ्रक आधारित उद्योगों की स्थापना खनिज की उपलब्धता और ऐसी परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन

1918. श्री के. एस. राव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 60 वर्ष की आयु पार कर चुके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को वर्तमान में लगभग कितनी राशि की पेंशन दी जा रही है और निकट भविष्य में दी जानी है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों का हिस्सा कितना है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों द्वारा अनुमानतः कितनी राशि दी जानी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना शामिल हैं, का वित्तीय वर्ष 2002–03 से अन्नपूर्णा योजना के साथ राज्य योजना में अंतरित किए जाने तक, प्रबंधन करता रहा है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले निराश्रितों को प्रति लाभार्थी प्रति माह 75 रुपये की राशि के भुगतान के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करते हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के इस प्रयास में मदद करने हेतु, उन्हें योजना आयोग द्वारा किए गए आवंटन के अनुरूप, वित्त मंत्रालय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में निधियां रिलीज करता है। एनएसएपी और अन्नपूर्णा योजना के कार्यान्वयन के लिए एसीए एक संयुक्त आवंटन है। राज्यों को योजनाओं की पसंद और कार्यान्वयन में पर्याप्त छूट दी गई है। अंतरित की गई योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास कोई बजट प्रावधान नहीं है।

कर्नाटक में रेशम उद्योग

1919. श्री एम. शिवन्ना : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय रेशम उद्योग बाजार के समतुल्य अपने मानकों को लाने के लिए कुछ केन्द्रों का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान के.रे.बो. द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत कर्नाटक राज्य सरकार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05
राशि	1506.05	714.24	825.38

(ग) और (घ) के.रे.बो. ने बाजार पहलों के तहत एक राष्ट्रीय स्तर के बहु–वस्त्र केन्द्र नेशनल कमोडिटी एंड डिरिवेटिव्ज एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) के मंच पर कोया और अपरिष्कृत रेशम में फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू की है। व्यापार की इस वैकल्पिक प्रणाली से बेहतर कीमत–खोज के माध्यम से उद्योग को मदद मिलेगी। अपरिष्कृत रेशम के लिए बेंगलूर और कोया के लिए रमनग्राम तथा सिड्डलागट्टा को सुपुर्दगी केन्द्र के रूप में अभिज्ञात किया है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड जापान इंटरनेशनल को–आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से तीन दक्षिणी राज्यों–कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में द्विफसलीय रेशम उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए विस्तार प्रणाली सुदृढ़ करने के वास्ते एक परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। इस परियोजना के तहत गुणवत्ता द्विफसलीय रेशम कीट बीज का उत्पादन करने के लिए कर्नाटक में 8 तकनीकी सेवा केन्द्रों, 4 मूलभूत बीज फार्मों और 5 अनाज भंडारों का उन्नयन किया गया है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने गुणवत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय मानक की रेशम का उत्पादन करने के उपाय करने के लिए उद्योग के भागीदारों को अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करने के वास्ते बेंगलूर में वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला एवं रेशम कंडिशनिंग का परीक्षण गृह, काल्लेगल एवं शिड्डलागट्टा में अपरिष्कृत रेशम परीक्षण केन्दों, रमनग्राम में कोया परीक्षण केन्द्र, धारवाड़ में प्रदर्शन एवं तकनीकी सेवा केन्द्र की स्थापना की है।

[हिन्दी]

ऊर्जा संबंधी समन्वयन समिति

1920. श्री प्रहलाद जोशी :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री संतोष गंगवार :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ऊर्जा संबंधी एक उच्च स्तरीय समन्वयन समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के कौन–कौन सदस्य हैं; और

(ग) इस समिति के विचारार्थ विषय क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) ऊर्जा समन्वयन समिति की संरचना निम्नानुसार है :

(i) प्रधानमंत्री

(ii) वित्त मंत्री

(iii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री

(iv) विद्युत मंत्री

(v) कोयला मंत्री

(vi) गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री

(vii) उपाध्यक्ष, योजना आयोग

(viii) सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग

(ix) अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

(x) अध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद

(xi) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

(xii) प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव–संयोजक

सदस्य सचिव, योजना आयोग तथा आर्थिक कार्य विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सचिव समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रित होंगे।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

(i) ऊर्जा नीति पहल के लिए अपेक्षित मुख्य क्षेत्रों का पता लगाना, ताकि आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा दक्षता के समग्र उद्देश्य पूरे किए जा सकें।

(ii) ऐसे दोषों को मानीटर करना जो सुरक्षा पहलुओं को सीधे प्रभावित करते हैं।

(iii) पता लगाई गई नीतिगत पहलों का कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करना।

(iv) नीतियां लागू करने हेतु संस्थागत मैकेनिज्म का पता लगाना।

(v) आवधिक तौर पर मुख्य नीति निर्णयों को मानीटर करना।

(vi) अध्ययन कराना जिससे उपयुक्त निर्णय लेने में समर्थ हो सकें।

राजस्थान में औद्योगिक विकास

1921. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान राज्य को कर मुक्त क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) औद्योगिक विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत, विशेष रूप से औद्योगिक रूप से अलाभकारी क्षेत्रों के लिए सहायता/प्रोत्साहन देकर प्रयासों का समर्थन करती है।

(ख) और (ग) जहां तक भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, इस मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि राजस्थान राज्य को कर मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए।

उत्पाद शुल्क के लंबित मामले

1922. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के पास दस हजार करोड़ रुपये से भी अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लगभग 50 हजार मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों का निपटान न किए जाने के क्या कारण हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसे मामलों की सटीक संख्या क्या है और उनमें कितनी वास्तविक धनराशि संलिप्त है;

(ग) क्या प्रक्रिया संबंधी अड़चनों के कारण उक्त मामलों में निहित पक्षों द्वारा असाधारण विलंब किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रक्रिया संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में फ्लूरोसिस

1923. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली के कतिपय गांव फ्लूरोसिस की चपेट में आ गए हैं जैसा कि 20 मई, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अन्य गांवों में भी ऐसे अध्ययन कराए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) फ्लूरोसिस को फैलने से रोकने तथा लोगों को इस बीमारी के प्रति जानकारी देने के लिए क्या निवारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुछ गांवों में भू–जल में अधिक फ्लोराइड होने की वजह से फ्लूरोसिस की समस्या है।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के तहत कवर किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड 675 एमजीडी जल आपूर्ति करता है, जो स्वच्छ, सुरक्षित और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। जिन क्षेत्रों में जल का अभाव होता है, उन क्षेत्रों में पानी के टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल उपधारी संयंत्र से लेकर उपभोक्ता तक स्तरों पर की जाती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 6 जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं जल की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पेयजल की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं।

साख निर्धारण एजेंसी

1924. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सिडबी" की साख निर्धारण एजेंसी स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस एजेंसी की स्थापना करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या "सिडबी" वित्तीय संस्थाओं के साथ गठबंधन करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने लघु एवं मझौले उद्यमों (एसएमई) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक रेटिंग एजेंसी प्रारम्भ करने का निर्णय किया है। सिडबी, डुन एंड ब्रेडस्ट्रीट (डी एंड बी) तथा भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सीआईबीआईएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित कर दिया गया है।

(ग) ऋण रेटिंग एजेंसी उधार संस्थाओं को उनके ग्राहकों का बाह्य मूल्यांकन उपलब्ध कराएगी। इससे एसएमई उधरकर्ताओं को बेहतर ब्याज दरें एवं ऋण शर्तें प्राप्त होने में सहायता मिलेगी।

(घ) और (ङ) सिडबी को विभिन्न बैंकों जैसे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा तथा आईसीआईसीआई बैंक से शेयर पूंजी में सहभागिता के लिए अभिबंधन प्राप्त हुए हैं।

भारत-अमरीका द्विपक्षीय वार्ता

1925. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में भारत–अमरीका द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करने के लिए अमरीका के साथ समन्वय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) जी, हां। भारत एवं संयुक्त राज्य अमरीका ने नई ऊर्जा वार्ता पर 14.4.2005 को एक करार की घोषणा की थी। भारत की तरफ से सह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा अमरीका की तरफ से उनके ऊर्जा सचिव हैं। भारत–अमरीका ऊर्जा वार्ता की पहली बैठक 31.5.2005 को वाशिंगटन डी.सी. में हुई थी। इस बैठक में एक संचालन समिति की स्थापना करने का समझौता हुआ जो निम्न क्षेत्रों में वार्ता के अन्तर्गत पांच समूहों का पर्यवेक्षण करेगा :

– नगर नाभिकीय ऊर्जा

– तेल व गैस

– विद्युत व ऊर्जा दक्षता

– कोयला

– नई प्रौद्योगिकी तथा अक्षय ऊर्जा

भारत–अमरीका वार्ता का उद्देश्य सहयोग के और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कार्य करके ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश में वृद्धि का संवर्धन करना है।

[हिन्दी]

धनराशि का आवंटन

1926. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वाणिज्यिक घाटा कम करने हेतु राज्यों को विद्युत परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाने और पारेषण तथा वितरण प्रणाली को सुगम बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ओर गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य विशेषकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) इस समय राज्यों से राज्यवार वित्तीय सहायता के कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) भारत सरकार कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने, राजस्व संग्रह में वृद्धि करने तथा उपभोक्ता संतुष्टि में बढ़ोत्तरी करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अन्तर्गत शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सघन रूप से विद्युतीकृत क्षेत्रों में उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए फंड देती है। इस कार्यक्रम में दो घटक हैं–(i) निवेश घटक और (ii) प्रोत्साहन घटक। निवेश घटक के अन्तर्गत राज्यों को उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में फंड जारी किए जाने हैं। एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अन्तर्गत ऐसी यूटिलिटियों को उनके द्वारा हानियों में की गई कमी के 50 प्रतिशत के बराबर अनुदान दी जाती है, जो आधार वर्ष 2000–01 के लिए नकदी हानियों में कमी करते हैं। निवेश घटक के अन्तर्गत राज्यों को जारी निधियों के ब्यौरे विवरण–I के रूप में तथा प्रोत्साहन घटक के अन्तर्गत जारी अनुदान के ब्यौरे विवरण–II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) एपीडीआरपी के अन्तर्गत संबंधित सलाहकार–सह–परामर्शी अर्थात् एनटीपीसी या पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त एवं संस्तुत प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण–III के रूप में संलग्न हैं।

(घ) *सलाहकार–सह–परामर्शी द्वारा संस्तुत प्रस्तावों पर नियमित अंतराल पर आयोजित बैठक में मेरिट के आधार पर संचालन समिति विचार कर रही है।

विवरण-I

एपीडीआरपी के निवेश घटक के अन्तर्गत राज्यों को जारी निधि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी निधियां		
		2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	163.82	402.94	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	36.68	0.00
3.	असम	96.97	0..00	61..88
4.	बिहार	66.11	20.88	226.19
5.	छत्तीसगढ़	10.00	43.07	106.14
6.	दिल्ली	105.51	0.00	0..00
7.	गोवा	22.04	8.54	82.82
8.	गुजरात	105.41	183.45	111.40
9.	हरियाणा	56.33	112.66	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	43.05	120.87	0.00
11.	जम्मू और कश्मीर	20.00	180.50	114.47
12.	झारखंड	12.00	43.60	98.27

तदनन्तर दिनांक 16.12.2005 को सभा में दिए गए शुद्धि विवरण के माध्यम से उत्तर में शुद्धि की गई और इसे ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी–3296/2005/भाग (घ) के उत्तर में शुद्धि की गई। जो इस प्रकार है :

"सलाहकार–सह–परामर्शी समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों पर नियमित अन्तराल पर आयोजित बैठक में मैरिट के आधार पर संचालन समिति द्वारा विचार किया जाता है।"

1	2	3	4	5
13.	कर्नाटक	145.15	290.30	0.00
14.	केरल	30.43	74.23	125.89
15.	मध्य प्रदेश	74.87	10.00	45.00
16.	महाराष्ट्र	138.48	107.98	21.77
17.	मणिपुर	2.67	0..00	0.00
18.	मेघालय	6.57	14.56	37.24
19.	मिजोरम	3.78	25.18	0.00
20.	नागालैंड	13.14	10.47	19.22
21.	उड़ीसा	54.35	0.00	19.67
22.	पंजाब	53.98	124.76	0.00
23.	राजस्थान	125.64	219.70	40.49
24.	सिक्किम	17.21	60.17	77.35
25.	तमिलनाडु	111.57	232..59	97.66
26.	त्रिपुरा	2.67	6.10	28.87
27.	उत्तर प्रदेश	80.12	0.00	54.40
28.	उत्तरांचल	174.63	6.13	60.00
29.	पश्चिम बंगाल	19.02	21.15	0.00
	कुल	1755.52	2356.51	1428.73

विवरण-II

एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अन्तर्गत जारी निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	236.38	–	–	–
2.	महाराष्ट्र	137.89	–	–	–
3.	हरियाणा	5.01	100.48	–	–
4.	राजस्थान	–	137.71	–	–
5.	आंध्र प्रदेश	–	265.11	–	–
6.	केरल	–	0.00	–	64.94
7.	पश्चिम बंगाल	–	0.00	73.00	302.76
	कुल	379.28	503.30	73.00	367.70

विवरण-III

एपीडीआरपी के अन्तर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत (करोड़ रुपये में)
1.	छत्तीसगढ़	1	3.32
2.	कर्नाटक	2	26.19
3.	मध्य प्रदेश	1	2.49
4.	महाराष्ट्र	2	199.37
5.	पंजाब	1	6.19
6.	सिक्किम	2	114.06
7.	उत्तर प्रदेश	3	329.35
	कुल		680.97

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अतिरिक्त पूंजी जुटाना

1927. श्री डी. विट्टल राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक दूसरी या तीसरी तिमाही तक अतिरिक्त पूंजी जुटाने और 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता रखने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान 9 प्रतिशत का विनियामक पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक या इस कार्य हेतु कोई अन्य बैंक अन्तर्राष्ट्रीयकरण से कारोबार के विस्तार के लिए और सुदृढ़ रैंकिंग वाले बैंक के

अनुरूप सहज स्तर तक अपने सीआरएआर को बढ़ाने के लिए अपनी पूंजी अपेक्षा की समय-समय पर समीक्षा करते हैं।

संचयिका स्कीम

1928. डा. के. एस. मनोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बचत की संचयिका स्कीम के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या इस स्कीम ने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्कूली छात्रों में बचत की आदत डालने हेतु 'संचयिका स्कीम' को जारी रखने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संचयिका स्कीम के स्थान पर कुछ अन्य स्कीमें शुरू करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ज) संचयिका योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में बचत की आदत विकसित करना और विद्यार्थी नेतृत्व को बढ़ावा देना है। इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है।

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 में हाल ही में किए गए संशोधन में जिसके अनुसार लघु बचत योजनाओं में निवेश करने की अनुमति अब केवल व्यक्तियों को प्राप्त है, संचयिका योजना की पुनर्संरचना को जरूरी माना गया है। इस समय योजना को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक भूमि अधिग्रहण (कर्नाटक संशोधन) अध्यादेश, 2003

1929. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक भूमि अधिग्रहण (कर्नाटक संशोधन) अध्यादेश, 2003 केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सांविधिक स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 28 और उपधारा 34 में संशोधन करने के लिए कर्नाटक भूमि अर्जन (कर्नाटक संशोधन) अध्यादेश, 2003 को गृह मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को अपनी टिप्पणियां देने के लिए भेजा गया था। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त इस प्रकार के प्रस्तावों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श से राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय केन्द्रीय (नोडल) मंत्रालय है।

(ग) इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और गृह मंत्रालय को यह सूचित किया गया था कि कर्नाटक भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 2003 में धारा 28 और धारा 34 के संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 28 और धारा 34 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिक मुआवजे के लिए ब्याज की दर को प्रति वर्ष 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने तथा कब्जा लेने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ब्याज की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। यह मंत्रालय, उन भू-स्वामियों जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है, को ब्याज की कम दर देने संबंधी किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है।

[हिन्दी]

जबलपुर में छोटे-छोटे जोन बनाना

1930. श्री राकेश सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भूकंप संवेदी क्षेत्र होने के कारण जबलपुर में छोटे-छोटे जोन बनाने का काम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एक भूकंप संवेदी क्षेत्र होने के कारण जबलपुर के विकास की कोई योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) महोदय, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित भूकंपीय क्षेत्र विभाजन मानचित्र के अनुसार देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र V को भूकंपों की सर्वाधिक आशंका वाला क्षेत्र माना जाता है, जबकि क्षेत्र II को सबसे कम। जबलपुर क्षेत्र III में आता है और यहां हल्की तीव्रता वाले भूकंपों के आने की आशंका की जा सकती है। जबलपुर के भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के लिए एक बहुविधयात्मक तथा बहुसंस्थागत प्रयास को वर्ष 2002-03

के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पायलट परियोजना के रूप में छोटे-छोटे जोन बनाने (माइक्रोजोनेशन) की कार्यप्रणाली स्थापित करने हेतु शुरू किया गया। किए गए कार्यों के बारे में तैयार की गई रिपोर्ट में भूगर्भ विज्ञान, सिज्मोटेक्टोनिक्स, द्रवीकरण संभाव्यता, स्थल अभिक्रिया और प्रबलित तरंग वेग आदि पर फर्स्ट कट मानचित्र शामिल हैं।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

रेशम का निर्यात

1931. श्री जोआकिम बखला :
श्री रमेश बर्मन :
श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों की वर्षवार कुल कितनी मात्रा में रेशम का निर्यात किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या रेशम के निर्यात में गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रेशम उत्पादकों को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख रेशम आयातक देशों को निर्यात किए गए रेशम सामानों की मात्रा विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेशम सामानों के निर्यात से अर्जित देश-वार विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

देश	2002-03		2003-04		2004-04 (अनंतिम)	
	करोड़ रु.	मि.यू.एस. डालर	करोड़ रु.	मि.यू.एस. डालर*	करोड़ रु.	मि.यू.एस. डालर
संयुक्त राज्य अमेरिका	714.60	147.65	726.66	158.11	836.65	186.21
ब्रिटेन	189.21	39.10	200.07	43.53	254.35	56.61
इटली	125.09	25.85	141.69	30.83	204.42	45.50
जर्मनी	140.02	28.94	166.89	36.31	161.31	35.90
संयुक्त अरब अमीरात	138.95	28.71	289.69	63.03	146.29	32.56
स्पेन	75.42	15.59	154.39	33.59	146.12	32.52
हांगकांग	183.65	37.95	130.87	28.48	135.36	30.13
फ्रांस	99.54	20.57	92.66	20.16	102.24	22.76
सऊदी अरब	66.39	13.72	69.94	15.22	88.08	19.60
सिंगापुर	66.07	13.65	88.07	19.16	77.48	17.24
अन्य	495.21	102.34	718.27	156.28	595.38	132.51
कुल	2294.05	474.08	2779.19	604.70	2747.68	611.35

(डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता से अंतिम आंकड़े प्राप्त होने के बाद आंकड़े बदल सकते हैं।)

उपर्युक्त तालिका में डालर में रेशम के सामानों के निर्यात में सुधार दर्शाया गया है।

(ङ) घरेलू रेशम उद्योग की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम एवं योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :

- अधिक उत्पादक और दाब सहनशील प्रजातियों तथा शहतूत और गैर-शहतूत खाद्य पादपों और रेशम कीटों की संकर प्रजातियों के विकास द्वारा, रेशम उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने तथा रेशम में कम लागत वाली रीलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के

विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास तेज किए गए हैं।

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों, किसानों एवं रीलर्स को मूल प्रजाति एवं मूल बीज के रखरखाव, वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति और रोग मुक्त अधिक पैदावार और सूखा रोधक बीजों के उत्पादन के लिए खाद्यान्न सुविधाओं के संवर्धन द्वारा बीज सहायता एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।
- राज्यों को कृषि अध्यसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेशम उत्पादन के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि, रीलिंग सुविधाओं के उन्नयन, परिष्करण प्रक्रियाओं में सुधार, बीज आपूर्ति, कोया एवं रेशम परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एवं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित की गई निम्न लागत एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों को लाभर्थियों को केन्द्रीय सहायता, राज्यों की विस्तार मशीनरी एवं लाभार्थियों को प्रशिक्षण, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है।
- स्वदेशी रेशम उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत, लागू बैंक दर से 5 प्रतिशत बिन्दु कम पर ऋण अन्य बातों के साथ–साथ रेशम क्षेत्र के लिए उपलब्ध है।
- किसानों, अपरिष्कृत रेशम उत्पादकों और बुनकरों के मध्य आपूर्ति शृंखला संबंधी मुद्दों का, कांट्रेक्ट खेती मॉडल, कीमत संबद्ध ग्रेडिंग आदि का पक्ष लेकर समाधान किया जा रहा है।
- रेशम कीट बीज, कोये, यार्न और फैब्रिक के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियां स्थापित करना।
- उपर्युक्त कार्य नीति एव कार्यक्रमों की सहायता के लिए रेशम उत्पादन क्षेत्र के वास्ते 10वीं योजना में 450 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।
- निर्यातकों को विदेशों में मेलों एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता, बाजार अनुसंधान एवं सर्वेक्षण आदि के लिए सहायता के माध्यम से मूल्यवर्द्धित रेशम मदों का निर्यात प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

देश–वार निर्यात आय

देश	2002–03					2003–04					2004–05 (अन.)				
	रेशम का सामान		कालीन		कुल	रेशम का सामान		कालीन		कुल	रेशम का सामान		कालीन		कुल
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य	मात्रा (मी. टन)	मूल्य	मात्रा (मी. टन)	मूल्य	मात्रा (मी. टन)	मूल्य	मात्रा (मी. टन)	मूल्य	मात्रा (मी. टन)	मूल्य	मात्रा (मी. टन)	मूल्य	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
यू.एस.ए.	4190	686.30	0.601	28.20	714.50	3406	687.99	0.620	38.67	726.66	3940	797.22	0.632	39.43	836.65
यू.के.	1166	181.80	0.107	7.41	189.21	854	189.80	0.110	10.27	200.07	1091	243.85	0.113	10.50	254.35
इटली	744	123.25	0.023	1.84	125.09	552	139.39	0.038	2.30	141.69	789	202.07	0.039	2.35	204.42
जर्मन जन. गणराज्य	604	116.85	0.292	23.17	140.02	456	133.76	0.626	33.13	166.89	434	129.58	0.638	31.73	161.31
यू.ए.ई.	953	136.88	0.019	2.07	138.95	1482	287.09	0.027	2.60	289.69	746	143.65	0.027	2.64	146.29
स्पेन	389	75.09	0.004	0.33	75.42	803	153.58	0.009	0.81	154.39	760	145.29	0.009	0.83	146.12
हांगकांग	849	183.24	0.004	0.41	183.65	455	130.33	0.008	0.55	130.87	429	128.91	0.008	6.45	135.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
फ्रांस	596	93.46	0.091	6.08	99.54	421	86.33	0.085	6.33	92.66	491	101.68	0.086	0.56	102.24
सऊदी अरब	382	66.04	0.006	0.35	66.39	347	69.02	0.015	0.92	69.94	435	87.13	0.014	0.95	88.08
सिंगापुर	361	65.00	0.011	1.07	66.07	342	86.31	0.022	1.76	88.07	299	75.69	0.023	1.79	77.48
अन्य	3474	470.01	0.371	25.20	495.21	3408	695.38	0.443	22.89	618.27	2636	570.05	0.451	25.33	595.38
कुल	13706	2197.92	1.529	96.13	2294.05	12526	2658.96	2.001	120.22	2779.19	12050	2625.12	2.040	122.56	2747.68

अन.—अनंतिम आंकड़े जो डीजीसीआई एंड एस से अंतिम आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात परिवर्तनशील है।

विद्युत पारेषण लाइन

1932. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन श्रीनगर, करगिल, लेह और लद्दाख को जोड़ने के लिए एक विद्युत पारेषण लाइन बिछाने की किसी योजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक कार्यात्मक बनाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) एलिस्टांग (श्रीनगर) से बरास्ता द्रास, करगिल व खालसी, लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन और द्रास, करगिल, खालसी व लेह नगर के पास 4 उप केन्द्रों के निर्माण के लिए राज्य योजनांतर्गत 633.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक योजना तैयार की गई है। हालांकि, निवेश अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए, पारेषण लाइन की तुलना में निम्नो बाज्गो तथा चूटक जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

ऋण वसूली अधिकरण में वसूली अधिकारियों की कमी

1933. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में फंसी भारी धनराशि की वसूली वाले ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के 2000 से अधिक आदेश वसूली अधिकारियों की कमी के कारण पिछले कुछ महीनों से निष्पादन हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदेशों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों में कितने आदेश लंबित पड़े हैं और ऐसे मामलों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, ऋण वसूली अधिकरणों के आदेशों का कार्यान्वयन लंबित रहने के लिए कई अन्य कारकों को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिनमें ऋणकर्ताओं द्वारा प्रतिरोध एवं विलम्ब करने के लिए अपनाई गई चालें तथा तीसरे पक्ष (अर्थात् कांश्तकारों, कामगारों, शेयरधारकों, आदि) के हस्तक्षेप शामिल हैं। ऐसे ऋण वसूली अधिकरण भी हैं जहां वसूली अधिकारियों की कमी न होने के बावजूद आदेशों का कार्यान्वयन लंबित है। अतः केवल वसूली अधिकारियों की कमी के कारण जिन आदेशों का कार्यान्वयन लंबित है, उनकी ठीक-ठीक संख्या का पता लगाना मुश्किल है।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए वसूली अधिकारियों के चयन हेतु कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है और आशा है कि सितम्बर, 2006 तक नियुक्तियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति उत्पादन

1934. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के अन्य देशों की तुलना में देश में आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) 2003-04 के

दौरान देश में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 592 कि.वा.घं. थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कुछ चयनित देशों में प्रतिव्यक्ति बिजली खपत आंकड़ा, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के "प्रमुख विश्व ऊर्जा आंकड़े" दर्शाते हैं, वह निम्न है :

देश का नाम	2002 में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कि.वा.घं. में
आस्ट्रेलिया	10502
फ्रांस	7366
जर्मनी	6742
रूस	5350
यू.के	6158
यूएसए	13228
चीन	1208
ब्राजील	1843
पाकिस्तान	384
मलेशिया	2883

(ख) देश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत हैं :

- देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु 41110 मेगावाट की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
- नवीन स्थापित यूनिटों का शीघ्र स्थायीकरण तथा थर्मल यूनिटों के प्लांट लोड फैक्टर में समग्र रूप से वृद्धि।
- विद्युत की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग तथा अंतरक्षेत्रीय पारेषण हेतु राष्ट्रीय ग्रिड का सृजन।
- निधियों की कमी के कारण अच्छी परियोजना की स्थापना का कार्य न रुकने पाए इसे मद्देनजर रखते हुए पावर फाइनेंस कारपोरेशन एवं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने स्वयं को पूर्ण रूप से सुदृढ़ किया है।
- पुरानी एवं अदक्ष यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।
- 5 वर्षों के भीतर सभी घरों में बिजली उपलब्ध करवाने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को लागू किया गया है।

विवरण

विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत

(कि.वा.घं.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2003–04
1	2
हरियाणा	923.83
हिमाचल प्रदेश	794.32
जम्मू व कश्मीर	647.46
पंजाब	1277.11
राजस्थान	539.62
उत्तर प्रदेश	299.63
उत्तरांचल	825.10
चंडीगढ़	1499.58
दिल्ली	1542.04
गुजरात	1175.23
मध्य प्रदेश	474.78
छत्तीसगढ़	677.66
महाराष्ट्र	878.57
गोवा	2178.47
दमन व दीव	7037.98
दादरा व नगर हवेली	7496.78
आंध्र प्रदेश	718.84
कर्नाटक	642.26
केरल	386.20
तमिलनाडु	866.43
लक्षद्वीप	341.72
पांडिचेरी	1894.45
बिहार	75.44
झारखंड	564.26
उड़ीसा	695.42
पश्चिम बंगाल	410.19
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	420.29

1	2
सिक्किम	765.68
असम	160.08
मणिपुर	218.37
मेघालय	416.02
नागालैंड	155.91
त्रिपुरा	263.65
अरुणाचल प्रदेश	224.64
मिजोरम	300.76
कुल (अखिल भारत)	592.00

*यूएन पद्धति के अनुसार : प्रति व्यक्ति खपत = सकल उत्पादन

[अनुवाद]

शिक्षा उपकर

1935. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–05 के बजट में लगाए गए शिक्षा उपकर के 'प्रारंभिक शिक्षा कोष' और अन्य शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ख) विशेष प्रयोजनों के लिए धनराशि के उपयोग हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए और प्रत्येक संघटक के प्रति अभी तक किए गए धनराशि आवंटन और उसके उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के अन्त तक धनराशि प्राप्ति लक्ष्य क्या है और इस उपकर को लागू करने से क्या होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) संशोधित अनुमान 2004–05 के अनुसार, शिक्षा उपकर के तहत प्राप्तियां 5010 करोड़ रुपये हैं।

(ख) और (ग) उपकर से प्राप्तियों का उपयोग पूर्णतः बुनियादी शिक्षा के लिए किया जाएगा जिसमें सर्वशिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन शामिल है। इस उपकर से राज्यों को पृथक् से आवंटन नहीं किया जा रहा है लेकिन बुनियादी शिक्षा से संबंध अलग–अलग योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी योजनाओं के संबंध में तैयार किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार आवंटन जारी किया जाता है। वर्ष 2005–06 के बजट अनुमानों में, शिक्षा उपकर से 6975 करोड़ रुपये की प्राप्तियां सम्भावित हैं।

[हिन्दी]

कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत ऋण

1936. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री हितेन बर्मन :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार और योजनावार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को कुल कितना ऋण संवितरित किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) तथा स्केवेन्जर उद्धार एवं पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना (एनएसएल आरएस) के तहत वर्ष 2004–05 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों को जारी खातों की संख्या एवं संवितरित राशि के राज्य–वार एवं योजना–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पीएमआरवाई, एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई एवं एनएसएलआरएस के तहत वर्ष 2004–05 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी खातों की संख्या एवं संवितरित राशि के राज्य–वार एवं योजना–वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योजना का नाम							
	पीएमआरवाई		एसजीएसवाई		एसजेएसआरवाई		एनएसएलआरएस	
	खातों की संख्या	संवितरित राशि	हिताधिकारियों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	15495	9913.10	94097	9589.19	6714	1762.10	522	72.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	60	40.48	1745	232.95	5	1.30	–	–
असम	3499	2229.7	47188	4020.22	638	231.99	29	3.70
बिहार	8787	7146.29	130320	16624.51	1396	462.54	75	19.10
छत्तीसगढ़	2204	1300.92	15542	2146.17	1924	419.51	111	17.43
गोवा	45	30.94	733	80.83	29	7.11	6	0.92
गुजरात	6414	3050.25	29760	2832.72	3200	892.95	2106	153.22
हरियाणा	6648	3681.98	10674	1536.42	1437	519.10	130	28.34
हिमाचल प्रदेश	2767	2210.75	7773	1166.66	422	205.68	159	53.48
जम्मू और कश्मीर	581	532.68	4754	1294.47	982	437.39	–	–
झारखंड	4097	3137.88	34608	4768.45	305	98.92	–	–
कर्नाटक	8743	5220.25	31516	2831.74	2478	712.14	481	124.23
केरल	15029	7705.62	38474	3185.26	3690	904.89	–	–
मध्य प्रदेश	14197	8817.84	65838	4821.52	2995	1821.25	2036	490.88
महाराष्ट्र	18607	10270.5	41569	4449.4	4361	1346.48	773	167.38
मणिपुर	132	69.5	406	99.11	4	1.75	–	–
मेघालय	300	185.18	1650	410.84	219	73.98	6	1.05
मिजोरम	98	58	793	122.83	3	0.96	–	–
नागालैंड	97	96.1	2029	41504	428	175.14	–	–
उड़ीसा	3529	1888.98	52104	6969.18	2951	779.20	356	107.57
पंजाब	7163	4378.02	6786	1361.63	740	233.31	2	0.25
राजस्थान	9785	5171.78	28471	4502.52	4343	1011.65	961	255.41
सिक्किम	22	16.75	1298	138.89	39	13.35		
तमिलनाडु	13211	5342.85	156450	5128.56	2124	374.93	16	1.70
त्रिपुरा	1437	919.77	6750	756.00	367	110.51	–	–
उत्तरांचल	5860	3902.57	19709	1447.54	654	332.69	74	9.64
उत्तर प्रदेश	36297	24372.26	105323	9460.25	4681	1803.15	303	60.28
पश्चिम बंगाल	3328	2109.32	145577	5341.42	1210	237.26	48	3.17
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	115	88.74	278	7.38	4	1.09	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	191	117.58	14	4.61	45.	15.05	–	–
दादरा और नगर हवेली	22	15	14	2.05	–	–	–	–
दमन और दीव	4	3.27	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	649	452.19	153	4.2	156	41.48	15	3.88
लक्षद्वीप	3	1.82	27	1.7	–	–	–	–
पांडिचेरी	318	109.23	2326	59.03	254	38.13		
विनिर्दिष्ट नहीं	897	918.19	–	–	–	–	–	–
जोड़	190631	115506.28	1084749	95813.38	48798	15067.08	8209	1574.22

[अनुवाद]

सूचीबद्ध करने/सूची से हटाने संबंधी मानदंडों की समीक्षा

1937. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री सुरेश कुरुप :

क्या **कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लघु आकार की कंपनियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध करने और सूची से हटाने संबंधी मानदंडों की समीक्षा की है और इनमें संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली में कौन-कौन से बड़े परिवर्तन और संशोधन किए गए हैं और ऐसे संशोधनों के मुख्य लक्ष्य और कारण क्या हैं; और

(ग) इस दशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी।

स्वास्थ्य बीमा

1938. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष में प्रीमियम का भुगतान न होने के कारण 50 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां व्यपगत हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान में ऐसी गंभीर चूकों के विशेष कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां कराने के लिए प्रेरित करने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, नहीं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत कवरेज में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है और अन्य बीमा पॉलिसियों के मुकाबले इसके नवीकरण का अनुपात बेहतर है।

(घ) बीमा कंपनियां मौजूदा पॉलिसीधारकों को नवीकरण नोटिस भेजने के लिए सावधानी बरतती हैं और नवीकरण के लिए "नो क्लेम बोनस" के रूप में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है, प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय

1939. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
डा. के. धनराजू :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य सरकार से वित्तीय सहायता के अभाव में कम होता जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार

द्वारा इस प्रयोजनार्थ सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने भारतीय वैज्ञानिकों का रॉयल सोसायटी के फेलो के रूप में चयन किया गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। 10वीं योजना में वैज्ञानिक एजेंसियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिव्यय 9वीं योजना के 12022.17 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25243.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में प्रवर्तित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की वित्त–व्यवस्था हेतु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की राज्य–वार संख्या और उनकी तीन वर्षों की नवीनतम उपलब्ध स्वीकृत लागत से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 2003 और 2005 के दौरान रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में दो भारतीय वैज्ञानिकों का चयन किया गया था।

विवरण

बाहरी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए राज्य–वार सहायता

राज्य	2000–01		2001–02		2002–03	
	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	49.87	4	158.43	2	42.72
आंध्र प्रदेश	134	1722.36	167	4892.64	175	2793.81
अरुणाचल प्रदेश	9	159.71	7	98.67	13	101.99
असम	42	549.89	38	573.72	62	773.66
बिहार	15	139.48	10	87.56	9	237.73
चंडीगढ़	64	828.57	75	1808.50	70	930.19
छत्तीसगढ़*	1	15.96	8	79.33	8	84.72
दिल्ली	223	4227.12	290	6763.73	251	3982.89
गोवा	9	96.56	4	47.00	9	138.77
गुजरात	50	561.21	63	667.47	73	898.39
हरियाणा	32	211.89	36	431.08	44	436.02
हिमाचल प्रदेश	18	185.39	34	617.99	19	426.60
जम्मू और कश्मीर	13	229.14	24	293.66	16	246.86
झारखंड*	35	475.83	38	932.71	33	1632.97
कर्नाटक	176	3257.03	222	3921.25	278	7573.53
केरल	73	1067.50	84	1697.28	101	1685.79

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	51	689.44	41	905.84	44	412.98
महाराष्ट्र	203	3420.00	236	4367.55	266	5785.16
मणिपुर	8	141.94	4	71.15	6	69.17
मेघालय	7	79.09	6	78.01	9	199.01
मिजोरम	2	32.63	4	42.65	2	27.03
नागालैंड	2	18.39	4	60.98	3	45.15
उड़ीसा	34	312.87	39	382.56	38	392.75
पांडिचेरी	9	121.86	12	119.01	21	178.80
पंजाब	46	403.98	26	326.87	58	720.47
राजस्थान	35	512.60	47	700.41	53	503.77
सिक्किम	1	32.20	3	44.42	2	25.66
तमिलनाडु	209	3207.73	225	5373.67	298	3359.15
त्रिपुरा			3	27.28	4	49.91
उत्तर प्रदेश	226	2745.10	242	3273.47	294	3836.16
उत्तरांचल*	45	297.37	73	1179.69	118	1950.88
पश्चिम बंगाल	234	2878.29	235	4471.61	339	5146.31
कुल	2009	28671.00	2304	44495.99	2718	44869.00

[हिन्दी]

अमरीका से जैव-प्रौद्योगिकी के लिए सहायता

1940. श्री राजनरायण बुधौलिया :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "जैव–प्रौद्योगिकी" के क्षेत्र में अमरीका से सहयोग प्राप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई वार्ता हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त वार्ता के पश्चात् क्या निर्णय लिए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। गर्भनिरोधक एवं प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान (सीआरएचआर), टीकाकरण योजना (वीएपी), कृषि जैव–प्रौद्योगिकी, मस्तिष्क अनुसंधान और दृष्टि अनुसंधान के क्षेत्र में शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्रों में यूएसए के साथ चल रहे सहयोग के अतिरिक्त भारत सरकार तथा यूएसए सरकार जैव–प्रौद्योगिकी में और अधिक सहयोग चाहती है।

(ख) से (घ) यूएस के वाणिज्य विभाग ने उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग दल (एचटीसीजी) के अधीन "वर्धित भारत–यूएस जैवप्रौद्योगिकी सहयोग" के लिए एक प्रस्ताव प्रेषित किया है। यह प्रस्ताव 15 जून, 2005 को वाशिंगटन में आयोजित एचटीसीजी की बैठक का परिणाम

है। माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) तथा सचिव, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इस बैठक में भाग लिया। उपर्युक्त प्रस्ताव में सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए जिन क्षेत्रों का चयन किया गया है उनमें भारत में पेटेंट को सुदृढ़ बनाने; भारत में अनुसंधान के व्यापारीकरण को प्रोत्साहन देना; जैविक तथा रासायनिक मदों से संबंधित आयात नियंत्रण पर विचार–विमर्श करना; पराजीनी कृषि में भारत–यूएस सहयोग को विस्तार देना; और नैदानिक अनुसंधान में भारत–यूएस सहयोग को सुगम बनाना शामिल हैं।

स्टेम कोशिका अनुसंधान, जीनोमिक्स एवं प्रोटियोमिक्स के क्षेत्रों में सहयोग के लिए वार्ता जारी है। इन क्षेत्रों के लिए बातचीत पहले ही शुरू की जा चुकी है। स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग को शामिल करते हुए जीनोमिक्स में अनुसंधान एवं विकास संबंधी एक भारत–यूएस कार्यशाला सितम्बर, 2003 में बंगलोर में आयोजित की गई थी।

(ङ) भारत सरकार को जुलाई, 2005 में प्रेषित किया गया "वर्धित भारत–यूएस जैवप्रौद्योगिकी सहयोग" का प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, दृष्टि अनुसंधान के विस्तार पर भारत–यूएस सहयोग संबंधी प्रस्तावित आशय–विवरण को दोनों सरकारों द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है।

[अनुवाद]

जीवित विस्फोटक बम बरामद किया जाना

1941. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़मुक्तेश्वर में गंगा में से 200 से अधिक खतरनाक जीवित विस्फोटक बम बरामद किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खतरनाक युद्ध सामग्री के आयात को अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार की क्या नीति है;

(घ) क्या कबाड़ सामग्री के आयातक सोना और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की तस्करी में लिप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने कंटेनरों के माध्यम से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए कौन–कौन से उपचारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) किसी सीमा शुल्क कार्यालय के द्वारा ऐसी कोई वसूली नहीं की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर शून्य।

(ग) कबाड़ के आयात में जीवित गोले/युद्ध की सामग्री के आयात की घटना रोकने के लिए सरकार ने आयात नीति की समीक्षा की है और दिनांक 18.10.04 को परिपत्र सं. 56/2004–सीमा शुल्क जारी किया है जिसमें आयतित कबाड़ की निकासी की प्रक्रिया विहित की गई है।

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों के ध्यान में ऐसा कोई मामला/आसूचना नहीं आई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर शून्य।

(च) कन्टेनरों के माध्यम से कबाड़ में गोले/युद्ध सामग्री सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने और रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय सावधान एवं सतर्क हैं।

विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया जाना

1942. श्री निखिल कुमार : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को केन्द्रीय विद्युत वितरण एजेंसियों से आवंटित होने वाली विद्युत का उचित भाग नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में कुछ केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्यों को केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से उनके आवंटन के अनुसार विद्युत का उचित हिस्सा मिल रहा है।

(ग) और (घ) इस समय लगभग 21,000 मेगावाट कुल क्षमता की परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन हैं, इनका लाभ 10वीं व 11वीं योजना में प्राप्त होगा। निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रत्येक योजना आरंभिक तथा निष्पादनाधीन के लिए एक नोडल अधिकारी है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की कमी

1943. श्री देविदास पिंगले : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्रों और जनजाति बहुल क्षेत्रों में शौचालयों की अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र सहित कतिपय राज्यों ने लाभार्थियों को शत-प्रतिशत अनुदान देने हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। 2001 की जनगणना के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज केवल लगभग 22 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की कमी का मुख्य कारण जागरूकता की कमी, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की महसूस की जाने वाली जरूरतों की कमी है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) नामक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को गति प्रदान करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है। कार्यक्रम में केवल बीपीएल लाभार्थियों के लिए पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है जिसमें 625 रुपये तक मूल रूप से कम लागत वाले शौचालयों के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी की हिस्सेदारी 60 : 20 : 20 के अनुपात के आधार पर होगी। 625 रुपये से 1000 रुपये तक की भूल रूप से कम लागत वाले शौचालयों के लिए हिस्सेदारी 30 : 30 : 40 के आधार पर होगी। महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य सरकारों से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं की मंजूरी के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की तत्परता से जांच की जाती है और इन्हें मंजूरी दी जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत टीएससी परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। महाराष्ट्र के सभी जिलों के लिए टीएससी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं की मंजूरी

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06*	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	4	0	0	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	0	3	1	5	9
4.	बिहार	6	0	0	5	11
5.	छत्तीसगढ़	3	2	1	3	9
6.	दादरा व नगर हवेली	1	0	0	0	1
7.	गोवा	0	1	0	0	1
8.	गुजरात	2	0	20	0	22
9.	हरियाणा	3	12	0	0	15
10.	हिमाचल प्रदेश	5	0	0	4	9
11.	जम्मू और कश्मीर	2	10	0	0	12
12.	झारखंड	2	0	16	0	18
13.	कर्नाटक	0	0	15	9	24

1	2	3	4	5	6	7
14.	केरल	7	0	0	0	7
15.	मध्य प्रदेश	9	30	0	0	39
16.	महाराष्ट्र	11	13	0	0	24
17.	मणिपुर	3	0	0	0	3
18.	मेघालय	0	2	0	0	2
19.	मिजोरम	1	1	0	3	5
20.	नागालैंड	1	0	0	0	1
21.	उड़ीसा	10	0	15	0	25
22.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	2	9	0	2	13
24.	राजस्थान	5	0	11	11	27
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	11	6	1	0	18
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	13	29	0	0	42
29.	उत्तरांचल	5	7	0	0	12
30.	पश्चिम बंगाल	5	3	0	0	8
	कुल	115	132	80	42	369

*आज तक

[अनुवाद]

बैंक लाभांश का परिसीमन

1944. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लाभांश भुगतान के अनुपात संबंधी परिसीमन में 40 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऐसे वृद्धि के दुरुपयोग को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए कोई तन्त्र विकसित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों के लिए लाभांश भुगतान बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के लिए 4 मई, 2005 को दिशानिर्देश जारी किए हैं जो न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं अर्थात् जोखिम पूंजी आस्ति अनुपात (सीआरएआर), निवल अनुपयोज्य आस्तियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 एवं 17 के उपबंध आदि का पालन करते हैं। ये दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्टिंग प्रणाली निर्धारित की है जिसके द्वारा लाभांश घोषित करने वाले सभी बैंकों

को लेखा वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का ब्यौरा ऐसी घोषणा के एक पखवाड़े के भीतर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट करना अपेक्षित होगा।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भण्डार

1945. श्री अजीत जोगी :
श्री जोवाकिम बखला :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार में इस कमी के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या रही; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी मुद्रा भंडार (जिनमें विदेशी मुद्रा आस्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति शामिल हैं) जो मार्च–अन्त 2005 में 141.5 बिलियन अमरीकी डालर था, 22 जुलाई, 2005 को कम होकर 137.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

(ग) विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार में गिरावट का कारण अन्य बातों के साथ–साथ अमरीकी डालर की तुलना में गैर–अमरीकी मुद्राओं (जैसे यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग तथा येन) के मूल्यह्रास के प्रभाव का होना भी है।

(घ) मार्च–अन्त 2002, मार्च–अन्त 2003 तथा मार्च–अन्त 2004 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार क्रमशः 54.1 बिलियन अमरीकी डालर, 76.1 बिलियन अमरीकी डालर तथा 113.0 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ङ) 1991 के पश्चात्, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आरक्षित भंडार के संदर्भ में इस समय भारत सर्वोपरि उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाल के वर्षों में भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार के प्रबंधन दृष्टिकोण से भुगतान संतुलन तथा विभिन्न प्रकार प्रवाहों और अन्य अपेक्षाओं से जुड़े 'नकदी जोखिम' के बदलते हुए स्वरूप का पता चलता है। इस प्रकार, आरक्षण प्रबंधन से संबंधित नीति अभिज्ञेय कारकों तथा आकस्मिकताओं के आधार पर विवेकपूर्ण रूप से तैयार की गई है। इन कारकों को देखते हुए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति काफी अच्छी है तथा विकास दर, अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्र का हिस्सा तथा जोखिम समायोजित पूंजी प्रवाहों की मात्रा के अनुरूप है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों संबंधी
विश्व बैंक के दिशानिर्देश

1946. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि के दुरुपयोग के बारे में कोई टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक के इस संबंध में क्या दिशानिर्देश हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निधियों के दुरुपयोग के संबंध में विश्व बैंक की टिप्पणियों की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विशेष आर्थिक जोन में कार्यरत कंपनियों को
मूल्यवर्धित कर (वैट) में छूट

1947. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक जोन में कार्यरत कंपनियों को वैट में छूट प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत छूट दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेष आर्थिक जोन में कौन–कौन सी कंपनियों को शामिल किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) वैट, किसी राज्य के भीतर वस्तुओं की बिक्री या खरीद

पर लगाया जाने वाला कर होने के कारण भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत राज्य का विषय है। वैट के स्वरूप को राज्यों द्वारा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति में विचार विमर्श करके सामूहिक रूप से अन्तिम रूप दिया गया है जिसके अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों को या तो निविष्टि कर के भुगतान से छूट दी जाएगी या भुगतान किए गए निविष्टि कर की 3 माह के भीतर वापसी की जाएगी। यह लाभ विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित सभी इकाइयों को दिया जाना है।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
(आई.एफ.सी.आई.)

1948. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लिए नया अग्रिम राशि लेना निषिद्ध कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आईएफसीआई को वित्तीय सहायता के पैकेज में एक लाख रुपये से नीचे की श्रेणी के निवेशकों को भुगतान करना एडीबी से प्राप्त ऋण तथा केएफडब्ल्यू (शीर्ष जर्मन डेवेलपमेंट बैंक) से प्राप्त ऋण शृंखला की किस्तों और ब्याज का भुगतान तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित आईएफसीआई एसएलआर बांडों पर विभेदी ब्याज दर का भुगतान शामिल है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं एसएलआर बांडों को पुनर्निर्धारित करने तथा गैर-एसएलआर देयताओं की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के लिए एक साथ सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

बैंको में लोकपाल (ओम्बड्समैन)

1949. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए लोकपाल (ओम्बड्समैन) की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार लोकपाल (ओम्बड्समैन) को ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितने मामलों का निपटान कर दिया गया है;

(ग) दोषी बैंक अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) की-गई-कार्यवाही का क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के ग्राहकों की शिकायतें दूर करने के लिए सम्पूर्ण भारत में 15 केन्द्रों पर बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित कर दिए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालयों द्वारा प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों की संख्या के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

ब्यौरे	2002-03	2003-04	2004-05
कार्रवाई की गई शिकायतें (पिछले वर्ष की लंबित शिकायतों सहित)	6506	9483	12034
निपटाई गई (अस्वीकृत शिकायतों सहित)	5269	8009	10403

(ग) और (घ) बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना है। इस योजना में दोषी बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, यदि ग्राहकों की शिकायतों के कारण आवश्यक हो तो बैंक अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

ग्रामीण विकास हेतु गांवों के लिए सीधे धनराशि जारी किया जाना

1950. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास योजनाओं के

अन्तर्गत जिलों को सीधे धनराशि जारी करने और जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण केन्द्रीय निधियां सीधे जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज की जाती हैं। परन्तु स्वजलधारा और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निधियां जिला परिषदों/जिला जल और स्वच्छता मिशन/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज की जाती हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निधियां राज्य स्तरीय स्वायत्त एजेंसियों, जिनका गठन राज्य द्वारा केन्द्र से निधियां प्राप्त करने के लिए किया गया हो, को रिलीज की जाती हैं और ये एजेंसियां जिले की कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों को निधियां उपलब्ध कराती हैं।

मतदाता पहचान-पत्र

1951. श्री सीताराम सिंह :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान-पत्र जारी करने के कार्य में कोई प्रगति की गई है;

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितने प्रतिशत मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) इसमें कुल कितनी लागत आई है;

(घ) सभी मतदाताओं को कब तक ऐसे पहचान-पत्र जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) ऐसे पहचान-पत्रों को तैयार करने में पाई गई विसंगतियों को दूर करने और मतदाता सूची में पहचान-पत्रों को दर्शाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित पात्र निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने में काफी प्रगति हुई है। इस समय कुल निर्वाचकों में से लगभग 69.50 प्रतिशत निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। 2004/2005 नामावली में ऐसे निर्वाचकों की, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र तैयार करने पर होने वाले व्यय को 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच अंशभाजित किया जाता है। 542,80,74,000 रुपये की एक राशि राज्य सरकारों को, निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने पर होने वाले व्यय में से भारत सरकार के अंश के रूप में जारी की गई है।

(घ) निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण, नामनिर्देशन फाइल करने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बीच तक की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम अनिवार्य रूप से एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक नए निर्वाचक को भी इस स्कीम के अन्तर्गत लाना होता है। आयोग ने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को दो चरणों में समाप्त करने के लिए उपाय उपदर्शित किए हैं। इसने प्रथम चरण में 85 प्रतिशत निर्वाचकों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाने की अवसीमा तय की है, जिसके दौरान विद्यमान नामावली में सम्मिलित निर्वाचकों को गहन रूप में इस स्कीम के अन्तर्गत लाने के लिए क्षेत्रीय अभियान चलाए जाते हैं। अभियान को एक लक्ष्य नियत करके चलाया जाता है। दूसरे चरण में, ये राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जिन्होंने 85 प्रतिशत अवसीमा के उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, शेष बचे निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिए अनुरक्षण पद्धति को आरंभ करते हैं। इस पद्धति में, जिला/उपमंडलीय मुख्यालयों में स्थाई अभिहित फोटोग्राफी अवस्थान केन्द्र उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे निर्वाचकों से, जो किसी कारणवश या तो छूट गए हैं या जिन्हें बाद में नामावली में सम्मिलित किया जाता है, अपने पत्रों को तैयार कराने के लिए इन अभिहित फोटोग्राफी अवस्थान पर जाने की अपेक्षा की जाती है। आयोग का यह प्रयास है कि निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित सभी निर्वाचकों को यथासंभव शीघ्र निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध कराए जाएं।

(ङ) निर्वाचन आयोग ने यह सूचना दी है कि निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों की स्कीम को वर्ष 1993 में, निर्वाचक नामावलियों से स्वतंत्र रूप में आरम्भ किया गया था। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के ब्यौरों को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं

किया जाता था। वर्ष 1997 में निर्वाचक नामावली कार्यक्रम के कम्प्यूटरीकरण ने ऐसी आधारिक परिस्थितियों का सृजन किया जिनके माध्यम से निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र स्कीम और निर्वाचक नामावलिगों का आमेलन संभव हुआ। तद्नुसार आयोग ने मई, 2000 में निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र कार्यक्रम के लिए पुनरीक्षित मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी किए, जिनमें ऐसे तकनीकी विनिर्देशों और कार्यान्वयन नीति के ब्यौरे दिए गए थे, जिनमें इसके निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम के साथ पूर्ण आमेलन की परिकल्पना थी। तत्पश्चात्, जम्मू–कश्मीर तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2002 और 2003 में निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण आरम्भ किया गया है जिससे कि उन्हें अद्यतन बनाया जा सके और साथ ही निर्वाचक आंकड़ों को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र के साथ सुसंगत बनाने के लिए निर्वाचक नामावली में निर्वाचक फोटो पहचान–पत्रों की संख्या को भी सम्मिलित किया जा सके। परिगणक प्रत्येक घर में गए और उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों के नामों और साथ ही ऐसे व्यक्तियों की, जिनके पास पहले से ही निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र हैं, संख्या के संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के छह पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू–कश्मीर राज्य में 1.1.2005 की अर्हक तारीख के साथ निर्वाचक नामावलियों के चालू गहन पुनरीक्षण के दौरान भी यही नीति अपनाई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी, 1.1.2006 की अर्हक तारीख के साथ आरम्भ किए जाने वाले आगामी गहन पुनरीक्षण के दौरान ऊपर उल्लिखित नीति को अपनाया जाएगा।

विवरण

निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र की प्रगति की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1.1.2004 की निर्वाचक नामावली के संबंध में कुल निर्वाचक *1.1.2005 की निर्वाचक नामावली के संबंध में कुल निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिरहित पहचान–पत्र जारी किए गए	जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान–पत्रों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	*52,215,678	39,395,792	75.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	624,086	304,822	48.84
3.	असम	14,995,084	67,479	0.45
4.	बिहार	*52,651,751	29,964,656	56.91
5.	छत्तीसगढ़	13,691,885	9,620,499	70.26
6.	गोवा	*952,723	773,942	81.23
7.	गुजरात	*33,847,275	24,807,957	73.29
8.	हरियाणा	*12,642,552	11,187,854	88.49
9.	हिमाचल प्रदेश	*4,159,962	3,053,116	73.39
10.	जम्मू और कश्मीर	6,345,696	3,198,936	50.41
11.	झारखंड	*17,736,462	10,690,664	60.28
12.	कर्नाटक	*39,947,927	30,766,798	77.02
13.	केरल	*20,824,302	20,817,124	99.97
14.	मध्य प्रदेश	38,386,651	27,254,099	71.00
15.	महाराष्ट्र	62,667,450	44,455,999	70.94
16.	मणिपुर	*1,667,729	786,907	47.18
17.	मेघालय	*1,335,812	1,033,575	77.37
18.	मिजोरम	*559,132	405,785	72.57
19.	नागालैंड	1,040,347	723,749	69.57
20.	उड़ीसा	*26,231,561	20,701,672	78.92
21.	पंजाब	*16,659,243	12,025,689	72.19
22.	राजस्थान	*34,751,347	26,900,347	77.41
23.	सिक्किम	*288,674	220,297	76.31
24.	तमिलनाडु	47,204,675	34,474,455	73.03
25.	त्रिपुरा	*2,130,299	1,610,496	75.60
26.	उत्तर प्रदेश	110,284,179	63,895,986	57.94
27.	उत्तरांचल	*5,640,034	6,938,864	69.84
28.	पश्चिम बंगाल	*48,085,522	40,962,587	84.98
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*250,191	210,714	84.22

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	*563,610	288,389	51.17
31.	दादरा और नगर हवेली	*126,256	83,615	66.23
32.	दमन और दीव	*80,961	59,847	73.92
33.	लक्षद्वीप	*39,892	35,564	89.15
34.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	8,748,816	5,699,482	65.15
35.	पांडिचेरी	636,022	636,022	100.00
	योग	678,013,786	470,953,779	69.46

टिप्पण : 1.1.2005 की अर्हक तारीख के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू–कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु राज्यों, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जानी है। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में 1.1.2005 के साथ कोई पुनरीक्षण नहीं किया जा रहा है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त सारणी के स्तंभ 2 में पूर्वोक्त/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अंतर्विष्ट निर्वाचकों के आंकड़े 1.1.2004 की अर्हक तारीख के साथ हैं।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों की कीमत

1952. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाए जा रहे मकानों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सरकार द्वारा की गई बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के बावजूद संबंधित राज्यों से उनके हिस्से में कमी करने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाए जा रहे मकानों की वर्तमान कीमतों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) मंत्रालय में अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) दिल्ली तथा चंडीगढ़ के अलावा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) कार्यान्वित की जा रही है। नए आवासों के निर्माण के लिए सहायता की मौजूदा अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 25000 रुपये तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 27500 रुपये है जिसे 1.4.2004 से लागू किया गया है। कच्चे मकानों को अर्ध/पक्के मकानों (उन्नयन) में बदलने के संबंध में उच्चतम सीमा प्रति इकाई 12500 रुपये है, इसे भी 1 अप्रैल, 2004 से लागू किया गया है।

[अनुवाद]

पी.एन.बी. और देना बैंक को सहायता

1953. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक और देना बैंक ने अपनी वित्तीय समस्याओं से उभरने के लिए सराकार से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) इनकी रुग्णता के क्या कारण है;

(घ) क्या गैर–निष्पादनकारी आस्तियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मुख्य कमजोरियां हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कौन–कौन से सुधारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक ने सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है क्योंकि इसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है। देना बैंक ने जिसमें बासेल–II अपेक्षा को पूरा करने तथा विकास के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मांगते हुए एक प्रस्ताव दिया है जो विचाराधीन है।

(ग) उच्च अनुपयोज्य आस्तियां और कम वसूली देना बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के मुख्य कारक हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों की वसूली के लिए कतिपय उपाय निर्धारित किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, बैंक द्वारा वसूली नीति तैयार करना और क्रियान्वित करना, सिविल न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमे दायर करना, एसएआरएफईएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत नोटिसें जारी करना, समझौता निपटान तथा निगरानी एवं विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल 20705 करोड़ रुपये की अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली की गई है।

तटवर्ती क्षेत्रों पर चेतावनी प्रणाली

1954. श्री तथागत सत्पथी : क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सहित तटवर्ती राज्यों के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रणाली पूर्णतः स्वदेशी होगी अथवा सरकार विदेशों से तकनीकी सहायता प्राप्त करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(च) इस प्रणाली को आरंभ करने की निश्चित समय–सीमा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। समूची भारतीय तटरेखा पर सुनामी तथा तूफान महोर्मि संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, इसके निम्नलिखित संघटक हैं :

- सुनामी पैदा करने वाले भूकंप आने के लगभग वास्तविक समय का पता लगाने के लिए मौजूदा भूकंप वैज्ञानिक नेटवर्क को सुदृढ़ करना।
- हिन्द महासागर में वास्तविक समय संयोजन के साथ समुद्र तल के निकट उपयुक्त स्थानों पर सुनामी चेतावनी सेंसर स्थापित करना।
- ज्वारमापी और डाटा ब्वॉय नेटवर्किंग।
- समूचे तट के लिए आप्लावन दृश्यलेखों की मॉडलिंग।
- सूचना एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और सुनामी तथा तूफान महोर्मि परामर्शी सूचनाएं तैयार करने के लिए केन्द्र की स्थापना।

(ग) इस प्रणाली की विकास देश में ही किया जाएगा।

(घ) यद्यपि इस प्रणाली का विकास देश में ही किया जा रहा है, फिर भी हम अधिक प्रभावी समन्वय और चेतावनी प्रणाली के लिए डाटा का आदान–प्रदान करने के लिए हिन्द महासागर स्थित अन्य देशों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।

(ङ) इस प्रणाली पर अनुमानतः 125 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

(च) इस चेतावनी प्रणाली के सितम्बर 2007 तक चालू होने की सम्भावना है।

निर्यात शुल्क की वापसी संबंधी योजना

1955. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान निर्यात शुल्क की वापसी संबंधी योजना के विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल्यवार देश का निर्यात प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या वर्ष 2003–04 के दौरान रुपये के संदर्भ में भारत का वाणिज्य निर्यात लगभग 2,91,580 करोड़ रुपये है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने अब निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न इनपुट्स की एक व्यापक सूची तैयार की है; और

(च) विद्यमान शुल्क वापसी संबंधी योजना के विस्तार के प्रस्ताव संबंधी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (च) प्रतिअदायगी अनुसूची, 2005–06, जो दिनांक 5 मई, 2005 से प्रवृत्त हुई थी, में लगभग 2620 प्रविष्टियां सम्मिलित हैं, जिसमें चार अंक स्तर पर 685 प्रविष्टियां और छह अंक/आठ अंक/संशोधित छह/आठ अंक स्तर पर 1935 प्रविष्टियां समाविष्ट हैं। हालांकि, इन प्रविष्टियों का योग केवल 2620 है, लेकिन इन प्रविष्टियों द्वारा समाविष्ट विनिर्मित उत्पादों की संख्या इससे कई गुणा अधिक होगी। उत्पाद सन्निवेशन के अनुसार, नई अनुसूची का

दायरा प्रतिअदायगी अनुसची, 2004–05 की तुलना में काफी व्यापक है, जिसमें केवल 1050 प्रविष्टियां शामिल थीं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित प्रतिअदायगी की दरें अन्य बातों के साथ–साथ महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा प्रकाशित मानक निविष्टि/उत्पादन मानदंडों (एसआईओएन) सहित कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर निर्धारित की गई हैं।

वर्ष 2003–04 में भारत का वाणिज्य निर्यात 2,93,367 करोड़ रुपये (लगभग) था।

सरकार की पेंशन संबंधी देयताएं

1956. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकोनामी एस्टीमेट्स द्वारा इण्डियन रिटायरमेंट अनिंग्स एंड सेविंग्स के संबंध में हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सरकार की वर्तमान पेंशन संबंधी देयताएं लगभग 1.7 ट्रिलियन हैं;

(ख) यदि हां, तो पेंशन देयता की तुलना में जीडीपी का अनुपात कितना है और जीडीपी देयता कितनी है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पेंशन देयता में कमी लाकर उसे उपयुक्त स्तर तक लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक के साथ निष्पादित तकनीकी सहायता समझौते के अन्तर्गत, भारतीय श्रमबल की आय, व्यय तथा बचत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया डाटाबेस सार्वजनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है तथा जिसे www.finmic.nic.in. में प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा समझा जाता है कि इन्वेस्ट इंडिया इकोनोमिक फाउंडेशन (आईआईईएफ) तथा सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनोमी (सीएमआईई) के परामर्शदाताओं ने इन आंकड़ों का विश्लेषण किया है तथा अनुमान है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की वजह से अन्तर्निहित पेंशन ऋण (आईपीडी) अथवा चालू पेंशन देयताएं लगभग 17,35,527 करोड़ रुपये है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 55.88 प्रतिशत है।

(ग) सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों (प्रथम चरण में सशस्त्र बल को छोड़कर) के लिए एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित यानी नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की है। यह नई योजना परिभाषित अंशदान पर आधारित है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में सरकार की ओर से वेतन तथा महगाई भत्ते के 10 प्रतिशत समतुल्य अंशदान किया जाएगा। नई पेंशन प्रणाली एक निधि पोषित पेंशन प्रणाली है जो सरकारी कर्मचारियों के मामले में सरकार की अग्रिम देयता को परिभाषित करती है।

एच.आई.वी. टीका

1957. श्री बापू हरी चौरे : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एचआईवी/एड्स टीकों पर और परीक्षण किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना में कितने वैज्ञानिक शामिल हैं और शामिल अनुसंधान संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय जय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के तहत एचआईवी–1 सबटाइप "सी" के लिए एक डीएनए एवं एमवीए (रूपांतरित वैक्सिनिया अंकारा) आधारित प्रोटोटाइप कैंडिडेट वैक्सीन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली में विकसित किया गया है। इस प्रोटोटाइप वैक्सीन में बचाव क्षमता है क्योंकि यह पशु प्रयोगों में शक्तिशाली एवं विस्तृत आधारित और क्रोस क्लाडे विशेष प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। पूर्व चिकित्सीय टॉक्सीकोलोजीकल अध्ययनों के लिए यह प्रोटोटाइप वैक्सीन अब पूरी तरह से तैयार है। यदि विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो इस वैक्सीन को मानव परीक्षण के चरण–1 के लिए तैयार किया जा सकता है। मानव चिकित्सीय परीक्षणों के लिए वैसीनोजीन केजीएमपी ग्रेड उत्पादन के लिए भारतीय जैवविज्ञान फर्म के साथ वार्ताएं प्रगति पर हैं।

एक अन्य प्रयास में, एडेनो संबंधित वायरस (एएवी) आधारित एचआईवी/एड्स टीके (टीजीएएसीओ9) का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एनएआरआई), पुणे में 7 फरवरी, 2005 को परीक्षण शुरू कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कॉलरा और एंट्रिक डिजिज (एनआईसीईडी) कोलकाता और राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एनएआरआई), पुणे में एक अन्य एचआईवी/एड्स टीका कैंडिडेट एमवीए आधारित का विकास भी उन्नत चरणों पर है। इस टीके का मानवीय चिकित्सीय

परीक्षण शीघ्र ही चेन्नई में आवश्यक वैज्ञानिक, नीति एवं विनियामक कार्यों के उपरांत किया जाएगा।

(ग) एआईआईएमएस, नई दिल्ली, एनएआरआई, पुणे, एनआईसीईडी, कोलकाता, टीबी अनुसंधान केन्द्र (टीआरसी), चेन्नई, भारतीय विज्ञान संस्था (आईआईएससी), जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान (जेएनसीएएसआर), बंगलोर एवं अन्तर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी), नई दिल्ली से नौ वैज्ञानिक अपने दलों के साथ टीका विकास और संबंधित क्षेत्र में सक्रिय दलों के रूप में शामिल हैं।

मरुस्थल भूमि के विस्तार को रोकना

1958. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मरुस्थल भूमि का दिन–प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा मरुस्थल भूमि के ऐसे विस्तार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके पश्चात् इसमें कितनी सफलता मिली है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (घ) मरुस्थलीकरण अत्यधिक भीषण जलवायु परिस्थितियों, अनुपयुक्त प्रबंधन पद्धतियों तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण होने वाली एक भूमि अवक्रमण प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाकर पहचान किए गए प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन आधार को वाटरशेड आधार पर पुनः उपयोग योग्य बनाकर मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम नामतः मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। राज्य–वार डीडीपी कवरेज को दिखाने वाला एक ब्यौरा विवरण में दिया गया है। वर्ष 1995–96 से लेकर 2004–05 तक की अवधि के दौरान लगभग 57.38 लाख हैक्टेयर प्रभावित क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्यक्रम वाले राज्यों को कुल मिलाकर 11476 डीडीपी परियोजनाएं (प्रत्येक परियोजना लगभग 500 हैक्टेयर की है) स्वीकृत की गई हैं। नमूने के तौर पर डीडीपी परियोजनाओं के किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से भूमि उत्पादकता, जल के स्तर में वृद्धि, बायो–मास में वृद्धि, फसल उत्पादन, निवल बुआई क्षेत्र, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने तथा पलायन में कमी आने आदि जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ने का पता चला है।

विवरण

राज्य–वार डी.डी.पी. कवरेज को दिखाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पहचान किया गया क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1.	आंध्र प्रदेश	19136
2.	गुजरात	55424
3.	हरियाणा	20542
4.	हिमाचल प्रदेश	35107
5.	जम्मू और कश्मीर	96701
6.	कर्नाटक	32295
7.	राजस्थान	198744
	योग	457949

[अनुवाद]

विद्युत की कमी

1959. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए भारत के पड़ोसी देश सहायता कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विद्युत आपूर्ति की निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.. एम. सईद) : (क) और (ख) भारत व नेपाल ने आपसी हित लाभ के लिए द्विपक्षीय विद्युत विनिमय हेतु सहयोग का समझौता कर रखा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत व नेपाल के बीच विद्युत विनिमय की मात्रा नीचे दी गई है :

	2002–03	2003–04	2004–05
भारत से नेपाल को निर्यात	150	112	145
नेपाल से भारत द्वारा आयात	186	158	97

भारत व भूटान ने विद्युत विनिमय हेतु सहयोग के लिए समझौता कर रखा है। भारतीय तकनीक तथा वित्तीय सहायता से कार्यान्वित चुखा एचईपी (4x84 मे.वा.) तथा कुरिचु एचईपी (4x15 मे.वा.) में उत्पादित विद्युत भारत को निर्यात की जाती है। पिछले

तीन वर्षों के दौरान भारत व भूटान के बीच विद्युत विनिमय की मात्रा नीचे दी गई है

	2002–03	2003–04	2004–05
नेपाल से भारत द्वारा आयात	1401	1752	1736
भारत द्वारा भूटान को निर्यात	1.54	2.18	2.35

(ग) विद्युत समवर्ती विषय होने के नाते राज्य में विद्युत आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की सीमा में आता है तथा केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार उत्पादन क्षमता बढ़ाने में पूरक भूमिका निभाती है।

देश में विद्युत का उत्पादन तथा उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में 10वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत 41,110 मे.वा. लक्षित क्षमता वृद्धि तीव्र, तीव्रगति से विद्युत सभावनाओं का दोहन उत्पादन क्षमता की इष्टतम उपयोगिता हेतु केन्द्रीय राष्ट्रीय ग्रिड का सृजन एवं विद्युत का अंतर–क्षेत्रीय पारेषण, राज्यों में उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उन्नयन, मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण उपाय, पुरानी तथा अक्षम उत्पादन इकाइयों के नयीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तारण के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराना, नई शुरू की गई इकाइयों की शीघ्र संस्थापन कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की अधिशेष विद्युत का दोहन करना आदि शामिल है।

पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता

1960. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में सभी पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए ग्रामीण जल गुणवत्ता अनुवीक्षण और निगरानी प्रणालियों को संस्था का रूप प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया तैयार की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) सभी पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ग्रामीण जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी कार्यक्रम की चार जिलों–इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) और सीहोर (मध्य प्रदेश) में प्रायोगिक जांच पहले ही की जा चुकी है। प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर देश में ग्रामीण जल गुणवत्ता और निगरानी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह समुदाय आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिला और राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में फिल्ड टेस्ट किट्स का उपयोग करते हुए पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की नेमी जांच में सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। जटिल समस्याएं जिला और राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं को भेजी जाएंगी। कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्टेट रेफरल इंस्टीट्यूट के तकनीकी मार्गदर्शन में उनके द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का निर्धारण नेशनल रेफरल इंस्टीट्यूट के रूप में किया गया है, जो कार्यक्रम के संचालन के संबंध में पेयजल आपूर्ति विभाग को तकनीकी परामर्श देगा।

पोस्को द्वारा एफडीआई का आवेदन

1961. श्री धर्मेन्द्र प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरियन कंपनी पोस्को ने उडीसा में अपने प्रस्तावित निवेश के संबंध में केन्द्र सरकार को एफडीआई हेतु कोई आवेदन सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को उड़ीसा में प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु कोरियन कंपनी पोस्को से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दिनांक 22.6.2005 को उड़ीसा सरकार और दक्षिणी कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी (पोस्को) के बीच लगभग 12 बिलियन अमरीकी डालर के प्रस्तावित निवेश से पारादीप में एक 12 मिलियन टन के इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भूकम्प आपदा

1962. श्री सर्बानन्द सोनोवाल : क्या विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से असम में अत्याधुनिक उपकरणों से पूरी तरह से लैस अग्रिम चेतावनी की व्यापक प्रणाली की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा असम में भूकम्प के पश्चात् आ सकने

वाली किसी सम्भावित आपदा का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा, जो कि आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई (रेस्पोंस) बल के विशेषज्ञ कार्रवाई दलों के प्रशिक्षण एवं सज्जीकरण से देश में भूकम्प सहित प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली आपदा की स्थिति से प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने के लिए तैयारी को सुदृढ़ करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इन विशेषज्ञ दलों को "मेडिकल फर्स्ट रेसपोंस" (प्रथम चिकित्सा उपचार) और "क्षतिग्रस्त इमारतों की खोज और बचाव" में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह बड़ी आपदाओं की स्थितियों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायक होंगे। राज्य सरकारों को विशेषज्ञ कार्रवाई दलों का गठन करने की भी सलाह दी गई है। असम के 12 जिलों सहित 17 बहु–आपदा प्रवण राज्यों के 169 जिलों में भारत सरकार–यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम भी पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत असम में 12 जिला आपदा प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं। जिला, खण्ड, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन दलों को प्राथमिक उपचार एवं खोज तथा बचाव में प्रशिक्षित किया जा रहा है, शिक्षकों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इंजीनियरों/वास्तुकारों, राजमिस्त्रियों को आपदा–रोधी प्रौद्योगिकियों/निर्माण कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 9 जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं और 685 ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और असम के 12 जिलों में राज्य स्तर पर आपातकालीन कार्रवाई केन्द्रों के निर्माण में सहायता की जा रही है।

यू-प्रोब योजना

1963. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल में मौसम संबंधी आंकड़ों के सृजन और संग्रहण और इसके उपयोग में छात्रों की भागीदारी हेतु 'यू–प्रोब' नामक परियोजना शुरू की गई है;

(ख) क्या उपर्युक्त 'यू–प्रोब' परियोजना में जिन विद्यालयों का चयन किया गया है उनमें से आधे से अधिक विद्यालयों में उपकरण मौजूद नहीं हैं और इसलिए इस योजना की सफलता संदेहास्पद है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। यू–प्रोब, उत्तरांचल राज्य में शिक्षा को लाभान्वित करने के लिए वास्तविक समय क्षेत्र प्रेक्षण में युवाओं की भागीदारी के लिए प्रथमाक्षरी नाम है। यू–प्रोब परियोजना उत्तरांचल राज्य के 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) जी, नहीं। इस स्कीम की सफलता में कोई संदेह नहीं है। मौसम विज्ञान संबंधी उपकरणों के संस्थापन का कार्य दो चरणों में पूरा किया जाना है। चरण–I में, मौसम विज्ञान प्रयोगशालाएं, 41 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/सरकारी इण्टर कालेजों में स्थापित की गई हैं। चरण–II में, शेष 55 मौसम विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण निर्माण/प्रापण का कार्य भारत मौसम विज्ञान विभाग में चल रहा है। सितम्बर, 2005 तक इन उपकरणों को गढ़वाल क्षेत्र के विद्यालयों के लिए सरकारी इण्टर कालेज, ऋषिकेश और कुमाऊं क्षेत्र के विद्यालयों के लिए सरकारी इण्टर कालेज हल्द्वानी को भेज दिया जाएगा।

(ग) मौसम विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और उपकरण संस्थापन के लिए निर्धारित "स्थल मानदण्ड" और स्थल की तैयारी आवश्यक होती है जिसे केवल चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है।

(घ) इस परियोजना की अवधि पांच वर्ष की है और संस्थापन चालू वित्त वर्ष में पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

डीवीसी द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1964. श्री विकास चौधरी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दामोदर वैली कारपोरेशन ने अनेक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को किन स्थानों पर स्थापित किया गया है और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु किन और स्थानों की पहचान की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) ने

210 मे.वा. (यूनिट–IV) क्षमता तापं विद्युत संयंत्र की एक (I) इकाई की मेजिया पोस्ट दुर्लावपुर जिला, बांकुरा पश्चिम बंगाल में स्थापना की है। यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 13.2.2005 से शुरू हुआ था।

(ग) डीवीसी द्वारा और विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए पता लगाए गए स्थानों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

10वीं योजना परियोजनाएं 2002–07

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.	कमीशनिंग की लक्ष्य तिथि (सीओडी)
01	मेजिया टीपीएस विस्तार यूनिट 5 व 6 (2x500 मे.वा.) जिला–बांकुरा राज्य–पश्चिम बंगाल	500	यू.सं. 6 : 12.1.2007 यू.सं. 8 : 12.3.2007
02	चन्द्रपुरा टीपीएस विस्तार यूनिट 7 व 8 (2x500 मे.वा.) स्थान पो.आ. चन्द्रपुरा जिला–बोकारो राज्य–झारखंड	500	यू.सं. 7 : 27.1.2007 यू.सं. 8 :27.3.2007
	योग	1000	

11वीं योजना परियोजनाएं 2007–12

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.	कमीशनिंग की लक्ष्य तिथि (सीओडी)
1	2	3	4
01	मैथान राइटबैंक थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) यूनिट 1 व 2 (2x500 मे.वा.) टाटा पावर कंपनी तथा डीवीसी को प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम कंपनी मैथान पावर लि. के माध्यम से कार्यान्वयनाधीन	1000	यू.सं. 1 : 42 माह यू.सं. 2 : 48 माह प्राधिकरण तिथि से (एलओए)
02	बोकारो स्टील टीपीएस यूनिट 1 व 2 (2x500 मे.वा.) डीवीसी व सेल की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बोकारो पावर सप्लाई कारपोरेशन लि. के माध्यम से प्रस्तावित कार्यान्वयन	600	यू.सं. 1 : 21 माह यू.सं. 2 : 33 माह एलओए तिथि से
03	दुर्गापुर, स्टील टीपीएस यूनिट 1 व 2 (2x500 मे.वा.) स्थान–पो. आ.–दुर्गापुर जिला–वर्धमान राज्य–पश्चिम बंगाल	1000	चरण–1 यू.सं. 1 : 42 माह व यू.सं. 2 : 48 माह एलओए तिथि से
04	कोडरमा टीपीएस चरण–1 यूनिट 1 व 2 (2x500 मे.वा.) स्थान–पी.एस. जयनगर जिला–कोडरमा राज्य–झारखंड	1000	चरण–1 यू.सं. 1 : 42 माह व यू.सं. 2 : 48 माह एलओए तिथि से

1	2	3	4
05	पांचेट हिल टीपीएस यूनिट 1 व 2 (2x500 मे.वा.) स्थान–नेतूरिया ब्लाक, पंचेट जिला–पुरुलिया राज्य–पश्चिम बंगाल	1000	यू.सं. 1 : 42 माह व यू.सं. 2 : 48 माह एलओए तिथि से
06	रामगढ़ टीपीएस संयंत्र–1 (2x500 मे.वा.) स्थान–गांव चतरामऊ (रामगढ़) जिला–हजारी बाग राज्य–झारखंड	1000	यू.सं. 1 : 42 माह व यू.सं. 2 : 48 माह एलओए तिथि से
	योग	5600	

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सोशल आडिट

1965. श्री लोनाप्पन नम्बाडन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा किया जाने वाला सोशल आडिट एक महत्वपूर्ण पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ग्राम सभा द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के संबंध में किए गए ऐसे आडिट और मूल्यांकन रिपोर्ट का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राम सभा द्वारा किए गए सोशल आडिट की संख्या बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ग्राम सभा द्वारा किए जाने वाले सोशल आडिट को एक नियमित अभ्यास बनाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) दिशा–निर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ग्राम सभाओं के माध्यम से की गई सामाजिक लेखा–परीक्षा का विवरण केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

(ग) और (घ) जी, हां। इस बात पर बल दिया गया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्यों की सामाजिक लेखा–परीक्षा किए जाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिक पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुमोदित प्रत्येक कार्य के लिए एक ग्राम मानीटरिंग समिति का गठन करना अनिवार्य किया गया है ताकि जब काम चल रहा हो तो उसकी प्रगति और गुणवत्ता की मानीटरिंग की जा सके। समिति की अंतिम रिपोर्ट को, कार्य समापन के प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा और उस पंचायत की ग्राम सभा की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जहां उस कार्य को किया गया है।

भुगतान असंतुलन

1966. श्री जोवाकिम बखला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार देश का भुगतान संतुलन कितना है;

(ख) क्या यहां पर भुगतान असंतुलन की स्थिति है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भुगतान संतुलन अनुमानों के मार्च–अंत 2005 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। इन अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2004–05 के दौरान भुगतान संतुलन के चालू खातों में 6.4 बिलियन अमरीकी डालर का घाटा था। इसी अवधि के दौरान, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में 32.6 बिलियन अमरीकी डालर की राशि अधिशेष थी। इसके परिणामस्वरूप, 2004–05 के दौरान, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 26.2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि उपचित हुई। भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी बनी हुई है तथा विदेशी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का स्रोत बना हुआ है।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम

1967. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पोजिट ई–गवर्नेन्स और आधुनिकीकरण कार्यक्रम 'डीसीए 21' के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) आज की तारीख तक इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) 'डीसीए 21' परियोजना के क्रियान्वयन में शामिल की गई निजी कंपनियों के क्या नाम हैं?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (ग) कंपनी कार्य मंत्रालय ने "एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजना" (पहले 'डीसीए21' के नाम से प्रचलित) के रूप में जाना जाने वाला एक ई–गवर्नेंस तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ किया है। परियोजना के संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से आरम्भ होने के 60 सप्ताह की अवधि में कार्यान्वित होने की आशा है। इसे दो फेज में अर्थात दिल्ली तथा कोयम्बटूर में दो अग्रगामी (पायलेट) क्षेत्रों में दिसम्बर, 2005 तक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में मई, 2006 तक कार्यान्वित करने की सम्भावना है।

1.3.2005 को एक चयनित आपरेटर को कान्ट्रैक्ट दिया गया है।

परियोजना की अनुमोदित लागत लगभग 341.24 करोड़ रुपये आंकी गई है (साफ्टवेयर के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण 4.68 करोड़ रुपये अतिरिक्त) निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा अन्तरण (बीओओटी) माडल के कारण। आपरेटर को भुगतान कार्यान्वयन फेज, के दौरान महत्वपूर्ण माइलस्टोन प्राप्त करने के बाद तथा बराबर तिमाही किस्तों में प्रचालन फेज के दौरान विशिष्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) को मानने का आधार पर किया जाएगा। जैसा कि बेसपोक साफ्टवेयर के विकास की लागत तथा आंकड़ेकरण की लागत का पहला भुगतान दिल्ली तथा कोयम्बटूर में पायलेट के सफल स्वीकृत टेस्ट तथा प्रमाणीकरण जिसके दिसम्बर, 2005 में पूरा होने की संभावना है के बाद देया हो जाएगा, अभी तक आपरेटर को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

मैसर्स टाटा कन्सलटेंसी सर्विस लि. (टीसीएस) का आमंत्रित बिड प्रक्रिया के कारण आपरेटर के रूप में चयन हो गया है। संविदा पर 1.3.2005 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विस लि. को कुल 72 लाख रुपये की कुल फीस तथा सर्विस टैक्स की राशि के कार्य परिवर्तित प्रबंध कन्सलटेंट के रूप में शामिल कर दिया गया है, जिसमें से 17.63 लाख रुपये की राशि आज की तारीख तक खर्च कर दी गई है।

विद्युत क्षेत्र में निवेश

1968. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत के संवितरण में प्रवेश करने वाली कंपनियों हेतु निवेश मानक अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) विद्युत वितरण का कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है और वितरण के निजीकरण का निर्णय संबंधित राज्य सरकार ही ले सकती है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने किसी प्रकार के निवेश संबंधी मापदंड अधिसूचित नहीं किए गए हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के छठे प्रावधान में व्यवस्था है कि उचित आयोग इस शर्त के आधार पर एक ही क्षेत्र में अपनी वितरण प्रणाली के जरिए विद्युत वितरण के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस दे सकता है कि समान क्षेत्र के भीतर लाइसेंस का इच्छुक आवेदक अधिनियम के अन्तर्गत अन्य शर्तों या अपेक्षाओं को प्रभावित किए बिना पूंजीगत पर्याप्तता, साख क्षमता या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित आचरण संहिता से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करे और लाइसेंस प्रदान करने हेतु सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले किसी भी आवेदक को इस आधार पर लाइसेंस अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि समान उद्देश्य से समान क्षेत्र में कोई लाइसेंसी पहले से मौजूद है।

अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत लाइसेंस का वितरण (पूंजीगत पर्याप्तता, साख क्षमता और आचरण संहिता की अतिरिक्त आवश्यकता) नियम, 2005 अधिसूचित कर दिया है, जिसमें वितरण प्रणाली के लिए पूंजीगत निवेश की आवश्यकता संबंधी शर्तें शामिल हैं।

(ख) इन नियमों में निहित मापदंडों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

पूंजी पर्याप्तता और उधार पात्रता की अपेक्षाएं–(1) समुचित आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के

अधीन विद्युत वितरण के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को सुनने के पश्चात् वितरण नेटवर्क के लिए पूंजी निवेश की अपेक्षाओं और धारा 43 के निबंधनों में प्रदाय के क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र के भीतर सेवा बाध्यताओं को दृष्टि में रखते विनिश्चय करेगा।

(2) अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदक से समुचित आयोग यह अपेक्षा करेगा कि यह उप नियम (1) के अधीन यथा निर्धारित विनिधान के व्यय पर 30 प्रतिशत साधारण पूंजी के किस सन्नियम पर जहां आवेदक कोई कंपनी है के मामले में, कुल धन के आधार पर परियोजना की ऐसी साधारण पूंजी के लिए उपलब्ध साधनों से किए जाने की स्थिति में, जिसके अन्तर्गत उसका संप्रवर्तक भी है, और कारबार के आंतरिक साधनों से उत्पन्न उसके अन्य प्रतिबद्ध विनिधानों को अपवर्जित करने के पश्चात् पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उसे कारबार के आंतरिक साधनों द्वारा उत्पन्न होती है।

स्पष्टीकरण—अधिनियम की धारा 14 के छठे परन्तुक के निबंधनों में समान क्षेत्र में विद्युत के वितरण के लिए किसी अनुज्ञप्ति के प्रदाय के लिए, आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 243(थ) में यथापरिभाषित किसी नगर परिषद या किसी नगर निगम या कोई राजस्व जिला होगा।

आचार संहिता की अपेक्षाएं—अनुज्ञप्ति को देने के लिए आवेदन समुचित आयोग का समाधान करेगा कि वह दोषी नहीं पाया गया था या अनुज्ञप्ति को देने के लिए आवेदन की तारीख से गत तीन वर्षों में निम्नलिखित किसी उपबंधों के अधीन निरर्हित नहीं किया गया है।

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 203, धारा 174, धारा 388ख या धारा 397;

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276, धारा 276ख, धारा 276खख, धारा 276ग, धारा 277 या धारा 278;

(ग) भारतीय प्रत्याभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ग, धारा 15छ, धारा 15ज या धारा 15जक;

(घ) उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (खख), खण्ड (खखख), खण्ड (खखखख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ);

(ङ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 या धारा 135;

और अधिनियम की धारा 24 के अधीन आवेदक वह व्यक्ति नहीं है जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है या धारा 19 के अधीन आवेदन की तारीख से पिछले तीन वर्षों से प्रसंहृत किया गया है:

परन्तु जहां आवेदक कोई कंपनी है, इस नियम के उपबंधों के अतिरिक्त समुचित आयोग का यह समाधान करेगा कि कंपनी के परिसमापन के लिए कोई अर्जी तो नहीं दी गई है या उस संप्रवर्तक की अन्य कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 443(ङ) के अधीन या उधार के संदाय में असमर्थ रहने के आधार पर स्वीकार तो नहीं की गई है।

परिसीमन आयोग

1969. श्री सुरेश वाघमारे : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो परिसीमन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य के लिए परिसीमन प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। अनुसूचित जाति के स्थानों सहित विभिन्न जिलों को स्थानों के आवंटन के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए सहयुक्त सदस्यों के साथ पहली बैठक 5 अगस्त, 2005 को परिसीमन आयोग के सचिवालय में नियत की गई थी। किन्तु राज्य के अनेक भागों, विशेषकर मुम्बई में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। परिसीमन अधिनियम, 2002 की स्कीम के अधीन सहयुक्त सदस्यों को प्रारम्भ से ही परिसीमन कार्य में सहबद्ध करना होता है। इसके परिणामस्वरूप निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक प्रारूप परिसीमन तैयार करने हेतु प्रत्येक राज्य के सहयुक्त सदस्यों के साथ एक से अधिक बैठकें करनी होती हैं। तत्पश्चात्, प्रारूप परिसीमन प्रस्तावों को जनता से सुझाव और विचार प्राप्त करने के लिए भारत के राजपत्र और राज्य के राजपत्र आदि में प्रकाशित किया जाता है। अंत में, आयोग राज्य में सार्वजनिक सभाए करके प्रारूप को अंतिम रूप देता है।

(ग) लोक सभा और महाराष्ट्र विधान सभा के विघटन के कारण और नई लोक सभा तथा महाराष्ट्र विधान सभा के सम्यक् गठन के पश्चात् सहयुक्त सदस्यों के पारिणामिक पुनः नामनिर्देशन के कारण महाराष्ट्र राज्य के संबंध में परिसीमन कार्य में विलम्ब हुआ था।

(घ) महाराष्ट्र राज्य के संबंध में परिसीमन कार्य मार्च, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

वैट का क्रियान्वयन

1970. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में वैट के क्रियान्वयन के पश्चात् एक समान कर ढांचा उत्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वैट के क्रियान्वयन के पश्चात् सामने आए एक समान कर ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां पर अभी तक एक समान कर ढांचे को क्रियान्वित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) वैट, किसी राज्य के भीतर वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लगाया जाने वाला कर होने के कारण भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत राज्य का विषय है। वैट के अन्तर्गत कर ढांचे को राज्यों द्वारा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति में विचार-विमर्श करके सामूहिक रूप से अन्तिम रूप दिया गया है और जिसे वैट लागू करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है। कर ढांचे में छूट श्रेणी की कुछ मदों के लिए 1 प्रतिशत की विशेष दर तथा वैट से बाहर की मदों के लिए कर की 20 प्रतिशत न्यूनतम दर के साथ 4 प्रतिशत और 12.5 की दो आधारभूत दरें शामिल हैं। कुछ राज्यों द्वारा समान कर दर का पालन न करने के कुछ मामले सामने आए हैं जिनका अधिकार प्राप्त समिति द्वारा समय-समय पर समाधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वैट को लागू नहीं किया है वे पूर्ववर्ती बिक्री कर ढांचे का ही पालन कर रहे हैं जो वैट से भिन्न है। वैट राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा वैट के अन्तर्गत समान कर ढांचा अपनाने में केवल एक सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभा रही है।

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि

1971. श्री प्रदीप गांधी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि उपयोग की गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत आवंटित एवं प्रयुक्त निधियां विवरण में दी गई हैं। तथापि, चालू वर्ष से योजना को बन्द कर दिया गया है।

(ख) योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत किया गया आवंटन और रिलीज

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03		2003-04		2004-05	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15644.00	15644.00	15644.00	15644.00	15644.00	15644.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	19000.00	19000.00	19000.00	19000.00	19000.00	19000.00
4.	बिहार	24173.00	24173.00	24173.00	24173.00	24173.00	24173.00
5.	छत्तीसगढ़	3435.00	3435.00	3435.00	3435.00	3435.00	3435.00
6.	गोवा	72.00	72.00	72.00	36.00	72.00	36.00
7.	गुजरात	7122.00	7122.00	7122.00	7122.00	7122.00	7122.00
8.	हरियाणा	1834.00	917.00	1834.00	1834.00	1834.00	1834.00
9.	हिमाचल प्रदेश	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	3500.00
10.	जम्मू और कश्मीर	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00
11.	झारखंड	7446.00	3723.00	7446.00	7446.00	7446.00	7446.00
12.	कर्नाटक	8273.00	8273.00	8273.00	8273.00	8273.00	8273.00
13.	केरल	7608.00	7608.00	7608.00	7608.00	7608.00	7608.00
14.	मध्य प्रदेश	8500.00	8500.00	8500.00	4250.00	8500.00	8500.00
15.	महाराष्ट्र	10917.00	10917.00	10917.00	5458.50	10917.00	5458.50
16.	मणिपुर	4800.00	2400.00	4800.00	2400.00	4800.00	4800.00
17.	मेघालय	4112.00	4112.00	4112.00	4112.00	4112.00	4112.00
18.	मिजोरम	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
19.	नागालैंड	4526.00	2263.00	4526.00	4526.00	4526.00	4526.00
20.	उड़ीसा	10863.00	5431.50	10863.00	10863.00	10863.00	10863.00
21.	पंजाब	4442.00	4442.00	4442.00	2221.00	4442.00	2221.00
22.	राजस्थान	10611.00	10611.00	10611.00	10611.00	10611.00	10611.00
23.	सिक्किम	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
24.	तमिलनाडु	11547.00	11547.00	11547.00	11547.00	11547.00	11547.00
25.	त्रिपुरा	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5693.00	5693.00
26.	उत्तरांचल	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
27.	उत्तर प्रदेश	37087.00	37087.00	37087.00	37087.00	37087.00	37087.00
28.	पश्चिम बंगाल	18490.00	18490.00	18490.00	18490.00	18490.00	9245.00
	अखिल भारत	271302.00	256567.50	271302.00	256936.50	271995.00	251534.50

हाई वोल्टेज इलैक्ट्रिक वायर

1972. श्री गणेश प्रसाद सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में छपरा से सीवान तक जाने वाले 11000 वोल्ट के फीडर II विभिन्न आवासीय कालोनियों से होकर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे समय-समय पर जान-माल की हानि होती रहती है;

(ग) क्या सरकार ने लगातार खतरों में रहने वाले लोगों के जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर ऊपर से जाने वाले इन हाई वोल्टेज वायर को राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) ने सूचित किया है कि 33/11 केवीपी/एस/एस तालपा (छपरा) फीडर से 11000 वोल्ट का फीडर नं. 2 केवल छपरा जिले के रिवीलगंज तक विद्युत आपूर्ति करता है। यह सीवान को विद्युत आपूर्ति नहीं करता है।

(ख) बीएसईबी ने सूचित किया है कि जीवन और संपत्ति को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) बीएसईबी ने सूचित किया है कि ओवरहेड हाई वोल्टेज वायर को अंतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हथकरघा हेतु प्रौद्योगिकी

1973. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा से उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो विकसित की गई नई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए किस प्रकार के वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) हथकरघा का उत्पादन वर्ष 2003-04 में 5493 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 5704 मिलियन वर्ग मीटर हुआ है। भारत सरकार ने नई स्वास्थ्य बीमा योजना एवं बुनकर बीमा योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अलावा एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना जैसी नई योजनाएं शुरू करके, कौशल उन्नयन कार्यक्रमों को अत्यधिक दुगना करके तथा हथकरघा वस्तुओं की प्रदर्शनियों को दुगना करके हथकरघा उत्पादन को बढ़ाने के कई उपाय भी किए हैं।

मिल गेट कीमत योजना के तहत हथकरघा क्षेत्र को मूलभूत कच्चे माल की नियमित आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए पात्र हथकरघा एजेंसियों को सभी प्रकार के सूत उपलब्ध करवाए जाते हैं और हथकरघा क्षेत्र की पूर्ण रोजगार संभावनाओं की उपयोगिता हेतु सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर-अपवंचन

1974. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां करों से बचने के लिए सही और हेर-फेर वाले दो तरह के बही-खाते रखती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर गौर किया है और इस मामले में कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके पास दो तरह के बहीखाते पाए गए हैं और इसमें कर-अपवंचन में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित सभी कम्पनियों से यह कानूनी रूप से अपेक्षित है कि वे खाता बहियों का रख-रखाव करें एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अन्तर्गत किसी लेखाकार के द्वारा उनकी लेखा परीक्षा करवाएं। आय की विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टें यह इंगित नहीं करती हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर-अपवंचन के लिए दो खाता बहियों का रख-रखाव कर रही हैं।

(ख) और (ग) आयकर विभाग के द्वारा विवरणियों की संवीक्षा के दौरान खाता बहियों की सत्यता को सत्यापित किया जाता है।

जहां कर निर्धारण खाता बहियों की सत्यता से सन्तुष्ट नहीं होता है वहां कानून के तहत समुचित कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277क में खाता बहियों की जालसाजी के लिए अभियोजन की व्यवस्था की गई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में उपलब्ध धन का उपयोग

1975. डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री सुरेश वाघमारे :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या कंपनी कार्य मंत्री दिनांक 13 मई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष में निवेशक संघ को काफी देर से धनराशि संस्वीकृत और संवितरित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान निवेशक संघों से कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं;

(ङ) वर्ष 2005–06 हेतु कितना धन संस्वीकृत किया गया है और वर्ष 2005–06 हेतु क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(च) आज तक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में जमा कुल धन की स्थिति क्या है;

(छ) क्या सरकार उक्त धन को सेबी को हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड (आईईपीएफ) के अन्तर्गत फंड के उपयोग के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है :

(i) मीडिया के माध्यम से शिक्षा कार्यक्रम (इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया);

(ii) अनुसंधान क्रियाओं सहित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण के लिए स्वैच्छिक संघ या संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(iii) निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण गतिविधियों में लिप्त संस्थानों के साथ समन्वय।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 2004–05 के दौरान आईईपीएफ ने विभिन्न स्वैच्छिक संघों तथा संस्थानों से पंजीकरण तथा वित्तीय सहायता के लिए 34 आवेदन प्राप्त किए हैं।

(ङ) वर्ष 2005–06 के लिए आईईपीएफ को 2.5 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। 2005–06 के लिए बनाया गया कार्यक्रम निम्न प्रकार है :

(i) दो "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण" के कार्यक्रम का विशेषकर नए संगठनों के लिए आयोजन जिनकी ग्रामीण पहुंच है चाहे ऐसे संगठनों को आईईपीएफ के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ii) निवेशक शिक्षा प्रचार अभियान का तीन शृंखलाओं में आयोजन करने के द्वारा डीएवीपी के माध्यम से तथा एआईआर–एफएम के द्वारा मीडिया अभियान।

(iii) पूंजीगत बाजार मध्यस्थों तथा निवेशकों को एक साथ मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए तीन विभिन्न शहरों में तीन निवेशक मेलों का आयोजन करना।

(iv) जाने माने व्यापारिक स्कूलों को शामिल करते हुए तीन विभिन्न शहरों में तीन निवेशक संबंधी सेमिनारों का आयोजन।

(v) पिछले दो वर्षों के दौरान आईईपीएफ की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।

(vi) स्वैच्छिक संगठनों/संघों के माध्यम से आयोजित किए गए कार्यक्रम।

(च) कम्पनी रजिस्ट्रार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.5.2005 तक 370,47, 95,998 रुपये की राशि भारतीय समेकित फंड द्वारा रखे जाने वाले आईईपीएफ में डाल दी गई है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस

1976. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बारहवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। 12वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27–31 दिसम्बर, 2004 के दौरान गुवाहाटी, असम में किया गया।

(ख) इसका मुख्य विषय था "हार्नेस वाटर फार ए बेटर टुमारो" (खुशहाल भविष्य के लिए जल का सदुपयोग)। 10–17 वर्ष के आयु वर्ग के युवा वैज्ञानिकों ने जल संचयन, संरक्षण, जल आवश्यकता एवं जल जनित रोगों से संबंधित स्थानीय समस्याओं पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जिला एवं राज्य स्तर के कार्यक्रमों से चुनी गई लगभग 560 परियोजनाओं पर विचार–विमर्श किया गया।

(ग) इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को परस्पर विचार–विमर्श तथा अपने विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना था। कुछ परियोजनाओं की पहचान वित्तीय सहायता सहित कार्यान्वयन हेतु की गई।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम में निजी भागीदारी

1977. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुनामी से हुई तबाही के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सार्वजनिक/निजी भागीदारों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार अक्षय स्रोत देश में कुल विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता के लगभग 6 प्रतिशत (6160 मेवा.) का योगदान करते हैं। अतिरिक्त विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता का 18 प्रतिशत (2643 मेवा.), जिसे दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002–2005) के दौरान चालू किया गया है, अक्षय स्रोतों से प्राप्त हुआ है। इसमें से 13 प्रतिशत (1967 मेवा.) पवन विद्युत से, 2 प्रतिशत (267 मेवा.) लघु पनबिजली से तथा लगभग 3 प्रतिशत (407 मेवा.) बायो–ऊर्जा से प्राप्त हुआ है। कुल ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता में लगभग दो–तिहाई हिस्सा निजी क्षेत्र का है तथा केवल एक–तिहाई सरकार का है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन, जिसमें त्वरित मूल्यह्रास, करों और शुल्कों से राहत शामिल है, प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत को अधिमान्य शुल्क–दर प्रदान की जाती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों के समान अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित राज्यवार ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत की संस्थापित क्षमता का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली (मेवा.)	पवन विद्युत (मेवा.)	बायोमास विद्युत (मेवा.)	बायोमास गैसीफायर (मेवा.)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेवा.)	सौर विद्युत (केडब्ल्यूपी)	कुल क्षमता (मेवा.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	178.81	120.60	267.30	15.38	21.65	275.00	604.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.70	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	33.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	2.11	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	2.23
4.	बिहार	45.90	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	45.92
5.	छत्तीसगढ़	11.00	0.00	11.00	0.51	0.00	0.00	22.51
6.	गोवा	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07
7.	गुजरात	7.00	253.53	0.50	14.26	2.95	0.00	278.24
8.	हरियाणा	62.70	0.00	6.00	1.06	0.00	0.00	69.76
9.	हिमाचल प्रदेश	108.08	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	108.09
10.	जम्मू और कश्मीर	109.74	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	110.26
11.	झारखंड	4.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	4.13
12.	कर्नाटक	274.88	410.68	152.00	4.61	1.00	30.00	843..20
13.	केरल	84.62	2.00	0.00	0.73	0.00	25.00	87.37
14.	मध्य प्रदेश	41.16	28.85	1.00	4.73	2.73	339.00	78.81
15.	महाराष्ट्र	207.08	456.30	36.00	3.82	1.90	185.00	705.29
16.	मणिपुर	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
17.	मेघालय	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
18.	मिजोरम	14.76	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	14.96
19.	नागालैंड	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
20.	उड़ीसा	7.30	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	7.40
21.	पंजाब	111.40	0.00	22.00	0.70	1.75	325.00	136.18
22.	राजस्थान	23.85	284.74	7.80	0.22	0.00	150.00	316.76
23.	सिक्किम	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
24.	तमिलनाडु	77.70	2036.95	173.00	5.03	1.98	211.00	2294.87
25.	त्रिपुरा	16.01	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	17.11
26.	उत्तर प्रदेश	21.50	0.00	73.00	4.87	8.00	325.00	107.69
27.	उत्तरांचल	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	72.50
28.	पश्चिम बंगाल	92.30	1.10	0.00	6.95	0.00	50.00	100.40
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.25	0.00	0.00	0.17	0.00	100.00	5.52
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.65
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	25.00	0.63
	कुल	1705.63	3594.75	749.50	66.03	41.98	2740.00	6160.74

विद्युत क्षेत्र हेतु विदेशी सहायता

1978. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यस्तरीय सुधारों और राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन कार्य में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलेपमेंट (डीआईएफडी), कनाडियन इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एसोसिएशन (सीआईडीए) एवं यूएसएआईडी जैसी बहुपक्षीय वित्तपोषक एजेंसियों द्वारा सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक बहुपक्षीय वित्तपोषक एजेंसियों द्वारा राज्यों को विद्युत सुधारों और पुनर्गठन सेक्टर हेतु राज्य–वार कुल कितनी सहायता दी गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य स्तरीय सुधारों और राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन कार्य में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलेपमेंट (डीआईएफडी), कनाडियन इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एसोसिएशन एवं यूएसएआईडी जैसी बहुपक्षीय वित्तपोषक एजेंसियों द्वारा सहायता दी जा रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी सहायता के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान भारतीय विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के सुधार एवं पुनर्गठन के लिए प्राप्त की गई विदेशी सहायता के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना	क्रियान्वयन एजेंसी	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5
एडीबी				
1.	असम पावर सेक्टर डेवलेपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट	एएसईबी	409.50	0.00
2.	गुजरात पावर सेक्टर डेवलेपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट	जीईबी	562.40	206.82
3.	मध्य प्रदेश पावर सेक्टर डेवलेपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट	एमपीएसईबी	452.52	170.36
		कुल एडीबी	1424.42	377.18
4.	आंध्र प्रदेश पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	एपीट्रांस्को	25.64	0.00
5.	उड़ीसा पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	ग्रिडको	222.78	70.12
6.	उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	यूपीपीसीएल	136.03	48.54
7.	राजस्थान पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	आरआरवीपीएनएल	182.41	82.10
		कुल आईबीआरडी	566.86	200.76

1	2	3	4	5
डीएफआईडी				
8.	आंध्र प्रदेश एनर्जी एफिसिएंसी प्रोजेक्ट	एपीट्रांस्को	14.79	0.00
		कुल योग	2006.07	577.94

अतिरिक्त परियोजनाएं जिनका राज्यवार आकलन संभव नहीं हुआ

सीआईडीए

9. ऊर्जा अवसंरचनात्मक सेवाएं परियोजना–1 (केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश) 1997–04 के दौरान सी $13.8 मिलियन

10. ऊर्जा अवसंरचनात्मक सेवाएं परियोजना–2 (उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश) 2002–06 के दौरान सी $13.8 मिलियन

डीएफआईडी

11. मध्य प्रदेश पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग (तकनीकी सहायता) डीएफआईडी ने एमपीएसईबी प्रत्यक्ष रूप से परामर्शदाता प्रदान किए हैं।

यूएसएआईडी

12. डिस्ट्रिब्यूशन रिफार्म अपग्रेड एंड मनेजमेंट (ड्रम) यह यू.एस. 55 मिलियन $ ईसीओ परियोजना का हिस्सा है।

निवेश पर ब्याज की दर

1979. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की योजना निवेशों पर मिलने वाले ब्याज की गिरती दरों से वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों और विधवाओं के हितों की रक्षा करने की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस श्रेणी में धर्मार्थ सोसायटियों/न्यासों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार ने, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों को निवेश का एक सुरक्षित और आकर्षक स्रोत प्रदान करने की दृष्टि से 2 अगस्त, 2004 से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 शुरू की है जिसमें ब्याज दर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष है और जो बाजार दर की अपेक्षा ऊंची है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना केवल व्यक्तियों द्वारा निवेश करने के लिए उपलब्ध है।

नालको द्वारा अर्जित लाभ

1980. श्री एस. के. खादरवेनथन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी द्वारा अर्जित लाभ/हानि की धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नालको के लाभ में और अधिक वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव) : (क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको) द्वारा पिछले तीन वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ निम्नानुसार है :

वर्ष	शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)
2002–03	520.92
2003–04	737.37
2004–05	1234.84

(ख) नालको द्वारा कंपनी के लाभ में और वृद्धि करने के लिए, अलग–अलग उत्पादन इकाइयों की क्षमता का ईस्टतम उपयोग करना, बाजार की आवश्यकता के अनुरूप मूल्यवर्धन उत्पादों के पक्ष में उत्पाद मिश्र में परिवर्तन करना, कच्चे माल की खरीददारी और

सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धी बोलियां आमंत्रित करना, जनशक्ति का विवेकपूर्ण विकास करना, अधिशेष नकदी का विकास करना, ब्याज और वित्तीय प्रभारों में बचत करना, कार्यशील पूंजी का समुचित प्रबंधन करना आदि कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को बिजली

1981. श्री वाई. जी. महाजन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है;

(घ) इस योजना से राज्यवार कितने परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य को विशेषकर महाराष्ट्र को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने 5 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले घरों समेत सभी घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)–ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं गृह विद्युतीकरण स्कीम" नामक एक स्कीम अप्रैल, 2005 में आरम्भ की है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) अविद्युतीकरण घरों के विद्युतीकरण को सभी ग्रामीण वास स्थानों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार 100 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी से वित्तपोषित किया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के घर निर्धारित कनैक्शन प्रभारों पर अपने कनैक्शनों के लिए भुगतान करते हैं और इस उद्देश्य के लिए उन्हें कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।

(ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत निम्न परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी :

(i) समुचित रूप से राज्य पारेषण प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लॉक में एक 33/11 केवी (या 66/11 केवी) सब–स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) का निर्माण।

(ii) प्रत्येक गांव/वास स्थान में उचित क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर–विद्युतीकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) का निर्माण।

(iii) उन गांवों/वास स्थानों के लिए परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

स्कीम के अन्तर्गत सभी ग्रामीण वास स्थानों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी गैर–विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण को 100 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी के साथ वित्तपोषित किए जाने का प्रावधान है।

स्कीम के ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) स्कीम की अनुमानित लागत 16000 करोड़ रुपये है। स्कीम के चरण–1 जो कि 10वीं योजना का अंतिम दो वर्ष है, के लिए कैपिटल सब्सिडी के रूप में 5000 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

(घ) स्कीम के अन्तर्गत पांच वर्षों में देश में गरीबी रेखा से नीचे के घरों समेत सभी घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान की जानी है। 2.34 करोड़ रुपये बीपीएल घरों को इसमें पूरा किए जाने का अनुमान है। बीपीएल घरों को निःशुल्क प्रभार के साथ विद्युतीकृत करने के लिए 4620 करोड़ लागत आने का अनुमान है। कुटीर ज्योति व्यवस्था के अनुसार प्रति बीपीएल परिवार की औसत लागत 1500 रुपये होगी।

(ङ) भारत सरकार की स्कीम "एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों के त्वरित विद्युतीकरण" जिसका अब आरजीजीवीवाई के साथ विलय हो गया है, के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 के दौरान 964 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। स्कीम के तहत किए गए संवितरण के राज्यवार ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरि और शोलापुर जिलों की हाल में प्राप्त डीपीआर आरईसी में मूल्यांकनाधीन है, जिसमें 23454 बीपीएल घरों समेत कुल 72270 घर और 912 गांवों का विद्युतीकरण तथा 5025.91 लाख रुपये का परिव्यय शामिल है।

विवरण

(विद्युत मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. 44/19/2004–डी(आरई) दिनांक 18 मार्च, 2005)

विषय : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना–ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं आवासों के विद्युतीकरण की योजना

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अन्तर्गत 5 वर्षों में सभी को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना–ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं आवासों के विद्युतीकरण की योजना" को राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना दी जाती है।

1. यह योजना रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

2. इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत की 90 प्रतिशत पूंजी, सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।

3. 10वीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के प्रथम चरण का कार्यान्वयन करने हेतु 5000 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी का वर्तमान अनुमोदन दिया गया है।

4. राज्यों को विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होंगी तथा ग्रामीण एवं शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई अन्तर नहीं किया जाना चाहिए।

5. योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडी की पात्रता के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व राज्यों से निम्न प्रतिबद्धताएं प्राप्त करनी होंगी :

   (i) इस योजना के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति, एवं

   (ii) जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अपेक्षित है, राज्य संगठनों को अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान।

6. **योजना का कार्यक्षेत्र :**

   योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडी के साथ निम्न प्रावधान करने के लिए वित्तपोषित किया जा सकता है।

7.1 ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी)

- ब्लाकों में उपयुक्त क्षमता एवं लाइनों के साथ 33/11 केवी (या 66/11 केवी) उप–केन्द्रों का प्रावधान, जहां ये विद्यमान नहीं हैं।

7.2 ग्राम विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाओं (वीईआई) का सर्जन

- अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।
- अविद्युतीकृत वास–स्थलों का विद्युतीकरण।
- विद्युतीकृत गांवों/वास–स्थलों में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रावधान।

7.3 विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति

ऐसे गांवों के लिए जहां ग्रिड से जोड़ना या तो व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, बशर्ते कि इन्हें गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 25000 गांवों के अपने दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अधीन गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकरण के लिए शामिल न किया गया हो, परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रित उत्पादन एवं वितरण।

7.4 आरईडीबी, वीईआई एवं डीडीजी कृषि एवं निम्नलिखित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा :

- सिंचाई पंपसेट
- लघु एवं मध्यम उद्योग
- खादी एवं ग्राम उद्योग
- कोल्ड चेन
- स्वास्थ्य देखभाल
- शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

यह समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार के सर्जन एवं गरीबी उन्मूलन में सहायक होगा।

7.5 गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण आवासों का विद्युतीकरण

सभी ग्रामीण वास स्थलों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण करने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार उन्हें 100 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी से वित्तपोषित किया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के आवासों के स्वामियों को अपने कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित कनेक्शन प्रभार का भुगतान करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी।

पैराग्राफ 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 मिलाकर घटकों की समग्र सब्सिडी पूर्ण रूप से परियोजना लागत के 90 प्रतिशत के अन्दर रखी जानी चाहिए। सभी गांवों एवं आवासों के लिए

विभिन्न घटकों का समग्र लागत अनुमान अनुलग्नक–I में दिया गया है।

7.6 यह परियोजना पूरे देश के लिए है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों एवं मकानों, जहां बिजली पहुंच गई है, का विवरण अनुलग्नक–II एवं अनुलग्नक–III में दिया गया है।

7. फ्रैंचाइजी

फ्रैंचाइजी, जो गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), उपभोक्ता संघ, सहकारी समितियां या व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं, के जरिए ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में, पंचायत संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा। फ्रैंचाइजी व्यवस्था उप केन्द्र से और उससे बाहर अथवा वितरण ट्रांसफार्मर और वहां से फीडरों की प्रणाली के लिए की जा सकती है।

8. राजस्व प्रवाह

उपभोक्ता मिश्रण एवं वर्तमान उपभोक्ता शुल्क एवं संभावित लोड के आधार पर फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति शुल्क (बीएसटी), उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद तय किया जाएगा। जहां भी व्यवहार्य है, बीएसटी तय करने के लिए बोली के प्रयास किए जाएंगे। राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) को राज्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत उनके राजस्व अपेक्षा प्रस्तावों में एवं शुल्क निर्धारण के लिए थोक आपूर्ति शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा। यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को एसईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क पर बिजली देना चाहती है तो उन्हें राज्य संगठनों को विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित राजस्व सब्सिडी प्रदान करनी होगी। योजना को लागू करते समय राज्य सरकारों से निम्न के बारे में पूर्व प्रतिबद्धताएं ले ली जाएं :

(क) फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।

(ख) जैसा कि विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है राज्य संगठनों को राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान।

9. इस योजना के अन्तर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी आरईसी के माध्यम से दी जाएगी। ये पात्र परियोजनाएं उपर्युक्त दर्शाई गई शर्तों को पूरा करने के बाद कार्यान्वित की जाएंगी। उपर्युक्त शर्तों के अनुसार यदि परियोजनाएं संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं की जातीं तो पूंजी सब्सिडी को ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

10. ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में सहायता के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की सेवाएं राज्य सरकारों को उनकी इच्छा एवं आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन क्षमताओं में संवर्धन की दृष्टि से आरईसी ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. एवं दामोदर वैली कारपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जो राज्य इनकी सेवाओं का प्रयोग करने के इच्छुक हों वे इनकी परियोजना प्रबंधन की सुविज्ञता एवं क्षमताओं का लाभ उठा सकें। इसका एक समुचित त्रिपक्षीय करार के जरिए प्रचालन किया जा रहा है।

11. इस योजना के अन्तर्गत कुल सब्सिडी की 1 प्रतिशत तक की राशि संबद्ध कार्य/अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण, सूचना प्रणाली विकास से संबंधित कार्यक्रम के प्रयासों, जागरूकता एवं अन्य प्रशासनिक एवं संबद्ध व्ययों तथा इस ग्राम विद्युतीकरण योजना के प्रायोगिक अध्ययन एवं पूरक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है।

12. इस योजना में वर्तमान "एक लाख गांवों एवं एक करोड़ मकानों का त्वरित विद्युतीकरण" की योजना एवं "ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" का विलय हो जाएगा।

13. यह योजना मूल्यांकन के अधीन होगी। 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए जिन सुधारों की आवश्यकता होगी, उनकी बृहत् समीक्षा 10वीं योजना के अन्त में की जाएगी।

14. उपर्युक्त योजना में शामिल खर्च को वर्ष 2004–05 के लिए विद्युत मंत्रालय–अनुदान सं. 73 के अधीन निम्नलिखित शीर्ष एवं बाद के वर्षों के लिए तदनुसार लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

2801	विद्युत (मुख्य शीर्ष)
06.796	ग्रामीण विद्युतीकरण
3	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन
03.00.30	सब्सिडी

15. यह वित्त स्कंध की सहमति से उनकी डायरी सं. 3766/2005–जेएस एंड एफए, दिनांक 18 मार्च, 2005 द्वारा जारी किया जा रहा है।

ह./–

(अजय शंकर)

अपर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन : 23715378

सेवा में,

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्यों के सचिव, विद्युत/ऊर्जा।
3. सभी राज्यों (संगठनों) के अध्यक्ष।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, स्कोप कांप्लेक्स, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि :

1. प्रधानमंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (योजना वित्त), नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
5. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली।
6. सचिव, गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज विभाग, नई दिल्ली।
9. सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, डीवीसी के प्रबंध निदेशक।
12. सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव (विद्युत)/अपर सचिव (जीसी) के निजी सचिव।
13. विद्युत मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव/समी निदेशक/सभी उप सचिव।

(अजय शंकर)

अपर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन : 23715378

विवरण-II

ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं गांवों के विद्युतीकरण की योजना

(योजना का लागत अनुमान–करोड़ रु. में)

1. 125,000 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण बैक बोन (आरईडीबी) एवं ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाएं (वीईआई) तथा ग्रिड से सबसे दूर के आखिरी वाले 10 प्रतिशत मकानों को विद्युतीकृत करने पर 6.50 लाख रुपये प्रति गांव की दर से खर्च	8,125
2. गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण आवासों का विद्युतीकरण (आरएचई) अर्थात् 7.8 करोड़ अविद्युतीकृत आवासों के 30 प्रतिशत यानि 2.34 करोड़ आवासों को 1,500 रुपये प्रति आवास/वास–स्थल की दर से कुटीर ज्योति कनेक्शन प्रदान करने पर खर्च	3,510
3. अविद्युतीकृत वास–स्थलों वाले पहले से विद्युतीकृत गांवों में बैक बोन नेटवर्क के संवर्धन हेतु 4.62 लाख गांवों के लिए 1 लाख रुपये प्रति गांव की दर से	4,620
कुल (1+2+3)	16,255
योजना के लिए परिव्यय	16,000
मद सं. 1 एवं 3 के लिए 90 प्रतिशत की दर से एवं मद सं. 2 के लिए 100 प्रतिशत की दर से सब्सिडी घटक	14,750
सब्सिडी घटक, जिसे परिव्यय के 1 प्रतिशत की दर से अलग रखा जाना है, ताकि प्रौद्योगिकी विकास आदि गतिविधियां चलाई जा सकें	160

अनुलग्नक-I

31.3.2004 को ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	1991 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों की सं.	विद्युतीकृत गांवों की कुल सं.	शेष अविद्युतीकृत गांव	विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26586	26586	$	100

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	3649	2335	1314	64
3.	असम	24685	19081	5604	77.30
4.	बिहार	38475	19251	19224	50
5.	झारखण्ड	29336	7641	21695	26
6.	गोवा	360	360	–	100
7.	गुजरात	18028	17940	$	100
8.	हरियाणा	6759	6759	–	100
9.	हिमाचल प्रदेश	16997	16891	106	99.38
10.	जम्मू और कश्मीर	6477	6301	176	97.28
11.	कर्नाटक	27066	26771	295	98.91
12.	केरल	1384	1384	–	100
13.	मध्य प्रदेश	51806	50474	1332	97.43
14.	छत्तीसगढ़	19720	18532	1188	94
15.	महाराष्ट्र	40412	40351	$	100
16.	मणिपुर	2182	2043	139	93.93
17.	मेघालय	5484	3016	2468	55
18.	मिजोरम	698	691	7	99
19.	नागालैंड	121	1216	–	100
20.	उड़ीसा	46989	37663	9326	80.15
21.	पंजाब	12428	12428	–	100
22.	राजस्थान	37889	37276	613	98.38
23.	सिक्किम	447	405	42	90.60
24.	तमिलनाडु	15822	15822	–	100
25.	त्रिपुरा	855	818	37	95.67
26.	उत्तर प्रदेश	97122	57042	40080	58.73
27.	उत्तरांचल	15681	13131	2550	83.73
28.	पश्चिम बंगाल	37910	31705	6205	83.63
	जोड़ (राज्य)	586463	473892	112401	80.80
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1093	1090	$	100
	अखिल भारत	587556	474982	112401*	80.80

$शेष गांव विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं।

*ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा (2004–05 से प्रभावी) के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या 1,25,000 के आसपास होने का अनुमान है।

अनुलग्नक-II

ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण–2001 की जनगणना

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण घरों की संख्या	वे घर जिनमें बिजली है	विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत	अविद्युतीकृत घरों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12,676,218	7,651,733	59.65	40.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	164,501	73,250	44.53	55.47
3.	असम	4,220,173	697,842	16.54	83.46
4.	बिहार	12,660,007	649,503	5.13	94.87
5.	छत्तीसगढ़	3,359,078	1,548,926	46.11	53.89
6.	दिल्ली	169,528	144,948	85.50	14.50
7.	गोवा	140,755	130,105	92.43	7.57
8.	गुजरात	5,885,961	4,244,758	72.12	27.88
9.	हरियाणा	2,454,463	1,926,814	78.50	21.50
10.	हिमाचल प्रदेश	1,097,520	1,036,969	94.48	5.52
11.	जम्मू और कश्मीर	1,161,357	868,341	74.77	25.23
12.	झारखंड	3,802,412	379,987	9.99	90.01
13.	कर्नाटक	6,675,173	4,816,913	72.16	27.84

1	2	3	4	5	6
14.	केरल	4,942,550	3,238,899	65.53	34.47
15.	मध्य प्रदेश	8,124,795	5,063,424	62.32	37.68
16.	महाराष्ट्र	10,993,623	7,164,057	65.17	34.83
17.	मणिपुर	296,354	155,679	52.53	47.47
18.	मेघालय	329,678	99,762	30.26	69.74
19.	मिजोरम	79,362	35,028	44.14	55.86
20.	नागालैंड	265,334	150,929	56.88	43.12
21.	उड़ीसा	6,782,879	1,312,744	19.35	80.65
22.	पंजाब	2,775,462	2,482,925	89.46	10.54
23.	राजस्थान	7,156,703	3,150,556	44.02	55.98
24.	सिक्किम	91,723	68,808	75.02	24.98
25.	तमिलनाडु	8,274,790	5,890,371	71.18	28.82
26.	त्रिपुरा	539,680	171,357	31.75	68.25
27.	उत्तर प्रदेश	20,590,074	4,084,288	19.84	80.16
28.	उत्तरांचल	1,196,157	602,255	50.35	49.65
29.	पश्चिम बंगाल	11,161,870	2,262,517	20.27	79.73
	संघ शासित राज्य				
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49,653	33,807	68.09	31.91
31.	चंडीगढ़	21,302	20,750	97.41	2.59
32.	दादरा और नगर हवेली	32,783	27,088	82.63	17.37
33.	दमन और दीव	22,091	21,529	97.46	2.54
34.	लक्षद्वीप	5,350	5,337	99.74	0.26
35.	पांडिचेरी	72,199	58,486	81.01	18.99
	अखिल भारत	138,271,559	60,180,685	43.52	56.48

अनुलग्नक-IIII

2004–05 के दौरान "एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों के त्वरित विद्युतीकरण" कार्यक्रम के अन्तर्गत आरईसी द्वारा किया गया संवितरण

31.3.2005 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	आरईसी द्वारा संवितरण						
		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की अनुमानित लागत (लाख रु. में)	गांवों की संख्या जिनको विद्युतीकृत किया जाना है	ग्रामीण घरों की संख्या जिनको विद्युतीकृत किया जाना है	संवितरित राशि (लाख रु. में)	ऋण राशि (लाख रु. में)	कैपिटल सब्सिडी (लाख रु. में)
1.	पश्चिम बंगाल	12	38473.75	4280	145803	11449	6869	4580
2.	बिहार	13	66746.59	7604	316251	20024	12014	8010
3.	उत्तर प्रदेश	61	213320.75	28862	1154241	63996	38398	25598
4.	राजस्थान	8	3109.76	472	12433	933	560	373
	कुल	94	321650.85	41218	1628728	96402	57841	38561

[अनुवाद]

कर्नाटक को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ई.एफ.सी. अनुदान

1982. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ईएफसी अनुदानों के अन्तर्गत 1161 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की है और इस प्रयोजन हेतु 466.15 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस राशि में से 456.96 लाख रुपये का उपयोग कर लिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी भेजा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को 694.85 लाख रुपये की शेष धनराशि जारी करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा शेष धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने विद्यालय स्तर के बच्चों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए कर्नाटक राज्य को 1161 लाख रुपये के अनुदान की संस्तुति की है। राज्य सरकार ने 756.96 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया था। निधियों के उपयोग की प्रगति के आधार पर 2000–05 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को 870.75 लाख रुपये की राशि जारी की है।

(घ) और (ङ) निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त दावों पर विचार किया गया और अनुदान जारी कर दिए गए हैं।

(च) चूंकि ग्यारहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 31.3.2005 को समाप्त हो गई है। इस प्रयोजन के लिए आगे और निधियां जारी कर पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना

1983. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम ने करनाल में "कल्पना चावला तारामंडल" स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। "कल्पना चावला तारामंडल" कुरुक्षेत्र, हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है न कि करनाल में।

(ख) भवन निर्माण का 75 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है और तारामंडल वित्तीय वर्ष 2006–07 में पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

रेजिड्यूरी गैर-बैंकिंग कंपनियां

1984. श्री सुरेश चाचमारे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्रमुख रेजिड्यूरी गैर–बैंकिंग कंपनियों के कार्यकरण, जमाओं हेतु धनराशि जुटाने, निवेश, वित्तीय निष्पादन के बारे में कोई अध्ययन अथवा जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई विशेष लेखा–परीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा छोटे निवेशकों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने इन पहलुओं के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। तथापि, आरबीआई अवशिष्ट गैर–बैंककारी कंपनियों (आरएनबीसी) का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत

निरीक्षण कर रहा है। इस निरीक्षण के दौरान इन पहलुओं की जांच की जाती है।

(ग) और (घ) मुख्य आरएनबीसी की विशेष लेखा परीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में उपलब्ध शक्तियों के तहत प्रारम्भ कर दी गई है। इस समय दो कंपनियों के लिए विशेष लेखा परीक्षा प्रगति पर है।

(ङ) आरएनबीसी के निवेश को अधिक चलनिधि एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, निवेश पैटर्न युक्तियुक्त बनाया गया था। आरबीआई ने आरएनबीसी की कार्यप्रणाली में सुधार करने के संबंध में नए अनुदेश जारी किए जिनमें परिचालनों की पारदर्शिता, संगत उधार संबंध, कार्पोरेट अभिशासन मानक, एजेंटों को कमीशन की असमर्थनीय दरों से बचना, "अपना ग्राहक जानें" नियमावली का पालन, आदि शामिल हैं।

बायोगैस विकास प्रशिक्षण केन्द्र

1985. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकार द्वारा स्थापित किए गए बायोगैस विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है और इनका राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को बायोगैस संयंत्रों हेतु कितनी राज–सहायता/सहायता उपलब्ध कराई गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत बायोगैस कार्यक्रम के समुचित रूप से कार्यान्वयन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और प्रचार सहायता देने हेतु नौ बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों (बीडीटीसी) के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2002–03 से 2004–05 के दौरान बायोगैस संयंत्रों के लिए उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	राजस्थान	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
2.	तमिलनाडु	कृषि इंजीनियरिंग कालेज, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
3.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
4.	पश्चिम बंगाल	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
5.	कर्नाटक	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके, बंगलौर
6.	पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
7.	मध्य प्रदेश	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
8.	उत्तर प्रदेश	राज्य योजना संस्थान, लखनऊ
9.	उत्तरांचल	गृह विज्ञान कालेज, जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

विवरण-II

वर्ष 2002–03 से 2004–05 के दौरान बायोगैस संयंत्रों हेतु उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/एजेंसी	2002–03	2003–04	2004–05	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4.28	5.75	2.41	12.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.16	0.13	0.51	0.80
3.	छत्तीसगढ़	2.52	–	0.39	2.91
4.	गुजरात	2.47	2.32	1.19	5.98
5.	हरियाणा	0.16	0.47	0.21	0.84
6.	हिमाचल प्रदेश	0.22	0.15	0.07	0.44
7.	झारखंड	0.03	–	–	0.03
8.	कर्नाटक	5.73	2.36	–	8.09
9.	केरल	3.74	3.34	1.58	8.66
10.	मध्य प्रदेश	3.98	1.86	1.47	7.31
11.	महाराष्ट्र	2.80	1.24	2.66	6.70
12.	मणिपुर	0.19	0.11	0.27	0.57
13.	मेघालय	0.25	0.37	0.12	0.74

1	2	3	4	5	6
14.	मिजोरम	0.35	0.24	0.28	0.87
15.	नागालैंड	–	0.18	–	0.18
16.	उड़ीसा	1.77	4.73	1.68	8.18
17.	पंजाब	–	–	0.22	0.22
18.	राजस्थान	0.07	0.06	0.02	0.15
19.	सिक्किम	0.25	0.25	0.62	1.12
20.	तमिलनाडु	0.27	0.63	0.31	1.21
21.	त्रिपुरा	0.15	0.71	–	0.86
22.	उत्तर प्रदेश	–	1.55	1.54	3.09
23.	उत्तरांचल	0.15	0.08	–	0.23
24.	पश्चिम बंगाल	4.15	6.07	2.41	12.63
25.	अन्य (केवीआईसी, बीडीटीसी)	11.09	4.62	3.95	19.66
	कुल	44.78	37.22	21.91	103.91

खनन कंपनियों द्वारा विकास कार्य

1986. श्री अनन्त नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खनिज क्षेत्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चतुर्दिक विकास में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा कोई प्रयास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार क्या है; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव) : (क) से (घ) खान मंत्रालय प्राकृतिक गैसों, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के सर्वेक्षण और गवेषण के लिए, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, स्वर्ण, निकल आदि जैसी अलौह धातुओं के खनन और धातुकर्म के लिए तथा कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को छोड़कर अन्य सभी खनिजों और खानों के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी है।

वर्तमान में, खान मंत्रालय के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, नामतः नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको), भुवनेश्वर (उड़ीसा), हिन्दुस्तान कॉपर लि. (एचसीएल), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि. (एमईसीएल), नागपुर (महाराष्ट्र)।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के एक भाग के रूप में अपनी टाउनशिप्स और उनके आसपास के समुदाय के उत्थान के लिए सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन, पेयजल की उपलब्धता सुगम बनाने, आसपास के क्षेत्रों की पहुंच सड़कों की मरम्मत और विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों और चिकित्सा कैम्पों का आयोजन करने जैसे अनेक कार्यकलाप किए गए।

गत तीन वर्षों के दौरान एचसीएल वित्तीय तंगियों की वजह से कोई परिधीय विकास कार्य नहीं कर सका। एमईसीएल अस्थायी व्यवस्थाओं के जरिए अल्प अवधि के लिए विभिन्न स्थलों पर खनिजों हेतु गवेषण करता है और इस वजह से परिधीय विकास व्यवहार्य नहीं है। नालको ने परिधीय विकास पर निम्नानुसार धनराशि व्यय की है :

वर्ष	लाख रुपये में
2002–03	460.18
2003–04	483.96
2004–05	1044.79
कुल	1988.93

[हिन्दी]

गैर-योजना बजट को कम करना

1987. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–योजना बजट में 10 प्रतिशत की कमी करने हेतु की गई पहल असफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विफलता पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने अपने आयोजना–भिन्न व्यय में वृद्धि को संचय करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें दिनांक 24 सितम्बर, 2004 को व्यय प्रबंधन–राजकोषीय विवेक एवं मितव्ययता के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना भी शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 2004–05 के दौरान केन्द्रीय सरकार के आयोजना–भिन्न व्यय में वर्ष 2003–04 की तुलना में 4.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई जो वर्ष 2003–04 में 15.7 प्रतिशत और वर्ष 2002–03 में 15.6 प्रतिशत थी। 368404 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों (वर्ष 2004–05) की तुलना में अनन्तिम लेखों के अनुसार आयोजना–भिन्न व्यय 366288 करोड़ रुपये पर नियंत्रित रहा।

[अनुवाद]

इलायची और काली मिर्च की तस्करी

1988. श्री पी. सी. थॉमस : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ग्वाटेमाला और वियतनाम से इलायची और काली मिर्च की तस्करी किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मामला मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी ध्यान में लाया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा तस्करी के कितने मामलों का पता लगाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) साप्टा/इस्फ्टा अधिसूचना के लाभों का फायदा उठाने के लिए भारत में ग्वाटेमाला से इलायची के आयात में कम मूल्यांकन और ग्वाटेमाला की इलायची तथा वियतनाम की काली मिर्च के संबंध में उद्गम के देश की गलत घोषणा की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) परामर्शदात्री समिति की गत बैठक में मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई थी।

(घ) तस्करी, कम मूल्यांकन और गलत घोषणा के मामलों को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को गहन सतर्कता रखने के लिए कहा गया है।

(ङ) इलायची के जब्तशुदा मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	मामलों की संख्या	मात्रा (कि.ग्रा. में)	कीमत (लाख रु. में)
2002–03	108	2359	21.25
2003–04	213	8939	59.42
2004–05	174	11349	66.29

गत तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च जब्ती का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण भंडार

1989. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में आकर्षक मूल्य निर्धारण और अपेक्षित वृद्धि दर तथा सरकार के कृषि और कृषि से संबंधित कारोबार पर बल दिए जाने से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तेजी आई है और गत एक माह में 2 मई, 2005 से इस क्षेत्र के कुछ भंडारों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के भंडारों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक माह में इस क्षेत्र के पूंजीकरण में भी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बढ़ रहे खाद्य प्रसंस्करण भंडारों को पूरा करने और स्टाक मार्केट में यह तेजी बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। मुम्बई स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) ने सूचित किया है कि इसके पास खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संबंध में कोई सूचकांक नहीं है और इसके न होने से "कैपिटालाईम" द्वारा किए गए वर्गीकरण का प्रयोग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अन्तर्गत कंपनियों के वर्गीकरण के लिए किया गया है। उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर 33 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने मई, 2005 के माह के दौरान एक्सचेंज में सौदे किए (यदि स्क्रिप के सौदे 2 मई को नहीं हुए, तो मूल्य तुलना पूर्ववर्ती अंतिम सौदे के मूल्य के साथ की गई है)। दिनांक 2 मई, 2005 से 2 अगस्त, 2005 की अवधि के दौरान पिछले एक माह में निम्नलिखित स्टाकों में 100 प्रतिशत अथवा उससे अधिक वृद्धि हुई है।

स्क्रिप का नाम	से प्रतिशत वृद्धि		
	2.5.2005 से 2.6.2005	2.6.2005 से 1.7.2005*	1.7.2005 से 2.8.2005
अरिधि हाई–टेक	155.17	–	–
मेफकाम एग्रो. प्रोडक्ट्स	–	–	122.25
ताई इंडस्	–	139.48	–

(ख) पिछले तीन महीनों (अर्थात् 2 मई, 2005 से 2 अगस्त, 2005 तक) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के स्टाकों में वृद्धि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

स्क्रिप का नाम	प्रतिशत वृद्धि
1	2
सप्तऋषि	312.00
ताई इंडस्	254.45
अरिधि हाई–टेक	217.24
मेफकाम एग्रो इंडस्	148.52
फ्रेशट्राप फ्रुट्स	137.72
ट्रांस टैकनो	125.45
नाईजर एग्रो	125.39
जीआरएम ओवरसीज	105.56
हिमालय इंटल	99.63
टेस्टी बाईट ईट	81.17
साबू सोडियम	80.46
माऊंट एवरेस्ट	70.09
एग्रो डच इंडस्	69.50
शाह फूड्स	62.88
डीएफएम फूड्स	54.71
आरईआई एग्रो	54.46
चोरडिया फूड	47.29
एडीएफ फूड्स	46.04
लक्ष्मी ओवरसीज	42.05
कोठारी फरमेंट	41.33
कोविलपट्टी लक्ष्य	38.99
फूड्स एंड इंस	38.85
सुनील एग्रो फूड्स	37.50
फलेक्स फूड्स	35.79
सुपर बेकर्स (आई)	32.00
चमनलाल सेतिया	25.82
एसकेएम इंजी. प्रोडक्ट्स	25.61
हिन्द इंडस्	18.40
सतनाम ओवरसीज	12.99
केआरबीएल	9.01
बैम्बिनो एग्रो इंड.	4.44

(ग) जी, हां। बीएसई ने सूचित किया है कि इन 33 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 2 मई, 2005 से 31 मई, 2005 के बीच की अवधि के दौरान लगभग 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूंजी बाजार सुव्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित और उचित तरीके से कार्य करे। सेबी ने बाजार सुरक्षा के संरक्षण व अखंडता के लिए अनेक निगरानी व जोखिम प्रबंधन उपाय किए हैं। सेबी किसी धोखाधड़ी का पता लगाने व इसे रोकने तथा उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों व अन्य एजेंसियों के परामर्श से पूंजी बाजार में घटनाक्रमों पर निरंतर निगरानी रखता है।

तस्करी के मामले

1990. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह माह के दौरान देश में सिंगापुर, बैंकाक और हांगकांग से तस्करी करने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस समस्या से घरेलू बाजार और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। गत छः माह के दौरान देश में सिंगापुर, बैंकाक और हांगकांग से तस्करी के मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

अवधि	मामलों की संख्या	जब्तशुदा माल की कीमत (करोड़ रुपये में)
1.1.2004 से 30.6.2004	632	8.77
1.1.2005 से 30.6.2005	340	7.61

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर शून्य।

(घ) देश में सभी निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने और रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय सावधान और सतर्क हैं।

जूट उद्योग

1991. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट उद्योग के लिए 20 प्रतिशत के पूंजीगत निवेश पर उच्च राज सहायता सहित एक पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारत और विदेशी बाजारों में व्यापक विपणन नेटवर्क के साथ जैव टेक्सटाईल के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अपर्याप्त पटसन प्रसंस्करण सुविधाओं वाले पटसन उपजाने वाले क्षेत्रों अथवा पटसन न उपजाने वाले क्षेत्रों के नए स्थानों पर पटसन मिलों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए इस योजना के तहत 20 प्रतिशत की दर से सहायता देने के लिए पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के वास्ते पटसन विनिर्माण विकास परिषद प्रोत्साहन योजना में संशोधन कर दिया है। इन मिलों को कम से कम तीन महीनों के लिए उपकर का भुगतान करना चाहिए था।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार भारत एवं विदेशी बाजार में एक विस्तृत विपणन संबंधी नेटवर्क के साथ जैव-वस्त्रों का उत्पादन प्रोत्साहित कर रही है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) घरेलू एवं विदेशी मांग को पूरा करने के लिए सही मानक के पटसन जैव वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए उन्नत मशीनरी एवं अपेक्षित तकनीकें प्रदान करना।

(2) सभी राज्यों में तकनीकी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(3) पटसन जैव-वस्त्रों के निर्यात पर 5 प्रतिशत की दर से "बाह्य बाजार सहायता (ईएमए)" प्रदान करना।

(4) विभिन्न संबद्ध प्राधिकरणों/विभागों अर्थात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण एवं सिंचाई विभागों, सीमा सड़क संगठन एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ पटसन जैव-वस्त्रों के संवर्द्धन के लिए चर्चाएं एवं क्षेत्रीय परीक्षण आयोजित करना।

(5) पांच राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों में 47.84 कि.मी. में पटसन जैव-वस्त्रों का उपयोग कर एक पायलट परियोजना कार्यान्वित करना।

पेट्रोल उपकर

1992. श्री सुरेश कुरुप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर के रूप में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कब से संग्रहित किया जा रहा है;

(ख) ऐसे उपकर किन उद्देश्यों के लिए एकत्र किए जा रहे हैं;

(ग) इस उपकर के शुरू किए जाने के समय से प्रत्येक उद्देश्य के लिए कितनी राशि एकत्र की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों में वर्षवार केन्द्र सरकार के सकल राजस्व में ऐसी लेवी का हिस्सा कितना है; और

(ङ) कितनी राशि किस-किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 1998 के बजट में मोटर स्प्रिट

(सामान्यतः पेट्रोल के रूप में जाना जाने वाला) पर तथा 1999 के बजट में उच्च गति डीजल पर लागू किया गया था। इन अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रयोजनार्थ उपकर माना जाता है तथा इनसे हुई प्राप्तियां केन्द्रीय सड़क निधि में जमा की जाती हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सड़क निधि में जमा राशि का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना है तथा विभिन्न प्रयोजनों हेतु अलग-अलग संग्रहण नहीं किया जाता है :

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रख-रखाव;

(ii) ग्रामीण सड़कों का विकास;

(iii) अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कों सहित अन्य राजमार्गों का विकास एवं रख-रखाव;

(iv) पुल के माध्यम से या तो रेल पटरियों के नीचे से या उनके ऊपर से सड़कों का निर्माण तथा मानवरहित रेल-सड़क फाटकों पर सुरक्षा कार्यों का निर्माण; तथा

(v) ऐसी परियोजनाओं के संबंध में भुगतान जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

(घ) केन्द्र सरकार के सकल राजस्व में पेट्रोल एवं डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों का हिस्सा पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सकल कर राजस्व उच्च गति डीजल	मोटर स्प्रिट एवं हिस्सा पर उपकर	प्रतिशत
2002-03	216266	5241	2.42
2003-04	254348*	7440	2.92
2004-05	306021*	9069	2.96

*2003-04 तथा 2004-05 के लिए राजस्व संग्रहण आंकड़े क्रमशः "लेखा" एवं "संशोधित अनुमान (आरई)" आंकड़े हैं।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में वर्ष-वार आवंटन निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

	संशोधित अनुमान (आर.ई.)				बजट अनुमान (बी.ई.)
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-04	2005-06
राज्यों को अनुदान	350.00	944.84	875.60	835.53	1478.55
अंतर्राज्य तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों हेतु राज्यों को अनुदान	15.00	95.00	95.00	92.00	162.05
केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान	17.07	35.16	35.16	32.47	56.81
केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को अंतर्राज्य रूप से महत्वपूर्ण सड़कों हेतु अनुदान	1.00	5.00	5.00	4.00	8.54
एन.एच.ए.आई. में निवेश	2100.00	2000.00	1993.00	1848.00	3269.74
रेलवे	300.00	264.00	433.00	401.00	710.81
ग्रामीण सड़कें	25.00	2500.00	2325.00	2148.00	3809.50
कुल	5283.07	5844.00	5761.76	5361.00	9496.00

[हिन्दी]

पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन

1993. श्री गणेश सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विशेषकर पेयजल योजनाओं के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं तैयार करती है और इनके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को उत्तरदायी बनाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इन योजनाओं की फील्ड समीक्षा करती है अथवा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर ही विश्वास करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में वास्तविक स्थिति की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहुआयामी योजनाओं के चालू होने के बावजूद देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या पेयजल से वंचित है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) जल राज्य का विषय है। राज्य सरकारें सभी ग्रामीण बसावटों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं नियोजित, अनुमोदित तथा कार्यान्वित करती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहयोग तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करा कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (ग्रामीण पेयजल सहित) की क्षेत्र समीक्षा मूल्यांकन अध्ययनों, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं, जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं तथा क्षेत्र अधिकारियों की योजना के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता व्यय सुनिश्चित करने तथा अत्यधिक प्रभावी तरीके से योजनाओं के निष्पादन की निगरानी करने के लिए राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां हैं। स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत, यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा मिशन भेजे जाते हैं कि परियोजनाएं स्वजलधारा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं। विभाग पेयजल आपूर्ति के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ बैठकें आयोजित करके विभिन्न ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित वास्तविक स्थिति की समीक्षा भी करता है।

(घ) से (च) व्यापक कार्य योजना 1999 (सीएपी 99) तथा राज्यों द्वारा सूचित बाद की कवरेज स्थिति के आधार पर 96.13 प्रतिशत बसावटें पेयजल आपूर्ति के निर्धारित स्तर के अनुसार कवर कर ली गई हैं। तथापि, चूंकि कवरेज स्थिति बदलती रहती है, पूरी तरह से कवर की गई बसावटें, स्रोत के सूखने, जनसंख्या के बढ़ने, प्रणाली की उपयोग अवधि के बीत जाने जैसे विभिन्न कारणों से आंशिक तौर पर कवर की गई बसावट में अथवा कवर न की गई बसावट में वापस आ सकती हैं। सभी राज्यों से पेयजल आपूर्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए वर्ष 2003 में पुनः बसावट सर्वेक्षण करवाने का अनुरोध किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा वैधीकृत किया जा रहा है। भारत निर्माण के अन्तर्गत एक चार वर्षीय योजना (2005–06 से 2008–09 तक) में न केवल सीएपी 99 की बकाया कवर न की गई बसावटों को कवर करने पर अपितु निचली श्रेणी में लौट गई बसावटों को कवर करने पर विचार किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु धनराशि की कमी

1994. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह गौर किया है कि ग्रामीण विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही कतिपय योजनाएं पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के कारण अपने लक्ष्यों से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्याप्त धन जुटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की कोई समुचित निगरानी प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी योजनाओं के अन्तर्गत दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित केन्द्रीय निधियों की अनुपलब्धता के बारे में राज्य सरकारों/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा समिति के कार्य–निष्पादन, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति, जिसमें संसद सदस्यों को अधिक जिम्मेदारी दी गई है, कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं तथा योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन के प्रति दृढ़ता के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा प्रभाव और निधियों के उपयोग की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को चार–सूत्री रणनीति अपनाने का परामर्श दिया गया है जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जन–भागीदारी तथा (iv) जवाबदेही–ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा–परीक्षा। इसके अतिरिक्त, एसजीआरवाई तथा एनएफएफडब्ल्यूपी के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन अवश्य करने की सलाह दी गई है जो चल रहे काम की प्रगति तथा गुणवत्ता की निगरानी करेंगे तथा काम पूरा होने के पश्चात् ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के विचारार्थ कार्य की समाप्ति प्रमाणपत्र के साथ समिति की अंतिम रिपोर्ट संलग्न की जाएगी। मंत्रालय के कार्यक्रमों का देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रतिष्ठित स्वतन्त्र अनुसंधान संगठनों द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययनों/सहवर्ती मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से भी आकलन होता है।

हथकरघा विकास केन्द्र

1995. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में हथकरघा विकास केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में केन्द्रवार कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस योजना से कुल कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) हथकरघा विकास केन्द्रों/गुणवत्ता रंगाई एककों (एचडीसी एवं क्यूडीयू) की स्थापना की योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई थी और 1.4.1998 तक लागू रही। तथापि, योजना के तहत प्रतिबद्ध देयता 31.3.2002 तक ली गई थी। इसलिए, इसके अतिरिक्त देश में हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दाभोल विद्युत परियोजना

1996. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय व्यक्तियों ने दाभोल विद्युत परियोजना पुनः आरम्भ किए जाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत संयंत्र ने कूलिंग टावरों से पानी छोड़कर क्रीक को भी प्रदूषित किया है; और

(घ) यदि हां, तो संयंत्र द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों से बचाव करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) स्थानीय लोगों से डाभोल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित करने का विरोध संबंधी इस प्रकार का कोई प्रत्यावेदन विद्युत मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और डाभोल विद्युत कंपनी के बीच विवादों के फलस्वरूप मई–जून, 2001 में डाभोल संयंत्र बंद रहने के कारण अप्रचालन में रहा है। इसके प्रारम्भ होने पर परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने वाली कंपनी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमएसपीसीबी) की शर्तों को लागू करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संयंत्र का प्रचालन प्रदूषण संबंधी मामलों की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार हो रहा है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1997. श्री डी. विट्टल राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजनाएं बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित नीति वर्ष 2005–06 के वार्षिक नीति विवरण में बताई गई है। इसमें गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उन्नत कौशलों एवं प्रौद्योगिकी सहित वित्तीय रूप से सुदृढ़ क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है। बैंक ने जमाकर्ताओं के हित में इस क्षेत्र का विकास ठोस एवं लाभप्रद आधार पर करने का प्रयत्न किया है। बैंक ने कृषि, लघु उद्योग, लघु

सड़क एवं जल परिवहन चालकों (एसआरडब्ल्यूटीओ), जिन्हें बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के रूप में माना जाता है, को आगे उधार देने के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों द्वारा उधार दिए जाने के लिए समय–समय पर मानदंडों को शिथिल किया है। बैंक ने बैंकों को पुरानी आस्तियों के बदले गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति भी दी है। ये उपाय गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं।

[हिन्दी]

निर्लवणकरण संयंत्र

1998. मोहम्मद शाहिद :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्नी राम :
श्री मो. ताहिर :

क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महासागर विकास संस्थान ने निर्लवणकरण संयंत्र का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ऐसे निर्लवणकरण संयंत्र की लागत कितनी है;

(घ) ऐसे निर्लवणकरण संयंत्र अब तक किन–किन शहरों में स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) वर्ष 2005–06 के दौरान किन–किन शहरों में ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। विभाग के स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) चेन्नै ने समुद्री जल को पेय जल में बदलने के लिए कम तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रणाली (एलटीटीडी) विकसित की है। एलटीटीडी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यून निर्वात स्थितियों में गर्म सतही समुद्री जल के प्लावन और ठंडे गहरे समुद्री जल का प्रयोग करके वाष्प के संघनन द्वारा स्वच्छ जल तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै ने कम तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए कम तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रणाली (एलटीटीडी) पर आधारित क्रमशः 500 और 5000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले दो प्रयोगशाला स्तरीय विलवणीकरण संयंत्र विकसित कर लिए हैं। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने तूतीकोरिन से 40 कि.मी. दूर एक नौका (बार्ज) पर लगाए गए विलवणीकरण संयंत्र पर समुद्री जल से स्वच्छ जल तैयार करने का एलटीटीडी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन भी किया है, जिसमें 10 दिन में 10 लाख लीटर स्वच्छ जल सफलतापूर्वक तैयार किया गया और इस जल की गुणवत्ता उत्कृष्ट पाई गई है।

(ग) और (घ) मई 2005 में कावारत्ती, लक्षद्वीप में स्थापित 1 लाख लीटर की क्षमता वाले एलटीटीडी विलवणीकरण संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग 4.95 करोड़ रुपये है।

(ङ) लक्षद्वीप प्रशासन ने राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2005–06 में छः और द्वीपसमूहों में ऐसे संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखाई।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

1999. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार देश में वित्तीय संस्थाओं की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों का रुपये में संस्थावार मूल्य कितना है;

(ख) ऐसी वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली की संस्थावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लाभ की राशियों के विरुद्ध कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्थिति निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय संस्थाओं का नाम	रुपये के मूल्य में अनुप्रयोज्य आस्तियां	वसूली स्थिति	पिछले तीन वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि
1	2	3	4
आईडीबीआई लि.	847 (निवल)	4720 (2002–03 से 2004–05)	2408.47

1	2	3	4
एक्जिम बैंक	609.10 (सकल)	214 (2004–05)	46.75
सिडबी	1026 (सकल), 407 (निवल)	2453 (2004–05)	443.93
आईएफसीआई लि.	9283 (सकल), 2688 (निवल)	4964 (2003–04 से 2004–05)	147.2
आईआईबीआई लि.	1595.75 (सकल)	321.12 (2002–03 से 2004–05)	10.32

(घ) वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) से निपटने के लिए किए गए उपायों में ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) को सुदृढ़ करना, कंपनी ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर) तंत्र का कार्यान्वयन, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 लागू करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम में संशोधन, आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) स्थापित करने के लिए सामर्थ्यकारी कानून, एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) और तनावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) बनाना शामिल है।

[हिन्दी]

सेबी द्वारा लगाया गया जुर्माना

2000. श्री ब्रजेश पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार विनियामक सेबी ने चालू वर्ष के अन्त तक निर्धारित संख्या में स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति करने में असफल रहने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारपोरेट प्रस्ताव के मानदंडों के अनुसार आज तक निर्धारित संख्या में स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति करने वाली कंपनियों और नियुक्ति करने में असफल रहने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सेबी ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को निदेश दिया है कि वे वर्तमान खंड 49 के स्थान पर दिनांक 29 अक्तूबर, 2004 को अधिसूचित संशोधित खंड 49 प्रतिस्थापित करके कारपोरेट अभिशासन से संबंधित सूचीयन करार में संशोधन कर लें। संशोधित खंड 49 में, अन्य बातों के साथ–साथ, निदेशक मंडल के कम से कम एक–तिहाई निदेशकों की स्वतन्त्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति की जाने की व्यवस्था की गई है जहां अध्यक्ष एक गैर–कार्यकारी निदेशक है और निदेशक मंडल के कम से कम आधे निदेशकों की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशकों के रूप में करने की व्यवस्था की गई है जहां अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है। सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 के अनुपालन की अंतिम तिथि 31.12.2005 है तथा तत्पश्चात् और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

[अनुवाद]

यूटीआई का विलय

2001. श्री गुरुदास दासगुप्ता :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूटीआई के किसी अन्य संगठन के साथ विलय करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) यूटीआई का किसी अन्य संगठन के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सौर ऊर्जा

2002. श्री मदन लाल शर्मा :
श्री अनन्त गुढ़े :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सोलर फोटोवोल्टैक सिस्टम्स के माध्यम से देश में राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य में सौर विद्युतीकरण हेतु परियोजनाओं के वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य के अंशदान का अनुपात कितना है और उसका कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष में इस समय 883 गांवों में सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युतीकरण परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से गांवों के विद्युतीकरण की बैंचमार्क लागत के 90 प्रतिशत की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शेष लागत का वित्तपोषण लाभार्थियों से अंशदान के माध्यम से अथवा राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से किया जाना है। इस कार्यक्रम के लिए मंत्रालय को आवंटित निधियों की उपयोगिता की प्रतिशतता वर्ष 2002–03 के दौरान 58 प्रतिशत, वर्ष 2003–04 के दौरान 100 प्रतिशत और वर्ष 2004–05 के दौरान 35 प्रतिशत थी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2002–2003	2003–2004	2004–2005
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	–	47
2.	असम	36	–	3
3.	छत्तीसगढ़	30	152	53
4.	गुजरात	–	–	2
5.	जम्मू और कश्मीर	90	–	–
6.	झारखंड	–	–	24
7.	मणिपुर	–	–	106
8.	मेघालय	–	–	24
9.	उड़ीसा	8	10	–
10.	त्रिपुरा	–	–	16
11.	उत्तरांचल	139	52	–
12.	पश्चिम बंगाल	245	312	90

एसएफआईओ जांच

2003. श्री मुकीम :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री मुनव्वर हसन :

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जून, 2005 के "द इंडियन एक्सप्रेस में" "इन्वेस्टर्स सीक एसएफआईओ प्रोब इंटू एशियन कॉंसोलिडेटिड स्कैम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सीरियस फ्राड इनवेस्टिगेशन आफिस (एसएफआईओ) द्वारा किस प्रकार की जांच की गई है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान एसएफआईओ को कितने मामले भेजे गए;

(ङ) इनकी जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(च) क्या मुंबई उच्च न्यायालय ने केतन पारेख से जुड़े 14 कारपोरेट समूहों की जांच पर अंतरिम स्थगन को हटा दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ज) क्या एसएफआईओ भी केतन पारेख समूह की जांच कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, हां।

(ख) ऊपर उल्लेख किए गए समाचार में, यह रिपोर्ट दी गई थी कि एक मिडास टच निवेशक संघ, कानपुर ने यह आरोप लगाया है कि एशियन कॉनसोलीडेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बीयर/शीतल पेय के कनस्तर बनाने की एक परियोजना के लिए 115.47 करोड़ रुपये के पब्लिक–कम–राइट्स इश्यू निकाले हैं परन्तु इस परियोजना की स्थापना नहीं की तथा पब्लिक–कम–राइट्स इश्यू के सात वर्षों के बाद, समापन प्रक्रिया में चली गई।

(ग) कम्पनी मैसर्स एशियन कॉनसोलीडेटेड 16.10.1997 से समापन में चली गई है। कम्पनी के कार्यों की जांच को एसएफआईओ से लिए गए अधिकारी को नहीं दिया गया था।

(घ) और (ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान कम्पनी कार्य मंत्रालय ने एसएफआईओ से लिए निरीक्षकों को जांच के 29 मामले भेजे हैं। इनमें से पांच मामलों में जांच का कार्य पूरा हो गया है। जांच रिपोर्टों के आधार पर, उपयुक्त न्यायालयों में अभियोजन फाइल किए गए हैं।

(च) और (छ) मुंबई न्यायालय ने संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार केतन पारिख समूह की 16 कम्पनियों के बारे में अन्तरिम स्थगन को रद्द कर दिया है।

(ज) और (झ) 16 केतन पारिख समूह की कम्पनियों की जांच एसएफआईओ से लिए गए निरीक्षकों द्वारा की जा रही है। एसएफआईओ से जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

विवरण

केतन पारिख समूह कम्पनियों की सूची जिनके बारे में मुंबई उच्च न्यायालय ने जांच के अन्तरिम आदेश को रद्द कर दिया है :

1. मै. एनएच सिक्यूरिटीज लिमिटेड
2. मै. ट्रम्फ इन्टरनेशनल फाइनेन्स लिमिटेड
3. केएनपी सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
4. मै. वीएन पारेख सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
5. मै. पैन्थर इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड
6. पैन्थर फिनकेप एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
7. मै. सेमंगल इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड
8. मै. पैंथर इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
9. मै. गोल्डफिश कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड
10. मै. नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
11. मै. चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
12. मै. ल्यूमिनेन्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
13. मै. ट्रम्फ सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
14. क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड
15. क्लासिक शेयर्स एण्ड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड
16. मै. मनमन्दिर स्टेट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कर अधिकरण

2004. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कर अधिकरण ने कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा आज तक कितने मामले निपटाए गए;

(ग) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार अधिकरण में विवादों में कुल कितनी राशि लगी है; और

(घ) विवादित कर राशि की शीघ्र वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना

2005. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना के अन्तर्गत बन्द हो चुकी वस्त्र इकाइयों के वस्त्र कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कितने कामगार लाभान्वित हुए;

(घ) क्या कामगार इस योजना के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन कामगारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां।

(ख) योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कामगारों की संख्या निम्नलिखितानुसार है :

वर्ष	कामगारों की संख्या
2002–03	980
2003–04	343
2004–05	3298
कुल	4621

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस)

1. भूमिका

वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना 15 सितम्बर, 1986 से लागू हुई जिसका उद्देश्य संपूर्ण वस्त्र एककों अथवा उनके किसी विशेष भाग के स्थाई रूप से बन्द होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल पात्र कामगारों को उन्हें किसी दूसरे रोजगार में प्रवेश पाने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से ही देय है। ऐसी सहायता वंशानुगत, हस्तांतरणीय अथवा कामगार के किन्हीं अन्य दायित्वों के कारण जब्त किए जाने लायक नहीं है। कामगार की पात्रता तब समाप्त हो जाएगी यदि वह किसी दूसरे पंजीकृत अथवा लाइसेंससुदा उपक्रम में रोजगार प्राप्त कर लेता है। यदि कामगार किसी स्व–रोजगार के कार्य में अपने आपको लगा लेता है तो पुनर्वासन सहायता को कम नहीं किया जाएगा।

2. बन्द वस्त्र एकक

इस योजना के प्रयोजनार्थ, बन्द वस्त्र एकक से आशय है :

- बन्द होने की तिथि को मध्यम एकक के रूप में उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अथवा वस्त्र आयुक्त के पास लाइसेंससुदा अथवा पंजीकृत कोई एकक;
- उसने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अन्तर्गत उपयुक्त राज्य सरकार से बन्द करने के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त की हो अथवा वैकल्पिक रूप से, एकक को बन्द करने के प्रयोजन से कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया हो।
- वह एकक 6 जून, 1985 को अथवा उसके बाद बन्द किया गया हो।
- इसमें आंशिक रूप से बन्द एकक भी शामिल हैं जिनमें राज्य सरकार सिफारिश करती है कि संपूर्ण अनार्थिक क्रियाकलाप (जैसे बुनाई अथवा प्रसंस्करण) नौडिए अभिकरण/बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित रुग्ण/कमजोर मिल (आरबीआई की परिभाषा के अनुसार) के लिए पुनर्वासन पैकेज के एक भाग के रूप में समाप्त कर दिया गया है बशर्ते समाप्त की गई क्षमता रद्द करने के लिए अभ्यर्पित की गई हो तथा इस आशय का अनुमोदन/पंजीकरण प्रमाण–पत्र पर किया गया हो।

3. पात्रता

कोई भी कामगार पात्र होगा बशर्ते वह किसी बन्द वस्त्र एकक में उसके बन्द होने की तारीख को पांच वर्षों अथवा उससे अधिक से लगातार कार्य करता रहा हो और 6.6.1985 से 5.2.2002 के बीच बन्द मिलों के लिए 2500/– रुपये प्रति माह अथवा उससे कम और उसके बाद 3500/– रुपये अथवा उससे कम के बराबर वेतन लेता रहा हो। वे संबंधित राज्य के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा रखी जा रही भविष्य निधि में अंशदान करते रहे हों।

4. राहत की अवधि और मात्रा

इस योजना के अन्तर्गत राहत केवल 3 वर्षों के लिए टेपरिंग आधार पर उपलब्ध होगी लेकिन यह किसी कामगार की अधिवर्षिता की तिथि से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कामगार निम्नलिखित राहत प्राप्त करने का हकदार है :

- एकक के बन्द होने के प्रथम वर्ष में समान मजदूरी के 75 प्रतिशत की सीमा तक;
- दूसरे वर्ष में समान मजदूरी के 50 प्रतिशत की सीमा तक; और
- तीसरे वर्ष में समान मजदूरी के 25 प्रतिशत की सीमा तक।

5. योजना का प्रचालन

इस योजना का संचालन वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, मुंबई द्वारा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य सरकार, सरकारी परिसमापक, भविष्य निधि अधिकारियों, संबंधित नामित श्रमिक संघ और नामित बैंकों से समन्वय करके किया जाता है। राज्य सरकार प्रबंधन/सरकारी परिसमापक/भविष्य निधि अधिकारी आदि से कामगारों का ब्यौरा आदि एकत्रित करेगी और पात्र कामगारों की एक सूची

तैयार करेगी और उसे निर्धारित प्रपत्र में वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेगी। इस सूची की जांच वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी और सूचना पट्ट पर रखने के अलावा पात्र राहत के साथ पात्र कामगारों की सूची राज्य सरकार और नामित श्रमिक संघ को भेजी जाती है। अलग-अलग पात्र कामगारों को नामित राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग बचत बैंक खाता खोलने तथा राज्य सरकार के माध्यम से वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय को राहत का दावा करते हुए अपने आवेदन-पत्र के साथ-साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भेजना होता है। इस बीच वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय उन प्रस्तावों की जांच करता है और निधि की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है और निधि जारी करने के लिए वस्त्र आयुक्त के मुख्यालय कार्यालय को रिपोर्ट भेजता है। निधि आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक निधि वेतन व लेखा अधिकारी (वस्त्र) मुंबई द्वारा खोले गए साख पत्र के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय को आवंटित की जाती है। निधियों के प्राप्त होने पर, वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय पात्र कामगारों तथा प्रत्येक पात्र कामगार को भुगतान की जाने वाली राहत की राशि को सूची के साथ-साथ नामित बैंक के पक्ष में एक समेकित चेक भेजकर राहत संवितरण करता है।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निधियों को रोकना

2006. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान बिहार के लिए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जारी की जाने वाली पहली किस्त रोक ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) डीआरडीए/जिला परिषद को निधियों की रिलीज की पहली किस्त स्वतः ही रिलीज हो जाती है, बशर्ते पिछले वर्ष के दौरान दूसरी किस्त बिना किसी शर्त के रिलीज की गई हो। यदि पिछले वर्ष के दौरान दूसरी किस्त सशर्त रही हो, तो अगले वर्ष की पहली किस्त उन शर्तों के पूरा होने पर जारी की जाती है। बिहार की सभी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियों की दूसरी किस्त बाढ़ की स्थिति के कारण अग्रिम रूप में इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि सामान्य इंदिरा आवास योजना तथा विशेष सहायता के अन्तर्गत 2004-05 के दौरान रिलीज की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2005-06 के दौरान पहली किस्त की रिलीज से पहले प्रस्तुत कर दी जाएगी। आठ जिलों-भागलपुर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा तथा सीतामढ़ी को छोड़कर बिहार के सभी जिलों को अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद निधियों की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

जैव-ग्राम योजना

2007. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही जैव-ग्राम योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जैव-ग्राम योजनाओं का विस्तार पूरे देश में करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। किसानों और ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए विभाग ने "ग्रामीण विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम" योजना के अन्तर्गत 4 जैवग्राम परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

गुजरात में पोरबंदर जिले के मोचा-गोरसर गांव में जैव उर्वरक उत्पादन, आधुनिक कृषि-प्रौद्योगिकी, विभिन्न फसल किस्मों की खेती और सीबीड्स की खेती, तरल सीबीड उर्वरक को तैयार करना और बंजर भूमि पर बायो-डीजल और चारा के पादपों की खेती करना सहित रोग और कीट प्रबंधन पहलुओं में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 1997-98 में एक मॉडल जैवग्राम की स्वीकृति हो गई थी। ग्रामवासियों की मांग को पूरा करने के लिए रिवर्स ओसमोसिस के द्वारा प्रतिदिन 30,000 लीटर पेयजल का उत्पादन करने के लिए एक पेयजल संयंत्र की स्थापना की गई थी।

मध्य प्रदेश में नया गांव, भारूची, इंटखेड़ी, डंगरवाड़ा, बहमानी/छपरा, पटपारा, कल्याणपुर, जुआरी और कटनी में नित्या/कालुखेड़ा गांव, मंडला, रायसेन, जबलपुर, उमारिया, शहडोल, बेतुल और होसंगाबाद के जिलों में विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के द्वारा अर्थात् मशरूम की खेती, जैवउर्वरक, सेरीकल्चर, मक्खीपालन और शहद की खेती, स्पीरूलिना का उत्पादन, पस्कीकल्चर, पुष्प-कल्चर, लाक-खेती, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियां और उत्तम उत्पादों

के विकास के उद्यमियों विकास के लिए लागू करने के लिए 2001–02 में एक जैवग्राम परियोजना को स्वीकृत किया गया था।

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले में गन्ने की फसलों में जैवउर्वरक और जैवकीटनाशियों के अनुप्रयोग के प्रदर्शन करने, गन्ने के कीटों के विरुद्ध जैव नियंत्रक कर्मक के रूप में ट्राइकोग्रामा के प्रयोग के संबंध में किसानों को शिक्षित करना और गन्ने की हाईब्रिड और उच्च उपज वाली किस्मों की खेती में प्रशिक्षित एवं लागू करने के लिए 2002–03 में एक कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था।

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में समुदाय बीज गांव की स्थापना करने के लिए और किसानों को दालों, धान और तेलबीजों के उद्यमी के रूप में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए 2001–02 में एक कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था।

(ख) और (ग) अभी तक डीबीटी के पास देश में जैवग्राम धारणा के विस्तार की कोई योजना नहीं है।

(घ) विभाग के पास "सामाजिक उत्थान के लिए बायोटेक आधारित कार्यक्रम" की योजना है, जो अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए आजमाई हुई और स्थल परीक्षित प्रौद्योगिकियों में आयोजित प्रदर्शनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से देशभर में लागू की जा रही है।

[अनुवाद]

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोत

2008. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री चंदकांत खैरे :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत की ऊर्जा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं संबंधी विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन की ओर दिलाया गया है और क्या व्यापक राष्ट्रीय स्तर की पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा नीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनेक देशों ने इसके अध्ययन का समर्थन करने और इसके उत्पादन को अधिकतम स्तर तक करने के लिए पहले ही पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा अधिनियम बना दिया है;

(च) क्या भारत इस क्षेत्र में पिछड़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) देश में वृहत पन बिजली सहित अक्षय ऊर्जा से प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण के लगभग 34 प्रतिशत हिस्से का योगदान प्राप्त होता है। इस हिस्से को आगामी वर्षों में बनाए रखना एक चुनौती होगी। वर्तमान में ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता देश में कुल विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता के लगभग 6 प्रतिशत हिस्से का योगदान करती है। तथापि, 10वीं और 11वीं योजना अवधियों (2002–12) के लिए 10 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 10वीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002–05) के दौरान विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता का लगभग 18 प्रतिशत योगदान अक्षय स्रोतों से प्राप्त हुआ है। इसमें से 13 प्रतिशत (1967 मेवा.) पवन विद्युत से, 2 प्रतिशत (267 मेवा.) लघु पनबिजली से तथा लगभग 3 प्रतिशत (407 मेवा.) बायो–ऊर्जा से प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) बिजली अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बिजली नीति, 2005, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अक्षय विद्युत शामिल है, पहले ही घोषित कर दी गई है।

(ङ) से (छ) जी, हां। यूरोपीय आयोग ने क्योटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत अपने दायित्वों के भाग के रूप में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए कोटा निर्धारित करते हुए सदस्य देशों को एक मार्ग–निर्देश जारी किया है जिसके फलस्वरूप यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा उपयुक्त विधायी कार्रवाई की जा रही है/की गई है। कुछ अन्य देशों ने इसका अनुसरण किया है। प्रसंगवश, भारतीय कार्यक्रम मौसम परिवर्तन से प्रभावित नहीं है, परन्तु ऊर्जा सुरक्षा/आत्म–निर्भरता के मुद्दों से उद्भूत होता है। बिजली अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बिजली और शुल्क–दर नीतियां इतनी व्यापक होंगी कि ये देश में अक्षय विद्युत के संतुलित विकास के लिए नीतिगत और विनियामक ढांचा प्रदान करेंगी। इस संबंध में उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य बिजली विनियामक आयोग को उनके अधिकार क्षेत्र में ग्रिड–इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए कोटा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है जिसके लिए अधिमान्य शुल्क–दर प्रदान की जाएगी। यह देश ग्रिड–इंटरएक्टिव पवन विद्युत की संस्थापना में विश्व में जर्मनी, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद पहले से ही चौथे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, देश में लघु पनबिजली और बायो–ऊर्जा ग्रिड–इंटरएक्टिव विद्युत संबंधी बड़े कार्यक्रम हैं।

डी.पी.ए.पी. और आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अन्तर्गत लंबित परियोजनाएं

2009. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को निधियों के आवंटन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कतिपय राज्यों से समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव/परियोजनाएं प्राप्त किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अब तक राज्यवार कितनी परियोजनाओं/प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया;

(ङ) शेष परियोजनाओं/प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) शेष परियोजनाओं/प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) मांग आधारित कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के दौरान नई परियोजनाएं स्वीकृत करता है। प्राथमिकता सूची में शामिल नई आईडब्ल्यूडीपी परियोजनाएं, परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में बंजरभूमि के क्षेत्रफल, बंजरभूमि को विकसित करने में राज्य की क्षमता, चल रही परियोजनाओं का विगत कार्य-निष्पादन तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्वीकृत की जाती हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अन्तर्गत 500-500 हैक्टेयर की नई परियोजनाएं संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उन मानदंडों जिनमें राज्य में डीपीएपी कवरेज, चल रही परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन, कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट की उपलब्धता शामिल है, आदि को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाती हैं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां जिला पंचायतों (जैडपी)/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए)/राज्य सरकारों को 5 वर्षों की परियोजना अवधि में किस्तों में जारी की जाती हैं। केन्द्रीय भाग की प्रथम किस्त परियोजना की स्वीकृति के साथ ही जारी कर दी जाती है और बाद की किस्तें जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/राज्य सरकार से संबंधित दस्तावेजों सहित विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाती हैं।

(ख) से (च) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के तहत परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्यों से जिलों की प्राथमिकता सूची मंगवाई जाती है और परियोजनाएं चल रही परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के पश्चात् बजट की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं। प्राथमिकता सूची में शामिल वे परियोजना प्रस्ताव जिन्हें एक विशेष वर्ष में स्वीकृत नहीं किया जाता है, वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाते हैं। यदि राज्य सरकारें उन परियोजनाओं (जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था) को अगले वित्तीय वर्ष की प्राथमिकता सूची में शामिल करती हैं तभी परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में उन पर विचार किया जाता है। अतः छोड़ी गई परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अन्तर्गत, कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए जाते हैं क्योंकि परियोजनाएं हनुमंत राव समिति (1994) द्वारा पहचान किए गए ब्लाकों को स्वीकृत की जाती हैं। गत तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान और चालू वर्ष अर्थात् 2005-06 में 2.8.2005 तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या		डीपीएपी के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या
		2002-03 से 2004-05	2005-06	2002-03 से 2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	10	865
2.	बिहार	18	13	168
3.	छत्तीसगढ़	17	7	348
4.	गोवा	2	2	0

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	20	11	741
6.	हरियाणा	8	5	0
7.	हिमाचल प्रदेश	10	13	130
8.	जम्मू और कश्मीर	5	10	198
9.	झारखंड	10	0	564
10.	कर्नाटक	20	16	675
11.	केरल	3	12	0
12.	महाराष्ट्र	19	10	899
13.	मध्य प्रदेश	31	15	803
14.	उड़ीसा	16	7	452
15.	पंजाब	4	5	0
16.	राजस्थान	18	15	305
17.	तमिलनाडु	21	19	464
18.	उत्तर प्रदेश	26	9	478
19.	उत्तरांचल	13	11	277
20.	पश्चिम बंगाल	6		176
	योग	289	190	7541
पूर्वोत्तर राज्य				
21.	अरुणाचल प्रदेश	29	20	0
22.	असम	64	17	0
23.	मणिपुर	18	7	0
24.	मेघालय	14	6	0
25.	मिजोरम	15	15	0
26.	नागालैंड	17	4	0
27.	सिक्किम	7	4	0
28.	त्रिपुरा	7	3	0
	योग	171	76	0
	कुल योग	460	266	7541

टिप्पणी : प्रत्येक डीपीएपी परियोजना में 500 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2005-06 के दौरान अभी तक डीपीएपी के अन्तर्गत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

मानसून का पूर्वानुमान

2010. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
प्रो. चन्द्र कुमार :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न एजेंसियों द्वारा बताए गए मानसून पूर्वानुमान में अत्यधिक अंतर के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मानसून पूर्वानुमान और वास्तविक मानसून में कितना अंतर रहा है; और

(ग) पूर्वानुमान खामियों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) विभिन्न एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए मानसून पूर्वानुमानों में भिन्नता इसलिए आती है कि वे अलग-अलग तरीकों तथा विभिन्न सूचना पैरामीटरों का उपयोग करते हैं। दीर्घावधि पूर्वानुमानों को तैयार करने के लिए, मूलतः दो समान पद्धतियां हैं अर्थात् सांख्यकीय और गतिकीय। भविष्यवाणीकर्ताओं के रूप में सांख्यकीय पद्धति भूमण्डलीय और क्षेत्रीय पैरामीटरों के उपयोग पर आधारित है तथा पूर्वानुमान पद्धति 30-40 वर्ष पूर्व के आंकड़ों के उपयोग से प्राप्त की जाती है। गतिकीय पद्धतियां गणितीय माडल्स हैं जो स्पष्टतः वायुमण्डल तथा महासागर की भौतिकी एवं गतिकी का उपयोग करती हैं। इस प्रकार के माडलों के लिए भूमण्डलीय सागर सतही तापमान आंकड़ों को सीमा स्थितियों के रूप में उपयोग में लाया जाता है।

(ख) भारतीय मौसम विज्ञान के सरकारी पूर्वानुमानों का गत तीन वर्षों का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	वास्तविक (एलपीए का प्रतिशत)	पूर्वानुमान (एलपीए का प्रतिशत) ± 4 प्रतिशत
2002	81	101
2003	102	98
2004	87	100

एलपीए : दीर्घावधि औसत

2002 में पूर्वानुमान असफल रहा जिसके पश्चात् आईएमडी में दो मॉडल (8 एवं 10 पैरामीटर्स) लगाए गए थे जिन्होंने वर्ष 2003 के लिए सही पूर्वानुमान दिया। लेकिन अगले वर्ष आईएमडी का पूर्वानुमान 2004 के सूखे की भविष्यवाणी करने में असफल रहा। वर्ष

2004 के भारतीय सूखे की विश्व में किसी मॉडल द्वारा भविष्यवाणी नहीं की गई थी, 2004 के सूखे का कारण मध्य प्रशान्त महासागर का अवांछित रूप से गर्म होना था जिसका पूर्वानुमान निर्धारित अल–निनो केन्द्रों द्वारा नहीं किया जा सका।

(ग) आईएमडी दीर्घावधि पूर्वानुमान में क्षमताओं में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। इस वर्ष, आईएमडी ने स्वदेशी रूप से नए सांख्यिकी मॉडलों का विकास किया है जिन्होंने बहुत आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। हिन्डकास्ट मोड में इन मॉडलों ने 2002 और 2004 के सूखे की भविष्यवाणी की थी जबकि प्रचालनात्मक मॉडल ऐसा करने में असफल रहे।

इसके अतिरिक्त, आईएमडी ने भारतीय विज्ञान केन्द्र, बंगलौर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के तहत एक गतिशील पूर्वानुमान पद्धति का भी कार्यान्वयन किया है। इस प्रयोजनार्थ, आईएमडी ने स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओसनोग्राफी, यूएसए के प्रयोगात्मक जलवायु पूर्वानुमान केन्द्र (ईसीपीसी) में विकसित गतिशील मॉडल को अपनाया है। वर्तमान में, इस मॉडल के कार्य–निष्पादन और इसकी दक्षता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआर डब्ल्यूएफ) और गणितीय मॉडलिंग तथा कम्प्यूटर सिम्यूलेशन के लिए सीएसआईआर केन्द्र जैसे कुछ अन्य अनुसंधान संस्थान भी गतिकीय मॉडल अध्ययन कर रहे हैं। तथापि इन अध्ययनों को नेमी प्रचालनात्मक उपयोग के लिए अभी वैधीकृत होना है।

100 शीर्ष कंपनियों पर निगमित कर

2011. श्री एस. अजय कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–05 के दौरान 100 शीर्ष निजी कंपनियों से कितना निगमित कर वसूल किया गया;

(ख) ऐसी कंपनियों ने कितना कर अपवंचन किया; और

(ग) सरकार द्वारा कंपनियों को दिए गए अनेक कर प्रोत्साहनों के कारण उन्होंने कितनी राशि की बचत की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) कर वसूली का कंपनी–वार ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए विशिष्ट कंपनियों द्वारा कर भुगतानों को ऐसी कंपनियों की आय की विवरणियों से ही प्राप्त किया जा सकता है जो, तथापि, दिनांक 31 अक्तूबर, 2005 तक दायर की जानी हैं।

(ख) आय की विवरणी की समीक्षा और आय के निर्धारण के बाद कर अपवंचन की राशि की मात्रा लगाई जाती है। चूंकि, वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए निगमित करदाताओं की आय की विवरणियां अभी दायर की जानी हैं, इसलिए 100 शीर्ष निजी कंपनियों द्वारा अपवंचित कर की राशि की मात्रा बता पाना सम्भव नहीं है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2004–05 की आय की विवरणी जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2005 तक दायर की जानी है, के बिना ऐसे विवरण को समेकित नहीं किया जा सकता है।

वैट का लागू होना

2012. श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकांश राज्यों में वैट प्रणाली लागू होने का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक वैट प्रणाली लागू न करने वाले तमिलनाडु, उत्तरांचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि जैसे राज्यों का क्या रवैया है;

(घ) क्या अनेक व्यापारियों ने माल सूची के क्रेडिट का दावा नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वैट लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्यों से प्राप्त सामान्य सूचना यह है कि नई प्रणाली का व्यापारिक समुदाय तथा जनता ने स्वागत किया है। वैट लागू करने के समय कुछ आरंभिक समस्याएं थीं जिनका राज्यों ने दावाकर्ताओं के साथ सतत बातचीत करके लगभग समाधान कर दिया गया है।

(ग) उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिन्होंने अभी तक वैट कार्यान्वित नहीं किया है वैट कार्यान्वित करने के निर्णय के बारे में इन राज्यों/संघ राज्यों के संबंध में सूचना नहीं है, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर जिसने पंजाब वैट कानून को अपनाने का निर्णय लिया है जिसके लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण होने की प्रक्रिया में हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि व्यापारियों ने कई राज्यों में माल सूची

के संबंध में क्रेडिट का दावा करना आरंभ कर दिया है। प्रक्रिया पूरी होने से पहले कुछ माह का समय लगने की संभावना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

2013. श्री अजीत जोगी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुछ मिलों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मिलों पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या ये सभी मिलें घाटे में चल रही थीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) बीआईएफआर/सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन योजनाओं के अनुसार 65 गैर–अर्थक्षम मिलें बन्द कर दी गई हैं, 2 मिलें पांडिचेरी सरकार को सौंप दी गई हैं और 52 अन्य मिलों की पहचान पुनरुद्धार के लिए की गई है। इनमें से 22 मिलों की पहचान प्रथम चरण में आधुनिकीकरण के लिए की गई है।

(ख) राज्य–वार सूची निम्नलिखितानुसार है :

कर्नाटक	1. मिनर्वा मिल्स
केरल	2. अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स
	3. कन्नोर स्पि. एंड विविंग मिल्स
	4. केरल लक्ष्मी मिल्स
	5. विजयमोहिनी मिल्स
माहे	6. कन्नानोर स्पि. एंड विविंग मिल्स
महाराष्ट्र (उत्तर)	7. पोद्दार मिल्स
महाराष्ट्र (दक्षिण)	8. बारसी टेक्सटाइल मिल्स
	9. फिनले मिल्स
	10. टाटा मिल्स
	11. इंडिया यूनाईटेड मिल्स सं. 5
तमिलनाडु	12. कम्बोडिया मिल्स
	13. कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स
	14. पंकज मिल्स
	15. पायनिअर स्पिनर्स मिल्स
	16. श्री रंगविलास स्पि. एंड विविंग मिल्स
	17. कालीश्वर स्पि. मिल्स ख इकाई
राजस्थान	18. उदयपुर कॉटन मिल्स
गुंजरात	19. राजनगर टेक्सटाइल मिल सं. 1
पश्चिम बंगाल	20. आरती कॉटन मिल्स
मध्य प्रदेश	21. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स
	22. न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स

(ग) इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन धन, नवीनीकरण एवं नई मशीनरी पर निवेश के लिए 483.1 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ) एनटीसी की सभी मिलें घाटा उठा रही हैं। एनटीसी समूह का कुल संचित घाटा दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार 9829 करोड़ रुपये था।

फलों तथा सब्जियों के निर्यात पर सेवा कर

2014. श्री जे. एम. आरून रशीद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फलों तथा सब्जियों के निर्यात पर सेवा कर लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका भारतीय अर्थव्यवस्था तथा व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) फलों और सब्जियों के निर्यात पर सेवा कर नहीं लगाया जाता। फिर भी सरकार को फलों और सब्जियों के निर्यातकर्ताओं सहित विभिन्न निर्यातकों से सभी निर्यातों को हवाई जहाज द्वारा वहन करने की करादेय सेवाओं पर सेवा कर से छूट हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने हुए, सरकार ने दिनांक 15 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. 29/2005–सेवा कर द्वारा हवाई जहाज से वहन किए गए निर्यात माल को सेवा कर से पूर्णतया छूट दी है।

संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना

2015. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) इसके अन्तर्गत राज्य–वार कितने जिले शामिल किए गए हैं;

(ग) योजना के अन्तर्गत सभी जिलों को शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके अन्तर्गत शेष जिलों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) इस मंत्रालय द्वारा संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना नामक कोई भी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

परती भूमि के विकास के लिए विदेशी सहायता

2016. श्री सीताराम सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण का पठार जहां बहुत कम वर्षा होती है तथा भू–स्खलन की संभावना वाले हिमालय जैसे क्षेत्रों में परती भूमि के विकास के लिए घरेलू संसाधन पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किन–किन देशों से विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) इस सहायता से सरकार द्वारा राज्य–वार कितने हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय मरुभूमि तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों एवं बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए दक्षिण के पठार और हिमालय क्षेत्र सहित पूरे देश में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) जैसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। ये कार्यक्रम वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों में भूमि अवक्रमण को रोक कर तथा ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाकर बंजरभूमि तथा अवक्रमित भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने के संघटक शामिल हैं। गत तीन वर्षों के दौरान हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण के पठार सहित विभिन्न राज्यों में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

कार्यक्रम	स्वीकृत की गई परियोजनाएं	परियोजना क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)
आईडब्ल्यूडीपी	460	24.60	848.57
डीपीएपी	7563	37.82	844.79
डीडीपी .	4764	23.82	614.78
योग	12787	86.24	2308.14

उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाएं पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाती हैं। तदनुसार परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित परियोजनाएं जिनमें दक्षिण के पठार तथा हिमालय क्षेत्र में विदेशी दाता एजेंसियों की सहायता से बंजरभूमि को विकसित करना भी शामिल है, कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक की अवधि के दौरान इन परियोजनाओं की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्त की गई/ उपयोग में लाई गई राशि (करोड़ रु. में)	बंजरभूमि का विकास (हैक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	कैनेडीयन इंटरनेशनल डिवलेपमेंट एजेंसी (सीआईडीए) से सहायता प्राप्त ट्री ग्रोअर्स सहकारी परियोजनाएं (टीजीसीपी)	16.83	आंध्र प्रदेश – 3015 कर्नाटक – 1552 गुजरात – 1221 मध्य प्रदेश – 922 उत्तरांचल – 215 योग – 6925
2.	यूरोपीयन कमीशन (ईसी) से सहायता प्राप्त हरियाणा सामुदायिक वानिकी परि–योजना (एचसीएफपी)	42.06	25000

1	2	3	4
3.	जापान बैंक फॉर इन्टर–नेशनल को–ऑपरेशन (जेबीआईसी) से सहायता प्राप्त अट्टापड्डी बंजरभूमि विस्तृत पर्यावरणिक संरक्षण परियोजना, केरल	34.54	9271
4.	डिपार्टमेंट फॉर इन्टर–नेशनल डिवलेपमेंट (डीएफआईडी) से सहायता प्राप्त आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीविका परियोजना (एपीआरएलपी)	166.92	125000

जबकि क्रम संख्या 4 में दी गई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग के जरिए जारी की जा रही हैं, तथापि अन्य तीन परियोजनाओं के अन्तर्गत निधियां आर्थिक कार्य विभाग के जरिए सीधे ही कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

[अनुवाद]

जैव-प्रौद्यागिकी का दोहन

2017. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जैव–प्रौद्योगिकी का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी रणनीति को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद किन–किन क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है; और

(घ) नई राष्ट्रीय रणनीति के कब तक अस्तित्व में आ जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एक राष्ट्रीय जैव–प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित कार्यनीति का प्रमुख बल आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए जैव–प्रौद्योगिकी खोज, अनुसंधान एवं उत्पाद विकास को प्रोत्साहन देने पर है। इस कार्यनीति का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि हमारा देश वर्तमान मंच का निर्माण ही न करे बल्कि अपनी संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करते हुए जैव–प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व को तैयार करने के लिए विस्तृत आधार तैयार कर सके।

(ग) मसौदा कार्यनीति जैव–प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेम वर्क को प्रदान करती है जिसके अन्दर विशेष कार्रवाई की जा सकती है। मानव संसाधन विकास, खोज और उद्योग को बढ़ावा, अवसंरचना का विकास और विनिर्माण, बायोटेक पार्क, विनियामक प्रक्रियाओं, जनसंचार के अन्तर्गत कुछ विषयों को संबोधित किया गया। मसौदा कार्यनीति कृषि, स्वास्थ्य देख–रेख, पर्यावरण, मूलभूत विज्ञान, उद्योग आदि क्षेत्रों में विशिष्ट उपायों पर भी कार्य करती है।

(घ) जैव–प्रौद्योगिकी कार्यनीति के मसौदे को 31 मार्च, 2005 को विभाग की वेबसाइट पर डाला गया था और 16 मई, 2005 तक इस पर टिप्पणियां मांगी गई थीं। छात्रों, शिक्षा क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों एवं उद्योग के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, गैर–सरकारी संगठनों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से 250 से भी ज्यादा टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। गैर–सरकारी संगठनों और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श भी किया गया है।

प्राप्त सुझावों की अब विभाग में और संबंधित विशेषज्ञ दलों के साथ जांच की जा रही है। अंतर–मंत्रालीय विचार–विमर्शों का भी आयोजन किया गया। इन सुझावों से युक्त संशोधित दस्तावेज की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जाएगी और तत्पश्चात् इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में नई राष्ट्रीय जैव–प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति को लागू करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा देना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

कर छूट

2018. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली चैम्पियन ट्राफी का आयोजन कराने के लिए सरकार द्वारा कर में छूट दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय से सरकार को कितना घाटा होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार क्रिकेट के अलावा अन्य खेल संबंधी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए उक्त आयकर में छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2006 में भारत में आयोजित की जाने वाली आईसीसी चैम्पियन्स ट्राफी के लिए संचार माध्यमों तथा प्रायोजकता अधिकारों की बिक्री के फलस्वरूप ग्लोबल क्रिकेट काउंसिल से आईडीआई द्वारा प्राप्त 42 मिलियन अमरीकी डालर की अदायगी के संबंध में आईसीसी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड (आईडीआई) को आयकर छूट देने का निर्णय लिया है।

(ग) इस निर्णय के कारण सरकार द्वारा उठाए जाने वाले राजस्व की यथार्थ हानि की मात्रा का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस लेन–देन से संबंधित संभावित व्यय की राशि का पता नहीं है। तथापि, भारत में इस प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा के आयोजन करने के कारण इस छूट के फलस्वरूप होने वाली किसी राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति विभिन्न स्रोतों, विशेषकर पर्यटन से प्राप्त राजस्व से की जाएगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ताकि बहुराष्ट्रीय सहभागिता वाले संगत खेल का विनियमन करने के लिए स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित, भारत में आयोजित की गई अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं से उद्भूत होने वाली आय को उचित कर छूट दी जा सके। यह छूट केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा, लाभग्राहियों तथा छूट दी जाने वाली आय की श्रेणी एवं अनुपात को अधिसूचित किए जाने पर उपलब्ध होगी।

[अनुवाद]

पिछड़ा राज्य विकास निधि

2019. श्री तथागत सत्पथी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़ा राज्य विकास निधि से वित्तीय सहायता आवंटन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निधि से कौन–कौन से राज्य लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के आवंटन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि संबंधी दिशानिर्देशों को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विद्युत केन्द्र

2020. श्री रावापति सांबासिवा राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कृतिक बल ने अमेरिका, नार्वे, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड आदि देशों में विद्युत बाजार का अध्ययन करने के लिए दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दौरे के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अमेरिका तथा अन्य देशों ने किस सीमा तक साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यह केन्द्र कृतिक बल के द्वारा भारत को विद्युत क्षेत्र में इसका लक्ष्य हासिल करने तथा इसे आत्मनिर्भर बनाने में किस सीमा तक सहायक हुए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) भारत में राष्ट्रीय स्तर पर थोक विद्युत विनिमय की संभावना से संबंधित विभिन्न मुद्दों का परीक्षण करने हेतु तथा उसके लिए सलाहकार संघ अर्थात् मै. क्रिसिल तथा मै. नार्डपूल कन्सल्टिंग नार्वे की मार्फत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु पहल की गई है।

इस संबंध में, एक मुख्य (कोर) टीम (विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) पावरग्रिड, एनटीपीसी तथा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीटीसी) के प्रतिनिधियों की) सलाहकारों से आपसी विचार–विमर्श करने हेतु गठित की गई है।

विद्युत मंत्रालय केविप्रा, पावरग्रिड, एनटीपीसी तथा पीटीसी के प्रतिनिधियों की टीम ने अप्रैल, 2005 के पहले पखवाड़े में नार्वे, नीदरलैंड, कनाडा, यूएसए तथा आस्ट्रेलिया का दौरा इन देशों में विद्युत बाजारों का अध्ययन करने के लिए किया।

दौरे के दौरान की गई विभिन्न बाजारों के विशिष्ट विशेषताओं के अध्ययन में तथा भारत में विद्युत विनियम के लिए उचित माडल के विकास में आवश्यक मुख्य मुद्दों का पता लगाने में सहायता मिली है, जो थोक स्तर पर विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा में तेजी लाने के लिए पारदर्शी तथा तटस्थ प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा और इससे विद्युत क्षेत्र की क्षमता में सुधार होगा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंकों का अधिग्रहण

2021. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में मारीशस में एक बैंक का अधिग्रहण किया है तथा शीघ्र ही कुछ और बैंकों का अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार अधिग्रहण किए गए विदेशी बैंक लाभ अर्जित करने वाले बैंक हैं;

(घ) यदि हां, तो बैंकों की वित्तीय हालत कैसी है; और

(ङ) बैंकों का अधिग्रहण भारतीय स्टेट बैंक की वृद्धि में किस सीमा तक सहायक होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने मारीशस में इंडियन ओसन इंटरनेशनल बैंक लि. (आईओआईबी) में प्रबंधकीय नियंत्रण के साथ 51 प्रतिशत इक्विटी स्टेक प्राप्त कर लिया है। फिलहाल, भारतीय स्टेट बैंक के पास मारीशस में अभिग्रहण हेतु कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान आईओआईबी लाभप्रद रहा है और 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार मारीशस रुपये में 33.44 मिलियन का लाभ अर्जित किया है तथा इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 23.98 प्रतिशत था।

(ङ) आईओआईबी के अभिग्रहण ने मारीशस के बाजार में खुदरा बैंकिंग तथा अन्य उत्पाद शुरू करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को एक विद्यमान लाभकारी मंच प्रदान किया है।

उड़ीसा में आयकर

2022. श्री जुएल ओराम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा में आयकर विभाग ने वर्षवार कुल कितना राजस्व संग्रहित किया;

(ख) क्या उक्त वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में उच्च न्यायालय में कोई मुकदमे का मामला लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) आयकर विभाग के द्वारा उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्र किए गए राजस्व की कुल राशि निम्नानुसार है :

वित्त वर्ष	एकत्र किए गए राजस्व की राशि
2004–05	2197.65 करोड़ रुपये*
2003–04	1399.38 करोड़ रुपये
2002–03	942.74 करोड़ रुपये

*वर्ष 2004–05 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2004–05 में लक्ष्य को बढ़ाया गया था एवं वित्त वर्ष 2003–04 में 1.5 प्रतिशत की थोड़ी सी कमी आई थी। वित्त वर्ष 2002–03 में 87 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

(ग) एक विशेष क्षेत्र के लिए राजस्व संग्रहण के लक्ष्य कुछ विकास मानदण्डों को मानकर निश्चित किए जाते हैं। कुछ वर्षों में, अर्थव्यवस्था का वास्तविक निष्पादन, लक्ष्यों को निर्धारित करते समय लगाए गए अनुमानों से कम ही रहता है, जिसके फलस्वरूप इसमें कमी आ जाती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) आयकर विभाग ने उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष 190 अपीलें दायर की हैं।

(च) उन मामलों में जहां उड़ीसा के कर निर्धारितियों ने उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलें दायर की हैं वहां दिनांक 31.5.2005 को शेष बकाया राशि 8 करोड़ रुपये (लगभग) है। जैसा कि ऐसे मामलों में विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण के स्तर पर हार चुका है, आयकर विभाग द्वारा दायर की गई अपीलों में, यद्यपि कोई बकाया राशि नहीं है, राजस्व अंतर्ग्रस्त होगा, यदि विभाग अपील में सफल होता है। तथापि, इस तरह के राजस्व की राशि को निश्चित करना कठिन है।

[हिन्दी]

अफीम उत्पादक

2023. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में अफीम उत्पादकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अफीम का कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) अफीम की अवैध खेती को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जहां पोस्त की खेती लाइसेंस के तहत की जाती है तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश में कोई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र नहीं है) में अफीम पोस्त के कृषकों की संख्या निम्नवत है :

फसल वर्ष	तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लाइसेंसशुदा अफीम कृषकों की संख्या (जनजातीय क्षेत्रों सहित)				जनजातीय क्षेत्रों में कृषकों संख्या	
	मध्य प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	कुल	मध्य प्रदेश	राजस्थान
2002-03	48459	44364	9219	102042	71	4752
2003-04	48207	46695	10795	105697	90	4693
2004-05	42351	43532	1787	87670	49	4470

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अफीम का उत्पादन निम्नवत है :

फसल वर्ष	70° गाढ़ेपन पर अफीम का कुल उत्पादन (मीट्रिक टन में)
2002-03	684
2003-04	1087
2004-05	439 (अनंतिम)

(ग) अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और अवैध खेती के खतरों के बारे में जागृति पैदा करने के लिए कदम उठाने के लिए विभिन्न ड्रग प्रवर्तन एजेंसियों और कुछ राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान देश में नष्ट किए अवैध अफीम की खेती का कुल क्षेत्र 2002 के दौरान 539 एकड़, 2003 के दौरान 1243 एकड़ और 2004 के दौरान 417 एकड़ है।

[अनुवाद]

कम लागत वाले लैपटॉप

2024. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित कम लागत वाले लैपटॉप देश में बना लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये लैपटॉप देश में आम आदमी के उपयोग के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) सीएसआईआर द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) कार्यक्रम के अन्तर्गत मैसर्स एंकर सॉफ्टवेअर लिमिटेड, बेंगलूर द्वारा कम लागत वाले कम्प्यूटरों का विकास किया गया है। इन कम्प्यूटरों के आदिप्ररूपों को 10 मई, 2005 को लांच किया गया था। वर्तमान में यह कंपनी इस उत्पाद के उत्पादन एवं विपणन हेतु अनेक अवयव आपूर्तिकताओं के साथ संबंध स्थापित कर रही है तथा कुछ ही माहों में यह बाजार में उपलब्ध हो जाएगा।

सोना, हीरा तथा नकदी की जब्ती

2025. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी परिसर की छत से अदावाकृत सोने के बिस्कुट, हीरे जड़े हुए आभूषण तथा नकदी जब्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब्त की गई वस्तुओं की कीमत कितनी है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, हां। 23 मई, 2005 की शाम को राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के किसी अधिकारी दम्पत्ती के सरकारी आवास (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के कैम्पस में) की छत पर एक लावारिस बैग पाया गया था।

संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस प्राधिकारियों को बैग में रखी बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में लिखित रूप से तत्काल सूचित किया गया। समुचित पंचनामा बनाने के पश्चात् पुलिस प्राधिकारियों ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया था।

बैग में पाई गई वस्तुओं का विवरण और पुलिस द्वारा यथा मूल्यांकित इन वस्तुओं की अनुमानित कीमत निम्नानुसार है :

(i)	12 सोने के बिस्कुट	6,00,000/– (अनुमानित) पुलिस द्वारा आंकी गई कीमत
(ii)	भारत पेट्रोलियम का 100 ग्राम वजन का एक गोल्ड मैडल	50,000/–
(iii)	सोने की वस्तुएं (आभूषण)	5,61,000/–
(iv)	नकदी	1,61,000/–
	योग	13,72,000/–

(घ) से (च) नागपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

बैंकिंग सुधार

2026. श्री अधीर चौधरी :
श्री उदय सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बैंकिंग क्षेत्र में नए सुधारों पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बैंकिंग क्षेत्र अपेक्षित वांछनीय परिणाम नहीं दर्शा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वृद्धि में नए बैंकिंग क्षेत्र संबंधी सुधार किस सीमा तक सहायक होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2005–06 के अपने बजट भाषण में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के लिए खाका तैयार कर लिया है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व एवं अभिशासन संबंधी मार्गनिर्देशों सहित विदेशी बैंकों के लिए खाका जारी किया।

(ग) से (ङ) इन सुधार उपायों का भारत की बैंकिंग प्रणाली की समग्र दक्षता एवं स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीय बैंक की मौजूदा पूंजी पर्याप्तता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैंकों के बराबर है। बैंकिंग प्रणाली के लिए सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत वर्ष 1998 में 14.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004 में 7.2 प्रतिशत हो जाने से आस्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। सुधार उपायों से बैंकों की लाभप्रदता भी बढ़ी है। बैंकों की आस्तियों पर आय (आरओए) वर्ष 1991–92 में 0.4 प्रतिशत थी, जो 2003–04 में बढ़कर 1.2 प्रतिशत हो गई। इस तथ्य पर विचार करने पर कि वर्ष 2004 के लिए सार्वभौमिक रूप से आरओए 0.9 से 1.5 प्रतिशत के बीच रहा है, भारतीय बैंकों की स्थिति अच्छी है। बैंकिंग क्षेत्र सुधारों में वास्तविक योजना तैयार करके जनशक्ति संसाधनों की पुनरीक्षा करने तथा आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है ताकि परिचालन लागत को कम करके लाभप्रदता को बढ़ाया जा सके। पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रति कर्मचारी कारोबार दुगुने से अधिक अर्थात् 2004 में लगभग 25 मिलियन रुपये हो गया। इन सुधारों से तुलन–पत्र को सुदृढ़ बनाने, लेन–देन लागत कम करने तथा बढ़ी हुई प्रतियोगिता एवं उन्नत जोखिम प्रबंधन के जरिए ग्राहक सेवा में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

लघु उद्योगों में बुनाई

2027. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कताई तथा बुनाई क्षेत्र लघु उद्योग की कोटि में आरक्षित होने के कारण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों को रोजगार दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में उत्पादन कर अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कताई तथा बुनाई क्षेत्र को लघु उद्योग की आरक्षित सूची से बाहर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) यद्यपि कताई एवं बुनाई क्षेत्र लघु उद्योग (एसएसआई) के लिए आरक्षित श्रेणी नहीं है तथापि इन क्षेत्रों द्वारा दिया जा रहा रोजगार निम्नलिखितानुसार है :

क्षेत्र	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या
कताई (एसएसआई)	40961 (30.4.2005 की स्थिति के अनुसार)
विद्युतकरघा बुनाई (एसएसआई)	4757383 (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)
कुल	4798344

(ग) और (घ) चूंकि कताई और बुनाई लघु उद्योग की आरक्षित सूची नहीं है अतः उन्हें सूची से हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ण सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

2028. श्री प्रदीप गांधी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही ग्रामीण सफाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कार्य पूरा करने के लिए धनराशि किन एजेंसियों के माध्यम से खर्च की जाती है;

(ग) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक प्रत्येक योजना के अन्तर्गत राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में और बढ़िया सफाई कराने के लिए कोई सर्वे कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले तथा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित इकलौती जारी रहने वाली योजना है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान देश के 520 जिलों में 5580.11 करोड़ रुपये के परिव्यय से मंजूर किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी की हिस्सेदारी क्रमशः 3314.19 करोड़ रु., 1255.62 करोड़ रु. और 1010.29 करोड़ रु. है।

(ख) संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कार्यान्वयन राज्यों में जिला परिषद, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए निधियां निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाती हैं। निम्नलिखित घटकों के लिए निधियां मंजूर की जाती हैं :

(i) प्रारंभिक क्रियाकलाप, (ii) प्रशासनिक खर्च, (iii) सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलाप, (iv) निजी पारिवारिक शौचालय, (v) सामुदायिक शौचालय, (vi) विद्यालय स्वच्छता, (vii) आंगनबाड़ी शौचालय, और (viii) वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली (ग्रामीण स्वच्छता बाजार और उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना)। अलग–अलग घटकों के लिए वित्त वहन पद्धति विवरण–I में दी गई है।

(घ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान एक मांग आधारित कार्यक्रम है और निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्यों को निधियां पहले की किस्त में रिलीज की गई निधियों के उपयोग के आधार पर चार किस्तों में रिलीज की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों से लेकर आज तक राज्यों को रिलीज की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) सभी राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में बेस लाइन सर्वे कराने की सलाह दी गई है ताकि स्वच्छता कवरेज के विस्तार का पता लगाया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। बेस लाइन सर्वे के परिणामों और जिलों से प्राप्त परियोजना कार्यान्वयन योजना के आधार पर इन जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है।

विवरण-I

टीएससी घटक–वार निर्धारित राशि तथा वित्त पोषण प्रणाली

क्र.सं.	घटक	परियोजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में निर्धारित राशि	अंशदान प्रतिशत		
			भारत सरकार	राज्य	पारिवारिक/ समुदाय
क.	शुरू किए गए क्रियाकलाप (प्रारंभिक सर्वेक्षण, प्रचार–प्रसार आदि)	5 प्रतिशत से कम (बशर्ते प्रति जिला 20 लाख रु. की अधिकतम सीमा हो)	100	0	0
ख.	आईईसी, इसमें प्रेरणा जागरूकता तथा शिक्षा अभियान, समर्थन आदि शामिल है	15 प्रतिशत से अधिक	80	20	0
ग.	वैकल्पिक सुपुर्दगी (पीसी/आरएसएम)	5 प्रतिशत से अधिक (बशर्ते प्रति जिला 35 लाख रु. से अधिक हो)	80	20	0
घ.	(i) बीपीएल/अपंग परिवारों के लिए वैयक्तिक शौचालय (ii) सामुदायिक स्वच्छता परिवार	60 प्रतिशत से कम (बशर्ते दिशानिर्देशों के पैरा 9(घ) के अनुसार हो)	60	20	20
ङ.	एपीएल के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय	शून्य	0	0	100
च.	आंगनबाड़ियों सहित स्कूल स्वच्छता (हाईवेयर तथा सहयोगी सेवाएं)	10 प्रतिशत से अधिक	60	30	10
छ.	प्रशिक्षण, स्टाफ, सहयोगी सेवाएं, निगरानी एवं मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक प्रभार	5 प्रतिशत से कम (बशर्ते प्रति जिला 40 लाख रु. की अधिकतम सीमा हो)	80	20	0

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक राज्यों को रिलीज की गई राशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1600.87	4660.35	3362.27	400.81	10024.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	10	90	0	100
3.	असम	0	199.31	254.95	0	454.26
4.	बिहार	1548.7	0	120	0	1668.7
5.	छत्तीसगढ़	175.64	0	1100.17	416.34	1692.15
6.	दादरा व नगर हवेली	3.15	0	0	0	3.15
7.	गोवा	0	0	134.67	0	134.67
8.	गुजरात	194.65	12.5	3690.44	188.79	4086.38

1	2	3	4	5	6	7
9.	हरियाणा	402.9	62.06	811.13	0	1276.09
10.	हिमाचल प्रदेश	79.29	0	50	85.58	214.87
11.	जम्मू और कश्मीर	0	76.48	1044.88	0	1121.36
12.	झारखंड	223.87	284.61	1946.71	2077.87	4533.06
13.	कर्नाटक	0	0	558.57	3059.57	3618.14
14.	केरल	439.27	864.13	805.53	106.59	2215.52
15.	मध्य प्रदेश	718.1	4352.79	2242.97	533.58	7847.44
16.	महाराष्ट्र	591.37	725.05	3592.72	364.96	5274.1
17.	मणिपुर	0	103.56	0	0	103.56
18.	मेघालय	0	221.37	0	0	221.37
19.	मिजोरम	0	11.51	60	0	71.51
20.	नागालैंड	13.79	0	62.69	0	76.48
21.	उड़ीसा	1113.85	284.16	4582.01	734.28	6714.3
22.	पांडिचेरी	0	0	47.42	0	47.42
23.	पंजाब	52.67	0	699.94	0	752.61
24.	राजस्थान	265.62	119.12	700.86	2227.19	3312.79
25.	सिक्किम	17.98	38.36	74.07	0	130.41
26.	तमिलनाडु	2192.49	2768.98	2972.06	3651.78	11585.31
27.	त्रिपुरा	249.56	819.21	368.73	0	1437.5
28.	उत्तर प्रदेश	2272.4	3120.44	3475.35	1505.22	10373 41
29.	उत्तरांचल	151.16	13.4	503.26.3	57.1	724.89
30.	पश्चिम बंगाल	1528.88	1181.1	1566.85	2407.06	6683.89
	योग	13836.21	19928.49	34918.22	17816.72	86499.64

उत्पाद कर अपवंचन

2029. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान मसाला/गुटका, पॉलिएस्टर यार्न/फैब्रिक्स, सिगरेट, पूंजीगत वस्तुओं, लोहा तथा स्टील, तथा सिनेमोटोग्राफिक फिल्मों के निर्माता प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपये का उत्पाद कर अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का वस्तुवार, वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे कर अपवंचन की पूरी धनराशि वसूलने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। पान मसाला/गुटका, पॉलिएस्टर यार्न/फैब्रिक्स, सिगरेट, पूंजीगत वस्तुओं, लोहा तथा स्टील, तथा सिनेमोटोग्राफिक फिल्मों के

विनिर्माताओं द्वारा शुल्क अपवंचन किए जाने के कुछ मामलों का पता लगा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दर्ज किए गए मामलों का विवरण निम्नवत है :

जिंस	वर्ष	पता लगाए गए मामले	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रु. में)
पान मसाला/गुटका	2002–03	7	21.27
	2003–04	8	30.54
	2004–05	9	26.25
पॉलिएस्टर यार्न/फैब्रिक्स	2002–03	69	284.47
	2003–04	67	170.31
	2004–05	43	66.08
सिगरेट	2002–03	–	–
	2003–04	3	42.37
	2004–05	1	.0016
पूंजीगत माल	2002–03	4	26.85
	2003–04	9	40.35
	2004–05	9	6.36
लोहा एवं स्टील	2002–03	84	134.31
	2003–04	82	41.39
	2004–05	73	39.08
सिनेमेटोग्राफिक फिल्म	2002–03	–	–
	2003–04	1	8.35
	2004–05	–	–

(ग) इस राशि की वसूली के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक वित्तीय वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान क्रमशः 19.81 करोड़ रुपये, 23.09 करोड़ रुपये तथा 30.01 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

[हिन्दी]

समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम

2030. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं तथा इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए स्थानीय सांसदों को साथ लेकर चली है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इस संबंध में संबंधित सांसद से परामर्श नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) वनेतर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को वाटरशेड पद्धति के आधार पर विकसित करने के लिए 1.4.1995 से 31.7.2005 तक की अवधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अन्तर्गत 1151 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अन्तर्गत वाटरशेड परियोजनाएं पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकारी समनुरूप विभागों, जो गांव/बुनियादी स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं, के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं। विगत तीन वर्षों (वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों/राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, अनुपालन, सतर्कता और निगरानी करने के लिए 14वीं लोक सभा के सदस्यों को अध्यक्ष/सह–अध्यक्ष के रूप में और राज्य सभा के सदस्यों को सह–अध्यक्ष के रूप में नामित करके जिला स्तरीय सतर्कता तथा निगरानी समितियां गठित की हैं।

(ग) से (ङ) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के संबंध में ऐसी कोई शिकायतें भूमि संसाधन विभाग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

वर्ष 2002–2003 से 2004–05 तक की अवधि के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अन्तर्गत जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	आईडब्ल्यूडीपी के अन्तर्गत (केन्द्रीय भाग के रूप में) जारी की गई निधियां (लाख रु. में)	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
		2002–03 से 2004–05	2002–03 से 2004–05	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	7798.47	पीआरआई/ सरकारी समनुरूप विभाग
2.	बिहार	18	871.88	–वही–
3.	छत्तीसगढ़	17	3470.76	–वही–
4.	गोवा	2	82.5	–वही–
5.	गुजरात	20	4300.38	–वही–
6.	हरियाणा	8	1107.31	–वही–
7.	हिमाचल प्रदेश	10	4195.46	–वही–
8.	जम्मू और कश्मीर	5	885.74	–वही–
9.	झारखंड	10	519.67	–वही–
10.	कर्नाटक	20	6181.15	–वही–
11.	केरल	3	570.65	–वही–
12.	महाराष्ट्र	19	3314.55	–वही–
13.	मध्य प्रदेश	31	8861.74	–वही–
14.	उड़ीसा	16	4282.54	–वही–
15.	पंजाब	4	244.54	–वही–
16.	राजस्थान	18	4990.56	–वही–
17.	तमिलनाडु	21	5302.07	–वही–
18.	उत्तर प्रदेश	26	5434.23	–वही–
19.	उत्तरांचल	13	1927.72	–वही–
20.	पश्चिम बंगाल	6	239.4	–वही–
	योग	289	64581.32	
	पूर्वोत्तर राज्य			
21.	अरुणाचल प्रदेश	99	1614.48	सरकारी समनुरूप विभाग
22.	असम	64	6372.87	–वही–
23.	मणिपुर	18	1501.3	–वही–
24.	मेघालय	14	661.71	–वही–
25.	मिजोरम	15	2742.63	–वही–
26.	नागालैंड	17	5320.33	–वही–
27.	सिक्किम	7	777.37	–वही–
28.	त्रिपुरा	7	418.24	–वही–
	योग	171	19408.93	
	कुल योग	460	83990.25	

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष करों पर दो प्रतिशत उपकर

2031. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000–01 और 2001–02 के लिए लेखों का समायोजन करके प्रत्यक्ष करों पर 2 प्रतिशत उपकर की धनराशि आकलित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कुल कितनी राशि है; और

(ग) यदि नहीं, तो लेखों का समायोजन कब तक किए जाने की संभावना है और 2 प्रतिशत उपकर की गणना कब तक होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमाणिक्कम्) : (क) और (ख) वर्ष 2000–01 और 2001–02 के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिभार शीर्ष (न कि उपकर) के अन्तर्गत लेखा महानियंत्रक द्वारा वसूली की कुल धनराशि निर्धारित की गई है और क्रमशः 2187.82 करोड़ रुपये तथा 556.89 करोड़ रुपये के रूप में सूचित की गई है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भारत में चक्रवात

2032. श्री किन्जरपु येरननायडु क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के 13 प्रतिशत चक्रवात भारत के आसपास महासागर में उत्पन्न होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई अनुसंधान किया है;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। विश्व के चक्रवातों के केवल 7 प्रतिशत चक्रवात ही उत्तरी हिन्द महासागर के ऊपर आते हैं।

(ख) उत्तरी हिन्द महासागर के ऊपर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर आंकड़ों की एक लम्बी शृंखला (1877 से आगे) उपलब्ध है। उत्पत्ति, विकास, मार्ग पूर्वानुमान और तूफानी लहरों की भविष्यवाणी आदि से संबंधित चक्रवात जलवायु विज्ञान के संबंध में एक क्रमबद्ध अध्ययन और गहन अनुसंधान कार्य कराया गया है।

(ग) जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में 1877 से 1970 तक की अवधि के लिए बंगाल की खाडी और अरब सागर में तूफानों के मार्ग और अवदाब पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक एटलस निकाला है और दूसरे खण्ड में 1971–1990 की अवधि को शामिल किया गया है। उसे 1991 से आगे प्रति वर्ष अद्यतन किया जा रहा है।

आईएमडी ने 40 कि.मी. के क्षैतिजिक वियोजन के साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग पूर्वानुमान हेतु एक अर्ध–लेंग्रानजियन माडल तैयार किया है। इस माडल को 72 घंटों तक प्रति 6 घंटे पर निरन्तर मार्ग पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए अद्यतन किया गया है। इस माडल की पूर्वानुमान ग्राफीय सूचना आईएमडी के वेबसाइट में उपलब्ध कराई गई है।

तूफानी लहरों की भविष्यवाणी के लिए, आईएमडी द्वारा विकसित नोमोग्राम और आईआईटी, नई दिल्ली द्वारा विकसित गतिशील तूफानी लहर माडल दोनों का उपयोग आईएमडी करता है। हाल ही में आईएमडी ने प्रयोगात्मक मोड पर भारत के पूर्वी तट के लिए एनआईओटी चेन्नई के गतिशील तूफानी लहर माडल को भी कार्यान्वित किया है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए, आईएमडी द्वारा जारी चक्रवात पूर्वानुमान की यथार्थता सामान्यतः यूएसए, जापान, आस्ट्रेलिया आदि जैसे अन्य विकसित देशों की उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्वानुमान सेवाओं के समान होती है। फिर भी ब्वाइज, डोपलर राडार और न्यू जैनरेशन सैटेलाइटों जैसी नई प्रेक्षण प्रणालियों के विकास से इन पूर्वानुमानों में और सुधार होने की आशा है।

सुनामी पीड़ित व्यक्तियों हेतु विशेष ग्रामीण विकास योजनाएं

2033. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सुनामी पीड़ित व्यक्तियों हेतु विशेष योजनाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) विशेष योजनाएं कब तक क्रियान्वित की जाएंगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) भारत सरकार ने अनाथों, 18 वर्ष से अधिक की अविवाहित लड़कियों, विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को विशेष राहत के अतिरिक्त तुरन्त राहत तथा मदद, मात्स्यिकी तथा कृषि क्षेत्रों के पुनरुद्धार, अस्थाई (मध्यवर्ती) आवासों के निर्माण, अवसंरचना की तुरन्त मरम्मत/बहाली के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए "सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज" के रूप में 3644.05 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का अनुमोदन किया है। विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले गंभीर संकटग्रस्त क्षेत्र में उपयोग के अभिप्राय से 5 प्रतिशत निधियों तथा खाद्यान्नों के अन्तर्गत सामान्य संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) आवंटन के अलावा केरल को 150.00 लाख रुपये तथा 558 मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा तमिलनाडु को 210.00 लाख रुपये तथा 2629 मीट्रिक टन खाद्यान्न भी रिलीज किए गए।

(घ) प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष पैकेज का कार्यान्वयन पहले ही शुरू हो गया है।

विवरण

सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज

क. मुख्य भूमि (रुपये करोड़ में)

राज्य	सीआरएफ/ एनसीसीएफ	अन्य मंत्रालय	मत्स्य क्षेत्र		फिशिंग हार्बर अनुदान	आवास	कुल
			सब्सिडी	ऋण			
आंध्र प्रदेश	19.53	13.00	27.66	7.51	–	2.30	70.00
केरल	84.10	23.21	44.85	34.13	13.07	50.00	249.36
तमिलनाडु	617.20	62.50	441.08	566.47	9.94	650.00	2347.19
उप योग	720.83	98.71	513.59	608.11	23.01	702.30	2666.55
पांडिचेरी	39.78	2.5	32.01	31.13	0.20	50.00	155.62
कुल योग	760.61	101.21	545.60	639.24	23.21	752.30	2822.17

टिप्पणी : इसमें मत्स्य क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमोदित की गई 91.13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शामिल है (84.54 करोड़ रु.–तमिलनाडु, 3.42 करोड़ रु.–केरल, 1.01 करोड़ रु.–आंध्र प्रदेश तथा 2.16 करोड़ रु.–पांडिचेरी)।

सीआरएफ–आपदा राहत निधि एनसीसीएफ–राष्ट्रीय आपदा आपात निधि

ख. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (रुपये करोड़ में)

दी गई सहायता	राशि	टिप्पणी
(क) सीआरएफ/एनसीसीएफ मादण्डों के अनुसार सहायता	313.19	इसमें पेयजल आपूर्ति विभाग के बजट में से एआरडब्ल्यूएसपी से प्राप्त 15.37 करोड़ रुपये शामिल है।
(ख) मात्रा में छूट के साथ मानदण्डों के अन्तर्गत कवर की गई सहायता	215.65	इसमें एसजीआरवाई के अन्तर्गत 7.50 करोड़ रुपये की लागत के 7500 मीट्रिक टन खाद्यान्न (चावल) शामिल हैं।
I विशेष पैकेज के साथ मानदण्डों के अन्तर्गत दी गई सहायता		
(i) आर्थिक गतिविधियां पुनः चालू करना		
(क) मछुआरे	15.01	
(ख) कृषि	239.54	
(ii) अनाथों, विधवाओं, अपंगों, अविवाहित लड़कियों का पुनर्वास	8.60	
(iii) प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक गतिविधि अविलंब पुनः शुरू करना	29.89	
कुल योग	821.88	

एआरडब्ल्यूएसपी–त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम एसजीआरवाई–संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

ग. कुल पैकेज (क+ख) : 3644.05 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

हरियाणा में जल आपूर्ति हेतु परियोजना

2034. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र में जल की आपूर्ति हेतु एक वृहत परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) जी, हां। हरियाणा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मेवात क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में वृद्धि से संबंधित परियोजना अनुमोदित की गई है और हरियाणा सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) परियोजना में मेवात क्षेत्र के 6 ब्लाकों–हथिन, पूनहाना, नूह, फिरोजपुर, झिरका, नगीना एवं तौरू के अन्तर्गत आने वाले 503 गांवों में पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने की व्यवस्था है। परियोजना में 283 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करके भू–जल स्तर में वृद्धि करने की भी बात कही गई है। परियोजना की कुल लागत 205.91 करोड़ रुपये है। परियोजना की 75 प्रतिशत लागत राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र नियोजन बोर्ड से ऋण लेकर और 25 प्रतिशत परियोजना लागत राज्य के स्वयं के संसाधनों से वहन की जाएगी।

(ग) परियोजना के तीन वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

राज्यों को वित्तीय सहायता हेतु दिशानिर्देश

2035. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं हेतु ऋण, वित्तीय सहायता और सहायता अनुदान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस संबंध में अपना विरोध दर्ज कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य योजनाओं के लिए विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों हेतु ऋण और वित्तीय सहायता के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार को भविष्य में राज्यों को उधार देने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और राज्यों को बाजार से सीधे ही संपर्क करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा तद्नुसार राज्यों को इस निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) इस निर्णय के प्रत्युत्तर में राज्यों ने राज्य योजनाओं के लिए निधि की आपूर्ति की नियमितता, बाजार से उधार लेने में कुछ राज्यों की असमर्थता, लघु बचत निधियों की उच्च लागत तथा राज्यों द्वारा बाजार ऋणों पर नियंत्रण के मुद्दों पर आशंका जताई है।

(ङ) भारत सरकार ने बाजार से निधियां एकत्रित करने में असमर्थ ,राजकोषीय दृष्टि से कमजोर राज्यों की ओर से उधार लेने तथा अन्य राज्यों को बाजार से सीधे ही ऋण लेने की अनुमति देने संबंधी बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी

2036. श्री गणेश सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम ज्ञान केन्द्र ज्ञानवान समाज के लक्ष्यों को मूर्तरूप देने और राष्ट्र को विकसित देश में परिवर्तित करने का एक अनिवार्य घटक था;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राम शहर के अन्तर को पाटने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था" को अपनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) अच्छे शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में ज्ञान सुविधा

उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना के अन्तर्गत पहचान किए गए सात घटकों में से एक है, और जानकारी युक्त समाज के लक्ष्यों को मूर्तरूप देने तथा शहर एवं गांव के बीच अन्तर को पाटने के लिए आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था (पुरा) योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग के परामर्श से प्रारंभिक तौर पर प्रायोगिक चरण आरम्भ करने का निर्णय लिया है। प्रायोगिक चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित सात सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :

(i) सड़क एवं परिवहन।

(ii) विद्युत संपर्क प्रदान करना।

(iii) विश्वसनीय संचार सुविधा, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं के रूप में इलेक्ट्रानिक सुविधा।

(iv) अच्छे शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में ज्ञान संपर्क प्रदान करना।

(v) किसानों के लिए विपणन सुविधा ताकि वे अपने उत्पादों का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें।

(vi) पेयजल आपूर्ति।

(vii) बुनियादी स्तर एवं मानकों वाली स्वास्थ्य सुविधाएं।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

2037. श्री काशीराम राणा :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हासिल किए गए वास्तविक लक्ष्य क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की गई; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) विद्युत क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि पूंजी का अंतर्वाह वर्तमान निवेश वातावरण और विदेशी निवेशकों के आत्मविश्वास और निवेश हेतु देश के चयन और देश के भीतर क्षेत्र के चयन में निवेश जोखिमों की उनकी धारणा पर व्यापक रूप से निर्भर करता है।

(ख) औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी, 2002 से मई, 2005 के दौरान वास्तविक एफडीआई विवरण–I में संलग्न ब्यौरों के अनुसार 3559.06 करोड़ रुपये थे।

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि 10822.6 मेगावाट (गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को छोड़कर) थी। ब्यौरे विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत उद्योग के विकास हेतु उदारवादी ढांचा तैयार करता है जिससे उसमें प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है और सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति होती है, विद्युत टैरिफ का पुनर्गठन होता है, सब्सिडियों के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित होती हैं, विनियामक आयोगों का गठन होता है और अपीलीय न्यायालय की स्थापना होती है। यह अधिनियम विद्युत आपूर्ति उद्योग के विभिन्न घटकों के प्रवेश अवरोधों को कम करता है और प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है तथा परिणामस्वरूप दक्षता सुधारों को भी प्रोत्साहित करता है।

उत्पादन को अधिनियम द्वारा लाइसेंसविहीन कर दिया गया है। अधिनियम आरम्भ से ही पारेषण में बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच की व्यवस्था करता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 प्रबंध करती है कि उपर्युक्त आयोग टैरिफ को अपनाएगा यदि वह टैरिफ केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया हो। केन्द्र सरकार ने वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रतियोगी बोली हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। उत्पादन में निजी क्षेत्र भागीदारी को सुगम बनाने की संभावना है।

उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं (न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त) के संबंध में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों के लिए विदेशी निवेश हेतु विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुमोदन की अब कोई आवश्यकता नहीं है और स्वयं अनुमोदन हेतु पात्र हैं।

विवरण-I

जनवरी, 2000 से मई, 2005 तक प्राप्त एफडीआई इनफ्लो के देश-वार ब्यौरों का विवरण

क्षेत्र-विद्युत

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	देश का नाम	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इनफ्लो की धनराशि (रुपये में)	इनफ्लो के साथ प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	1.04	0.03
2.	कनाडा	0.04	0.00
3.	कैमान द्वीप समूह	115.80	3.25
4.	डेनमार्क	0.92	0.03
5.	फिनलैंड	22.76	0.64
6.	फ्रांस	35.00	0.98
7.	जर्मनी	57.42	1.61
8.	इटली	5.41	0.15
9.	जापान	1.26	0.04
10.	कोरिया (दक्षिण)	2.00	0.06
11.	मारीशस	2819.96	79.23
12.	एनआरआई	23.56	0.66
13.	रूस	0.05	0.00
14.	सिंगापुर	3.82	0.11
15.	स्पेन	0.29	0.01
16.	स्विट्जरलैंड	8.27	0.23
17.	यूएई	2.27	0.06
18.	यूके	300.15	8.43
19.	यूएसए	154.52	4.34
20.	गैर-चिन्हित देश	0.05	0.00
21.	सैशल्स	4.47	0.13
	कुल	3559.06	

टिप्पणी : धनराशि में एसआईए/एफआईपीबी के माध्यम से प्राप्त इनफ्लो, विद्यमान शेयरों की प्राप्ति और आरबीआई के ऑटोमैटिक रूट से प्राप्त इनफ्लो शामिल है।

विवरण-II

वास्तविक क्षमता अभिवृद्धि का परियोजना-वार ब्यौरा

वर्ष-वार/क्षेत्र-वार

22.7.2005 के अनुसार

परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	प्रकार	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक रूप से चालू (मेगावाट में)		
					2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
नाथपा झाकडी	हि.प्र.	सीएस	(एच)	1500.0	0.0	1500.0	0.0
चमेरा-II	हि.प्र.	सीएस	(एच)	300.0	0.0	300.0	0.0
रिहंद-II	उ.प्र.	सीएस	(टी)	1000.0	0.0	0.0	500.0
प्रगति सीसीपीपी	दिल्ली	एसएस	(जी)	121.2	121.2	0.0	0.0
प्रगति सीसीपीपी	दिल्ली	एसएस	(जी)	104.6	104.6	0.0	0.0
बास्पा-2	हि.प्र.	पीएस	(एच)	300.0	200.0	100.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
पानीपत यूनिट 7 व 8	हरियाणा	एसएस	(टी)	50.0	0.0	0.0	500.0
रामगढ़ सीसीजीटी–2	राजस्थान	एसएस	(जी)	75.3	75.3	0.0	0.0
कोटा टीपीएस चरण–4	राजस्थान	एसएस	(टी)	195.0	0.0	195.0	0.0
सुरतगढ़–III	राजस्थान	एसएस	(टी)	250.0	0.0	250.0	0.0
क्षेत्र कुल					501.1	2345.0	1000.0
इंदिरा सागर जेवी	मध्य प्रदेश	सीएस	(एच)	1000.0	0.0	500.0	500.0
अकरीमोटा टीपीपी	गुजरात	एसएस	(टी)	250.0	0.0	0.0	125.0
धुवरण सीसीजीटी	गुजरात	एसएस	(जी)	218.6	0.0	106.6	0.0
सरदार सरोवर	गुजरात	एसएस	(एच)	1450.0	100.0	0.0	350.0
बाणसागर टोंस–III	मध्य प्रदेश	एसएस	(एच)	60.0	20.0	0.0	0.0
बाणसागर टोंस–II	मध्य प्रदेश	एसएस	(एच)	30.0	15.0	0.0	0.0
क्षेत्र कुल					135.0	606.0	975.0
सिम्हाद्री टीपीएस	आं.प्र.	सीएस	(टी)	500.0	500.0	0.0	0.0
रामागुंडम–III	आं.प्र.	सीएस	(टी)	500.0	0.0	0.0	500.0
नैवेली पीएसटी विस्तार	तमिलनाडु	सीएस	(टी)	420.0	210.0	210.0	0.0
एमएपीपी–I अपरेटिंग	तमिलनाडु	सीएस	(एन)	100.0	0.0	0.0	50.0
पेद्दापुरम	आं.प्र.	पीएस	(जी)	78.0	78.0	0.0	0.0
श्रीसेलम एलबीपीएच	आं.प्र.	एसएस	(एच)	900.0	300.0	150.0	0.0
अलमाटी बांध पीएच	कर्नाटक	एसएस	(एच)	15.0	0.0	15.0	0.0
रायचूर यू–7 व 8	कर्नाटक	एसएस	(टी)	420.0	210.0	0.0	0.0
अलमाटी बांध पीएच	कर्नाटक	एसएस	(एच)	275.0	0.0	0.0	165.0
एनएलसी–II विस्तार यू–0	तमिलनाडु	सीएस	(टी)	250.0	250.0	0.0	0.0
करूपपुर सीसीपीपी	तमिलनाडु	सीएस	(जी)	119.8	0.0	0.0	70.0
वलुथूर सीसीएसटी	तमिलनाडु	एसएस	(जी)	34.0	34.0	0.0	0.0
वलुथूर सीसीजीटी	तमिलनाडु	एसएस	(जी)	60.0	60.0	0.0	0.0
कुतरालम सीसीपीपी	तमिलनाडु	एसएस	(जी)	100.0	0.0	100.0	0.0
क्षेत्र कुल					1642.0	475.0	785.0
मेजिया यू–4	डीवीसी	सीएस	(टी)	210.0	0.0	0.0	210.0

1	2	3	4	5	6	7	8
तालचेर–II	उड़ीसा	सीएस	(टी)	2000.0	500.0	500.0	1000.0
पोत्तेरू फेज–1 व 2	उड़ीसा	एसएस	(एच)	6.0	6.0	0.0	0.0
क्षेत्र कुल					506.0	500.0	1210.0
कोपिली एचई चरण–II	असम	सीएस	(एच)	25.0	0.0	25.0	0.0
लिकाखोंग डीजी	मणिपुर	एसएस	(डी)	18.0	18.0	0.0	0.0
बैराबी एचएफओ$	मिजोरम	एसएस	(डी)	22.9	0.0	0.0	22.9
रोखिया–II यू–7	त्रिपुरा	एसएस	(जी)	42.0	21.0	0.0	0.0
बारामूरा जीटी विस्तार	त्रिपुरा	एसएस	(जी)	21.0	21.0	0.0	0.0
लिकिम–रो	नागालैंड	एसएस	(एच)	8.0	8.0	0.0	0.0
क्षेत्र कुल					68.0	25.0	22.9
बम्बू फ्लैट	अंडमान व निकोबार	पीएस	(डी)	20.0	20.0	0.0	0.0
रंगत बे डीजी	अंडमान व निकोबार	एसएस	(डी)	6.0	0.0	0.0	6.0
क्षेत्र कुल					20.0	0.0	6.0
भारत–कुल					2872.1	3951.6	3998.9

कुल किया गया उत्पादन–10822.06 (10वीं योजना लक्ष्य में से 41110 मेगावाट)

[अनुवाद]

नोटरियों की कमी

2038. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नोटरियों की अत्यधिक कमी की जानकारी है जिसकी वजह से जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से नोटरियों की संख्या बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नोटरी अधिनियम में संशोधन करने का है जिससे कि राज्यों द्वारा नियुक्त की जाने वाली नोटरियों की संख्या में वृद्धि की जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, नहीं।

(ख) केवल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल राज्य सरकार ने नोटेरियों की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजसहायता नीति

2039. श्री मोहम्मद शाहिद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजसहायता के प्रावधान की समीक्षा

करने पर विचार कर रही है जैसा कि दिनांक 10 जून, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाहिरी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) कौन-कौन सी वस्तुओं/क्षेत्रों से राजसहायता हटाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को इन राजसहायताओं का लाभ मिल रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजसहायता हटाए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (छ) भारत सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में समस्त राजसहायता को छोटे और सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूर और शहरी निर्धनों जैसे गरीब और वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता की गई है। इसके अनुसरण में, वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली द्वारा एक अध्ययन करवाया। एनआईपीएफपी द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर कुछ नीतिगत मुद्दों से युक्त एक रिपोर्ट 23 दिसम्बर, 2004 को संसद में प्रस्तुत की गई थी ताकि इस विषय में एक ज्ञानप्रद बहस शुरू की जाए। इस रिपोर्ट में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिलने वाले राजसहायता के लाभ/प्रभाव पर भी चर्चा की गई। व्यापक परामर्शों से लाभ उठाने के लिए, मई, 2005 से संबंधित जोखिम धारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया और जून, 2005 में जनता से उनकी राय मांगी गई। राजसहायता की पुनर्संरचना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में सरकार ने कोई समिति गठित नहीं की है जैसा कि दिनांक 10 जून, 2005 के "दैनिक जागरण" में उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशें

2040. श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री किशनभाई वी. पटेल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने नवीन प्रौद्योगिकी का समावेश करके प्रशासन में सुधार और भूमि के प्रबंधन के लिए उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सुझावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह सुझाव दिया है कि भूमि अभिलेखों को तैयार करने तथा इन्हें अद्यतन करने के लिए पुरानी मैनुअल पद्धति का प्रयोग करना बंद कर दिया जाना चाहिए तथा सही-सही सर्वेक्षण प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। भूमि के नक्शे तैयार करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) तथा ऐसी अन्य एजेंसियों की सहायता से हवाई फोटोग्राफ्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। एजेंसियों से जीपीएस तथा अन्य उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं चलाने हेतु अनुरोध किया जाए। सभी उप-प्रभागीय तथा तालुक कार्यालयों को प्रयोग हेतु तथा वेबसाइटों को नियमित रूप से परिवर्तनात्मक समकालिक अद्यतन करने के लिए उपलब्ध कम्प्यूटरीकृत भूमि अभिलेखों के साथ सीधे संयोजन के लिए निकनेट सहित जिला कम्प्यूटर केन्द्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

(ग) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकृत (सीएलआर) की योजना भारत सरकार से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ एक चल रही योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों का अंकीय (डिजीटल) आंकड़ा आधार तैयार करना तथा मांग किए जाने पर भू-स्वामियों को अधिकारों के अभिलेख की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां उचित मूल्य पर जारी करना था। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को मूल डेटा एंट्री कार्य आरंभ करने, तहसील/तालुक/उप-प्रभागीय स्तर पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने तथा कम्प्यूटरीकरण के कार्य में लगे राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए निधियां जारी की जाती हैं। अभी तक 344.98 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ देश के 582 जिलों, 3309 तहसीलों/तालुकों तथा 562 उप-प्रभागों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है। 2721 तहसीलों/तालुकों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं तथा 2607 तहसीलों/तालुकों से मांग किए जाने पर भू-स्वामियों को अधिकारों के अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां जारी की जा रही हैं।

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने (एसआरए एंड यूएलआर) की योजना जो एक चल

रही योजना है, के अन्तर्गत जीपीएस, इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन्स (ईटीएस) आदि जैसे आधुनिक उपस्करों को खरीदने, अभिलेख कक्षों तथा पटवारियों के लिए कार्यालय एवं आवास स्थानों तथा सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थानों आदि का निर्माण करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50 : 50 के अंशदान के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना को आरम्भ किए जाने को लेकर अभी तक भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 285.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की योजना के जरिए सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त संकार्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है।

[हिन्दी]

अन्य देशों को सहायता

2041. श्री ब्रजेश पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए अन्य देशों को सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा वचनबद्ध सहायता का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश का नाम	वचनबद्धता सहायता का ब्यौरा
1	2
बंगलादेश	बाढ़ से पीड़ित इलाकों में वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 100 करोड़ रुपये मूल्य की सहायता
श्रीलंका तथा मालदीव	सुनामी से पीड़ित इलाकों में राहत कार्य के लिए कुछ सहायता
अफगानिस्तान	राहत कार्य के लिए 1 मिलियन टन गेहूं
इंडोनेशिया	सुनामी तथा भूकंप से पीड़ित इलाकों में राहत कार्य के लिए 3 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सहायता
वियतनाम	5.38 लाख रुपये मूल्य की औषधियां
थाईलैंड	सुनामी पीड़ितों के लिए 0.5 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सहायता
कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके)	2.28 करोड़ रुपये मूल्य का 2000 मीट्रिक टन सफेद चावल, डेक्सामेथारमेन इंजेक्शन के 200000 यूनिट, 1. 61 करोड़ रुपये मूल्य का 1000 मीट्रिक टन चावल तथा 2000 मीट्रिक टन चावल
कंबोडिया	13.95 करोड़ रुपये
ताजिकिस्तान	सूखा राहत के तौर पर 5 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का गेहूं, चावन, चीनी तथा चाय
सूडान	दारफून इलाके में अकाल से पीड़ित लोगों के लिए 17.33 करोड़ रुपये मूल्य का 20000 टन गेहूं
कोटे ड आइवरी	7.06 करोड़ रुपये मूल्य का 5000 मीट्रिक टन चावल तथा 7.94 करोड़ रुपये मूल्य की 5000 मीट्रिक टन चीनी
चाड	7.50 करोड़ रुपये मूल्य का 5000 मीट्रिक टन चावल
सूरीनाम	20.6 लाख रुपये मूल्य की दवाइयां
जमाइका	राहत सहायता के तौर पर 0.2 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की दवाइयां भेजी गईं
ग्रेनाडा	राहत सहायता-0.05 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की औषधियां तथा 0.05 मिलियन डालर मूल्य की रूफिंग सामग्री

1	2
हेती	राहत सहायता–0.01 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की औषधियां
डोमीनिकन रिपब्लिक	राहत सहायता–0.05 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की औषधियां तथा डे केयर सेंटर के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर
गुयाना	0.1 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की औषधियां राहत सहायता के रूप में दी गईं
सेंट विनसेंट तथा ग्रिनेडाइन	0.05 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की औषधियां राहत सहायता के रूप में दी गईं

[अनुवाद]

भूकम्प

2042. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्थान–वार कितने बड़े भूकम्प की रिपोर्ट मिली; और

(ख) इन राज्यों में भूकम्प से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए सुरक्षोपायों को अपनाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) वर्ष 2003 में किसी बड़े भूकम्प (एम=>6) की सूचना नहीं मिली है। हालांकि इंडोनेशिया में सुमात्रा प्रायद्वीप के सुदूर तट पर 26 दिसम्बर, 2004 को 9.3 तीव्रता का एक भूकम्प आया था। इस घटना के बाद 2004 में 11 बाद के झटके तथा 2005 में 13 बाद के झटके (29.7.2005 को भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 9 बजे तक) आए। बाद में आए इन झटकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भवन निर्माण और रेट्रोफिटिंग (अनुरूपान्तरण) आदि के लिए कई दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन करने से भविष्य में भूकम्पों के कारण जान और माल के नुकसान को कम करने में सहायता मिल सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समय–समय पर कार्यशालाओं तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के रूप में देश के विभिन्न भागों में भूकम्प जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में भी सहायता करता है। आम लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है। डीएसटी के प्रयासों के अलावा गृह मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय स्तर पर भूकम्प शिक्षण एवं जागरूकता से संबंधित कई कार्यक्रमों की शुरूआत की है।

विवरण

वर्ष 2004 तथा 2005 के दौरान सुमात्रा भूकम्प के मुख्य तथा बाद में आए झटकों (एम = >6) का ब्यौरा

वर्ष	तारीख		समय (भारतीय मानक समय)			अक्षांश	देशान्तर	तीव्रता
	माह	दिन	घंटे	मिनट	सेकेन्ड	(डिग्री उ.)	(डिग्री पूर्व)	(रिएक्टर पैमाना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004	12	26	06	28	51.1	3.3	96.1	9.3
2004	12	26	06	51	17.4	5.9	93.4	6.1
2004	12	26	06	52	21.1	7.2	94.3	6.1
2004	12	26	07	30	37.4	7.1	95.5	6.0
2004	12	26	09	51	27.8	7.0	92.8	7.2
2004	12	26	14	50	6.9	8.9	92.1	6.1
2004	12	26	16	35	11.8	14.3	92.4	6.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004	12	26	06	19	35.9	13.3	91.9	6.1
2004	12	26	07	20	58.1	9.4	93.5	6.1
2004	12	26	11	26	48.9	8.9	93.1	6.0
2004	12	26	23	28	13.6	12.4	92.0	6.0

वर्ष	तारीख		समय (भारतीय मानक समय)			अक्षांश	देशान्तर	तीव्रता
	माह	दिन	घंटे	मिनट	सेकेन्ड	(डिग्री उ.)	(डिग्री पूर्व)	(रिएक्टर पैमाना)
2005	1	1	11	55	54.6	5.7	91.9	6.6
2005	1	2	21	05	56.5	6.4	92.8	6.0
2005	1	4	14	43	13.8	10.5	92.1	6.0
2005	1	10	03	42	54.4	5.0	95.3	6.0
2005	1	24	09	46	49.8	7.6	92.4	6.3
2005	3	28	21	39	34.3	2.4	97.8	8.3
2005	4	3	08	41	1.7	2.2	97.5	6.1
2005	4	16	22	08	9.6	2.4	97.2	6.0
2005	4	28	19	37	37.2	2.4	97.0	6.1
2005	5	18	17	07	42.3	5.9	92.5	6.3
2005	5	19	07	24	53.8	2.4	97.6	6.3
2005	7	5	07	22	4.1	0.8	97.7	6.2
2005	7	24	21	12	11.0	8.3	92.3	7.2

ऋणों पर ब्याज

2043. श्री गुरूदास दासगुप्ता :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अग्रणी बैंकों जैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने हाल ही में कार/आवास ऋणों पर ब्याज दर बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, हां। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने हाल ही में कार/आवास ऋण की अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 लाख से अधिक अग्रिमों पर ब्याज दरें 18 अक्तूबर, 1994 से अविनियमित कर दी हैं, अतः अग्रिमों पर ब्याज दरें बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती हैं। बैंकों में ऋण उत्पादों का मूल्य निर्धारित करते समय पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंकों को दिनांक 29 अप्रैल, 2003 के भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक एवं ऋण नीति विवरण के अनुसार यह सलाह दी गई थी कि वे संबंधित निदेशक मंडल के अनुमोदन से (i) निधियों की वास्तविक लागत, (ii) परिचालन तथा (iii) प्रावधान/पूंजी प्रभार की विनियामक अपेक्षा को शामिल करने के लिए न्यूनतम मार्जिन और लाभ मार्जिन, को ध्यान

में रखते हुए बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) की घोषणा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि बीपीएलआर सही रूप से वास्तविक लागत दर्शाती है। तद्नुसार, अलग–अलग बैंक एक विशेष उधारकर्ता को प्रभारित की जाने वाली अपनी ब्याज दरें बीपीएलआर एवं फैलाव संबंधी दिशानिर्देशों के अध्यधीन निर्धारित करते हैं। तथापि, बैंक अपनी बीपीएलआर का उल्लेख किए बिना आवास ऋणों, उपभोक्ता ऋणों पर ब्याज लेने के लिए स्वतन्त्र हैं। इसी कारण से, आवास एवं अन्य उपभोक्ता ऋणों पर ब्याज दर में अलग–अलग बैंकों में अन्तर हो सकता है तथा यह बीपीएलआर से कम अथवा अधिक भी हो सकती है। बैंक पारदर्शी तरीके से बाजार बैंचमार्क का प्रयोग करते हुए अस्थाई दरों पर सभी श्रेणी के ऋण प्रदान करने के लिए भी स्वतन्त्र हैं।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

2044. श्री मदल लाल शर्मा :
श्री सुबत बोस :
श्री छितेन बर्मन :
श्री अनंत गुढ़े :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के निष्पादन और कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य–वार कितना अनुदान उपलब्ध करवाया गया और उपयोग किया गया;

(च) क्या कतिपय राज्यों ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और निधियों की मांग की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नामक कोई भी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 25 सितम्बर, 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया था।

(घ) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

सीईआरसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश

2045. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री गुरुदास कामत :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण नियमों का सैट निर्धारित किया है;

(ख) क्या मंत्रालय को ये दिशानिर्देश जून, 2005 तक तैयार करना अपेक्षित था; और

(ग) यदि हां, तो ये नियम देश में विद्युत की स्थिति में किस सीमा तक सुधार कर पाएंगे?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) विद्युत अधिनियम, 2003 जो 10 जून, 2003 से लागू हो गया है, के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने राजपत्रित अधिसूचना/संकल्प के रूप में विभिन्न नियमों, दिशानिर्देशों, आदेशों तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति को अधिसूचित किया है।

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 183(1) मूल रूप में नीचे प्रस्तुत की जा रही है :

> "यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो केन्द्र सरकार प्रकाशित आदेश के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रावधान बना सकती है जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हैं :
>
> बशर्ते कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष के पश्चात् इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।"

अधिनियम के 10 जून, 2003 को लागू होने के दृष्टिकोण से धारा 183 के अन्तर्गत कोई भी आदेश 9 जून, 2005 को या इससे पूर्व जारी किया जा सकता है।

(ग) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसके अन्तर्गत विभिन्न नियम, आदेश आदि जारी करने आवश्यक हैं ताकि कानून–निर्माण का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

बाघ संख्या की जेनेटिक विविधता

2046. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाघ संख्या की जेनेटिक विविधता को संरक्षित करने के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ किया गया है जैसा कि दिनांक 20 मई, 2005 के "द हिंदु" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को आरम्भ करने से देश को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने केन्द्रीय प्राणी विज्ञान प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त रूप से कोशिका और आण्विक जीवविज्ञान केन्द्र (सीसीएमबी), हैदराबाद में "संकटापन्न पशुओं के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला (लैकोनंस)" की पहले ही स्थापना की है।

(ख) लैकोनंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा बाघ सहित संकटापन्न पशुओं की संख्या के बीच जेनेटिक विविधता का अन्वीक्षण कर रहा है। एक्स-सिटू संरक्षण के लिए कोशिकाओं के अलावा, सीमन, अंडों और भ्रूणों का क्रायोसंरक्षण किया जा रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय बाघों ने लगभग 26 प्रतिशत की मध्यम आनुवंशिक भिन्नता को दर्शाया है। बाघों में आनुवंशिक विविधता का मूल्यांकन करने के लिए फेकल नमूनों से डीएनए निष्कर्षण और जहां पर संभव हो बालों के नमूनों के लिए वैज्ञानिकों ने एक नॉन-इनवैसिव प्रणाली का विकास किया है।

(ग) भारतीय बाघ संख्या में संख्या का निर्धारण और आनुवंशिक विविधता का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन लाभदायक होंगे। यह संख्या की आनुवंशिक स्वास्थ्य के बारे में बताएगा और इनसाइट प्रदान करेगा कि क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन बन गया है। इस सूचना को प्रजनन कार्यक्रमों की योजना बनाने में और बाघ संख्या की आनुवंशिक विविधता में सुधार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की ई-गवर्नेंस

2047. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के उचित प्रचालन के लिए ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु धनराशि आवंटित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो आवंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके प्रचालन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति का अपने कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन में उपयोग करने के लिए अनेक पहल शुरू की हैं। मंत्रालय की वेबसाइट www.rural.nic.in सभी प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध है जो प्रयोक्ताओं को सामान्य तौर पर ग्रामीण विकास और विशेष रूप से मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की उचित निगरानी के लिए, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से ऑन-लाइन मासिक वित्तीय विवरण और विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए ऑन-लाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रणाली शुरू की गई है जिससे पारदर्शिता और आसान पहुंच सुनिश्चित होती है। मंत्रालय भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना भी कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य भूमि रिकार्ड का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना और जमीन के मालिकों को अधिकार दस्तावेज (आरओआर) की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां जारी करना है।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय में ई-गवर्नेंस के अन्य कार्यों के लिए 102.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ङ) आवंटित निधियां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग के लिए निर्धारित होती हैं।

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम

2048. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार में लाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम पर उचित विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित डीवीसी द्वारा मांगे गए एक स्पष्टीकरण के उत्तर में विद्युत मंत्रालय ने जून, 2005 में स्पष्ट किया है कि–

(i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अन्तर्गत डीवीसी के जेनरेटिंग स्टेशनों तथा इसके द्वारा आरम्भ अंतःराज्यीय विद्युत पारेषण पर अधिकार रखता है।

(ii) संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत डीवीसी के विद्युत वितरण तथा अंतःराज्यीय विद्युत पारेषण पर अधिकार रखता है।

हरियाली योजना संबंधी दिशानिर्देशों में परिवर्तन

2049. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2003 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी हरियाली योजना संबंधी दिशानिर्देशों में 73वें संविधा संशोधन के अनुसार कई परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में कतिपय समस्याएं बढ़ गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सहित कतिपय राज्यों द्वारा इन दिशानिर्देशों में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन अनुरोधों को कब तक स्वीकार किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) हरियाली मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को 1.4.2003 से महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने के लिए वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

(ख) से (ङ) जबकि पंचायती राज संस्थाओं के जरिए कार्यान्वयन के लिए हरियाली मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मूल भावना के संबंध में राज्य सरकारों से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, तथापि, कार्यान्वयन संबंधी मामलों के संबंध में महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं, जिनका संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करके समाधान कर लिया जाता है।

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश

2050. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किए गए निवेश की कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तत्संबंधी क्षेत्रों, देशों तथा निवेशित राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

विदेशों में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित वास्तविक बर्हिगमन

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	देश का नाम	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	–	0.0163	–
2.	अल्जीरिया	–	0.5454	0.2490
3.	आस्ट्रेलिया	56.675	31.5107	40.7549
4.	आस्ट्रिया	–	–	0.1035
5.	अजरबैजान	–	–	2.0500
6.	बंगलादेश	1.0095	1.5677	0.9737
7.	बहमास	–	0.0210	–
8.	बहरीन	0.3300	–	0.0540
9.	बेल्जियम	0.7836	8.5760	1.1502
10.	ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड	3.7295	3.5948	20.9515
11.	बरमूडा	98.9950	227.4771	2.6000
12.	बोत्सवाना	–	0.0500	0.0200

1	2	3	4	5
13.	ब्राजील	3.1727	6.1853	19.2357
14.	बरकिनो फासों	–	0.0438	–
15.	चैनल आईलैंड	–	–	3.6396
16.	कम्बोडिया	0.0200	–	0.0153
17.	कनाडा	1.0981	0.3962	1.5154
18.	केमैन आईलैंड	–	0.0050	2.7567
19.	चीन	21.3688	19.5517	17.5845
20	कोलम्बिया	0.2086	–	–
21.	साइप्रस	–	0.0250	1.9300
22.	चेक गणराज्य	–	0.0074	0.7692
23.	डेनमार्क	–	–	7.3237
24.	मिस्र	0.0051	2.7110	0.3553
25.	इथियोपिया	0.1080	0.5570	0.2800
26.	फ्रांस	1.586	81.6648	12.7363
27.	फिनलैंड	–	0.0213	0.0126
28.	जर्मनी	4.9698	17.5696	9.8276
29.	घाना	–	–	0.1100
30.	हांगकांग	4.7278	19.3373	45.1349
31.	हंगरी	0.1487	1.6.221	–
32.	इंडोनेशिया	0.1151	0.2769	12.3060
33.	ईरान	–	0.9317	7.7357
34.	इजराइल	–	0.5007	0.1750
35.	आयरलैंड	–	4.4214	3.5605
36.	इटली	0.1574	0.0899	7.4065
37.	आइवरी कोस्ट	–	–	11.2400
38.	जापान	0.2771	0.0435	–
39.	कजाकिस्तान	0.1088	–	5.8500
40.	केन्या	0.6777	0.0163	0.1935
41.	कुवैत	0.0702	0.5465	0.7127
42.	किरगिस्तान	–	–	2.7500
43.	दक्षिण कोरिया	–	51.5100	1.6101
44.	लीबिया	–	11.0062	2.3480
45.	लक्जमबर्ग	0.9503	–	–
46.	माल्टा	35.3833	39.6297	10.0360
47.	मारीशस	113.5784	58.1966	158.2569
48.	म्यांमार	2.0744	8.4326	7.7253
49.	मालदोवा	–	–	3.2500
50.	मलेशिया	0.6447	2.0604	3.7629
51	मोजाम्बिक	–	–	10.0650
52	मैक्सिको	–	–	0.1620
53.	नेपाल	4.1248	1.0441	3.6939
54.	नीदरलैंड्स	10.8623	14.9579	22.3119
55.	नाईजर	–	–	0.0100
56.	नाइजीरिया	4.0835	3.0534	1.6039
57.	नामीबिया	–	0.0522	–
58.	न्यूजीलैंड	–	0.0270	0.0007
59.	नार्वे	0.0100	–	–
60.	ओमान	69.7480	83.5938	4.8042
61.	फिलीपीन्स	0.0100	1.0056	3.8859
62.	पौलेंड	0.4985	–	0.1518
63.	कतर	–	0.3238	–
64.	रोमानिया	–	0.0971	–
65.	रूस	251.2995	371.4393	260.6163
66.	दक्षिण अफ्रीका	0.1224	1.3984	2.0338
67.	सेनेगल	–	15.000	–
68.	सऊदी अरब	0.1200	–	–

1	2	3	4	5
69.	सिंगापुर	36.4388	13.9573	228.4790
70.	सेंट विन्सेंट	—	—	0.0500
71.	श्रीलंका	8.6858	42.9681	6.8467
72.	स्पेन	—	0.1860	—
73.	सूडान	669.9739	4.3683	232.6035
74.	स्वाजीलैंड	—	0.0694	0.9593
75	स्वीडन	2.1400	—	—
76.	स्विट्जरलैंड	1.0377	1.0958	30.2380
77.	सीरिया अरब गणराज्य	—	—	0.9254
78.	ताजिकिस्तान	—	0.0150	0.0260
79.	थाईलैंड	8.8887	5.8316	3.6188
80.	तंजानिया	0.0110	0.2395	0.1800
81.	त्रिनिदाद एंड टोबैको	—	0.6000	—
82.	यूएई	14.017	24.7209	47.0664
83.	यूगांडा	—	0.2000	—
84.	यूके	30.721	82.7636	120.2792
85.	यूक्रेन	—	—	3.9600
86.	यूएसए	232.7476	210.5528	126.6911
87.	उरूग्वे	1.000	1.9555	2.2400
88.	उज्बेकिस्तान	1.5920	0.1280	0.1870
89.	वनेतुआ	—	—	2.3010
90.	वियतनाम	—	12.4143	0.0550
91.	जाम्बिया	—	0.0700	0.0350
92.	जिम्बाबवे	—	—	0.1750

रेगिस्तान प्रवण क्षेत्रों में ग्रामीण जलापूर्ति

2051. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के रेगिस्तान प्रवण क्षेत्रों में ग्रामीण जलापूर्ति हेतु किसी कार्यक्रम की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों विशेष रूप से गुजरात को धनराशि आवंटित किए जाने में कोई विसंगति पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें समरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) ग्रामीण बसावटों में पेयजल मुहैया कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए, केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अन्तर्गत कवर किए गए क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति में सहायता देने हेतु योजना में पहले ही यानि एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) नामक एक घटक है।

(ख) एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) के अन्तर्गत सात राज्यों में 40 जिलों को कवर किया गया है जो निम्नलिखित हैं :

राज्य	डीडीपी जिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
गुजरात	6
हरियाणा	7
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	6
राजस्थान	16
कुल	40

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) के अन्तर्गत आवंटित राशि का राज्य–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) के अन्तर्गत राज्यों को निधियों के आवंटन में कोई असमानता नहीं है। एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय आवंटन, दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित असुरक्षित स्रोत बसावटों की संख्या (एनएसएस) के अनुपात में किया जाता है। एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) के अन्तर्गत, प्रत्येक

वर्ष निधियां आवंटित करने से पहले राज्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे (डीडीपी) के अन्तर्गत निर्धारित क्षेत्रों में असुरक्षित स्रोत बसावटों के संबंध में आंकड़े भेजें। यदि कोई राज्य उपर्युक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं कराता तो यह जानकारी केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध रिकार्डों से ले ली जाती है।

विवरण

एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) के अन्तर्गत किया गया आवंटन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटित राशि			
		2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006
1.	आंध्र प्रदेश	1388.00	1424.00	609.00	130.00
2.	गुजरात	153.00	153.00	66.00	1153.00
3.	हरियाणा	944.00	968.00	660.00	78.00
4.	हिमाचल प्रदेश	8.00	8.00	10.00	2020.00
5.	जम्मू और कश्मीर	64.00	65.00	330.00	165.00
6.	कर्नाटक	1177.00	1208.00	1559.00	2085.00
7.	राजस्थान	6019.00	6174.00	7966.00	12594.00
	कुल	9753.00	10000.00	11200.00	18225.00

हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना

2052. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री जुएल ओराम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात तथा जनजातीय क्षेत्रों में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या हस्तशिल्प उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) देश में, जिसमें गुजरात राज्य एवं जनजातीय क्षेत्र को भी कवर किया गया है हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के अन्तर्गत शिल्प कलस्टरों के एकीकृत विकास हेतु स्कीमों का कार्यान्वयन; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; विपणन एवं सहायता सेवाएं; निर्यात संवर्धन, प्रशिक्षण एवं विस्तारण; वर्कशेड; अनुसंधान एवं विकास; हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना; विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना (एसएचटीपी) इत्यादि शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं। हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति को वर्ष 2001–02 से हस्तशिल्प एवं हाथ से बुने कालीनों के निर्यात में हुई वृद्धि की प्रवृत्ति से देखा जा सकता है जो कि निम्नलिखितानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात	निर्यात में वृद्धि (प्रतिशत में)
1.	2001–02	9205.63	–
2.	2002–03	10933.67	+ 18.77
3.	2003–04	12765.18	+ 16.75
4.	2004–05	15255.90	+ 19.51

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास संबंधी स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र की सकीमें हैं और राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए आवंटित धनराशि निम्नलिखितानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपयों में)
1.	2002–03	88.00
2.	2003–04	103.35
3.	2004–05	105.00

हिमनदीय महाद्वीप का दौरा

2053. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या फरवरी 2005 के दौरान एक उच्च स्तरीय दल ने विभिन्न संचालनात्मक तथा वैज्ञानिक कार्यकलापों का जायजा लेने के लिए हिमनदीय महाद्वीप का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे दौरे के बाद भारत के अंटार्कटिक कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय महासागर विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) के नेतृत्व में एक आठ सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2–4 फरवरी, 2005 के दौरान अंटार्कटिक स्टेशन 'मैत्री' का दौरा किया जिससे कि वहां किए जा रहे वैज्ञानिक कार्यकलापों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की जा सके और उपलब्ध अनुसंधान एवं अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने मैत्री के आसपास चल रहे क्षेत्र अनुसंधान कार्य, ऐतिहासिक स्थल, इंदिरा प्वाइंट का निरीक्षण किया और नजदीकी रूसी स्टेशन 'नौवोला–जारेवास्काया' का भी शिष्टाचारवश दौरा किया। किसी भी मंत्री द्वारा किया गया यह पहला दौरा था, जिससे न केवल अंटार्कटिक की विषम परिस्थितियों में कार्यरत भारतीय दल का मनोबल बढ़ाने में मदद मिली, बल्कि इससे हमारे अंटार्कटिक कार्यक्रम की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया।

(ग) निरीक्षण के आधार पर, मैत्री स्थित वैज्ञानिक कर्मियों के आवासों में सुधार करने के लिए कार्य किए गए। दस कंटेनरनुमा तापमानरोधी आवास मॉड्यूल और दो कंटेनरनुमा स्नान मॉड्यूल अगले अभियान के साथ मैत्री भेजी जाएंगे। 1989 में निर्मित मुख्य स्टेशन भवन की 10 वर्ष की संभावित अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है। इंजीनियर्स इंडिया लि. (ईआईएल) और संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र (एसईआरसी), चेन्नै ने भवन का निरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य भवन को और सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जा रही है। भारत एक नया अनुसंधान आधार स्थापित करने की भी योजना बना रहा है, जिसके लिए कार्य–स्थल का चयन कर लिया गया है और प्रारंभिक सर्वेक्षण पहले ही कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा

2054. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में सौर ऊर्जा की उत्पादन लागत प्रति मेगावाट कितनी है;

(ख) क्या सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक संयंत्र तथा उपकरण स्वदेशी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे आवश्यक उपकरणों के आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनसे ये उपकरण आयात किए जाते हैं; और

(च) देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) सौर ऊर्जा का दोहन दो पद्धतियों नामतः सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय के माध्यम से क्रमशः बिजली में प्रत्यक्ष रूपान्तरण और तापीय ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। मेगावाट स्तर पर बिजली का उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग देश में अब तक नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त देश में सौर तापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन अभी भी प्रयोगात्मक चरण में है। तथापि, सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय पद्धति से बिजली के उत्पादन की अनुमानित यूनिट लागत क्रमशः 12–20 रुपये प्रति किवा. घंटा और 10–15 रुपये प्रति किवा. घंटा के बीच है।

(ख) से (ङ) देश में सौर सैल मॉड्यूलों का स्वदेशी तौर पर निर्माण करने के लिए एक औद्योगिक आधार का निर्माण किया गया है जो सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के उत्पादन/अनुप्रयोगों के लिए सर्वाधिक आवश्यक मदें हैं। घरेलू और निर्यात आवश्यकता पूरी करने के लिए विभिन्न कंपनियों मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और रूस आदि से आयात भी किए जा रहे हैं। चूंकि सौर सैल मॉड्यूल खुले आम लाइसेंस के अन्तर्गत कवर किए जाते हैं, अतः मंत्रालय द्वारा आयात के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(च) मंत्रालय देश में सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग के लिए व्यापक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। अब तक किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में अनेक यंत्रों और प्रणालियों का निर्माण किया गया है। इनमें सौर जल तापक, सौर कुकर, सौर लालटेन, सौर घरेलू और सड़क रोशनी, पंप, छोटे विद्युत पैक और बैटरी चार्जिंग अनुप्रयोगों के लिए प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन और विकास को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी, उदार शर्तों पर ऋण, 80 प्रतिशत मूल्य ह्रास, कच्ची सामग्री और कुछ उत्पादों के रियायती आयात शुल्क, कतिपय यंत्रों/प्रणालियों पर उत्पाद–शुल्क छूट जैसे अनेक प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

सूचीबद्ध न की गई कंपनियां

2055. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्की में हुए आर्थिक सहयोग एवं विकास सम्मेलन में पूरे विश्व के विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया है कि सूचीबद्ध न की गई कंपनियों को भी कारपोरेट प्रशासन मानदंडों का पालन करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या भारत पहले से ही सूचीबद्ध न की गई कंपनियों के लिए कारपोरेट प्रशासन मानदंड शुरू करने की प्रक्रिया में है; और

(घ) यदि हां, तो भारत ने इन मानदंडों पर किस सीमा तक विचार किया है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) इस मंत्रालय को कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है न ही उक्त सम्मेलन में भाग लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मंत्रालय भारतीय संदर्भ में अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस व्यवहार को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करने को उत्साहित करने हेतु अलग से व्यापार एवं उद्योग प्रतिनिधि निकायों तथा व्यावसायिक संस्थानों के साथ बातचीत कर रहा है।

स्कूल बैगों पर शुल्क

2056. श्री पी. करूणाकरण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूल बैगों पर कोई उत्पाद शुल्क लगा दिया है जो कि अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो स्कूल बैगों पर कितना प्रतिशत शुल्क लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार स्कूल बैगों को शुल्क मुक्त करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम) : (क) और (ख) स्कूल बैगों सहित सभी प्रकार के बैगों पर 16 प्रतिशत यथा मूल्य सेनवेट दर लगाई जाती है। फिर भी, लघु उद्योग इकाइयों के लिए सामान्य छूट योजना के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये की कीमत की वार्षिक सीमा तक उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तलचर विद्युत परियोजना

2057. श्री जुएल ओराम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में एनटीपीसी के अन्तर्गत तलचर ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के बार-बार आने वाले व्यवधान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संयंत्र में तकनीकी खामी, यदि कोई हो, को दूर करने तथा बिना रुकावट विद्युत उत्पादन जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान तालचेर टीपीएस की कुछ यूनिटों में खराबी रही है, जिसका श्रेय पुराने होने के कारण 220 केवी और 132 केवी स्विचयार्ड में उपकरण खराबियों को जाता है क्योंकि तालचेर थर्मल पावर स्टेशन (टीटीपीएस) (चरण-I 4x60 + चरण-II 2x100 मेगावाट) क्रमशः वर्ष 1967-69 (चरण-I) और 1982-83 (चरण-II) में शुरू किए गए हैं।

(ग) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण शुरू किया जा चुका है और कार्यान्वयनाधीन है। परियोजना का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) कार्य पूरा होने के पश्चात्, यह संभावना है कि ऐसी खराबियों को दूर किया जाएगा।

[हिन्दी]

देश में प्रति व्यक्ति ऋण भार

2058. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक देश का प्रतिव्यक्ति ऋण भार कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ऋण पर ब्याज की राशि कितनी है; और

(ग) ब्याज के बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 2001 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर, दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार की प्रति व्यक्ति कुल देयताएं 19291 रुपये हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान जून, 2005 तक केन्द्र सकरार द्वारा ब्याज अदायगी पर किया गया व्यय निम्न प्रकार से है :

(करोड़ रुपये)

2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
117804	124088	126540	26428

(ग) केन्द्र सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास कर रही है और जिस कारण सब्याज देयताओं में मामूली वृद्धि हुई है। उधारों की लागत को कम करने और बकाया ऋणों की लागत को निम्न स्तर पर लाकर उन्हें पुनर्संरचित करने के विशिष्ट उपाय भी किए जा रहे हैं।

गांव की सड़कों के संबंध में सीआईआई की सिफारिशें

2059. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) द्वारा सरकार से गांव की सड़कों का निर्माण करने एवं उन्हें पक्की सड़क के रूप में बनाए जाने को वर्ष 2004–05 के लिए प्रमुख प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण अवसंरचना में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय को भारतीय उद्योग परिसंघ से ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रयास निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाते हैं :

(i) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)

(ii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

(iii) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

(iv) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

(v) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी)

(vi) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

(vii) ग्रामीण जल आपूर्ति (आरडब्ल्यूएस) कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

केरल की हथकरघा आधारित विकास एवं विपणन योजना

2060. श्री पी. सी. थामस : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के 'हैण्डलूम बेस्ड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम (कृतिका)' एसजीआरवाई संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) मंत्रालय ने केरल के कुन्नूर जिले के लिए मार्च, 2005 में 1108 लाख रुपये की कुल लागत से 'हैण्डलूम बेस्ड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम (कृतिका)' नामक परियोजना को मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

2061. मो. मुकीम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कई राज्यों द्वारा अनेक प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की राज्य-वार लागत कितनी है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को अनुमोदन तथा स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव का और विलम्ब किए बिना अनुमोदन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, नहीं। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक आवंटन आधारित कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां परियोजना प्रस्तावों के आधार पर रिलीज नहीं की जाती हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2062. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उन्होंने कितने दिन हड़ताल की;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा प्रत्येक बैंक को हुए घाटे का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में बैंक में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि वर्ष 2004-05 के दौरान बैंकों से संबद्ध पांच शीर्ष स्तरीय कर्मकार यूनियनों तथा चार शीर्ष स्तरीय अधिकारी यूनियनों से जुड़े बैंक कर्मचारियों ने दिनांक 24.8.2004 तथा 22.3.2005 को दो दिन कार्य रोक दिया था। हड़ताल के कारण बैंकों को हुई हानि, यदि कोई हो, का परिमाण नहीं बताया जा सकता है। तथापि, विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, बैंक प्रबंधन द्वारा हड़तालो कर्मचारियों के लिए "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का पालन किया जाता है।

सुनामी से प्रभावित ग्रामीण लोगों को रोजगार

2063. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत अंडमान और निकोबार में सुनामी से प्रभावित बेरोजगार ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विधेयक (एनआरईजीबी), 2004 इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा में 21.12.2004 को पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य उन ग्रामीण गरीब परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम वाले कार्य करना चाहते हैं। यह विधेयक संसद द्वारा अभी तक पारित नहीं किया गया है। इसलिए इस स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए उपायों को बता पाना संभव नहीं है।

विद्युत उत्पादन

2064. श्री गणेश सिंह :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री आवरचन्द गेहलोत :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री कमला प्रसाद रावत :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री हंसराज जी. अहीर :

डा. सत्यनारायण जटिया :

श्री सुव्रत बोस :

श्री जी. वी हर्ष कुमार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है परन्तु इसका विद्युत उत्पादन अन्य विकसित तथा विकासशील देशों से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तारीख तक देश में कार्यरत जल तथा ताप विद्युत परियोजनाओं की अलग-अलग राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) वर्तमान में इनमें से प्रत्येक की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा इनसे कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ङ) 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत की कुल मांग, उपलब्धता तथा कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) गत छह महीनों के दौरान केन्द्रीय पूल से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन के लिए केन्द्र सरकार को किन-किन राज्यों द्वारा अनुरोध किया गया है तथा उन्हें आवंटित विद्युत का ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में विद्युत की मांग व आपूर्ति के बीच की दूरी को कम करने हेतु विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपने प्रकाशन "वर्ल्ड एनर्जी आउट लुक 2004" में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व विद्युत बाजार में 10 उच्च देशों में छठा स्थान है।

तथापि, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में भारत का अन्य विकसति एवं विकासशील देशों की तुलना में उसका स्थान काफी नीचे है। वर्ष 2003-04 के दौरान देश में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 598 कि.वा. प्रति घंटा थी। कुछ चयनित देशों में प्रतिव्यक्ति बिजली खपत के अद्यतन आंकड़े जैसा अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के "की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिटिक" में नीचे दिए गए हैं :

देशों के नाम	2002 में प्रति व्यक्ति खपत प्रति किलोवाट घंटा में
1	2
आस्ट्रेलिया	10502
फ्रांस	7366
जर्मनी	6742
रूस	5350
यूके	6158
यूएसए	13228
चीन .	1208
ब्राजील	1843
मलेशिया	2883

(ग) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार देश में जल विद्युत एवं ताप विद्युत केन्द्रों की संख्या क्रमशः 255 एवं 293 है। राज्यवार विवरण विवरण-I में दिया गया है।

(घ) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार राज्यवार स्थापित क्षमता का विवरण एवं वर्ष 2004-05 तथा अप्रैल, 2005 से जून, 2005 के महीनों के लिए राज्यवार उत्पादित की गई बिजली का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) अप्रैल-जून, 2005 की अवधि के लिए देश में विद्युत की मांग, उपलब्धता एवं कमी का वितरण विवरण-III में दिया गया है।

(च) राज्यों से केन्द्र सरकार को प्राप्त अनुरोधों का विवरण तथा केन्द्रीय पूल से विद्युत का अतिरिक्त आवंटन एवं केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया का विवरण विवरण-IV में दिया गया है।

(छ) देश में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए उठाए गए उपायों में ये शामिल हैं :

- 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 41,110 मे.वा. की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा है।
- संयंत्र भार अनुपात में वृद्धि (पीएलएफ)।
- नए चालू किए गए यूनिटों को शीघ्र स्थायीकरण।
- जल विद्युत क्षमता का तीव्र गति से दोहन।
- पुराने एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं आयु विस्तार के साथ विद्युत वित्त निगम द्वारा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी।

- कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन।
- अंतर–क्षेत्रीय पारेषण लिंक के अंतर राज्य एवं अंतर क्षेत्रीय विद्युत के सुदृढ़ीकरण में वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण।

विवरण-I

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार राज्यवार थर्मल और हाइड्रो पावर स्टेशन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	हाइड्रो	थर्मल
1	2	3
हरियाणा	1	4
हिमाचल प्रदेश	17	1
जम्मू और कश्मीर	10	5
पंजाब	11	4
राजस्थान	8	4
उत्तर प्रदेश	13	4
उत्तरांचल	12	4
चंडीगढ़	–	1
दिल्ली	–	3
केन्द्रीय क्षेत्र (उत्तरी क्षेत्र)	6+5	10
उप–योग (उत्तरी क्षेत्र)	83	36
गुजरात	3	25
मध्य प्रदेश	8	4
छत्तीसगढ़	1	2
महाराष्ट्र	26	12
गोवा	–	1
दादरा और नगर हवेली	–	–
दमन और दीव	–	–
केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)	1	4
उप–योग (पश्चिमी क्षेत्र)	39	48
आंध्र प्रदेश	16	11
कर्नाटक	24	6
केरल	20	4
तमिलनाडु	23	15
लक्षद्वीप	–	11
पांडिचेरी	–	1
केन्द्रीय क्षेत्र (दक्षिणी क्षेत्र)	–	4
उप–योग (दक्षिणी क्षेत्र)	83	52
बिहार	3	3
झारखंड	1	3
उड़ीसा	5	1
पश्चिम बंगाल	7	28
डीवीसी	3	5
अंडमान और निकोबार	–	34
सिक्किम	6	2
केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र)	1	3
उप–योग (पूर्वी क्षेत्र)	26	79
असम	1	11
मणिपुर	1	21
मेघालय	4	5
नागालैंड	2	5
त्रिपुरा	2	10
अरुणाचल प्रदेश	7	1
मिजोरम	2	23
केन्द्रीय क्षेत्र	5	2
उप–योग (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	24	78
कुल (अखिल भारत)	255	293

विवरण-II

वर्ष 2004–05 और जून–05 तक चालू वर्ष के लिए अखिल भारतीय क्षेत्रवार और श्रेणीवार विद्युत उत्पादन/कार्यक्रम/पीएलएफ

क्षेत्र	प्रकार	क्षमता	2004–05			अप्रैल–05 से जून–05		
		(31.3.05 की स्थितिनुसार)	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत
केन्द्रीय	डीजल	0	0	0		0	0	
	गैस	4419	27150	25187.93		6106	6498.69	
	हाइड्रो	8771.15	30838	29387.73		9515	10222.31	
	न्यूक्लियर	2770	15440	16845.29	70.7	3737	4391.39	73.2
	भाप	25047.5	165299	168906.6	81.7	42276	44627.4	83.4
कुल केन्द्रीय		41007.65	238727	240327.6		61634	65739.79	
निजी	डीजल	596.999	3143	1885.96		617	557.89	
	गैस	3709.4	19834	15640.67		4807	4338.12	
	हाइड्रो	905.45	3392	3163.87		815	840.92	
	भाप	3741.375	24712	26034.33	85.1	6779	7410.7	95.5
कुल निजी		8953.224	51081	46724.83		13018	13147.63	
निजी (आईएमपी)	डीजल	0	0	0		0	0	
	गैस	515	1400	1516.46		344	461.09	
	स्टीम	500	1069	2422.14		1099	889.94	
निजी (आईएमपी) कुल		1015	2469	3938.6		1443	1351.03	
राज्य	डीजल	604.736	1054	632.77		117	166.31	
	गैस	3478.42	16694	17128.41		4025	4233.8	
	हाइड्रो	21294.46	49770	51943.69		10176	11397.36	
	भाप	38002	226017	226720.2	69.6	59514	57916.1	70.6
राज्य कुल		63379.61	293535	296425.1		73832	73713.57	
कैप्टिव–पीटीसी/ भूटान आईएमपी			600	0		394	318.56	
अखिल भारत कुल		114355.5	586412	587416.1	74.8	150321	154270.6	76.8

राज्य में कोयला आधारित स्टेशनों का कुल पीएलएफ प्रतिशत

उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2004–05 और जून–05 तक चालू वर्ष के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार और श्रेणीवार विद्युत उत्पादन/कार्यक्रम/पीएलएफ

राज्य	क्षेत्र	प्रकार	क्षमता	2004–05			अप्रैल–05 से जून–05		
			(31.3.05 की स्थितिनुसार)	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चंडीगढ़	राज्य	डीजल	2	0	0		0	0	
	राज्य कुल		2	0	0		0	0	
कुल चंडीगढ़			2	0	0		0	0	
दिल्ली	केन्द्र	भाप	720	5400	5463.6		1407	1339.38	
	केन्द्र कुल		720	5400	5463.6		1407	1339.38	
	राज्य	गैस	612.4	4150	4091.38		952	982.41	
		भाप	382.5	1650	1617.14		466	405.23	
	राज्य कुल		994.9	5800	5708.52		1418	1387.64	
कुल दिल्ली			1714.9	11200	11172.12	74.3	2825	2727.02	73.5
हरियाणा	केन्द्र	गैस	430	2900	3161.9		715	732.81	
	केन्द्र कुल		430	2900	3161.9		715	732.81	
	राज्य	डीजल	3.918						
		हाइड्रो	62.4	300	289.55		77	81.03	
		भाप	1540	7350	6877.24		2359	2295.54	
	राज्य कुल		1606.318	7650	7166.79		2436	2376.57	
कुल हरियाणा			2036.318	10550	10328.69	69	3151	3109.38	68.8
हिमाचल प्रदेश	केन्द्र	हाइड्रो	3924	14691	13284.14		4948	5426.33	
	केन्द्र कुल		3924	14691	13284.14		4948	5426.33	
	निजी	हाइड्रो	386	1759	1462.82		440	450.85	
	निजी कुल		386	1759	1462.82		440	450.85	
	राज्य	डीजल	0.13						
		हाइड्रो	323	1326	1273.33		397	397.59	
	राज्य कुल		323.13	1326	1273.33		397	397.59	
कुल हिमाचल प्रदेश			4633.13	17776	16020.29		5785	6274.77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर	केन्द्र	हाइड्रो	1170	5330	5650.41		2014	2291.53	
	केन्द्र कुल		1170	5330	5650.41		2014	2291.53	
	राज्य	डीजल	8.94						
		गैस	175	0	23.74		0	0	
		हाइड्रो	309.15	770	731.09		249	228.67	
	राज्य कुल		493.09	770	754.83		249	228.67	
कुल जम्मू और कश्मीर			1663.09	6100	6405.24		2263	2520.2	
पंजाब	केन्द्र	हाइड्रो	1493.15	5800	4344.32		1114	1339.32	
	केन्द्र कुल		1493.15	5800	4344.32		1114	1339.32	
	राज्य	हाइड्रो	1149.65	3770	3354.63		1163	1410.86	
		भाप	2130	13720	14383.83		3250	3220.85	
	राज्य कुल		3279.65	17490	17738.46		4413	4631.71	
कुल पंजाब			4772.8	23290	22082.78	77.5	5527	5971.03	69.6
राजस्थान	केन्द्र	गैस	413	2950	2785		695	647.42	
		न्यूक्लियर	740	3270	4577.91	70.6	986	1038.86	64.3
	केन्द्र कुल		1153	6220	7362.91		1681	1686.28	
	राज्य	गैस	113.8	250	359.93		63	94.91	
		भाप	2295	16400	17113.33		4248	4417.4	
	राज्य कुल		2840.8	17234	18408.76		4381	4591.42	
कुल राजस्थान			3993.8	23454	25771.67	85.1	6062	6277.7	88.1
उत्तर प्रदेश	केन्द्र	गैस	1469	9800	9577.6		2298	2153.04	
		न्यूक्लियर	440	2570	2760.06	71.6	534	608.59	63.3
		भाप	5620	38650	40724.2		9480	10111.24	
	केन्द्र कुल		7529	51020	53061.86		12312	12872.87	
	राज्य	हाइड्रो	518.6	1759	1171.26		260	260.22	
		भाप	4102	20050	19701.82		5286	5205.64	
	राज्य कुल		4620.6	21809	20873.08		5546	5465.86	
कुल उत्तर प्रदेश			12149.6	72829	73934.94	76.3	17858	18338.73	76.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरांचल	केन्द्र	हाइड्रो	120	652	496.69		340	117.87	
	केन्द्र कुल		120	652	496.69		340	117.87	
	राज्य	हाइड्रो	980.85	3433	3111.13		867	1003.36	
	राज्य कुल		980.85	3433	3111.13		867	1003.36	
कुल उत्तरांचल			1100.85	4085	3607.82		1207	1121.23	
कुल उत्तरी क्षेत्र			32066.49	169284	169323.6	77.1	44678	46340.06	76.6

राज्य में कोयला आधारित स्टेशनों का कुल पीएलएफ प्रतिशत।

दक्षिणी क्षेत्र में वर्ष 2004–05 और जून–05 तक चालू वर्ष के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार और श्रेणीवार विद्युत उत्पादन/कार्यक्रम/पीएलएफ

राज्य	क्षेत्र	प्रकार	क्षमता	2004–05			अप्रैल–05 से जून–05		
			(31.3.05 की स्थितिनुसार)	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	केन्द्र	भाप	3600	24300	25291.93		6647	7633.69	
	केन्द्र कुल		3600	24300	25291.93		6647	7633.69	
	निजी	डीजल	36.8	246	0		0	0	
		गैस	1013.4	7169	6180.26		1568	1506.31	
		हाइड्रो	3.75						
	निजी कुल		1053.95	7415	6180.26		1568	1506.31	
	राज्य	गैस	272	1980	1933.4		526	486.59	
		हाइड्रो	3621.01	6719	5812.57		891	775.92	
		भाप	2952.5	21430	23356.6		6057	5478.06	
	राज्य कुल		6845.51	30129	31162.58.7		7474	6740.57	
कुल आंध्र प्रदेश			11499.46	61844	62634.76	90.9	15689	15880.57	91.6
कर्नाटक	केन्द्र	न्यूक्लियर	440	2900	2926.25	75.9	543	817.21	85
	केन्द्र कुल		440	2900	2926.25		543	817.21	
	निजी	डीजल	106.5	717	278.78		138	61.09	
		गैस	220	1638	629.55		309	95.21	
		हाइड्रो	55.2	177	162.61		11	2.76	
	निजी कुल		381.7	2532	1070.94		458	159.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी (आईएमपी)	भाप	260	804	516.33		308	350.03	
	निजी (आईएमपी) कुल		260	804	516.33		308	350.03	
	राज्य	डीजल	127.92	350	271.14		42	50.27	
		हाइड्रो	3306.8	9833	8747.47		1609	1983.05	
		भाप	1470	10880	10717.93		2621	2592.88	
	राज्य कुल		4904.72	21063	19736.54		4272	4626.2	
कुल कर्नाटक			5986.42	27299	24250.06	83.2	5581	5952.5	80.8
केरल	केन्द्र	गैस	350	2050	620.5		294	241.24	
	केन्द्र कुल		350	2050	620.5		294	241.24	
	निजी	डीजल	21.84	140	15.74		24	6.85	
		गैस	174	1100	111.83		158	33.34	
		हाइड्रो	0	95	70.65		10	12.34	
	निजी कुल		195.84	1335	198.22		192	52.53	
	राज्य	डीजल	234.6	684	296.9		68	86.27	
		हाइड्रो	1818.2	3685	6073.37		1323	1398.81	
	राज्य कुल		2052.8	4369	6370.27		1391	1485.08	
कुल केरल			2598.64	7754	7188.99		1877	1778.85	
लक्षद्वीप	राज्य	डीजल	9.968	0	23.41		3	7.49	
	राज्य कुल		9.968	0	23.41		3	7.49	
कुल लक्षद्वीप			9.968	0	23.41		3	7.49	
पांडिचेरी	राज्य	गैस	32.5	255	275.69		66	63.26	
	राज्य कुल		32.5	255	275.69		66	63.26	
कुल पांडिचेरी			32.5	255	275.69		66	63.26	
तमिलनाडु	केन्द्र	न्यूक्लियर	390	1600	1480.48	49.7	324	412	85.5
		भाप	2490	16665	16742.84		4439	4889.17	
	केन्द्र कुल		2880	18265	18223.32		4763	5301.17	
	निजी	गैस	411.659	2040	1501.57		431	466.56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हाइड्रो	400.5	1653	464.3		593	210.07	
		भाप	250	1430	1335.82		398	470.46	
	निजी कुल		1062.159	5123	3301.69		1422	1147.09	
	राज्य	गैस	431	2169	2002.17		487	491.34	
		हाइड्रो	1995.85	2505	4413.11		673	994.21	
		भाप	2970	20880	20002.89		5509	4991.92	
	राज्य कुल		5396.85	25554	26418.17		6669	6477.47	
कुल तमिलनाडु			9339.009	48942	47943.18	76.8	12854	12925.73	82.9
कुल दक्षिणी क्षेत्र			29466	146094	142316.1	84.1	36070	36606.4	86.9

राज्य में कोयला आधारित स्टेशनों का कुल पीएलएफ प्रतिशत।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2004–05 और जून–05 तक चालू वर्ष के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार और श्रेणीवार विद्युत उत्पादन/कार्यक्रम/पीएलएफ

राज्य	क्षेत्र	प्रकार	क्षमता	2004–05			अप्रैल–05 से जून–05		
			(31.3.05 की स्थितिनुसार)	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश	केन्द्र	हाइड्रो	405	1250	1641.51		325	376.33	
	केन्द्र कुल		405	1250	1641.51		325	376.33	
	राज्य	डीजल	15.88						
		हाइड्रो	18.5	20	2		2	0	
	राज्य कुल		34.38	20	2		2	0	
कुल अरुणाचल प्रदेश			439.38	1270	1643.51		327	376.33	
असम	केन्द्र	गैस	291	1600	1615.15		359	399.11	
		हाइड्रो	225	1000	913.53		277	246.57	
	केन्द्र कुल		516	2600	2528.68		636	645.68	
	निजी	गैस	24.5	192	136.33		34	31.05	
	निजी कुल		24.5	192	136.33		34	31.05	
	राज्य	डीजल	20.69						
		गैस	244.5	840	755.26		156	196.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हाइड्रो	2						
		भाप	330	60	0.13		29	7.28	
	राज्य कुल		597.19	900	755.39		185	205.3	
कुल असम			1137.69	3692	3420.4	15	855	882.03	16.4
मणिपुर	केन्द्र	हाइड्रो	105	500	629.07		91	84.69	
	केन्द्र कुल		105	500	629.07		91	84.69	
	राज्य	डीजल	45.41	10	0		2	0	
		हाइड्रो	1.5						
	राज्य कुल		46.91	10	0		2	0	
कुल मणिपुर			151.91	510	629.07		93	84.69	
मिजोरम	केन्द्र	हाइड्रो	50	0	194.98		85	50.32	
	केन्द्र कुल		50	0	194.98		85	50.32	
	राज्य	डीजल	2.05						
		हाइड्रो	167.52	595	615.19		128	126.3	
	राज्य कुल		169.57	595	615.19		128	126.3	
कुल मिजोरम			219.57	595	810.17		213	176.7	
	राज्य	डीजल	51.858	10	0		2	0	
		हाइड्रो	4						
	राज्य कुल		55.858	10	0		2	0	
नागालैंड			55.858	10	0		2	0	
	केन्द्र	हाइड्रो	75	175	254.16		40	21.75	
	केन्द्र कुल		75	175	254.16		40	21.75	
	राज्य	डीजल	2						
		हाइड्रो	25.5	61	0		14	0	
	राज्य कुल		27.5	61	0		14	0	
कुल नागालैंड			102.5	236	254.16		54	21.75	
त्रिपुरा	केन्द्र	गैस	84	550	571.18		122	136.32	
	केन्द्र कुल		84	550	571.18		122	136.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य	डीजल	4.846						
		गैस	106.5	400	485.37		98	122.74	
		हाइड्रो	16	60	68.83		12	13.25	
	राज्य कुल		127.346	460	554.2		110	135.99	
कुल त्रिपुरा			211.346	1010	1125.38		232	272.31	
कुल पूर्वोत्तर			2318.254	7323	7882.69	15	1776	1813.81	16.4

राज्य में थर्मल आधारित स्टेशनों का कुल पीएलएफ प्रतिशत।

पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2004–05 और जून–05 तक चालू वर्ष के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार और श्रेणीवार विद्युत उत्पादन/कार्यक्रम/पीएलएफ

राज्य	क्षेत्र	प्रकार	क्षमता	2004–05			अप्रैल–05 से जून–05		
			(31.3.05 की स्थितिनुसार)	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और	निजी	डीजल	20	0	89.87		24	23.39	
निकोबार द्वीपसमूह	निजी कुल		20	0	89.87		24	23.39	
	राज्य	डीजल	40.048	0	41.15		0	22.26	
		हाइड्रो	0	7	7.29		1	1.13	
	राज्य कुल		40.048	7	48.44		1	23.39	
कुल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			60.048	7	138.31		25	46.78	
बिहार	केन्द्र	भाप	840	5950	6082.1		1442	1529.48	
	केन्द्र कुल		840	5950	6082.1		1442	1529.48	
	राज्य	हाइड्रो	44.9	122	50.23		9	5.65	
		भाप	553.5	370	153.78		120	36.82	
	राज्य कुल		598.4	492	204.01		129	42.47	
कुल बिहार			1438.4	6442	6286.11	52	1571	1571.95	52.3
झारखंड	केन्द्र	गैस	90	0	0		0	0.8	
		हाइड्रो	84	156	147.7		20	5.58	
		भाप	1657.5	4404	4360.39		1302	1120.74	
	केन्द्र कुल		1831.5	4560	4508.09		1322	1127.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी (आईएमपी)	भाप	240	0	811.43		544	397.18	
	निजी (आईएमपी)	कुल		240	0	811.43	544	397.18	
	राज्य	हाइड्रो	130	232	148.74		10	0.62	
		भाप	1260	2850	2069.8		758	527.78	
	राज्य कुल		1390	3082	2218.54		768	528.4	
कुल झारखंड			3461.5	7642	7538.06	26.7	2634	2052.7	27.9
उड़ीसा	केन्द्र	भाप	2970	19250	19444.4		5210	4957.73	
	केन्द्र कुल		2970	19250	19444.4		5210	4957.73	
	निजी (आईएमपी)	भाप		265	1094.38		247	142.73	
	निजी (आईएमपी)	कुल		265	1094.38		247	142.73	
	राज्य	हाइड्रो	1835.5	5307	6864.03		1138	1075.24	
		भाप	420	2900	3165.45		790	879.12	
	राज्य कुल		2255.5	8207	10029.48		1928	1954.36	
कुल उड़ीसा			5225.5	27722	30568.26	82.1	7385	7054.82	78.6
सिक्किम	केन्द्र	हाइड्रो	60	340	369.64		94	83.76	
	केन्द्र कुल		60	340	369.64		94	83.76	
	राज्य	डीजल	5	0	0.17		0	0.02	
		हाइड्रो	31.996	40	61.04		12	12.31	
	राज्य कुल		36.996	40	61.21		12	12.33	
कुल सिक्किम			96.996	380	430.85		106	96.09	
पश्चिम बंगाल	केन्द्र	हाइड्रो	60	144	112.82		12	21.04	
		भाप	2790	17830	15926.45		4409	4525.59	
	केन्द्र कुल		2850	17974	16039.27		4421	4546.63	
	निजी	भाप	1201.375	6610	7238.48		1975	2058.97	
	निजी कुल		1201.375	6610	7238.48		1975	2058.97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य	डीजल	12.198						
		गैस	100	0	0		0	0	
		हाइड्रो	161.7	475	508.4		106	71.49	
		भाप	3305	16670	17072.51		4512	4572.29	
	राज्य कुल		3578.898	17145	17580.81		4618	4643.78	
कुल पश्चिम बंगाल			7630.273	41729	40858.66	66	11014	11249.38	71.8
कुल पूर्वी क्षेत्र			17912.72	83922	85820.25	60.4	22735	22071.72	63.3

राज्य में कोयला आधारित स्टेशनों का कुल पीएलएफ प्रतिशत।

पश्चिमी क्षेत्र में वर्ष 2004–05 और जून–05 तक चालू वर्ष के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार और श्रेणीवार विद्युत उत्पादन/कार्यक्रम/पीएलएफ

राज्य	क्षेत्र	प्रकार	क्षमता	2004–05			अप्रैल–05 से जून–05		
			(31.3.05 की स्थितिनुसार)	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	पीएलएफ प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	केन्द्र	भाप	2100	16050	17049		3897	4253.09	
	केन्द्र कुल		2100	16050	17049		3897	4253.09	
	राज्य	हाइड्रो	120	450	385.73		27	51.28	
		भाप	1280	7640	7925.57		2078	2273.17	
	राज्य कुल		1400	8090	8311.3		2105	2324.45	
कुल छत्तीसगढ़			3500	24140	25360.3	85.4	6002	6577.54	89.5
गोवा	निजी	गैस	48	0	335.97		74	88.54	
	निजी कुल		48	0	335.97		74	88.54	
कुल गोवा			48	0	335.97		74	88.54	
गुजरात	केन्द्र	गैस	1292	7300	6856.6		1623	2187.95	
		न्यूक्लियर	440	2900	2513.53	65.2	648	769.02	80
	केन्द्र कुल		1732	10200	9370.13		2271	2956.97	
	निजी	डीजल	0.2						
		गैस	909	7047	6447.49		1722	1988.5	
		भाप	640	4645	4845.29		1266	1406.19	
	निजी कुल		1549.2	11692	11292.78		2988	3394.69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी (आईएमपी)	गैस	515	1400	1516.46		344	461.09	
	निजी (आईएमपी)	कुल	515	1400	1516.46		344	461.09	
	राज्य	डीजल	17.28						
		गैस	478.72	2850	3028.6		726	747.92	
		हाइड्रो	995	1368	1088.92		298	277.52	
		भाप	4304	25742	25270.4		6817	6349.35	
	राज्य कुल		5795	29960	29387.92		7841	7374.79	
कुल गुजरात			9591.2	53252	51567.29	70.7	13444	14187.54	72.3
मध्य प्रदेश	केन्द्र	हाइड्रो	1000	800	1348.76		155	157.22	
		भाप	2260	16800	17821.7		4043	4267.29	
	केन्द्र कुल		3260	17600	19170.46		4198	4424.51	
	निजी	हाइड्रो	13.5	61	29.75		9	0	
	निजी कुल		13.5	61	29.75		9	0	
	राज्य	हाइड्रो	836	2485	2223.9		70	72.04	
		भाप	2282.5	14225	14359.65		3637	3437.3	
	राज्य कुल		3118.5	16710	16583.55		3707	3509.34	
कुल मध्य प्रदेश			6392	34371	35783.76	81.1	7914	7933.85	77.8
महाराष्ट्र	केन्द्र	न्यूक्लियर	320	2200	2587.06	92.3	702	745.71	100.2
	केन्द्र कुल		320	2200	2587.06		702	745.71	
	निजी	गैस	920	1035	1334.94		349	385.1	
		हाइड्रो	447	1300	1438.04		345	374.97	
		भाप	1650	12027	12614.74		3140	3475.08	
	निजी कुल		3017	14362	15387.72		3834	4235.15	
	राज्य	गैस	912	3800	4112.87		951	1046.61	
		हाइड्रो	2386.83	3864	4006.38		770	1077.62	
		भाप	6425	43200	42932.13		10977	11225.47	
	राज्य कुल		9723.83	50864	51051.38		12698	13349.7	
कुल महाराष्ट्र			13060.83	67426	69026.16	78.8	17234	18330.56	83.7
कुल पश्चिमी क्षेत्र			32592.03	179189	182073.5	78.6	44668	47118.03	80.8

राज्य में कोयला आधारित स्टेशनों का कुल पीएलएफ प्रतिशत।

विवरण-III

अप्रैल से जून, 2005 तक वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (–)		व्यस्ततम–कालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततम कालीन पूर्ति (मे.वा.)	अधिशेष/कमी (–)	
			(मि.यू.)	(प्रतिशत)			(मे.वा.)	(प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	332	332	0	0.0	240	240	0	0.0
दिल्ली	5,704	5,677	–27	–0.5	3,706	3,600	–106	–2.9
हरियाणा	5,837	5,501	–336	–5.8	4,319	3,764	–555	–12.9
हिमाचल प्रदेश	1,009	1,007	–2	–0.2	702	702	0	0.0
जम्मू और कश्मीर	2,385	1,991	–394	–16.5	1,266	1,116	–150	–11.8
पंजाब	9,099	8,442	–657	–7.2	7,731	5,992	–1,739	–22.5
राजस्थान	7,454	7,310	–144	–1.9	4,575	4,375	–200	–4.4
उत्तर प्रदेश	14,140	11,409	–2,731	–193	8,175	6,588	–1,587	–19.4
उत्तरांचल	1,226	1,206	–20	–1.6	874	837	–37	–4.2
उत्तरी क्षेत्र	47,186	42,875	–4,311	–9.1	27,927	24,864	–3,063	–11.0
छत्तीसगढ़	3,322	3,176	–146	–4.4	1,889	1,737	–152	–8.0
गुजरात	15,191	13,461	–1,730	–11.4	9,783	7,102	–2,681	–27.4
मध्य प्रदेश	8,485	6,786	–1,699	–20.0	5,248	3,942	–1,306	–24.9
महाराष्ट्र	26,402	21,825	–4,577	–17.3	15,741	10,861	–4,880	–31.0
दमन और दीव	315	315	0	0.0	213	213	0	0.0
दादरा और नगर हवेली	599	599	0	0.0	304	304	0	0.0
गोवा	593	593	0	0.0	354	354	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	54,907	46,755	–8,152	–14.8	31,328	22,827	–8,501	–27.1
आंध्र प्रदेश	12,967	12,545	–422	–3.3	7,558	7,435	–123	–1.6
कर्नाटक	8,420	8,299	–121	–1.4	5,574	5,442	–132	–2.4
केरल	3,427	3,371	–56	–1.6	2,495	2,439	–56	–2.2
तमिलनाडु	13,817	13,636	–181	–1.3	7,989	7,805	–184	–2.3
पांडिचेरी	430	430	0	0.0	249	249	0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
लक्षद्वीप	6	6	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	39,061	38,281	−780	−2.0	22,609	21,756	−853	−3.8
बिहार	1,941	1,601	−340	−17.5	1,050	965	−85	−8.1
डीवीसी	2,431	2,397	−34	−1.4	1,412	1,412	0	0.0
झारखंड	1,001	958	−43	−4.3	590	555	−35	−5.9
उड़ीसा	3,687	3,616	−71	−1.9	2,255	2,255	0	0.0
पश्चिम बंगाल	6,518	6,361	−157	−2.4	4,085	3,925	−160	−3.9
सिक्किम	58	57	−1	−1.7	47	45	−2	−4.3
अंडमान और निकोबार	60	42	−18	−30.0	40	31	−9	−2.3
पूर्वी क्षेत्र	15,636	14,990	−646	−4.1	8,890	8,520	−370	−4.2
अरुणाचल प्रदेश	53	52	0	−0.9	69	68	−1	−1.4
असम	912	837	−75	−8.2	691	611	−80	−11.6
मणिपुर	116	109	−8	−6.6	102	99	−3	−2.9
मेघालय	312	253	−59	−18.9	266	188	−78	−29.3
मिजोरम	57	53	−4	−7.4	65	65	0	0.0
नागालैंड	105	99	−6	−5.9	90	71	−19	−21.1
त्रिपुरा	191	166	−25	−13.1	171	138	−33	−19.3
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,746	1,569	−178	−10.2	1,266	1,092	−174	−13.7
अखिल भारत	158,536	144,470	−14,067	−8.9	88,667	77,085	−11,582	−13.1

#लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह—एलोन सिस्टम, इनमें विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय उच्चतम मांग/उच्चतम आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

विवरण-IV

गत 6 महीनों के दौरान केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त आवंटन हेतु राज्यों से प्राप्त आग्रह

(जनवरी से जून, 2005)

महीना	राज्य	अपेक्षित आवंटन (मे.वा.)	किया गया आवंटन (मे.वा.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
जनवरी, 2005	एमपीएसईबी	उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से 50 मे.वा. ईआर विद्युत वापसी	50	

1	2	3	4	5
	झारखंड		50	
	राजस्थान	यूए कोटे से 149 मे.वा. से 275 मे.वा. तक आवंटन में वृद्धि		राज्य में सुविधाजनक विद्युत आपूर्ति स्थिति के कारण सुझाव नहीं दिया गया।
फरवरी, 2005 और मार्च 2005	केरल	आवंटन मूल्य कम करने के लिए कायमकूलम सीसीपीपी से विद्युत के साथ पूलिंग हेतु पूर्वी क्षेत्र से 180 मे.वा. का विशेष आवंटन	110	
	तमिलनाडु	पूर्वी क्षेत्र से 180 मे.वा. के विशेष आवंटन को जारी रखना	180	दो और अधिक वर्षों के लिए आवंटन को बढ़ा दिया गया।
अप्रैल, 2005	बिहार	आवंटन को बढ़ाना	90	500 मे.वा. टीएसटीपीपी स्टेज–I अंडरआउटस्ट
	झारखंड	आवंटन को बढ़ाना	20	
	बिहार	*	70	3 दिन के लिए तालचेर स्टेज–I और II गैर–आवंटित कोटे में से (फरक्का बैराज से अन्तर्वाह कम करना)
	झारखंड	*	23	
	पश्चिम बंगाल	*	120	
मई, 2005	गुजरात	*	162 से बढ़ा कर 175	पश्चिमी क्षेत्र की गैर–आवंटित विद्युत से
	महाराष्ट्र	*	200 से बढ़ा कर 230	
	गुजरात	*	60 से बढ़ाकर 77	पूर्वी क्षेत्र की गैर–आवंटित विद्युत से
	महाराष्ट्र	*	95 से बढ़ा कर 125	
जून, 2005	दिल्ली	गर्मियों के दौरान आवंटन की वृद्धि हेतु सहायक सीएम दिल्ली में वृद्धि		यूए विद्युत से 148 से बढ़ाकर 247 मे.वा. और 11.00 बजे से 24.00 बजे के दौरान 11 से 33 मे.वा. रैप्स यूए विद्युत
	पंजाब	बरसात के मौसम के लिए सहायता	यूए 99 मे.वा. से बढ़ाकर 218 मे.वा. और 22 मे.वा. अतिरिक्त रैप्स से	
	छत्तीसगढ़	पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों से 47 मे.वा. विद्युत की वसूली	60	पूर्वी क्षेत्र की गैर–आवंटित विद्युत से
	एएसईबी	80 मे.वा. गैर–आवंटित विद्युत		सीईए ने मौजूदा आवंटन 37 मे.वा. से बढ़ाकर 64 मे.वा. करने की सिफारिश की। विद्युत मंत्रालय का निर्णय प्रतीक्षित है।

*संबंध विद्युत मंत्रालय

जैसप एंड कंपनी की इक्विटी की बिक्री

2065. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैसप एंड कंपनी में शेष सरकारी इक्विटी को इसके रणनीतिक साझेदार रुइया को बेचने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैसप एंड कंपनी के कामगार कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल), इन्डो–वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (सामरिक भागीदार) और जैसप एंड कंपनी (जेसीएल) के बीच संपन्न शेयरखरीद करार/शेयरधारक करार के अनुसार बीबीयूएनएल के पास जेसीएल में अपनी शेष शेयरधारिता सामरिक भागीदार को बेचने का "विक्रय विकल्प" है। यह "विक्रय विकल्प" 29.8.2004 और 28.8.2006 के बीच वैध है।

भारी उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार जेसीएल में बीबीयूएनएल की शेष इक्विटी बेचने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) संघ सरकार द्वारा उत्तर का शपथ–पत्र दाखिल कर दिया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

2066. मोहम्मद शाहिद :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्नी राम :
श्री मो. साहिर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विद्युत का प्रतिशत में वृद्धि दर पर संभावित प्रभाव का आकलन किया गया है;

(ख) क्या देश के सभी विद्युत संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता के कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की नई विद्युत नीति के अन्तर्गत देश के कुल विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्ष 2012 तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त लक्ष्य के अन्तर्गत देश में कितनी विद्युत (मे.वा. में) उत्पादित की गई?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) 1992–93 से 2003–04 के बीच विद्युत उत्पादन तथा सकल घरेलू उत्पाद के बीच प्रत्यस्थता का अनुपात 0.98 निकाला गया है।

(ख) और (ग) 2004–05 के दौरान तथा जून, 2006 तक किया गया उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा है। कुछ विद्युत केन्द्रों का निष्पादन नीचे दिए गए कारणों की वजह से उनकी पूरी क्षमता से कम रहा है।

(i) देरी से/कमजोर मानसून।

(ii) अनधिसूचित तथा दीर्घबलित निकासी।

(iii) पुराने संयंत्रों का खराब निष्पादन।

(iv) ईंधन की कमी।

(घ) से (च) 12 फरवरी, 2005 को घोषित राष्ट्रीय विद्युत नीति में "2012 के अन्त तक सभी को विद्युत तथा 2012 तक प्रत्येक व्यक्ति को विद्युत" की उपलब्धता 1000 यूनिट से अधिक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अनुमान है कि 10वीं और 11वीं योजना के दौरान लगभग 1,00,000 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि अपेक्षित है। 10वीं व 11वीं योजनाओं के दौरान विद्युत क्षेत्र को वित्त सहायता देने के लिए समिति द्वारा 9,00,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

खनिजों पर रॉयल्टी

2067. श्री ब्रजेश पाठक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिजों का उत्पादन करने वाले राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिजों पर रॉयल्टी के रूप में वर्षवार कितनी धनराशि दी गई;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार प्रति टन खनिजों पर रॉयल्टी की वर्तमान दर क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खनिजों पर रॉयल्टी दरों में संशोधन के लिए संबंधित राज्यों को एक बार फिर अधिकार देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दासरि नारायण राव) : (क) प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं और उससे मिलने वाला राजस्व संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है और रखा जाता है। राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त की गई रॉयल्टी की राशि का मंत्रालय में केन्द्रीय तौर पर हिसाब नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई के लिए बालू से भिन्न) पर रॉयल्टी की दरें पिछली बार दिनांक 14.10.2004 की गजट अधिसूचना संख्या 677(ई) के तहत अधिसूचित की गई थी जिसकी एक प्रति 22.12.2004 को सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी गई थी।

(ग) से (ङ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के अन्तर्गत परिभाषित गौण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने गौण खनिज रियायती नियमों के अन्तर्गत विनिश्चित और अधिसूचित की जाती हैं। प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी की दरें केन्द्र सरकार द्वारा विनिश्चित और अधिसूचित की जाती हैं ताकि इन खनिजों के लिए सम्पूर्ण देश में रॉयल्टी की दरों में एकरूपता बनी रहे। प्रमुख खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों को देने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जूट मिलें

2068. श्री एस. के. खादवेलुस्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कार्पोरेशन (एनजेएमसी) के प्रबंधन के अन्तर्गत मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त मिलों में उत्पादन में लगातार कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लगातार घाटे में चलने के कारण एनजेएमसी के अन्तर्गत मिलों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के सुपुर्द किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उपर्युक्त मिलों में कार्यरत कामगारों का भविष्य क्या होगा?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. के अन्तर्गत छह पटसन मिलें हैं। नेशनल, किन्निसन, खारदाह, एलेक्जेन्ड्रा, यूनियन मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और शेष एक मिल नामतः राय बहादुर हदरूत माल (आरबीएचएम) मिल कटिहार, बिहार में स्थित है।

(ख) और (ग) जी, हां। इन वर्षों के लिए उत्पादन (मी. टन) नीचे दिया गया है :

2003–04		8144
2002–03	:	13144
2001–02		22367

(घ) जी, हां।

(ङ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने अपने दिनांक 8.7.2004 के आदेश से एनजेएमसी लि. को बन्द करने का आदेश दिया और निगम के लिए परिसमापक की नियुक्ति के वास्ते मामला कोलकाता उच्च न्यायालय को भेज दिया। तथापि, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) ने अपने दिनांक 20.7.2005 के आदेश से बीआईएफआर के आदेश पर रोक लगा दी। इसी बीच सरकार ने मुख्यालय के कर्मचारियों सहित इस संगठन के सभी कर्मचारियों के लिए वीआरएस की पेशकश कर एनजेएमसी लि. के कार्मिकों की संख्या कम करने के लिए तथा वीआरएस देने, एनजेएमसी लि. के सांविधिक बकायों की समाप्ति और ग्रेच्युटी एवं आरक्षित देयताओं के लिए 978.00 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया। सक्षम प्राधिकारी ने इस दिशानिर्देश के साथ उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया कि किन्निसन एवं खारदाह मिलों को सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) को भेजा जाए और उनके कर्मचारियों को वीआरएस दी जाए। तदनुसार, कर्मचारियों को वीआरएस देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और दो मिलों अर्थात्, किन्निसन एवं खारदाह पटसन मिलों, के मामले बीआरपीएसई को पहले ही भेज दिए गए हैं।

जीवन बीमा उद्यम

2069. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के विदेशी भागीदार ए.एम.पी. लाइफ ने भारत में अपना कार्य बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पालिसीधारकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि एएमपी लाइफ ने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रमुख सम्पत्ति प्रबंधन व्यापार पर केन्द्रित होने और भारत सहित बहुत सारे देशों में बीमा व्यापार से हटने का निर्णय लिया है।

(ग) आईआरडीए ने भी सूचित किया है कि कम्पनी के पास अपने पालिसीधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां हैं।

एनटीसी सहायक कंपनियों का विलय

2070. श्री इकबाल अहमद सरदगी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने एनटीसी की सभी सहायक कंपनियों के होल्डिंग कंपनी में विलय के लिए तथा 22 मिलों के आधुनिकीकरण तथा संयुक्त उद्यम के माध्यम से 18 अन्य मिलों के एकीकरण हेतु कोई ढांचागत तथा व्यापार पुनर्गठन की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सदस्यों के समूह ने विलय के संबंध में पुनर्जीवित करने हेतु कोई सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सुझावों के क्रियान्वयन संबंधी क्या उत्तर दिए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) सरकार ने एनटीसी की सभी सहायक कंपनियों का एक कंपनी में विलय करने के लिए एनटीसी के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से उपलब्ध राशि से पहले चरण में 22 एनटीसी मिलों का आधुनिकीकरण मंजूर कर दिया गया है। अन्य मिलों के शीघ्र आधुनिकीकरण के लिए एनटीसी नीतिगत निजी भागीदारों की तलाश कर रहा है।

विदेशी व्यावसायिक ऋण

2071. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी व्यावसायिक ऋण (ईसीबी) संबंधी वर्तमान मानदंड तथा सीमा कितनी है;

(ख) प्रणाली में विसंगति के परिणामस्वरूप गुजरात सरकार को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने कारपोरेट क्षेत्र को विदेशों से सस्ता ऋण दिलाने में सहायता करने के लिए ईसीबी के मुद्दे की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियां (वित्तीय मध्यवर्तियों जैसे कि बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्राप्त करने के लिए पात्र उधारकर्ता हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधार दो मार्गों के तहत किए जा सकते हैं, अर्थात्

(i) स्वतः अनुमोदन मार्ग — एक वित्तीय वर्ष के दौरान 500 मिलियन अमरीकी डालर तक की राशि के बराबर; और

(ii) अनुमोदन मार्ग — 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की राशि के लिए और उन प्रस्तावों के लिए जिन्हें स्वतः अनुमोदन के तहत शामिल नहीं किया गया है।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उधारों पर लागू होती हैं और इसलिए राज्य सीधे देश से बाहर विदेशी मुद्रा में ऋण नहीं जुटा सकते। इसलिए ईसीबी नीति के परिणामस्वरूप गुजरात सरकार को कोई नुकसान होने का सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्तमान वृहत् आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उचित ऋण प्रबंधन के अनुरूप समग्र वार्षिक सीमा के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ईसीबी नीति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। सरकार ने हाल ही में ईसीबी नीति

की समीक्षा की है और 3 जून, 2005 को एक प्रेस नोट जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ईसीबी के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

सागर निधि का प्रदर्शन

2072. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **महासागर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नए बहुउद्देशीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पोत 'सागर निधि' के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना लागत सहित सागर निधि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) पोत के निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने प्रौद्योगिकी सेवाओं और प्रदर्शन के लिए बहुउद्देशीय जलयान 'सागर निधि' के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया है। यह जलयान, गहरे समुद्र में खनन, समुद्री ऊर्जा, गैस हाइड्रेट और पनडुब्बीनुमा यंत्रों जैसे समुद्र विज्ञान एव प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों के लिए उपयोगी होगा।

(ग) और (घ) इस जलयान से गहरा समुद्र संस्तर कोरिंग, स्वचालित अंतर्जल वाहन जल में छोड़ने संबंधी प्रणालियों, रिमोट द्वारा प्रचालित वाहन और पनडुब्बीनुमा यंत्रों, डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम, लो फ्री बोर्ड और लो विन्डेज क्षेत्र, आपात स्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए बचाने की और कर्षण क्षमता, लार्ज डेक स्पेस, विज्ञान कार्यक्रमों के लिए कन्टेनरनुमा उपस्कर का रखरखाव, विज्ञान वैनों और कंटेनरों के लिए मॉड्यूलर प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं मिलने की आशा है। नए जलयान की इस समय अनुमानित लागत 231 करोड़ रुपये है। जून 2007 में जलयान प्राप्त हो जाने की आशा है।

एफआईपीबी द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2073. श्री सुरेश कुरुप : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एफआईपीबी की सिफारिशों के आधार पर कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कतिपय प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिनके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूरी दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 2002 से मार्च, 2005 के दौरान, सरकार ने एफआईपीबी मार्ग के माध्यम से विभिन्न देशों के 2257 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं, जिनमें 16160.30 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

[हिन्दी]

राज्यों को ऋण

2074. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक केन्द्र सरकार से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों ने किन-किन प्रयोजनों के लिए ये ऋण लिए थे तथा किन-किन प्रयोजनों के लिए इनका उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में विकासात्मक कार्य शुरू करने के लिए राज्यों को राज्य योजना ऋण उपलब्ध कराए गए थे।

(घ) से (च) निधियों के उचित उपयोग करने के लिए राज्य

सरकारें अपने विधानमंडल के प्रति जवाबदेह हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों के लेखे संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं।

तथापि, यदि योजना परिव्ययों की तुलना में व्यय में कोई कमी आती है तो राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता से इसकी अनुपातिक रूप से कटौती की जाती है।

विवरण

राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता (सकल ऋण), मध्यम आवधिक गैर–योजनागत ऋण और अर्थोपाय अग्रिम को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	सकल ऋण			मध्यम आवधिक गैर–योजनागत ऋण			अर्थोपाय अग्रिम			
		2002–03	2003–04	2004–05	2002–03	2003–04	2004–05	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06 (अब तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	236882.63	310779.28	182807.6	0.00	0.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7100.47	9819.21	6571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
3.	असम	24221.42	28857.94	22826.21	46500.00	0.00	0.00	47000.00	5000.00	20000.00	0.00
4.	बिहार	124718.88	115870.88	129088.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	छत्तीसगढ़	42014.08	43492.96	43325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	5935.36	6095.25	8242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	213356.61	216051.24	177868.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	31070.23	32765.35	27329.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	13729.05	15884.40	12882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	10000.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	25163.72	46914.53	50832.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	39944.07	31474.86	31460.08	0.00	0.00	0.00	1548.00	10000.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	149725.41	144290.28	153144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00
13.	केरल	99703.47	65288.72	112238.29	0.00	0.00	0.00	17800.00	31000.00	35000.00	35000.00
14.	मध्य प्रदेश	1143423.13	171411.84	161656.21	0.00	0.00	0.00	31200.00	0.00	25000.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	104725.38	106873.92	145413.25	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	7600.80	7560.38	7786.25	37100.00	0.00	60900.00	57268.00	44500.00	33100.00	0.00
17.	मेघालय	6794.24	7527.19	4542.46	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00
18.	मिजोरम	4964.95	7099.92	5870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	नागालैंड	4827.38	5948.46	5614.06	36500.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	10000.00	10000.00
20.	उड़ीसा	106489.22	113701.12	140978.58	69200.00	0.00	0.00	69500.00	40000.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	39988.76	36775.59	34244.35	0.00	200.00	0.00	0.00	15000.00	20000.00	0.00
22.	राजस्थान	90520.75	162368.17	145392.24	46250.00	0.00	0.00	19800.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	2905.88	3768.39	3880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	87824.19	100823.37	102466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	7432.26	7939.10	7968.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	306820.46	305869.91	282051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तरांचल	24514.95	23372.10	13879.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	147626.57	135804.68	163194.58	43800.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2100004.32	2266427.04	2183556.59	279350.00	200.00	60900.00	336616.00	208000.00	159600.00	65000.00

टिप्पणी : चालू वित्तीय वर्ष (2005–06) के दौरान अब तक किसी भी राज्य को कोई भी सकल ऋण और मध्यम आवधिक गैर–योजनागत ऋण जारी नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

परिधानों का निर्यात

2075. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बाजार अपने परिधानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों की ओर देख रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिमी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने में भारतीय परिधानों की गुणवत्ता आड़े आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो अपनी ब्रांड इमेज बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) जी, हां। पश्चिमी बाजार अपनी परिधान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सहित विभिन्न देशों की ओर देख रहा है। दिसम्बर, 2004 तक जब इयू, यूएसए और कनाडा जैसे पश्चिमी देशों को भारत के परिधानों सहित वस्त्रों के निर्यात, मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के अधीन थे तो इन पश्चिमी देशों द्वारा परिधानों की कुछ श्रेणियों के मात्रा संबंधी प्रतिबंधक स्तर का पूरा उपयोग किया गया तथा कुछ श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया गया जिससे यह आभास हुआ कि पश्चिमी बाजार में भारतीय परिधानों की काफी मांग/आवश्यकता है। कोटा प्रतिबंधों के समाप्त होने पर इन देशों को परिधानों के निर्यात में वृद्धि हुई है। सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात, अप्रैल–फरवरी, 2004 में 4.24 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल–फरवरी, 2005 में 4.40 बिलियन अमरीकी डालर के हो गए। पश्चिमी बाजार में बड़ा अंशदान प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग को आधुनिकीकरण में और निवेश करने की आवश्यकता है ताकि वस्त्र फैब्रिकों और परिधानों की क्वालिटी में सुधार लाया जा सके।

(घ) सरकार परिधानों सहित वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने और इसके ब्राण्ड की छवि को बनाए रखने के लिए समय–समय पर कई कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

1. 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति वस्त्र क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत दी गई है।
2. सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।
3. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन वित्ति योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।
4. कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के

लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में 4 लघु मिशन हैं जिनका कार्यान्वयन कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक मौजूदा जिनिंग एवं प्रेसिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण कर कपास प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना, नए बाजार यार्डों की स्थापना करना तथा मौजूदा बाजार यार्डों का सुधार करना है।

5. वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) और "अपैरल पार्क निर्यात योजना" (एपीईएस) नामक योजनाओं को पुनः तैयार किया है ताकि इनके क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके और वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के वास्ते इसके निमित्त दृष्टिकोण को वास्तविक रूप दिया जा सके। यह योजना सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पीपीपी) पर आधारित है और इसमें परियोजना के निष्पादन के लिए व्यावसायिक एजेंसी को लगाने की परिकल्पना है।

6. वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यतः देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर, समग्र मूल्य वर्धन शृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

7. निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रियायती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

8. परिधान निर्यातकों को, पिछले वर्ष के दौरान उनके वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3 प्रतिशत तक ट्रिमिंग तथा अलंकरण की 21 मदों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

9. वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र का तेजी से आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने 20.4.2005 से टीयूएफएस के तहत 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति की मौजूदा सुविधा के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की दर से ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना शुरू की है।

10. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र, उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

11. पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व–परीक्षण करवा सकें।

चीनी मुद्रा

2076. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हाल ही में अपनी मुद्रा का पुनः मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय निर्यात पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) युआन के पुनः मूल्यांकन के प्रभाव से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। विविध मुद्रा समूहों के संदर्भ में, चीन ने 21 जुलाई, 2005 से बाजार शक्ति पर आधारित अस्थाई विनिमय दर प्रणाली को अपना लिया है। इसके परिणामस्वरूप, अब चीनी युआन अमरीकी डालर से नियंत्रित नहीं होगा।

(ग) से (ङ) चीनी मुद्रा की नई प्रचालन व्यवस्था से भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को अभी से नहीं आंका जा सकता। तथापि, आशा है कि इससे भारत को प्रतिस्पर्धा और व्यापार की दृष्टि से कुछ लाभ पहुंचेगा, हालांकि यह प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग होगा।

ग्राम ऊर्जा परियोजना

2077. श्री गणेश सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में बिजली प्रदान करने के लिए ग्राम ऊर्जा परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत पहले चरण में इसके दायरे में लाए गए गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य में उक्त योजना के क्रियान्वयन पर आज की तारीख तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन से बिजली की कमी किस सीमा तक दूर हो गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से अविद्युतीकृत दूरस्थ जनगणना गांवों के विद्युतीकरण के लिए दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 3064 गांवों के विद्युतीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराई है जिसमें से 1944 को पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्यतया स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास सामग्रियों के उपयोग से दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों में ग्राम ऊर्जा सुरक्षा की संकल्पना का प्रदर्शन करने के लिए परीक्षण परियोजनाओं के एक सैट का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन परीक्षण परियोजनाओं का आधारभूत उद्देश्य कुकिंग, रोशनी और मोटिव पावर सहित कुल ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब तक 24 परीक्षण परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और किए गए कुल व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य उन अविद्युतीकृत दूरस्थ गांवों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करना है जहां पारंपरिक बिजली के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है और इस प्रकार इन गांवों में विद्युत की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

विवरण

क. दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक विद्युतीकृत किए गए गांवों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	किया गया व्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	66	658.71
2.	असम	39	111.57
3.	छत्तीसगढ़	325	1176.13
4.	गुजरात	2	8.61
5.	हिमाचल प्रदेश	1	27.0
6.	जम्मू और कश्मीर	90	1862.80
7.	झारखंड	24	943.21
8.	मध्य प्रदेश	–	109.25
9.	महाराष्ट्र	–	313.63
10.	मणिपुर	106	842.01
11.	मेघालय	24	498.40
12.	मिजोरम	–	144.75
13.	उड़ीसा	18	42.89
14.	राजस्थान	–	360.72
15.	सिक्किम	–	8.60
16.	त्रिपुरा	31	1896.90
17.	उत्तरांचल	231	1280.18
18.	उत्तर प्रदेश	–	1542.67
19.	पश्चिम बंगाल	987	2968.00
	कुल	1944	

ख. ग्राम ऊर्जा सुरक्षा पर आरंभ की गई परियोजनाएं

राज्य	मंजूर की गई परीक्षण परियोजनाओं की संख्या	वर्षवार जारी की गई राशि (रुपये में)	
		2004–05	2005–06
मध्य प्रदेश	11	4654745	4654745
राजस्थान	6	2760345	–
पश्चिम बंगाल	7	3458522	–

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी सहायता

2078. मोहम्मद शाहिद :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्शी राम :
श्री मो. ताहिर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एजेंसी–वार कुल कितनी विदेशी वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त किया गया;

(ख) उपर्युक्त धनराशि से चलाई गई विद्युत परियोजनाओं का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक परियोजना–वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण घाटा बढ़ रहा है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) विद्युत परियोजनाओं के लिए देश, राज्य और एजेंसी–वार प्राप्त कुल विदेशी वित्तीय सहायता से संबंधित सूचना, और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विदेशी सहायता के उपयोग संबंधी ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता के वास्तविक उपयोग को बजटीय अनुमानों के 100 प्रतिशत से अधिक तक बनाए रखा गया है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित सभी चालू विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है। विदेशी सहायता प्राप्त चालू विद्युत परियोनजाओं के क्रियान्वयन में विशिष्ट समस्या वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने तथा उनके समाधान के लिए विद्युत मंत्रालय में एक परियोजना मानीटरिंग सेल कार्यरत है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना	क्रियान्वयन एजेंसी	संवितरण (करोड़ रुपये में)		
			2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5	6
एडीबी					
1.	पावर ट्रांसमिशन सेक्टर प्रोजेक्ट–I	पावरग्रिड	99.53	0.00	0.00
2.	पावर ट्रांसमिशन सेक्टर प्रोजेक्ट–II	पावरग्रिड	122.79	131.96	65.79
3.	असम पावर सेकोर डेवेलपमेंट प्रोग्राम एण्ड प्रोजेक्टर	एएसईबी	0.00	409.50	0.00
4.	गुजरात पावर सेकोर डेवेलपमेंट प्रोग्राम एण्ड प्रोजेक्टर	जीईबी	31.57	562.40	206.82
5.	मध्य प्रदेश पावर सेकोर डेवेलपमेंट प्रोग्राम एण्ड प्रोजेक्टर	एमपीएसईबी	198.00	452.52	170.36
		कुल एडीबी	451.89	1556.38	442.97
6.	आंध्र प्रदेश इफिसिएंसी प्रोजेक्ट	एपीट्रांस्को	83.35	14.79	0.00
		कुल डीफआईडी	83.35	14.79	0.00
आईबीआरडी					
7.	पावर सेक्टर डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट–II	पावरग्रिड	332.77	514.59	331.22
8.	आंध्र प्रदेश पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	एपीट्रांस्को	189.47	25.64	0.00
9.	उड़ीसा पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	ग्रिडको	146.71	222.78	70.12
10.	उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	यूपीपीसीएल	227.01	136.03	48.54
11.	राजस्थान पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	आरआरवीपीएनएल	144.43	182.41	82.10
			1040.39	1081.45	531.98

1	2	3	4	5	6
12.	सिम्हाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट	एनटीपीसी	358.12	182.99	0.00
13.	नॉर्थदर्न इंडिया ट्रांसमिशन सिस्टम	पावरग्रिड	16.95	46.42	43.15
14.	धौलीगंगा एचईपी	एनएचपीसी	150.46	133.13	310.85
15.	तूरियल एचईपी	नीपको	14.55	47.92	18.55
16.	सिम्हाद्री एण्ड विजाग ट्रांसमिशन सिस्टम	एपीट्रांस्को	103.02	85.53	42.53
17.	श्रीसेलम लेफ्ट बैंक एचईपी	एपीजेनको	58.84	0.00	0.00
18.	'ए' कोथागुडेम का आर एण्ड एम	एपीजेनको	2.27	0.00	0.00
19.	उमियाम एचईपी का आर एण्ड एम	मेघालय एसईबी	11.06	1.32	0.00
20.	घाटघर पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट	सिंचाई विभाग/ महाराष्ट्र सरकार	163.83	0.00	0.00
21.	अनपारा 'बी' थर्मल पावर चरण–II प्रोजेक्ट	यूपीआरवीयूएनएल	46.86	0.00	0.00
22.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट	डब्ल्यूएसईबी	127.62	303.53	365.96
23.	पश्चिम बंगाल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट	डब्ल्यूबीएसईबी	109.18	49.38	36.66
24.	बकरेश्वर टीपीपी यूनिट 1, 2, 3 प्रोजेक्ट	डब्ल्यूपीडीसीएल	145.09	43.22	0.00
25.	बकरेश्वर टीपीपी यूनिट 4 और 5 प्रोजेक्ट	डब्ल्यूपीडीसीएल	0.00	1.13	91.84
		कुल जेबीआईसी	1307.85	894.57	909.54
केएफडब्ल्यू					
26.	एनर्जी इनवेस्टमेंट प्रोग्राम	पीएफसी	11.94	14.90	0.00
		कुल केएफडब्ल्यू	11.94	14.90	0.00
स्विटजरलैंड					
27.	स्विस मिक्स्ड क्रेडिट	दिल्ली	0.71	0.00	9.58
		कुल योग	2896.13	3562.09	1894.07

[अनुवाद]

सेवा कर

2079. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरम्भ में सेवा कर कितनी सेवाओं पर लगाया गया था;

(ख) अब तक कितनी सेवाओं पर सेवा कर का विस्तार किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा कर के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान सेवा कर के माध्यम से कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या दूरसंचार सेवा में सेवा कर वास्तविक सेवा अर्थात् कॉल शुल्क के स्थान पर फिक्स्ड टेलीफोन उपकरण के किराए पर भी लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या टेलीफोन के किराए पर सेवा कर समाप्त करने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) बजट 1994 में तीन सेवाओं पर सेवा कर का आरम्भ किया गया था।

(ख) इस समय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) के अन्तर्गत 84 सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया है।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सेवा कर से एकत्रित राजस्व निम्नवत् है :

वर्ष	राजस्व (करोड़ रुपये में)
2002–03	4122
2003–04	7891
2004–05 (अनंतिम)	14134

2005–06 के लिए बजट अनुमान 17500 करोड़ रुपये है।

(घ) सेवा कर लगाने के उद्देश्य से कराधेय सेवा की कीमत सेवा प्रदाता द्वारा ऐसी सेवा प्रदान करने अथवा उसके द्वारा ऐसी दी जाने वाली सेवा पर वसूली गई कुल राशि से है।

(ङ) और (च) इस समय टेलीफोन के किराए को सेवा कर से मुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि सेवा कर प्रदाता द्वारा वसूली गई कुल राशि पर उद्ग्राह्य होता है।

कोयले की कमी

2080. श्री चुन्नीभाई सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) कोयले की कमी को दूर करने संबंधी अपनी रणनीति के तौर पर जल विद्युत क्षमता का पुनर्गठन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एनटीपीसी द्वारा तैयार की गई कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी ने इस संबंध में विभिन्न राज्यों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो परियोजनावार तथा राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एनटीपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना का लागत तथा क्षमता सहित ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी प्रत्येक परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (च) सही जल एवं ताप अनुपात के जरिए समुचित विद्युत उत्पादन की कार्यनीति के रूप में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने जल–विद्युत परियोजनाओं का कार्य शुरू किया है। एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं/नई हाइडल परियोजनाओं समेत क्षमता, लागत, समझौता ज्ञापन/क्रियान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर की तारीख तथा कार्य पूरा होने के समय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	परियोजना और राज्य का नाम	परियोजना की क्षमता (मे.वा.)	जिस तारीख को समझौता ज्ञापन/क्रियान्वयन समझौता पर संबंधित राज्य के साथ हस्ताक्षर हुए	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	निर्धारित पूर्णता का समय
क. निर्माणाधीन परियोजनाएं					
1.	कोल डेम, हिमाचल प्रदेश	800	26.2.2000	4492.79 (2001 की चतुर्थ तिमाही)	2009–10
ख. नई परियोजनाएं					
2.	लोहारिनाग पाला, उत्तरांचल	600	23.6.2004	2417.78 (2004 की प्रथम तिमाही)	2010–11
3.	तपोवन विष्णुगढ़, उत्तरांचल	520	23.6.2004	2545.53 (2004 की प्रथम तिमाही)	2011–12
4.	लता तपोवन, उत्तरांचल	162	18.8.2003	691.96 (2005 की द्वितीय तिमाही)	2011–12
5.	रम्मम–III, पश्चिम बंगाल	90	28.4.2005	460.52 (2005 की प्रथम तिमाही)	2011–12

उपर्युक्त के अलावा एनटीपीसी अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश आदि में हाइड्रो परियोजनाओं के लिए स्थल तलाश कर रहा है। तकनीकी–आर्थिक व्यावहारिकता और संबंधित राज्य द्वारा वित्त आवंटन के बाद इन परियोजनाओं का एनटीपीसी क्रियान्वयन शुरू करेगा।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों में सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2081. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान नई दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों, विशेष रूप से विदेशी राजनयिकों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ये अधिकारी विदेशियों/राजनयिकों को तंग करते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए सकरार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि भविष्य में विदेशियों/राजनयिकों को परेशानी न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गत एक वर्ष के दौरान विदेशी राजनयिकों से इस मंत्रालय के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) अधिकारी सभी यात्रियों के प्रति शिष्ट हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) भारत में लक्जमबर्ग के राजदूत से एक शिकायत अप्रैल, 2003 में प्राप्त हुई थी जो प्रस्थान के सीमा शुल्क पटल पर लम्बी लाइन और एक महिला अधिकारी के व्यवहार के संबंध में थी। जांच–पड़ताल करने पर पता चला कि राजदूत द्वारा उल्लिखित पटल पर घटना की तारीख को कोई महिला सीमा शुल्क अधिकारी तैनात नहीं थी। जहां तक लम्बी लाइन का संबंध है, यह पाया गया कि बहुत कम यात्री जिन पर संदेह हो, की जांच की जाती है, अन्यथा सभी यात्री बिना किसी पूछताछ के सीमा शुल्क पटलों से चले जाते हैं।

(ii) श्री इल्या कोमोव, एक विदेशी नागरिक से दिनांक 23.3.2005 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक सीमा शुल्क अधिकारी ने उनसे उसकी बिना कोई रसीद जारी किए 200 अमेरिकी डालर ऐंठ लिए।

(iii) योशितो मियाजाकी, एक जापानी नागरिक ने दिनांक 28.3.2005 को एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे 400 अमेरिकी डालर देने पड़े क्योंकि वह 2 लैपटाप कम्प्यूटर ला रहा था जिसके लिए उनको कोई रसीद नहीं दी गई।

विदेशी नागरिकों के द्वारा उपर्युक्त दो शिकायतों की जांच की जा रही है ताकि आवश्यक कार्रवाई के लिए तथ्यों का पता लगाया जा सके।

(घ) भविष्य में ऐसी घटना होने से रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। व्यावहारिक रूप से कोई राजनयिक अथवा उसके परिवार के सदस्य जो राजनयिक स्थिति हासिल किए हैं, सीमा शुल्क के द्वारा किसी निवारक जांच के अध्यधीन नहीं होते हैं। अधिकारियों को राजनयिकों और विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार और निकासी के लिए नियमित रूप से खुलासा किया जाता है।

कंपनी कानून के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

2082. श्री ब्रजेश पाठक : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रशासन तथा कार्यकरण की निगरानी करने के लिए उन्हें कंपनी कानून बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कपार्ट का पुनर्गठन

2083. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत 1986 में काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलाजी (कपार्ट) की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या बदले हुए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में कपार्ट के पुनर्गठन तथा उसके पुनर्निर्धारण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) की स्थापना 1986 में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पीपुल्स ऐक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया (पाडी) और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलाजी (कार्ट) को मिलाकर की गई थी। सोसायटी के उद्देश्यों में अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ ग्रामीण समृद्धि में बढ़ोत्तरी करने के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने, नई प्रौद्योगिकीय की जानकारी का समावेश करने, ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करने, अलग-अलग सार्वजनिक और निजी निकायों को उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योकिगियों का अंतरण करने, ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास के लिए लक्षित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने एवं इनमें सहयोग देने, रोजगार के अवसर सृजित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवनस्तर में सुधार करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य भी शामिल हैं।

(ग) से (ङ) इस बदले हुए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में, कपार्ट ने रि-इंजीनियरिंग को शुरू करने और संगठन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए वर्ष 2004 के अन्त तक देश के अलग-अलग क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श के 12 सत्रों का आयोजन किया था जिसमें राष्ट्रीय स्थायी समिति, क्षेत्रीय समिति, शासी निकाय और कपार्ट का कार्यकारी निकाय भी शामिल था। इन पारस्परिक विचार-विमर्श सत्रों के अन्त में 28.12.2004 को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और कपार्ट के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बैठक हुई थी। इस पारस्परिक विचार-विमर्श सत्र और राष्ट्रीय बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर कपार्ट की विभिन्न कार्य-प्रणालियों, तौर-तरीकों, योजनाओं का पुनः वर्गीकरण, कामकाज में बेहतर पारदर्शिता लाने वाली पद्धतियां, संशोधित उद्देश्य आदि तैयार किए गए थे और कपार्ट की कार्यकारी समिति एवं सामान्य निकाय की 2005 में हुई बैठकों के दौरान इन पर चर्चा हुई थी। इन बैठकों में हुई चर्चाओं के आधार पर कपार्ट की राष्ट्रीय स्थायी समिति की आगामी बैठकों में कपार्ट के संशोधित दिशानिर्देशों पर चर्चा की जाएगी। कपार्ट के संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में इन राष्ट्रीय स्थायी समितियों में हुए विचार-विमर्श को अंतिम रूप देने के लिए इन्हें कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार

2084. श्री रवि प्रकाश शर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर एण्ड एम के चरण एक और दो के अन्तर्गत पुनरुद्धार की गई और आधुनिकीकृत की गई ताप विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए आरम्भ की गई या किए जाने वाली परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) 13570 मे. वा. क्षमता वाले 34 विद्युत स्टेशनों में थर्मल पावर स्टेशनों की 163 यूनिटों के चरण-I का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्य 1066.00 करोड़ रुपये की लागत से सफलतापूर्वक पूरा किया गया जिसमें से भारत सरकार द्वारा 402 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई थी। इससे 10000 मिलियन यूनिट (मि.यू.)/वार्षिक अपेक्षित अतिरिक्त उत्पादन समेत लाभ प्राप्त हुआ। ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

20869 मे.वा. की कुल क्षमता वाले 44 थर्मल पावर स्टेशनों की 198 थर्मल यूनिटों का चरण-II के अन्तर्गत नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्य हाथ में लिया गया है। इससे उत्पादन में 5000 मि.यू./वार्षिक की वृद्धि हुई। इसके अलावा चार यूनिटों (300 मे.वा.) का जीवन विस्तार कार्य भी पूरा किया गया। 862.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) 10413 मे.वा. क्षमता वाली 106 पुरानी थर्मल यूनिटों को 10वीं योजना के दौरान 9200.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जीवन विस्तारण कार्य हेतु चिन्हित किया गया है। जीवन विस्तार स्कीम कार्यान्वयन में है। यूनिटों का आर्थिक जीवन 15-20 वर्षों के लिए और बढ़ जाएगा और यूनिटों के निष्पादन में समग्र

सुधार के अलावा उत्पादन क्षमता में 10747 मे.वा. की अभिवृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा, 14270 मे.वा. क्षमता वाली 57 थर्मल यूनिट जो अपेक्षाकृत नई यूनिटें हैं और कारगर ढंग से कार्य कर रही हैं, उनके कार्य निष्पादन को बनाए रखने के लिए 977.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उनका नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने हेतु चिन्हित किया गया है।

ब्यौरे विवरण–III में दिए गए हैं।

विवरण-I

आर एण्ड एम कार्यक्रम (7वीं योजना) फेज–I

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	यूनिट संख्या और क्षमता (मेगावाट में)	पूर्णता लागत (लाख रु. में)		
			सीएलए	राज्य योजना	कुल
1	2	3	4	5	6
	दिल्ली				
1.	बदरपुर	3x100+2x210	0.00	3384.21	3384.21
2.	इंद्रप्रस्थ	1x35+3x62.5+1x60	1301.86	3844.00	5145.86
	हरियाणा				
3.	फरीदाबाद	3x60	856.45	1351.86	2208.31
4.	पानीपत	2x110	817.02	999.26	1816.28
	पंजाब				
5.	भटिंडा	4x110	2167.06	2180.50	4347.56
	उत्तर प्रदेश				
6.	पनकी	2x32+2x110	2514.00	1952.00	4466.00
7.	ओबरा	5x50+3x100+5x200	4070.00	2700.00	6770.00
8.	हरदुआगंज	3x30+2x50+4x60+1x110	3655.04	4639.96	8295.00
	मध्य प्रदेश (अब कोरबा ईस्ट स्टेशन छत्तीसगढ़ राज्य में है)				
9.	कोरबा ईस्ट	1x10+3x30+4x50+2x120	324.56	1461.47	1786.03
10.	अमरकंटक	2x30+2x120	122.46	1277.26	1399.72
11.	सतपुड़ा	5x62.5+1x200+1x210	1752.68	2029.34	3782.02
	गुजरात				
12.	गांधीनगर	2x120	902.14	788.07	1690.21
13.	धुवरण	4x63-5+2x140	511.61	1134.26	1645.87
14.	उकाई	2x120	544.59	1105.52	1650.11

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र				
15.	कोराडी	4x120	966.88	1844.87	2811.75
16.	नासिक	2x120	462.62	113.03	575.65
17.	भुसावल	1x62-5	61.63	8.97	70.60
18.	पारस	1x30+1x62.5	40.11	46.58	86.69
	आंध्र प्रदेश				
19.	कोठागुडम	4x60+4x110	3042.00	6213.00	9255.00
20.	रामागुंडम "बी"	1x62.5	0.00	416.58	416.58
	तमिलनाडु				
21.	एन्नौर	2x60+3x110	2698.35	9309.93	12008.28
22.	तूतीकोरिन	3x210	645.00	216.00	861.00
23.	नैवेली	6x50+3x100	0.00	5112.00	5112.00
	उड़ीसा				
24.	तालचेर	4x62.5	2261.27	765.94	3027.21
	झारखंड				
25.	चन्द्रपुरा–डीवीसी	3x140+3x120	2125.00	4432.00	6557.00
26.	बोकारो–डीवीसी	3x50+1x55	1088.00	184.00	1272.00
27.	पतरातू	4x50+2x100+2x100	1149.24	4333.91	5483.15
	बिहार				
28.	बरौनी	2x15+2x50	1123.99	859.20	1983.19
29.	कारबीघड़िया	2x1.5+1x3+1x7.5	500.76	84.17	584.93
	पश्चिम बंगाल				
30.	दुर्गापुर डीवीसी	2x55*+1x140	208.42	330.58	539.00
31.	संथालडीह	4x120	1371.10	425.78	1796.88
32.	बांडेल	4x80	723.02	1984.12	2707.14
33.	दुर्गापुर–डीपीएल	2x30+1x70+2x75	2154.75	100.80	2255.55
	असम				
34.	नामरूप	3x23+1x12.5+1x30	0.00	798.84	798.84
	कुल	13570.50	40161.61	66428.11	106589.72

विवरण-II

आर एण्ड एम कार्यक्रम फेज–II

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	यूनिट और उनकी क्षमता (मेगावाट में)	कुल यूनिटें	पूर्णता लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
	दिल्ली			
1.	बदरपुर	1-5 (3x95+2x210)=705	5	0.00
2.	इंद्रप्रस्थ	1-5(1x30+3x62.5+1x60)=277.5	5	831.96
	हरियाणा			
3.	फरीदाबाद	1-3(3x55)=165	3	511.87
4.	पानीपत	1-2(2x110)=220	2	320.29
	पंजाब			
5.	रोपड़	1-2(2x210)=420	2	713.46
6.	भटिंडा	1-4(4x110)=440	4	656.28
	राजस्थान			
7.	कोटा	1-2(2x110)=220	2	2762.94
	उत्तर प्रदेश			
8.	ओबरा	1-13(5x50+3x100+5x200)=1550	13	1612.27
9.	पनकी	1-4(2x32+2x110)=284	4	1581.50
10.	हरदुआगंज	1-8(1x30+2x40+4x50+1x105)=455	8	515.63
11.	परीछा	1-2(2x110)=220	2	894.00
	मध्य प्रदेश			
12.	अमरकंटक	1-4(1x30+1x20+2x120)=290	4	2367.11
13.	सतपुड़ा	1-9(5x62.5+1x200+3x210)=1142.5	9	4712.23
	छत्तीसगढ़ (पहले यह स्टेशन मध्य प्रदेश में थे)			
14.	कोरबा (पूर्व)	1-6(4x50+2x120)=440	6	4391.46
15.	कोरबा (वेस्ट)	1-2(2x210)=420	2	775.38
	गुजरात			
16.	उकाई	1-5(2x120+2x200+1x210)=850	5	1976.96

1	2	3	4	5
17.	गांधीनगर	1-2(2x120)=240	2	95.63
18.	धुव्रण	1-6(4x63.5+2x140)=534	6	743.29
19.	वनाकबोरी	1-3(3x210)=630	3	841.82
	महाराष्ट्र			
20.	कोराडी	1-7(4x115+1x200+2x210)=1080	7	3385.88
21.	नासिक	1-5(2x140+3x210)=910	5	5949.19
22.	भुसावल	1-3(1x58+2x210)=478	3	1479.61
23.	चन्द्रपुर	1-4(4x210)=840	4	2518.95
24.	पारली	1-5(2x30+3x210)=690	5	1434.11
25.	पारस	2(1x58)=58	1	1602.35
	तमिलनाडु			
26.	एन्नौर	1-5(2x60+3x110)=450	5	2608.22
27.	तूतीकोरिन	1-3(3x210)=630	3	402.96
28.	मेत्तूर	1-4(4x210)=840	4	228.54
29.	नैवेली (एनएलसी)	1-9(6x50+3x100)=600	9	18090.18
	आंध्र प्रदेश			
30.	कोठागुडम–ए (ओईसीएफ)	1-4(4x60)=240	4	5637.00
31.	कोठागुडम बी व सी	1-4(2x105+2x110)=430	4	1234.68
32.	नैल्लोर	1(1x30)=30	1	668.55
	पश्चिम बंगाल			
33.	कोलाघाट	2-3(2x210)=420	2	673.97
34.	संथालडीह	1-4(4x120)=480	4	1243.32
35.	दुर्गापुर (डीवीसी)	1-4(2x75+1x140+1x210)=500	4	1537.47
	झारखंड (पहले ये स्टेशन बिहार में थे)			
36.	चन्द्रपुरा (डीवीसी)	1-6(3x140+3x120)=780	6	2428.59
37.	बोकारो (डीवीसी)	1-3(3x50)=150	3	257.15
38.	पतरातू	1-10(4x40+2x90+2x105+2x210)=770	10	3729.82

1	2	3	4	5
	बिहार			
39.	बरौनी	1-2(2x50+2x105)=310	4	60.96
40.	मुजफ्फरपुर	1-2(2x110)=220	2	67.50
	असम			
41.	बोंगईगांव	1-4(4x60)=240	4	741.11
42.	चन्द्रपुर	1(1x30)=30	1	184.20
43.	कैथालगड़ी व गोलकी	1-7(3x2.705+4x2.705)=18.93	7	534.02
44.	लकवा	1-4(4x15)=60	4	219.43
45.	नामरूप	1-5(3x23+1x12.5+1x30)=111.5	5	2942.52
		कुल	198	86164.4

विवरण-III

क्र.सं.	स्टेशन/यूनिट का नाम	वर्तमान रेटेड क्षमता (मेगावाट)	अधिकतम उत्पादन (मेगावाट)	एलईपी के बाद प्रत्याशित क्षमता (मेगावाट)	अतिरिक्त विद्युत उत्पादन (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
	दिल्ली					
1.	बदरपुर यूनिट 1–5	705	705	720	15	420
	हरियाणा					
2.	पानीपत यूनिट 1, 3 व 4	330	300	330	30	260
3.	फरीदाबाद यूनिट 1–3	165	159	180	21	150
	पंजाब					
4.	भटिंडा यूनिट 1–4	440	400	440	40	520
	उत्तर प्रदेश					
5.	ओबरा यूनिट 1–13	1482	1335	1550	210	1400
6.	पनकी यूनिट 3–4	210	190	220	30	120
7.	हरदुआगंज यूनिट 1, 3, 4, 5 व 7	325	235	340	105	285
	महाराष्ट्र					
8.	नासिक यूनिट 1–2	280	250	280	30	280
9.	पारस यूनिट–2	58	58	62.5	4.5	60

1	2	3	4	5	6	7
10.	भुसावल यूनिट–1	58	58	62.5	4.5	60
11	कोराडी यूनिट 1–4	460	440	480	40	480
12.	पारली यूनिट 1–2	60	60	60	0	60
	छत्तीसगढ़					
13.	कोरबा (पूर्व) यूनिटें 1, 4, 5 व 6	320	280	340	60	240
	मध्य प्रदेश					
14.	सतपुड़ा यूनिट 1–5	310.25	300	310.25	10.25	350
15.	अमरकंटक यूनिट 1–4	290	240	300	60	200
	गुजरात					
16.	गांधीनगर यूनिट 1–2	240	200	240	40	240
17.	धुवरण यूनिट 1–6	534	422	534	112	220
18.	उकाई यूनिट 1–2	240	210	240	30	240
	तमिलनाडु					
19.	एन्नौर यूनिट 1–2	120	100	120	20	100
20.	तूतीकोरिन यूनिट 1–3	630	630	630	0	300
	आंध्र प्रदेश					
21.	विजयवाड़ा यूनिट 1–2	420	420	420	0	300
22.	कोठागुडम यूनिट 6–8	325	300	360	60	320
	पश्चिम बंगाल					
23.	संथालडीह यूनिट 1–3	360	260	360	100	400
24.	बांडेल यूनिट 1–4	320	260	330	70	340
25.	दुर्गापुर डीवीसी यूनिट–3	140	110	140	30	165
	झारखंड					
26.	चन्द्रपुरा डीवीसी यूनिट 1–6	750	570	780	210	780
27.	बोकारो यूनिट 4–8	135	0	172.5	172.5	50
28.	पतरातू यूनिट 4–8	430	315	470	155	500
	बिहार					
29.	बरौनी यूनिट 4–5	100	0	100	100	200

1	2	3	4	5	6	7
	असम					
30.	चन्द्रपुर यूनिट–1	30	0	30	30	30
31.	नामरूप यूनिट–1	23	23	23	0	30
32.	बोंगाईगांव यूनिट 1–2	120	0	120	120	100
	कुल	10410.25	8830	10744.75	1909.75	9200

आर एण्ड एम हेतु अभिज्ञात ताप विद्युत यूनिटें

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
	राजस्थान			
1.	कोटा	1–5	850	60.97
	पंजाब			
2.	रोपड़	1–6	1260	101.64
	महाराष्ट्र			
3.	नासिक	3–5	630	48.47
4.	कोराड़ी	5–7	620	54.35
5.	चन्द्रपुर	1–6	1840	62.21
6.	पारली	3–5	630	31.12
7.	खापरखेड़ा	1–2	420	6.47
8.	भुसावल	2–3	420	24.03
	गुजरात			
9.	कच्छ लिग्नाइट	1–2	140	103.7
	मध्य प्रदेश			
10.	सिंगरौली	1–7	2000	184.23
11.	विन्ध्याचल	1–6	1260	111.19
	छत्तीसगढ़			
12.	कोरबा एसटीपीएस	1–6	2100	109.26
	आंध्र प्रदेश			
13.	रामागुडम	1–6	2100	80.28
	कुल		14270	977.00

सीमा शुल्क द्वारा तत्काल स्वीकृति देना

2085. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को मानती है कि एयर एक्सप्रेस/कुरियर उद्योग आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के द्रुत विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सीमा शुल्क संबंधी स्वीकृति में लगने वाले अत्यधिक विलम्ब से संबंधित तथ्य की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार को विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा समर एक्सप्रेस कन्साइनमेंट्स हेतु जारी तत्काल जारी दिशानिर्देशों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनका पालन करने का है अथवा वह तत्काल स्वीकृति के लिए अपनी अलग नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस नीति को लागू करने के लिए संभावित समय–सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। एयर एक्सप्रेस/कुरियर उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य की वृद्धि में सहायक है।

(ख) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में कार्गो की निकासी त्वरित रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कुरियर के माध्यम से माल की निकासी के लिए एक स्वचलन परियोजना की शुरूआत की है जिससे कार्गो की निकासी में और भी तेजी आने की आशा है।

(ग) जी, हां। विश्व सीमा शुल्क संगठन ने सीमा शुल्क

द्वारा परेषणों की तत्काल निर्मुक्ति हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश एयर एक्सप्रेस परेषणों सहित सभी परेषणों पर समान रूप से लागू हैं।

(घ) सरकार ने व्यापार को सुकर बनाने तथा सभी परेषणों की त्वरित निकासी सुनिश्चित करने हेतु पहले से ही ऐसी नीति बना रखी है जो सरकार राजस्व अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डालती।

(ङ) और (च) 2003 में जारी किए गए उक्त दिशानिर्देश द्वारा संस्तुत किए गए प्रावधानों में से बहुत से प्रावधान जैसे कि डी मिनिमम प्रावधान (एक निश्चित राशि से कम राशि पर शुल्क का उद्ग्रहण न करना), ऐसे पत्रों तथा दस्तावेजों की उनके साथ संलग्न घोषणाओं के आधार पर सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना शीघ्र निर्मुक्ति का प्रावधान जिनका कोई वाणिज्यिक मूल्य न हो, समेकित घोषणाओं के आधार पर उपहारों तथा सैम्पलों जैसे निम्न मूल्य परेषणों की तत्काल निर्मुक्ति, इन दिशानिर्देशों के जारी होने के पहले से ही भारत में लम्बे समय से मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त सरकार कार्गो निकासी के वास समय में और भी कमी लाना चाहती है जो व्यापार को सुकर बनाएगा।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशुल्क नीति

2086. श्री बसुदेव आचार्य : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पारदर्शी राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाए जाते समय प्रति-राजसहायता देना जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) में प्रावधान किया गया है कि विद्युत प्रणाली के विकास हेतु राज्य सरकार और प्राधिकरण के परामर्श से केन्द्र सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति का निर्माण करेगी।

सरकार ने ड्राफ्ट टैरिफ नीति पर राज्य सरकार के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया है। क्रॉस सब्सिडी समेत विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों के दृष्टिकोण प्राप्त किए गए हैं और टैरिफ नीति को अंतिम रूप देते समय इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

12वां वित्त आयोग

2087. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से 12वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बाजार से उधार ली जाने वाली धनराशि बताने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्यों की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को बाजार से उधार लेने की अनुमति देने के लिए आर.एफ.सी. प्रस्ताव को देखते हुए इन राज्यों को वर्ष 2005-06 के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मॉडल के बारे में अवगत कराने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को राज्यों से कोई ठोस प्रस्ताव मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार को भविष्य में राज्यों को उधार देने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए तथा राज्यों को बाजार से सीधे ही संपर्क करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा तद्नुसार राज्यों को इस निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है तथा उन्हें अपनी उधार जरूरतों को बताने के लिए कहा गया है।

इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रियाओं में राज्यों ने राज्य योजनाओं के लिए निधियां प्रदान करने की नियमितता, बाजार ऋण उगाहने में कुछ राज्यों की असमर्थता, लघु बचत निधियों की उच्च लागत तथा राज्यों द्वारा बाजार ऋणों पर नियंत्रण के मुद्दे उठाए हैं। कुछ राज्यों ने अपनी उधार संबंधी जरूरतों को भी दर्शाया है।

(ङ) भारत सरकार ने बाजार से निधियां जुटाने में असमर्थ, राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों की ओर से बाजार से ऋण जुटाने तथा अन्य राज्यों को सीधे ही बाजार से ऋण लेने की अनुमति देने संबंधी बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली की कटौती

2088. श्री मनोरंजन भक्त : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बारम्बार बिजली की कटौती की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) स (ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जल्दी–जल्दी बिजली की कटौती नहीं की जाती है तथापि, समय–समय पर कुछ व्यवधान होते रहते हैं। विद्युत की आपूर्ति में व्यवधान होने का मुख्य कारण ऊपरी लाइनों पर वृक्षों और डालियों का गिरना है और अत्यन्त तेज हवा और वर्षा होने के कारण कंडक्टरों का चटकना है, क्योंकि अधिकांश ऊपरी लाइनें पेड़ों और जंगल के बगल से होकर गुजरती हैं और इस द्वीप में लगभग 86 प्रतिशत जंगल है तथा पारेषण और वितरण नेटवर्क के लिए पर्याप्त कॉरिडोर (उचित मार्ग) उपलब्ध नहीं हैं। डालियों और पेड़ों की पत्तियों की काट–छांट और कतरने का कार्य व्यवधानों को कम करने के लिए आवधिक रूप से किया जा रहा है।

लघु निवेशकों के हित

2089. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति एम.एच. कानिया की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने कारपोरेट और बाजार मध्यवर्तियों की जालसाजी से लघु निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक पृथक् इंवेस्टर प्रोटेक्शन कोष की स्थापना करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, हां। न्यायमूर्ति एम.एच. कानिया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह ने निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता के प्रयोजनार्थ तथा कंपनियों अथवा मध्यवर्तियों द्वारा धोखाधड़ी अथवा गलत प्रस्तुतीकरणों या गलत कथनों के संबंध में लघु निवेशकों को प्रतिपूर्ति हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम के अन्तर्गत एक पृथक् निवेशक संरक्षण कोष की अनुशंसा की है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक टिप्पणियों हेतु सेबी की वेबसाइट में डाल दी गई है।

[हिन्दी]

ज्ञान केन्द्र

2090. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्शी राम :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री मो. ताहिर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री अविनाश राय खन्ना :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'मिशन 2007' के अन्तर्गत ज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए कतिपय गांवों की पहचान की है जैसा कि दिनांक 13 जुलाई, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार और जिले–वार इन गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ज्ञान केन्द्रों को क्या भूमिका सौंपी गई है;

(घ) क्या इस योजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि निर्धारित कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन ज्ञान केन्द्रों की स्थापना कब तक हो जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 2005–06 के लिए नाबार्ड द्वारा (प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के साथ परामर्श करके) तैयार की गई अनुसूची के अनुसार दस चुनिंदा राज्यों/राज्य क्षेत्रों में 10000 ग्राम ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। तद्नुसार, ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए गांवों का चयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। नाबार्ड को आज तक किसी राज्य सरकार से कवर किए जाने वाले गांवों की सूची को दर्शाने वाली परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) ग्राम ज्ञान केन्द्र स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर कृषि निवेश एवं कृषि उत्पाद के मूल्यों, कृषि–पद्धतियों,

मौसम संबंधी चेतावनियों, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी देने के तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, यह राज्य सरकार के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की मात्रा के आधार पर उसी चैनल के माध्यम से ई–गवर्नेंस और सरकारी सेवाएं देने के लिए भी केन्द्र–बिन्दु होगा।

(घ) माननीय वित्त मंत्री ने बजट 2005–06 में ग्राम ज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को ऋण सहायता हेतु आरआईडीएफ के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मार्च, 2006 तक 10000 ग्राम ज्ञान केन्द्रों/ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के परामर्श से पहले चरण में 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों–पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तरांचल का चयन किया गया है।

(ङ) मिशन 2007 (नगर समाज संगठन सहित 80 संगठनों के समेकित प्रयासों से शुरू की गई राष्ट्र स्तरीय पहलकदमी) में स्वतन्त्रता के 60वें वर्ष अर्थात् 15 अगस्त, 2007 तक देश के प्रत्येक गांव में ग्राम ज्ञान केन्द्र स्थापित करने की बात को ध्यान में रखा गया है।

[अनुवाद]

गांवों में समुद्र का पानी

2091. डा. के. धनराजू : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुनामी के बाद देश के तटीय क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु के तटीय जिलों के लोगों में ऊंची समुद्री ज्वार लहरों के कारण दहशत है क्योंकि अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के पिघलने के परिणामस्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण निकटवर्ती गांवों में समुद्र का पानी घुस जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी असामान्य नौवहन गतिविधियों के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे और परिणाम क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) जी, नहीं। सुनामी के पश्चात् अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने के कारण समुद्र के जल स्तर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ पिघलना और उसके परिणामस्वरूप समुद्री जल स्तर में वृद्धि होना दीर्घावधिक घटना है। परन्तु कभी–कभी विशेष रूप से मानसून महीनों के दौरान तटीय हवाओं और ज्वारीय स्थितियों से जुड़ी तीन तरंगें उठने के कारण, तटीय क्षेत्रों के समानांतर समुद्री जल का आप्लावन होता है। यह एक ऋतुगत घटना है। इसके कारण आसपास की तटीय आबादी की 26.12.2004 को आई विनाशकारी सुनामी की याद ताजा हो जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जाली आयकर विवरणियों का जारी किया जाना

2092. कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री भुपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान जाली आयकर प्रतिदाय प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में कुछ आयकर अधिकारियों द्वारा कथित रूप से अनियमितता बरतने पर आकर्षित कराया गया है; जैसा कि दिनांक 9 जून, 2005 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितने आयकर अधिकारी शामिल पाए गए हैं;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) फर्जी टीडीएस प्रमाण–पत्रों के साथ फर्जी आय की विवरणियां दाखिल करके धन वापसियों के जाली दावों के कुछ मामले दिल्ली स्थित आयकर प्राधिकारियों की जानकारी में आए हैं। इन मामलों में जांच की कार्रवाई दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध स्कंध को सौंप दी गई है।

(ग) अब तक दिल्ली में पता लगाए गए मामलों में आयकर विभाग का एक कार्मिक संलिप्त पाया गया है।

(घ) फर्जी धन वापसी के मामलों में संलिप्त कार्मिक को

निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उक्त कार्मिक के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के अनुसार आगे की कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

(ङ) धन वापसी के कपटपूर्ण दावों पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) करदाता के बैंक खाते में सीधे धन वापसी जमा करने के लिए इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली को लागू करना;

(ii) क्षेत्रीय अधिकारियों को धन वापसी संबंधी लेखन–सामग्री को व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखने के लिए अनुदेश देना और केवल प्राधिकृत विभागीय कार्मिकों के माध्यम से समाशोधन करने वाले बैंकों को धन वापसियों के संज्ञापन–पत्र भेजना;

(iii) टीडीएस प्रमाण–पत्रों को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव तैयार करना ताकि फर्जी टीडीएस प्रमाण–पत्रों के विरुद्ध धन वापसी के दावे की संभावना को रोका जा सके।

(iv) उच्च मूल्य की धन वापसियों को जारी करने के लिए आयकर आयुक्त का प्रशासनिक अनुमोदन।

पोलीमैटलिक नोड्यूल्स कार्यक्रम

2093. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पोलीमैटलिक नोड्यूल्स कार्यक्रम के क्षेत्र में अग्रणी निवेशक का दर्जा पाने वाला पहला देश है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण और अन्वेषण की वर्तमान में क्या स्थिति है;

(ग) जब से गहरे समुद्र में खनन और पोलीमैटलिक नोड्यूल्स कार्यक्रम शुरू किया गया था तब से अन्वेषण वाले क्षेत्र में कितने सर्वेक्षण किए गए हैं और कितने नमूने लिए गए है; और

(घ) इन नमूनों के विश्लेषण का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय, प्रथम चरण के खनन स्थल की पहचान करने के लिए मध्य हिन्द महासागर बेसिन (सीआईओबी) में चुनिंदा खंडों में धारित क्षेत्र (75000 वर्ग किमी.) के लिए निकट ग्रिड सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) बहु–धात्विक पिण्डिका कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के बाद से बहु–धात्विक पिण्डिका कार्यक्रम के सर्वेक्षण और अन्वेषण घटक के तहत सीआईओबी में 70 समुद्री यात्राएं की गईं और लगभग 11000 नमूने लिए गए।

(घ) बहु–धात्विक पिण्डिकाओं के नमूनों के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें धातुओं की औसत सांद्रता तांबा (1.17 प्रतिशत), निकल (1.21 प्रतिशत), कोबाल्ट (0.13 प्रतिशत) और मैग्नीज (24 प्रतिशत) हैं।

अवसंरचना क्षेत्र में निवेश

2094. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भारत में अवसंरचना क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानतः कितना निवेश किया गया है;

(ख) सकल घरेलू उत्पाद में अवसंरचना में निवेश का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में ऐसे हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है अथवा गिरावट आई है;

(घ) अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(ङ) क्या भारत में अवसंरचनात्मक विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र ने जिम्मेदारी ली है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अवसंरचनात्मक विकास में निवेश करने वाली 10 शीर्ष निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इसके बदले में ऐसी कंपनियों पर किए गए अनुग्रह का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) 2005–06 (बजट अनुमान) के लिए ऊर्जा, परिवहन तथा संचार केन्द्रों और दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योगों के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 1,13,614.6 करोड़ रुपये (व्यय बजट खंड–I, 2005–06) है।

(ख) और (ग) वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में अवसंरचना में

सकल पूंजी निर्माण का हिस्सा क्रमशः 4.5 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत था।

(घ) से (छ) अवसंरचना विकास के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है तथा उसे केवल सरकारी वित्त से पूरा नहीं किया जा सकता तथा निजी पूंजी और इससे जुड़ी तकनीकी–प्रबंधकीय दक्षताओं को आकर्षित करने के लिए सरकार अवसंरचना विकास में सरकारी–निजी भागीदारी के संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने सरकारी–निजी भागीदारी की वित्तीय सहायता के लिए एक योजना आरम्भ की है तथा 2005–06 के दौरान इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अवसंरचना समिति गठित की गई है जिससे अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और सुधारों का शीघ्र निपटान और सरलीकरण हो सके। अवसंरचना क्षेत्र में निवेश हेतु कुछ राजकोषीय रियायतें भी दी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना विकास में निवेश करने वाली कुछ प्रमुख निजी कंपनियां हैं–टाटा पावर कं. लि., रिलायंस एनर्जी लि., भारती टेलीवेंचर्स लि., विदेश संचार निगम लि., जय प्रकाश एसोसिएट्स लि., रिलायंस युटिलिटीज एण्ड पावर लि., टाटा टेली सर्विसिज लि., जिंदल थर्मल पावर कं. लि., टोरेंट पावर एईसी लि. तथा गुजरात गैस कं. लि.।

पवन ऊर्जा

2095. श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री जशुभाई दानाभाई बारड़ :
श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी :
श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय वित्तीय सहायता से अपशिष्ट पदार्थ आधारित और पवन आधारित अलग–अलग कितनी ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गईं;

(ख) इन परियोजनाओं द्वारा राज्यवार कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने हेतु अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस कार्यक्रम से देश में विद्युत की मांग किस सीमा तक पूरी हो सकेगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता से कुल 27 अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। नए स्थलों को प्रारम्भ करने के लिए केवल सीमित संख्या में प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। अब तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 10 राज्यों में समग्र रूप से 70.6 मे.वा. संस्थापित क्षमता की कुल 36 प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। राज्यवार सूचना विवरण–I में दी गई है। इसके अतिरिक्त, देश में अब तक निजी निवेश से वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में लगभग 3670 मे.वा. की कुल पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है।

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा की मात्रा संबंधी राज्यवार सूचना विवरण–II में दी गई है।

(ग) और (घ) अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अभी तक कोई प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किए गए हैं। पवन विद्युत परियोजनाएं पवन–वेग संभाव्यता वाले स्थलों पर निजी निवेशों से अधिकांशतया वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में स्थापित की जाती हैं और ऐसी परियोजनाओं को संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(ङ) शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं तथा प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे विवरण–III में दिए गए हैं।

(च) और (छ) शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों के लिए उच्च दर बायोमिथेनेशन प्रक्रियाओं के विकास पर एक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से 11.70 करोड़ रुपये (25,99,400 अमेरिकी डालर) की राशि की बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। यूएनडीपी निधियों से प्रदान की गई राज्यवार और वर्षवार सहायता संबंधी सूचना विवरण–IV में दी गई है।

(ज) देश में अब तक क्रमशः 45 मे.वा. और 3740 मे.वा. की समग्र क्षमता की शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय वित्तीय सहायता से देश में स्थापित विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

(क) शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा परियोजनाएं :

क्र.सं.	राज्य	स्थापित परियोजनाएं (सं.)
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	गुजरात	3
3.	कर्नाटक	2
4.	मध्य प्रदेश	2
5.	महाराष्ट्र	2
6.	उड़ीसा	1
7.	पंजाब	2
8.	उत्तर प्रदेश	3
9.	तमिलनाडु	5
	कुल	27

(ख) प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाएं :

क्र.सं.	राज्य	स्थापित परियोजनाएं (सं.)
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	गुजरात	7
3.	कर्नाटक	4
4.	केरल	2
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	6
7.	राजस्थान	3
8.	तमिलनाडु	8
9.	पश्चिम बंगाल	1
10.	उड़ीसा	1
	कुल	36

विवरण-II

शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा की राज्यवार मात्रा

(क) शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा परियोजनाएं :

मिलियन यूनिट बिजली (किवा.घं.)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	114.45
2.	गुजरात	14.16
3.	कर्नाटक	3.20
4.	मध्य प्रदेश	12.40
5.	महाराष्ट्र	6.38
6.	पंजाब	1.99
7.	उत्तर प्रदेश	15.00
8.	तमिलनाडु	0.96
	कुल	168.54

(ख) *पवन विद्युत परियोजनाएं :

मिलियन यूनिट बिजली (किवा.घं.)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	715.68
2.	गुजरात	1324.89
3.	कर्नाटक	1020.98
4.	केरल	15.86
5.	मध्य प्रदेश	180.78
6.	महाराष्ट्र	2594.21
7.	उड़ीसा	1.17
8.	तमिलनाडु	10845.84
9.	राजस्थान	75.56
10.	पश्चिम बंगाल	1.65
	कुल	16774.97

*प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाओं सहित।

विवरण-III

शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों और पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों (2002–03, 2003–04, 2004–05) के दौरान विभिन्न राज्यों को मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का विवरण

(क) शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	4.81
2.	गुजरात	1.15
3.	पंजाब	1.14
4.	तमिलनाडु	9.20
5.	उत्तर प्रदेश	8.29
6.	दिल्ली	0.52
7.	झारखंड	0.11

(ख) प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाएं :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	4.13
2.	कर्नाटक	7.94
3.	महाराष्ट्र	2.84
4.	पश्चिम बंगाल	2.04

विवरण-IV

शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई वाह्य वित्तीय सहायता के संबंध में राज्यवार सूचना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2002–03	2003–04	2004–05	पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल सहायता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7.58	37.93	30.34	75.85
2.	गुजरात	29.33	–	19.69	49.02
3.	पंजाब	331.71	212.09	–	543.80
4.	तमिलनाडु	89.74	–	100.90	190.64
	कुल	458.36	250.02	150.93	859.31

राज्यों में वित्तीय संकट

2096. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संसाधनों के मामले में कुछ राज्य संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से अपने वित्तीय संकट को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार विशेषतः बिहार में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कुछ राज्यों में भारी राजस्व घाटा है और उन्होंने ऋण दबाव की सूचना दी है। राजस्व प्राप्तियों के औसत की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक राजस्व घाटे वाले राज्यों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष के दौरान हमें केन्द्रीय करों में शेयर की राशि अथवा सामान्य केन्द्रीय सहायता अथवा गैर–योजना अंतर अनुदान राशि अग्रिम तौर पर जारी करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ऐसे मामलों में भारत सरकार ने राज्यों की योजना और गैर–योजना सहायता की हकदारी में वृद्धि कर दी है अथवा अर्थोपाय अग्रिम राशि मुहैया करा दी है ताकि राज्य अपनी नकदी निधि संबंधी अल्पकालिक अड़चनों को दूर कर सकें। तथापि, बिहार राज्य से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	2003–04 (आर.ई.) में 25 प्रतिशत आर.डी./आर.आर.
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश	38.70

1	2	3
2.	केरल	29.30
3.	मध्य प्रदेश	35.30
4.	उड़ीसा	30.60
5.	पंजाब	25.90
6.	उत्तरांचल	35.20
7.	उत्तर प्रदेश	60.70
8.	पश्चिम बंगाल	53.90

आर.डी. : राजस्व घाटा आर.आर. : राजस्व प्राप्तियां

स्रोत : राज्यों की 2004-05 की वित्तीय स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैंने नोटिस दिया है नियम...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे सब नोटिस मेरे विचाराधीन हैं।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या मेरा नोटिस आपके विचाराधीन है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, तो भी नोटिस प्राप्त हुए हैं, वे मेरे विचाराधीन हैं। कृपया सहयोग करें।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं :

(1) खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 7 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 889(अ) जो 27 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से खनन प्रचालन को हाथ में लेने के लिए कर्नाटक राज्य में क्षत्र के आरक्षण के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2436/05]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 183 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) विद्युत (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2005 जो 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 789(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विद्युत (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2005 जो 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 790(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) विद्युत (कठिनाई का निराकरण) (तीसरा) आदेश, 2005 जो 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 792(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) विद्युत (कठिनाई का निराकरण) (चौथा) आदेश, 2005 जो 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 793(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) विद्युत (कठिनाई का निराकरण) (पांचवां) आदेश, 2005 जो 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या का.आ. 794(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) विद्युत (कठिनाई का निराकरण) (छठा) आदेश, 2005 जो 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 795(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) विद्युत (कठिनाई का निराकरण) (सातवां) आदेश, 2005 जो 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 796(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) विद्युत (कठिनाइयों का निराकरण) (आठवां) आदेश, 2005 जो 9 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 798(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) विद्युत (कठिनाइयों का निराकरण) (नौवां) आदेश, 2005 जो 9 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 799(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2437/05]

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) विद्युत अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2005 जो 9 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 281(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विद्युत नियम, 2005 जो 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए पद्धति) नियम, 2005 जो 9 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2438/05]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या एल-7/25/(7)/2004-विधिक जो 29 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह निदेश दिया गया है कि 1.10.2004 की अधिसूचना संख्या एल-7/25/(7)/2004-विधिक के अनुसार प्रभारों की बिलिंग 30 अक्तूबर, 2005 तक की अवधि के लिए टैरिफ के अनुमोदन हेतु उपयोगिताओं द्वारा किए गए आवेदनों के निपटाए जाने तक, जो भी पहले हो, अंतरिम आधार पर जारी रहेगी और आयोग द्वारा ऐसे आवेदनों पर आधारित टैरिफ के अंतिम अवधारण के पश्चात् समायोजन के अध्यधीन होगी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2439/05]

(4) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2440/05]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2441/05]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एल. एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972

की धारा 17क की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमानों का युक्तिकरण और पुनरीक्षण तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 2005 जो दिनांक 4 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 633(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों का युक्तिकरण और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 2005 जो दिनांक 4 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 634(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) साधारण बीमा (अधिकारियों और विकास कर्मचारिवृंद की सेवा का पर्यवसान, अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति) संशोधन योजना, 2005 जो दिनांक 4 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 635(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन योजना, 2005 जो दिनांक 4 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 636(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2442/05]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 300(अ) जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 39/2005–सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 301(अ) जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचना को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 424(अ) जो 28 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 26/2000–सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 476(अ) जो 14 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 483(अ) जो 19 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 जुलाई, 1989 की अधिसूचना संख्या 207/89–सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 494(अ) जो 21 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पश्चिम बंगाल राज्य के साल्टलेक सिटी, कोलकाता में साफ्टवेयर विकास और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2443/05]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

(एक) सा.का.नि. 268(अ) जो 3 मई, 2005 के भारत

आशय 1 जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाली और 24 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान संसाधन के प्रयोजन से एक

निकास किए गए कॉटन यार्न को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 274(अ) जो 5 मई, 2005 के भारत

6 अंक वाले टैरिफ कोड के स्थान पर 8 अंक

उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली

और दूसरी अनुसूचियों में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2444/05]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 455(अ) जो 5 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 62/95-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 299(अ) जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 19/2005-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 452(अ) जो 4 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट पर प्रतिपाटन शुल्क की विधिमान्यता का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 454(अ) जो 5 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 111/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 461(अ) जो 7 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य, चीन ताइपे और संयुक्त राज्य अमेरिका मे उद्भूत या वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट एवड़ रसायनों पर प्रतिपाटन महानिदेशालय की सिफारिशों पर अनंतिम आधार पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2445/05]

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2005 जो 11 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 979(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2446/05]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(अ) जो 15 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विमान के द्वारा निर्यात के माल की ढुलाई के संबंध में विमान संचालक द्वारा, किसी व्यक्ति को दी गई सेवा पर सेवा कर से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2447/05]

(7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 2004 जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 474(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2448/05]

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, 8 अगस्त, 2005 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकार कार्य की घोषणा करता हूं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. आज के आदेश पत्र से अग्रेनीत सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोजन विधेयकों को पुर:स्थापित किया जाना, उस पर विचार किया जाना और उसे पारित किया जाना :

(क) 2005–06 के लिए अनुदानों की पूरक मांगें (रेलवे)

(ख) 2002–03 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)

3. रेल अधिनियम समिति (2004) के "वर्ष 2005–06 के लिए लाभांश की दर और अन्य अनुषंगी मामले" से संबंधित दूसरे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना।

4. नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के अननुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा यथा पारित नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद विस्थापित व्यक्ति दावे और अन्य विधियां (निरसन) विधेयक, 2004 पर विचार करना और उसे पारित करना।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1. पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे की सामरिक स्थिति और कई 'सार्क' देशों के इसके नजदीक होने पर विचार करते हुए बेहतर व्यापार संबंधों के लिए आवश्यक बेहतर वायु सम्पर्क हेतु इस हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

2. उत्तरी बंगाल के आवेदकों से प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए सिलिगुड़ी स्थित पासपोर्ट आवेदन प्राप्त करने वाले वर्तमान कार्यालय को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के रूप में उन्नत करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए :

1. देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार तथा उस पर रोक लगाने के उपाय पर बहस की आवश्यकता।

2. उत्तर प्रदेश में सूखे की हालत पर बहस की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1. त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे टर्मिनल का निर्माण। इस टर्मिनल के लिए आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बहुत पहले रखी गई थी, परन्तु अब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

2. त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान का एक आईटीआई स्तर के संस्थान के रूप में उन्नयन।

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि निम्नलिखित मदें अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल की जाएं :

स्व वित्त पोषित अभियांत्रिकी और चिकित्सा संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली कैपिटेशन फीस को तत्काल समाप्त करने हेतु इसी मानसून सत्र में एक संगत संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से उपबंध किया जाए।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सम्माननीय सभा में अगले सप्ताह निम्नलिखित मदों पर चर्चा की जाए :

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन।

2. भू–सुधार कार्यक्रमों का देश भर में कार्यान्वयन।

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मध्यावधि मूल्यांकन पर हम चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, आगामी सप्ताह की संसदीय कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

1. जयपुर में यातायात समस्या को हल करने के लिए जयपुर के चारों ओर जो रिंग रोड बनाई जाने वाली थी, उसे शीघ्र पूरा किया जाए।

2. टोडारायसिंह की रेलवे लाइन को उखाड़ दिया गया था, इसे शीघ्र बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि प्रति वर्ष इसी माह में हजारों यात्री डिग्गीपुरी के कल्याण जी की यात्रा करने जाते हैं और आते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से, मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाए :

1. देश की कुल आबादी का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है। इन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका लाभ बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है। यह परिस्थिति देश के लिए एक चुनौती है। अब तक के जो सर्वेक्षण गरीबी रेखा के हुए हैं, उनमें लाखों लोगों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें इस सूची में शामिल करने के लिए उचित सर्वेक्षण एवं कार्रवाई की जरूरत है।

2. देश में बेरोजगारी की समस्या दिन–प्रतिदिन भयंकर रूप धारण कर रही है। सरकार के द्वारा बेरोजगारी मिटाने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम बेरोजगारों की तुलना में बहुत कम हैं, देश के अन्दर पढ़े–लिखे तथा गैर पढ़े–लिखे बेरोजगारों की प्रवृत्तियों में घोर निराशा छाई है। देश के अन्दर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिनोंदिन घट रहे हैं। अतः इसके निदान हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय मैं निम्नलिखित दो मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाने का सुझाव देता हूं :

1. केरल राज्य क्षेत्र में मुल्लापपेरियार बांध है, जो तमिलनाडु के नियंत्रणाधीन है। इस बांध के जल स्तर में वृद्धि के कारण यह केरल के लिए खतरा बन गया है। चूंकि तमिलनाडु इसका लाभार्थी है और इस पर उसका पूरा नियंत्रण है, अतः स्पिलवे को खोलने और पानी छोड़ने की जिम्मेवारी उस राज्य सरकार की है परन्तु बांध में इतना पानी नहीं रोका जा सकता। यह टूट सकता है, जिससे कम से कम केरल के चार जिले बह जाएंगे और लाखों लोग मारे जाएंगे। इसलिए इस समस्या के स्थाई समाधान की आवश्यकता है।

2. कीमतों में तेजी से कमी के कारण काली मिर्च, इलायची, सुपारी और वैनिला के कृषक गहरे संकट में हैं। सरकार को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री सुशील चर्त्रा (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1. पश्चिम बंगाल स्थित मेजिया ताप विद्युत परियोजना द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अगस्त के महीने में कोयले के भण्डार में 1.31 लाख मीट्रिक टन से अधिक कमी हुई है। उक्त कमी को पूरा करने के लिए, विशिष्ट कोयले के उपभोग को बहुत अधिक दर्शाया गया है जो कि उस तालिका के कालम 'बी' से स्पष्ट है। इसके परिणामस्वरूप कोयले के भण्डार में अन्तर ऋणात्मक हो जाता है जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। ऋणात्मक अन्तर से यह पता चलता है कि बिजली का उत्पादन कोयले के बिना किया गया और उसके बाद कोयला संयंत्र तक पहुंचा। इन उच्च स्तरीय अनियमितताओं की समुचित जांच किए जाने की आवश्यकता है।

2. पूर्वी पाकिस्तान से प्रवासित लोगों का उत्तरांचल के उधम सिंह नगर में पुनर्वास किया गया है। दो लाख प्रवासी लोगों में से 80 प्रतिशत लोग एक ही उप–जाति नामसुद्रा के हैं। उत्तरांचल विधान सभा ने इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से एक संकल्प लिया है, परन्तु ये अभी भी ऊंची जाति के हैं जबकि पश्चिम बंगाल में नामसुद्रा अनुसूचित जाति के हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पुन्नुलाल मोहाले–उपस्थित नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' के महत्वपूर्ण मामलों पर आते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं और सराहना करता हूं, जो कि संध्या 6 बजे के बाद या अनुसूचित कार्य समाप्त होने के बाद भी अपने मुद्दे उठाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अपने मुद्दों को उठाने के लिए असाधारण सरोकार दर्शा रहे हैं। मैं उनके सहयोग के लिए उनका आभारी हूं। इसी की देश को जरूरत है। मैं एक बार पुनः आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे खेद है कि कई सदस्यों को संध्या देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, परन्तु संसद और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके सहयोग से साबित हो गई है। मैं उनमें से प्रत्येक की प्रशंसा करना चाहता हूं।

श्री किन्जारपु येरणनायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, अध्यक्षपीठ को सदस्यों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप उन बढ़िया परिणामों को देख सकते हैं जो हमने प्राप्त किए हैं। आपके सहयोग के बिना यह संभव नही है। मैं माननीय नेताओं का भी उनकी तत्परता और सहयोग के लिए आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह संघवान : अध्यक्ष महोदय, 6 बजे के बाद कोई मंत्री नहीं बैठता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पहले ही यह कहा था कि यह उनकी ओर से उल्लंघन माना जाएगा और इस पर अध्यक्षपीठ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कुछ अन्य मामलों की अविलम्बनीयता के कारण हम ध्यानाकर्षण नोटिस को बाद में उठाएंगे। आप जानते हैं कि ऐसा आपके यहां रहने के कारण ही संभव हुआ है और मैं आपके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया की सभी अनुषंगी इकाइयों में 'ई'–नीलामी शुरू की है और 'ई'–नीलामी के कारण कोयले की कीमत 150 प्रतिशत बढ़ गई है। इस कारण लघु उद्योगों, लघु उद्योग एककों, कुटीर उद्योगों, बड़े उत्पादकों को काफी कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

पहले लिंकेज की व्यवस्था थी और हजारों–हजार छोटी इकाइयां, जो हमारे देश में विद्यमान हैं, किसी विशिष्ट कोयला खान से कोयला निकाला करती थीं। ई–नीलामी की शुरूआत होने के पश्चात् इन छोटी–छोटी इकाइयों, कुटीर उद्योगों की यह कोल लिंकेज बन्द कर दी गई है। आज हजारों–हजार छोटी इकाइयां और कुटीर उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में पीतल और कांस्य धातु यूनिटें हैं। ये पीतल और कांस्य धातुओं के उत्पादन के लिए कोयला पर निर्भर होती हैं। कोयले के मूल्य में 150 फीसदी की बेतहाशा वृद्धि के कारण हजारों इकाइयां स्वतः बन्द हो जाएंगी। इस तरह बेरोजगारी होगी। हजारों लोग जो इन इकाइयों में कार्यरत थे, बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे।

महोदय, मंत्रालय की ओर से बताया गया कारण यह था कि ओपन सेल सिस्टम और लिंकेज सिस्टम के कारण कोयले के मूल्य पर माफिया का नियंत्रण हुआ करता है। किन्तु ई–नीलामी की व्यवस्था शुरू किए जाने से एक जगह बैठकर माफिया राज चलाने वालों का नियंत्रण अब लगभग समाप्त हो चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने तक के लिए भी लोग कोयला पर निर्भर रहते हैं। लोग अब लकड़ी के जलावन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और आज उन्हें भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। लघु और कुटीर उद्योगों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय लोग, गरीब लोग आज संकट से जूझ रहे हैं।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि गैर–कोयला क्षेत्र में ई–नीलामी की व्यवस्था शुरू किए जाने से पहले जो व्यवस्था थी उसे बहाल किया जाए। लघु इकाइयों के साथ लिंकेज की जो व्यवस्था थी उसे फिर से शुरू किया जाए। घरेलू उपयोग और लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों के उपयोग के लिए 25 मिलियन टन कोयला निर्धारित किया जाए जिससे कि हजारों–हजार लघु, कुटीर और छोटी इकाइयों को किसी प्रकार के संकट का सामान न करना पड़े और वे बन्द न हों। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे पहले की व्यवस्था को बहाल करे और हमारे देश की हजारों–हजार लघु इकाइयों को बचाए।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, में अपनी बात को उनके वक्तव्य के साथ संबद्ध करना चाहता हूं।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं भी अपनी बात को उनके वक्तव्य के साथ संबद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद। हमें इसी तरह के सहयोग की जरूरत है। प्रो. मल्होत्रा, माननीय गृह मंत्री से मुझे जानकारी मिली है कि रिपोर्ट सोमवार को फाइल की जाएगी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को इसे रखेंगे, मुझे इसमें सिर्फ यह कहना था कि 31 जनवरी को कमीशन रिपोर्ट देना चाहती थी। मैं कोई मोटिव नहीं इनक्लूड कर रहा हूं, परन्तु उस समय बिहार के चुनाव थे और उनकी टर्म 31 जनवरी को खत्म हो रही थी। उसके बाद उन्होंने 9 फरवरी को दिया। कल और परसों छुट्टी है। आप कह रहे हैं कि सोमवार को इसे पेश किया जाएगा। मैं सिर्फ दो बातों का उल्लेख कर रहा हूं कि फूकन कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया।... *(व्यवधान)* ऐसा न हो कि इसमें ऐसी कोई बात हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके नोटिस में वह नहीं आता है, इसे आप जानते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं एक रिक्वैस्ट कर रहा हूं। जो तीन हजार लोग मरे थे, उनके बारे में पार्लियामेंट की तरफ से अभी तक कोई औबीचुअरी रैफरेंस नहीं हुआ। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं कि आप बाकी लोगों से भी राय कर लें। उनके बारे में किसी दिन औबीचुअरी रैफरेंस जरूर होना चाहिए क्योंकि आज तक उनके बारे में कोई औबीचुअरी रैफरेंस, कोई श्रद्धांजलि नहीं हुई। ब्रिटेन के बारे में किया गया है। किसी दिन आप सबसे राय करके उनके बारे में एक औबीचुअरी रैफरेंस करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपके सुझाव पर विचार

करूंगा। श्री के. येरननायडु, अब मैं आपको आपके विशेष अनुरोध पर बोलने का मौका दे रहा हूं। माननीय सदस्यगण यहां ठहरें और जाएं नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, आज फ्राइडे है।

अध्यक्ष महोदय : फ्राइडे है तो क्या हुआ, वर्किंग डे है। आपके बाजू में जो बैठे हैं, उनसे सीखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किंजरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, मैं विजाग–पोर्ट–मास्टर लिस्ट उम्मीदवारों के साथ अन्याय को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पिछले दो महीनों से वे लोग आन्दोलन कर रहे हैं। वे मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, 1963 के अन्तर्गत अपने नियोजन की मांग कर रहे हैं। हाल ही में, माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री ने कैम्प का दौरा किया और उन्हें रोजगार सुनिश्चित करने का वचन दिया। अब उम्मीदवार विजाग पोर्ट ट्रस्ट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने कैम्प का दौरा किया है। तथापि, उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पोत परिवहन मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और उन लोगों के साथ न्याय करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री के. फ्रांसिस जार्ज, कल जब आपका मामला आया तो आप अनुपस्थित थे।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : शाम में जब आपका मामला शुरू हुआ तो आप नहीं थे।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मुझे बताया गया कि "शून्य काल" नहीं होगा, जैसा कि चर्चा हो रही थी।

अध्यक्ष महोदय : किसने आपको बताया? यह काम करने का तरीका नहीं है। फिर भी, विशेष मामले के रूप में और विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अनुमति प्रदान कर रहा हूं। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई माननीय सदस्य अपनी बारी गंवा देता है, तो उन्हें दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, पेरियार नदी पर मुल्लापेरियार डैम का निर्माण त्रावणकोर के पूर्ववर्ती महाराजा से हजारों वर्ष की अवधि के लिए लिए गए पट्टे के अन्तर्गत प्रेजिडेंसी ऑफ मद्रास द्वारा 1895 में कराया गया था। अब इसका पूरा का पूरा आवाह क्षेत्र टाइगर रिजर्व के अन्दर पड़ता है और यह एलिफैन्ट रिजर्व भी है। तमिलनाडु सरकार जल संसाधन का उपयोग अनन्य रूप से अपने लिए कर रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया भड़काऊ टिप्पणी न करें। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तमिलनाडु विधान सभा नहीं है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : उन्हें सुनने दिया जाए जो मैं कहना चाहता हूं। तमिलनाडु और केरल के लोगों में कोई विवाद नहीं है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आपको इसे भारतीय नजरिए से देखना चाहिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : यह केरल में रह-रहे लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम लोगों को तमिलनाडु के पानी लेने और उनके इच्छानुसार उपयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं है। केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन से दोनों राज्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डैम का जल स्तर 136 फीट तक बनाए रखा जाए। यही कारण है कि यह डैम अभी तक सुरक्षित हालत में बना हुआ है। यह 110 साल पुराना डैम है जबकि यह बहुत ही परम्परागत तरीके से चूना और सुर्खी से बना हुआ है। डैम की सुरक्षा के बारे में विशेषज्ञों की अपनी राय रही है। अभी जो कुछ हो रहा है उसका कारण भारी वर्षा और आवाह क्षेत्र से वर्षा जल का भारी बहाव... *(व्यवधान)* कैसे आप यह कह सकते हैं कि यह गलत सूचना है? सच्चाई यही है। इसका सत्यापन दोनों राज्यों और केन्द्रीय जल आयोग से हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। आपने केन्द्र सरकार से जुड़े मसले का उल्लेख किया।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : यह डैम मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित है। यदि इस डैम को कोई नुकसान हुआ या इसे कोई खतरा हुआ और पानी इडुक्की आर्क डैम में जा पहुंचा और संयोग से इस डैम को भी कोई नुकसान हुआ, तो केरल के चार प्रमुख जिले–इडुक्की, अर्नाकुलम, कोट्टायम और अल्लेप्पी पूरी तरह से बह जाएंगे। जान–माल के नुकसान की कल्पना नहीं की जा सकेगी। केरल का एकमात्र अनुरोध है कि जल स्तर 136 फीट तक बनाए रखा जाए जैसा कि केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन से दोनों राज्यों द्वारा

इस बात पर सहमति जताई गई थी। डैम के उमड़ने से पहले कीचड़ और मलवे को हटाने का कार्य तमिलनाडु सरकार का होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती सुमित्रा महाजन।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसमें कोई विवाद नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, यह केरल के लोगों के लिए बहुत ही गंभीर मसला है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात को इससे संबद्ध करें। केरल के सभी माननीय सदस्य भी इससे संबद्ध करें। इस तरह संबद्ध करने से सभी नाम कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किए जाएंगे। केरल से श्री सुरेश कुरुप, श्री एम. एम. कृष्णदास, श्री सी. के. चन्द्रप्पन, श्री पी. सी. थामस के साथ–साथ कुछ अन्य माननीय सदस्य भी अपने आपको इस मसले पर श्री के. फ्रांसिस जार्ज के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप कर तमिलनाडु सरकार को जल स्तर 136 फीट तक बनाए रखने के लिए कहे। यह केरल के लोगों के लिए जीने–मरने का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। यही कारण है कि मैंने आपसे नियम को तोड़कर इस मसले को उठाने के लिए कहा है। आपको इसकी सराहना करनी चाहिए।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री थामस सिवाय उसके जो आपने संबद्ध किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रमजीवी एक्सप्रैस, उत्तर प्रदेश में हुए बम विस्फोट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। उस घटना की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उस विस्फोट में आरडीएक्स की मात्रा भी पाई गई है। इसके साथ–साथ किसी बड़े विस्फोट का इरादा भी जाहिर हुआ है। अगर हम इस घटना से पहले देखें, तो चार साल पहले फैजाबाद के निकट रोजा जंक्शन में, साबरमती एक्सप्रैस में भी इसी प्रकार का विस्फोट हुआ था। गोमती एक्सप्रैस में भी इसी प्रकार का बम विस्फोट हुआ था। इसमें कहीं न कहीं समान लिंकेज की बात लगती है। अब आतंकवाद को कुछ भी नाम दो, उसे मुस्लिम आतंकवाद कहें या कुछ और कहें लेकिन आतंकवाद की जड़ें अब सीमाओं से हटकर पूरे देश में फैलनी शुरू हो गई हैं।

अगर हम देखें तो एनडीएफ करके एक संगठन केरल में है। उसका भी लिंक कहीं न कहीं आईएसआई से है, ऐसा अच्छे खासे अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब केरल हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह सीमी से जुड़े हुए विस्फोट हुए हैं। सीमी नाम के संगठन पर पहले बंदिश भी लगाई गई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वह देवबंद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या कानपुर हो, वहां उनके प्रशिक्षण के शिविर हैं। ये सभी बातें स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा उजागर हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता दो प्रकार की है। एक यह है कि कहीं न कहीं राष्ट्रद्रोह के कारण, आतंकवाद के कारण देश संकट में है। दूसरा, पेरी जैसी महिला को एक मां होने के नाते बुरा लगता है कि सीमी या बब्बर खालसा जैसे संगठन युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : इसमें आर.एस.एस. बीच में कहां से आ गई?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अशोक प्रधान यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्री भी रहे हैं। मैं उन्हें नियंत्रित करूंगा। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, मैं पूरा कर रही हूं। मैं जो चिंता प्रकट कर रही हूं, वह यह है कि वे ऐसे संगठन हैं जो इस देश के युवाओं को कहीं न कहीं भड़काते हुए उनको गलत राह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर ले जाते हैं। इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। मैं सरकार से कहूंगी कि ऐसे संगठनों के साथ सख्ती से निपटे। कहीं ऐसा न हो कि 'पोटा' समाप्ति के बाद फिर से ये संगठन उभरने लगें, इस बात पर ध्यान दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खासकर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि मैं दो–तीन दिन पहले पाकिस्तान सीमा में था जहां खाजूवाला, रायसिंहनगर और लोक सभा क्षेत्र का फलोदी और जैसलमेर है। वहां पर आज भी पाकिस्तान का सारा टी.वी. चैनल दिखाई देता है। माननीय मंत्री जी ने पहले लोक सभा में कहा था और मैंने यह मामला पहले भी उठाया था कि जो सीमावर्ती जिले हैं, जहां आज भी सारा पाकिस्तानी चैनल दिखता है लेकिन भारतीय सीमाओं में यहां पर जो उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने की बात हुई थी, वह अभी तक नहीं लगाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सीमावर्ती राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर आज भी पाकिस्तान का चैनल दिखता है, वहां भारतीय चैनल कम दिखता है, वहां उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाकर चाहे खाजूवाला हो या रायसिंहनगर हो या फलोदी हो या जैसलमेर या बाड़मेर हो, वहां उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगा दें ताकि भारतीय चैनल दिख सकें।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै) : महोदय, सॉफ्ट ड्रिंक जाइंट कोका कोला जैसी बहु–राष्ट्रीय कम्पनी को देश के विभिन्न भागों में भू–जल की क्षमता का पता लगाने के संबंध में अनन्य दोहन संबंधी अधिकार मिला है। सूखा–प्रवण क्षेत्रों के दुर्लभ भू–जल संसाधन जैसे 'एक्वाफर्स' तथा नदी तलों के अमूल्य जल संसाधनों का भी बेरहमी से दोहन किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि जल की मूल आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा रहा है, ये बहु–राष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश के कई भागों जैसे केरल में प्लाचछिमेड़ा, उत्तर प्रदेश में वाराणसी तथा तमिलनाडु के शिवंगगाई तथा तिरुनावेली जिलों के इन दुर्लभ भू–जल संसाधनों का वाणिज्यिक तौर पर दोहन कर रही हैं। तामिरावरुणि नदी तल के निकट तिरुनावेली जिले में गंगाईगोंदन में भू–जल एक्वीफायर्स के रूप में एक अच्छे जल स्रोत की क्षमता है। इस संसाधन में उस क्षेत्र के सूखा प्रवण गांवों तथा कस्बों की जल की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। तामिरावरुणि नदी तल से तथा गंगाईगोंदन एक्वीफायर्स से प्रतिदिन 9 लाख लीटर तक अत्यधिक पानी निकालने से आने वाले समय में उस क्षेत्र के आस–पास के 46 गांवों में प्रभाव पड़ेगा। जिसके परिणामस्वरूप इन गांवों में पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं रहेगा। इस प्रवृत्ति को रोका जाए। ऐसी बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों को सॉफ्ट ड्रिंक के विनिर्माण हेतु भारी मात्रा में पानी के उपयोग और दोहन को तुरन्त रोका जाए।

इन बहु–राष्ट्रीय कम्पनिया को सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की येन केन प्रकारेण अनुमति मिल गई है। ये सॉफ्ट ड्रिंक भी प्रदूषण से मुक्त नहीं हैं। केरल के प्रदूषण बोर्ड न यह पाया है कि प्लाचछिमेड़ा में कोका कोला कम्पनी द्वारा विनिर्मित सॉफ्ट ड्रिंक में जस्ता तथा केडमियम रसायन के संघटक पाए गए हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस क्षेत्र के मासूम गरीब लोगों के हितार्थ इस मामले का राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। इसे मात्र राज्य संबंधी मामला मान कर नजरंदाज न किया जाए। मैं, संघ सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें जो कि उन क्षेत्रों का दौरा करें जहां ये बहु–राष्ट्रीय कम्पनियां सॉफ्ट ड्रिंक का विनिर्माण कर रही हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के गरीब लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार की बहु–राष्ट्रीय इकाइयों को खोलने से पहले उस क्षेत्र के स्थानीय निकायों के विचारों पर यथोचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अन्य स्वीकृत मामलों को 6.00 बजे लिया जाएगा।

अपराह्न 12.29 बजे

बिहार बजट, 2005-2006

*लेखानुदानों की मांगें (बिहार)–2005-06

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 8 और 9 को एक साथ लेगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैंने बिहार राज्य के वर्ष 2005–06 के लिए वार्षिक वित्त विवरण पहले ही सभा पटल पर रख दिया है।

संक्षेप में संशोधित विवरण में निम्नलिखित बताया गया है :

राजस्व लेखा में 19,128.27 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का तथा 19,134.62 करोड़ रुपयों के व्यय का प्राक्कलन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप थोड़ा सा राजस्व घाटा हुआ है। पूंजी लेखा में–7,100.88 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का जबकि 7,193.85 करोड़

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री पी. चिदम्बरम]

रुपये के व्यय का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप 92.97 करोड़ रुपये का घाटा है।

अधशेष रोकड़, राजस्व खाते तथा पूंजी खाते तथा लोक खातों के लेन–देन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 923.59 करोड़ रुपये के अधिशेष के साथ समाप्त होने की आशा है।

मैं इस बजट को सभा के हवाले कराता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि उसे पारित करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33 तथा 35 से 52 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां बिहार राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2005–2006 की अनुदानों की मांगें (बिहार)

संख्या और मांग का शीर्षक		सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि (लोक सभा द्वारा 19 मार्च, 2005 को पहले से ही स्वीकृति राशियों सहित)	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	कृषि विभाग	1826976000	0
2	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	698345000	0
3	भवन निर्माण एवं आवास विभाग	808442000	981853000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	55423000	0
6	निर्वाचन	1138845000	0
7	निगरानी	58402000	0
8	नागरिक विमानन विभाग	37888000	7500000
9	सहकारिता विभाग	311988000	93549000
10	ऊर्जा विभाग	107643000	10505443000
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	136147000	0
12	वित्त विभाग	2227804000	83333000
15	पेंशन	20591480000	0
16	राष्ट्रीय बचत	20535000	0
17	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	227448000	37500000
18	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	553483000	0
19	वन एवं पर्यावरण विभाग	437590000	6000000
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	7012567000	170080000
21	उच्च शिक्षा विभाग	5079138000	0
22	गृह विभाग	9681677000	566666000

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
23	उद्योग विभाग	265370000	88037000
24	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	99561000	0
25	सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	17044000	0
26	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1374748000	0
27	विधि विभाग	1396462000	0
29	खनन एवं भूतत्व विभाग	63774000	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	19002000	74309000
31	संसदीय कार्य विभाग	5233000	0
32	विधान मंडल	283918000	0
33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	133285000	123334000
35	योजना एवं विकास विभाग	2133624000	0
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1095789000	1859935000
37	राजभाषा विभाग	117818000	0
38	निबंधन विभाग	206470000	4133000
39	आपदा प्रबंधन विभाग	1149728000	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1975816000	23812000
41	पथ निर्माण विभाग	2106896000	4435916000
42	ग्रामीण विकास विभाग	8619070000	4082842000
43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	171862000	8250000
44	माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	28199091000	24853000
45	ईख विभाग	97299000	423000
46	पर्यटन विभाग	28520000	46875000
47	परिवहन विभाग	68800000	750000
48	नगर विकास विभाग	1484468000	105903000
49	जल संसाधन विभाग	2116997000	5960934000
50	लघु सिंचाई विभाग	2166030000	532338000
51	कल्याण विभाग	5442788000	3964000
52	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	179105000	8325000
	कुल योग	112030389000	29636859000

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री निखिल कुमार चौधरी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बिहार के लिए वर्ष 2005–06 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है और उसके लिए उन्हें वोट ऑन एकाउण्ट्स की डिमाण्ड की है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सभी को पता है कि बिहार की वित्तीय स्थिति कैसी है, बिहार आज किस राह पर है। आज बिहार एक विचित्रता के दौर से गुजर रहा है। बिहार में अभी हाल ही में फरवरी में चुनाव हुए थे और इसी सदन ने 7 मार्च, 2005 को वहां राष्ट्रपति शासन लगाया है। हम उनकी परिस्थितियों को समझते हैं, लेकिन एक विचित्रता की स्थिति और पैदा हो गई है। जब जनप्रतिनिधि लोग वहां एक कल्याणकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाने की दिशा में प्रयासरत थे, वहां की विधान सभा को 23 मई, 2005 को भंग कर दिया गया। इस स्थिति में वित्त मंत्री जी ने पहले 7 मार्च, 2005 को पांच महीने के लिए वोट ऑन एकाउण्ट्स पर इस सदन की अनुमति ली थी, जो आवश्यक भी थी, लेकिन अब वह पुनः चार महीने के लिए इसका विस्तार करने के लिए वोट ऑन एकाउण्ट्स का प्रस्ताव यहां लाए हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम उसका समर्थन करेंगे लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन्स के साथ, इस विषय पर मैं अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी और बिहार के प्रति रुचि रखने वाले जो लोग हैं, उन्हें बिहार की आर्थिक बदहाली की भी पूरी जानकारी है। हम सभी को यह भरोसा हुआ था कि महामहिम राज्यपाल जी वहां जा रहे हैं और अब बिहार की स्थिति सुधरेगी। बिहार, जो आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी, विकास, शिक्षा और अपनी सदाशयता के लिए प्रसिद्ध रहा है, वह वर्ष 1970 के बाद से गिरता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है। वहां जो पिछले 15 वर्षों का शासन था जिसमें हमारे लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उससे बिहार को बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार की सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, बिजली नहीं है, कल–कारखाने बन्द हो गए हैं।

सबसे बढ़कर वहां की जो स्थिति है, वह है वहां की बिगड़ी हुई विधि व्यवस्था। बिहार की विधि व्यवस्था पर यहां मुकम्मल चर्चा हुई है। मुझे उस पर ज्यादा नहीं कहना है। मुझे इतना कहना है कि राष्ट्रपति शासन के प्रति हम लोगों को भी विश्वास था कि वहां जो बिगड़ी हुई हालत है, उसमें सुधार होगा। बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी पुनर्स्थापना होगी। बिहार उसमें एक–एक कदम बढ़ने का काम धीरे–धीरे करेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति शासन के बाद वहां की हालत और बिगड़ी है। हत्याओं का दौर शुरू है, अपहरण का दौर शुरू है। आज बिहार ऊहापोह की स्थिति में है। न ही शासन की प्रशासन पर कोई लगाम है। इस स्थिति में मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। इस संबंध में आपका एक पत्र हमें मिला है। मोटे तौर पर तो हम जैसे साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए बजट का मतलब होता है कि जो पैसा यहां से एलोकेट होता है, उससे गरीब–गुरबे लोगों को, पिछड़े हुए इलाकों को, जरूरतमंद लोगों को जरूरत की चीजें चाहिए, वहां इस बजट के द्वारा राज्य सरकार उसे पूरा करेगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राज्यपाल ने बिहार जाकर जो बातें मीडिया और अपने अधिकारियों के सामने रखी थीं, उसकी चर्चा कुछ शब्दों में मैं आपके सामने करना चाहता हूं। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोगों को कष्ट हो, चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों। बिहार को बनाने की आवश्यकता है। बिहार में पोटेंशिएलिटी है। बिहार के अन्दर वे सारी चीजें विद्यमान हैं, जिससे बिहार को बनाया जा सकता है। बिहार ने पूर्व में भी दिशा देने का काम किया है। मैं समझता हूं आज के दिन भी बिहार में जो टैलेंट है, लोगों में जो ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है, उस आधार पर बिहार को बनाया जा सकता है। उसके लिए दिशा चाहिए और धन चाहिए।

मैं राज्यपाल महोदय के उन वक्तव्यों का उल्लेख यहां करना चाहता हूं जो उन्होंने अखबारों के माध्यम से जनता और अधिकारियों के सामने कहे थे। वह लगातार कहते हैं कि वह बिहार को बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो संसाधन आप दे रहे हैं, उसका भरपूर सदुपयोग करके बिहार को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस होता है। जहां उन्होंने कहा था,

> "अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था हेतु हर सम्भव कार्रवाई की जाएगी"

यह कोई हम लोगों के द्वारा कहा हुआ बयान नहीं है, महामहिम राज्यपाल के द्वारा कहा गया बयान है। इसका मतलब है बिहार के अन्दर अपराध बढ़े हैं, विधि व्यवस्था चौपट हुई है। उसे सुधारने की मंशा रखने वाले राज्यपाल महोदय का यह बयान है। मैं उनकी कुछ पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूं। राज्यपाल सरदार बूटा सिंह ने कहा,

> "अपराध नियंत्रण और राज्य में विधिय व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन प्रत्येक सम्भव कार्रवाई करे।"

राज्यपाल महोदय सचिवालय के सभा कक्ष में विभागीय सचिवों की बैठक के दौरान उपस्थित पुलिस महानिदेशक तथा अन्य पदाधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने जो कहा पूरा तो नहीं, लेकिन संक्षेपवार कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने कहा,

"बिहार को आधुनिक राज्य बनाने का संकल्प लें तथा इस दिशा में समर्पित भाव से जीजान लगाकर ईमानदारीपूर्वक कार्य करें।"

लेकिन हुआ क्या, यह सब जानते हैं, कि कुछ दिन पहले ही वहां के मुख्य सचिव ने किस ढंग से छुट्टी पर जाने का अपना इरादा व्यक्त किया।

वहां के डीजीपी ने अपनी जो उक्तियां प्रकट की हैं वह वहां की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि इस पर पूरा डिस्कशन हो चुका है।

श्री निखिल कुमार चौधरी : जी, मैं जानता हूं। मैं इसे अभी भूमिका में रख रहा था। राज्यपाल महोदय ने सुरक्षा के बारे में अपने जो उद्‌गार रखे हैं वह बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि "बच्चों, महिलाओं और वृद्धों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इससे संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है।" राज्यपाल महोदय ने कहा कि "उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों व आतंकवादियों द्वारा आम लोगों को प्रताड़ित करने का मार्ग अवरुद्ध किया गया है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए।" मेरा कहना है कि इन सारी घोषणाओं के बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इन बातों का उल्लेख किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के पांच महीनों में विकास का काम लड़खड़ा गया है। विकास की योजनाओं के लिए खर्च का हाल बेहाल है। राष्ट्रपति शासन में इस वित्तीय वर्ष की 6 प्रतिशत राशि ही खर्च हो सकी है जबकि 25 प्रतिशत समय गुजर चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की 5300 करोड़ रुपये की योजना के विरुद्ध 300 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं। माना जा रहा है कि यह खर्चा भी नॉन–प्लॉन में हुआ है। संसाधनों की कमी के कारण 10वीं पंचवर्षीय योजना के 24 हजार करोड़ रुपये के निर्धारित आकार के 19610 करोड़ पर ही ठहर जाने का अनुमान है। माननीय वित्त मंत्री जी जब अपनी बात कहेंगे तो इसका उल्लेख करेंगे कि इस बारे में क्या स्थिति है। आपने जो बजट पेश किया है, उसमें आपने राजकोषीय घाटा का भी उल्लेख किया है तथा और विषयों पर भी चर्चा की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसाधनों की कमी के कारण 2002 और 2007 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। इसका कारण राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों को न जुटाना और केन्द्रीय सहायता का न मिलना है। इस दौरान गैर–योजना राजस्व व्यय 500 करोड़ रुपये बढ़ जाना भी योजना पर गहरा असर डालेगा। यह भी एक विचारणीय विषय है।

सूत्रों के अनुसार, एक तरफ तो संसाधनों की कमी का रोना और दूसरी तरफ क्रियान्वयन की गति का धीमा होना बताया जाता है। जून की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और जो पैसा खर्च हुआ है उसमें अधिकांशतः स्थापना से संबंधित खर्च है। कई विभागों से अभी तक खर्च की रिपोर्ट नहीं मिली है।

ग्रामीण विकास में 58583 लाख रुपये की योजना के विरुद्ध अब तक मात्र 10368 लाख रुपये, प्राथमिक शिक्षा विभाग में 46 हजार 189 लाख की योजना के विरुद्ध 3779 लाख रुपये ही खर्च किए जाने की सूचना है और विभिन्न विभागों से रिपोर्ट्स भी प्राप्त नहीं हुई हैं। योजना विभाग ने इस संबंध में पत्र लिखा है और खर्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर अधिकारियों का कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कैसे पता चलेगा कि कितना खर्च हुआ है। बिहार में एक मानसिकता है कि इस समय वे खर्चे का ब्यौरा नहीं लेते हैं और यह मानकर चलते हैं कि अक्टूबर से काम शुरू होगा और अक्टूबर में जब वे अपनी कार्य योजना शुरू करते हैं तो बरसात का मौसम व अन्य बाधाओं को झेलना पड़ता है।

पहले तो मुझे बोलन का मौका नहीं मिलता है। अब आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अनलिमिटिड टाइम तक बोलेंगे?

श्री निखिल कुमार चौधरी : हमारे दल की ओर से जो समय निर्धारित है, मुझे उतना समय मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इस विषय पर दो घंटे का वाद–विवाद करने की सहमति दे दी है। तथा मैंने आपको भी अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह इस खेल के नियम हैं। हम आपको असीमित समय नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी : वर्तमान मूल्य के लक्ष्य की तुलना में राज्य सरकार 8020 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकी है। वित्त विभाग के अनुसार राज्य सरकार को अगले दो वित्तीय वर्षों में कुल मिला कर 11590 करोड़ रुपये खर्च करने हैं। 2005–06 का योजना आकार 5300 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया है। विकास योजनाओं के खर्च की गति काफी धीमी है। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि दसवीं योजना के दौरान बिहार बिजली बोर्ड के लिए राज्य योजना में 2376 करोड़ रुपया मुहैया नहीं कराया गया जो

[श्री निखिल कुमार चौधरी]

बिहार के साथ अन्याय है। स्थानीय निकायों के उन्नयन के लिए 616 करोड़ रुपये नहीं मिले। पंचायत चुनाव के पहले इस मसले पर भारी विवाद हुआ था। योजना आयोग की अनुशंसा के बावजूद केन्द्र से धन मुहैया नहीं हो सका। इसी तरह राज्य को केन्द्रीय करों से मिलने वाले हिस्सा मद में 1020 करोड़ रुपये अनुमान से कम मिले।

महोदय, आपने सभा पटल पर स्टेटमेंट रखा है। बिहार की सड़कों की हालत बहुत खराब है। बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। वहां स्कूल भवन नहीं हैं। अभी–अभी कुछ अस्पतालों का दौरा करने के बाद यह देखने को मिला और मैं बराबर देखता हूं कि अस्पतालों के भवन नहीं हैं, जहां दवा नहीं है। हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। बिहार के लगभग 28 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इन जिलों की स्थिति यह है कि वहां डायरिया की बीमारी होती है लेकिन एंटी डायरियल दवा कम मात्रा में मिलती है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इन विषयों पर आपका ध्यान जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिहार को आगे ले जाना है तो आपको बिजली की मद पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आज बिहार में बिजली का उत्पादन ठप्प हो गया है। पुराने संयंत्रों को आधुनिक और रिन्यूवल करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी : महोदय, बिहार की जो दुर्व्यवस्था हुई है, उसे सुधारने के लिए केन्द्र की तरफ से जो पैसा जा रहा है, उसका वहां सदुपयोग नहीं हो रहा है। बिहार पिछड़ रहा है। इसे सुधारने की जरूरत है। कहना तो और भी था यदि आप मुझे बोलने का पांच मिनट और मौका दें तो मैं इस पर अपने विचार रख सकूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानते नहीं कि इस पर बहुत अच्छी डिबेट हो गई है?

[अनुवाद]

आपने सब कुछ कवर कर लिया है। इसके लिए बिहार को आपका आभार व्यक्त करना चाहिए। धन्यवाद।

अब श्री निखिल कुमार बोलेंगे।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैं अपने दल से एकमात्र वक्ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको बोलने के लिए असीमित समय मिलेगा। समय आपके दल को पात्रता के अनुसार ही मिलेगा। कम से कम अब तो आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री निखिल कुमार : महोदय, हम लोग चालू वर्ष के लिए बिहार राज्य के बजट के लिए संशोधित प्राक्कलन पर चर्चा कर रहे हैं।

हमने पिछली बार इस वित्तीय वर्ष के बजट के लिए इस सदन में लगभग 26,000 करोड़ रुपये अनुमोदित किए। अब बिहार सरकार ने अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की मांग की है। वास्तव में बजट की गणना के अनुसार बिहार राज्य को अपने विकास तथा अन्य कार्यों हेतु 900 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इससे राज्य सरकार अपनी निधि में से 400 करोड़ रुपये तक की राशि को जुटा सकेगी। इसका मतलब है कि उसे लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है।

महोदय, मैं बिहार सरकार की इस मांग का समर्थन करता हूं, जो कि चालू वर्ष के बजट के संशोधित प्राक्कलन में है। बिहार एक अनोखा राज्य है, वहां कुछ ऐसे स्थान हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसके परिणामस्वरूप फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोग विस्थापित हो गए हैं और हमें नहीं पता कि ऐसी स्थिति कब तब बनी रहेगी। यह ऐसी स्थिति निरन्तर कई वर्षों से बनी हुई है। पुनः इसी राज्य में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां मानसून की विफलता के कारण सूखा पड़ा है। इन क्षेत्रों में कोई फसल नहीं हुई है और रोजगार का भी अभाव है, गरीबी है और सबसे बड़ी बात यह है कि संपूर्ण राज्य अब शनैः–शनैः वामपंथी विचारधारा के अतिवाद की राह की ओर जा रहा है।

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जहां का मैं हूं और उसके आस–पास के क्षेत्र वामपंथी विचारधारा के अतिवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वस्तुतः बिहार की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह कोई विशेष श्रेणी प्राप्त राज्य नहीं है परन्तु मैं मानता हूं कि यदि भारत सरकार का पिछड़ेपन, बेरोजगारी, विकास और अवसरों की कमी पर आधारित कोई मानदण्ड है तो वे राज्य जो कि वामपंथी विचारधारा के अतिवाद की आशंका से ग्रसित हैं, उनमें बिहार इस बात का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि इसे विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने पर गंभीरता से विचार करें।

इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा है, इन सब कारणों की

वजह से बिहार पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और यहां इस स्थिति को गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। बिजली की कमी है, एक तरफ तो पानी की बहुतायत है और दूसरी ओर पानी की कमी से जब संकट और सूखे की स्थिति है। सूखे की स्थिति से बचा जा सकता था, यदि झारखंड की सरकार सहयोग करती और उन दो नदियों पर जो उस राज्य से निकलती हैं और दक्षिण बिहार में बहती हैं सुएजगेट के निर्माण पर राजी हो जाती। यह वह दो नदियां हैं जिनकी वजह से वहां सिंचाई के लिए नहरों, नदी शाखों, सहायक नदी इत्यादि का नेटवर्क है।

कुछ समय से बिहार और झारखंड के मध्य विवाद चल रहा है। मैं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बिहार और झारखंड सरकार के अधिकारियों को बुलाने की पहल करके उनके मध्य एक प्रकार का समझौता करके मध्यस्थता करने का प्रयास किया है। इसके अनुसार बिहार सरकार निधियां उपलब्ध करेगी और झारखंड सरकार सुऐज गेट का निर्माण करेगी। जब वे वापस गए तो झारखंड के अधिकारी पीछे हट गए और इसका परिणाम यह हुआ कि नतीजा: हम भुगत रहे हैं। हमारी नहरों में पानी नहीं है क्योंकि हमें जल प्रदान करने वाली इन दोनों नदियों में कोई जलाशय नहीं है। परिणामस्वरूप हमारी नहरें पानी से वंचित हैं। अत: मैं झारखंड और जल संसाधन मंत्रालय से अपील करता हूं कि वे एक साथ बैठ कर पानी छोड़ने और इन दो नदियों पर सुऐज गेट के निर्माण से संबंधित किसी प्रकार के मध्य मार्ग, समझौते पर पहुंचें ताकि भविष्य के लिए कोई स्थाई हल निकल सके।

मैं कहूंगा कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र, बल्कि सच तो यह है कि सम्पूर्ण बिहार राज्य का पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि 38 जिलों में से, 37 को पिछड़े जिले घोषित किया गया है। मुझे निश्चित रूप से पता है कि दक्षिण बिहार के जिले पिछड़े हैं। वे इस संदर्भ में पिछड़े हुए हैं कि वहां रोजगार की, फसल उत्पादन की, सड़कों द्वारा संपर्कों की और सबसे बड़ी बात बिजली की कमी है। इन क्षेत्रों में और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद में हमें राष्ट्रीय काम के बदले अनाज के कार्यक्रम को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। मैं काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं।

संपूर्ण देश में इस कार्यक्रम के लिए 5,000 करोड़ रुपये की कुल धनराशि अलग से निर्धारित की गई है। इसमें से बहुत बड़ी राशि व्यय नहीं की गई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि रुपये की बचत हो गई। यदि इस काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या को 150 से बढ़ाकर 170 करते हुए निधि के समग्र आवंटन को बढ़ाए बगैर अर्थात् 5,000 करोड़ रुपये से अधिक न बढ़ाते हुए, इससे बिहार के अनेक जिलों को उन जिलों की सूची में कवर करने में मदद मिलेगी जो इस कार्यक्रम के अधीन आते हैं। यह कम से कम मेरे जिले के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि यह एक प्रकार से सीमा रेखा पर स्थित है। मैं भारत सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि इस सुझाव पर विचार किया जाए, अर्थात् इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण देश में निधि के आवंटन की सीमा को 5,000 करोड़ रुपये रखते हुए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या को 150 से बढ़ाकर 170 किया जाए।

दूसरा मुद्दा इस बात के बारे में है कि, बिहार को पिछड़ा, बिहार में प्रशासनिक आधारभूत संरचना का अभाव और आदि-आदि कहने का एक फैशन बन गया है। हमें इस तथ्य को नोट करना चाहिए कि राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अन्तर्गत हमें संशोधित प्राक्कलन में लगभग 1,315 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,300 करोड़ रुपये की बड़ी राशि विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र के लिए विनिर्धारित की गई है। यह बहुत अच्छी बात है और मैं सिफारिश करता हूं कि यह कार्य शीघ्र निबटाया जाए। परन्तु मुद्दा यह भी है कि आप यह राशि इस प्रकार व्यय करेंगे। बिहार बिजली की अत्यधिक कमी से जूझ रहा है। झारखंड राज्य के सृजन के बाद राज्य में बरौनी और काटी नामक केवल दो ही मुख्य ऊर्जा संयंत्र रह गए हैं। दुर्भाग्य से काटी जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 220 मेगावाट है पिछले 15 सालों से निष्क्रिय और अकार्यशील है। जहां तक बरौनी का संबंध है जो कि बिहार की बहुत बड़ी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर रही थी, परन्तु यह अब अपनी क्षमता से केवल एक-तिहाई उत्पादन ही कर रही है।

हमने हाल ही में सुना है कि बिहार सरकार और बिहार के राज्यपाल ने बीएचईएल (भेल) और एनटीपीसी के साथ, एक काटी का उत्पादन पुन: आरम्भ करने के लिए और इसे पूर्णत: कार्यशील बनाने के लिए और दूसरा यह जांच करने के लिए कि बरौनी के कार्यकरण के उन्नयन और इसके आधुनिकीकरण के लिए क्या किया जा सकता है एक समझौता किया है। यहां मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि हमने कतिपय प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। यह प्रक्रियाएं समय खपाने वाली हैं, विशेषकर बिहार जैसे राज्य में। जैसा ध्यान हम पूर्वोत्तर और कश्मीर राज्यों पर देते हैं, उसी प्रकार का विशेष ध्यान बिहार पर देने की आवश्यकता है और यह देखने की भी आवश्यकता है कि प्रक्रिया को सुचारु बनाया जा सके ताकि कोई लालफिताशाही न हो। उदाहरण के लिए आरएसवीआई के अन्तर्गत परियोजनाओं को योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वित्तीय अड़चन कितनी बड़ी है, उन्हें स्वीकृति हेतु योजना आयोग जाना ही पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप योजना आयोग अपना वक्त लेता है और इसमें छह महीने से लेकर कभी-कभी एक वर्ष तक का विलम्ब हो जाता है। यह

[श्री निखिल कुमार चौधरी]

समय कम किया जा सकता है, यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि योजना आयोग के पास सभी परियोजनाओं को नहीं बल्कि 1,000 करोड़ रुपये या 500 करोड़ रुपये की सीमा वाली परियोजनाओं को ही स्वीकृति हेतु भेजा जाए। मैं यहां किसी निर्धारित सीमा का सुझाव नहीं देना चाहता हूं परन्तु ऐसे कुछ निर्णय राज्य स्तर पर शीघ्र निर्णय लेने को सुविधाजन्य बनाने के लिए लेने चाहिए।

मैं भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रक्रिया उन परियोजनाओं को भी प्रभावित कर रही हैं जिन पर 'नाबार्ड' द्वारा विचार किया जा रहा है। इसमें कोई शंका नहीं है 'नाबार्ड' बहुत उपयोगी कार्य कर रहा है। परन्तु प्रत्येक परियोजना, जो 'नाबार्ड' को भेजी जाती है प्रथम उसकी अर्थक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। यह आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन बिहार में नहीं बल्कि कहीं और होता है। यदि 'नाबार्ड' या भारत सरकार पटना अथवा बिहार में कहीं भी अपने विशेषज्ञ तैनात करने पर विचार करे जो किसी भी परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच कर सकें, तो इससे विलम्ब से बचा जा सकेगा और विकासात्मक कार्य में तेजी आएगी।

अतः मेरी दूसरी अपील यह है कि इससे पहले मैंने जो योजना आयोग के बारे में सुझाव दिया था उसके अलावा 'नाबार्ड' को भी अपने विशेषज्ञ पटना में नियुक्त करने के निर्देश दिए जाएं ताकि उनके विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध हो सकें कि उन्हें भेजी गई प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन और उसकी अर्थक्षमता का निर्धारण यथाशीघ्र बिना समय गवाएं हो सके। पटना में मूल्यांकन अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए।

तीसर मुद्दा यह है कि राज्य में अनुसूचित जातियों की बहुत बड़ी जनसंख्या है। मेरे विचार से यह असामान्य रूप से बड़ी है और भारत सरकार के पास इंदिरा आवास योजना जैसा एक बढ़िया कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समाज के इस वर्ग को अधिक राहत और सहायता पहुंचाना है।

अपराह्न 13.00 बजे

दुर्भाग्य से चालू वर्ष के बजट में 468 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसके परिणामस्वरूप 29,000 रिहायशी इकाइयों से भी कम का निर्माण हो सकेगा, यह सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, यह राशि बहुत कम है। मैं इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत इस आवंटन को यदि अधिक नहीं तो कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ाने की अपील करता हूं। फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन इससे कम से कम वंचित वर्गों की मांगों को पूरा किया जा सकेगा और हम यह देख सकेंगे कि हम उन्हें कितनी राहत प्रदान कर सके हैं।

महोदय, सड़क सम्पर्क किसी भी देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण कारक है। मुझे इसके लिए कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। यह उदाहरण सभी जानते हैं। नवीनतम उदाहरण मलेशिया का है। बिहार राज्य में विशेषकर बेहतर सड़क निर्माण की बेहतरीन योजनाएं हैं। मैं केवल दो योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की दो सौ पचास किलोमीटर सड़क बिहार राज्य से होकर गुजरती है। विलम्ब के कारण इस पर कार्य रुका हुआ है। जिसके कारण उन लोगों को जो इस सड़क से यात्रा करते हैं, बहुत असुविधा होती है। मैंने प्रायः देखा है कि सड़क निर्माण में विलम्ब के कारण वहां भारी वाहनों की लम्बी कतार से ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है, चूंकि इस सड़क पर दोनों ओर से यातायात संभव नहीं है। ऐसा विशेषकर डेहरी–ऑन–सोन तथा दोबी के बीच है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह इस मार्ग पर शीघ्र निर्माण की ओर विशेष ध्यान दे।

दूसरी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) है। कुछ केन्द्रीय एजेंसियों को इस योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया है। स्वयं मेरे क्षेत्र में तीन प्रमुख सड़कें हैं। थोड़े समय पहले उनमें से केवल एक ही के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था। वहां दो अन्य महत्वपूर्ण सड़कें भी हैं, और दोनों की लम्बाई लगभग 50 कि.मी. है, जिसे छोड़ दिया गया है तथा संबंधित प्राधिकरण, विशेषकर इरकॉन से इन महत्वपूर्ण सड़कों जिनका पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत चयन किया गया है पर निर्माण कार्य को शीघ्र करने की ओर विशेष ध्यान दिए जाने का अनुरोध करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अनेक मुद्दों को उठाया है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैं आखिरी मुद्दे पर हूं। मैंने विद्युत का उल्लेख किया है। बिजली की कटौती स्थानिक है और इसे सभी जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सभा बिहार विधान सभा बन जाए। यह पूरी चर्चा यहां नहीं हो सकती है।

श्री निखिल कुमार : मैं केन्द्रीय सहायता के बारे में पूछ रहा हूं। पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार अर्थात् पिछली सरकार ने ग्राम विद्युतीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये जारी किए थे। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता का अपना हिस्सा नहीं मिला। मैं केन्द्र सरकार से अपील करना

चाहता हूं कि बिहार को विद्युतीकरण के लिए हिस्सा दिया जाना चाहिए। जब तक यह नहीं होता, हम बिहार राज्य का मामला उठाते रहेंगे, चाहे उसकी इसी तरह आलोचना होती रहे। अतः बिहार में प्रशासन को सक्रिय बनाने के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री महबूब जाहेदी हैं। आपके पास केवल पांच मिनट हैं। आप उससे पहले भी समाप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री महबूब जाहेदी (कटवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बिहार के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूं। मुझसे पहले जिन मैम्बरों ने बिहार के बजट के बारे में जो अपने विचार यहां रखे हैं, उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं उनसे अलग हटकर कुछ नई बात बोलना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी चली आ रही है, सात मार्च को प्रोक्लेमेशन होने के बाद से यह सवाल चला आ रहा है। अभी जो बजट बन रहा है उसका यूटिलाइजेशन उन्हीं को करना है और यदि जरूरत होगी तो इस रकम को और बढ़ाया जा सकता है। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रीज तथा दूसरी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है, किसान द्वारा बोया अनाज सबसे बड़ा मुद्दा है। इस संबंध में मैंने देखा कि पिछले बजट में इसके लिए जो एलोकेशन था, उसके मुकाबले में इस बार जो एलोकेट किया गया है, उससे किसान को फायदा होने वाला नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि इसके बारे में जरा ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि दो चीजों से बिहार की बरबादी सबसे ज्यादा होती है—बाढ़ और सुखाड़। वहां पर तीन–चार नदियां नेपाल से आती हैं, जो हर साल बाढ़ की विभीषिका को अपने साथ लाती हैं। बिहार के बारे में जब चर्चा हुई थी तो हमने सुना था कि इस बाढ़ को रोकने के संबंध में नेपाल के साथ भारत की एक कमेटी बनी हुई थी। बहुत अफसोस है कि अभी तक उस पर क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय हुआ, उसके बारे में सदन को कोई सूचना तक नहीं दी गई। मंत्री जी इस संबंध में सदन को बताएं कि नेपाल के साथ बात न होने से हमारी क्या हालत हो रही है। यह तो बाहर से आने वाली बाढ़ की बात है। जब हम अपने राज्य की बात करते हैं तो बिहार में जो बांध हैं, झीलें हैं, जो–जो बांध टूट गए हैं, उनकी मरम्मत कैसे होगी? जो पैसा सैंक्शन किया गया है, उससे मरम्मत हो रही है या नहीं, यह देखना जरूरी है।

सुखाड़ के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब बाढ़ आई थी तो हमने देखा कि एक तरफ तो बहुत सा पानी था और दूसरी तरफ सूखा पड़ा हुआ है। हमारे यहां नदियां हैं, बहुत से बांध आपने उन पर बना दिए हैं। उन नदियों के पानी को क्या हम सूखे क्षेत्रों में नहीं ले जा सकते? क्या ग्राउंड वाटर का सही उपयोग हम कर सकते हैं? तीन–चार चीजें बहुत जरूरी हैं। आज किसान कामर्शियल क्राप्स पर जोर देते हैं। इनमें गन्ना, धान, गेहूं और दालें आती हैं। पहले तो किसान सूखे से बरबाद हो जाते हैं और फिर बाढ़ आ जाती है। उसके बाद जो कुछ उनके पास उपज बचती है, उसको बेचने के लिए बाजार नहीं है। वे लोग कहां जाएं? उनके लिए रेम्यूनरेटिव प्राइस कहां हैं? इस कारण किसान की जिन्दगी बहुत मुश्किल हो गई है। वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। मुजफ्फरपुर और बरौनी में तक बिजली नहीं है।

मैं नेशनल हाइवेज के संबंध में कहना चाहता हूं। मैं भीतरी रास्तों की बात नहीं कर रहा हूं। हम वहां गए थे। उन सड़कों पर जाने के बाद हमारी स्पाइन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी।

अध्यक्ष महोदय : सबकी हो जाती है।

श्री महबूब जाहेदी : अध्यक्ष जी, बिहार से माइग्रेशन हो रहा है। शुगर मिलें बन्द हैं।

[अनुवाद]

मैं चीनी मिलों की बिलकुल सही संख्या नहीं बता सकता।

[हिन्दी]

पर हमें जो मालूम होता है, 75 में से करीब–करीब 24 मिलें चल रही हैं और बाकी सब बन्द हैं। उससे किसान और मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हैं। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माइग्रेशन को रोकने के उपाय ढूंढें। अगर बेरोजगारी रहेगी, गरीबी रहेगी तो समाज विरोधी ताकतें बढ़ेंगी और माइग्रेशन भी बढ़ेगा। इसमें उनका पूरा कसूर नहीं माना जा सकता। बिहार से अनेक लोग अन्य राज्यों और यहां तक कि विदेशों में भी पलायन कर रहे हैं। इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है। जब चुनाव होगा और नई सरकार बनेगी, इसे उन पर छोड़ दीजिए। जब होगा तब केन्द्रीय सरकार को उसके बारे में सोचना है। यह बोल कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बिहार के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के बजट का जो अनुमान रखा गया, वह 19128.97 करोड़ रुपये है और उसके साथ–साथ अन्य मदों में व्यय के अलावा जो परियोजना

[श्री गणेश प्रसाद सिंह]

व्यय पर खर्च रखा गया, वह मात्र 687.47 करोड़ रुपयों का रखा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश काफी गरीब प्रदेश है। यहां बेरोजगारी, बेकारी, किसानों की फटेहाली, अशिक्षा ये सभी चीजें हैं। आज बजट में जो प्रावधान होना चाहिए और जितना खर्च और व्यय होना चाहिए, आज तक इन चीजों पर यह व्यय नहीं किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में अधिकांश किसान लोग बसते हैं। किसान जीवनयापन के लिए खेती करते हैं। बिहार को दो भागों में बांटा जा सकता है। गंगा नदी का दक्षिणी इलाका दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार के बंटवारे के पूर्व इसे मध्य बिहार के नाम से जाना जाता था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वहां सोन, पुनपुन, फालगू, दर्धा, मोरहर, लोकायिन, कररूआ अनेक दर्जनों नदियां बहती हैं, लेकिन अभिशाप है हमेशा इस इलाके में सुखाड़ पड़ता है और इस सुखाड़ का सामना करने के लिए मैं समझता हूं कि यदि नदियों पर पक्का बांध बना दिया जाए और नहरें बना कर किसानों के खेत तक पानी पहुंचा दिया जाए तो बिहार के किसानों की समस्या हल हो जाएगी और दक्षिण बिहार से गरीबी और बेकारी निश्चित रूप से मिट जाएगी।

महोदय, इसी प्रकार से उत्तर बिहार में ये नदियां कोई फायदे का काम नहीं करती हैं बल्कि नेपाल की तराई से, ऊपर पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं वे खड़ी फसलों को नेस्तोनाबूद कर देती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब बाढ़ और सुखाड़ आता है तो चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, दोनों अपनी चिन्ता व्यक्त करती हैं कि बाढ़ से कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे सुखाड़ खत्म किया जाए? भूमि के बचाव के लिए, किसानों की फसलों के बचाव के लिए नदियों पर पक्का बांध बना कर नहरों के माध्यम से पानी को पहुंचाया जाए तो इससे सुखाड़ भी नहीं होगा और बाढ़ भी नहीं आएगी।

महोदय, बिहार में शिक्षा का प्रबंध भी अच्छा नहीं है। हाई स्कूल बने हुए हैं। बहुत सारे हाई स्कूलों को वित्त रहित शिक्षा का नाम दिया जाता है। वित्त रहित शिक्षा के नाम से कालेजों को जाना जाता है। शिक्षा पर ज्यादा व्यय करने की आवश्यकता है। गांवों में प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल के लिए भवन और शिक्षक नहीं हैं। डेढ़–दो सौ बच्चों पर एक शिक्षक है। वहां पर कैसे संभव है कि शिक्षा का विकास हो। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की रीढ़ है। आर्थिक विकास की भी रीढ़ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है।

मैं बताना चाहता हूं कि वहां की ग्रामीण सड़कें भी बहुत खराब हैं, चाहे जिला परिषद की सड़कें हों या ग्राम अभियंत्रण संगठन विभाग की सड़कें हों। ये तमाम सड़कें टूटी–फूटी और जर्जर हैं। इसलिए उनकी मरम्मत के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है। बिजली वहां नहीं मिलती है। बिहार का बंटवारा होने के बाद बिजली का उत्पादन न के बराबर है। इसी प्रकार से आप जानते हैं और सारे सदन के माननीय सदस्य भी जानते हैं कि बिहार में उग्रवादी गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं, आखिर इसका क्या कारण है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गणेश प्रसाद सिंह जी, आप कितना समय और लेंगे?

श्री गणेश प्रसाद सिंह : सर, मैं थोड़ा समय और लूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप भोजन अवकाश के बाद जारी रखें।

अपराह्न 1.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

बिहार बजट, 2005-06

लेखानुदानों की मांगें (बिहार), 2005-06

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गणेश प्रसाद सिंह अपनी बात जारी रखेंगे। अब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं बिहार बजट पर अपनी बात रख रहा था। मैं अपनी बात को आगे बढ़ना चाहता हूं। इसके पूर्व मैंने कहा था कि सिंचाई का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण भी बिहार में गरीबी है। इस बजट में सिंचाई के ऊपर व्यय का उतना प्रावधान नहीं है, जितना होना चाहिए था। दूसरी बात मैंने यह कही थी कि बिहार में पिछड़ेपन का एक कारण प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा में कुव्यवस्था है। प्राइमरी स्कूलों में डेढ़–दो सौ बच्चों पर एक शिक्षक

है। कई वर्षों से बिहार में शिक्षक यूनिट्स को स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके कारण अभी भी कई गांव विद्यालयविहीन हैं। इसके लिए भी सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए। जितने लड़के हों, जितनी क्लास हों, उतने ही कमरों का भी प्रावधान करना चाहिए। वहां कई स्कूल और कालेज निजी हाथों में चल रहे हैं, उन स्कूल और कालेजों का सरकारीकरण करने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, इन सारी बातों के अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बिहार में कोई उद्योग नहीं है। जो पुराने उद्योग थे, वे सारे के सो बन्द हो चुके हैं, चाहे वह चीनी उद्योग हो या कल-कारखाने हों, सभी उद्योग बन्द हो चुके हैं। झारखंड का बंटवारा होने के बाद वहां ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बची है जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे हिन्दुस्तान में खादी ग्रामोद्योग का अपना स्थान है। बिहार में भी खादी ग्रामोद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन आज उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। सारे खादी ग्रामोद्योग केन्द्र बन्द हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर वाकई बेरोजगारी को मिटाना है और लोगों को रोजगार देना है, तो खादी ग्रामोद्योग पर भी पैसा व्यय करना होगा। वहां के जो खादी ग्रामोद्योग केन्द्र मर गए हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए विशेष प्रावधान करना होगा। छोटे-छोटे उद्योगों को वित्त निगम द्वारा पैसा दिया गया था, लेकिन आज कहीं बिजली के अभाव में तो कहीं फाइनेंस के अभाव में वे उद्योग चल नहीं रहे हैं।

बिहार का जो बजट आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बजट में और राशि का प्रावधान किया जाए। अगर बिहार से बेरोजगारी और गरीबी मिटाना चाहते हैं तो शिक्षा, सिंचाई और आवागमन आदि पर व्यय करना पड़ेगा। आप जितना पैसा इस्टैबलिशमेंट और दूसरी मदों पर खर्च करते हैं, उसके अनुपात में योजनाओं पर व्यय कम होता है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि वहां उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उग्रवादी जैसी घटना करना चाहते हैं, कर देते हैं। पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है। पुलिस के बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि यहां फोर्स की कमी है, हम उन्हें कहां-कहां भेजें, किन-किन लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बिहार की स्थिति को देखते हुए, वहां के आतंकवाद के प्रकोप को रोकने के लिए, पुलिस को सारी सुविधाओं से लैस करने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल पांच मिनट दूंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बिहार के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। यहां पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सम्मानित सदस्यों के विचार आए हैं। हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है और राज्यों की भी हमेशा यह अवधारणा रही है कि अगर राज्य विकास करेगा तभी देश विकास करेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जो हिन्दुस्तान का हृदय प्रदेश कहलाते हैं। यदि इन राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई और रोजगार आदि की व्यवस्था नहीं होती और हम कहते हैं कि हिन्दुस्तान बहुत विकास कर रहा है, तो यह अतिशयोक्ति होगी।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बिहार में हमारा काफी आवागमन हुआ है। कुछ महीने पहले वहां हमारी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। हमने देखा कि वहां खासकर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। यदि प्रदेश की राजधानी की सड़कें अच्छी नहीं हैं तो किसी भी राज्य या केन्द्र के अधिकारी या बाहर से आने वाले लोग, जो दूसरे राज्यों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वे क्या धारणा लेकर जाएंगे-यह सोचने की बात है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने बिहार के लिए बजट का जो प्रावधान किया है, उसमें कुछ और बढ़ोत्तरी करें।

आप बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज दें ताकि वहां जो गरीबी है, गुरबत है, जैसे अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा कि वहां पर उग्रवाद ज्यादा है चाहे वह रणबीर सेना के नाम पर हो या तमाम ऐसे उग्रवादी छात्र हों, वे गरीब हैं, पिछड़े तबके के हैं, अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उनके हाथों में रोजगार नहीं है। उनमें शिक्षा की कमी है। उनके सामने रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या है। जब उनको ये सुविधाएं नहीं मिलतीं, सरकार उनको नहीं दे पाती तभी वह उग्रवादी हो जाता है और जब उसके अन्दर उग्रवाद आ जाता है तो वह तमाम तरह की हरकतें करता है। अभी रिसेन्टली मणिपुर के बारे में यहां चर्चा हुई थी। उसमें छात्र लोग शामिल हैं। वे अपने राज्य की स्वायत्तता चाहते हैं। इसी प्रकार आप बिहार पर विशेष ध्यान दें ताकि वहां जो गरीबी है, गुरबत है, वह दूर हो सके। अगर बिहार की तरक्की, विकास होगा तो मेरे ख्याल से पूरे देश का विकास होगा।

इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) : आपने मुझे बिहार के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[डा. रामेश्वर उरांव]

मैं इस बजट के पक्ष में बोलूंगा। मेरे साथी श्री शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है और जब तक उसका विकास नहीं होगा, देश के विकास के साथ उसका विकास नहीं होगा तब तक वह देश के साथ नही चल पाएगा। हम राष्ट्र के आर्थिक विकास की बात सोच सकते हैं लेकिन अपने देश में एक कमजोर कड़ी रखकर आगे नहीं बढ़ सकते, पूरे देश को विकसित नहीं कर सकते। किसी राज्य का बजट उस राज्य की असेम्बली में पास होता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में उस पर यहां चर्चा हो रही है। पहली बात हमको समझनी होगी कि बिहार को हमें आर्थिक ढंग से विकसित करना है। बिहार की आर्थिक व्यवस्था क्या है? वह कृषि प्रधान राज्य है इसलिए वहां कृषि को ही विकसित करना होगा क्योंकि वहां इंडस्ट्री नहीं है। वहां कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी, शुगर मिल्स थीं. लेकिन वे बीमार पड़ी हुई हैं। वहां मिनरल्स नहीं हैं, फॉरेस्ट नहीं हैं इसलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को ही आगे बढ़ाना होगा।

सभापति महोदय, समय कम है इसलिए मैं ज्यादा न बोलकर सिर्फ प्वाइंट्स टच करूंगा। वहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना होगा। एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बिहार में सिंचाई की क्या स्थिति है? देश में 40 प्रतिशत सिंचित लैंड है लेकिन बिहार में वह 20 परसेंट है। इसे बढ़ाना होगा। सिंचित जमीन की संख्या को, औसत को बढ़ाना होगा तभी वहां खेती हो पाएगी। इसके लिए अनेक नदियां हैं। आपको कुछ करना नहीं है केवल उन नदियों पर डैम बनाना पड़ेगा। डैम बनाने से सिंचाई की भी व्यवस्था हो सकती है और पनबिजली भी बन सकती है। बिजली की बात निखिल बाबू कह रहे थे। उनके अलावा दूसरे लोग भी कह रहे थे कि बिहार में बिजली नहीं है। मेरा कहना है कि वहां पर इसके अवसर हैं, लेकिन हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। सिर्फ हम यह नहीं कह सकते कि बिहार गरीब है, उसे खुद करना है। उसे आगे बढ़ाना देश का भी कर्तव्य होता है।

जब खेती की बात होती है, कृषि की बात होती है तो भूमि सुधार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1948 में बिहार में ही पास हुआ। लेकिन हुआ क्या? आप वहां के गांव में जाएं, खासकर मध्य बिहार में जाएं। गांव में 85 परसेंट जमीन 15 प्रतिशत लोगों के पास है, और 85 परसेंट लोग भूमिहीन हैं। अभी सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि नक्सलवाद को रोकने में खर्चा हो रहा है, इसलिए वहां विकास नहीं हो रहा है। वह क्यों पनपा, इसका मैं गवाह हूं। नक्सलवाद बिहार में इसलिए पनपा क्योंकि भूमि सुधार कानून को लागू नहीं किया गया। अभी भी समय है कि वहां भूमि सुधार कानून को लागू किया जाए। आज वहां जमींदारों के कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस के नाम जमीन है, टाइगर सिंह के नाम पर जमीन है। अगर हम भूमि सुधार को ठीक से लागू करें तो नक्सलवाद की समस्या आधी कम हो जाएगी। इसलिए बिहार के जितने हमारे साथी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जब चुनाव के बाद सरकार बने तो भूमि सुधार को आगे बढ़ाएं तभी हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं।

महोदय, चर्चा चलती है और मैं मानता हूं कि मैं झारखंड का हूं। बिहार में पढ़ा-लिखा, नौकरी भी की लेकिन झारखंड का था, तो झारखंड में आ गया। झारखंड बनने के बाद आर्थिक मामले में बिहार की स्थिति खराब हो गई है। वहां कुछ बचा नहीं है। जितनी इंडस्ट्री थीं, वे सब झारखंड में चली गईं। बिजली का जितना सब कुछ था, वह भी झारखंड में चला गया है। इसलिए अब वहां कुछ नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार की ओर से बिहार की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रबंध होना चाहिए। इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं क्योंकि तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। खासकर झारखंड बनने के बाद भारत सरकार की ओर से इस दिशा में विशेष प्रबंध किया जाए तभी बिहार तरक्की कर सकता है। लेकिन मैं एक बात की ओर आगाह करना चाहता हूं कि सिर्फ धनराशि देने से ही किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता। वहां की मानसिकता, वहां के वर्क-कल्चर में भी सुधार लाना आवश्यक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं तथा अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे बिहार के साथी मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि बिहार का वर्क-कल्चर क्या है। बिहार में एक कहावत है। मैं बिहार से 12वीं पढ़ा हूं। लोग हंसते थे, कहते थे कि बिहार के हो, हम कहते थे कि हां। तो कहते थे कि बिहारी हो, हम कहते थे कि हां तो बोलते थे कि बिहारी तीन समय काम नहीं कर सकता। एक तो खाने के पहले, दूसरे खाने के समय में और तीसरे खाने के बाद। इसके बाद समय ही कहां बचता है। खाने के पहले तो पेट पकड़े रहता है, खाने के समय में कोई काम नहीं कर सकता और खाने के बाद सो जाता है। इसलिए वर्क-कल्चर को बदलना होगा। केवल पैसे जाने से क्या होगा? पैसे तो जाते हैं लेकिन कहां खर्च होता है? बजट का 35 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाते हैं। इनएफिशिएंसी इतनी है कि...*(व्यवधान)* मैं बिहार का हूं। मैं बिहार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं खुद बिहारी हूं।...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : आप क्या कह रहे हैं?...*(व्यवधान)* बिहार के बारे में क्या कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

डा. रामेश्वर उरांव : बिहार से बाहर जो लोग काम करते हैं, मैंने कौन से ऐसे शब्द का प्रयोग किया? बिहार के बिहारी...*(व्यवधान)* मैंने यह कहा कि बिहार के बिहारी। बिहार के बाहर तो उनकी बात अलग है। बिहार के बाहर वे बहुत अच्छा काम करते हैं।...*(व्यवधान)*

बिहार के बजट का जो एमाउंट होता है, उसमें वेस्टेज अधिक होता है। इसलिए इस वेस्टेज को रोकने से ही बिहार के विकास पर हम ज्यादा खर्च कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

शिक्षा में बिहार का पहले इतना नाम था, पुराना जमाना छोड़ दीजिए। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का काफी नाम था। लोग बाहर से वहां पढ़ने आते थे। हमारे इतने साथी सब पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। हम खुद पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। अपना घर–बार छोड़कर झारखंड से पटना पढ़ने के लिए आए थे क्योंकि काफी नामी विश्वविद्यालय था। आज स्थिति खराब हो गई है। शिक्षा पर ज्यादा पैसा बाहर दिल्ली और दूसरी जगह में जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बिहार में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए तभी बिहार का विकास होगा।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी साधारण बजट का जो दस्तावेज होता है, वह कोई साधारण दस्तावेज नहीं होता बल्कि आने वाले समय के लिए जनहित में जो योजनाएं ली जाने वाली हैं, उनका दस्तावेज होता है, उनको रिफलैक्ट करता है लेकिन बिहार का एक दुर्भाग्य है कि किसी कारण से 6 महीने के अन्दर दूसरी बार हम लोक सभा में एप्रोप्रिएशन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बजट दस्तावेज कोई साधारण दस्तावेज नहीं होता है बल्कि यह ऐसी आने वाली योजनाओं को दर्शाने वाला एक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से राज्य में खुशहाली आती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, समृद्धि आती है और राज्य की आर्थिक उन्नति होती है। इन सबके लिए यह चीज सबसे जरूरी है कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरे और व्यक्ति की स्थिति सुधरे, प्रति व्यक्ति आय बढ़े। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तब तक हम स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं। आज बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, वित्त मंत्री जी के पास इसके दस्तावेज होंगे। आज बिहार में प्रति व्यक्ति आय 3,757 रुपये है। पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 6,635 रुपये, उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय 7,039 रुपये, बंगाल में 11,389 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति आय 12,226 रुपये है जिसमें सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय 17,326 रुपये पंजाब की है। अगर किसी राज्य की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 3,757 रुपये है तो आप उस राज्य की आर्थिक उन्नति की बात नहीं सोच सकते हैं। 23 मई, 2005 को बिहार विधान सभा भंग हुई। इस साल का यह जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है वह 19,128.97 करोड़ रुपये का है, जिसमें 19,134.82 करोड़ रुपये अर्थात् लगभग पांच करोड़ रुपये का अन्तर या घाटा दिखाया गया है। अब यह घाटा आप कैसे पूरा करेंगे? इसके अलावा गैर–योजना मद में जो एक्सपेंडिचर है, वह योजना मद से तीन गुना अधिक है। किसी भी राज्य के विकास के लिए, जब तब आप उसके खर्च की गैर–योजना मदों में कटौती नहीं करेंगे, तब तक आप योजना मद को लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी अपने जवाब में इसकी जानकारी दें। वित्त मंत्री जी इसको बताएं क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, वित्त मंत्री जी की जिम्मेदारी है। वित्त मंत्री जी यह बताएं कि बिहार में गैर–योजना मद में कैसे कटौती करेंगे?

किसी भी बजट का पूरा आधार उस राज्य का विकास होता है और विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, बिजली, विद्यालय, शिक्षा और कानून व्यवस्था शामिल है और इन सभी के अभाव के कारण बिहार की आज यह स्थिति है। अभी हमारे सम्मानित साथी श्री गणेश प्रसाद सिंह जी बोल रहे थे कि वहां विद्यालय नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने वहां जो 15 साल तक शासन किया उसका लेखा–जोखा उन्हें बताना चाहिए था कि आपने इन 15 सालों में क्या किया। बिहार की इस बदहाली के लिए उनकी पार्टी का 15 साल का कुशासन जिम्मेदार है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चेयर को सम्बोधित करके बोलिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : एनडीए के शासन काल में जितना पैसा बिहार को दिया गया, उतना पिछले 50 सालों में नहीं दिया गया। इस पर अलग से चर्चा हो सकती है। बिहार में जहां 15 साल पहले सड़क थी, अब वहां गड्ढे हैं, वह सड़क अब गड्ढे में तबदील हो चुकी है। वहां जो विद्यालय भवन थे, अब वह ढह चुके हैं। आज बिहार के 95 प्रतिशत से अधिक हाई स्कूल भवनविहीन हो चुके हैं। 15 साल पहले जो भवन था, वह आज खण्डहर में बदल चुका है।

आज बिहार में बिजली का उत्पादन मात्र 30 मेगावाट है। बिजली किसी राज्य के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इससे उस राज्य के विकास की कल्पना कर सकते हैं कि वहां कितना विकास होगा। बिहार में आज जो कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति बन रही है, उसका कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। माननीय सदस्य श्री रामेश्वर ओरांव जी बिहार में पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, अभी–अभी उन्होंने नक्सलवाद की चर्चा की है। आज बिहार में नक्सलवाद कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। आज बिहार में अनेक जिले ऐसे हैं जहां पुलिस का प्रशासन तंत्र नहीं है। वहां कोई पुलिस प्रशासन नहीं चलता है। गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इन क्षेत्रों में समानान्तर प्रशासन चल रहा है, इसका कारण यह है कि वहां विकास नहीं है। वहां जो गरीबी है, वह बढ़ती ही जा रही है। इसलिए आज बजट में वित्त मंत्री जी को यह चाहिए कि वे बताएं कि बिहार में सुधार कैसे आएगा? केन्द्र प्रायोजित योजना

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

है। पिछली बार बजट के समय उत्तर देते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा था कि राज्य में हम इतनी योजनाएं ला रहे हैं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। अभी आधे घण्टे पहले मैं उनसे चर्चा कर रहा था। मैंने कहा कि केन्द्र की जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वह राष्ट्रीय समविकास योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो, उसका केवल 25 से 30 प्रतिशत बजट ही खर्च हो रहा है।

हर एक हफ्ते के बाद हम वहां के अखबारों में पढ़ते हैं कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बिहार के प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी कि खर्चा गोल है, लेकिन उससे क्या होगा। वहां पर प्रशासनिक तन्त्र इतना बिगड़ चुका है कि पैसा खर्च नहीं हो रहा है इसलिए केन्द्र के पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। वहां की सरजमीं पर उस पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। यह हाल वहां पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का है।

वित्त मंत्री जी आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी चीजों पर गौर किया जाए। बिहार में सूखे का यह तीसरा साल है। यह ठीक है कि महाराष्ट्र में, खासकर मुम्बई में काफी बारिश हुई है और लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसलिए वहां मदद की जरूरत है, क्योंकि मुम्बई आर्थिक राजधानी होने के कारण देश को काफी राजस्व देती है। लेकिन बिहार तीन साल से सुखाड़ की स्थिति में है। वहां पर बारिश नहीं हो रही है। आप सुखाड़ से निपटने के लिए कौन सी तैयारी कर रहे हैं? यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के विभाग के भी प्रभारी हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वह स्पष्ट करे कि बिहार की जनता को इस सुखाड़ की विभीषिका से निजात दिलाने के लिए वह क्या कर रही है?

यूपीए की सरकार और कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि हम अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए वचनबद्ध हैं। बिहार जिस पार्टी का पिछले 15 साल शासन रहा, उसने कहा कि वह अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। यहां शकील साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह बताएं कि बिहार में मदरसों की क्या हालत है? अगर उन्हें इसका एहसास है तो बताएं कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी है और वह उनकी माली हालत सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? जब तक उन लोगों में शिक्षा का स्तर नहीं सुधारेंगे, उनके जीवन स्तर को नहीं सुधारेंगे, तब तक उन लोगों को तरक्की के रास्ते पर नहीं लाया जा सकेगा। भले ही आप सेक्यूलर और कम्युनलिज्म का नारा देकर अल्पसंख्यकों के वोट लेने का प्रयास करते रहें, लेकिन इससे उनका विकास नहीं हो सकेगा। गृह मंत्री जी को मालूम है कि बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। वहां उसका दुरुपयोग हो रहा है, जबकि वहां राष्ट्रपति शासन है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां की कानून व्यवस्था का पूरी तरह से इस्तेमाल अपने राजीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ किया जा रहा है। बिहार में श्रीमती लेसी सिंह, जो भंग विधान सभा की सदस्या हैं और पहले भी विधान सभा की सदस्या रह चुकी हैं, उनके पति की हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या की जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हुई। जब हम लोगों ने काफी हल्ला किया, तब सीबीआई से जांच कराई गई। जो लोग अपराधी पाए गए, वे अब जमानत पर हैं। वे अपराधी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं, मैं उसका यहां जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरा बिहार इस बात को जानता है। लेकिन उनके पकड़े जाने के बाद नतीजा यह हुआ कि पूरा पुलिस प्रशासन श्रीमती लेसी सिंह को हर पांच दिन के बाद किसी न किसी केस में फंसाकर एफआईआर दर्ज कराने में जुटा हुआ है। गृह मंत्री जी चाहें तो इसका पूरा विवरण पूर्णिया के एस.पी. से और प्रशासन से ले सकते हैं। इससे उन्हें भी मालूम हो जाएगा कि बिहार में किस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कानून व्यवस्था का इस्तेमाल हो रहा है। बजट तो पास होना ही है। वहां पर राष्ट्रपति शासन हम सभी की मजबूरी है, लेकिन वित्त मंत्री जी जब अपना जवाब दें, तो वह बिहार की जनता को आश्वस्त करें कि जो कुछ भी वहां राष्ट्रपति शासन के नाम पर पिछले चार महीने से चल रहा है, जो लूटपाट और अंधेरगर्दी चल रही है, उस पर नियंत्रण पाएंगे, उस पर केन्द्र की नजर रहेगी, तब यह बजट यहां पास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टतः वर्ष 2005–06 के लिए बिहार सरकार के बजट तथा बजट के संबंध में अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

बिहार में राष्ट्रपति शासन है और इस सम्मान्य सभा ने भी राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने का समर्थन किया है। बिहार की वर्तमान स्थिति, उसकी वर्तमान समस्याएं तथा उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन महोदय, जब मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं, तो मैं कुछ पहलुओं पर अपने विचार और असंतोष व्यक्त करूंगा।

बिहार राज्य में अपार संभावनाएं हैं लेकिन सिंचाई, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, बिजली, सड़क संपर्क के मामले में बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य है। अब बिहार अतिवाद की समस्या का सामना कर रहा है। सभी इससे सहमत हैं और इसे स्वीकार करते हैं कि गरीबी और पिछड़ापन इस अतिवाद की जड़ है। जहां तक संप्रग सरकार

का संबंध है, सामाजिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मेरे विचार से बजट में प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई है। इसमें वर्तमान परिस्थिति में बिहार राज्य के विकास के लिए प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई है।

सिंचाई प्रमुख समस्या है। सभी जानते हैं कि बिहार विविध जलवायु वाला राज्य है। बिहार के उत्तरी भाग में, लगभग 18 जिले बाढ़ प्रवण हैं और उसके अतिरिक्त शेष राज्य विशेषकर दक्षिणी भाग सूखा प्रवण क्षेत्र है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में अधिकतर नदियां नेपाल से आती हैं। अतः बाढ़ के समय संघ सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिए ताकि बिहार को बाढ़ की समस्या से बचाया जा सके और इस समस्या का समाधान किया जा सके। संघ सरकार से मेरी अपील है कि वह सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दे। जब माननीय मंत्री उत्तर देंगे, तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि बजट तैयार करने समय और अनुदान मांगों के लिए मुख्य प्राथमिकता किसे दी गई है।

मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और बिहार राज्य के बजट के संबंध में अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री विजय कृष्ण। आपको केवल दो मिनट मिलेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार बहुत बड़ा है और बिहार के बारे में बहुत सारी बातें माननीय मित्रों ने कही हैं। हमारे मित्र श्री ललन जी यहां बोल रहे थे और सबसे ज्यादा डाटा लेकर खड़े थे। इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा बिहार का बंटाधार करने का काम किया, बिहार को विभाजित करने का काम किया। एनडीए की सरकार ने उसमें पहल की और बिहार को जो विशेष पैकेज दिया जाना था, उसको देने का काम नहीं किया। उस दल की रहनुमाई में काम करने वाले माननीय सदस्य उग्रवादी इलाके में जो सामंतवादी शक्तियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको संरक्षण देने वाले ही जब उग्रवाद पर बोलते हैं तब बड़ा आश्चर्य होता है और पता चलता है कि किस ओर ये देश को ले जाना चाहते हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप पहले ही बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण : ये उस बिहार को नहीं जानते हैं जो चाणक्य का बिहार है, पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक बिहार है और जिस बिहार ने गांधी को महात्मा गांधी बनाया। ये उस बिहार की बात नहीं करते हैं जिसके लोगों ने मारीशस से लेकर सुदूर देशों तक हिन्दी को बढ़ाया। ये उस बिहार को जानते हैं जिसमें जाति–प्रथा और उग्रवाद है क्योंकि ये उन्हीं शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आरोप–प्रत्यारोप में जाना नहीं चाहता हूं।

बिहार में आज बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है। बिहार कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से ग्रसित होता है। नेपाल की नदियों से जो पानी आता है, उससे बिहार में बाढ़ आती है जो भयंकर कहर ढहाती है। बराबर चर्चा चलती है कि केन्द्र सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर इसका कोई रास्ता निकाले जिससे बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सके। इसे जल्दी किया जाना चाहिए।

बिहार का बड़ा हिस्सा जो सुखाड़ से ग्रसित है, जिसमें टाल–चौर, विशेषकर मोकामा, बडहिया, फतुआ का टाल क्षेत्र शामिल है, वहां पर 4–6 महीने तक जाना मुश्किल होता है। मैं जानना चाहता हूं कि उस इलाके के लिए कोई विशेष योजना है या नहीं?

दियारा की पुरानी समस्या है और अनेक दियारा क्षेत्र हैं। बक्सर से पटना, पटना से दानापुर, दानापुर से बाढ़, बाढ़ से भागलपुर, भागलपुर से फरक्का के कई दियारा खंडों को अलग–अलग खंडों में बांटकर दियारा विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। बिहार की समस्याओं में एग्रीकल्चर और सिंचाई के विषय में अगर आप कारगर उपाय कर सकेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिहार के विद्युत संकट से उबरने के लिए बिहार में कांटी और बरौनी जैसे विद्युत उत्पादन की इकाइयों का विस्तार किया जाना चाहिए।

महोदय, जो मरणासन्न बरौनी विद्युत इकाई है उसे बढ़ावा मिलना चाहिए। जो बाढ़ की एनटीपीसी है, उसे शीघ्र आगे बढ़ना चाहिए। नवीनगर का मामला ठीक होना चाहिए, तभी हम बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। आज पूरा बिहार बिजली के संकट से जूझ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिहार में जो थोड़े–बहुत उपक्रम हैं, वे सभी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। ये किस कारण से बर्बादी के कगार पर पहुंचे, यह आज चर्चा का विषय नहीं है। भारत वैगन ओकामा के बारे में आप जानते हैं, जो भारी उद्योग मंत्रालय का उपक्रम है। आज वह विनिवेश के कगार पर है। मैं रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रेल डिब्बे बनाने का उसको आर्डर दिया और वहां के कर्मचारियों को वेतन भुगतान कराने का काम किया। इसी तरह के अनेक उपक्रम बिहार में हैं, उनको बचाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं, मैं समझता हूं कि पड़ाव पर पड़ा हुआ उनके बिहार का सवाल है। इस सवाल को आरोप–प्रत्यारोप में नहीं लिया जाना चाहिए और

[श्री विजय कृष्ण]

बिहार का जो दर्द और पीड़ा है, उस दर्द और पीड़ा के साथ हमको और आप सभी को एक रास्ता बनाकर आगे बढ़ना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय वित्त मंत्री बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं बिहार बजट पर इस संक्षिप्त लेकिन उपयोगी चर्चा के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

महोदय, जब हमने बजट प्रस्तुत कर दिया था और मई में लेखानुदान की मांग कर दी थी। अब हमारी इस सभा में दोबारा आने की कोई मंशा नहीं थी लेकिन पूर्व चर्चा में माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए कारणों कि अगले कुछ महीनों में चुनाव नहीं हो सकते, हमें इस सभा में दोबारा आना पड़ा और एक बार और लेखानुदान की मांग करनी पड़ी। बिहार की समस्याओं का समाधान इस सभा में नहीं किया जा सकता। बिहार की समस्या का समाधान केवल वहां के लोगों, निर्वाचित सभा में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जा सकता है। अतः मैं वर्तमान स्थिति के लिए माननीय सदस्यों के साथ सहानुभूति रखता हूं और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में अंतरिम विकास प्रभावित न हो।

महोदय, हम किस पर पैसा खर्च कर रहे हैं? हमने किस पर पैसा लगाया है? योजना व्यय की राशि जो वार्षिक योजना के अनुसार 5,230 करोड़ रुपये है, उसमें से अधिकतर ऊर्जा, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, जल संसाधन, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण के लिए है। वर्ष 2005–06 के बजट में कुछ सार्थक विशेषताएं हैं। पहला, वार्षिक योजना परिव्यय को 5,531 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,087 करोड़ रुपये किया गया है। केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 9,116 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष बढ़कर 10,479 करोड़ रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार, राज्य सरकार को दिए जाने वाले अनुदान को 3,889 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,359 करोड़ रुपये किया गया है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवल कुछ राज्यों को ही स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है, बिहार राज्य को स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा।

बिहार के विकास के लिए धनराशि कोई बाधा नहीं है। लेकिन यह कहते हुए मुझे खेद है कि कुछ आलोचना सही है। पहले तीन महीनों में व्यय बहुत कम रहा है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि बजट और लेखानुदान मई में ही स्वीकृत कर लिए गए थे और इस बारे में अनिश्चितता थी कि क्या चुनाव तत्काल होंगे अथवा अक्तूबर–नवम्बर में होंगे।

[अनुवाद]

पर, मैं निश्चित रूप से राज्यपाल से अनुरोध करूंगा और बिहार प्रशासन को सलाह दूंगा कि वे खर्च को आगे बढ़ाएं। पहले तीन महीनों में खर्च का हिसाब–किताब पांच प्रतिशत से थोड़ा अधिक रहा है और यह स्वीकार्य नहीं है। मैं निश्चय ही राज्यपाल को सलाह दूंगा और उनसे तथा उनके प्रशासन से निश्चित तौर पर अनुरोध करूंगा कि वे व्यय और परिव्यय को आगे बढ़ाएं।

अपराह्न 2.46 बजे

(श्री गिरिधर गमांग पीठासीन हुए)

महोदय, मुझे बताया गया है कि कुछ अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, पहल हुई है और इनके परिणाम अगले कुछ महीनों में दिखाई देने लगेंगे। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1,65,062 घर बनाए जाने के लक्ष्य के मुकाबले जून तक 28,792 घर बनाए जा चुके हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : पर, यह बहुत ही कम प्रतिशत है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने यही कहा है। मैंने कहा कि यह कम है।

मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। नाबार्ड योजनाओं, आरआईडीएफ के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए धन मुहैया कराया गया है, गया जिले में फाल्गुन नदी पर आरसीसी पुल बनाने के लिए 5.89 करोड़ रुपये, गया जिले में ही मोहु नदी पर आरसीसी पुल बनाने के लिए 2.13 करोड़ रुपये और भुतही नदी पर आरसीसी पुल बनाने के लिए 2.13 करोड़ रुपये। 625 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

ऊर्जा और विद्युत के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत विद्युत केन्द्रों के उन्नयन के लिए 18 ग्रिड उप–केंद्रों पर काम शुरू किया गया है। पावर ग्रिड कार्पोरेशन 1100 किलोमीटर ट्रांसमीशन लाइनों का कार्य कर रहा है। एपीडीआरपी के अन्तर्गत वितरण क्षेत्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण संबंधी परियोजनाओं के लिए 866 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा कार्यान्वित कराया जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण

के अन्तर्गत 36 जिलों में टर्नकी आधार पर शत-प्रतिशत विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया है। इसलिए कुछ पहल की गई है। तथापि, मैं देखता हूं कि उपयोगिता कम है, मैं आशा करता हूं कि विकास की इस गति में तेजी जरूर आएगी और मैं राज्यपाल को ऐसा करने के लिए सलाह दूंगा।

बिहार में कमी धन की नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, हमारा उद्देश्य शासन व्यवस्था में सुधार लाना है। मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि बिहार के लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, यथाशीघ्र विधान सभा का गठन करेंगे और नई सरकार स्वच्छ प्रशासन देगी। जहां तक केन्द्र का सवाल है, तो हमें बिहार के प्रति गहरी सहानुभूति है। जैसा कि आपने देखा होगा कि व्यय के प्रत्येक शीर्ष में बिहार को उसका अपना शेयर मिल रहा है, दरअसल कुछ राज्यों की नजरों में तो बिहार को उसके हिस्से के शेयर से कुछ अधिक ही मिलता रहा है। बारहवें वित्त आयोग ने तो बिहार के प्रति काफी उदारता दिखाई है।

धन की कोई कमी नहीं है और मुझे मालूम है कि बिहार में आज खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है। उसे धन का व्यय करना चाहिए। उसे कार्यान्वयन की गति को तेज करना चाहिए और मैं निश्चित रूप से, इस सदन की भावना को राज्यपाल और उनके प्रशासन की जानकारी में लाऊंगा।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : महोदय, क्या आप बिहार में खर्च की निगरानी के लिए अपने मंत्रालय में निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करना चाहते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : ठीक है, पर मैं जो कह सकता हूं वह यह है कि मैं व्यय की गति के मामले में बिहार के राज्यपाल से सर्वाधिक रिपोर्ट के लिए कहूंगा और यदि संभव हुआ तो मैं एक बार बिहार जाकर भी देखूंगा कि ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जिन्हें व्यय की गति को तेज करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : बहुत अच्छा। धन्यवाद।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह एक अतिरिक्त मांग है और आप देखेंगे कि कतिपय शीर्षों के अन्तर्गत आवंटन की राशि में इजाफा करने के लिए अधिक धन की मांग की जा रही है। जब मैं उस मुद्दे पर आऊंगा तो उसे विस्तार से बताऊंगा।

फिलहाल, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, मेरा उन सबसे आग्रह और अनुरोध है कि वे लेखानुदान को पास कर दें। धन्यवाद।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : मंत्री जी, आपकी इस उत्कृष्ट टिप्पणी के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 2005-06 के लिए लेखानुदानों की मांगों (बिहार) को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 12, 15 से 27, 29 से 33 और 35 से 52 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां बिहार राज्य की संचित निधि में से लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.52 बजे

बिहार विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 2005-06*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के एक भाग की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के एक भाग की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि से और उसमें से कतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2 दिनांक 5-8-2005 में प्रकाशित।
**भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के एक भाग की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के एक भाग की सेवाओं के लिए बिहार राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और खंड 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और खंड 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय में प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.55 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में प्राकृतिक आपदाएं

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। इसलिए यदि सभा सहमत हो तो मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में चर्चा का उत्तर दें।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, भारत प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र है क्योंकि पूरे भू क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत क्षेत्र भूकम्प प्रवण है, लगभग 8 प्रतिशत क्षेत्र जो कि 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है बाढ़ प्रवण है और लगभग 8,000 किलोमीटर तटीय क्षेत्र चक्रवात प्रवण है। इसके अतिरिक्त, सूखा, भू–स्खलन और हिम–स्खलन यहां बार–बार आते रहते हैं। देश में हाल ही में सुनामी भी आया था।

इस मौसम में भी, बाढ़ ने कई राज्यों को प्रभावित किया है और मैं इस सम्माननीय सदन को बाढ़ की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। महोदय, मैं एक ऐसी बहस का उत्तर दे रहा हूं, जो कुछ दिनों पहले हुई थी और मैं कुछ चीजों को जोड़ना चाहता हूं जिनका उल्लेख नहीं किया गया था और वे उस अवधि के बाद घटित हुए है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि जुलाई में पूरे देश में समग्र रूप से इसके दीर्घावधि औसत (एलपीए) की 97 प्रतिशत वर्षा हुई है। भारत के चार विस्तृत क्षेत्रों में उत्तर–पश्चिम भारत में इसके एलपीए का 97 प्रतिशत, पूर्वोत्तर भारत में इसके एलपीए का 95 प्रतिशत, मध्य भारत में इसके एलपीए का 102 प्रतिशत और दक्षिण पेन्निसुला में 97 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है।

27 जुलाई, 2005 तक देश में 426.4 मि.मी. वर्षा हुई है जो इस अवधि के दौरान देश में होने वाली औसत वर्षा का 102 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान मौसम विज्ञान संबंधी छत्तीस सब–डिविजनों में से इकंतीस में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।

मैं सम्माननीय सभा को सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान दक्षिण–पश्चिम मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से भारी वर्षा और भयंकर बाढ़/अचानक बाढ़ की खबरें आई हैं। अन्य राज्यों से भी सामान्य से भारी वर्षा और कम गंभीरता वाले बाढ़ आने की खबरें हैं।

बाढ़ कई कारणों से आई हैं जिनमें अन्य के साथ–साथ अचानक आई बाढ़ जो हिमाचल प्रदेश में पारीचू स्थित कृत्रिम झील की दीवार टूटने, जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा, नदियों में गाद की बड़ी मात्रा के कारण नदियों के तल का ऊंचा उठना जिससे उनकी जल वहन क्षमता में कमी और नदियां या धाराओं में उनकी वहन क्षमता से अधिक जल–प्रवाह का होना जिसके परिणाम–स्वरूप साथ की निकटवर्ती भूमि और क्षेत्रों में अतिप्रवाह होना शामिल है।

अपराह्न 3.00 बजे

प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नुकसान का अनंतिम आकलन इस प्रकार है। प्रभावित जिलों की संख्या 161; प्रभावित गांवों की संख्या 18,771; प्रभावित जनसंख्या 190.37 लाख है; 1,581 व्यक्तियों की जानें गई हैं जिसमें महाराष्ट्र में मारे गए व्यक्तियों की संख्या शामिल नहीं है; 70,087 पशु मारे गए हैं और 4.42 लाख घर नष्ट हो गए हैं। ये आंकड़े दिए गए थे और वास्तविक आंकड़ों में थोड़ा अन्तर हो सकता है जो कि अब उपलब्ध होंगे।

संभावित राज्य सरकारों ने स्थिति की ओर तत्काल ध्यान दिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया जिसके अन्तर्गत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, निःशुल्क राहत प्रदान करना, आवश्यक वस्तुएं प्रदान कराना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी उपाय करना शामिल है।

भारत सरकार ने देश में बाढ़ की स्थिति की निगरानी की और देश में बाढ़ की स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए आवश्यक आर्थिक तथा लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति और गृह मंत्रालय नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहा है और प्रभावित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और आपात स्थिति में सहायता प्रदान करने वाले मंत्रालयों के साथ अनुवर्ती बैठकें कर रहा है ताकि अपेक्षित वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जा सके।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राहत और बचाव कार्यों के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर, सेना की नौकाएं प्रदान कीं और सहायता के लिए सेना के जवानों और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को भेजा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों की आवश्यकता को पूरा करने और पानी से होने वाली बीमारियों और महामारियों को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक दवाइयां और औषधियां, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन की गोली, ओआरएस के पैकेट उपलब्ध कराए। जहां कहीं भी आवश्यकता थी, बाढ़ प्रभावित राज्यों को आवश्यक वस्तुओं तथा पेट्रोलियम उत्पादों का अतिरिक्त भंडार उपलब्ध कराया गया। मंत्रालयों और अन्य संबंधित संगठनों अर्थात् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, संचार मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन को प्राथमिकता आधार पर क्षतिग्रस्त अवसंरचना के तत्काल मरम्मत और पुनःस्थापना के लिए निदेश दिया गया।

माननीय प्रधानमंत्री और मैंने स्वयं 28 जुलाई, 2005 को महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया और वहां जाकर राज्य में बाढ़ की स्थिति के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल की। मैंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात का भी पहले दौरा किया था। इन राज्यों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए गुजरात को 500 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 500 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश को 100 करोड़ रुपये एनसीसीएफ से प्रदान किए गए ताकि इन राज्यों में बचाव और राहत कार्य चलाया जा सके और तत्काल सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से से गुजरात को 92.25 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 83.59 करोड़ रुपये, जम्मू और कश्मीर को 32.42 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 95.34 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश को 10.62 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के संबंध में 72.52 करोड़ रुपये की सीआरएफ की दोनों किस्तें जारी कर दी गई हैं।

मैं इस सम्माननीय सभा को सूचित करना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने 8,110 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया है जिसमें दीर्घावधि पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए 4,113 करोड़ रुपये शामिल हैं। अन्तरमंत्रालीय केन्द्रीय दल ने हुए नुकसान और निधियों की आवश्यकता का तत्स्थानिक आकलन करने के लिए गुजरात का दौरा किया। यह दल शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

हिमाचल प्रदेश के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना ज्ञापन दिया है जिसमें राज्य ने 1,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। एक अन्तरमंत्रालीय केन्द्रीय दल ने हुए नुकसान और निधियों की आवश्यकता का तत्स्थानिक आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है। दल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

मध्य प्रदेश के मामले में, हमें अभी उनका ज्ञापन मिला ही है। एक केन्द्रीय दल को बाढ़ के कारण हुए नुकसान और निधियों की आवश्यकता का तत्स्थानिक आकलन करने के लिए पहले ही 29 जुलाई, 2005 को राज्य के दौरे पर भेज दिया गया।

नागालैंड सरकार ने भी एक ज्ञापन दिया है जिसमें भू-स्खलन और अचानक बाढ़ के लिए 7.10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की गई है जो 26.5.2005 को मोकोकचुंग जिले के मोकोकचुंग और तुली शहरों में बादल फटने की घटना के कारण आई थी। वहां पर हुए नुकसान और निधियों की आवश्यकता के आकलन के लिए एक केन्द्रीय दल की नियुक्ति की गई थी। केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा कर लिया है और अपनी

[श्री शिवराज वि. पाटील]

रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दल की रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई मौजूदा मानदंडों के अनुरूप और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अर्थात् आईएनजी और एचएलसी के अनुमोदन के साथ की जाएगी। इसी बीच राज्य को सीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से की 1.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त 21.6.2005 को जारी की गई।

प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर असम और बिहार के उत्तरी हिस्से में बाढ़ को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपायों के संबंध में माननीय सदस्यों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सुदृढ़ करने और नेपाल तथा भूटान से आने वाली नदियों द्वारा मचाई गई तबाही के बारे में भी बोले हैं। माननीय सदस्यों ने भी यह सुझाव दिया है कि नदियों को आपस में जोड़ने से बाढ़ की समस्या को सुलझाने में काफी सहायता मिलेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार को जारी किए गए राहत कोषों की समुचित निगरानी करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि असम और निकटवर्ती राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या से निपटने कें लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.अ.) की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन/क्षरण नियंत्रण के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया है। कार्य बल ने बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। कार्य बल ने अपना प्रतिवेदन 31.12.2004 को दिया। कार्य बल का प्रतिवेदन विभिन्न मंत्रालयों, योजना आयोग तथा संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित किया गया। मंत्रालयों तथा संगत राज्य सरकारों से कार्य बल के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद कार्य बल की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

भारत सरकार जल संसाधन विकास में सहयोग के लिए निरंतर नेपाल के साथ बातचीत कर रही है। यूपीए सरकार ने उपाय किए और सप्त कोसी हाई डैम बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा सन कोसी स्टोरेज कम डायवरसन स्कीम, जिसके लिए भारत सरकार ने 29.34 करोड़ रुपये का उपबंध किया है, का सर्वेक्षण तथा जांच कार्य करने के लिए अगस्त, 2004 में नेपाल के बिराट नगर में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय खोला है। सिंचाई, विद्युत लाभ और नौवहन सुविधाओं के अतिरिक्त उपरोक्त परियोजना से विशेषतः उत्तरी बिहार को बाढ़ नियंत्रण सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

मैं सम्माननीय सभा के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि नेपाल में अग्रिम चेतावनी के लिए एक योजना चलाई जा रही है जो नेपाल की विभिन्न नदियों पर बने 42 स्टेशनों को कवर किए हुए है और हमने वहां से आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं तथा बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उन पर कार्य किया जा रहा है। नेपाल सरकार के साथ यह समझौता हुआ है कि स्टेशन 42 से बढ़ाकर 47 कर दिए जाएं। साथ ही साथ नेपाल में स्थित 5 महत्वपूर्ण हाइड्रोलोजिकल स्टेशनों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव भी है। इस योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने 1.88 करोड़ रुपये की राशि का अनुमोदन किया है और संयुक्त स्थायी समिति प्रगति का मानीटरन कर रही है।

भूटान की दक्षिणी तलहटी तथा भारत के असम और उत्तरी बंगाल के समीपवर्ती मैदानों में बार-बार बाढ़ के आने और क्षरण होने के संभावित कारणों और प्रभावों का पता लगाने के लिए भूटान के साथ सहयोग के संबंध में बाढ़ प्रबंधन पर भारत भूटान संयुक्त विशेषज्ञ समूह (जेजीई) का गठन किया गया है जिसकी पहली बैठक नवम्बर, 2004 को हुई। जेजीई ने आगे समस्या के विस्तृत तकनीकी परीक्षण के लिए एक संयुक्त तकनीकी दल का गठन किया है।

नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम यह दर्शाता है कि वह दक्षिणी नदियों से प्रारम्भ करके देश की नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवहार्यता का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा तथा यह मूल्यांकन पूर्णतः परामर्शी ढंग से किया जाएगा।

राज्य सरकारों को जारी किए गए कोष से समुचित उपयोग के बारे में मैं सम्माननीय सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) और गृह मंत्रालय ने सीआरएफ/एनसीसीएफ के अन्तर्गत मदवार व्यय प्रस्तुत करने के लिए एक प्रपत्र का निर्धारण किया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों तथा मानकों के अनुसार राज्य सरकारों को राहत कार्यों के लिए व्यय करना होता है। उन्हें निर्धारित प्रपत्र में इस सूचना की एक प्रति महालेखाकारों को भेजनी होगी। राज्य महालेखाकारों से अनुरोध किया गया कि वे राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर जांच परीक्षण करें। तथापि मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि प्रणाली में सुधार करने के लिए माननीय मंत्रियों द्वारा दिए गए अन्य सुझाव भी उपयुक्त रूप से शामिल किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में नदी क्षरण के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मुझे यह बताया गया कि भारत सरकार नौवीं योजना से ही पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। नौवीं योजना के दौरान, 17.88 करोड़ रुपये जारी किए गए। दसवीं योजना के दौरान 25.78 करोड़ रुपये जारी किए गए। दसवीं योजना में 36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और यदि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाए तो यह राशि जारी कर दी जाएगी।

जैसा कि सम्माननीय सभा को ज्ञात है कि प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में वर्तमान में चक्रवात, सूखा, भूचाल, आग, बाढ़ और ओलावर्षण शामिल हैं और अब इसमें विस्तार करके भू–स्खलन, हिम–स्खलन, बादल फटना और कीट आक्रमण को भी शामिल कर लिया गया है। माननीय मंत्रियों द्वारा सीआरएफ/एनसीसीएफ के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं की सूची में कुछ और जोखिम शामिल करने के संबंध में दिए गए सुझावों को नोट कर लिया गया है तथा उपयुक्त मंच के सम्मुख उन्हें विचारार्थ रखा जाएगा।

माननीय सदस्यों द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में 'आपदा प्रबंधन' विषय शामिल करने के संबंध में दिए गए सुझाव के संबंध में मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि के.मा.शि.बो. (सीबीएससी) के 8, 9 और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन शिक्षा विषय प्रारंभ कर दिया गया है। पुस्तकें राज्य सरकार को भी भेजी गई हैं। सरकारें अपने संगत शिक्षा बोर्डों में उन्हीं आधार पर इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें।

प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन किया है। राहत केन्द्रीक दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण की स्थिति में परिवर्तन आया है। नया दृष्टिकोण आपदा उत्तर गतिविधियों और पुनर्वास के अतिरिक्त अपशमन और आपदा से निपटने की तैयारी को भी कवर करता है क्योंकि इसमें आपदा का सामना तीव्र व्यवसायिक प्रत्युत्तर के रूप में किया जाता है और आपदा प्रबंधन के आने वाली खामियों को कम किया जाता है। इस उद्देश्य से आपदा के प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए उपायों को सुनिश्चित करने और किसी भी आपदा वाली स्थिति में तुरन्त कार्रवाई करते हुए समग्र और समन्वित रूप से आपदा का सामना करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यक्रम बनाने और उसके कार्यान्वयन के मानीटरन के लिए अपेक्षित संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार आपदा प्रबंधन पर एक कानून बनाना चाहती है। तद्नुसार 11 मई, 2005 को आपदा प्रबंधन विधेयक पहले ही राज्य सभा में पेश किया जा चुका है और इस समय संसद की स्थाई समिति के विचाराधीन है। आपदा प्रबंधन विधेयक के अधिनियमन के लंबित रहने तक आपदा प्रबंधन की नीतियों को बनाने के लिए एक अधिसूचना द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए की गई चर्चा के दौरान उनके द्वारा दिए गए कीमती सुझावों को सरकार पूरा महत्व देगी।

महोदय, मैं समझता हूं कि इस विषय पर पिछले तीन दिनों से लगातार घंटों तक चर्चा हुई है। यह उत्तर उस वाद–विवाद में दिया गया है। यदि उसी दिन उत्तर दिया गया होता तो संभवतः कई प्रश्न पूछे गए होते और सरकार को उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री इस पर आज कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं? यदि वे ऐसा चाहते हैं तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पश्चिम बंगाल की गंगा बेसिन में क्षरण एक राष्ट्रीय समस्या है क्योंकि यह नदी चार राज्यों से होकर गुजरती है। अपने उत्तर में माननीय गृह मंत्रालय ने बताया कि 19 करोड़ रुपये अथवा 20 करोड़ रुपये अथवा 36 करोड़ रुपये की थोड़ी सी राशि आवंटित की गई है। महोदय, 1996 में एक योजना बनाई गई थी और एक प्राक्कलन तैयार किया गया था। क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है अतः मैं यह चाहूंगा कि इससे राष्ट्रीय आधार पर ही निपटा जाए और पश्चिम बंगाल के गंगा बेसिन के क्षरण को रोकने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की जाएं। मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पर्याप्त निधियां जारी की गई हैं।

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा (मंगलोर) : महोदय, समुद्र क्षरण प्राकृतिक आपदा का एक भाग है। भारी वर्षा के दौरान तटीय पट्टी के सभी स्थानों में भारी समुद्र क्षरण होता है। इस वर्ष के दौरान कर्नाटक में 1,000 से अधिक मछुआरों के घर समुद्र में डूब गए थे। जहां तक प्राकृतिक आपदा का प्रश्न है तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पिछले पांच से अधिक वर्षों से केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित पड़े हैं ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : यदि आप उत्तर चाहते हैं तो आप बहुत संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहें।

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक राज्य में समुद्री अपरदन के संबंध में काफी समय से लंबित पड़े प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई करेगी ताकि और अपरदन को रोका जा सके और प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित किया जा सके...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा) : मैं कर्नाटक के लंबित पड़े प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्य का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, जब पिछली बार प्राकृतिक आपदा हुई थी, उसके कंसर्न में मैंने पहले भी माननीय गृह मंत्री जी से दो–तीन बातें कही थीं। अब तो दूसरी आपदा भी आ चुकी है, लेकिन हमारे जम्मू–कश्मीर के गांवों में खासकर मेरे चुनाव क्षेत्र में बिजली भी स्टोर नहीं हो पाई है। दस महीने हो गए हैं। दूसरी बात मैंने कही थी कि लोग नाले और दरिया रोक लेते हैं, वन काट लेते हैं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। पानी निकलने के सारे रास्ते रोक लिए जाते हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : क्या माननीय मंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का निर्माण करने और नया विधान लाने के बारे में भी सोच रहे हैं? यदि हां, तो मेरा अनुरोध है कि इस मसौदा विधेयक को मंत्रालय की वेबसाइट में रखा जाए ताकि नए विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले इस पर उन्हें टिप्पणियां मिल जाएं।

श्री शिवराज वि. पाटील : आप किस विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मैं आपदा प्रबंधन संबंधी विधेयक की बात कर रहा हूं। ऐसा किया जाना चाहिए ताकि संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोग इस पर टिप्पणियां दे सकें। दूसरे, इस विधेयक में न केवल राज्य स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी प्राधिकरण के निर्माण का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि अधिकांशतः जब भी वास्तव में आपदा आती है तो जिला प्राधिकारियों को तत्काल कार्य करना होता है। तीसरे, क्या सरकार जलवायु में परिवर्तन के कारण बीमा अनिवार्य करने के बारे में सोच रही है?

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : मेरा विचार है प्रत्येक राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने व्यय में कटौती करने की आवश्यकता है। दूसरे, नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में, हाल ही में मैं बंगलादेश गया था। अब, बंगलादेश में भारत–विरोधी गुट भारत–विरोधी अभियान का वित्तपोषण कर रहे हैं। दरअसल यह बताया जाना चाहिए कि नदियों को जोड़ने के मामले में हम वास्तव में क्या करने जा रहे हैं।

माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी वहां पर थे।

पिछली बार, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि बहु–मंजिला इमारत बनाने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अनुमोदन की वास्तव में आवश्यकता होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कोई प्रस्ताव कर रही है।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरंबदूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं। तमिलनाडु सबसे अधिक सुनामी प्रभावित क्षेत्र है। आज तक, तमिलनाडु के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है। पक्के घर नहीं बनाए गए हैं। सुनामी पीड़ितों की बहुत आशाएं थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने यहां धन दिया है अथवा नहीं? क्योंकि राज्य सरकार यह आरोप लगा रही है कि केन्द्र सरकार ने मकानों के निर्माण, नावों, जाल और अन्य सामान की आपूर्ति के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। क्या मंत्री जी इसका जवाब देंगे?...*(व्यवधान)*

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मेरा केवल एक प्रश्न है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : 3.30 बजे हमें गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करनी है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, केरल राज्य में भेजे गए विशेष दल...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : समय कम है। मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, क्या आप समय बढ़ाना चाहते हैं?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। अब यह मुश्किल है। अब समय नहीं है। आप अपना उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : क्या आप उन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, जिन्हें पहले ही पूछा जा चुका है?...*(व्यवधान)* मैं आपसे बाद में बात करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : सभापति महोदय, मैंने चर्चा में भाग लिया था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं। आप बाद में पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजाराम पाल : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी।...*(व्यवधान)* कानपुर में गंगा कटनी में गंगा बेराज के इंजीनियरों द्वारा गलत फैसला दिया गया था, जिसके

कारण कई गांव बह गए। मैं जानना चाहता हूं कि जो गांव बह गए हैं, जिन लोगों की फसल बर्बाद हो गई हैं, उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पाटील, आप रिप्लाई दीजिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, श्री आचार्य जी ने कहा कि अपरदन समस्या से निपटने के लिए जो धनराशि दी गई है, वह बहुत कम है। में उनसे सहमत हूं। लेकिन हमारे पास और धन है। यदि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ धन व्यय किया है और यदि वह सूचना भारत सरकार को दी गई है तो हम और धन दे सकते हैं।

जहां तक इस प्रयोजनार्थ और अधिक निधि उपलब्ध कराने की बात है, तो इस बात पर ध्यान दिया गया है, हम इस मामले पर विचार करेंगे।

समुद्री अपरदन भी एक समस्या है। हम यह देख रहे हैं कि इससे कैसे निपटा जाए–कच्छ वनस्पति उगाकर अथवा विभिन्न स्थानों पर समुद्र की दीवार बनाकर तथा अन्य उपायों द्वारा। सुनामी के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। अब कुछ ऐसा करना संभव हैं जिससे वास्तव में सहायता मिले।

आपदा प्रबंधन के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार आपदा प्रबंधन विधेयक को इंटरनेट पर देगी अथवा नहीं? हमने विधेयक सभा में प्रस्तुत कर दिया है। वह विधेयक स्थाई समिति के पास है। स्थाई समिति अपने समक्ष किसी को भी बुला सकती है और उसका बयान ले सकती है। कोई भी व्यक्ति जो इसके संबंध में कुछ कहने का इच्छुक है, अपने विचार लिखित अथवा मौखिक रूप से समिति को दे सकता है। उन मतों पर विचार किया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन विधेयक जिसे हम सदन में प्रस्तुत कर चुके हैं, में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी प्रावधान है।

हमने यह भी कहा है कि यदि राज्य सरकार अपना स्वयं का कानून चाहती है तो वह अपना कानून बनाने में सक्षम होगी। यह उस विधेयक जो हमने यहां पर प्रस्तुत किया है और जो कानून बनेगा, के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन कर सकता है अथवा स्वयं के कानून के अन्तर्गत ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकता है।

जहां तक सुनामी का संबंध है हमने राज्य सरकारों को निधि दी है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों को कोई शिकायत नहीं है। शायद लोगों को राज्य सरकारों को दी गई धनराशि के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। पहले चरण में हमने सहायता दी; दूसरे चरण में हमने अस्थाई प्रबंध किए और तीसरे चरण में हम मकानों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने योजनाएं बनाईं और उन योजनाओं को भारतीय योजना आयोग को दिखाया गया। वे इस पर विचार कर रहे हैं और उन्हें बहुत बड़ी धनराशि देने का वादा किया गया है। उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार निधि उपलब्ध कराई जाएगी और वे उन निधियों का उपयोग कर लेंगे...*(व्यवधान)*

शायद, नावों और जालों के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करनी होगी। स्वयं वित्त मंत्री और अन्य मंत्रियों जो भारत सरकार की ओर से यहां उपस्थित थे, ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है। नावों के लिए आदेश दे दिया गया है, जालों के लिए आदेश दे दिया गया है और इन्हें लोगों को वहां पर दिया जा रहा है। हमारे पास तीन तरह की नावें हैं–कैटामारन, बड़ी नावें और कुछ और बड़ी नावें जो कि दी जा रही हैं और जाल भी दिए जा रहे हैं। उन्हें यह जानकारी तमिलनाडु के मंत्री से और वित्त मंत्री से लेनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

जहां तक जम्मू और कश्मीर में बिजली देने का संबंध है, इसके लिए राज्य सरकार को निधियां दी गई हैं और हमें आशा है कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा।

सभापति महोदय : धन्यवाद। अब हम गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करेंगे। मद संख्या 21। श्रीमती कृष्णा तीरथ अपनां भाषण जारी रखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले के कार्यों पर चर्चा समाप्त हो गई है और हमने पहले ही गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा आरंभ कर दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

सभी राज्य विधानमंडलों तथा संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : सभापति महोदय, पिछली बार सदन में वूमैन रिजर्वेशन बिल श्री सी. के. चन्द्रप्पन द्वारा 6 मई, 2005 को रखा गया था। जिस समय मैं बात कर रही थी, उसी

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

समय दूसरा हाउस शुरू हुआ, इसीलिए आज मैं हाउस को बताना चाहती हूं कि इसमें महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन बिल आया, मैं उसके फेवर में कुछ बातें रखना चाहूंगी। इसमें जो एडीक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू वूमैन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट, राज्य सभा और लोक सभा दोनों सदनों में रखा गया है, मुझे अपने भारत देश के संविधान पर गर्व है जिसके निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं जिन्होंने संविधान के तहत भी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। हर क्षेत्र में, पढ़ने–लिखने, रोजगार के क्षेत्र में और हर तरह से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि महिलाएं बराबर की हकदार रहेंगी। आज उसी संविधान के तहत, भारत के दोनों सदनों में और भारत के दोनों सदनों के बाहर भी कोने–कोने में महिलाएं 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए पिछले 16 सालों से पूरी तरह से कसरत कर रही हैं। मैं इसीलिए इस बिल का समर्थन करना चाहती थी क्योंकि महिलाएं जिनका हम चहुंमुखी विकास–शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक रूप से जिनका हम विकास करना चाहते हैं। वह विकास तभी हो सकता है जब महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के रास्ते किसी तरह से बन्द नहीं होने चाहिए। इस देश में बराबरी का अधिकार जो हमें संविधान से मिला है, वह हमें चुनावों में और राजनीति में क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम राजनीति में पीछे क्यों रहें? मुझे लगता है कि देश की तरक्की तभी हो सकती है जब महिलाओं को पूरा 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन फिलहाल हम 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह से देश के कोने–कोने से महिलाओं की आवाज उठी है, उसे इस संसद में उठाने के लिए मुझे इस बात को यहां रखना पड़ा है। महिलाएं बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से अपना घर–बार चलाती हैं। बाहर दफ्तरों में जाने पर भी वे काम करती हैं, राजनीति में भी चुनकर आई हैं और मुझे गर्व है कि जिस समय वर्ष 1992 में कांग्रेस की सरकार इस जगह पर रही, तब हमारी पंचायती राज व्यवस्था, जिसे हमारे पूर्व युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शुरू किया था, में महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। महिलाओं ने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया, कठिनाइयां भी आईं, उनको बहुत से नाम दिए गए, लेकिन उनके पति लोगों ने उनका साथ दिया। कहीं–कहीं उनका मजाक भी उड़ाया गया लेकिन तब से अब तक के इतने वर्षों में महिलाएं इतनी सक्षम हो गईं कि उन्होंने जीत, हार और तमाम चीजें देखीं। अब वे समझती भी हैं कि हमारे क्या अधिकार होने चाहिए। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन गांवों में, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में अलग–अलग जगहों पर महिलाओं की अलग–अलग स्थिति है। इसलिए मैं चाहती हूं कि हमें बराबरी से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अवसर मिले।

जब देश आजाद हुआ था, महिलाएं बराबरी का अधिकार प्राप्त करते हुए आजादी की लड़ाई में भी कंधे से कंधा मिलाकर चली थीं, चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई रही हों, या दूसरी बहुत सी अन्य स्वतन्त्रता सेनानी महिलाएं रही हों। आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं, अगर मैं उनके नाम गिनाने लगूं तो पूरा इतिहास लिख जाएगा। लेकिन हमें रिजर्वेशन दिए जाने को कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा टालने की कोशिश की गई है। बहुत सी सरकारे आयीं, लेकिन आज जब हमारी यूपीए की सरकार है, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, वह भी चाहती हैं कि महिलाओं का पूरा रिजर्वेशन हो। सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हुए जिस प्रकार महिलाएं सरकारों में आएंगी, सरकारों में काम करेंगी, महिलाओं की तकलीफों को हल कर सकेंगी, उनके लिए क्या कानून और योजनाएं बननी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए काम कर सकेंगी। इसलिए हमें 33 प्रतिशत आरक्षण राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार सहित संसद के दोनों सदनों में मिलना चाहिए। इस आरक्षण में दलित महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजति की महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों से आती हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता हैं, जब उनके लिए रिजर्वेशन रखेंगे तो वे उसे लेकर मुखर होंगी, उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगेगा, जिसके साथ व कह सकती हैं कि वह भारत की महिला हैं, उसने भारत में जन्म लिया है। भारत की महिला होने के नाते वह अपने पूरे अधिकार जिन जगहों पर रखती है, वे अधिकार उसे दिए जाने चाहिए। मैं चाहती हूं कि महिलाओं के लिए मंत्रिमंडल में भी एक–तिहाई आरक्षण होना चाहिए।

अपराह्न 3.39 बजे

(श्रीमती सुमित्रा महाजन पीठासीन हुईं)

मेरे पास राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ आंकड़े हैं। वर्ष 1951–52 में बिहार विधान सभा में महिलाओं की संख्या 3.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 1.2 प्रतिशत, राजस्थान और केरल में शून्य, पश्चिम बंगाल में 0.8 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 2.9 प्रतिशत थी। इसी प्रकार वर्ष 1960 से 1965 के मध्य बिहार में महिला सदस्यों की संख्या 7.9 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 4.4 प्रतिशत और राजस्थान में 4.5 प्रतिशत थी। मैं समझती हूं कि राजस्थान में महिलाओं ने तरक्की की। इसी तरह से केरल में भी शून्य प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत महिलाएं वहां की विधान सभा में चुन कर आईं। पश्चिम बंगाल में 4.8 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 3.3 प्रतिशत महिलाएं वहां की विधान सभाओं में चुन कर आईं। इस तरह से देखा जाए तो कही बढ़ोत्तरी और कहीं कुछ कमी 1997 तक विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में हुई। लेकिन 1998 में बिहार का आंकड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं

है। राजस्थान में सात प्रतिशत प्रतिनिधित्व वहां की विधान सभा में महिलाओं का रहा। केरल, पश्चिम बंगाल का भी कोई आंकड़ा नहीं है। आंध्र प्रदेश की विधान सभा में 9.5 प्रतिशत महिलाएं चुन कर आईं। इसी तरह से लोक सभा में 1996 में जब एक संविधान संशोधन पेश किया गया, तो वह संसदीय समिति को सौंपा गया। उस समिति ने 9 दिसम्बर, 1996 को 11वीं लोक सभा में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। लेकिन लोक सभा भंग होने के साथ ही वह विधेयक भी समाप्त हो गया।

मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। कांति सिंह जी यहां मौजूद हैं। वह भी उस मीटिंग में थीं, जिसमें हमने चर्चा की थी कि हमें यह आरक्षण अवश्य चाहिए। हम लोगों ने यह आवाज बुलन्द की थी कि जब भारत के संविधान में बराबर का अधिकार सबको दिया गया है, तो हम फिर पीछे क्यों रहें। इसलिए संविधान का सम्मान रखते हुए हमें यह आरक्षण मिलना चाहिए। आज हर जगह महिलाओं के आगे बढ़ने की बात कही जाती है। वे आगे बढ़ाती भी हैं, लेकिन स्वयं आगे नहीं आ पातीं। जब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। महिला मेहनती होती है, लेकिन जब उसे सीट देने की या चुनाव में खड़ा करने की बात आती है, तो यह कह कर कि वह कमजोर है, वह लड नहीं सकेगी, पीछे कर दिया जाता है। मेरे खयाल से यह भ्रांति है। इसे दूर करने के लिए अगर हमें आरक्षण की सुविधा मिलती है, तो मुझे विश्वास है कि महिलाएं पूरी ताकत से इस देश को सम्भालने की शक्ति रखती हैं। देश की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा जी भी एक महिला थीं, जिन्होंने इस देश को सम्भाला। आज भी पूरा देश, यहां तक कि हमारी विरोधी पार्टियां भी, जिसमें वीएचपी भी है, यह बात कहती हैं कि इस देश में अगर किसी ने सही ढंग से शासन किया और इस देश को चलाया तो वह इंदिरा गांधी जी ने चलाया।

जब बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था, उस समय अमेरिकी बेड़े की बात आई थी। तब श्रीमती इंदिरा जी ने कड़े लफ्जों में यह बात कही थी कि हम किसी से लड़ने की बात नहीं करते, लेकिन हमारी फौज बहुत ताकतवर है इसलिए या तो वह अपना बेड़ा हटा ले, नहीं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका ने अपना बेड़ा हटा लिया। इंदिरा जी के शासन काल में हमारे देश ने कई बुलंदियां हासिल की हैं। मैंने उनकी बात इसलिए कही, क्योंकि वह स्वयं एक महिला थीं, जो देश की प्रधान मंत्री बनीं। जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो आज महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की बात करना कोई अनुचित नहीं है। महिलाएं संसद में और बाहर भी चाहे एनजीओज के माध्यम से या दूसरे निकायों के रूप में अपनी बात करती हैं और झंडा लेकर खड़ी होती हैं कि हमें यह आरक्षण अवश्य चाहिए। ऐसा वह देश की तरक्की के लिए करती हैं, न कि अपने लिए।

आज महिलाओं के साथ कई अत्याचार हो रहे हैं। भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। प्राइवेट कम्पनी में, फैक्टरी में या सरकारी कार्यालय में जहां भी महिलाएं काम करती हैं, तो उनके जो अधिकारी हैं, चाहे आईएएस हों या अन्य हों, उन पर अत्याचार करते हैं। अगर उसे रोकना है तो उन्हें यह आरक्षण दिया जाना चाहिए, तभी उनकी आवाज बुलंद हो सकेगी, नहीं तो दबी हुई आवाज को कुचल कर ही रखा जाएगा और वह अपनी आवाज नहीं उठा सकेगी। इसलिए महिला का जो अधिकार है, वह उसे मिलना चाहिए। यह अधिकार उसे संविधान ने दिया है। वह तभी मिलेगा, जब उसे आरक्षण के द्वारा संसद और विधान सभाओं में सीट मिलेगी तथा सरकारों में उसका प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा कानून बनाने में, योजनाएं बनाने में जब वह पूरी तरह से सक्षम होंगी। यह काम वह बखूबी कर सकती हैं।

यह मेरा ही मानना नहीं है बल्कि देश की तमाम महिलाओं का मानना है। वर्ष 1984 में महिलाओं की उपस्थिति लोक सभा में सबसे ज्यादा रही। उस समय कुल 544 सांसदों की संख्या में 44 महिलाएं थीं जोकि 8.1 प्रतिशत बैठती हैं। यह प्रतिशत भी उस समय था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज हम सभी मिलकर इस बात को पेश करें कि यह जो रैजोल्यूशन श्री चन्द्रप्पन जी का आया है उसे हम संसद में पास कराएं। हमारी राज्य सभा सांसद माननीय अम्बिका सोनी जी ने भी यह बात उठाई है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।

वर्ष 1952 से 1962 तक महिलाओं की भागीदारी में इजाफा हुआ लेकिन वह इतना नहीं हुआ कि महिलाओं के अधिकारों की हर क्षेत्र में सुरक्ष हो सके। आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको हटाने के लिए यदि कोई बिल लाते हैं तो हमारी संख्या पूरी होनी चाहिए। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए महिलाओं की संख्या सदन में बढ़े, आज इसकी जरूरत है।

आज महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। जब महिला बुजुर्ग हो जाती है तो उसके अपने बच्चे महिला को छोड़ देते हैं। हमने स्वधार योजना ऐसी ही महिलाओं के लिए बनाई है, उनके लिए डैस्टीट्यूट होम बनाए हैं लेकिन वहां भी उनका उद्धार नहीं है। उनका उद्धार तभी होगा जब उनकी भागीदारी सरकार में होगी, वे कानून बनाएंगी, सरकार चलाएंगी और तभी वे महिलाओं की समस्याओं को जान सकेंगी और आरक्षण को पूरा कर सकेंगी।

हमारे माननीय होम–मिनिस्टर साहब एक बिल लाए थे जिसमें उन्होंने कहा कि यहां पर हम अगर 800 सीटें कर दें तो 33 प्रतिशत आरक्षण उनको मिल जाएगा। लेकिन 800 सीटें करने के बाद

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

भी उन्हें केवल 25 प्रतिशत ही आरक्षण मिलेगा। लेकिन यह जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन आज हमारी डिमांड है कि हमें इसी संख्या में से 33 प्रतिशत आरक्षण चाहिए। ठीक है 800 सीटें करने की बात हुई है लेकिन उसके बाद डी–लिमिटेशन है और यह कौन सी मामूली चीज है, परन्तु इसमें रिजर्वेशन की बात अटक जाएगी। आज डी–लिमिटेशन भारत में पूरी जगहों पर हो रहा है। विधान सभा क्षेत्रों का और संसदीय क्षेत्रों का डी–लिमिटेशन हो रहा है लेकिन डी–लिमिटेशन में पता नहीं चलेगा कि कौन सी सीट का रिजर्वेशन करें और कौन सी सीट का न करें। हमारी मांग हैं कि विधान सभाओं और संसद में हमारे लिए 33 प्रतिशत रिजर्वेशन पूरी तरह से होना चाहिए।

एनडीए की सरकार इस बिल को पिछली बार गंभीरता से नहीं लाई। अगर वे इसे पूरी गंभीरता से लाते तो आज हमें इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मुझे अपने भाइयों पर पूरा विश्वास है कि आरक्षण के मसले पर उनका पूरा समर्थन हमें मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करती हूं और मुझे विश्वास है कि 33 प्रतिशत आरक्षण हमें विधान सभाओं में और संसद के दोनों सदनों में मिलेगा।

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर) : सभापति महोदया, माननीय सी. के. चन्द्रप्पन जी यहां पर जो संकल्प लाए हैं मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि पुरुष प्रधान देश और पुरुष प्रधान समाज होने के बाद भी एक पुरुष यह संकल्प लाए हैं, इसलिए हमें पुरुषों की नीयत पर संदेह नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से वह धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदया, आजादी के 58 साल बीत गए। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जो देश की नीतियों का निर्धारण करती है, जहां यह तय किया जाता है कि आर्थिक व्यवस्था कैसे होगी, हमारी विदेश नीति क्या होगी, जहां शौचालयों से लेकर सड़कों और बिजली तक की व्यवस्था की बात होती है, बजट तय होता है, उस नीति निर्धारण में हम महिलाओं की कम संख्या होना इस बात का द्योतक है कि आजादी के 58 साल के बाद हिन्दुस्तान की जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह प्रगति शायद इसीलिए नहीं हो पाई कि सदन में हम लोगों की संख्या कम है। हमारे देश का लोकतन्त्र विश्व का सबसे विश्वसनीय लोकतन्त्र माना जाता है। बाकी देश हमारे लोकतन्त्र को बहुत अच्छा...*(व्यवधान)* अगर आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे, तो कम से कम महिलाओं की बात आप लोगों के बीच भी आएगी...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : हम दोनों हाथों से सपोर्ट कर रहे हैं।

श्रीमती करूणा शुक्ला : केवल इस तरह सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपकी अध्यक्षा जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम इसको लाएंगे। महोदया, 14 महीने बीत गए हैं, अभी तक यह नहीं आया है...*(व्यवधान)* इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए...*(व्यवधान)* सभापति महोदया, ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगी।

सभापति महोदया : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा) : इससे इस विधेयक के मंतव्य को पराजित करने में पुरुषों को पार्टीगत भावना से उठकर एकजुट होने में मदद मिलेगी। मैं यह इस ओर तथा उस ओर विपक्ष में बैठे मेरे भाइयों को पूरा सम्मान देते हुए कह रही हूं। सभापति महोदया को पीठासीन देखकर मुझे खुशी हो रही है जिन्होंने हमें बोलने के लिए कुछ समय दिया।

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, भारत का लोकतंत्र विश्व का जाना–पहचाना लोकतंत्र है। पर कैसा लोकतंत्र है? महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन में जो उपस्थित हैं उनसे और जो इस सदन में अनुपस्थित हैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह लोकतंत्र का मजाक नहीं है? अगर हम वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 2004 तक महिलाओं की स्थिति को देखें, ये आंकड़े मेरे पास हैं। सीटों की संख्या बढ़ गई, लेकिन महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ी। वर्ष 1952 में 499 में 22, वर्ष 1957 में 500 में 27, वर्ष 1962 में 503 में 34, वर्ष 1967 में 523 में 31, वर्ष 1971 में 521 में 22, वर्ष 1977 में 544 में 19, वर्ष 1980 में 544 में 28, वर्ष 1984 में 544 में 44, वर्ष 2989 में 517 में 27, वर्ष 1991 में 544 में 39, वर्ष 1996 में 544 में 40, वर्ष 1998 में 543 में 43, वर्ष 1999 में 543 में 48, वर्ष 2004 में 543 में 44, यह स्थिति कितनी निराशाजनक है...*(व्यवधान)* महोदया, कितने खेद का विषय है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप लोग इनकी बात को सुनिए।

श्रीमती करूणा शुक्ला : सभापति महोदया, हम पचास के आंकड़े को आज तक पार नहीं कर पाए हैं। कैसे इस देश की प्रगति होगी? कैसे इस देश की उन्नति होगी? यह स्थिति देश की सबसे बड़ी पंचायत की है, जो नीतियों का निर्धारण करती है। हम पचास फीसदी जनसंख्या में भागीदार हैं, भले ही बालिका भ्रूण हत्या होने की वजह से हमारी संख्या कम हो रही है। हम कहीं 1000 में 948 बच रहे हैं, कहीं 991 बच रहे हैं, इस तरह वहां भी भ्रूण हत्या

की वजह से हमारी उपस्थिति कम हो रही है और यहां भी हमको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमारी उपस्थिति कम हो रही है।

मेरी सहयोगी बहन जो महिला सशक्तीकरण कमेटी की चेयरमैन भी हैं, उन्होंने यहां पर एक बात रखी कि हमें दलित बहनों को, अनुसूचित बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं, पर कृष्णा जी जरा इतिहास पर नजर डालिए कि कौन सी बहनें आगे बढ़ पाई हैं? वही बहने बढ़ पाई हैं जिनके सिर पर पति या पिता का हाथ था। इंदिरा जी का उदाहरण सारे लोग देते हैं। आप यह बात जोर–शोर से कह रही थीं। वह किस के दम पर इस सदन में आईं? वह अपने पिता के दम पर यहां आईं, स्वयं के दम पर नहीं आईं। बेनजीर भुट्टो किसके दम पर आईं? अपने पिता के दम पर आईं। बंगलादेश की शेख हसीना और दूसरी बहन किसके दम पर आईं? अपने पिता के दम पर आईं।... *(व्यवधान)*

श्रीमती करुणा शुक्ला : महिलाएं अपने आप में सक्षम हैं। वे आएंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश : अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह एक महान नेता साबित हुईं। इंदिरा गांधी ने भारत को बुलंदियों पर पहुंचाया है। वह अपने समय की ऐसी नेता थीं जिन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप अपने समय में अपनी बात कह सकती हैं।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : महिला महिला की शत्रु होती है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कोई कुछ नहीं है। यह पुरानी बात है। बार–बार दोहराने की जरूरत नहीं है। यहां से ऐसे कमैंट्स करना ठीक नहीं है। ये पुरानी बातें हो गई हैं। कोई महिला महिला की शत्रु नहीं होती।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, मैं कटु सत्य कह रही हूं। महिलाओं को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप दलित बहनों की बात करती हैं। श्रीमती मीरा कुमार इसलिए आईं की स्वर्गीय जगजीवन राम इस सदन के सदस्य थे।...*(व्यवधान)* मैं उनकी बात करना चाहती हूं जो गांव की बहनें हैं, पिछड़े इलाकों की बहने हैं, जिनके सिर पर पिता, पति या भाई का वरदहस्त नहीं है। आरक्षण उन बहनों को होना चाहिए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : जो रिजर्वेशन है, मैंने उसका जिक्र किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आपका एक बार भाषण हो चुका है। आप बार–बार न टोकिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपने बहुत अच्छा बोला है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कोई कुछ नहीं हो रहा है। हमने आपके झगड़े बहुत अच्छी तरह से देखे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती करुणा शुक्ला : सभापति महोदया, मेरी बहन शायद मेरे भाव समझ नहीं पा रही हैं। आरक्षण क्यों जरूरी है? इसकी मांग क्यों की जा रही है? आरक्षण के बिना यदि हम सोच लें कि हमारी 33 परसेंट बहनें इस सदन में आ जाएंगी, वह कभी नहीं हो सकता। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए कि ये बहनें इस कारण से सदन में आ पाईं और सर्वोच्च पदों पर पहुंच पाईं। मैं केवल भारत का उदाहरण नहीं दे रही हूं। मैंने पाकिस्तान, बंगलादेश का उदाहरण दिया। उदाहरण देने का अर्थ यही था कि वे अपने–अपने देश में सर्वोच्च पदों पर इसलिए आ पाईं कि उनके सिर पर पिता या पति का हाथ था। दूरस्थ अंचलों में जो बहनें रहती हैं, अनुसूचित जाति की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, पिछड़े वर्ग की

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती करूणा शुक्ला]

महिलाएं, उनको जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक उनकी इस सदन में भागीदारी नहीं हो सकती। आप मेरी भावना को समझ नहीं पाईं। नाम लेने से आपको बहुत आपत्ति हो गई।

मैं दूसरी बात यह रखना चाहती हूं, मैं 16 साल पहले की बात बता रही हूं। मैं पहली बार इस सदन की सदस्य बनी हूं। मैं विधान सभा में रही हूं। मैं विधान सभा में अशासकीय संकल्प लाई थी। 1996 से लगातार महिला आरक्षण बिल के लिए घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। इस सदन में रेल मंत्री लालू जी आज उपस्थित नहीं हैं उन्हें....* पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना कबूल है लेकिन जब इस सदन में महिला आरक्षण बिल आएगा तो उसका विरोध करेंगे, उसकी प्रतियां फाड़ेंगे। लालू जी भी आज उपस्थित नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश : सभापति महोदया, यह सही नहीं है। उन्हें जनता का प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार है।... *(व्यवधान)* केवल अशिक्षित लोग ही ज्यादा वोट कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : यह शब्द निकाल दीजिए।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप मत कीजिए।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मैं जानती हूं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : महोदया, वे महिला हैं, इस पर तो आपको आपत्ति नहीं है। आप महिला आरक्षण बिल का फेवर कर रही हैं तो एक महिला की भर्त्सना किस तरह से कर सकती हैं?...*(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला : मैं महिला की बात नहीं कर रही, लालू जी की कर रही हूं...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : आप नहीं कह सकतीं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला : आप ध्यान से सुनिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : यह आपकी पार्टी के दोहरे मानदंडों को दर्शाता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : ठीक है। आप अपनी बारी आने पर बोलें।

[हिन्दी]

वह शब्द निकाल दिया है।

[अनुवाद]

मैंने उन्हें बता दिया है।

[हिन्दी]

आप समझदार हैं, मैंने बता दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, इस शब्द पर आपत्ति है तो निकाल दीजिए। मैं खुद कह रही हूं कि निकाल दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : महोदया, आप इस सदन में सीनियर हैं और आप इस चेयर पर बैठी हैं। आप हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, जब वह इस सदन की सदस्या नहीं हैं तो फिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, इस शब्द को निकाल दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : करुणा जी, मैंने शब्द निकाल दिया है। आप आगे बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला : लालू जी की पत्नी, यह तो कह सकती हूं...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : हां, कह सकती हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, यह कह सकती हूं... *(व्यवधान)* इसे रिकार्ड में आने दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह कर दिया है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने आपके कहने से पहले तुरन्त बोला है कि यह शब्द

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है, मैं भी चिन्ता करती हूं। मैं भी सालों से यहां पर हूं। ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : आप इतना अच्छा बोल रही हैं।... *(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला : आप मुझे बीजेपी की मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट देख रहे हैं। आप मुझे महिला की भावना से सुनें और सोचें। मैं बीजेपी की महिला मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूं लेकिन पहले महिला हूं बाद में बीजेपी की मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : हमारी यही मंशा है कि यह वांछित विषय किसी जाति का, समाज का और किसी पार्टी का नहीं है, यह हमारा यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इस पर उस स्टैंडर्ड से बोलिए। यही हम चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : अब कोई कमेंट नहीं होगा। मुझे खेद है। वह शब्द निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, मेरी भाषा, मेरी बोली, अगर कुछ गलत लगती है तो बताइए।...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, नकारात्मक सोच के साथ नहीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : धन्यवाद, वही करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, मेरी सोच बहुत दूर की है। मैं भी आपके ग्वालियर की ही बेटी हूं। मेरे कहने का भाव यह था कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : सब समझ गए हैं, अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, जब वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2003 तक महिला आरक्षण बिल को बार–बार प्रस्तुत किया गया, जब आरजेडी और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने क्यों उस बिल को इंट्रोड्यूज नहीं होने दिया? क्यों प्रतियां फाड़ दीं? इससे साफ जाहिर होता है कि कोई पुरुष नहीं चाहता कि...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदया, इनका भाषण... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आपका अभी समय है, आप तब बोल लेना। ऐसे हर कोई टोका–टाकी करेगा तो कैसे चलेगा। आपको अभी बोलना है।

[अनुवाद]

नहीं, वह आपके आगे झुक नहीं रही हैं।

[हिन्दी]

आपको समय नहीं दे रही हैं तो आप ऐसा बीच में नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, मैं तथ्यों के आधार पर बोल रही हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : वह आपको समय नहीं दे रही हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, टीवी पर देखा है, कानों से सुना है और आंखों से देखा है, वही बोल रही हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया : बार–बार टोकाटाकी नहीं चलेगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : यह ठीक है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला : आप बोलिए न...*(व्यवधान)* महिला आरक्षण बिल लाइए...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया : अब आप समाप्त कीजिए। पन्द्रह मिनट से ज्यादा हो गए हैं। आप मुझे संबोधित करके बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती करूणा शुक्ला : महोदया, महिला आरक्षण बिल को लाने के लिए इच्छाशक्ति होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। जब नीयत साफ होगी, इच्छाशक्ति होगी, महिलाओं को दल में बांटकर नहीं देखा जाएगा। इस देश में आजादी के लिए महिलाओं ने जो संघर्ष किया था। श्रीमती कृष्णा जी, झांसी की रानी नाम ले रही थीं तो बाकी भाइयों ने कहा कि और बहनों का भी नाम गिनाइए। अवन्तिबाई लोदी ने संघर्ष किया था, दुर्गाबाई ने भी संघर्ष किया था। अब देखिए, मैं फिर मानसिकता का उदाहरण दे रही हूं, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए घोड़े पर बैठकर एक हाथ से तलवार लेकर निकली थीं, मैं कहूंगी, तब पुरुषों ने ही उसकी पीठ पर बच्चे को इसलिए बांध दिया था कि तुझे बार–बार अपना वात्सल्य याद आए और युद्ध के मैदान में कहीं तुम्हारी ममता तुम्हें रोकने के लिए बाध्य न करे। यह क्यों किया गया? क्या रजिया सुलताना राज–काज नहीं चलाती थी? उसे असफल करने की कोशिश की गई। मैं महिलाओं का उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि... *(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : इतिहास का निर्माण किया जाता है, उसे बदला नहीं जाता है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करूणा शुक्ला : मैं इतिहास नहीं लिख रही हूं। मैं इतनी महान नहीं कि इतिहास लिख सकूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मुझे खेद है। करूणा जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : चेयर की तरफ से मैंने स्वयं बता दिया है। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति यह बात समझ रहा है। मैंने उस बात को तुरन्त बता दिया है।

श्रीमती करूणा शुक्ला : सभापति महोदया, 1996 से लेकर 2003 तक महिला आरक्षण विधेयक मजाक बना हुआ है। जब चुनाव होता है तो घोषणा पत्र में कहा जाता है कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम महिला आरक्षण विधेयक लेकर आएंगे लेकिन आज इस सरकार को आए हुए 14 महीने हो गए लेकिन क्या हो रहा है? सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। एक तरफ डीलिमिटेशन का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ गृह मंत्री जी द्वारा हम लोगों को पत्र भेज दिया जाता है कि हम 543 सीटों के बजाय 800 सीटें करना चाहते हैं। यह विरोधाभास कैसे? अगर डीलिमिटेशन का काम चल रहा है, तो सीटें बढ़ नहीं सकतीं, उसे रोकिए। यदि आप ईमानदारी से महिला आरक्षण बिल लाना चाहते हैं तो वह किसी भी स्वरूप में लाइए, हम बहनें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस 14वीं लोक सभा में जिस स्वरूप में बिल लाएगा, महिलाएं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगी। कभी यह बात उठती है कि एक सीट पुरुष लड़ेगा और एक सीट महिला लड़ेगी, यह डबल तरीके से कैसे होगा? फिर आगे कई कठिनाइयां खड़ी होंगी। कुल मिलाकर ढाक के वही तीन पात। ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत महिला आरक्षण विधेयक को लाने की नहीं है और न उसके पास इच्छा शक्ति है। इसका कारण यह है कि जहां कहीं भी आप किसी दल के पुरुष से बात करेंगे तो यही कहा जाएगा कि वह जीत नहीं सकती, वह हारने वाली उम्मीदवार है। पुरुष के जीतने का पैमाना शायद तय होगा कि जिस सीट से पुरुष खड़ा होगा, वह जीत जाएगा। इसलिए चाहे लोक सभा की बात हो या विधान सभा की बात हो, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रही हूं। यदि सरकार महिला आरक्षण बिल लाना चाहती है तो इसे उपहास का पात्र मत बनाइए। यह हमारा अधिकार है। जब हम 50 प्रतिशत के भागीदार हैं तो सिर्फ 33 प्रतिशत मांग रहे हैं। पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद कार्य क्षेत्र में जागरूकता दिखाई दे रही है। उस समय भी यही कहा जाता था कि बहनों के लिए काम उनके पति करेंगे, इनके पिता काम करेंगे, वह काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए निश्चित रूप से यदि नीयत अच्छी हो, उसमें कोई सन्देह नहीं हो, खोट नहीं हो तो जिस भी स्वरूप में महिला आरक्षण विधेयक आएगा, हम स्वीकार करेंगी।

सभापति जी, माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन द्वारा जो संकल्प लाया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदया, मैं श्री चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। यह एक विवादास्पद मामला है जो संसद में लम्बे समय तक लंबित रहा है। यह मामला इतना विवादास्पद है कि हम इस विधेयक को पारित कराने के लिए सहमति नहीं बना पाए हैं।

इस विधेयक पर विचार नहीं किए जाने के लिए अनेक कारण दिए गए अथवा बताए गए हैं। इससे पहले कि मैं विस्तार से इसके बारे में जानकारी दूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखनी होगी। आरक्षण कोई स्थाई कानून नहीं है। जब

भी असमानता होती है, जब भी समाज के एक वर्ग को अवसर से वंचित किया जाता है, तो इसके लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। इस सिद्धान्त को लागू करते हुए हमने यह सुविधा दी है। यह आरक्षण पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए है। हमारे संविधान का मूलभूत सिद्धान्त है कि प्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसर होने चाहिए। सामाजिक अथवा आर्थिक अथवा अन्य विभिन्न कारणों के कारण समाज के कतिपय वर्ग इस समान अवसर से वंचित हैं।

हमारे संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक समझा कि समाज के निम्न वर्ग के लिए किसी न किसी प्रकार आरक्षण होना चाहिए। अतः यह सिद्धान्त लागू किया गया। महिलाओं के मामले में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। हम महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते हैं लेकिन जब हम महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते हैं तो उनके मामले में आरक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। हम सभी मानते हैं कि आधी से अधिक जनसंख्या महिलाओं की है। अतः सत्ता में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक है। पिछले 10–15 सालों में हमारा अनुभव रहा है–जब स्थानीय निकायों में एक–तिहाई प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और यहां तक कि संविधान में एक स्थानीय सूची भी बनाई गई थी। जब वह संशोधन पारित हुआ था, तब यह आशंका थी कि क्या महिलाएं स्थानीय निकायों के सदस्य के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर पाएंगी। उस समय यह आशंका जताई गई थी। कुछ समय के लिए हमने विधायी निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने पर विचार नहीं किया। हम महिलाओं को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। अब हमारे पास अनुभव है। जिला पंचायत अध्यक्षों के रूप में वे हमारे जिलों में उचित रूप से कार्य कर रही हैं और हमारे पास बहुत अच्छा प्रशासन है। अनेक राज्यों में जहां तक पंचायत प्रशासन का संबंध है, इस बारे में मुझे पिछले आधी सदी से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। वर्ष 1953 में मैं पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। बाद में यह नगर निगम बन गया। अतः पंचायत प्रशासन के बारे में मेरा निजी अनुभव है। मैं दस से भी अधिक वर्षों तक पंचायत का अध्यक्ष रहा हूं। मैं 25 से भी अधिक वर्षों से विधायक रहा हूं। अब मैं तीसरी बार संसद में हूं। अतः अपने आधी सदी से भी अधिक के व्यापक अनुभव को देखते हुए मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि अब महिलाएं विधान मंडल की सदस्य बनने में सक्षम हैं। हाल के वर्षों में मेरा अनुभव है कि महिलाएं स्थानीय निकायों विशेषकर जिला पंचायतों का प्रशासन चलाने के योग्य एवं सक्षम थीं। जिला पंचायत का अध्यक्ष पद भी आरक्षित था। ऐसा विभिन्न कारणों से हुआ है कि वे पंचायत अथवा जिला पंचायत अथवा ब्लाक पंचायत अथवा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पद की चुनाव नहीं जीत सकीं। अतः हमने यहां भी आरक्षण दिया कि जिला पंचायत के एक–तिहाई अध्यक्ष महिलाएं हों। अधिनियम में ऐसा प्रावधान था। जब मैं विधान मंडल में था, वह अधिनियम पारित हुआ था और इसमें ज़िला पंचायतों के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान था। अब एक–तिहाई जिला पंचायतें महिलाओं द्वारा शासित हैं और यह बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं। हमारा अपना अनुभव है। तब एक–तिहाई ब्लाक पंचायतों के अध्यक्ष पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित थे। यह भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे थे। तब, ग्राम पंचायतों के एक–तिहाई अध्यक्ष पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित थे और यह बहुत बढ़िया था। अतः जहां तक निर्वाचन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का संबंध है, हाल के वर्षों में हमारा अनुभव अच्छा रहा है। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि महिलाओं को कानून बनाने की प्रक्रिया, शासन प्रक्रिया, राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए आरक्षण दिए बिना यह कहना निरर्थक है कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। हमारे दैनन्दिन अनुभव में महिलाओं का उत्पीड़न आम बात है।

[अनुवाद]

महिलाएं यात्रा नहीं कर सकतीं और यहां तक कि सड़क पर घूम भी नहीं सकतीं। पहले ऐसा नहीं था। अब तो महिलाएं रात के समय किसी सार्वजनिक सड़क से गुजरने की स्थिति में नहीं हैं। अपहरण, बलात्कार ये सभी घृणित अपराध महिलाओं के ऊपर किए जा रहे हैं। हम एक विशेष विधान बना रहे हैं कि ये गंभीर अपराध कौन–कौन से हैं और इस उद्देश्य के लिए विशेष संविधि की प्रक्रिया द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर रहे हैं। देश की यह स्थिति है। इसलिए हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। क्या हमें उन्हें अधिकार नहीं देना चाहिए? उनके पास प्रशासन को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। यह केवल तभी संभव होगा यदि उन्हें विधान मंडल के साथ–साथ संसद में भी समान प्रतिनिधित्व मिलेगा।

अब मैं यह कहूंगा कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं या राजनीतिज्ञों में कुछ की ऐसी सोच है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी जोखिम पर नहीं होना चाहिए। पुरुषों का प्रतिनिधित्व ही आज की व्यवस्था का द्योतक है। कुछ लोग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को अपनी पैतृक सम्पत्ति समझते हैं। वे यह सोचते हैं कि उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व केवल वही कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रतिनिधित्व उनके अपने पुत्रों द्वारा किया जाएगा उनकी पुत्रियों द्वारा नहीं। यह कुछ लोगों की सोच है। इन लोगों ने देश में ऐसी स्थिति बना दी है कि केवल वे ही चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इसलिए किसी विशेष संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को पुरुषों के लिए स्थाई तौर पर निश्चित नहीं किया जा सकता या उनके लिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

अब जबकि इन मामलों पर चर्चा की गई तो तीन प्रस्ताव सामने आए हैं। पहला यह कि संसद में 540 स्थान हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसलिए 180 स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना है। एक प्रस्ताव है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 720 की जाए। 540 पुरुषों के लिए रहें और 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में दो संसद सदस्य होंगे–एक पुरुष संसद सदस्य और एक महिला संसद सदस्य–यह प्रस्ताव है जो कुछ वर्गों द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जो हास्यास्पद है। इससे राजकोष पर भी भार पड़ेगा। संसद में लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए कर दाताओं को देश में 700 संसद सदस्यों पर होने वाले खर्च को वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार किसी विशेष संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक पुरुष संसद सदस्य और एक महिला संसद सदस्य होगी, जो कि बहुत–बहुत हास्यास्पद है। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते परन्तु फिर भी यह अभी भी विचाराधीन है।

एक अन्य प्रस्ताव जिस पर अभी इस समय विचार चल रहा है, वह यह है कि वस्तुतः जब कुछ राजनीतिक दल, पंजीकृत राजनीतिक दल उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करते हैं तो यह निर्वाचन आयोग को देखना है कि वे घोषित स्थानों में से एक–तिहाई स्थान महिलाओं को देने का प्रस्ताव करते हैं कि नहीं। यह भी कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थान आरक्षित करना असंभव बात है। परन्तु फिर भी इस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। निर्वाचन आयोग आरक्षित 180 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में दोहरे प्रतिनिधित्व पर भी विचार कर रहा है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें एक पुरुष सदस्य और एक महिला सदस्य होंगे, एक अन्य मामला है, जिस पर विचार किया जाना है।

अन्त में, हमारे नेता इस सभा, विशेषकर संसद में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर्वसम्मति एक आसान बात नहीं है। हमने सर्वसम्मति बनाने का कई बार प्रयास किया पर असफल रहे। इस तरह की प्रक्रिया में सर्वसम्मति कभी नहीं बनती है। इसलिए मैं सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि अपने इस कदम पर पुनर्विचार करें। हमें एक साहसिक निर्णय लेना चाहिए। विधेयक को अपने रूप में पारित किया जाना चाहिए। इसे सभा में पेश किया जाना चाहिए, इस पर समुचित चर्चा की जानी चाहिए और विधेयक के पारित होने या पारित नहीं होने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए। यह सर्वसम्मति से नहीं हो सकता। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में सभा में कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकती क्योंकि केवल कुछ लोग ही इसका विरोध कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसलिए मैं संबंधित राजनीतिक दलों और माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे साहसिक रूप से सामने आएं और विधेयक को सभा में पेश किया जाए। हमने काफी लम्बी चर्चा कर ली और चर्चा की समाप्ति के समय हम एक समुचित और लोकतांत्रिक निर्णय ले सकते हैं।

महोदया संप्रग नेता इस तथ्य से अवगत हैं कि विपक्ष भी महिलाओं को सभा में प्रतिनिधित्व दिए जाने के पक्ष में हैं। जब हम सभी इस विधेयक पर एक साथ चर्चा करेंगे तो सभी दलों का असली रूप सामने आएगा और हम यह जान पाएंगे कि क्या भाजपा अपनी बात पर कायम है या अन्य राजनीतिक दलों का इस मामले पर क्या मत है, वह भी सामने आ जाएगा। इसलिए संप्रग सरकार को इस विधेयक को पेश करने और सभा द्वारा इसे पारित करवाए जाने का राजनीतिक साहस दिखाना चाहिए ताकि हम सभी महिला आरक्षण और उनके सशक्तीकरण के वास्तविक चैम्पियन बन सकें। अन्यथा हमारे सारे दावे खोखली बातें बन कर रह जाएंगी।

इसलिए मैं एक बार पुनः सरकार से अनुरोध करूंगा कि विधेयक को सभा के समक्ष लाया जाए ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें और इसे लोकतांत्रिक तरीके से पारित कर सकें।

सभापति महोदया : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि कृपया संक्षिप्त भाषण दें क्योंकि वक्ताओं की सूची काफी लम्बी है और हमें इन सभी को समय देना है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, श्री सी. के. चन्द्रप्पन साहब का यह निजी विधेयक जिसमें राज्य विधान सभा और संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। हम इस बिल पर उस समय चर्चा कर रहे हैं जब आज सुबह प्रधान मंत्री जी ने विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाया था ताकि इस पर सहमति बने, इस पर चर्चा हो और मिल बैठकर कोई फैसला हो जाए।

मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों में प्रतिस्पर्धा है कि महिलाओं के सवाल पर कौन ज्यादा बोले, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए कि फलां पार्टी महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन दोनों पार्टियों में अन्तर्विरोध है और उसे ये स्वयं जानती हैं, परन्तु उस

सच्चाई को इन पार्टियों के लोग न तो सदन में स्वीकार करते हैं और न सदन के बाहर स्वीकार करते हैं।

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : समाजवादी पार्टी का इस मामले में क्या स्टेंड है, यह बताएं?...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : आप में और हम में इतना अन्तर है कि हम बोलते हैं और आप कागज फाड़ते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : थावरचन्द गेहलोत जी, आप हमसे ज्यादा शिष्ट हैं, आपको मुबारक हो। महोदया, श्री थावरचन्द गेहलोत की हालत थोड़ी सी खराब है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टियों में एक प्रतिस्पर्धा है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी महिलाओं के आरक्षण के हक में है। हम उसके विरोधी नहीं हैं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उस पार्टी से हूं जिसके प्रमुख डा. राम मनोहर लोहिया थे और जब वे पिछड़ों के साथ इंसाफ करने की बात करते थे, तो पिछड़ों के साथ महिलाओं को भी जोड़ने की बात करते थे।

यह सही है कि समाज में महिलाओं की उपेक्षा हुई है और हम सब लोगों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए कि उनके साथ कैसे इंसाफ हो। इससे बड़ी एक समस्या और भी है और वह है कि महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनें, उनमें आत्मसम्मान कैसे आए और महिलाओं की जो औसतन साक्षरता दर है, वह कैसे बढ़े। मैं समझता हूं कि इन सवालों पर भी जोर देने की आवश्यकता है। मैं गुण–दोष के आधार पर नहीं कहना चाहता हूं, और मैं पुरुष और महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि उन्हें समर्थ बनना पड़ेगा। महिलाएं असेम्बली में जाएं, संसद में जाएं, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। महिलाओं का ग्राम पंचायतों में आरक्षण हुआ, अनेक महिलाएं पंचायतों की प्रधान बनीं, लेकिन जो पढ़ी–लिखी थीं, जो अपने अधिकारों को जानती थीं, वे ही सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। जहां शिक्षित महिलाएं नहीं हैं, जहां वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं, वहां निश्चित रूप से उन्हें दिक्कत आती है। जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है कि महिलाओं में साहस बढ़े, वे शिक्षित होने का प्रयास करें।

सभापति महोदया, यह बात सही है कि 1996 से 2000 तक इस विधेयक को कई बार सदन में लाने का प्रयास किया गया। 14 दिसम्बर, 1998 को लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया। जो सबसे बड़े खतरे हैं, जिन खतरों का जिक्र किया गया कि आरक्षण के नाम पर अभिजात्य वर्ग की महिलाएं और कुछ विशेष जाति की महिलाएं इस संसद में आ जाएं, विधान सभाओं में पहुंच जाएं और उन्हीं के बारे में हम यह कहना शुरू कर दें कि महिलाओं का आरक्षण हो गया है, तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं है। महिलाओं के आरक्षण से पहले आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो दलित महिलाएं हैं, उनका क्या होगा, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनका क्या होगा और पवन कुमार बंसल जी, बताइए कि जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे? मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जैसा आपने जिक्र किया कि पतियों का साया जिन पर रहा, वे महिलाएं आगे बढ़ीं, जिन पर पिता का साया रहा, वे महिलाएं आगे बढ़ीं, खतरे ये भी हैं कि कहीं मित्र महिलाओं को भी आरक्षण के नाम पर आगे बढ़ाने का अवसर न मिल जाए, यह भी एक खतरा है। सही मायने में जो दबी–पिसी महिलाएं हैं, जिनको आवाज देने की आवश्यकता है, जिनके अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन की आवश्यकता है, उनके लिए जब तक आप आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं होगा।

जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि न तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत इस सदन में रहा और न कांग्रेस पार्टी का बहुमत इस सदन में है। यह मिली–जुली सरकारों का दौर चल रहा है। यूपीए की जो सरकार है, इसके लिए जो घटक दल हैं, उन घटक दलों की एक राय नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है और जो दूसरे दल हैं, जब आप लोग इधर बैठे थे तो आपकी जो राय है, वह शिवसेना की राय नहीं है, वह जेडीयू की राय नहीं है और कुल मिलाकर जो हर पार्टी के मित्र दल हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन दलों में भी एक राय इस महिला आरक्षण के सवाल पर कभी नहीं रही। इसीलिए कोई आम सहमति नहीं बन पाई।

पिछली लोक सभा में मुझे ख्याल है कि 13वीं लोक सभा में जब महिला आरक्षण पर चर्चा हुई और जब बिल पेश करने की बात आई तो उस समय लोक सभा के अध्यक्ष जोशी जी थे। जोशी जी ने हस्तक्षेप किया और उस समय एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई। जो बिल का प्रारूप बनाया जा रहा था, उसमें यह व्यवस्था थी कि एक बार जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो जाएगी, वह अगली बार महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं होगी। हम लोक सभा के सदस्य हैं। हमारा जनता के साथ जज्बाती रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है, लोगों के बीच जाना हमारी मजबूरी इसलिए होती है कि अगर उनसे हमारा रिश्ता नहीं रहेगा तो अगली बार हम लोक सभा में चुनकर नहीं आएंगे, उनके बीच काम नहीं करेंगे तो उनके बीच जाना मुश्किल हो जाएगा, हमारे मतदाता हमें वोट नहीं देंगे और जब ऐसा हो जाएगा कि एक बार जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, वह दोबारा नहीं होगा तो कौन महिला या पुरुष उस लोक सभा या विधान सभा क्षेत्र में जाने का काम करेगा। उसमें

[श्री रामजीलाल सुमन]

यह दोष था तो एक राय बनाने की कोशिश की गई और लोक सभा अध्यक्ष जोशी जी से कह दिया गया था कि सभी दलों को मिलाकर एक राय आप बना लें, एक सर्वसम्मत फैसला, एक सर्वसम्मत फार्मूला तैयार करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से इस सदन में इस गम्भीर सवाल पर बंटवारा न हो। उस सवाल पर एक राय नहीं बन पाई, यह दुर्भाग्य है। लेकिन मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि इस पर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे सदन में कोई दल ऐसा नहीं है, जो महिलाओं के साथ इंसाफ न करना चाहता हो, उनके खिलाफ हो, लेकिन सवाल है और करुणा जी मुझे माफ करें, हमारे लोग या आपके लोग लोक सभा में क्या बोलते हैं, विधान सभा में क्या बोलते हैं और लोक सभा की गैलरी में क्या बोलते हैं, उन बातों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। यहां की भाषा और वहां की भाषा में बड़ा फर्क होता है, तो आज यही सबसे बड़ा सवाल है, जिस सवाल पर इस सदन को बांटने की आवश्यकता नहीं है।

समाजवादी पार्टी की यह राय है कि सभी दलों से अलग–अलग बात करके एक ही रास्ता है कि निश्चित प्रतिशत तय हो जाए कि इतना प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण जरूरी है और चुनाव आयोग को यह अधिकार मिल जाए कि जो राजनैतिक पार्टी इतने प्रतिशत महिलाओं को टिकट नहीं देगी तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समाजवादी पार्टी की इस सवाल पर यही राय है, यही स्टैंड है। फिर मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह धारणा फैलाना कि समाजवादी पार्टी तो महिलाओं के आरक्षण के हक में नहीं है, मैं समझता हूं कि यह बेबुनियाद और मिथ्या आरोप है। महिलाओं को इंसाफ मिले, महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन आम सहमति इस पर बने और चुनाव आयोग को यह अधिकार हो कि जो राजनैतिक पार्टी सहमति के बाद महिलाओं को टिकट देने में उतने प्रतिशत आरक्षण नहीं देगी, उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

बस मुझे यही निवेदन करना था।

श्री राजाराम पाल (दिल्लीर) : मैं आज भी चन्द्रप्पन जी द्वारा लाए गए विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश के संविधान निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत महिलाओं के आरक्षण पर ही नहीं समाज के हर क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण की व्यवस्था दी थी। व्यवस्था देते समय उन्होंने जो शंका जाहिर की थी, वह आज आजादी के 57–58 साल के बाद पूरी तरह से सही नजर आती है। संविधान की प्रस्तावना थी कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी–कपड़ा–मकान और शिक्षा की पूर्ति हो। जिनके पैरों में चप्पल नहीं हैं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, पेट में भोजन नहीं है ऐसे लोगों के लिए आजादी के इतने सालों के बाद भी, इस सदन के लोग नेक–नीयती से उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम नहीं कर पाए हैं। उनके पास हमारे पास आने तक का पैसा नहीं है, अपनी व्यथा कहने के लिए शब्द नहीं हैं। उनकी बेहतरी के लिए इस सदन में बैठकर चर्चा होगी, उनकी बेहतरी के लिए कुछ इंतजामात होंगे, लेकिन आजादी के 57–58 साल के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ पाया है। आज महिला आरक्षण विधेयक पर बात हो रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोगों की मंशा अच्छी नहीं होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। यह बात महिला विधेयक पर भी लागू होती है। इसका राजनीतिक लाभ तो सभी लोग लेना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में उनके आर्थिक–सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने के प्रति कोई गंभीर नहीं है। चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने वाला भारत लाना चाहती है। मैं तो आज कहना चाहता हूं कि महिलाओं के बारे में बड़े–बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उनके अधिकारों के संरक्षण की बात आज तक नहीं हो पाई है। उन गरीब, कमजोर महिलाओं, लोगों के लिए जिनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, उसको 57–58 साल की आजादी के बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। सदन में बैठे वे लोग, जो उस आरक्षण के तहत चुनकर आते हैं, उस आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करवाने में सक्रिय नहीं हैं। वे इसलिए बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें खतरा है कि आरक्षण की बात करने से उनका टिकट कट जाएगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस सदन में उन लोगों को आरक्षण देते समय डबल वोट की व्यवस्था की थी। डबल वोट की व्यवस्था के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था, जब आरक्षित सीटों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अपने वोटों से चुनकर आएंगे तो वे किसी के इशारे के, किसी की मदद के मोहताज नहीं रहेंगे। वे अपने समाज के हित में सदन में बखूबी अपनी बात उठाने में कोई कोर–कसर नहीं रखेंगे। वह अधिकार छिन जाने के कारण उसका इम्प्लीमैंटेशन 57 साल में भी नहीं हो पाया है। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि महिला विधेयक पास होने के साथ–साथ श्री रामजीलाल सुमन ने जो आम राय बताई, वह आम राय होनी ही चाहिए, क्योंकि जब महिलाओं के हितों के बारे में बड़े–बड़े दावे भरे जा रहे हैं, तो बैठकर तय हो जाना चाहिए कि कितना आरक्षण लागू होना चाहिए। मेरी मांग है कि आरक्षण लाने से पहले उसमें दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं के बारे में भी इस सदन को गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि

अगर हम वास्तव में महिलाओं को हक देना चाहते हैं, उनको स्वाभिमान और सम्मान की जिन्दगी बसर करने के लिए पूरी तरह अधिकार देना चाहते हैं, तो सदन में जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी तरह बहस कराने के बाद, आम राय बनाने के बाद कि कितना आरक्षण होना चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : 16 साल हो गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजाराम पाल : मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें आम सहमति बने। महिला सशक्तीकरण के लिए जो बिल लाया गया है, मैं उसका बलपूर्वक समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती के. रानी (रासीपुरम) : सभापति महोदया, त्रिचूर के माननीय संसद सदस्य श्री सी. के. चन्द्रप्पन द्वारा पेश किए गए संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। इस संकल्प का आशय सभी राज्यों की विधान सभा तथा संसद में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों को आरक्षित करने हेतु एक समुचित विधान लाना है। मैं, इस संकल्प का पूर्णतः समर्थन करने हेतु खड़ी हुई हूं।

अपराह्न 4.38 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय, चूंकि हमारे पास अधिक समय नहीं है, अतः सशक्तीकरण के इतिहास पर एक सरसरी नजर डालें और उसके पश्चात् वर्तमान में जो वास्तविकता है, उस पर भी नजर डालें इससे पूर्व कि मैं सरकार को एक ऐसा संकल्प लाने के लिए पुनः बार–बार कहूं।

महोदय, विश्व के मतदाताओं में से आधी महिलाएं हैं, परन्तु वे कई प्रकार से वंचित हैं। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है बल्कि वास्तविकता है। महिलाओं का राजनीति में अधिकार मानवाधिकार का ही अभिन्न अंग है। अतः राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच एक भागीदारी लाने हेतु राष्ट्रीय संसद सर्वाधिक वैधानिक तथा उपयुक्त संस्था है। परन्तु एक ओर तो हमारे संविधान, विधान, नीतियों तथा कार्यक्रमों में जो लक्ष्य उल्लेखित किए गए हैं, उनमें तथा दूसरी ओर भारत में महिलाओं की वास्तविकता में जो स्थिति है उसमें अत्यधिक अन्तर है। जिसके परिणामस्वरूप, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों पर अपर्याप्त पहुंच रही, जिसके कारण वे हाशिये पर रह गयीं तथा सामाजिक तौर पर परित्यक्त हो गई हैं।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु एक राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया। हाल के वर्षों में सशक्तीकरण के प्रश्न पर तथा इस अस्पष्ट अवधारणा के लिए स्पष्ट एवं कल्पनात्मक फ्रेमवर्क का विकास करने हेतु काफी कार्य हुआ है। हम सभी को पता है कि सशक्तीकरण का लक्ष्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक संसाधनों पर पहुंच हो तथा उन पर उनका नियंत्रण हो। अतः इस सन्दर्भ में आरक्षण नीति को देखा जाना चाहिए न कि हर बात के लिए उसे सर्वौषध या पूर्वापेक्षा के तौर पर। अतः यह स्पष्ट है कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु आरक्षण एक महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक है। इस परिणाम को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली कई समितियां हैं और हमने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन और सेमिनार किए हैं जो इस विचार से सहमत हुए हैं।

अब, हमारी संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ तथ्यों पर विचार करें। पहली लोक सभा में, 22 महिला सदस्या थीं, जो दूसरी लोक सभा में बढ़कर 25 हो गईं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्यारहवीं लोक सभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर केवल 40 हो पाई है यद्यपि आठवीं लोक सभा में 44 महिला सदस्या थीं, जो सभा के सदस्यों की कुल संख्या का मात्र 8.1 प्रतिशत है। चौदहवीं लोक सभा में 45 महिला सदस्या हैं, जो 8.3 प्रतिशत है। राज्य सभा में भी यह प्रतिशत 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच रहा है। इसलिए हम पाते हैं कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है, विशेषकर जब हम इसकी तुलना विश्व के अन्य देशों से करते हैं जहां यह अत्यन्त संतोषजनक है। हमें इन आंकड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है। वैसे भी सभी इन तथ्यों और आंकड़ों के बारे में जानते हैं क्योंकि ये आंकड़े उपलब्ध हैं।

73वें संविधान संशोधन के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के संतुलन के लिए इस उपाय पर व्यापक बहस हुई है। इस मुद्दे को आरक्षण नीति पर छिड़ी लम्बी बहस के कारण और तीक्ष्णता मिली है जिसके कारण कई मतभेद और विरोधी मत सामने आए हैं। परन्तु आशावादी लोग यह तर्क देते हैं कि औपचारिक राजनीतिक शक्ति क्षेत्र तक महिलाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अपने आप परिवर्तन आएगा। उनका यह भी मानना है कि महिलाएं कम भ्रष्ट होंगी और पुरुषों की तुलना में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अधिक जिम्मेदार होंगी। मैं यहां बैठे पुरुष सदस्यों के प्रति किसी दुर्भावना के बगैर ऐसा कह रही हूं।

73वें और 74वें संविधान संशोधनों के बाद संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने के लिए 1996 में 81वां संविधान (संशोधन) विधेयक लोक सभा में पुरःस्थापित

[श्रीमती के. रानी]

किया गया। यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया क्योंकि विधेयक को मूल रूप में पारित किए जाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। समिति ने सभा को अपनी सिफारिश दे दी और फिर इन सिफारिशों के साथ इसी उद्देश्य से 84वां संविधान (संशोधन) विधेयक 1998 में पुरःस्थापित किया गया। चूंकि ये विधेयक संबंधित लोक सभा के भंग होने के साथ व्यपगत हो गए, इसलिए 1999 में पुनः 85वां संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया, पर इस विधेयक पर भी सभा द्वारा विचार नहीं किया जा सका।

इसलिए हम अब तक यह पाते हैं कि संसद और राज्य विधान सभाओं में एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने के सभी प्रयासों को अत्यन्त सफलतापूर्वक रोक दिया गया। दूसरी ओर, यदि आप पिछले लगभग 15 वर्षों के अनुभव को देखें तो हम पाते हैं कि महिलाएं अधिक शिक्षित हैं और न केवल घरों के अन्दर परन्तु बाहर भी अधिक सक्षम हैं।

अब हमारे यहां केन्द्र में संप्रग सरकार है जो राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ सत्ता में आई है। मुझे विश्वास है कि यह अपने व्यापक अनुभव के आधार पर सभी बाधाओं को पार कर लेगी और शीघ्र ही यह महिलाओं को एक–तिहाई आरक्षण दिए जाने के लिए एक विधान लाएगी।

हमारे गृह मंत्री ने महिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल, जो कुछ महीने पहले उसे मिला था, को एक आश्वासन दिया था कि महिला आरक्षण विधेयक मानसून विधेयक में संसद में सभा पटल पर रखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करेंगे।

एक और मत जो तेजी पकड़ रहा है वह यह है कि जो हम समाचार–पत्रों में पढ़ते हैं कि सरकार संसद और राज्य विधान सभाओं में मौजूदा स्थानों के भीतर कोटा सृजित करने की बजाय 33 प्रतिशत स्थान और जोड़ने का प्रस्ताव कर रही है। चाहे यह किसी भी तरीके से किया जाए, यदि सभी को स्वीकार्य है, तो किया जा सकता है, पर इसे किया जाना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं समझती हूं कि महिलाओं के लिए आरक्षण एक सामाजिक आवश्यकता और एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक सशक्तीकरण आवश्यक है। इसलिए एक उपयुक्त विधान सभा में पुरःस्थापित और पारित किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पूरा समर्थन करती हूं और आशा तथा विश्वास करती हूं कि सरकार इस सत्र में ही इस प्रकार का विधान पेश करेगी और पारित करेगी।

सभापति महोदय : यह अच्छा है परन्तु इसे परिपाटी नहीं बनाएं। चूंकि आप एक महिला हैं और आप महिला आरक्षण की मांग करने वाले संकल्प पर बोल रही हैं, मैंने इस पर आपत्ति नहीं की। परन्तु इस तरह से दोबारा इस तरह के वक्तव्य नहीं दें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदय, आज यहां पर महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है। यह चर्चा केवल आज नहीं हो रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि सालों साल से यह चर्चा हो रही है। पहले मन में यह बात आती है कि यह सालों साल की चर्चा जब कोई महिला आरक्षण की या महिला से संबंधित बात आती है, तभी यह चर्चा क्यों होती है? चूंकि मैं सॉइक्लॉजी की विद्यार्थी रही हूं। इसलिए इस बात पर जब मैंने विचार करना शुरू किया और चूंकि मैं परिवार से विचार रखती हूं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे घर में होता है और अभी किसी ने यहां कहा कि सास ही बहू को तकलीफ देती है।

अब इस तरह की कमेन्ट करना हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोई सास या ननद ही बहू को तकलीफ देती है तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या उस घर ससुर नहीं होता है? मैं इस बात की चर्चा ही नहीं करना चाहती हूं लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि इस मानसिकता से हम आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। मेरे मन में यह विचार आता है कि कभी–कभी इस प्रकार की चर्चा जोर से क्यों होती है? हम परिवार में देखते हैं, परिवार स्त्री केन्द्रित होता है, भले ही हम इसे स्वीकार न करें। जैसे अगर घर की बहू नौकरी करने के लिए या किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने वाली है तो परिवार का हर सदस्य अपने–अपने तरीके से उस बात पर सोचता है। सास शायद यह सोचती होगी कि इतने सालों तक मैंने अपने बच्चे का पालन–पोषण किया, घर में काम करती है, खाना बनाती रही, अब अगर बहू भी घर से बाहर जाएगी तो फिर मैं वहीं पोते–पोती को संभालूं और घर के काम करती रहूं। इसलिए बहू को बाहर नहीं जाना है। ससुर को भी यह लगेगा कि अभी तक एक प्रकार से घर में मेरा हुक्म चलता था।

[अनुवाद]

मैं ही वह व्यक्ति था; मैं ही घर में निर्णय लेने वाला व्यक्ति था।

[हिन्दी]

अब अगर बहू घर से बाहर जाएगी, कुछ अपनी बात कहेगी, हो सकता है कि चर्चा में सम्मिलित हो जाए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सम्मिलित हो जाए क्योंकि स्वतन्त्र रूप से विचार करेगी तो हो सकता है कि मैं परिवार में अकेला डिसाइडिंग फैक्टर

न रहूं। उसके पति को यह लगेगा कि अब तक परिवार में मेरी भूमिका दाता की रही है, जो कमाई करके देता हूं, उसी से घर चलता है तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मेरा अकेला हाथ न रहे और कोई दूसरा ऐसा हाथ भी बन जाए। देवर सोचता है कि अगर यह नौकरी करने जाएगी तो मेरी नौकरी का क्या होगा, एक सीट कम हो जाएगी। जैसा कि यहां हो रहा है, हो सकता है कि मेरी एक सीट चली जाए। हर कोई अपने–अपने तरीके से सोचता है।

वास्तव में स्त्री में क्षमता नहीं है, ऐसी बात नहीं है लेकिन सालों साल से ऐसी किसी परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ या फिर किसी ने इस विषय पर सोचा ही नहीं। हां, एक व्यक्ति ने इस विषय पर ज़रूर सोचा था। यदि मैं उसका नाम लूं तो शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन जो बात ठीक है, उसे हमें ठीक तरह से ही लेना चाहिए। इस बात को जिस व्यक्ति ने ध्यान में रखा था वह थे महात्मा गांधी। मुझे यह याद है, एक शाम जब महात्मा जी बैठे प्रवचन दे रहे थे, महिलाओं की भी बात हो रही थी और वे हमेशा कहते थे कि मैं हिन्दुस्तान में राम राज्य के सपने देखता हूं, राम राज्य लाना चाहता हूं। बातों ही बातों में एक स्त्री ने प्रश्न पूछा था कि मुझे एक बात बताइए कि हम स्त्रियां किसे अपने सामने आदर्श के रूप में रखें? महात्मा जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुआ कहा कि हिन्दुस्तान की हर महिला को अपने सामने सीता का आदर्श रखना चाहिए। अगर ऐसा हो तो देश में राम राज्य आ जाएगा। इसे सुनकर उस स्त्री के मुंह से यह शब्द निकला कि महात्मा जी, जब स्त्री अपने सामने सीता का आदर्श रखे तो इसका मतलब है कि पुरुषों को अपने सामने राम का आदर्श रखना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि मैंने ऐसा कब कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा है क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर इस देश की स्त्री सीता बन जाएगी तो पुरुष को राम बनना ही पड़ेगा। यह मेरे वाक्य नहीं हैं, यह महात्मा जी के वाक्य हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, महिलाओं का आदर्श वह जंगल में जाने वाली सीता नहीं होनी चाहिए, उसे पार्लियामेंट में आने वाली सीता बनना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले कृपया व्यवधान नहीं डालें, वे आपकी बात से सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : श्री रामदास जी, आप में थोड़ा राम है, इसलिए आप बैठ जाइए।

इस स्त्री की क्षमता को महात्मा जी ने वास्तव में समझा था। अगर हम स्वतन्त्रता संग्राम को देखें, वैसे तो महिलाएं पुरातन काल से काम करती रही हैं।

लेकिन जिसे हम मॉब कहते हैं या सामान्य से सामान्य घर की स्त्रियां भी स्वतन्त्रता आन्दोलन में हिस्सा नहीं लेंगी, जब तक उनमें भी वह जागरूकता नहीं आएगी, तब तक देश को स्वतन्त्रता नहीं मिल सकेगी। इस सोच के साथ उन्होंने यह क्रम रखा और कहा कि हर घर की महिला को समझना पड़ेगा, चाहे वह स्वदेशी आन्दोलन हो, चाहे विदेशी कपड़ों की होली जलाने का आन्दोलन हो। इसलिए उन्होंने घर–घर में संदेश दिया, तब हमने भी देखा कि उस स्वतन्त्रता आन्दोलन में हजारों की संख्या में स्त्रियां आगे आईं और हमें स्वतन्त्रता मिली। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता चला गया कि वही स्त्रियां वापस घरों में बैठ गईं। इसलिए हम जब महिलाओं की आरक्षण देने की बात करते हैं, तो यह केवल लोक सभा, राज्य सभा या विधान सभाओं में कुछ स्थान देने की बात नहीं है, इस देश की राजनीति में हिस्सा लेने की भी बात है। यह देश कैसे चले, इसमें भी हमारी हिस्सेदारी हो।

इस देश की कृषि नीति कैसी हो, यह यहां तय किया जाता है। लेकिन आज आप देखें कि 80 प्रतिशत महिलाएं कृषि के क्षेत्र में काम कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि पुरुष बहुत कम तादाद में खेत में जाते होंगे। इसलिए देश की कृषि नीति तैयार करते समय यदि महिलाएं मौजूद न हों, तो कैसे आप एक सफल कृषि नीति बना सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि महिलाएं खेतों में हल चलाएं।

इसी तरह से श्रम नीति हम यहां तय करते हैं, तो सभी जानते हैं कि देश की 80 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली मजदूर हैं। हम जब यहां संसद में बैठते हैं, तो देश की नीति निर्धारण करते हैं चाहे वह विदेश नीति हो या महिलाओं के अधिकार संबंधी कानून बनाने की बात हो या राइट टू प्रापर्टी हो। किसी भी कानून को बनाते समय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भी ज्यादा से ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि लिए निर्णयों का असर उस पर भी प्रभाव डालता है। उसके रहन–सहन पर, उसके व्यवहार पर कहीं न कहीं वह निर्णय प्रभावित करता है। उससे वह ही नहीं, उसका पूरा परिवार भी प्रभावित होता है। यही सोच कर कि महिलाओं का सहभाग दिन–ब–दिन बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है, यह दृश्य सामने आया है और यह बात सामने आई है कि हम यूं ही नहीं आरक्षण की बात कर रही हैं।

मुझे कभी–कभी आश्चर्य होता है कि पुरुषों ने अपने आप मान लिया कि यह समाज अपना है। उन्होंने अपने आप मान लिया कि मैं कुछ देने वाला हूं, दाता हूं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों को मिलाकर ही जैसे घर–गृहस्थी चलती है, वैसे ही देश की गति चलेगी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

बातें यहां कही गईं, जो कमेंट्स यहां महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर किए गए, उस पर मैं अपने विचार रख रही हूं कि हम क्यों इसके लिए यह भूमिका बांध रहे हैं। यह केवल किसी वर्ग को कुछ प्रतिशत स्थान देने की बात नहीं है, यह मानसिकता तो हमने अपने आप बना ली है कि मैं कुछ हूं, एक पुरुष ही सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं मानती कि महिला पुरुष से श्रेष्ठ है। जब आरक्षण की बात आती है, तो उसमें शिक्षा की भी बात आती है कि अगर इन्हें आरक्षण दे दिया गया, तो फिर अधिकांशतः शिक्षित महिलाएं ही चुन कर आएंगी, अशिक्षित रह जाएंगी। अगर हम आंकड़े देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। केरल में सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रतिशत है और राजस्थान में काफी कम है। लेकिन केरल की विधान सभा में आप देखें तो पाएंगे कि वहां महिलाओं का अनुपात दिन–प्रतिदिन कम होता जा रहा है। पहले तीन से चार प्रतिशत के बीच था, जो अब एक प्रतिशत आ गया है। लेकिन राजस्थान में आप देखें तो वहां विधान सभा में महिलाओं की भागीदारी चार प्रतिशत से बढ़कर पांच प्रतिशत हो गई है। ऐसी बात नहीं है कि महिला शिक्षित हो गई तभी कुछ हल निकल सकेगा। सभी जानते हैं कि "चिपको आन्दोलन" चलाने के लिए उन अशिक्षित महिलाओं को किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ा था। उनकी अन्दर की संवेदना ने उन्हें सिखाया और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ आन्दोलन चलाया।

सभापति महोदय, समान अवसर की बात होती है तो केवल महिला सांसदों के दिल की बात ही नहीं होती है, पुरुष सांसदों के दिल की बात या डर की बात भी होती है। इसलिए यह कोई छोटी बात नहीं है। जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं तो कहीं न कहीं संपूर्ण महिला समाज को बदलने की बात करते हैं।

आजादी के आन्दोलन में हजारों महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलीं, लेकिन आज वे कहां हैं? अब तो मिसिंग वूमैन की बात होने लगी है लेकिन आज वह बात हम यहां नहीं करेंगे। अगर हम आजादी के बाद का पूरा इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि संपूर्ण महिला वर्ग ही बदलता चला गया। चाहे महिला आईएएस हों, ट्रक ड्राइवर हों, रिक्शा चलाती हों, हवाई जहाज चलाती हों, ये सब उदाहरण के लिए ठीक हैं लेकिन क्या उन्हें हर क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त होता है, वह अवसर उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए जो लोग दलित या पिछड़ी महिलाओं की बात कहते हैं, अल्पसंख्यक महिलाओं को अलग से आरक्षण की बात कहते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए,

[अनुवाद]

आरक्षण पहले से ही है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : हां, महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं।

[हिन्दी]

हम जो कर रहे हैं यह संविधान में संशोधन है और संविधान में कहीं भी पिछड़ा करके अलग से आरक्षण नहीं है या अल्पसंख्यक करके आरक्षण नहीं है। अगर करना है तो पुरुषों के लिए भी करो, स्त्रियों के लिए भी करो। अगर महिला पिछड़ी या अशिक्षित भी हो, तो भी दूसरी महिला की बात उतनी ही संवेदना के साथ समझ सकती है।

अलग–अलग तरीकों की बात होती है। सालों से हमारे विचार चल रहे हैं। पहले बिल पर पूरी कमेटी बैठी, जिसकी अध्यक्षा गीता मुखर्जी थीं। सब ने सोच–समझकर एक बिल तैयार किया, लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में पड़ गया। फिर हम सोचने लगे कि चुनाव आयोग पार्टियों के लिए कुछ तय करे कि इतने प्रतिशत आप महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करें। लेकिन उसके बाद भी बात आगे नहीं बढ़ी। फिर हो गया कि डबल सीटें करो, फिर आ गया कि सीटें ही बढ़ाकर 900 कर दो उसमें महिलाओं को आरक्षण दे दो। कभी–कभी इस बात पर दुःख होता है कि अपने ही साथियों को आरक्षण देने के लिए हम इतना क्यों सोचते हैं। अब तो स्थिति ऐसी आ गई कि सभी पार्टियों की महिलाएं जो आरक्षण का समर्थन कर रही हैं, कहती हैं कि कुछ भी करो, लेकिन इस बात को मान्यता तो दो। निर्णय लेने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आ जाएं, इसके लिए एक कदम तो बढ़ाओ–ऐसी स्थिति आना कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि कुछ भी करो, लेकिन कहीं न कहीं यह बात सिद्ध हो जानी चाहिए और आरक्षण मान लिया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति जी, जाते–जाते मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आखिर महिला आरक्षण क्यों? जो मेरे मन में है, सालोंसाल से हम वही उदाहरण देते आए हैं–"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी" यह बोलते हुए हमें बड़ा मजा आता है। मेरा तो इस संबंध में दूसरा कहना है। हम आरक्षण क्यों मांगते हैं? हम निर्णय लेने में महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा सहभाग क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम महिलाओं से यह कहना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब "सबला बनकर लिखो नई कहानी, मन में विश्वास, बनो स्वाभिमानी, राष्ट्राभिमानी", ऐसी महिला शक्ति को हम तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री ए. कृष्णास्वामी बोलेंगे। कृपया

संक्षेप में ही बोलें क्योंकि महिलाएं बोलने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। इसलिए, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर) : डीएमके पार्टी की ओर से मैं गैर–सरकारी सदस्य के इस संकल्प का समर्थन करता हूं। हमारी डीएमके पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने तमिलनाडु में इस आन्दोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हमारी पार्टी के संस्थापक नेता श्री पेरियार ने महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने विधवा विवाह के लिए संघर्ष किया। एक कवि थे भरतियार जिनका जन्म पांडिचेरी में हुआ था।

सभापति महोदय : इस संकल्प पर चर्चा के लिए आवंटित समय अब समाप्त हो गया है। यदि सभा की सहमति हो, तो यह समय एक घंटा बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : ठीक है, चर्चा के लिए यह समय 6 बजे अपराह्न तक बढ़ाया जाता है।

श्री ए. कृष्णास्वामी : तमिल में एक कहावत है जिसे महान कवि भरतियार ने कहा है। कहावत इस प्रकार है :

"पट्टंगल अलवाथुय सट्टंगल साइवाथुय
पारिनिल पेन्नगल नादथ्था वांढोय"

महान कवि की सोच भविष्य के बारे में थी और उन्होंने इसे 1930 से पहले कहा था जिसका मतलब है कि भविष्य में महिलाएं शिक्षित (स्नातक) होंगी और देश पर शासन करेंगी। अब ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी की नेता मैडम इंदिरा गांधी ने इस देश पर शासन किया। आज हमारी डाइनैमिक नेता श्रीमती सोनिया गांधी इस देश का मार्गदर्शन कर रही हैं।

यही नहीं आज हम देखते हैं कि कई महिला सदस्य समाज के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि स्थानीय निकायों में, स्थानीय पंचायतों में महिला चेयरमैन और सदस्य बहुत ईमानदार होती हैं और वे समाज के लिए कठिन संघर्ष और मेहनत कर रही हैं...*(व्यवधान)* कुछ भ्रष्ट हो सकती हैं....* वह अलग बात है। कुछ कुमारी ममता बनर्जी जैसी भावुक हो सकती हैं, जैसा कि वे कल थीं। हमें उस पर ध्यान नहीं देना है।

सभापति महोदय : अब प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए केवल पांच–पांच मिनट का समय मिलेगा क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं और समय केवल 60 मिनट का है।

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, 1967 से हमारी पार्टी डीएमके तमिलनाडु में चार बार सत्ता में रही है। पहली बार हमारे संस्थापक नेता श्री पेररिगनार मुख्यमंत्री थे। फिर हमारे प्रिय नेता डा. कलिंगर करुणानिधि मुख्यमंत्री थे।

1967 से ही हमने महिला मंत्री को शामिल करना अनिवार्य बनाया। यही नहीं, इस 14वीं लोक सभा में भी हमारी पार्टी के 15 सदस्यों में से तीन महिला सदस्य हैं जिनमें एक मंत्री भी हैं। 1989 में जब हमारी पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में थी तो हमने महिलाओं को सम्पत्ति में समान अधिकार देने संबंधी विधान बनाया था। हमने एक कानून बनाया था कि पुरुषों और महिलाओं को उनकी पैतृक सम्पत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए।

हमने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया।

1996 में जब हम एक बार फिर सत्ता में आए तो हम स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का विधान लाए। इसके अलावा हमने अपनी पार्टी में एक यह भी प्रावधान किया है कि आधार स्तर से लेकर हाईकमान तक सभी उपसचिव महिलाएं होंगी। इस मामले में हमारी पार्टी का यही रुख था।

श्री रामजीलाल सुमन ने भी यहां उल्लेख किया था कि यदि हम इस विधेयक को लाते हैं, तो आरक्षण संबंधी पहलू का अनुसरण किया जाना चाहिए। अन्यथा, दलित, पिछड़े और अनुसूचित जाति समुदाय के लोग इसमें उपेक्षित रह जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारी महिलाएं अगड़ी जाति की महिलाओं की तुलना में काफी पिछड़ी हुई हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि अगड़ी जाति समुदाय के लोग कम से कम 25 साल आगे हैं, क्योंकि वे लोग नौकरी करते रहे हैं। वे नौकरी करने के लिए बाहर भी जाते रहे हैं। दूसरी ओर, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों ने तो नौकरी करना अभी शुरू ही किया है।

प्रारम्भिक स्थिति में महिला प्रतिनिधि अपने पति आदि जैसे पुरुष सदस्यों के समर्थन या सहायता के बगैर काम नहीं कर सकती थीं। इसलिए वे लोग हमेशा प्रभावशाली बने रहते थे। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो उनके लिए यह उपयोगी होगा। इस मसले पर हमारी पार्टी का यही दृष्टिकोण है। अन्यथा, समाज के प्रभावशाली तबके के लोग इसका लाभ उठाएंगे और अगड़े वर्ग की महिलाएं लोगों की प्रतिनिधि होंगी। प्रतिनिधि के रूप में वे राज्य विधान सभाओं में और संसद में आएंगी और यह व्यवस्था दलित लोगों के लिए उपयोगी नहीं होगी। अतः एक आरक्षण नीति होनी चाहिए और इसका मैं अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : धन्यवाद, सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी विधान मंडलों और

*सभापति के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

संसद में महिला आरक्षण का समर्थन करती है। श्री सी. के. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प में यह मनोवृत्ति स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है अर्थात् संसद के दोनों सदनों और साथ ही इस देश के विभिन्न विधान मंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अतः मेरी पार्टी इसका समर्थन करती है।

यह मुझे उस बात की याद दिलाता है कि यह बीजू पटनायक ही थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के अपने द्वितीय कार्यकाल के दौरान अर्थात् 1990 के पूर्वार्ध में, इस संसद में किए गए तेहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों से पूर्व ही उड़ीसा के पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत अथवा एक–तिहाई आरक्षण आरम्भ किया था।

तदन्तर, यह सेल्वी जे. जयललिता ही थीं जिन्होंने तमिलनाडु में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण आरम्भ किया था। ये ऐसे दो राज्य थे जिन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण आरम्भ किया था। तत्पश्चात् केरल राज्य ने भी महिलाओं के लिए आरक्षण आरम्भ किया था। तदन्तर, तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संशोधन किया गया था और पंचायती राज संस्थानों और साथ ही शहरी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, जब हम 1996 में सत्ता में आए थे तब हमने तमिलनाडु राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था न कि सेल्वी जे. जयललिता ने। जब डीएमके पार्टी सत्ता में आई तब डा. कलाईंगार एम. करुणानिधि ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में इसे आरम्भ किया था, न कि सेल्वी जे. जयललिता ने। अतः माननीय सदस्य द्वारा उद्धृत इस भाग को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। यह गलत है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री कृष्णास्वामी, माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। सभी को इस सभा में बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, माननीय सदस्य सभा में गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। इसे कैसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति दी जा सकती है? यह गलत है...*(व्यवधान)* यह 1996 में डा. कलाईंगार एम. करुणानिधि के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल के दौरान आरंभ किया गया था।...*(व्यवधान)* अतः मेरा अनुरोध है कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा कहना है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने विवेकाधिकार से विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण अधिनियमित किए हैं।

अपराह्न 5.10 बजे

(श्रीमती सुमित्रा महाजन पीठासीन हुईं)

इस दुनिया की विभिन्न संसदों में जाति, धर्म, भाषा के संबंध में और यहां तक की अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण दिया जाता रहा है। लिंग के आधार पर आरक्षण प्रदान करना एक बिल्कुल नई परिकल्पना है। इस परिकल्पना का निरूपण सर्वप्रथम 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ जब उसने 1975 से 1985 का दशक 'महिलाओं का दशक' के रूप में घोषित किया तदन्तर 1985 में लोक सभा और राज्य सभा के कुछ सदस्यों का दल अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में भाग लेने बिजिंग गया था। वहां राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, जिसे 'राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद भी कहा जाता है', में ही सर्वप्रथम यह प्रचार किया गया था कि महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व, विशेषकर 33–1/3 आरक्षण निर्णय लेने की प्रक्रिया के स्तर पर होना चाहिए। यहीं कहा गया था, यह निर्णय उस अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर लिया गया था। उस समय मेरे विचार से राष्ट्र संघ के 191 देश सदस्य थे जहां पर निर्णय लिया गया था कि विभिन्न देशों द्वारा अपने–अपने प्रशासनिक ढांचे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार यह विचार प्रतिपादित हुआ।

सभापति महोदया, जब आप महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंध में बात कर रहे थे तब आपने स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी ने जो स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान किया था उसके बारे में बताया था। मेरी मां भी उस स्वतन्त्रता आन्दोलन का हिस्सा थीं। उन्हें स्वयं महात्मा गांधी ने ही प्रोत्साहित किया था। उड़ीसा के दूरदराज के गांवों से अनेक महिलाओं ने हजारों मील की यात्रा न केवल महात्मा गांधी से मिलने के लिए अपितु अपने गहने अर्पित करने और साथ ही स्वयं को राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए समर्पित करने के लिए की थी। यह तब हुआ जब संपूर्ण राष्ट्र लिंग संबंधी पूर्वाग्रह त्याग कर एक साथ उठ खड़ा हुआ था। महात्मा गांधी के पास उनके लिए विशिष्ट परियोजना कार्य था। इस प्रकार समाज का विकास हुआ अन्तर्आत्मा का विकास हुआ और महिलाओं को शक्तियां दी गईं।

उसी समय, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि महोदया, महिलाओं को इस निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि 1993–94 से 2005 तक पंचायती राज संस्थानों, शहरी निकायों में महिलाओं के सशक्तीकरण के पश्चात् कितनी पुनरीक्षा की गई, उसके बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया में, प्रशासनिक प्रक्रिया में और मुख्यतः समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। निःसंदेह, समाज, घर और परिवार में भी पड़ने वाले प्रभाव पर मामले उठाए गए हैं यह एक अलग मामला है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो प्रभाव यह डालता है उसका कोई सर्वेक्षण करवाया गया है क्योंकि यह जरूरी है।

ऐसी एक बैठक में जहां विदेश से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि पहुंचते हैं, अनेक महिला सांसद इस बात पर उत्साहित थीं कि महिला सशक्तीकरण पर अनेक वर्षों से इस प्रकार के विधेयक पर चर्चा हो रही है। हमारी संसद में यहां महिलाओं के लिए 33–1/3 के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। वे भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं।

वे उत्साहित थे और उसी समय वे यह भी जानना चाहते थे यदि आयरिश अथवा आइसलैंड अथवा फिनलैंड किसी स्कैंडेनेवियन देशों की संसद में अनेक महिला सांसद पहुंच गईं तो उसका समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। उनके समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि अवधारणा स्तर पर निःसंदेह इस विचार का समर्थन किया जाना चाहिए परन्तु व्यवहारिक स्तर पर हमें पता है कि 1998 से 2005 तक क्या हुआ है और किसी निर्णय पर पहुंचने में सहमति क्यों होनी चाहिए।

मैं तो कहूंगा कि सं.प्र.ग. का मुख्य दल, राजग का मुख्य दल और इनमें जो मुख्य दल है वह इसका समर्थन करता है तो हम भी इसका समर्थन करते हैं। अतः इस विधेयक को इस सभा में प्रस्तुत करने और राज्य सभा में पारित करवाने में क्या समस्या है? इसमें कौन अड़ंगा डाल रहा है? इसे पारित करवाना कौन नहीं चाहता है? सभी महिलाओं का सशक्तीकरण चाहते हैं। परन्तु उसके साथ मैं महोदया आपके माध्यम से सभा का ध्यान दूसरे मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दसवीं अनुसूची को जोड़ने के बाद और दल–बदल विरोधी कानून लागू होने के बाद से बहुत भारी बदलाव हुए हैं। हम महिला सशक्तीकरण की बातें करते हैं ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लें। इस सभा में हम क्या निर्णय लेते हैं? विभिन्न विधान मंडलों में वास्तव में निर्णय नहीं लिया गया। हम सभी जानते हैं कि इस सभा में भी वास्तव में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कतिपय मुद्दों पर बहस और चर्चा होती है परन्तु वास्तव में निर्णय मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं; वास्तव में निर्णय पार्टी मुख्यालय में लिए जाते हैं। ऐसा बहुत कम ही होता है, निर्णय पर इस सभा में केवल सहमति की मुहर लगाई जाती है। परन्तु वास्तव में निर्णय वहां लिए जाते हैं।

चुनाव आयोग ने अपने विवेक से यह सुझाव दिया था कि विभिन्न राजनैतिक दल क्यों नहीं यह तय करते हैं और अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते समय एक–तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं परन्तु वहां असली निर्णय राजनैतिक दलों के मुख्यालयों में लिए जाते हैं। दल–बदल विरोध कानून जिसे दसवीं अनुसूची में शामिल किया गया में संशोधन करने के बाद ही दल के नेता को मुख्य स्थान मिल गया। इस सभा अथवा विधान मंडल में चुने गए सदस्य मुश्किल से ही नेता के निर्णय के विरुद्ध जा सकते हैं। यह नेता ही तय करता है कि उसकी पार्टी कैसे चलेगी; यह नेता ही तय करता है कि पार्टी किस तहर वोट देगी अन्यथा सदस्य अपनी सीट खो देगा। सभा निर्णय नहीं लेती है। फिर भी हम श्री चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हैं। हम समर्थन करते हैं कि यह सभा महिलाओं को सशक्त करे। सशक्तीकरण इस सभा में अथवा विधान मंडल में महिलाओं को एक–तिहाई प्रतिनिधित्व देने से प्राप्त होगा, इससे उन्हें सम्मान मिलेगा, मान्यता मिलेगी और अपनी पहचान मिलेगी। मेरे विचार से यहां इस बात की भी आवश्यकता है कि जैसे स्वतन्त्रता–पूर्व या स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान महिलाओं को जब समाज द्वारा, नेताओं द्वारा, राजनैतिक दलों द्वारा मान्यता दी गई तभी स्वतन्त्रता आन्दोलन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही। न जाने कैसे पिछले 58 वर्षों में, अनेक राजनैतिक दल अपने लक्ष्य से हट गए। मेरे विचार से इस समय राजनैतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए और महिला सदस्यों को सशक्त बनाने के प्रयास पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा करके वे लिंग संबंधी भेदभाव दूर कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार की मान्यता दी जाएगी तो फिर मैं कह सकता हूं कि बीजू जनता दल महिला आरक्षण का समर्थन करता है और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं महिला आरक्षण का समर्थन करता हूं।

सुश्री इम्ब्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट) : सभापति महोदया, मैं सभी राज्य विधान मंडलों और संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित करने संबंधी विधान लाने के लिए श्री सी. के. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदया, संसदीय निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का मामला विवादास्पद है। इस मुद्दे पर अनेक मंचों पर चर्चा हुई है और यह करोड़ों भारतीय महिलाओं की भावनाओं से जुड़ा मामला है जो यह चाहती हैं कि महिलाएं सत्ता में आएं जिसके लिए वे दावेदार भी हैं। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक संसद में नौ वर्ष पहले लाया गया था। यह देखते हुए कि कुल जनसंख्या में महिलाओं का 48.3 प्रतिशत है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत है, यह आवश्यक है कि उच्चतर स्तर पर शासन की जिम्मेदारी में महिलाओं की भागीदारी हो। अब औसत भारतीय महिला को पिछड़ी महिला नहीं माना जा सकता। रसोई से मंत्रिमंडल का सफर महिलाओं के विकास की कहानी कहता है।

अतीत में भी कुछ महिलाएं देश को प्रभावित करने वाले निर्णय करने और विधान बनाने में भागीदारी करने के लिए संसद तक पहुंची हैं। देश भर में महिलाएं जो अपने महिला हित को स्वयं समझती हैं, वे और अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता महसूस करती हैं। महिलाएं यह नहीं समझतीं कि महिला प्रतिनिधि उनके हितों

[सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड]

की रक्षा में अधिक समर्थ हैं। सभी निर्देशों और आंकड़ों के बावजूद महिलाओं को भारतीय संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी श्रमशक्ति होने के नाते महिलाएं अपने परिवारों का भरण–पोषण करती हैं। यदि महिलाएं उन सभी कार्यों, जो वे करती हैं, के लिए वेतन की मांग करने लगें, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। यहां तक कि हमारे माननीय वित्त मंत्री की भी नींद उड़ जाएगी। यदि भारत की सभी महिलाएं केवल एक दिन के लिए भी हड़ताल पर चली जाएं तो वह 'अभूतपूर्व आपदा' होगी।

अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रायोजित प्रदर्शनों द्वारा कुछ राजनीतिक हितों के समर्थन में बड़ी–बड़ी रैलियां और हड़तालें होती देखी हैं। क्या महिलाओं से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे अविवेकपूर्ण और हठी लॉबी जो यह नहीं चाहते कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो, को पराजित करने के लिए गलत तरीके अपनाएंगी।

महोदया, नौवीं योजना में महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति में राजनीति में भागीदारी के लिए समान अवसर देने की बात कही गई है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन यह केवल निम्न स्तरों तक ही क्यों है? योजना आयोग निश्चित रूप से यह संदेश देना चाहता है कि सभी विधायी निकायों में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी करने का यही सही अवसर है। क्या यह संदेश इस सम्माननीय सभा में बैठे सदस्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ आ गया है? योजना आयोग निश्चित अवधि के भीतर ही महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित करता है। यह सम्माननीय सभा इष्टतम समय–सीमा के भीतर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। महिला आरक्षण विधेयक, जो समग्र रूप में देश के समयबद्ध विकास के लिए आवश्यक है, मैं अत्यधिक विलम्ब करना, लोगों को संविधान में उल्लिखित न्याय से वंचित करना है। इस देश के लोगों को गतिविधिपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से वंचित करना, जो संसद में महिलाओं को अधिकाधिक भागीदारी द्वारा संभव हो सकता है, प्रत्येक महिला को आत्म–निर्भरता के अधिकार से वंचित करना है।

अतः मैं महसूस करती हूं कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संवेदनशील मामले पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिए जाने के लिए सभापति महोदया का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं।

*श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : सभापति महोदया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद विधान मंडल में महिलाओं को एक–तिहाई आरक्षण देने के लिए पिछले बजट सत्र में माननीय सदस्य, श्री सी. के. चन्द्रप्पन द्वारा लाए गए संकल्प का अपनी पार्टी की ओर से मैं समर्थन करती हूं। किसी देश की पहचान महिलाओं की स्थिति से की जा सकती है। महिलाएं समाज का दर्पण होती हैं। यदि हम विश्व इतिहास को देखें तो पाएंगे कि रूसी क्रान्ति, फ्रांस की क्रान्ति और अन्य ऐसे संघर्षों यहां तक कि भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन में भी एवं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में भी महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। लेकिन हम यह अवश्य कहेंगे कि समाज में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन के बावजूद महिलाओं का शोषण और उन पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें उचित पहचान और अधिकार दिए हैं। भारत में स्वतन्त्रता के समय से महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक कानून जैसे–विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961, बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1979, सती (निवारण) अधिनियम, 1987 बनाए गए हैं और इसके साथ ही 'एक्शन फॉर गर्ल चाइल्ड' की राष्ट्रीय नीति और महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति भी है। फिर भी बलात्कार, दहेज संबंधी अपराध, यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध दिन–प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। वर्ष 1999 के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध हुए कुल अपराधों में अपहरण के लगभग 67 प्रतिशत मामले थे जिनमें 54 प्रतिशत पीड़ित बालिकाएं थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, केरल को छोड़कर सभी अन्य राज्यों, यहां तक कि पंजाब में भी, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, लिंग अनुपात में गिरावट आई है। वर्ष 1991 में प्रति एक हजार पुरुषों के अनुपात में 945 महिलाएं थीं और 2001 में यह संख्या 927 हो गई।

हमारे देश में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में 7.5 प्रतिशत महिलाएं हैं। दूरस्थ गांवों में 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं। उनकी अपनी कोई भूमि नहीं है। 'फूड एंड एग्रीकल्चरल आर्गनाइजेशन' (एफएओ) की रिपोर्ट से पता चलता है कि एक बैल एक वर्ष में 1064 घंटे काम करता है, पुरुष 1212 घंटे काम करते हैं जबकि महिलाएं एक वर्ष में 3485 घंटे काम करती हैं।

हमने महिला दशक और महिला वर्ष मनाए हैं लेकिन महिलाओं

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की स्थिति नहीं बदली है। हमने देखा है कि वर्ष 2002 में 'यूएनआईएफईएम' की 'प्रोग्रेस ऑफ वूमैन रिपोर्ट' के अनुसार विश्वभर में संसद में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 14 है और हमारे देश में यह 9 प्रतिशत से भी कम है। लेकिन स्कैन्डिनेवियन देशों में यह संख्या अधिक है। मोरक्को, सीरिया आदि देशों में महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक है। सब–सहारा क्षेत्र में यह प्रतिशत कम से कम 13 है, जो विकसित देशों से भी अधिक है। रवांडा में महिलाओं का प्रतिशत 25.8 है और युगांडा में यह प्रतिशत 24.7 है।

भारत में हम पिछले दो दशकों से महिला आरक्षण के लिए संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह संघर्ष कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावों से पहले आश्वासन देते हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो वे आरक्षण के मामले पर विचार करेंगे लेकिन किसी ने भी अपना वादा नहीं निभाया। राजग शासन के दौरान हमने पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि यदि सभी दल सहमत हों और यदि सभी की सहमति हो, तो विधेयक को लाया जाएगा। हमारा अनुभव है कि इस संसद में नितान्त अमानवीय विधेयक जैसी पीओटीए (पोटा) को पारित किया गया है।

महोदया, हम चाहते हैं कि इस विधेयक को इसके मौजूदा रूप में ही प्रस्तुत किया जाए और इस मामले पर मतदान भी कराया जाए। तभी सभी राजनीतिक दलों की असली मंशा सामने आएगी। भारत, श्रीलंका, ब्रिटेन में हमने महिला शासनाध्यक्ष देखे हैं। हमारे देश में महिला मुख्यमंत्री भी हैं जो राज्य का शासन बेहतर ढंग से चला रही हैं। वर्ष 1955 से 1997 तक 6 देशों–इथोपिया, लात्विया, पेरू, जमैका, मालटा और पोलैंड में संसद में महिलाएं अध्यक्ष थीं। भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के पश्चात् लाखों महिलाएं स्वयं आगे आ रही हैं। हमारा मानना है कि यदि महिलाएं विधान मंडलों में आएंगी, तो वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के शोषण में कमी आएगी।

इस विधेयक को लाना दलों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर है। अपनी बात समाप्त करने से पहले, मुझे एक और अनुरोध करना है। इस सम्माननीय सभा में संशोधित 'डोमेस्टिक वायलैंस अगेंस्ट वूमेन' विधेयक भी लाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, अपने दल की ओर से इस विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदया, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। श्री सी. के. चन्द्रप्पन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया और हमें अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। देश में लम्बे समय से महिलाओं के ऊपर सामाजिक अत्याचार, अन्याय और आपराधिक घटनाएं होती रही हैं। पूरे समाज को, पूरे देश को एकजुट होकर उनके प्रति हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हम इस बात के कट्टर समर्थक हैं और हम आज की महिलाओं की उस स्थिति से इत्तेफाक रखते हैं, जिसमें कहा गया है कि

'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में पानी'

आपने एक कवियित्री के इस पद्य को लेकर अच्छा चित्रण आज के महिला समाज और नारी को चित्रित करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि कोई भी प्रबुद्ध वर्ग, कोई भी राजनैतिक और सामाजिक मूल्य रखने वाला संगठन इस देश में नहीं है, जो महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना चाहता हो, ऐसा कोई भी संगठन नहीं हो सकता। यदि है तो वह बहुत कम परसेंटेज में लोग हम लोगों के सामने आते हैं, जिनके दोहरे चेहरे हैं। ये दोहरे चेहरे वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो तुलसीदास जी के उस पद्य पर विश्वास रखते हैं, जिसमें कहा गया है कि

'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।'

हमें इन पद्यों पर आश्चर्य है कि ऐसी रुढ़िवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों की तरफ से क्रान्ति की बातें आ रही हैं, यदि आ रही हैं तो मैं उसे एप्रीशिएट करता हूं। लेकिन उसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महिलाओं के साथ जो हर स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता रहा है, उस हर स्तर की एक–एक करके समीक्षा करने की आवश्यकता है। डिसीजन मेकिंग से पहले, निर्णय लेने से पहले, उसके हर बिन्दु को जांचने और परखने की आवश्यकता है। होमोजिनिटी एक शब्द है, जो इस डिसीज़न सैक्शन को, किसी वर्ग को, किसी समुदाय को इसलिए दिया जाता है कि वह वर्ग, समुदाय, सैक्शन असुरक्षित महसूस करता है और अपोर्चुनिटी मिलने के बावजूद वह अपने आपको उठा नहीं पाता है, बराबरी में नहीं ला पाता है, इसके लिए आरक्षण दिया जाता है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल इस तरह की समीक्षा महिला आरक्षण में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। हम आपसे इस सदन में कहना चाहते हैं कि समाज की अन्तिम पंक्ति में बैठी वैसी महिलाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। परन्तु यह काम बहुत जल्दी का काम नहीं है, क्योंकि रुढ़िवाद इस देश को बहुत लम्बे समय से पकड़े हुए रहा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : अब आप एक मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता : हमारा आरजेडी का टाइम देखकर उसके हिसाब से हमसे कहा जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : इसमें पार्टी वगैरह नहीं होती है।

श्री आलोक कुमार मेहता : महिलाओं में एक ऐसा वर्ग है, जो समाज की अन्तिम पंक्ति में, गांव के अन्तिम छोर पर बसता है। उसमें जागरूकता की बहुत कमी है और न के बराबर जागरूकता है। उसे भी मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। आरक्षण जिन सुरक्षा कारणों से, मानसिक सुरक्षा देने की दृष्टि से हम लागू करते हैं, उन्हें सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, सोसायटी में उसे अपलिस्ट करने की बात करते हैं, हम बताना चाहते हैं कि सदन में जितनी महिला माननीय सांसद हैं, वही महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं समाज के अन्तिम छोर और गांव के अन्तिम छोर पर भी हैं। अति पिछड़ी जाति में भी महिलाएं हैं। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और जितने भी डिप्राइव क्लास के लोग हैं, उनकी महिलाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत इसमें शेयर करता है। लगभग 90 प्रतिशत इस वर्ग की महिलाओं का समाज में शेयर है। आरक्षण का प्रावधान संविधान बनने के समय से है लेकिन उसे लागू करने के लिए नीयत और नीति में बहुत विभेद रहा है। डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन जब उसे लागू करने की बात आई तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बहुत सी संस्थाएं हैं, जहां निर्णय लागू करने की बात आती है तो विभेद होता है और वहां सभी तरह के प्रपंच रचाकर डिप्राइव क्लास को ऊपर आने नहीं दिया जाता है। केवल 50 प्रतिशत में ही उनको समेट दिया जाता है। ऐसा लगता है कि बचे हुए लोगों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है और जो लोग स्वतन्त्र रूप से आ सकते थे, उनको आने से रोका जाता है। इसलिए आरक्षण लागू करने से पहले इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : श्री शेलेन्द्र कुमार जी।

...(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं प्रेरणादायक शक्ति हैं लेकिन आरक्षण का लाभ केवल कुछ क्रीमीलेयर महिलाओं को ही न मिले, इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। इसमें एकरूपता लाने की जरूरत है। यदि हम आरक्षण देना चाहते हैं तो पूरे समाज की महिलाओं को यह महसूस होना चाहिए कि उन्हें आरक्षण मिला है। राष्ट्रीयता को अपने ड्राइंग रूम में, शोकेस में मोमेंटो की तरह रखने वाले लोग महात्मा गांधी के उद्धरण को अपने ढंग से इंटरप्रिटेट करते हैं और महात्मा गांधी जी के रामराज की तुलना तुलसीदास जी के रामराज से करना चाहते हैं। महात्मा गांधी का रामराज समाजवादी सिद्धान्तों से प्रेरित था लेकिन तुलसीदास जी का रामराज खतरनाक भावनाओं से प्रेरित था। इन दोनों में फर्क करना हमारे साथी सीखें। मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज को भगवा रंग में रंगना उचित नहीं है। जब आरक्षण की बात हो...*(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : महोदया, पहले माननीय सदस्य तुलसीदास जी को पढ़ लें, उसके बाद उनके बारे में कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार के भाषण को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदया, मैं अपनी बात जल्द समाप्त कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैं कई बार आपको वार्निंग दे चुकी हूं, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हैं। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : सीता को जिस तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वह आज का रूढ़िवाद है। आज भी वैसे ही रूढ़िवादी तत्व अपने घर में बहू–बेटियों को जलाते हैं और बाहर समाज सुधार की बातें करते हैं। मैं अपने तमाम साथियों को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे फेक्टर्स को कंसिडर किया जाए और उसके बाद आरक्षण का निर्णय लिया जाए।

सभापति महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार जी, कृपया आप सभी समय का ध्यान रखें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : आपने मुझे विधान सभाओं तथा संसद में एक–तिहाई महिला आरक्षण संबंधी संकल्प पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। सदन में बैठे सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस संबंध में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को बदनाम किया है, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, लेकिन जो उसका स्वरूप है, वह बहुत ही खतरनाक है। लम्बे समय से जो लोग

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको रोकने के लिए यह बहुत बड़ी साजिश है।

हम चाहते हैं कि सदन में महिला आरक्षण बिल आए, लेकिन उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी शामिल किया जाए–चाहे डा. भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण का संवैधानिक मुद्दा था या हमारी जो मंशा है, वह तभी सही होगी। हम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम यही देख रहे हैं कि समाज में आज भी महिलाएं दबी–कुचली हैं, बहुत रेयर केसेज़ में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। उनको कम से कम उचित स्थान दें।

अगर देखा जाए तो भागीदारी के रूप में मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या कभी भी 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही, जबकि काफी महिलाएं जीत कर आई हैं। हमारी कई सम्मानित बहनों ने विस्तार से इस बारे में बताया। मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। मैं महिला आयोग की अध्यक्ष, डा. गिरिजा व्यास की आयोग की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट के कुछ अंश पेश करना चाहूंगा। महिला आयोग में ज्यादातर आईएएस से लेकर निचले कर्मचारियों तक के यौन उत्पीड़न की शिकायतें बराबर मिली हैं और 7 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की महिलाओं के साथ आज भी बलात्कार हो रहे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने सदन में समय–समय पर चर्चा की है कि कन्या भ्रूणहत्या के खिलाफ कानून बने हैं, लेकिन उन्हें कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। एक तरफ हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्याओं के खिलाफ कानून में बहुत लचीलापन है। इसे हमें सख्त करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* दहेज निरोधक कानून बने हैं, लेकिन उस बारे में भी हमारे यहां बहुत शिकायतें आती हैं। हमने देखा है कि हम महिला थानों में शिकायत करते रहते हैं लेकिन पीड़ित महिलाओं को न कोई सहूलियत मिल पाती है और न ही उनकी समस्या का निराकरण हो पाता है। डा. गिरिजा व्यास की रिपोर्ट है कि अगर हमारे पास दस शिकायतें आती हैं, तो उनमें से सात दहेज से संबंधित होती हैं। आज हमें अपनी सामाजिक सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक महिलाओं के प्रति हमारी सामाजिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। आरक्षण के मुद्दे पर जब तक सभी पार्टियों की सर्वानुमति नहीं होगी, हम आरक्षण बिल पास नहीं करवा सकते। आज भी हमारी तमाम साथियों से बात होती है। उनकी अलग–अलग राय है। एक कहावत है–न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। मैं कहना चाहता हूं कि 1992 में भी इसी क्रम में पंचायती राज विधेयक लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज के तहत चुनाव करवाया, चाहे जिला पंचायत हो, ब्लाक प्रमुख हो, टाउन एरिया के चेयरमैन, बीडीसी के सदस्य या प्रधान, तमाम महिलाएं चुनकर आई हैं, लेकिन कुछ ही महिलाएं तेज–तर्रार हैं, जो खुद बैठकों में जाती हैं, अन्यथा उनके पति सब काम करते हैं। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि अधिकार मिलने के बाद हम इसे कहां तक लागू कर सकते हैं। ऐसा न हो कि हमारा कानून बिल्कुल कमजोर हो जाए और जिस लड़ाई को हम आगे लड़ रहे हैं, वह लड़ाई कमजोर पड़ जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर सदन में आरक्षण बिल आए तो उसमें स्वेच्छा से वोटिंग करवाने की व्यवस्था दी जाए, यह नहीं कि आप व्हिप जारी करके वोट डलवाएं। तभी असलियत पता लगेगी कि महिला आरक्षण बिल पास होता है या नहीं। हमें इसमें शंका है। मुझे मालूम है कि इस बिल को लाने के लिए आज भी दबाव पड़ रहा है, जबकि स्वेच्छा से हर पार्टी में सर्वानुमति नहीं बन पा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी बिल आए, उसमें सर्वानुमति हो और सब उसे स्वेच्छा से स्वीकार करें।

मैं पुरुषों के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारा देश पुरुष प्रधान कहा गया है, लेकिन बिना पुरुष के महिलाएं आगे बढ़ भी नहीं सकती हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : ठीक है, आपने सर्वानुमति जताई है, अब कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसमें पुरुषों की भागीदारी भी विशेष तौर पर होनी चाहिए। हमारी बहनें राजनीति में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी मांग रही थीं। मेरे ख्याल से 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए सौ साल लगेंगे।...*(व्यवधान)* कृष्णा जी, आप डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं आप ही के दल की भावना की बात बता रहा हूं। आप टटोलकर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या असलियत है। हम तो जानते हैं। हम इसका विरोध नहीं करते हैं।... *(व्यवधान)* मेरा कोई विरोध नहीं है। मैंने पहले भी कहा है। मैंने अपने दल की बात कही है। हमारे दल के डिप्टी लीडर रामजीलाल सुमन जी ने भी बातें कही हैं। हमें किसी बात का डर नहीं है। इसलिए आपने मुझे समय दिया, कुछ बातें खासकर कृष्णा जी ने बहुत इंटरप्ट किया, मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : सभापति महोदया, मैं मंत्री भी और एक महिला भी हूं। हम महिलाएं उत्पीड़न से छुटकारा पाने के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रही हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। हम अपने अस्तित्व का अधिकार मांग रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : आदरणीया सभापति महोदया,

[प्रो. एम. रामदास]

मैं माननीय सदस्य री सी. के. चन्द्रप्पन द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस चर्चा में भाग लेते हुए बेहद खुशी हो रही है, वह भी तब जब एक महिला सदस्य पीठासीन हैं। श्री चन्द्रप्पन के संकल्प में इस देश की उन तमाम महिला आबादी की तथा सकारात्मक सोच वाले उन समाज सुधारकों की इच्छाएं और आकांक्षाएं झलकती हैं जो लम्बे समय से चाहते रहे हैं कि महिलाओं के प्रति हुए सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए एक विधान बनाया जाए। हमारी पार्टी पीएमके और हमारी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम महिलाओं के लिए समान अधिकार, सम्पत्ति में समान हिस्सेदारी और उनके लिए समान न्याय की बात करते रहे हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि हमने संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रस्ताव को पुरःस्थापित किया है या उसकी पुष्टि की है क्योंकि हमारे घोषणापत्र का यह एक अंग था। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम इस संकल्प का समर्थन करें। भारत सरकार से हमारा यह अनुरोध है कि वे इस विधान को शीघ्रातिशीघ्र लाएं।

अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। संसद में और कई अन्य मोर्चों पर आरक्षण की मांग इतने दिनों से क्यों की जा रही है? कारण बहुत ही स्पष्ट है। भारत की आबादी के संघटक के रूप में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यदि उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला होता तो आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। हम अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग क्यों करते हैं? इसका कारण है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। डा. अम्बेडकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण क्यों चाहते थे? कारण कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। उसी तरह कुल आबादी की आधी आबादी के रूप में स्थापित महिलाओं के मामले में भी देश के राजनीतिक नीति निर्माता निकायों में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसके परिणामस्वरूप वे संबंधित निकायों में अपनी महत्वाकांक्षा या अभिवृद्धि को रख पाने में नाकाम रही हैं।

उदाहरण के लिए मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। पहली लोक सभा में 499 सदस्यों में केवल 22 महिलाएं थीं, चौदहवीं लोक सभा में 543 सदस्यों में केवल 45 महिलाएं हैं, जो कुल सदस्यता की केवल 8.3 फीसदी है।

सभापति महोदया : अब, आपका केवल एक मिनट का समय बचा है। ये आंकड़े दिए जा चुके हैं।

प्रो. एम. रामदास : किन्तु, अन्य देशों में प्रतिनिधित्व है। इसलिए हमें इस आरक्षण की जरूरत है।

दूसरा कारण यह है कि हमने इस देश में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए बहुत कुछ किया है फिर भी उनके लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उनकी स्थिति पुरुषों से काफी पीछे है। इसलिए, उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाए जाने की जरूरत है। हमने पिछले एक दशक में उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की है। पर जब तक हम उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे, तब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसलिए हमें इस अन्याय को दूर करना होगा। 'वंचितों को विशेषाधिकार' देने का सिद्धान्त ही इसका एकमात्र जवाब है और आरक्षण एकमात्र हल है। राजनीतिक सत्ता तक सीधी पहुंच से ही महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। जैसा कि महिलाओं में भ्रष्टाचार की भावना कम और प्रशासनिक कुशलता अधिक होती है, इसलिए वे हमें ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम हो सकेंगी।

श्रीमती इंदिरा गांधी दुनिया को दिखा चुकी हैं कि वह कितनी काबिल थीं और भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने में कितनी सक्षम थीं। पंचायती राज अधिनियम ने विश्व और भारत को दिखा दिया है कि निचले स्तर की स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी से क्रान्ति आ सकती है। जब हमने महिलाओं के लिए निचले स्तर पर आरक्षण के इस सिद्धान्त को अनुमति दी है, तो वे बेहतर कार्य कर रही हैं, वे अधिक सक्रिय हुई हैं, विकासात्मक गतिविधियों में बढ़–चढ़कर भागीदारी निभाई है और उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। फिर यह बड़े निकायों अर्थात् संसद और राज्य विधान मंडलों में क्यों नहीं? इसलिए हमें एक ठोस प्रस्ताव के साथ आगे आना होगा।

इस राष्ट्र के समक्ष चार प्रस्ताव रखे गए हैं। एक प्रस्ताव निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है, वह यह कि राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को एक–तिहाई सीटें दें। दूसरा यह है कि मौजूदा 543 में से एक–तिहाई आज महिलाओं के आरक्षित कर दिया जाए। तीसरा यह कि इन 543 स्थानों में से हमारे पास दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हों। सरकार का नवीनतम प्रस्ताव स्थानों की संख्या एक–तिहाई बढ़ा दी जाए अर्थात् 544 में 181 जोड़कर 725 तक बढ़ा दिया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें। मुझे अभी दो अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देना है।

प्रो. एम. रामदास : इसलिए सरकार को इनमें से किसी एक प्रस्ताव पर विचार करना है, इसके गुणों और अवगुणों का अध्ययन करना है और एक उपयुक्त प्रस्ताव पेश करना है। मेरे विचार में स्थानों की संख्या बढ़ाए जाने में कुछ व्यवहारिक गणना–विषयक

कठिनाइयां हैं और सरकार को इस मामले पर ध्यान देना होगा। इतने बड़े देश में, स्थानों की संख्या बढ़ाए जाने का अर्थ निर्वाचन क्षेत्रों को और परिसीमन करना होगा जिससे प्रक्रिया में और विलम्ब हो जाएगा और कम से कम अगले दो संसदीय निर्वाचनों तक हम महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित नहीं कर पाएंगे। दूसरे, इससे सरकार पर अतिरिक्त व्यय का भार पड़ेगा। इसे अपने ध्यान में रखना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं और क्या हमारे पास इसके लिए अन्य लॉजिस्टिक समर्थन है। चाहे जो भी हो ऐसा नहीं है कि हम सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं यदि आम सहमति बनती है परन्तु आम सहमति के नाम पर इस बार निर्णय को टाला नहीं जाना चाहिए। आगामी संसद सत्र में हमें एक ठोस विधेयक लेकर आना चाहिए, हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी मामलों में हम आम सहमति पर नहीं पहुंच सकते और यदि बहुमत है...*(व्यवधान)* तो हमें विधेयक को पारित कर देना चाहिए।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. रासा सिंह रावत।

प्रो. एम. रामदास : सरकार को बहुमत प्राप्त करना चाहिए और भारत की महिलाओं को न्याय प्रदान करना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैं प्रो. रासा सिंह रावत को बुला रही हूं। इसलिए कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास : यह उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा जो हम उनके लिए कर रहे हैं और हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे जो कि इस देश के लोगों से सरकार ने किया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : रासा सिंह रावत जी, कृपया अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदया, मैं श्री सी. के. चन्द्रप्पन जी द्वारा प्रस्तुत महिला आरक्षण संबंधी जो संकल्प है, उसका समर्थन करता हूं। महिलाओं को उनका अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। हम वर्ष 1996 से लेकर अब तक पसोपेश में हैं कि महिला बिल किस रूप में लाएं, उसके बारे में मेरा मानना है कि यह बिल जिस रूप में सबसे पहले आया था, उसी रूप में इसे लाया जाना चाहिए। बाद में धीरे–धीरे जब महिला समुदाय को निर्धारित 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने लगे, तब उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को शामिल किया जाना चाहिए। एक बार हमें कम से कम शुरूआत तो करनी चाहिए, हम आगे कदम बढ़ाना तो सीखें। अगर हम शुरू में ही यह सोचकर कदम नहीं बढ़ाएंगे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तो यह उचित नहीं है। इस पर मुझे उर्दू का एक शेर याद आता है :

"पता नहीं हम कहां से चलकर, कहां पहुंचकर ठहर गए,
हमारे सीने पर लात रखकर, काल के लश्कर गुजर गए।
हमारी टूटन, तुम्हारे कायदे, फना हो गए कहां तेरे वायदे,
जिन चेहरों पर हैं निगाहें डाली, कई लबादे उतर गए हैं।।"

अर्थात् लोगों की कथनी और करनी में अन्तर है। इसमें हम सभी सम्मिलित हैं। हमें आत्म–साक्षात्कार करना चाहिए कि आखिर उस देश में, जहां कहा जाता है "वेदों का है ऐलान, नर–नारी हैं एक समान" वहां महिलाओं को यह अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? अभी हमारे एक माननीय साथी ने रूढ़िवाद की बात कही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन काल से ही महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त है। महाराज मनु ने कहा है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता" अर्थात् जिस घर में महिलाओं को सम्मान मिलता है वहां देवताओं का निवास होता है और जिस घर में महिलाओं की स्थिति चिन्तनीय होती है तो वह घर, परिवार या समाज शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। अगर हम पौराणिक दृष्टि से भी देखें तो सदैव लक्ष्मीनारायण में नारायण से पहले लक्ष्मी, सीताराम में राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है।

सायं 6.00 बजे

गौरी शंकर में शंकर में पहले गौरी का नाम हमारे देश के अन्दर लिया जाता है। इसी तरह पौराणिक दृष्टि से जिस तरह त्रिदेव की कल्पना की गई है, उसी तरह त्रिदेवी की कल्पना भी की गई है। विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा। इस तरह से महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। हमारे यहां कहा गया है–माता निर्माता भवति। मातृत्व शक्ति निर्माण करने वाली होती है। आज हमारे पंचायती राज के अन्दर या स्वायत्तशासी निकायों में, नगर निगमों में, म्यूनिसिपल कमेटीज में महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, उसमें आप देखें कि महिलाएं कैसे दत्तचित होकर, निष्ठापूर्वक अपने कार्य का पालन कर रही हैं। चाहे वह सरपंच के रूप में हो या पंचायत समिति के सदस्य के रूप में हो या जिला परिषद के सदस्य के रूप में हो। महिलाएं अपेक्षाकृत भ्रष्टाचार से दूर रहती हैं। हालांकि यह बात अलग है कि अशिक्षा के कारण वे नियम वगैरह से परिचित नहीं हैं, परिणामस्वरूप अपने पति या भाई का उन्हें सहारा लेना पड़ता है। मैं समझता हूं आने वाले समय में–धीरे–धीरे रे मना, धीरे–धीरे सब होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि वह महिला आरक्षण विधेयक शीघ्र लाने का प्रयास करे,

[प्रो. रासा सिंह रावत]

क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है, बुरा वही है, जिसकी नीयत बुरी है। यह अगर–मगर करना ठीक नहीं है।

तू अगर मगर की बात न कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा
मुझे राहजनी से गिला नहीं, सवाल तो तेरी रहबरी का है।

हम तो रहबर बनना चाहते हैं, समाज का पहरेदार बनना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। महिलाएं जागृति की बात करती हैं, तो फिर महिला आरक्षण के अन्दर संकोच कैसा इसलिए इस बिल को शीघ्र ही पेश किया जाए।

सभापति महोदया : रासा सिंह जी, एक मिनट ठहरें।

श्री रामजीलाल सुमन : रासा सिंह जी, उर्दू बहुत नाजुक भाषा है। आपने जो शेर बोला, वह ठीक नहीं है। सही शेर इस प्रकार है :

इधर–उधर की न बात कर, बता कि काफिला क्यों लुटा
मुझे राहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं क्षमा चाहता हूं। समय कम था इसलिए एक लाइन रह गई।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : छह बज चुके हैं। छह और वक्ताओं को इस संकल्प पर बोलना है। इसलिए यदि सभा सहमत हो, तो मैं इस संकल्प पर चर्चा की अवधि एक घंटे और बढ़ा दूंगी। अगली बार इस पर चर्चा हो सकती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : रासा सिंह जी, अगली बार जब यह संकल्प आएगा, तो आप कंटीन्यू करेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत : ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त हुआ। हम विशेष उल्लेख का कार्य करेंगे। सभा का समय 'विशेष उल्लेख' का कार्य समाप्त होने तक बढ़ाया जा सकता है। मैं समझती हूं कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

[अनुवाद]

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में एक उल्लेख करना चाहूंगा। इस वर्ष एक ओर गुजरात के कई हिस्सों में अप्रत्याशित भारी बारिश हुई है, कच्छ जिले के आधे हिस्से में सूखे की स्थिति है। पांच तालुकों भुज, नखतराना, लखपत, अबादासा और मांडवी में पेयजल और चारे की गंभीर कमी है। इन क्षेत्रों में लोगों की मुख्य आजीविका पशुपालन है। वे दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। उनके पास कोई चारा और पेयजल नहीं है। पिछले वर्ष भी हमें इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा था।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इसके लिए विशेष पैकेज दे। दूसरे, एक वाक्य में मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण, विशेषकर मुंबई में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। वे हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हैं और वहां बस गए हैं। वे सभी अनाज, मिर्च और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं। भारी बारिश के कारण उनके सामान गोदामों में नष्ट हो गए। वे बर्बाद हो गए। इसलिए मैं भारत सरकार से साग्रह अनुरोध करता हूं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज दे। पूर्व में रेल प्राधिकारी मध्य प्रदेश तथा अन्य हिस्सों से चारा ले जाने के प्रबंध करें। इसी प्रकार इस वर्ष भी ऐसा किया जा सकता है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, सर्व–शिक्षा अभियान के तहत, शिक्षा के विकास के लिए, राज्य सरकारों को, भारत सरकार दौलत देती है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2 करोड़ 75 लाख रुपये की छात्रों को पुस्तकें वितरित की गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकों का वितरण किया गया। लेकिन दुःख की बात है कि इन पुस्तकों में महात्मा गांधी जी के चित्रों के स्थान पर वहां के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी का चित्र लगा दिया है। सभापति महोदया, यह गंभीर मामला है।

गांधी जी देश की धरोहर हैं और गांधी जी को हिन्दुस्तान की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। गांधी जी दुनिया के बड़े आदमियों में से एक थे। जब गांधी जी का इतकाल हुआ तो सोवियत रूस को छोड़ कर के, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जिसने गांधी जी के सम्मान में अपने झंडे न झुकाए हों।

[हिन्दी]

सभापति महोदया, यहां से जो दौलत जाती है उसका

दुरुपयोग हो रहा है और यह पार्टी के और कुछ व्यक्तियों के प्रचार में लगाई जा रही है, जोकि चिन्ता का विषय है। यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली बात है। महात्मा गांधी जी के चित्र को हटाकर किसी मुख्यमंत्री का चित्र लगे, इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। महात्मा गांधी जी का महत्व क्या है, इसे वे लोग क्या जानें जो महात्मा गांधी जी की हत्या में शामिल हों और कुछ सूबों में उनकी सरकारें हों। महात्मा गांधी जी का चित्र हटाकर किसी मुख्यमंत्री का चित्र लगाया जाए, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि तत्काल उस स्थान पर महात्मा गांधी जी का चित्र लगे और देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम न किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदया, गंभीर मसला है। हम माननीय रामजीलाल सुमन जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मसले को उठाया।

[अनुवाद]

कृपया हमें इससे संबद्ध होने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : ठीक है।

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : सभापति महोदया, मैं हिन्दी के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा एकमात्र विद्यालय है जोकि देश में हिन्दी की शिक्षा के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देता है। लेकिन यह देखना जरूरी है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए सरकार की ओर से कौन सी सुविधाएं विश्वविद्यालय को दी गई हैं, कौन सी योजना सरकार के पास हिन्दी विश्वविद्यालय के बारे में है। मुझे ज्ञात है कि गत तीन वर्षों में हिन्दी विश्वविद्यालय के लिए दिया गया आवंटन और वहां का कार्य बहुत ही निराशाजनक रहा है, ऐसा आज तक सरकार की नीति से महसूस होता है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उदारतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाए। हिन्दी विश्व की भाषा हो, इस प्रकार का प्रयास सरकार की ओर से होना जरूरी है। वर्धा पूजनीय महात्मा गांधी जी और विनोबा जी की कर्मभूमि रहा है। अपने जीवन-काल में उन्होंने हिन्दी को प्राथमिकता दी, आज उसी वर्धा में हिन्दी विश्वविद्यालय के माध्यम से वहां सरकार कुछ न कुछ प्राथमिकता देकर हिन्दी को बढ़ावा दे, जिससे हिन्दी दुनिया की भाषा बने, यही मैं सरकार से कहना चाहता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदया, आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी है कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं एक अर्जेंट मैटर जो मेरी रियासत खासकर जम्मू-कश्मीर और पूरे हिन्दुस्तान के लिए चिन्ता का विषय है, के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक सरेन्डर मिलिटेंसी पालिसी बनाई थी। जो मिलिटेंसी को सरेंडर करने के लिए बनाई गई थी। उसके कारण क्या हुआ कि कई मिलिटेंटों को बड़े बैंड-बाजे के साथ सरेन्डर कराया गया, जहां डीजीपी प्रेजेंट थे और कई बड़े लोग थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बनी इलाका है जो लौहाई मलहार में है। वहां एक समय काफी मिलिटेंसी थी। वहां से फारूख इलियास इमरान एक लांचिंग कमांडर था। उसे दस आदमियों के साथ विद आर्मज एंड अम्यूनिशंस सरेन्डर कराया गया। इसके बाद उससे काम लिया गया और भी कई लोग पकड़वाए तथा कुछ मरवाए। काफी जोर-शोर से काम किया गया। कुछ समय बाद वहां के आफिसर्स में आपस में कुछ चैंजेज आए, तो वह आदमी जिसको इन्होंने छोड़ा था, छः मिलिटेंट पिछले दिनों कोटी में बिलवर एक जगह है, वहां ये छः मिलिटेंट आए और जो सरेन्डर करवाया गया मिलिटेंट था, उसको रात में आकर मार गए।

महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने पिछले दिनों वहां का टूर किया, वह मेरी कांस्टीट्यूएंसी है, तो मुझे वहां के संबंधित एसपी ने कहा, साहब मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आपको बता दूं कि आप वहां मत जाइए, मैं आपको इन्फार्मेशन देना चाहता हूं। यहां पर बड़ी फिलॉस्फी मारते हैं, जो जमीन पर है, उसकी बात की जाए। उसने मुझे यही सुझाव दिया कि आप वहां मत जाइए, बहुत खतरा है, बहुत मिलिटेंसी आ गई है। महोदया, फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी थी, यह डिस्ट्रिक्ट कठुआ था। उसके पहाड़ी क्षेत्रों में अब यह हालत है कि आज 50 हार्ड कोर मिलटेंट्स वहां आकर बैठ गए हैं, यह एक चिन्ता का विषय है।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं और सरकार को आगाह करना चाहता हूं चाहे यहां की सरकार हो या वहां की, दोनों सरकारें इस मिलिटेंसी के लिए कुछ इंतजाम करें। आप देखेंगे कि बड़े-बड़े जहाजों पर जाकर लोग पहाड़ियों पर उतर जाते हैं और मेरे जैसे एमपी को 70-70 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है तो मैं कहना चाहता हूं कि उस मिलिटेंसी की समस्या का हल करें। अगर किसी को जानकारी न हो तो मुझसे सलाह करें, मैं बताऊंगा कि कैसे इसे खत्म किया जा सकता है। उनको दबाने से यह खत्म होती है, अगर यह रोज बढ़ती जाएगी तो हम जैसे लोग और आम जनता का जीना हराम हो जाएगा। यह बड़ी समस्या है।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : धन्यवाद, महोदया। केरल में

समग्र रूप से "हेल्थ फॉर ऑल 2000" योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 के लिए निर्धारित स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य का अधिकांश भाग पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश सुविधाएं विकसित देशों के स्वास्थ्य सूचकांक के समतुल्य हैं। परन्तु केरल में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। केरल के तटीय क्षेत्र में जहां कि अधिकांश आबादी मछुआरों की है, साक्षरता और स्वास्थ्य की स्थिति अब भी काफी पीछे है। तटीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य के अन्य भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं की तुलना में पर्याप्त नहीं हैं। तटीय क्षेत्र में अधिकांश स्वास्थ्य कार्यक्रम खराब तरीके से चलाए गए हैं। संक्रामक रोग जैसे तपेदिक और कुपोषण तथा उससे जनित अन्य रोग इस क्षेत्र में अब भी आम हैं। साफ–सफाई और स्वच्छ पेयजल का प्रावधान पर्याप्त नहीं है। जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार की जरूरत है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अब भी यहां अधिक है। इसलिए तटीय क्षेत्र पर विशेष रूप से विचार किए जाने की जरूरत है। इन सभी चीजों पर विचार करते हुए केरल सरकार ने एक तटीय स्वास्थ्य परियोजना (कोस्टल हेल्थ प्रोजेक्ट) प्रस्तुत की है, जो भारत सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित है।

चूंकि केरल का स्थान स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के चार्ट में ऊंचा है, इसलिए संभावना है कि जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) क्रियान्वित होगा तो केरल को समानुपातिक शेयर नहीं मिलेगा। इसलिए, मेरा नम्र निवेदन है कि केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत तटीय स्वास्थ्य परियोजना (कोस्टल हेल्थ प्रोजेक्ट) स्वीकृत की जाए अथवा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) को क्रियान्वित करते समय उसमें इसे शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं छत्तीसगढ़ राज्य की सिंचाई योजना के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिलासपुर जिले का खूड़िया जलाशय, जो किसानों के हित में एक लाख एकड़ पानी की सिंचाई एक बार करता है, उसकी सिंचाई क्षमता कम हो गई है और बांध की स्थिति खराब हो गई है। अमरकंटक में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के पानी को खूड़िया जलाशय में, वहां जो मनियारी नदी के नाम से बांध बना है, उसमें डाइवर्ट कर दिया जाए। इससे लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उस जगह पहाड़ भी पड़ता है और वह पहाड़ 15 किलोमीटर है। उस पहाड़ को तोड़ कर केनाल बना दी जाए तो नर्मदा नदी का पानी खुड़िया बांध में जाएगा और बारह मास पानी खुड़िया क्षेत्र के तखतपुर विधान सभा क्षेत्र, लोमी विधान सभा क्षेत्र और मूंगेरी तहसील को मिलेगा जिससे लाखों एकड़ सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी और हजारों एकड़ में प्रति वर्ष जो सिंचाई होती है, वह कम से कम 5 लाख हैक्टेयर में होगी। मेरा शासन से अनुरोध है कि अमरकंटक के नर्मदा नदी में जो पहाड़ पड़ते हैं, उसे तोड़ कर खुड़िया जलाशय में मिला दिया जाए और वहां केनाल बना दी जाए। इससे किसानों को सिंचाई सुविधा बारह मास प्राप्त होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (घायल) : सभापति महोदया, आपने मुझे स्पेशल मैंशन पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। पूरे देश में सीजीएचएस कर्मी अपनी मांगों को लेकर हमेशा अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहते हैं। ये बहुत संयमित तरीके से अपनी मांग रखते आए हैं। कल इन्होंने बाकायदा हाजरी लगा कर थोड़ी देर बैठ कर जन्तर–मन्तर में अनशन किया। इनकी बड़ी जायज मांगें हैं। इन्होंने यह मांग की है कि सभी रिक्त पड़े पदों को तुरन्त भरा जाए। अनुकम्पा के आधार पर 5 परसैंट कोटे को खत्म करके तुरन्त शत–प्रतिशत किया जाए। 5 परसैंट के नाम पर भर्ती नहीं हो पाती है। हन्ड्रेड परसैंट भर्ती रुकी है। उनको वर्दी के दो सैट दिए जाते हैं। इन्होंने मांग की है कि आजकल बदलते मौसम को देखते हुए, कभी गर्मी पड़ती है, कभी बरसात आती है, कम से कम चार सैट वर्दी के दिए जाएं। एक मांग यह है कि सिलाई के रेट बहुत कम दिए जाते हैं। इनको कम से कम मार्किट रेट पर सिलाई के रेट दिए जाएं। पांचवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करके, नए वेतनमान के तहत वेतन दिया जाए। निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। कम से कम हर पदों पर तीन पदोन्नति सुनिश्चित की जाएं। एसीपी स्कीम को सही तरीके से लागू किया जाए। जिन पोस्टों में भर्ती के नियम एक जैसे हैं उसके स्केल बराबर के होने चाहिए। सभी स्वास्थ्यकर्मियों को तुरन्त रोगी देखभाल भत्ता देना चाहिए। स्वास्थ्यकर्मी की कटी हुई आकस्मिक अवकाश बहाल की जाए। इनकी जायज मांगें हैं। यदि इनकी जायज मांगें मानी नहीं गईं तो यह बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आदमी का काम में मन लगता है तो रोगी के प्रति सेवा भाव आता है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। वह उनकी जायज मांगों को मानें तभी सही मायने में रोगियों की सेवा हो सकेगी।

श्री दीपेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदया, देश के छावनी क्षेत्रों में जो आर्मी के सैंटर्स हैं, वहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं अच्छी तरह से प्राप्त हों, इसके लिए वहां की छावनी परिषद के द्वारा छावनी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी सागर, महु और जबलपुर स्थानों पर छावनी अस्पतालों को चलाया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में भी सदर झांसी सड़क पर छावनी अस्पताल है लेकिन इस छावनी अस्पताल में चिकित्सा की सेवाएं मरीजों को ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होने के कारण, उन्हें जिस अच्छे ढंग से लाभ मिलना चाहिए, वह

लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस कारण से वे मरीज इन अस्पतालों में इलाज कराने के बजाय या तो निजी नर्सिंग होम्स में जाकर इलाज कराते हैं या शासकीय चिकित्सालय में जाते हैं।

मेरा आपसे कहना है कि इन क्षेत्रों में बहुत सारे मरीज लोग रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं, छोटा–छोटा काम करने वाले गरीब लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, ये अस्पताल कैंट एरिया में है और वेद शासकीय अस्पताल से दूर रहते हैं इस कारण से इन अस्पतालों की चिकित्सा सेवाएं बढ़ाए जाने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए लेकिन वे उदासीन बने हुए हैं। इन कैंट क्षेत्रों की आबादी लगातार बढ़ रही है। सागर कैंट एरिया की आबादी लगभग 30,000 हो गई है लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं आज से पन्द्रह या बीस साल पहले थीं, वही बनी हुई हैं। केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा लाखों रुपये प्रति वर्ष चिकित्सा के रख–रखाव के लिए, उपकरणों को खरीदने के लिए, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए दिए जाते हैं लेकिन उस राशि का ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। ऊपरी तौर पर दिखाने के लिए काम किया जाता है। कैंट एरिया में विशेष सुविधाएं प्राप्त हों, वहां पर विशेषज्ञों की नियुक्तियां की जाएं, वहां पर रात्रिकालीन सेवाएं प्रारंभ की जाएं क्योंकि रात्रिकालीन सेवाएं मरीजों को वहां नहीं मिलती हैं। इन सेवाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उन सभी छावनी क्षेत्रों में, जहां पर छावनी अस्पताल चलाए जा रहे हैं, उन अस्पतालों की बेहतर सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : जीरो ऑवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। आप अपनी बात रख चुके हैं। अब सबसे आखिर में सोचेंगे।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, यह बड़ा महत्वपूर्ण और सब लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : ऐसे नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, सुबह आठ बजे हम लोगों को लिस्ट ऑफ बिजनेस मिलता है और आठ बजे हम लिस्ट ऑफ बिजनेस देख नहीं पाते हैं। यहां पर जो भी सूचना होती है उसे लगा नहीं पाते हैं। मैं आपके माध्यम से, संसदीय कार्य मंत्री यहां पर हैं, मैं मांग करना चाहूंगा कि कम से कम सात बजे लिस्ट ऑफ बिजनेस माननीय सदस्यों को मिल जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह बात अभी नहीं होगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कभी भी उठकर कुछ नहीं बोलना चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाक्षी सेन (जलपाईगुड़ी) : सभापति महोदया, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बेईमान व्यवसायियों और व्यापारियों का एक तबका घटिया और सस्ती किस्म की चाय का आयात कर रहा है और उसमें निम्न गुणवत्ता वाली भारतीय चाय की मिलावट कर इसे विश्व बाजार में बेच रहा है। यह न केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का उल्लंघन है, बल्कि इससे समग्र रूप में चाय उद्योग को भी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि भारतीय चाय का विदेशों में एक बड़ा बाजार है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वे सम्माननीय सभा को बताएं कि क्या सरकार को कतिपय चाय व्यापारियों के इस कदाचार की जानकारी है जो विश्व बाजार में भारतीय चाय की प्रसिद्धि को बिगाड़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वे इस बात को स्पष्ट करें कि इन बेईमान व्यवसायियों और व्यापारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदया, मेरा सवाल बड़ा अहम है। जयपुर शहर में पेयजल के लिए रामगढ़ बंधा वहीं है और यहीं से केवल पानी वितरित किया जाता है। रामगढ़ बंधे में बाणगंगा नदी से पानी आता है। बाणगंगा में 52 एनीकट बन गए हैं इस कारण से बंधे में पानी आने से रुकावट पैदा हो गई है और जयपुर शहर में कोई अन्य सप्लाई करने की व्यवस्था नहीं है। बनास योजना पूर्ण होने में, जिसकी चर्चा कई वर्षों से हो रही है, मैं समझता हूं कि दो–तीन वर्ष और लग जाएंगे। कुओं, हैण्डपंपों और नलकूपों का जल स्तर नीचा हो जाने के कारण वे अनुपयोगी हो गए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि तालकटोरा, जो जयपुर शहर के बीच में बना हुआ है इसमें एक बूंद पानी नहीं बचता है, इस प्रकार से जो पाइप लाइन जयपुर शहर में है, वह भी गल चुकी है। वह बहुत पुरानी और छोटी पाइप लाइन है। उसमें लीकेज हो जाने के कारण पानी व्यर्थ हो जाता है और गटर लाइन से मिल जाने के कारण दूषित पेयजल मल–मूत्र युक्त पानी सप्लाई किया जा रहा है।

गांवों में पेयजल नहीं है, जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं है। मैं समझता हूं कि सारे लोग बहुत ही दुखी हैं। शहर के लोग तो चबूतरे में गड्ढा निकालकर पाइप लाइन डालकर वहां से पानी निकाल रहे हैं। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जयपुर में पेयजल की सप्लाई के लिए नई पाइप लाइन डाली जाए। इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने पेयजल को प्राथमिकता दी है। जयपुर के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया जाए। इस बार बारिश नहीं हुई है, इसलिए पेयजल का संकट है। मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि हम पर कृपा करें ताकि जयपुर के लोगों की पेयजल की समस्या हल हो जाए।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राजस्थान सरकार को पेयजल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दे ताकि पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। यह मानवीय प्रश्न है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार डाकघरों के अस्तित्व को मिटाने पर तुली है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 40–50 साल से जो डाकघर बने हुए थे, या तो उन्हें डी–ग्रेड किया जा रहा है या उन्हें बन्द करके दूसरे में समाहित किया जा रहा है। डाक विभाग में 3 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्पलाईज रात–दिन कष्ट उठाकर भारत सरकार के संदेश को डाक के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तलवार समिति का गठन किया गया था और उसने वायदा किया था कि उस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाएगा लेकिन वह आज तक क्रियान्वित नहीं की गई हैं। डाक विभाग के लाखों कर्मचारी आन्दोलित हैं, उद्वेलित हैं। उनकी यूनियन ने नोटिस भी दिया था, लेकिन 21 दिन के धरने के बाद भी उनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करे और तलवार समिति ने जो अभिशंसाएं की हैं, उन्हें ई.डी. एम्पलाईज के लिए लागू किया जाए। डाक सेवाओं में भर्ती के संबंध में जो बैन 1984 से लगा हुआ है, उसे हटाया जाए। आज डाक क्षेत्र का ज्यादा विस्तार हो गया है। ऐसी स्थिति में डाक विभाग में खाली जगहों को भरा जाए ताकि डाक सेवा का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब सभा सोमवार, 8 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 अगस्त, 2005/ 17 श्रावण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती सी.एस सुजाता	181
2.	श्री गणेश सिंह श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	182
3.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील श्री गिरिधारी यादव	183
4.	श्री काशीराम राणा	184
5.	श्री एन.एन. कृष्णदास	185
6.	श्री अजय चक्रवर्ती	186
7.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	187
8.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	188
9.	श्री पंकज चौधरी श्री बसुदेव आचार्य	189
10.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	190
11.	मोहम्मद शाहिद प्रो. महादेवराव शिवनकर	191
12.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री जी. करूणाकर रेड्डी	192
13.	श्री ब्रजेश पाठक	193
14.	श्री एस. के खारवेलथन श्री दरोगा प्रसाद सरोज	194
15.	श्री मदन लाल शर्मा श्री अनंत गुढे	195

1	2	3
16.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री लक्ष्मण सेठ	196
17.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	197
18.	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	198
19.	श्री सुशील कुमार मोदी श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	199
20.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी डा. के. धनराजू	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे. एम.	2014
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2008, 2048, 2086
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2009, 2049, 2075, 2083
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1952, 2018, 2054, 2064
5.	अजय कुमार, श्री एस.	1908, 2011
6.	आठवले, श्री रामदास	1958, 2023, 2058, 2074, 2081
7.	"बघदा" श्री बघी सिंह रावत	1963
8.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	1898, 1950, 2027, 2095
9.	बर्मन, श्री हितेन	1936, 2044
10.	बर्मन, श्री रनेन	1931
11.	बखला, श्री जोवाकिम	1931, 1945, 1966
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	1977, 2033, 2063, 2088
13.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1905, 1921, 1926, 1983
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2034
15.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1894
16.	बोस, श्री सुव्रत	2044, 2064
17.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1940, 2090
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1995, 2038, 2065, 2085
19.	चन्द्र कुमार, प्रो.	2010
20.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	2012, 2043
21.	चौरे, श्री बापू हरी	1957, 2090
22.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1945
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1949, 1950
24.	चिन्ता मोहन, डा.	1970
25.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	2096
26.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	1936
27.	चौधरी, श्री अधीर	1901, 2026
28.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1933, 2001, 2043, 2065, 2069
29.	धनराजू, डा. के.	1939, 2091
30.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1904, 1975
31.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1916, 1991, 2052, 2071
32.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	1924, 1953
33.	गांधी, श्रीमती मेनका	2095
34.	गांधी, श्री प्रदीप	1971, 2028
35.	गंगवार, श्री संतोष	1920
36.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2064
37.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1929
38.	गुढ़े, श्री अनंत	2022, 2044
39.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	1911

1	2	3
40.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	1907, 2064
41.	हसन, श्री मुनव्वर	2003
42.	जगन्नाथ, डा. एम.	1938
43.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2064
44.	झा, श्री रघुनाथ	1941
45.	जोगी, श्री अजीत	1945, 2013
46.	जोशी, श्री प्रहलाद	1920
47.	कामत, श्री गुरूदास	2045
48.	कनोडिया, श्री महेश	2092
49.	करूणाकरन, श्री पी.	2056
50.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	1975, 2031
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2008
52.	खां, श्री सुनील	1908
53.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1912
54.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2090
55.	खारवेनथन, श्री एस. के.	1980, 2042, 2068, 2079
56.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	1994
57.	कुरुप, श्री सुरेश	1915, 1937, 1992, 2073
58.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2066, 2078, 2090
59.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1913, 1970
60.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1951, 2009
61.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1956
62.	महाजन, श्री वाई. जी.	1895, 1981
63.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1946
64.	महताब, श्री भर्तृहरि	2012
65.	मंडल, श्री सनत कुमार	1921, 1959, 2024, 1920
66.	माने, श्रीमती निवेदिता	1924
67.	मनोज, डा. के. एस.	1928
68.	मेघवाल, श्री कैलाश	2009, 2028
69.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2003, 2004
70.	मोदी, श्री सुशील कुमार	2006, 2047
71.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2095
72.	मुकीम, मोहम्मद	2003, 2061
73.	मो. ताहिर, श्री	1998, 2066, 2078, 2090
74.	मोहिते, श्री सुबोध	2025
75.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2094
76.	मूर्ति, श्री ए. के.	1900
77.	मुन्शी राम, श्री	1998, 2066, 2078, 2090
78.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1936, 2007
79.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2095
80.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	1965
81.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1947, 2027
82.	नायक, श्री अनन्त	1986,1910
83.	निखिल कुमार, श्री	1942, 2008
84.	ओराम, श्री जुएल	1899, 2022,2052, 2057
85.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1932
86.	पलनिसामी, श्री के. सी.	1909, 1985
87.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1999, 2040
88.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1950
89.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1917, 2017, 2040, 2053

1	2	3
90	पाठक, श्री ब्रजेश	2000, 2041, 2067, 2082
91.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1944, 2064
92.	पाटील, श्री प्रकाशबापू वी.	2072
93.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2064
94.	पिंगले, श्री देविदास	1943
95.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	1931
96.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	1939, 2010, 2050
97.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1920, 1961
98.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1934
99.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2038
100.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1923
101.	राणा, श्री काशीराम	1987, 2037
102.	राव, श्री के. एस.	1918
103.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1955, 2020, 2055, 2087
104.	राव, श्री डी. विट्टल	1927, 1997
105.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1973, 2030, 2064
106.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1979, 2002, 2035, 2064
107.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1960
108.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2001, 2012
109.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2037
110.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1989, 2045, 2070
111.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1935
112.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	2015
113.	सत्पथी, श्री तथागत	1954, 2019
114.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1937
115.	सेठ, श्री लक्ष्मण	2012
116.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1936, 1967
117.	शाहिद, मोहम्मद	1998, 2039, 2066, 2078
118.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1926, 1939
119.	शर्मा, श्री मदल लाल	2002, 2044
120.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1990, 1993, 2036
121.	शिवन्ना, श्री एम.	1919
122.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1998, 2066, 2078, 2090
123.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	1903, 1982
124.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1949
125.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2064
126.	सिंह, श्री दुष्यंत	1925, 2090
127.	सिंह, श्री गणेश	1993, 2036, 2064, 2077
128.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	1972
129.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1953, 2021
130.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	1920, 1948, 2089, 2092
131.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1974, 2029
132.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	1922
133.	सिंह, श्री राकेश	1930
134.	सिंह, श्री सीताराम	1951, 2016
135.	सिंह, श्री सुग्रीव	1917, 2017, 2053, 2072, 2080
136.	सिंह, श्री उदय	2026
137.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1897
138.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2092

1	2	3
139.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1962, 2059
140.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1906
141.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1896, 1978, 2051
142.	थामस, श्री पी. सी.	1914, 1988, 2060
143.	रिक्त, 1.8.2005	1964
144.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1968, 2064, 2093, 2095
145.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1940
146.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	1933, 1996
147.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2005, 2046, 2076, 2084
148.	वाघमारे, श्री सुरेश	2005, 2046, 2076, 2084
149.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	1924, 1953, 2021
150.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1946
151.	यादव, श्री गिरिधारी	1934
152.	यादव, श्री राम कृपाल	2015
153.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1976, 2032, 2062

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य		
वित्त		184, 185, 187, 191, 196, 197
विधि और न्याय	:	190
खान		
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत		186
महासागर विकास		
विद्युत		181, 189, 192
ग्रामीण विकास		182, 183, 194, 195, 199, 200
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		188
वस्त्र		193, 198

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य		1937, 1967, 1975, 2003, 2055, 2082
वित्त		1894, 1895, 1896, 1899, 1902, 1903, 1905, 1907, 1908, 1914, 1915, 1921, 1922, 1924, 1927, 1928, 1933, 1935, 1936, 1938, 1941, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1953, 1955, 1956, 1961, 1966, 1970, 1974, 1979, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1997, 1999, 2000, 2001, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026, 2029, 2031, 2035, 2039, 2041, 2043, 2050, 2056, 2058, 2062, 2065, 2069, 2071, 2073, 2074, 2076, 2079, 2081, 2085, 2087, 2089, 2092, 2094, 2096
विधि और न्याय		1913, 1951, 1969, 2004, 2038
खान		1910, 1917, 1960, 1986, 2067
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत		1897, 1904, 1977, 1985, 2002, 2008, 2054, 2077, 2095
महासागर विकास		1954, 1998, 2053, 2072, 2091, 2093
विद्युत	:	1906, 1909, 1920, 1925, 1926, 1932, 1934, 1942, 1959, 1960, 1964, 1968, 1972, 1978, 1981, 1996, 2020, 2037, 2045, 2048, 2057, 2064, 2066, 2078, 2080, 2084, 2086, 2088
ग्रामीण विकास		1898, 1901, 1912, 1918, 1923, 1929, 1943, 1946, 1950, 1952, 1958, 1965, 1971, 1993, 1994, 2006, 2009, 2015, 2016, 2028,

	2030, 2033, 2034, 2036, 2040, 2044, 2047, 2049, 2051, 2059, 2060, 2061, 2063, 2083, 2090
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1900, 1916, 1930, 1939, 1940, 1957, 1962, 1963, 1976, 1983, 2007, 2010, 2017, 2024, 2032, 2042, 2046, 2072
वस्त्र	1911, 1919, 1931, 1973, 1991, 1995, 2005, 2013, 2027, 2052, 2068, 2070, 2075

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रका
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।